खण्ड–484, अंक–2
बुधवार 15 फाल्गुन, शक संवत् 1934
(06 मार्च, 2013 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2013)

(खण्ड 484 में 10 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2013

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1-6
निर्वाचन क्षेत्र संख्या-340, भाटपाररानी, जनपद देवरिया के उप चुनाव में निर्वाचित विधान सभा सदस्य श्री आशुतोष उपाध्याय द्वारा शपथ ग्रहण ...	7
जनपद प्रतापगढ़ के कुण्डा में सी0ओ0 श्री जियाउल हक के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग...	7-22
प्रश्नोत्तर	22-102
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें	102-104
वाराणसी से रामनगर जाने वाले मार्ग पर बने पीपे के पुल निर्माण कार्य में की गई अनियमितता के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	104
कानपुर महानगर में गम्भीर पेयजल संकट के निराकरण हेतु पुराने खराब पड़े हैण्डपम्पों की रि-बोरिंग कराये जाने एवं नये हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	104-105
जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र इगलास में गोण्डा-खैर मार्ग पर बने खुले नाले को सिल्लियों से पाटने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	105
जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र खैर में छज्जू नगला से करवल नदी तक नाले का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	105-106
जनपद बहराइच की कतिपय तहसीलों में वन विभाग द्वारा विभिन्न ग्राम पंचायतों की भूमि पर कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	106
जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रुद्रपुर की कतिपय सड़कों का सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	106-107
जनपद सहारनपुर के कतिपय ग्रामों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	107
जनपद औरैया के विधान सभा क्षेत्र दिबियापुर में अस्पताल तथा अन्य मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने हेतु एन0टी0पी0सी0 को निदेश दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	107-108
गाजियाबाद के विजयनगर क्षेत्र को शहर से जोड़ने वाली क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	108

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कांठ में सम्पर्क मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	108
जनपद बस्ती में एन0एच0-28 पर क्षतिग्रस्त दुबखरा से रानीपुर बेलाड़ी मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	109
प्रदेश के सहकारी बैंकों की समस्याओं का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	109
जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में आर्सेनिक पानी के कारण होने वाली जानलेवा बीमारियों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	109-110
जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र कोरावं के अन्तर्गत ग्राम सभा शाहपुर कला में पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	110
जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली में नालों की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	110
जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर के कतिपय क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	110-111
औचित्य के प्रश्न की सूचनायें	111
विधान सभा के उपाध्यक्ष पद का निर्वाचन कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	111-114
नियम-51 के अन्तर्गत शासन को ध्यानाकृष्ट की गई सूचना का उत्तर मा0 सदस्य को न प्राप्त होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	114
नियम-51 के अन्तर्गत श्री अगयश राम सरन वर्मा द्वारा दी गई सूचना पर दिनांक 27 फरवरी, 2013 को निर्धारित वक्तव्य न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न (जारी)	114-115
प्रदेश की जेलों में निरुद्ध सजा की अवधि पूरी कर चुके, शारीरिक रूप से अक्षम एवं निर्दोष बन्दियों की रिहाई न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	115-116
नियम-51 के अन्तर्गत श्री अगयश राम सरन वर्मा द्वारा दी गई सूचना पर दिनांक 27 फरवरी, 2013 को निर्धारित वक्तव्य न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	116
दिनांक 28-2-2013 के तारांकित प्रश्न संख्या-2 को पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	116-117
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012 (विधान परिषद् से वापस प्राप्त न होने की सूचना)	117-118

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश जल प्रबन्धन और नियामक आयोग (निरसन) विधेयक, 2012 (विधान परिषद् से वापस प्राप्त न होने की सूचना)	118
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2012 (विधान परिषद् से वापस प्राप्त न होने की सूचना)	118
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	118-127
वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या-09 ऊर्जा विभाग (पारित)	127-167
वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या-01 आबकारी विभाग (पारित)	168-180
वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या-60 वन विभाग (पारित)	180-204
कुम्भ मेले में श्रद्धालुओं के साथ दिनांक 10 फरवरी, 2013 को घटित घटना को दृष्टिगत रखते हुए उचित व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में नेता विरोधी दल, श्री दीपक पटेल, श्री हुकुम सिंह तथा श्री सतीश महाना द्वारा नियम-56 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नियम-52 के अन्तर्गत डेढ़ घण्टे की चर्चा (समाप्त)	204-230
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें	230-232
नियम-51 की सूचनाएं स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ...	232-233
नियम-51 की सूचनाओं को सप्ताह में एक ही बार लिये जाने का अनुरोध ...	233
कानपुर विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत कानपुर नगर के जूही हमीरपुर रोड स्थित डा0 सोने लाल पटेल सीनियर सेकेण्डरी स्कूल के मुख्य द्वार के अगल-बगल अवैध कब्जे को हटाये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती अनुप्रिया पटेल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य ...	233-235
जनपद फिरोजाबाद के टूण्डला क्षेत्रान्तर्गत कतिपय ब्लाकों में पेयजल हेतु टी0टी0एस0पी0 टंकी के निर्माण कार्य को अधूरा छोड़ने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राकेश बाबू द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का वक्तव्य	235-238
जनपद गाजियाबाद की कतिपय कालोनियों के मुख्य मार्गों पर किये गये अतिक्रमण को हटाये जाने के सम्बन्ध में श्री अमर पाल शर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य... ...	238-240
जनपद मुरादाबाद के कांठ में अग्निशमन केन्द्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में श्री अनीसुर्ररहमान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	240-141
जनपद चन्दौली अन्तर्गत धनावल शाखा पर पकड़ी माइनर को जोड़े जाने के सम्बन्ध में श्री बब्बन सिंह चौहान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य	242

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद बुलन्दशहर के सिकन्दराबाद नगर में उच्च चिकित्सालय व ट्रामा सेन्टर न होने के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)	242
प्रदेश में छावनी परिषदों को चुंगी क्षतिपूर्ति धनराशि को वर्तमान स्थिति पर दिये जाने के सम्बन्ध में श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)... ...	242
जनपद मेरठ में मेडिकल कालेज के पीछे गढ़रोड एवं काली नदी के बीच मुख्य मार्गों एवं आन्तरिक मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रविन्द्र भड़ाना द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)	242
उत्तर प्रदेश के अनुदानित अशासकीय महाविद्यालयों एवं राजकीय महाविद्यालयों के प्रोन्नति पाये शिक्षकों को रीडर/प्रवक्ता का वेतनमान दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार 'लल्लू' द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)	242
जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में विगत वर्ष 2012 में आये भयंकर तूफान के कारण टूटे हुए ट्रांसफार्मर, बिजली की तारें एवं खम्भों को तत्काल ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जय प्रकाश अंचल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत) ...	242-243
जनपद बाराबंकी के ग्राम कुर्सी के ब्लाक निन्दूरा में मीट कम्पनी एमरून फूड प्रोडक्ट्स द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण से क्षेत्रीय निवासियों के संक्रमित होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री पंकज कुमार मलिक द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य(व्यपगत) ...	243
जनपद आगरा के ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायत अकोला में खारे पानी के स्थान पर मीठे पानी की आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में श्री काली चरन सुमन द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, ग्राम्य विकास मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)	243
नत्थियां	244-305

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा

बुधवार, दिनांक 06 मार्च, 2013

[विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।]

उपस्थित सदस्य-348

1. अंसार अहमद, श्री — इलाहाबाद़
2. अखिलेश कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
3. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री — देवरिया
4. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
5. अजय मिश्र 'टेनी', श्री — लखीमपुर खीरी
6. अजय कपूर, श्री — कानपुर नगर
7. अजय कुमार, डा0 — इलाहाबाद
8. अजय कुमार 'लल्लू', श्री — कुशीनगर
9. अजीमुलहक पहलवान, अंसारी, हाजी — अम्बेडकर नगर
10. अताउर्रहमान, श्री — बरेली
11. अनिल वर्मा, श्री — उन्नाव
12. अनीसुर्रहमान, श्री — मुरादाबाद
13. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
14. अनुप्रिया पटेल, सुश्री — वाराणसी
15. अनूप कुमार गुप्ता, श्री — सीतापुर
16. अनूप सण्डा, श्री — सुल्तानपुर
17. अबरार अहमद, श्री — सुल्तानपुर
18. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री — बलरामपुर
19. अभय नरायन सिंह पटेल, श्री — आजमगढ़
20. अभय सिंह, श्री — फैजाबाद
21. अमर पाल शर्मा, श्री — गाजियाबाद
22. अमित गौरव यादव, श्री — एटा
23. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री — बाराबंकी
24. अरविन्द सिंह यादव, श्री — कन्नौज
25. अरूण वर्मा, श्री — सुल्तानपुर
26. अलगू प्रसाद चौहान, श्री — सन्तकबीर नगर
27. अली यूसुफ अली, श्री — रामपुर
28. अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह, श्री — गोण्डा
29. अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
30. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — लखीमपुर खीरी
31. अविनाश कुशवाहा, श्री — सोनभद्र
32. अशफाक अली खां, श्री — ज्योतिबाफूले नगर
33. आदिल शेख, श्री — आजमगढ़
34. आनन्द सिंह, कुंवर — गोण्डा
35. आबिद रजा खां, श्री — बदायूं
36. आरिफ अनवर हाशमी, श्री — बलरामपुर
37. आलोक कुमार शाक्य, श्री — मैनपुरी
38. आशा किशोर, श्रीमती — छत्रपति शाहूजी महराज नगर
39. आशीष यादव, श्री — बदायूं
40. आशुतोष उपाध्याय, श्री — देवरिया
41. आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री — बदायूं
42. इकबाल महमूद, श्री — भीमनगर
43. इन्दल कुमार, श्री — लखनऊ
44. इन्द्रजीत कोरी, श्री — कानपुर नगर
45. इन्द्रजीत सरोज, श्री — कौशाम्बी
46. इन्द्रपाल सिंह, श्री — रमाबाईनगर
47. इन्द्राणी देवी, श्रीमती — श्रावस्ती
48. उत्कर्ष वर्मा मधुर, श्री — लखीमपुर खीरी
49. उदयराज, श्री — उन्नाव
50. उदय लाल मौर्या, श्री — वाराणसी
51. उपेन्द्र तिवारी, श्री — बलिया

52. उमाकान्ती, श्रीमती जालौन
53. उमाशंकर, श्री बलिया
54. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
55. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
56. ओम कुमार, श्री बिजनौर
57. ओम प्रकाश, श्री गाजीपुर
58. ओम प्रकाश 'बाबा' दुबे, श्री जौनपुर
59. ओम प्रकाश वर्मा, श्री फिरोजाबाद
60. कमाल अख्तर, श्री ज्योतिबाफूले नगर
61. काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, नवाब रामपुर
62. काली चरन सुमन, श्री आगरा
63. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
64. कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री झांसी
65. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
66. केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य, श्री कौशाम्बी
67. कैलाश, श्री गाजीपुर
68. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
69. कौशल सिंह कुंवर, श्री महराजगंज
70. गंगा सिंह कुशवाहा, श्री कुशीनगर
71. गजराज सिंह, श्री पंचशील नगर
72. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
73. गयादीन अनुरागी, श्री हमीरपुर
74. गायत्री प्रसाद, श्री छत्रपति शाहूजी महराज नगर
75. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
76. गुटियारी लाल दुवेश, श्री आगरा
77. गुलाब चन्द, श्री जौनपुर
78. गुलाम मौहम्मद, श्री मेरठ
79. गेंदा लाल चौधरी, श्री महामायानगर
80. गोमती यादव, श्री लखनऊ
81. गोरख पासवान, श्री बलिया
82. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
83. चन्द्रा रावत, श्रीमती लखनऊ
84. चितरंजन स्वरूप, श्री मुजफ्फरनगर
85. छोटेलाल वर्मा, श्री आगरा
86. जगतम्बा सिंह, श्री मिर्जापुर
87. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
88. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
89. जगपाल, श्री सहारनपुर
90. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
91. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
92. जफर आलम, श्री अलीगढ़
93. जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री फर्रुखाबाद
94. जमीर उल्ला खां, श्री अलीगढ़
95. जय प्रकाश निषाद, श्री गोरखपुर
96. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
97. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
98. जाकिर अली, श्री गाजियाबाद
99. जाहीद बेग, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)
100. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
101. जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
102. ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमती वाराणसी
103. तसलीम, श्री बिजनौर
104. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री फैजाबाद
105. तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
106. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
107. त्रिलोकीराम, श्री अलीगढ़
108. दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन
109. दलजीत सिंह, श्री बांदा
110. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
111. दिलनवाज खान, श्री बुलन्दशहर
112. दीपक कुमार, श्री उन्नाव
113. दीपक पटेल, श्री इलाहाबाद

114. दीपनारायण सिंह (दीपक यादव), श्री झांसी
115. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
116. देवनरायन उर्फ जी0एम0 सिंह, श्री महराजगंज
117. देवेन्द्र अग्रवाल, श्री महामायानगर
118. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
119. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
120. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
121. धर्मराज, श्री बाराबंकी
122. धर्मसिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
123. धर्मेश सिंह तोमर, श्री पंचशील नगर
124. नजीवा खान जीनत, श्रीमती कांशीराम नगर
125. नदीम जावेद, श्री जौनपुर
126. नन्दिता शुक्ल, श्रीमती गोण्डा
127. नरेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
128. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
129. नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव'', श्री प्रतापगढ़
130. नारद राय, श्री बलिया
131. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
132. निरंजन ज्योति, साध्वी हमीरपुर
133. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री शाहजहांपुर
134. पंकज कुमार मलिक, श्री प्रबुद्धनगर
135. पारस नाथ यादव, श्री जौनपुर
136. पीटर फैन्थम, श्री नाम-निर्देशित
137. पीतमराम, श्री पीलीभीत
138. पूजा पाल, श्रीमती इलाहाबाद
139. पूनम सोनकर, श्रीमती चन्दौली
140. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
141. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
142. प्रदीप चौधरी, श्री सहारनपुर
143. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
144. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
145. प्रभुदयाल वाल्मीकि, श्री मेरठ
146. प्रमोद कुमार गुप्ता, श्री औरैया
147. प्रमोद तिवारी, श्री प्रतापगढ़
148. प्रेम प्रकाश सिंह, श्री देवरिया
149. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
150. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
151. फसीहा मंजर ''गजाला लारी'', सुश्री देवरिया
152. बंशी सिंह पहाड़िया, श्री बुलन्दशहर
153. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महराजगंज
154. बदलू खां, श्री उन्नाव
155. बब्बन सिंह चौहान, श्री चन्दौली
156. बाबू खां, श्री हरदोई
157. बाबूलाल, श्री गोण्डा
158. बावन सिंह, श्री गोण्डा
159. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
160. बृज लाल सोनकर, श्री आजमगढ़
161. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
162. बृजेश कुमार, श्री हरदोई
163. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
164. बैजनाथ, श्री मऊ
165. ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
166. भगवत सरन गंगवार, श्री बरेली
167. भगवती प्रसाद, श्री अलीगढ़
168. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
169. भाई लाल कोल, श्री मिर्जापुर
170. भीम प्रसाद सोनकर, श्री अम्बेडकरनगर
171. मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
172. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
173. मदन सिंह उर्फ सन्तोष, श्री औरैया
174. मधुबाला, श्रीमती सन्त रविदास नगर (भदोही)
175. मनबोध, श्री देवरिया
176. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
177. मनीष रावत, श्री सीतापुर

178. मनोज कुमार, श्री चन्दौली
179. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
180. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
181. ममतेश शाक्य, श्री काशीराम नगर
182. महबूब अली, श्री जे0पी0नगर
183. महावीर सिंह, कुं0 हरदोई
184. महावीर सिंह राणा, श्री सहारनपुर
185. महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा आगरा
186. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
187. माइकल चन्द्रा, श्री जे0पी0नगर
188. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
189. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
190. मानपाल सिंह, श्री काशीराम नगर
191. मित्रसेन यादव, श्री फैजाबाद
192. मुकुट बिहारी वर्मा, श्री बहराइच
193. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
194. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री कानपुर नगर
195. मुहम्मद रमजान, श्री श्रावस्ती
196. मूलचन्द्र चौहान, ठा0 बिजनौर
197. मो0 आसिफ, श्री फतेहपुर
198. मो0 आसिफ जाफरी, श्री कौशाम्बी
199. मो0 जासमीर अंसारी, श्री सीतापुर
200. मो0 रेहान, श्री लखनऊ
201. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
202. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
203. मौ0 अलीम खां, श्री बुलन्दशहर
204. मौहम्मद यूसुफ अंसारी, श्री मुरादाबाद
205. यासर शाह, श्री बहराइच
206. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
207. योगेन्द्रपाल सिंह, श्री रमाबाईनगर
208. योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया', श्री गोण्डा
209. रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्री कानपुर नगर
210. रघुराज सिंह शाक्य, श्री इटावा
211. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
212. रणजीत सुमन, श्री एटा
213. रमेश चन्द, श्री मिर्जापुर
214. रमेश चन्द्र दुबे, श्री सोनभद्र
215. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
216. रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री सहारनपुर
217. रविन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
218. रविन्द्र भडाना, श्री मेरठ
219. रश्मि आर्य, डा0 झांसी
220. राकेश कुमार, श्री अलीगढ़
221. राकेश प्रताप सिंह, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
222. राकेश बाबू, श्री फिरोजाबाद
223. राघव लखनपाल, श्री सहारनपुर
224. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
225. राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज, श्री महोबा
226. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
227. राजमती, श्रीमती गोरखपुर
228. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
229. राजेन्द्र, श्री गोरखपुर
230. राजेन्द्र सिंह राणा, श्री सहारनपुर
231. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
232. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
233. राजेश यादव, श्री शाहजहांपुर
234. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
235. राधामोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
236. राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
237. राधेश्याम, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
238. राधेश्याम सिंह, श्री कुशीनगर
239. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
240. राम करन आर्य, श्री बस्ती
241. रामखिलाड़ी सिंह यादव, श्री भीमनगर
242. रामगोपाल, श्री बाराबंकी
243. राम गोविन्द, श्री बलिया

244. रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
245. रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
246. रामपाल यादव, श्री सीतापुर
247. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
248. राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
249. राम मगन, श्री बाराबंकी
250. राममूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
251. राममूर्ती सिंह वर्मा, श्री शाहजहांपुर
252. रामलाल अकेला, श्री रायबरेली
253. रामवीर उपाध्याय, श्री महामाया नगर
254. रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
255. रामशरन, श्री लखीमपुर खीरी
256. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
257. रामस्वरूप सिंह, श्री रमाबाई नगर
258. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
259. रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
260. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
261. रूबी प्रसाद, श्रीमती सोनभद्र
262. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
263. लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद, श्री सन्तकबीर नगर
264. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 मेरठ
265. लक्ष्मी गौतम, श्रीमती भीमनगर
266. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
267. लोकेश दीक्षित, श्री बागपत
268. वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
269. वहाब चौधरी, श्री गाजियाबाद
270. विजय कुमार पासवान, श्री सिद्धार्थनगर
271. विजय मिश्र, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)
272. विजय कुमार दूबे, श्री कुशीनगर
273. विजय कुमार मिश्र, श्री गाजीपुर
274. विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
275. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
276. विजय सिंह, श्री रामपुर
277. विजय सिंह पुत्र प्रेम सिंह, श्री फर्रुखाबाद
278. विनय तिवारी, श्री लखीमपुर खीरी
279. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
280. विवेक कुमार सिंह, श्री बांदा
281. विशम्भर सिंह, श्री बांदा
282. वीरपाल राठी, श्री बागपत
283. वीर सिंह, श्री चित्रकूट
284. वीरेन्द्र सिंह, श्री बरेली
285. वेदराम भाटी, श्री गौतमबुद्ध नगर
286. शंखलाल मांझी, श्री अम्बेडकरनगर
287. शकुन्तला देवी, सुश्री शाहजहांपुर
288. शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी
289. शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
290. शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
291. शाकिर अली, श्री देवरिया
292. शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ
293. शाह आलम उर्फ गुड्डु जमाली, श्री आजमगढ़
294. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
295. शिव कुमार बेरिया, श्री रमाबाई नगर
296. शिवपाल सिंह यादव, श्री इटावा
297. शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
298. शिवाकान्त ओझा, प्रो0 प्रतापगढ़
299. शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महाराजगंज
300. शेर बहादुर, श्री अम्बेडकरनगर
301. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
302. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री वाराणसी
303. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
304. श्याम बहादुर सिंह यादव, श्री आजमगढ़
305. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
306. श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
307. श्रीभगवान शर्मा, श्री बुलन्दशहर
308. संगीत सिंह सोम, श्री मेरठ
309. संग्राम यादव, डा0 आजमगढ़

310.	संजय कपूर, श्री	रामपुर	
311.	संजय प्रताप जयसवाल, श्री	बस्ती	
312.	सईद अहमद, श्री	इलाहाबाद	
313.	सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री	जौनपुर	
314.	सतवीर सिंह गुर्जर, श्री	गौतमबुद्ध नगर	
315.	सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट', श्री	कानपुर नगर	
316.	सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर	
317.	सत्यदेव पचौरी, श्री	कानपुर नगर	
318.	सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री	मेरठ	
319.	सत्यवीर मुन्ना, श्री	इलाहाबाद	
320.	सन्त प्रसाद, श्री	गोरखपुर	
321.	सन्तराम कुशवाहा, श्री	जालौन	
322.	सलिल विश्नोई, श्री	कानपुर नगर	
323.	सावित्री बाई फूले, सुश्री	बहराइच	
324.	सिनोद कुमार शाक्य (दीपू), श्री	बदायूं	
325.	सिबगतुल्ला अंसारी, श्री	गाजीपुर	
326.	सियाराम सागर, डा0	बरेली	
327.	सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री	फतेहपुर	
328.	सुखदेवी वर्मा, श्रीमती	इटावा	
329.	सुदेश शर्मा, श्री	गाजियाबाद	
330.	सुधाकर, श्री	मऊ	
331.	सुधीर कुमार, श्री	उन्नाव	
332.	सुनील कुमार सिंह यादव, श्री	सोनभद्र	
333.	सुनील कुमार लाला, श्री	लखीमपुर खीरी	
334.	सुब्बा राम, श्री	गाजीपुर	
335.	सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री	रायबरेली	
336.	सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी	
337.	सुरेश राणा, श्री	प्रबुद्धनगर	
338.	सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर	
339.	सुरेश बंसल, श्री	गाजियाबाद	
340.	सुल्तान बेग, श्री	बरेली	
341.	सूरज पाल सिंह, श्री	आगरा	
342.	सोबरन सिंह यादव, श्री	मैनपुरी	
343.	स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	कुशीनगर	
344.	हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री	लखीमपुर खीरी	
345.	हरिओउम् यादव, श्री	फिरोजाबाद	
346.	हुकुम सिंह, श्री	प्रबुद्धनगर	
347.	हेमराज वर्मा, श्री	पीलीभीत	
348.	हेमलता चौधरी, श्रीमती	बागपत	
*349	रिक्त	इलाहाबाद	

नोट :-मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव), राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी), पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव), कारागार मंत्री (श्री राजेन्द्र चौधरी) तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री (श्री राम सकल गूजर) भी सदन में उपस्थित थे।

[11-01] विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या-340, भाटपाररानी, जनपद देवरिया के उप चुनाव में निर्वाचित विधान सभा सदस्य श्री आशुतोष उपाध्याय द्वारा शपथ-ग्रहण

(नेता प्रतिपक्ष मा0 स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा कुण्डा प्रकरण पर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

मौर्य जी, शपथ करा दें, शपथ करा दें।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मा0 अध्यक्ष जी, आज उत्तर प्रदेश में, पूरे प्रदेश में जो वीभत्स हादसे होते जा रहे हैं। मान्यवर, पूरे उत्तर प्रदेश में.....

(तत्पश्चात् बहुजन समाज पार्टी के मा0 सदस्य वेल में आ गये और नारे लगाने लगे तथा इसी के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

अरे, शपथ हो जाने दो। शान्त हो जाओ। मौर्य जी, यह शपथ हो जाये, तब कर लो। अरे, आप लोग चुप हो जाओ न। आप जरा शान्त हो जाओ, शपथ हो जाये तब करना।

श्री अध्यक्ष-

मैं उप चुनाव में निर्वाचित श्री आशुतोष उपाध्याय जी को शपथ ग्रहण करने के लिये आमंत्रित करता हूं।

(मेजों की थपथपाहट)

(श्री आशुतोष उपाध्याय ने विधान सभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की)

(मेजों की थपथपाहट)

[11.03] जनपद प्रतापगढ़ में कुण्डा के सी0 ओ0 श्री जियाउल हक के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग

श्री अध्यक्ष-

हां, अब धरना, हां मौर्य जी।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मा0 अध्यक्ष जी, हमने कल भी निवेदन किया था और उत्तर प्रदेश के लगभग अनेकों जिलों में, एक दर्जन जिलों में कल धरना प्रदर्शन आंदोलन हुआ और धीरे-धीरे यह पूरे प्रदेश में फैलता जा रहा है और मान्यवर, गिरफ्तारी न होने से अधिकारियों में भी आक्रोश है, जनता में भी आक्रोश है। विशेष रूप से अल्पसंख्यक समाज में आक्रोश है। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता आज आक्रोशित है और पूरे उत्तर प्रदेश में आज इस धरना, प्रदर्शन और आंदोलन के माध्यम से सी0ओ0, कुण्डा के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग लगातार चल रही है लेकिन सरकार कान में तेल डालकर बैठी हुयी है। अपराधियों को बचाने का काम कर रही है।

(वेल में उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के मा0 सदस्य पुनः सी0ओ0 के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए नारे लगाने लगे तथा इसी के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

आप ही बतायें। आपने ही सी0बी0आई0 जांच के लिये कहा। आप लोगों ने ही सी0बी0आई0 जांच की मांग की। सरकार ने सी0बी0आई0 को लिख दिया तो उसमें अब उत्तर प्रदेश सरकार क्या करे बताइये, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार का क्या मतलब है।

(वेल में उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के मा0 सदस्य पुनः नारे लगाने लगे तथा इसी के मध्य)

आप लोग आराम से बैठ लो। यह प्रश्न प्रहर है, प्रश्न प्रहर में यह काम न करो। यह काम आप जीरो आवर में करें, अरे, प्रश्न प्रहर तो हो जाने देते।

(बहुजन समाज पार्टी के मा0 सदस्य वेल में खड़े होकर विरोध करते रहे।)

प्रश्न ही नहीं होने देंगे ये।

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मा0 अध्यक्ष जी, जिस घटना की....

श्री अध्यक्ष-

ये [x x x] इनका कुछ भी लिखा नहीं जायेगा और न यह कार्यवाही का अंग माना जायेगा।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, पीड़ित परिवार की एक-एक मांग को मा0 मुख्य मंत्री जी ने स्वीकार कर लिया। सी0बी0आई0 की जांच हो रही है। जो लोग राजनीति करके मा0 मुख्य मंत्री जी जब देवरिया गए थे, वहां शोर करके प्रदेश की स्थिति बिगाड़ना चाहते थे, उसमें जब सफल नहीं हुए, तो वे लोग अपनी खीझ मिटाने के लिए मान्यवर, यह बातें हूंकर रहे हैं। इसका कोई अर्थ नहीं है, अपनी खीझ मिटाना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मौर्या जी, अब आप बैठ जाएं।

श्री अम्बिका चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, ''खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे'' ये साजिश करने वाले लोग, जो प्रदेश की स्थिति को मान्यवर, साजिश में खराब करना चाहते थे। मा0 मुख्य मंत्री जी, उस पीड़ित महिला की मद्द के लिए वहां गए। 50 लाख रुपये उस परिवार को दिया। नौकरी की बात की, सी0बी0आई0 जांच उन्होंने शुरू कर दी। श्रीमन्, उसमें सी0बी0आई0 की जांच के लिए पत्र चला गया, पूरी कार्यवाही हो गई और उसमें उसके बाद श्रीमन् ये लोग राजनीति करना चाहते हैं। लाश पर राजनीति करना चाहते हैं, इसलिए श्रीमन् जब यह कुछ नहीं कर सकते हैं, तो अपनी खीझ मिटा रहे हैं। इसलिए इनसे आग्रह कीजिए कि ये जाएं, इसका कोई अर्थ नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

मैं 5 मिनट के लिए सदन स्थगित करता हूं।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 11 बजकर 05 मिनट पर सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिये स्थगित कर दी। 11 बजकर 10 मिनट पर सहायक मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 15 मिनट तक के लिये बढ़ा दिया है।

11 बजकर 25 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

[11.25] जनपद प्रतापगढ़ में कुण्डा के सी0ओ0 श्री जियाउल हक के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग (क्रमागत)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, चूंकि आज एक ऐसे गम्भीर मुद्दे पर सी0ओ0 कुण्डा के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पूरा उत्तर प्रदेश आन्दोलित है। एक दर्जन से भी ज्यादा जिलों में धरना प्रदर्शन आन्दोलन हो चुके हैं और लगातार यह आन्दोलन, धरना प्रदर्शन कर हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग लगातार बढ़ती जा रही है लेकिन हत्यारों को गिरफ्तार करने के बजाय सरकार हत्याभियुक्तों को बचाने की कोशिश कर रही है। जिससे पूरा उत्तर प्रदेश आन्दोलित है इसलिए मैंने आपसे अनुरोध किया था और साथ ही साथ आपसे अनुरोध करके यह स्पष्ट करना चाहा था कि सरकार की नीयत क्या है। सरकार आखिर हत्याभियुक्तों को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है, हत्यारों को बचाने की कोशिश क्यों कर रही है और मान्यवर, जो हत्यारे हैं उनकी गिरफ्तारी तत्काल सुनिश्चित की जानी चाहिए, यह हमारी मांग हैं और इस पर मैंने कल भी आपके माध्यम से निवेदन किया था और आज भी आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूं लेकिन सरकार स्पष्ट जवाब देने के बजाय उस पर लीपापोती कर रही है। इसमें मैं आपका संरक्षण चाहता हूं और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस पर सरकार का स्पष्ट जवाब दिलाने का कष्ट करें।

*श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने आज प्रश्नकाल होते ही श्रीमन्, जिस तरह से इस पर वेल में प्रदर्शन हुआ है और माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो अभी बात कही है कुण्डा में जो घटना हुई है बलीपुर गांव में मान्यवर, प्रधान वाली जो घटना हुई है वह बहुत दुःखद है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने और संसदीय कार्य मंत्री जी ने सदन में सारी स्थिति से अवगत करा दिया है सरकार ने उसके अभियुक्तों की तत्काल जो गिरफ्तारी हो गयी उसकी रिपोर्ट भी सदन में रख दी । माननीय रघुराज प्रताप सिंह राजा भैय्या पर मंत्री होने के बावजूद षड़यन्त्र का आरोप लगा तो उनको पद से भी हटा दिया और उन्होंने इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा स्वीकार हो गया और जो मांग डिप्टी एस0पी0 की बेवा पत्नी ने किया इस सदन के कई सदस्यों ने भी उस समय कहा था, सरकार निष्पक्षता से इसकी जांच कराये और अगर किसी पक्षपात की सम्भावना हो कि किसी के प्रभाव का इस्तेमाल हो, सी0बी0आई0 की जांच को जैसे ही मान्यवर, पीड़ित महिला ने कहा उनकी बेवा ने, माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वीकार करके सीबीआई को जांच के लिए उसको भेज भी दिया। आर्थिक सहायता बढ़ाने की बात आई थी 20 लाख जो कहा था उसको मान्यवर, 25-25 लाख रुपया 50 लाख रूपया पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दे दी। नौकरी देने की बात थी उसके परिवार के लोगों का बायोडाटा मंगा लिया और वह पूरी प्रक्रिया में है। श्रीमन्, इस मुकदमें का जहां तक सवाल है सी0बी0आई0 को जांच के लिए भेज दिया गया। मैं पूरी तरह से आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करना चाहता हूं कि सी0बी0आई0 की जांच में राज्य सरकार भरपूर सहयोग करेगी जिस किसी की भी गिरफ्तारी सी0बी0आई0 करना चाहेगी इस मामले में उसको तत्काल फोर्स भेज करके तुरन्त सरकार गिरफ्तार करायेगी। लेकिन जब श्रीमन्, सी0बी0आई0 के पास जांच चली गयी तो इस स्तर पर इस बात की जिद करना यह सर्वथा अनुचित है और अब तफतीश सी0बी0आई0 के पास है। इस मुकदमें की तफतीश सी0बी0आई0 को करनी है और गिरफ्तारी तफतीश का हिस्सा है। इसलिए इस इन्वेस्टीगेशन के पार्ट के तौर पर जब गिरफ्तारी सी0बी0आई0 करना चाहेगी तो सरकार अपनी पूरी मशीनरी का उसको सहयोग देगी, पूरी निष्पक्षता और सद्भावना के साथ अपराधियों को सजा मिल सके इसमें सरकार की ओर से किसी तरह की कोई कोताही नहीं है। जो लोग लाशों पर राजनीति करना चाहते हैं वह लोग अनावश्यक रूप से जब वह पीड़ित महिला माननीय मुख्य मंत्री जी के जाने के बाद पूरी तरह से स्वयं संतुष्ट है और उन्होंने उनको अपना भैया कहा है। उनको इस बात पर भरोसा था कि माननीय मुख्य मंत्री जी ही उसको संरक्षण दे सकते हैं। जब लोगों की राजनीति की गोटी नहीं चल रही है तब अपनी राजनीति की रोटी सेंकने के लिए इस प्रकार की मांग की जा रही हैं। इसलिए श्रीमन्, मैं पुनः स्पष्ट कर दूं कि सी0बी0आई0 इसमें निष्पक्ष जांच करेगी और राज्य सरकार उसमें पूरा सहयोग करेगी और गिरफ्तारी ही नहीं जितना भी सहयोग सी0बी0आई0 चाहेगी हम उतना सहयोग करेंगे।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, एक बात की जानकारी मैं चाहता हूं कि क्या सी0बी0आई0 ने जांच स्वीकार कर ली है ? दूसरे मैं यह जानकारी चाहता हूं कि यदि सी0बी0आई0 ने जांच स्वीकार कर ली है तो क्या आप सदन की भावना को दृष्टिगत रखते हुए सी0बी0आई0 से आग्रह करेंगे कि सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर जांच को पूरी कर लें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, माननीय हुकुम सिंह जी जितना कानून के ज्ञाता हैं मैं समझता हूं कि वह सदन में वरिष्ठतम लोगों में से हैं, बहुत बढ़िया जानते हैं और उनको पता है कि इन्वेस्टीगेशन में इन्टरफेयरेन्श का अधिकार सरकार को और किसी को नहीं है। सरकार यह नहीं कह सकती कि पहले इनको गिरफ्तार कर लो। जब तफ्तीश की बात आयेगी, सी0बी0आई0 जो भी कार्रवाई करेगी वह निष्पक्ष होगी और जो सहयोग मांगेगी वह सहयोग सरकार देगी।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मेरा सीधा सा प्रश्न था कि क्या सी0बी0आई0 ने जांच स्वीकार कर ली है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, आपने दो बातें कही थीं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय हुकुम सिंह जी, माननीय मंत्री जी ने जवाब दे दिया है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं और एक छोटी सी जानकारी चाहता हूं कि क्या सी0बी0आई0 ने जांच स्वीकार कर ली है ?

श्री अध्यक्ष-

इसके बारे में माननीय मंत्री जी बता सकते हैं मैं इसमें क्या कर सकता हूं।

(माननीय सदस्य श्री उपेन्द्र तिवारी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप बैठो भाई।

*श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मेरा नाम पुकार लिया है। मान्यवर, माननीय हुकुम सिंह जी का प्रश्न बिल्कुल उचित है, उसका जवाब आना चाहिए। जहां तक मेरी जानकारी है, जब तक सी0बी0आई0 स्वीकार न कर ले तब तक उत्तर प्रदेश सरकार की तफ्तीश जारी रहेगी और मैं यह चुनौती देता हूं आपके माध्यम से अपनी कानूनी जानकारी के आधार पर कि जब तक सी0बी0आई0 टेकओवर न कर ले तब तक उत्तर प्रदेश सरकार ही इन्वेस्टीगेटिंग एजेंसी थी, है और उस क्षण तक रहेगी जब तक कि सी0बी0आई0 स्वीकार न कर ले। और मेरी चुनौती है, अगर यह सच नहीं है तो मैं सरकार को चुनौती देता हूं कि मेरी इस कानूनी जानकारी का वह प्रतिवाद करें। दूसरा मान्यवर, मैं एक आग्रह करना चाहता हूं, मैं अभी-अभी देख करके आ रहा हूं, कल भी देखा था, माननीय मुख्य मंत्री जी देवरिया गये और उनके खिलाफ कुछ अराजकतत्व शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, मान्यवर, अराजकतत्वों ने उनके खिलाफ नारेबाजी की, आज वह कुण्डा गये मैं अभी-अभी देख करके आ रहा हूं इसीलिए कुछ विलम्ब हुआ, वहां भी कुछ अराजकतत्वों ने आजम खां साहब के खिलाफ नारेबाजी की। मान्यवर, यह जो घटनाएं हो रही हैं, मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं डिप्टी एस0पी0 के हत्यारों को सजा दिलाने की जगह इस पर राजनैतिक स्वरूप क्यों अख्तियार किया जा रहा है इसकी मैं कठोर शब्दों में निन्दा करता हूं, जो भी करा रहे हों। मैं एक बात विनम्रतापूर्वक और कहना चाहता हूं कि मान्यवर, कुछ रचनात्मक बातें भी हो जाएं, मान्यवर, डिप्टी एस0पी0 की हत्या क्यों हुई।

श्री अध्यक्ष-

यह सी0बी0आई0 जांच करके बतायेगी।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मेरी बात तो पूरी हो जाए। मान्यवर, यह हत्या क्यों हुई क्योंकि एक बहादुर अधिकारी।

(सत्तापक्ष की ओर से टोकाटाकी करने पर)

मान्यवर, मुझे एक बात पर दुःख होता है क्योंकि एक साधारण सदस्य बोले तो वह क्षम्य है लेकिन जब मंत्री लोग बीच में टोकाटाकी करते हैं तो यह सदन की परम्परा नहीं रही है। मान्यवर, मैं आपसे विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि मान्यवर, आप पहल करें आप लीड करें, उस बहादुर डिप्टी एस0पी0 की हत्या इसलिए हुई क्योंकि उसका काम यह था जमीन, प्रापर्टी की हिफाजत करना, जान की हिफाजत करना लेकिन उसकी हत्या इसलिए हुई क्योंकि उसने हिन्दुओं की प्रापर्टी और जमीन की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान किया है। इसलिए क्या माननीय मंत्री जी मुझे यह जवाब देंगे

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि उसके नाम पर एक पुरस्कार की घोषणा हो और जो भी बहादुर पुलिस अधिकारी इस तरह के काम को करे, हर साल उस बहादुर अधिकारी को सरकार पुरस्कार की घोषणा करे और वह जियाउल हक के नाम पर होनी चाहिए और अगर इसमें सरकार को आपत्ति है तो मैं कहूंगा कि उनकी शहादत को कम करके सरकार आंक रही है।

(माननीय सदस्य श्री उपेन्द्र तिवारी के खड़े होकर अपनी बात कहने एवं उनका माइक ऑफ होने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब आप क्यों उठ रहे हैं ? माननीय हुकुम सिंह जी आप इनको समझाइये यह आपके सदस्य हैं, चर्चा कहां हो रही है और वह वहां उंगली उठा रहे हैं। आप बैठिये, यदि ये नहीं मानेंगे तो मेरे सामने कोई विकल्प नहीं है माननीय हुकुम सिंह जी। माननीय उपेन्द्र तिवारी जी आप बैठ जाइये, पहली बार जीत करके आये हो कुछ सीखो। अब बताइये नहीं मानेंगे, ये किसी की बात नहीं मानते हैं न अपने नेता की और न मेरी। आप बैठ जाइये।

*श्री अम्बिका चौधरी-

अभी माननीय प्रमोद तिवारी जी ने जो बात कही है। मैं अवगत हूं कि यह बात सही है कि माननीय मुख्य मंत्री जी जब देवरिया गये थे तब और जब अन्य जगहों पर गये तब जो लोग राजनीतिक रोटी सेंकने का काम कर रहे हैं यह बहुत घृणित है, पूरे सदन में सभी लोगों ने इसे स्वीकार किया है और कौन लोग राजनैतिक रोटी सेंकना चाहते हैं यह प्रदेश की जनता से छिपी बात नहीं है, स्पष्ट है कि कौन लोग इस पर राजनैतिक रोटी सेंक रहे हैं। मान्यवर, उनकी भरपूर भर्त्सना होनी चाहिए और हम कहना चाहते हैं कि लाश पर जो लोग अपनी राजनीति की रोटी सेंकना चाहते हैं वह कामयाब नहीं होंगे क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री जी ने सबके प्रति एकसमान भाव रखने की जो शपथ ली थी उसका जैसा निर्वाह माननीय अखिलेश यादव माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया है ऐसा शायद पूर्व में कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। इसी के तहत जहां उन्होंने बिना विलम्ब किये हुए तत्काल अपने मंत्री का इस्तीफा ले लिया और सी0बी0आई0 से जांच कराने की एक बड़ी वजह और भी है कि यदि सी0बी0आई0 से जांच कराने में सरकार विलम्ब करती तो आप लोग कहते कि सरकार लीपापोती करना चाहती है, सी0बी0आई0 को फेस नहीं करना चाहती है क्योंकि उनका एक मंत्री इन्वाल्व है। इसलिए सी0बी0आई0 की जांच हो यह सरकार की मंशा है और इस मंशा को व्यक्त करते हुए तत्काल सी0बी0आई0 को जांच के लिए पत्र चला गया और इसमें अब जांच मान्यवर, सी0बी0आई0 ही करेगी इसलिए यदि सी0बी0आई0 अपनी जांच में गिरफ्तार करेगी तो गिरफ्तारी होगी, मुकदमा चलायेगी तो मुकदमा चलेगा बाकी दूसरों को गिरफ्तार करने का कोई प्रश्न नहीं है, सी0बी0आई0 ही इस पर कार्रवाई करेगी।

(माननीय नेता प्रतिपक्ष एवं माननीय सदस्य श्री प्रदीप माथुर के एक साथ खड़े होने पर)

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, अभी नोटीफिकेशन नहीं हुआ है, अभी सभी कुछ प्रदेश सरकार के हाथ में है, सी0बी0आई0 दिल्ली में है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(माननीय मंत्री श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, यह भी देवरिया के हैं।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, हम आपका संरक्षण चाह रहे हैं, मान्यवर, बात इस तरह की नहीं है आखिर न्याय कैसे मिलेगा। उस डिप्टी एस0पी0 की बेवा को न्याय कैसे मिलेगा।

श्री अध्यक्ष-

माननीय माथुर साहब, बैठ जाएं, अब हो गया।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, दिल्ली पुलिस ऐक्ट के अन्तर्गत सी0बी0आई0 का गठन होता है और जब तक नोटीफिकेशन नहीं होता है।

श्री अध्यक्ष-

आपने अपनी बात कह ली, अब आप बैठ जाएं, आप सदन चलाना चाहते हैं कि क्या करना चाहते हैं बताइये।

(माननीय श्री प्रदीप माथुर, माननीय श्री प्रमोद तिवारी और माननीय श्री अम्बिका चौधरी के एक साथ खड़े होकर अपनी बात कहने पर)

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, इससे दुःखद कुछ नहीं होगा कि सी0बी0आई0 की जांच पर माननीय माथुर साहब को विश्वास नहीं है। एक बात इस सदन में स्पष्ट होनी चाहिए कि कौन-कौन सी0बी0आई0 जांच के खिलाफ है कौन सी0बी0आई0 जांच नहीं चाहता यह स्पष्ट होना चाहिए।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, सी0बी0आई0 का गठन दिल्ली पुलिस एक्ट के अन्तर्गत है। दिल्ली पुलिस एक्ट के अन्तर्गत सी0बी0आई0 का गठन होता है, सी0बी0आई0 जब स्वीकार कर लेती है तो बाकायदा नोटीफिकेशन जारी करती है। पहले माननीय मंत्री जी दिल्ली पुलिस एक्ट पढ़ें उसके बाद जवाब दें। जब तक नोटीफिकेशन नहीं होता तब तक यह उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है कि वह गिरफ्तार करे। सच्चाई तो यह है कि सरकार में अपराधियों पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं है, इसलिए यह बहाने बना रही है। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या नोटीफिकेशन है, क्या कहना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य, अब हो गया।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, हो नहीं गया, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, जो दो पकड़े गये हैं वह थाने के अन्दर हैं, हवालात के अन्दर नहीं हैं, बाहर घूम रहे हैं। मान्यवर, यह गुमराह कर रहे हैं। सी0बी0आई0 के नोटीफिकेशन के पहले इनकी पूरी जिम्मेदारी है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, जो गिरफ्तार हुए वह जेल भेज दिए गये, वह थाने में नहीं हैं। यह सूचना बिल्कुल गलत है।

श्री प्रदीप माथुर-

यह सरकार अपराधियों को बचा रही है और अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है। इसके विरोध में मेरा दल सदन का बहिष्कार करता है।

(श्री प्रदीप माथुर, नेता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने दल के मा0 सदस्यों के साथ सदन का बहिर्गमन कर गये।)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

यह सरकार पूरे प्रकरण पर लीपापोती कर रही है। सरकार अपराधियों को बचाने की साजिश कर रही है, सी0बी0आई0 का नाम ले करके सी0बी0आई0 की दुहाई दे करके हत्यारों की गिरफ्तारी से बचने का सहारा ले रही है। जब तक केन्द्र की सरकार सी0बी0आई0 की स्वीकृति नहीं प्रदान कर देती है तब तक वह सी0बी0आई0 जांच मानी नहीं जाती है। आपने अभी केवल सी0बी0आई0 जांच के लिए रिकमेन्डेशन दिया है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के कानूनी कार्रवाई करने पर किसी प्रकार का रोक नहीं है और इस प्रकार से सी0बी0आई0 का बहाना ले करके सरकार अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रही है। सी0ओ0 कुण्डा जियाउल हक के हत्यारों को संरक्षण देने का काम कर रही है और साथ ही वलीपुर की घटना में तीन-तीन लोगों की जो हत्यायें हुई हैं उन हत्यारों को बचाने की कोशिश कर रही है। [x x x]

श्री अध्यक्ष-

यह [x x x] है, नहीं लिखा जायेगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, यह [x x x] की सरकार है, यह [x x x] की सरकार है, तो हम समझते हैं कि इस सरकार के बने रहने का कोई अधिकार नहीं है।

(इसी बीच बहुजन समाज पार्टी के श्री रामवीर उपाध्याय, श्री राजबली जैसल, श्री लोकेश दीक्षित, श्री इन्द्रजीत सरोज सहित अनेक माननीय सदस्य सदन की वेल में आ गये और नारे लगाने लगे।)

श्री अध्यक्ष-

माननीय मौर्या जी, आपने विरोध व्यक्त कर दिया, अब आप अपने मा0 सदस्यों को बिठाईये। माननीय सदस्यगण, आपसे आग्रह है कि आप अपनी-अपनी सीटों पर चलें, आपका विरोध हो गया। आज ऊर्जा विभाग का महत्वपूर्ण बजट है और आपकी पार्टी को उस पर कटमोशन रखना है तो अगर आप इस तरह से बाधित करेंगे तो बहुत से लोग अपनी बात रखने से वंचित हो जायेंगे। इस पर जो कार्रवाई की बात थी माननीय मंत्री जी ने बता दिया। आप लोग अब अपनी सीटों पर चलिये।

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

(वेल में आये हुए माननीय सदस्य वापस अपनी-अपनी सीटों पर चले गये।)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था कि माननीय मंत्री श्री चौधरी साहब ने जो सरकार का पक्ष रखा, सरकार का जो पक्ष आया उससे सरकार की नीयत में कहीं न कहीं खोट नजर आ रहा है क्योंकि मान्यवर, सरकार के जो कानूनी अधिकार हैं उस पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं है। सी0बी0आई0 की जांच तब मानी जाएगी जब केन्द्र सरकार की स्वीकृति मिल जायेगी। इसलिए अपराधियों की गिरफ्तारी न करना, सरकार केवल अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रही है, अपराधियों को बचाने का काम कर रही है। सी0ओ0 कुण्डा के हत्यारों को संरक्षण देने का काम कर रही है। यह सरकार [x x x] को बढ़ावा दे रही है, [x x x] को बढ़ावा दे रही है और यही कारण है कि नित्य-प्रति इस प्रकार के अधिकारियां की हत्यायें हो रही हैं, आम जनता की हत्यायें हो रही हैं। इस [x x x] के गलत रवैये को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी सदन से बहिर्गमन करती है।

(बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्य सदन का बहिर्गमन कर गये।)

श्री अध्यक्ष-

[x x x] नहीं लिखा जायेगा।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी जेल में अधिकारियों की हत्या, सिलसिलेवार अधिकारियों की हत्या और एक नहीं अनेक हत्याएं उसमें इनकी साझेदारी साबित हो चुकी है वह दूसरों पर ऐसे घटिया आरोप लगा रहे हैं मान्यवर, जैसा इनका आचरण है वैसा यह आरोप लगाने वाले लोग हैं। यह किसी सही सवाल का सामना नहीं कर सकते इसलिए यह लोग पलायन करने वाले लोग हैं फर्जी आक्षेप लगाने वाले लोग हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब प्रश्न प्रहर ले लें।

बाल विकास एवं पुष्टाहार एवं बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का सवाल है। माननीय अध्यक्ष महोदय परसों से यह मामला विधान सभा में चल रहा है। एक सामान्य प्रक्रिया है। घटना हुई घटना का प्रथम सूचना रिपोर्ट हो गई जैसा कि माननीय प्रमोद तिवारी ने कहा एफ0आई0आर0 हुआ और एफ0आई0आर0 की जांच हो रही है एफ0आई0आर0 की जांच के बाद असली मुल्जिम और नकली मुल्जिम साबित करता है वह आदमी जो तफ्तीश करता है। तो तफ्तीश हो रही है जो इन्होंने कहा कि सी0बी0आई0 निर्णय लेने के पहले तफ्तीश यू0पी0 पुलिस के हाथ में है और यू0पी0 पुलिस को करना चाहिए। तो तफ्तीश यू0पी0 पुलिस कर रही है प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के बाद कोई जरूरी नहीं है कि मुल्जिम की गिरफ्तारी हो जाय। प्रथम सूचना रिपोर्ट तफ्तीश की धारा होती है कि यह जो केस लिखाया गया है यह सही है या गलत है। तफ्तीश हो रही है चूंकि प्रमोद तिवारी जी और जो नेता प्रतिपक्ष हैं यह दोनों लोग किसी

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

व्यक्ति से खास नाराज हैं इसलिए बार-बार इस बात को सदन में ले आते हैं। एफ0आई0आर0 हो गई तफ्तीश हो रही है इनका क्यों पेट छटपटा रहा है ? क्यों इनका पेट छटपटा रहा है पुलिस अगर सही पाएगी, गिरफ्तार करेगी और गिरफ्तार करके न्यायालय में सजा दिलवाने का काम करेगी। इन लोगों की अनर्गल बातों से सदन का काम प्रभावित हो रहा है इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मेरा नाम लिया गया है।

श्री वसीम अहमद-

आप बहिष्कार कर गए।

श्री अध्यक्ष-

आप तो कम से कम शांत रहिए।

श्री प्रमोद तिवारी-

मेरा नाम लिया गया है इसलिए स्पष्टीकरण देने का अधिकार होता है।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोरगुल)

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, एक मिनट मुझे भी सुन लें।

होमगार्ड्स, प्रान्तीय रक्ष दल एवं व्यवसायिक शिक्षा मंत्री (श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी)-

मान्यवर, मैं वहां पर दो दिन रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

आप घटना के बारे में बताएंगे तो घटना के बारे में सब लोग सब चीज जानते हैं।

श्री सतीश महाना-

देवरिया के बारे में वह बता चुके हैं। सब लोग अलग-अलग बताएंगे क्या।

श्री अध्यक्ष-

इनका सुन लीजिए।

श्री ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी-

अध्यक्ष जी मैं दो दिन उस गांव में रहा हूं। पूरी रात रहा हूं। जिस दिन यह घटना हुई उस दिन कुशीनगर जनपद में मेरा कार्यक्रम लगा था माननीय मुख्य मंत्री जी के यहां से निर्देश गया कि जिस सी0ओ0 की हत्या हुई है उस गांव में आप पहुंचे मैं 8 बजे रात को पहुंचा उस समय डेड बाडी नहीं आई थी हमने 10 बजे रात तक इंतजार किया। 10 बजे रात को जब डेड बाडी गांव में आई तो एक बार पूरा माहौल गरम हो गया वहां के लोगों की आंखों में आंसू आ गए। दूसरी चीज है कि पूरे गांव के लोग बहुत ही संस्कारिक थे। दूसरे दिन सुबह जब देखा गया कि वहां बहुजन समाज पार्टी, वहां कांग्रेस पार्टी वहां भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा लीडर तो नहीं था लेकिन कार्यकर्ता पहुंच गए थे यह सारे लोग धरने पर बैठ गए, कोई नारे बाजी कर रहे थे गांव के लोगों को इलाके के लोगों को उकसाकर जहां संवेदना व्यक्त करना चाहिए वहां पर यह लोग राजनीति करना शुरू कर दिए। मैंने गांव के लोगों से बात की, परिवार से बात की। परिवार के लोगों ने 5 मांगें मेरे सामने रखी थीं रात में। सुबह मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी को अवगत कराया और उन्होंने कहा कि यह सारी मांगें मान ली

जायेंगी। दूसरी सुबह में उन्होंने दो मांगें और बढ़ा दीं जिसमें एक सी0बी0आई0 की जांच थी। यह जब मेरे सामने आया तो मैंने कहा कि माननीय मुख्य मंत्री जी से बात करके इस पर निर्णय लेंगे, बतायेंगें। वह पूरा परिवार जिद्द पर था। डी0जी0पी0 पुलिस दूसरे दिन मौजूद थे। मेरे सामने ही डी0जी0पी0 पुलिस ने कह दिया कि वह मेरा लड़का था, मेरा जवान था मेरे से अच्छा कौन जांच करेगा ? इस पर उनके खिलाफ इतनी भद्दी-भद्दी नारेबाजी शुरू हो गई। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उस परिवार को पुलिस पर विश्वास नहीं था। उस गांव के लोगों को विश्वास नहीं था। अगर हक तलफी है तो यह बहुजन समाज पार्टी और सारी पार्टी के लोगों की है। बाकी पीड़ित परिवार तो यह चाहता है कि पुलिस न करे बल्कि सी0बी0आई करे।

श्री अध्यक्ष-

यह क्या, यह तो हो गई बात मंत्री जी। (दो तीन माननीय सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर) अरे अखिलेश जी, रुकिये, हुकुम सिंह जी को बोल लेने दीजिये। आप बैठें। अरे भई आप लोग सुनते नहीं हैं। यह क्या मतलब है इस बहस का जब सारी बातें हो गई हैं। अब आगे चलने दीजिये।

श्रीमती फसीहा मंजर 'गजाला लारी'-

यह लोग दो हमदर्दी का बोल बोलने वहां गये भी नहीं थे, इनको बोलने का कोई हक नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

माननीया लारी जी बैठ जायं।

श्रीमती 'फसीहा मंजर' 'गजाला लारी'-

इन्हीं के लोग वहां जाकर उपद्रव मचा रहे थे, माननीय मुख्य मंत्री जी की गाड़ी पर पत्थर से मार रहे थे। बी0एस0पी0 के लोग थे, नारे बाजी कर रहे थे।

श्री हुकुम सिंह-

अध्यक्ष जी, मैं किसी पर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहा हूं और सी0बी0आई0 की जांच जहां तक है उस पर काफी विचार आ चुके। आपके भी आ गये, हमने जो भी कहा उस पर उत्तर नहीं आ पाया तो दूसरी बात है। एक बहुत ही बहादुर पुलिस अधिकारी को मौत के घाट उतारा गया। यह वास्तव में निन्दनीय है और सबको इस बात का दुःख है। सरकार ने यह बात सोचते हुए कि कुछ ऐसे परिस्थितियों में उसकी शहादत हुई, उसके परिवार को अनुदान दिया, सहायता दी। मैं सरकार से यह आश्वासन चाहता हूं कि जो भी पुलिस अधिकारी अपना दायित्व निभाते हुए अपनी शहादत देगा क्या उसको भी 50 लाख रुपये की धनराशि दी जायेगी आगे, मैं यह पूछना चाहता हूं। (शोर)

श्री अध्यक्ष-

आप पूछ लीजिये, अब उनको बताना है।

श्री हुकुम सिंह-

मैं सरकार से यह आश्वासन चाहता हूं कि जो भी पुलिस अधिकारी भविष्य में अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए शहादत देगा क्या उसके परिवार को भी 50 लाख रुपये या उससे अधिक की

धनराशि दी जायेगी नम्बर एक मान्यवर। नम्बर दो मान्यवर, जहां एक पुलिस अधिकारी की शहादत हुई है वहां दो गरीब किसान भी मारे गये हैं, क्या उनके परिवारों को भी सहायता दी जायेगी।

(सत्ता पक्ष की तरफ से दे दी गई-दे दी गई की आवाजें)

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, यह सरकार ने जो संवेदनशीलता दिखाई है, यह अकेले इस मामले में नहीं दिखाई। माननीय मुख्य मंत्री जी अखिलेश यादव के पद सम्भालने के बाद जहां जितनी घटनाएं हुई हैं, चाहे शहीद हेमराज का सवाल हो, चाहे वह जो मान्यवर, बलात्कार पीड़ित। (शोर) सुन लें मान्यवर, ऐसे तो मैं नहीं बोल सकता। कुछ लोग मान्यवर ऐसे हैं जिनको सुनने में परेशानी है तो उनको तो उत्तर नहीं दे सकता।

श्री अध्यक्ष-

आप शान्त रहो ना।

श्री अम्बिका चौधरी-

मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं श्रीमन् बलात्कार पीड़ित उस लड़की के परिवार में जाकर उन्होंने मदद की। और प्रदेश में जिन जगहों पर भी जहां पर निर्णय लेने की आवश्यकता हुई है सम्पूर्ण संवेदनशीलता के साथ उन्होंने निर्णय लिया है। यह कानून में लिखा पढ़ी का, या इसके लिये नियमावली बनाने का प्राविधान नहीं है कि किसकी शहादत का क्या मूल्य होगा। मैं कहता हूं 20 लाख नहीं 50 लाख नहीं 50 करोड़ रुपये से भी किसी शहीद की शहादत का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। इसलिये रुपये में तौलना इसको ठीक नहीं है। परिवार की तात्कालिक मदद के तौर पर और अपनी सम्वेदनशीलता व्यक्त करने के लिये माननीय मुख्य मंत्री जी ने उस परिवार को ढांढस बंधाने के लिये कुछ मद्द करने का काम किया है और प्रत्येक मामले में मद्द करने का काम उन्होंने किया है, यह कोई अकेला मामला नहीं है। हम नहीं चाहते हैं कि भविष्य में कोई ऐसी घटना हो जिसमें किसी को शहीद होना पड़े, लेकिन सरकार ने अपनी संवेदनशीलता को अपनी स्थापना के दिन से ही लगातार प्रदर्शित किया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि कोई परिस्थिति ऐसी नहीं बने ऐसा प्रयत्न सरकार कर रही है। किसी शहीद की शहादत को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर,अगर एक शहीद को पचास लाख दिए जा सकते हैं तो दूसरे शहीद को भी पचास लाख दिए जाएंगे, यह नीति बनेगी या नहीं बनेगी। यह सरकार आश्वासन दे। (व्यवधान)

मान्यवर, आगे यह देंगे या नहीं देंगे। आगे अगर कोई पुलिस कर्मचारी या अधिकारी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए शहीद होंगे तो यह देंगे या नहीं देंगे ? यह सरकार भेदभाव की नीति कर रही है यह आश्वासन देने को तैयार नहीं हैं। वह पुलिस अधिकारी जो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए शहादत देते हैं उनके भी जख्मों पर नमक छिड़कने का काम यह सरकार कर रही है। इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन से बर्हिगमन करता है।

(भा0ज0पा0 के मा0 सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया।)

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी का अनुगमन कर रही है। ब0स0पा0 की पिछलग्गू पार्टी हो गई है भारतीय जनता पार्टी।

श्री अध्यक्ष-

आप क्यों खड़े हो गए आप बैठिए।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

मान्यवर,जो सक्षम और सीनियर लोग हैं एक घंटे में अपनी बात कह दें। इस मुद्दे पर बहुत से लोग अपनी बात कहना चाहते हैं। इस तरह से बात करनी है तो सदन का समय मुकर्रर कर दें। सदन में बहुत से लोग अपना वक्तव्य रखना चाहते हैं। यह नहीं कि दोनों पक्ष के सक्षम लोग अपनी-अपनी बात कह दें। बहुत से लोग इस पर अपनी बात रखना चाहते हैं।

(कई मा0 सदस्यों के खड़े होकर एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

अरे बैठो ना।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, नियमावली में एक बात है और उसी का उद्धरण मैं दे रहा हूं। नाम लेकर कभी आरोप नहीं लगाए जाते हैं और मा0 मंत्री जी ने..

श्री अध्यक्ष-

आपके पुराने मित्र हैं बगल में बैठे हैं बात कर लीजिए।

श्री प्रमोद तिवारी-

यह गम्भीर बात है। जब एक मंत्री नाम लेकर आरोप लगाए तो भारत के संविधान के 164(2) अनुच्छेद के अन्तर्गत पूरे मंत्रि-मंडल का वक्तव्य माना जाता है। मैं यह मानता हूं कि यह सरकारी जानकारी दे रहे थे या तो मंत्री जी उस आरोप को वापस लें अन्यथा मैं यह कहना चाहता हूं कि जब मैं सदन के अन्दर आया कार्यवाही आपके सामने है, पूरा सदन था, मैं आपको ही साक्षी मान लेता हूं जबाव यह दिया जा रहा था हुकुम सिंह जी की बात पर, नहीं, हमने सी0बी0आई0 को सौप दिया है अब सी0बी0आई0 को सौंप दिया है तो अब जो उनको करना है करे, मैंने खड़े होकर स्थिति यह स्पष्ट की कि सी0बी0आई0 को सौंप देने से या अनुरोध कर लेने से यह बात समाप्त नहीं हो जाती है दिल्ली पुलिस एक्ट के अन्तर्गत किसी राज्य को यह अधिकार है कि वह किसी मुकदमें के लिए अनुरोध करे सी0बी0आई0 को, सी0बी0आई0 प्रिलिमनरी जांच करती है और अगर उसे यह लगता है कि उसे लेना चाहिए तभी वह उसे स्वीकार करती है यह दिल्ली पुलिस एक्ट के अन्तर्गत है। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि जब तक वह स्वीकार नहीं कर लेते हैं, नोटिफिकेशन नहीं कर देते हैं और नोटिफिकेशन करने के बाद वह आपकी तफ्तीश मांग नहीं लेते तब तक आपकी तफ्तीश उस क्षण तक चलती रहेगी। मैंने मात्र यही स्थिति स्पष्ट की, मैंने इसलिए कहा कि आप जिसको गिरफ्तार करना चाहें उस पर रोक नहीं है। मान्यवर, मैं एक पार्टी हूं एक पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं ऐसा लगता है जैसे आप चाहते हैं आप गिरफ्तारी का सेहरा हमारे सिर पर बांधना चाहते हैं आप कहते हैं

सी0बी0आई0 चाहे तो कर ले। कि जब तक सी0बी0आई0 का नोटीफिकेशन न जारी हो जाए, तब तक उत्तर प्रदेश की पुलिस की तफ्तीश नहीं बन्द होनी चाहिए और मान्यवर, नहीं तो किसी का अधिकार नहीं रह जायेगा, सी0बी0आई0 ने ली नहीं, उत्तर प्रदेश की पुलिस तफ्तीश को मना करे, यानी इस समय जितने भी साक्ष्य हैं, मिटाये जा सकते हैं, जितनी भी स्थितियां हैं, ली जा सकती हैं तो मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्ट कहूंगा कि जो आरोप लगाया है, उसका प्रमाण दें अगर प्रमाण नहीं दे सकते हैं तो अपने आरोप को वापस लें।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने अभी जो कहा और इसके पहले जो कहा, दोनों कार्यवाही में है। इन्होंने कहा कि अपराधी को सरकार बचा रही है, मैंने उसी पर कहा कि अपराधी को सरकार नहीं बचा रही है। अब यह अपनी बात कहने लगे, यही बात मैंने आपसे निवेदन किया था कि एफ0आई0आर0 दर्ज हुई है, एफ0आई0आर0 की तफ्तीश हो रही है। सी0बी0आई0 एक्सेप्ट करे तो भी ठीक, न करे तो भी उत्तर प्रदेश की पुलिस जो एफ0आई0आर0 दर्ज हुई है, उसकी तफ्तीश कर रही है, यही माननीय सदस्य भी कर रहे हैं लेकिन जो आप यह कह रहे हैं कि हम अपराधियों को बचा रहे हैं तो अपराधियों को सरकार नहीं बचा रही है। आप प्रिजुडिस हो करके क्योंकि आप जो भी उठा रहे हों, इनको सीओ की हत्या का उतना दुख और गम नहीं है जितना कि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए इनका हौसला है। सी0ओ0 की हत्या का गम पूरा प्रदेश मना रहा है, लेकिन इन लोगों को सी0ओ0 की हत्या का दुख नहीं है। सरकार कार्यवाई तो करेगी ही, क्यों नहीं करेगी ? हमारे एक बड़े अधिकारी के साथ ऐसी घटना हुई है, श्रीमन्, सरकार गंभीर से गंभीर कार्रवाई करेगी लेकिन किसी को यह भी छूट नहीं होगी कि सीनियर होने के नाते जो चाहे सरकार पर आरोप लगाये। सरकार अपराधियों को बचाने वाली नहीं है, सरकार अपराधियों को जेल पहुंचाने वाली है। बार-बार कहा जाता है कि [x x x]आप कार्यवाही उठा कर देख लीजिए। मान्यवर, यह सरकार, समाजवादियों की श्री जय प्रकाश नारायण और डा0 राममनोहर लोहिया के सिद्धान्तों पर चलने वाली है। यह सरकार अपराधियों को जेल पहुंचाने वाली है लेकिन गलत किसी को फंसाने वाली भी नहीं है। यह हमारा आपसे निवेदन है, मैंने कोई आरोप नहीं लगाया।

श्री अध्यक्ष-

अब स्पष्टीकरण हो गया।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, स्पष्टीकरण नहीं। मैं विशेषाधिकार हनन की सूचना देता हूं।

श्री अध्यक्ष-

आप लिख कर दीजिए।

श्री प्रमोद तिवारी-

मैं लिखकर दूंगा। एक माननीय मंत्री जी कहते हैं कि जांच सी0बी0आई0 को चली गई और दूसरे मंत्री जी कहते हैं कि जांच चल रही है, मान्यवर, दोनों में विरोधाभास है और मैं कहता हूं कि

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

अगर मंत्री जी ने यह आरोप लगाया है तो यह प्रमाण दें, अगर प्रमाण नहीं देते हैं तो एक सदस्य के रूप में मेरे अधिकारों का हनन होता है। मैं मौखिक सूचना दे रहा हूं, मान्यवर, आप कानून पढ़ लें, मौखिक सूचना दी जा सकती है और लिखित सूचना बाद में दी जायेगी या तो जो आरोप इन्होंने लगाया है, इसका प्रमाण दें, अगर प्रमाण नहीं देते हैं तो मैं विशेषाधिकार हनन की सूचना देता हूं।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार की बातों में कोई विरोधाभास नहीं है और माननीय राम गोविन्द चौधरी जी ने जो बात कही है, वही सरकार के सभी लोगों का मत है कि किसी तौर पर उस अधिकारी की हत्या से दुखी आप नहीं हैं। आपका मकसद दूसरा है, इसलिए आप इशारा दूसरी ओर कर रहे हैं और आप उससे दुखी नहीं हैं, उसके परिवार से संवेदना व्यक्त करना आपका उद्देश्य नहीं है। अगर वह उद्देश्य होता तो आप वह करते जो प्रदेश के मुख्य मंत्री ने किया, वह करते जो संसदीय कार्य मंत्री ने किया, वह करते जो पूरी सरकार कर रही है और श्रीमन्, सी0बी0आई0 की जांच उस पीड़ित महिला के अनुरोध पर की गई है जो लोग सी0बी0आई0 की जांच का विरोध करना चाहते हैं, उनको बताना चाहिए कि वह सी0बी0आई0 की जांच नहीं चाहते हैं या सीबीआई पर उनको भरोसा नहीं रह गया है। यह कांग्रेस, बी0जे0पी0, बी0एस0पी0 अगर कहना चाहती है तो कह ले, मान्यवर, सी0बी0आई0 जांच करे, सरकार ने सोच समझ करके इसका पत्र लिख दिया है और सी0बी0आई0 इसमें पूरी कार्यवाई करेगी, इसका हमें विश्वास है।

(श्री अध्यक्ष द्वारा नत्थी-क लेने और श्री शाकिर अली के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब आप क्या बोलेंगे, अब हम नहीं सुनेंगे। क्यों आप बार-बार डिस्टर्ब करते हैं, चलने दीजिए।

श्री शाकिर अली-

मान्यवर, हमारे जिले का है।

श्री अध्यक्ष-

मैं जानता हूं, आपके जिले का है, आप बैठ जाइये, सारी बातें आ गई हैं, फिर क्यों इसे बढ़ा रहे हो। अरे आप जो कहेंगे वह सारी बातें माननीय मंत्री जी लोगों ने कह दी हैं। आप कोई नई सूचना देंगे।

श्री शाकिर अली-

जो मैं कहना चाहता हूं वह बातें अभी नहीं आयी हैं। समान बात के लिए समान नियम होता है। इजाजत हो तो मैं कुछ कहूं। जैसा कहें सर।

श्री अध्यक्ष-

क्या कहना चाहते हैं बतायें।

*श्री शाकिर अली-

मान्यवर, आपने मुझे कहने का अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद। दो बातें आयी हैं जहां तक मैं तीन दिन से सुन रहा हूं। कोई आदमी गिरफ्तारी की बात कर रहा है और सत्तापक्ष यह कह

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रहा है जिसका मैं हूं कि विवेचना के बाद गिरफ्तारी होगी। सही बात है विवेचना के बाद गिरफ्तारी होगी। बाकी लोगों का कहना है कि अगर सी0बी0आई0 कह देती है कि हमको जांच करनी है तब तो ठीक है और जब तक सी0बी0आई0 जांच एक्सेप्ट नहीं करती है, पुलिस करती है तो परेशानी किस बात की है। जहां तक मेरी जानकारी है समान परिस्थितियों के लिए समान कार्य के लिए समान दण्ड होता है। हमें वह भी दिन याद है जब मैं सत्तापक्ष में था, मैं मिनिस्टर था और जौनपुर में बाईइलेक्शन हो रहा था तो वहां चुनाव प्रचार में गया था। एक विधायक जी की हत्या होती है उसमें हमारे एक सांसद फंसते हैं और लोकसभा में वह थे। 120 बी का मुकदमा होता है वह और वह तीन-चार साल जेल में रहते हैं। वह गिरफ्तार होते हैं और जेल में रहते हैं। जो भी अपराधी है वह विवेचना के बाद खुद जेल से बाहर आ जाएगा। मेरा अनुरोध है कि इस पर समान काम के लिए समान नियम लागू किये जायें।

(श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया सहित भारतीय जनता पार्टी के कई माननीय सदस्य नारे लगाते हुए सदन के वेल में आ गये। जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(शोर शराबे के मध्य)

मान्यवर, अलीगढ़ में, इलाहाबाद में, मुरादाबाद में चारो तरफ से बातें आ रही हैं। मेरा कहना यह है कि अगर इसमें बातों में दम है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मैं भी यही कह रहा हूं। सच्चाई यही है। आज अगर आपके सदस्य कह रहे हैं। बोलिए अब आप क्या कहते हैं। आपका सदस्य कह रहा है। बोलिये आप क्या कहते हैं।

(भाजपा सदस्यों द्वारा नारेबाजी होती रही)

श्री अध्यक्ष-

माननीय हुकुम सिंह जी, आप अपने सदस्यों को वापस कर लें। अब हो गया। आप चलिए न। ठीक है, मैं सदन को 12.20 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 12.20 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।)

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में नवजात शिशुओं की मृत्यु दर तथा रोकने के उपाय

*01-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नवजात शिशुओं की मृत्यु दर क्या है ? क्या सरकार नवजात शिशुओं की मृत्यु दर में कमी लाने का कोई उपाय करेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्री (श्री अहमद हसन)-

एस0आर0एस0 सर्वे 2010 के अनुसार प्रदेश में नवजात शिशुओं की मृत्यु दर 42 प्रति हजार जीवित जन्म है।

जी हां।

नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी लाने हेतु समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/जिला महिला चिकित्सालयों में 24x7 प्रसव सेवायें उपलब्ध करायी जा रही हैं एवं उनके लेबर रूम में न्यू बार्न केयर कार्नर स्थापित किये गये हैं। उक्त के अतिरिक्त प्रथम संदर्भन इकाइयों तथा जिला महिला चिकित्सालयों में न्यूबॉर्न स्टेबिलाईजेशन यूनिट एवं 07 जिला महिला चिकित्सालयों में सिक न्यू बॉर्न केयर यूनिट्स स्थापित किये गये हैं। इन इकाइयों में कार्यरत स्टाफ नर्स, चिकित्सक एवं ए0एन0एम0 को ''नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम'' के अन्तर्गत 02 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है एवं उन्हें उपकरणों के प्रयोग के लिए भी एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

''होम बेस्ड न्यू बॉर्न केयर कार्यक्रम'' के अन्तर्गत चयनित 36 जनपदों में प्रशिक्षित आशा द्वारा 42 दिन तक नवजात शिशु एवं माताओं की समुचित देखभाल हेतु 6-7 बार गृह भ्रमण किया जा रहा है तथा शिशु के अस्वस्थ होने पर उच्चीकृत स्वास्थ्य केन्द्रों पर सन्दर्भित किया जाता है।

समेकित बाल संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत आशा, ए0एन0एम0 व चिकित्सकों की क्षमता वृद्धि के लिए 10 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। फैसिलिटी बेस्ड इण्टीग्रेटेड मैनेजमेन्ट आफ नियोनेटल एण्ड चाईल्डहुड इल्नेसेज प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित मेडिकल कालेजों में चिकित्सकों को 5 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी लाने तथा संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिये जननी सुरक्षा योजना संचालित की जा रही है। गर्भवती महिलाओं के प्रसव पश्चात् 48 घण्टे तक समुचित देखभाल हेतु जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके अन्तर्गत निःशुल्क जांच, भोजन, दवायें तथा जटिलता की स्थिति में सिजेरियन प्रसव की सुविधा के अतिरिक्त प्रसव पश्चात् घर तक पहुंचाने की सुविधा दी जा रही है।

शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए जन्म से एक घण्टे के अन्दर स्तनपान एवं 06 माह तक केवल मां के दूध को बढ़ावा देने हेतु प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश में लैकफेड घोटाले की धनराशि एवं उसकी रिकवरी हेतु कार्यवाही की जानकारी

*02-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में लैकफेड के अन्तर्गत कितनी धनराशि का घोटाला प्रकाश में आया है तथा इसमें कितने लोगों को मुख्य आरोपी बनाते हुए जवाबदेही सुनिश्चित की गयी है ? क्या सार्वजनिक धन की रिकवरी हेतु सरकार कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लोक निर्माण, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, सहकारिता, भूमि विकास एवं जलसंसाधन तथा परती भूमि विकास विभाग मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

उ0 प्र0 श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि0, लखनऊ में मु0 12.36 करोड़ रु0 का घोटाला प्रकाश में आया है जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट मु0अ0सं0-64/2012, दिनांक 21-2-2012 को थाना

नोट :-उ0 प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-41 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

हुसैनगंज में दर्ज करायी जा चुकी है। इस प्रकरण में मुख्य आरोपी श्री गोविन्द शरण श्रीवास्तव, मुख्य अभियन्ता (निलम्बित/सेवानिवृत्त) एवं श्री अनिल कुमार, लेखाकार (निलम्बित) हैं, जिसकी विवेचना विशेष अनुसंधान शाखा (सहकारिता) प्रकोष्ठ लखनऊ द्वारा की जा रही है।

जी हां।

उ0 प्र0 सहकारी अधिनियम, 1965 की धारा-68 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश में लगाये जा रहे पावर प्रोजेक्ट तथा घाटमपुर के पावर प्रोजेक्ट को पूरा करने सम्बन्धी जानकारी

*03-श्री सतीश महाना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्तमान समय में कौन-कौन से एवं कितनी क्षमता के पावर प्रोजेक्ट्स प्रदेश में लगाये जा रहे हैं ? क्या यह सही है कि घाटमपुर कानपुर में माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा माह जून, 2012 में इस हेतु शिलान्यास किया गया था ? यदि हां, तो उक्त पावर प्रोजेक्ट को कब तक पूरा किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)-

प्रदेश में वर्तमान में उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम/जल विद्युत निगम/पावर कारपोरेशन के अन्तर्गत लगाये जा रहे पावर प्रोजेक्ट्स की संख्या निम्नवत् है :-

उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम मे0वा0	07 नग	7280
उ0 प्र0 जल विद्युत निगम मे0वा0	10 नग	38
उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 मे0वा0	14 नग	17270
	31 नग	24588 मे0वा0

घाटमपुर में नेवेली लिग्नाईट कारपोरेशन तथा राज्य विद्युत उत्पादन निगम के संयुक्त उपक्रम द्वारा 3x660 मेगावाट का ताप विद्युत संयंत्र लगया जा रहा है। मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा इस परियोजना का माह अक्टूबर, 2012 में शिलान्यास किया गया था।

प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय इकाई का व्यवसायिक उत्पादन क्रमशः अक्टूबर, 2017, अप्रैल, 2018 एवं अक्टूबर, 2018 लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कुष्ठ रोगियों के कल्याण की योजनाएं एवं इसकी दशा सुधारने के सम्बन्ध में जानकारी

*04-श्री मनीष असीजा-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुष्ठ रोगियों के कल्याण की कौन-कौन सी योजनायें वर्तमान में संचालित की जा रही हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि पिछले 10 वर्षों में इनकी संख्या में बढ़ोत्तरी हुयी है ? यदि हां, तो कुष्ठ रोगियों की दशा सुधारने के लिए सरकार कोई नयी योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

प्रदेश में कुष्ठ रोगियों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम संचालित हैं।

जी नहीं।

जी नहीं।

नये कार्यक्रम की आवश्यकता नहीं है।

*05-श्री सुरेश राणा-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद मुजफ्फरनगर और शामली में औद्योगिक इकाइयों द्वारा विद्युत चोरी पर कार्यवाही का विवरण

*06-श्री हुकुम सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर और शामली में विगत 5 वर्षों में औद्योगिक इकाइयों द्वारा विद्युत चोरी की जांच के परिणामस्वरूप करोड़ों रुपये की चोरी पकड़ी गयी है ? यदि हां, तो उक्त उद्योगों का विवरण क्या है तथा उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

कुल 14 विद्युत उपभोक्ताओं के विद्युत चोरी प्रकरण सामने आये। उक्त मामलों में आंकलित रु0 4369.99 लाख के सापेक्ष रु0 2235 लाख धनराशि प्राप्त हो चुकी है शेष हेतु वाद मा0 न्यायालय, आयुक्त, सहारनपुर के समक्ष लम्बित है।

प्रश्न नहीं उठता।

*07-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

*08-श्री लोकेश सिंह-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

अतारांकित प्रश्न

प्रदेश में महिला राज्य कर्मचारियों की भांति उ0 प्र0 को-आपरेटिव बैंक लि0 एवं जिला सहकारी बैंकों में कार्यरत महिला कर्मचारियों को बाल्य देखभाल अवकाश की सुविधा

01-श्री फेरन लाल-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के महिला राज्य कर्मचारियों की ही भांति उ0 प्र0 को-आपरेटिव बैंक लि0 एवं जिला सहकारी बैंकों में कार्यरत महिला कर्मचारियों की भी दो वर्ष का बाल्य देखभाल (सी0सी0एल0) अवकाश प्रदान किया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार की जानकारी में है कि उक्त आदेश का अनुपालन जिला सहकारी बैंक लि0, कानपुर में नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

अनुपालन किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

02-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

[3सरे सोमवार के अता0प्र0सं0-126 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन के ग्राम सोहनजनी की टूटी हुई पुलिया की मरम्मत कराये जाने की मांग

03-श्री सुरेश राणा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में टूटे पुलों की मरम्मत की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन में जलालाबाद गंगोह मार्ग पर ग्राम सोहनजनी के निकट टूटे पुल की सरकार मरम्मत एवं चौड़ीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

टूटे पुलों की सामान्य मरम्मत का कार्य सतत् प्रक्रिया है जो वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद शामली के थानाभवन विधान सभा क्षेत्र में जलालाबाद-गंगोह मार्ग पर ग्राम-सोहनजनी के निकट आर0सी0सी0 पुलिया संख्या-68/1, स्पान 3.00 मी0 वर्तमान में क्षतिग्रस्त है। उक्त पुलिया के स्थान पर 3.00 मी0 स्पान की 10 मी0 चौड़ी पुलिया के पुनर्निर्माण की स्वीकृति जिला योजना वित्तीय वर्ष 2011-12 के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-295आ0/23-14-2011 295आ0/2011, दिनांक 16-09-2011 द्वारा (लागत रु0 11.21 लाख) निर्गत की गयी है तथा कार्य प्रगति में है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र शामली के कृष्णा नदी के अधूरे पुल का निर्माण कराये जाने की मांग

04-श्री सुरेश राणा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अधूरे पड़े नदियों के पुलों का कार्य सम्पन्न कराने की सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद शामली के थानाभवन विधान सभा क्षेत्र में मुल्लापुर एवं थानाभवन के बीच कृष्णा नदी पर स्थित पुल का अधूरा निर्माण कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

प्रदेश में अधूरे पड़े नदियों के पुलों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्नगत सेतु का निर्माण कार्य सिंचाई विभाग द्वारा कराया जा रहा है जो वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद फिरोजाबाद के जिला अस्पताल में कतिपय मशीनों की स्थापना किये जाने की मांग

05-श्री मनीष असीजा-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जनपद फिरोजाबाद स्थित जिला अस्पताल में सिटी स्कैन एवं एम0आर0आई0 मशीन स्थापित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। शासनादेश संख्या-29/पांच-6-13-02 (उपकरण)/13, दिनांक 31-01-2013 द्वारा एस0एन0एम0 चिकित्सालय और क्षय रोग आश्रम, फिरोजाबाद के लिये 01 नग कलर डाप्लर अल्ट्रासाउन्ड मशीन के क्रय/स्थापना हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय चिकित्सालयों में अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों को स्थापित करना सम्बन्धित चिकित्सा विशेषज्ञो, तकनीकी स्टाफ तथा प्रदेश सरकार की वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

बस्ती वन प्रभाग में विभिन्न योजनाओं हेतु स्वीकृत धनराशि के कार्यों का विवरण

06-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2010-11 व 2011-12 में बस्ती वन प्रभाग, बस्ती को विभिन्न योजनाओं में कार्य कराने के लिए कितनी-कितनी धनराशि आवंटित/उपलब्ध करायी गयी है तथा उक्त धनराशि से कौन-कौन से कार्य कराये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

बस्ती वन प्रभाग के अन्तर्गत वर्ष 2010-11 में रु0 1005.267 लाख एवं वर्ष 2011-12 में रु0 2308.35132 लाख उपलब्ध करायी गयी है जिसके सापेक्ष वर्ष 2010-11 में रु0 992.886 लाख व 2011-12 में रु0 2294.49832 लाख व्यय की गयी। उक्त धनराशि में अग्रिम मृदा कार्य, वृक्षारोपण, वृक्षारोपण अनुरक्षण, पौधों का उगान एवं अनुरक्षण, वन चेतना केन्द्र का सुदृढ़ीकरण, भवनों का निर्माण व उच्चीकरण, भवन मरम्मत, वन विहार का सुदृढ़ीकरण, बोट क्रय आदि कार्य कराये गये।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के खराब नलकूपों एवं चालकों के अभाव में बन्द पड़े नलकूपों को चालू कराये जाने की मांग

07-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद में कितने नलकूप यांत्रिक खराबी एवं चालक के अभाव में बन्द पड़े हैं ? क्या यह सही है कि नलकूप चालकों को जिला कार्यालय पर

सम्बद्ध किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके लिए दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई कर खराब नलकूपों की मरम्मत एवं नलकूप चालकों को नियत स्थानों पर वापस करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जनपद बस्ती में सप्ताहान्त दिनांक 17-01-2013 को नलकूप बन्दी के अनुसार कुल 10 राजकीय नलकूप यांत्रिक दोष के कारण अस्थाई रूप से बन्द थे। चालक के अभाव में कोई राजकीय नलकूप बन्द नहीं है।

जी नहीं।

अस्थाई रूप से बन्द राजकीय नलकूपों को नियमित प्रक्रिया के अन्तर्गत निर्धारित समयावधि ठीक कराकर चालू करा दिया गया है। शेष का प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश के पूर्वी जनपदों में गन्ने की कम उपज के कारण बन्द हो रही चीनी मिलों के दृष्टिगत किसानों को प्रोत्साहित करने की कार्य योजना सम्बन्धी जानकारी

08-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के पूर्वी जिलों में गन्ना किसानों की उदासीनता के कारण गन्ने की पैदावार कम होने से अधिकांशतः चीनी मिलें या तो बन्द हो गयी हैं या बन्द होने की कगार पर हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार गन्ना किसानों को प्रोत्साहित करने हेतु कोई योजना बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

पूर्वी क्षेत्र की कतिपय चीनी मिलों की पेराई क्षमता कम होने, मशीनरी अत्यन्त जर्जर होने तथा पेरे गये गन्ने का गन्ना मूल्य भुगतान समय से न होने के कारण कृषक गन्ने की खेती के प्रति उदासीन हो गये और गन्ने का उत्पादन न होने के कारण ऐसी चीनी मिलें कार्यशील नहीं हैं।

12वीं पंचवर्षीय योजना में जिला योजना के अन्तर्गत सघन गन्ना विकास योजना तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत बीज उत्पादन एवं वितरण का वृहद् कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। वर्ष 2012-13 में बीज विस्थापन जो 07 प्रतिशत है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अन्तिम वर्ष (2006-07) में 25 प्रतिशत किये जाने हेतु लक्ष्य के अनुरूप कार्यवाही प्रगति पर है।

09-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

[3सरे शुक्रवार के अता0प्र0सं0-36 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद फर्रुखाबाद के पो0-सिरौली के ग्राम खेड़ा में पोल लगा विद्युत लाइन हटाये जाने विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

10-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद के ग्राम खेड़ा, पो0-सिरोली में एक पोल लगाकर विद्युत लाइन हटाये जाने विषयक मा0 राज्य मंत्री होमगार्ड्स, प्रान्तीय रक्षक दल एवं व्यावसायिक शिक्षा, उ0 प्र0 का पत्रांक वी0आई0पी0-348 रा0म0/हो0गा0/प्रा0र0दा0/व्या0शि0/12,

दिनांक 07-06-12 अधीक्षण अभियन्ता (विद्युत) जनपद फर्रुखाबाद को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

विद्युत पोल लगाकर सम्पूर्ण लाइन की शिफ्टिंग चार्जेज का प्राक्कलन रुपये 1,23,217.00 का तैयार किया गया है, उपभोक्ता को धनराशि जमा करने हेतु कहा गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र भानपुर में एक्स-रे मशीन/टेक्नीशियन की नियुक्ति सम्बन्धी जानकारी

11-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र भानपुर में एक्सरे टेक्नीशियन की नियुक्ति की गई है ? यदि हां, तो क्या वहां पर एक्सरे मशीन उपलब्ध है एवं मरीजों को लाभ मिल पा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी नहीं।

जी नहीं।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपकरणों एवं साज-सज्जा हेतु निर्धारित मानक के अनुसार एक्स-रे मशीन उपलब्ध नहीं करायी जाती है।

प्रदेश में गन्ना किसानों के बकाया भुगतान एवं लागत मूल्य में वृद्धि की मांग

12-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के गन्ना किसानों के उत्थान के लिए बकाया गन्ना भुगतान तथा गन्ने के लागत के अनुरूप गन्ना मूल्य वृद्धि पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अलिखेश यादव-

पेराई सत्र 1994-95 से लेकर पेराई सत्र 2003-04 तक रु0 52.48 करोड़ बकाया है। बकायेदार चीनी मिलों के प्रकरण बी0आई0एफ0आर0 एवं विभिन्न मा0 न्यायालयों में विचाराधीन है। मा0 न्यायालयों के अन्तिम निर्णय के अनुसार गन्ना मूल्य भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

पेराई सत्र 2006-07 में कुल देय रु0 10.52 करोड़ तथा 2007-08 में कुल रु0 35.31 करोड़ चीनी मिलों पर बकाया है। उक्त अवशेष गन्ना मूल्य की वसूली हेतु सम्बन्धित चीनी मिलों को नोटिस निर्गत कर कार्यवाही की जा रही है।

पेराई सत्र 2008-09 का कुल रु0 0.82 करोड़ गन्ना मूल्य बकाया है। बकायेदार चीनी मिल कमलापुर के विरुद्ध वसूली प्रमाण-पत्र जारी किया गया। वर्तमान में चीनी मिल का प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय, कोलकाता में विचाराधीन है।

पेराई सत्र 2009-10 का कुल रु0 0.38 करोड़ गन्ना मूल्य बकाया है। बकायेदार चीनी मिल मझावली के विरुद्ध वसूली प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया है। जिला प्रशासन के अन्तर्गत नीलामी कार्यवाही विचाराधीन है।

पेराई सत्र 2010-11 का कुल रु0 7.05 करोड़ गन्ना मूल्य बकाया है। बकायेदार चीनी मिलों के विरुद्ध वसूली प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया है। तत्क्रम में वसूली कार्यवाही सुनिश्चित करायी जा रही है।

पेराई सत्र 2011-12 का कुल रु0 22.75 करोड़ गन्ना मूल्य बकाया है। बकायेदार 05 चीनी मिलों के विरुद्ध अवशेष गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु चीनी मिलों को विधि सम्मत नोटिसें जारी की गई हैं एवं त्वरित भुगतान हेतु प्रभावी अनुश्रवण किया जा रहा है।

वर्तमान पेराई सत्र 2012-13 में अवशेष गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु गहन समीक्षा करते हुए सम्बन्धित चीनी मिलों को नोटिसें निर्गत की गई हैं। त्वरित गन्ना मूल्य भुगतान हेतु परिक्षेत्रवार समीक्षा बैठक कर सभी क्षेत्रीय अधिकारियों व चीनी मिल प्रतिनिधियों को कड़े निर्देश जारी किये गये हैं। प्रदेश के समस्त गन्ना उत्पादक, जिलाधिकारियों एवं मण्डलायुक्त को भी गन्ना मूल्य भुगतान का प्रभावी अनुश्रवण करते हुए गन्ना मूल्य के त्वरित भुगतान हेतु निर्देश निर्गत किये गये हैं। प्रदेश सरकार गन्ना मूल्य का शत-प्रतिशत भुगतान कराये जाने हेतु कटिबद्ध है।

गन्ना उत्पादन में आने वाली लागत व अन्य सुसंगत पहलुओं पर विचार कर प्रत्येक पेराई सत्र में राज्य सरकार द्वारा गन्ना मूल्य का निर्धारण किया जाता है। गत पेराई सत्र 2011-12 में घोषित गन्ना मूल्य की दर में 40.00 रु0 प्रति कुन्तल की वृद्धि करते हुए पेराई सत्र 2012-13 के लिए राज्य सरकार द्वारा निम्नवत् राज्य परामर्शित गन्ना मूल्य निर्धारित किया गया है :-

1-अगेती प्रजाति	रु0 290.00 प्रति कुन्तल
2-सामान्य प्रजाति	रु0 280.00 प्रति कुन्तल
3-अनुपयुक्त प्रजाति	रु0 275.00 प्रति कुन्तल

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सहायक वन संरक्षक उप प्रभागीय वनाधिकारी को अतिरिक्त कार्यभार सौंपा जाना

13-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सहा0 वन संरक्षक/उप प्रभागीय वनाधिकारी, प्रभारी निदेशक/प्रभारी वनाधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार सहा0 वन संरक्षक की आवश्यकता को देखते हुए अतिरिक्त सहा0 वन संरक्षक की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

अत्यन्त अस्थायी व कामचलाऊ व्यवस्था के अन्तर्गत वन प्रभागों में प्रभागीय निदेशक/प्रभागीय वनाधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार उस प्रभाग में तैनात सहा0 वन संरक्षक/उप प्रभागीय वनाधिकारी को सौंपा गया है जिसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त वेतन भत्ते आदि देय नहीं होंगे।

सहा0 वन संरक्षक का पद मौलिक रूप से रिक्त न होने के कारण अतिरिक्त सहा0 वन संरक्षक की तैनाती का प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में पूर्णकालिक प्रभागीय निदेशक/प्रभागीय वनाधिकारी की तैनाती कराये जाने की मांग

14-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने ऐसे प्रभाग हैं जहां पर सहा0 वन संरक्षक/सहा0 निदेशक/उप प्रभागीय वनाधिकारी अपने पद के साथ प्रभारी प्रभागीय निदेशक/प्रभारी वनाधिकारी के पद का भी कार्य कर रहे हैं ? क्या सरकार पूर्णकालिक प्रभागीय निदेशक/प्रभागीय वनाधिकारी की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

अत्यन्त अस्थायी व कामचलाऊ व्यवस्था के अन्तर्गत 37 वन प्रभागों में प्रभागीय निदेशक/प्रभागीय वनाधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार उस प्रभाग में तैनात सहा0 वन संरक्षक/सहा0 निदेशक/उप प्रभागीय वनाधिकारी को सौंपा गया है, जिसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त वेतन भत्ते देय आदि नहीं होंगे।

जी हां।

भारतीय वन सेवा के उप वन संरक्षक स्तर के अधिकारी एवं राज्य वन सेवा के उप निदेशक स्तर के अधिकारी के उपलब्धता के आधार पर तैनाती की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

जनपद पीलीभीत में स्वीकृत मार्गों का निर्माण पूर्ण कराये जाने की मांग

15-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना विकास विभाग द्वारा जनपद पीलीभीत में वित्तीय वर्ष 2011-12 में कौन-कौन से मार्ग स्वीकृत हैं और क्या उनका निर्माण पूर्ण हो गया है ? यदि नहीं, तो कब तक पूर्ण करा दिया जाएगा ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद पीलीभीत में वित्तीय वर्ष 2011-12 में निम्नलिखित कुल 19 सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु स्वीकृत हुए :-

क्र0	सम्पर्क मार्ग का नाम
1	आसाम रोड से नदहा ता0 गजरौला खुर्द
2	उदयकरनपुर नहर की पूर्वी पटरी से ग्राम बकैनिया तक
3	रामशाला से आजमपुर बरखेड़ा मार्ग
4	बेहटी से फिरसहा मार्ग

5	सुहास से वाहनपुर मार्ग
6	वाहनपुर की पुलिया से हटुआ बाजार तक
7	पीलीभीत बीसलपुर रोड से अलियापुर मार्ग
8	उगनपुर से बेलाभौर मार्ग प्रथम भाग
9	सुसवार रोड से दलेलगंज तथा डिगरी गौटिया
10	पिजरा से पट्टी मार्ग
11	बीसलपुर रढैता मार्ग से खाण्डेपुर मार्ग
12	मुड़िया हुलास से कटकवारा मार्ग
13	ईटगांव रजवाहा से बुधौली मार्ग
14	भैसहाई पर्वतपुर मार्ग से जगीपुर मार्ग
15	परेई की पुलिया से उमरिया मार्ग
16	वरसिया से अखौली मार्ग द्वितीय भाग
17	रम्पुरा कोन नहर मार्ग से कढेरचोरा मार्ग
18	आसाम रोड से महदिया मार्ग द्वितीय भाग
19	आसाम रोड से शेरपुर मार्ग तृतीय भाग

उक्त सभी सम्पर्क मार्गों का निर्माण कार्य पूर्ण करा दिया गया है।

जनपद शाहजहांपुर की बन्द किसान सहकारी चीनी मिल पुवायां के कर्मचारियों का समायोजन एवं उनके बकाये भुगतान की मांग

16-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार पिछले वर्ष से बन्द किसान सहकारी चीनी मिल पुवायां जनपद शाहजहांपुर के कर्मचारियों को समायोजित करेगी ? यदि हां, तो कहां ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि पिछले 10 माह से उनका अवशेष बकाया न मिलने के कारण उनके परिवारों के समक्ष भुखमरी का संकट है ? यदि हां, तो क्या सरकार उनको सभी एरियर का भुगतान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

पुवायां चीनी मिल में कार्यरत 519 कर्मचारियों में से 456 कर्मचारियों को वी0आर0एस0 का भुगतान किया जा चुका है। 49 कर्मचारियों को अन्य चीनी मिलों से सम्बद्ध किया गया है व 6 प्रकरण प्रक्रिया में है। 07 कर्मचारियों के वी0आर0एस0 का भुगतान वाद एवं 01 कर्मचारी के वी0आर0एस0 का भुगतान जांच के कारण लम्बित है। इस प्रकार अधिकांश कर्मचारियों को या तो वी0आर0एस0 का भुगतान किया जा चुका है अथवा समायोजित किया जा चुका है।

जी नहीं।

जी हां। कर्मचारियों के वी0आर0एस0 के पूर्व के अवशेष देयकों रु0 1609.55 लाख का भुगतान उ0 प्र0 सहकारी चीनी मिल्स संघ द्वारा किया जाएगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ के विद्युत उपकेन्द्र सुमेरा का निर्माण पूर्ण कराये जाने की मांग

17-श्री दलवीर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ में 132 विद्युत उपकेन्द्र सुमेरा अनूपशहर रोड अलीगढ़ पर निर्माणाधीन है ? यदि हां, तो सरकार उक्त उपकेन्द्र का निर्माण कब तक पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जनपद अलीगढ़ में 132 के0वी0 उपकेन्द्र सुमेरा अनूप शहर रोड अलीगढ़ में टर्न की आधार पर निर्माणाधीन है।

उक्त उपकेन्द्र का निर्माण 31-3-2013 तक पूर्ण होना निर्धारित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ के विद्युत वितरण खण्ड ग्रामीण के संविदा कर्मचारियों के ई0पी0एफ0 के गबन की जांच विषयक कथित पत्र

18-श्री दलवीर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ के विद्युत वितरण खण्ड ग्रामीण में संविदा कर्मचारियों के ई0पी0एफ0 के गबन की जांच का शिकायती-पत्र संख्या-210/रालोद/वि0म0द0/2012, दिनांक 28-9-2012 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि जांच का परिणाम क्या रहा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

हिण्डन कट परियोजना का कार्य पूर्ण कर जनपद मथुरा व आगरा को पानी उपलब्ध कराये जाने की जानकारी

19-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हिण्डन कट परियोजना (हिण्डन नहर) का कार्य चल रहा है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा तथा इससे जनपद मथुरा व आगरा के किसानों को सिंचाई हेतु कितना अतिरिक्त पानी मिलेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

हिण्डन कट परियोजना के अन्तर्गत समानान्तर हिण्डन कट नहर का निर्माण कार्य वर्ष 2012-13 में पूर्ण करा लिया गया है तथा वर्तमान में यह नहर संचालित है।

प्रश्न नहीं उठता।

इस नहर से पानी की उपलब्धता के अनुसार जनपद मथुरा व आगरा को सिंचाई एवं पेयजल हेतु अधिकतम 1000 क्यूसेक तक पानी उपलब्ध कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुरादाबाद की तहसील कांठ के ग्राम विलायत नगर के पूरे गांव का विद्युतीकरण कराये जाने की मांग

20-श्री अनीसुर्रहमान-

24-01-2013ए 20-क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम विलायत नगर, तहसील-कांठ, जनपद-मुरादाबाद में आधे ग्राम का ही विद्युतीकरण कराया गया है एवं आधा शेष है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गांव की शेष आबादी में विद्युतीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

राजस्व ग्राम बुढ़नपुर विलायत नगर तहसील कांठ वर्तमान में आंशिक रूप से विद्युतीकृत है तथा यह ग्राम राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत चयनित है, परन्तु योजना की स्वीकृति अभी प्रतीक्षित है। स्वीकृति प्राप्त होते ही ग्राम बुढ़नपुर विलायत नगर के संतृप्तीकरण का कार्य की कार्यवाही की जायेगी।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना द्वितीय चरण के स्वीकृति होने के उपरान्त संतृप्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना द्वितीय चरण की स्वीकृति होने पर।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के ग्राम पंचायत लौंदा की क्षतिग्रस्त पिच रोड की मरम्मत कराये जाने की मांग

21-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नेशनल हाई-वे से ग्राम पंचायत लौंदा गांव तक पिच रोड जो टूटी-फूटी है के मरम्मत का कार्य सरकार कब तक करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

22-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

[2सरे सोमवार के अता0प्र0सं0-72 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद लखीमपुर खीरी के कतिपय बार्डर पर सड़क निर्माण की स्वीकृति

23-श्री अजय मिश्र 'टेनी'-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नेपाल राष्ट्र की सीमा से लगे जनपद लखीमपुर खीरी के निघासन व पलिया में बार्डर विकास योजना के अन्तर्गत सड़क निर्माण की योजना है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसी योजना बनायेगी ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां। भारत सरकार द्वारा जनपद लखीमपुर खीरी के निघासन व पलिया में बार्डर एरिया विकास योजना (बी0ए0डी0पी0) के अन्तर्गत पलिया एवं निघासन ब्लाक में क्रमशः 7 मार्गों एवं 3 रपटों के निर्माण कार्य स्वीकृत हैं, जिनकी लागत रु0 353.15 लाख है। सभी कार्य प्रगति पर हैं। वित्तीय वर्ष 2012-13 में 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत सिसैया-धौरहरा-निघासन-पलिया-धनौराघाट-पूरनपुर मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-101) के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य स्वीकृत है जिसकी लम्बाई 57.900 कि0मी0 एवं लागत रु0 6492.17 लाख है की निविदा स्वीकृत हो चुकी है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश में जनपद एवं विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों के मार्ग के निर्माण विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

24-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद एवं विधान सभा क्षेत्र के पांच ग्रामों के पांच मार्ग के निर्माण विषयक मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्रांक (35) दिनांक 5-9-2012 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

पत्र में उल्लिखित 05 ग्रामों में से 04 ग्रामों को शासन की नीति के अनुसार सिंगिल कनेक्टीविटी के अन्तर्गत पक्के मार्गों से जुड़े हैं। इन ग्रामों की आंतरिक गली/झालों को आर0सी0सी0/लेपित कराया जाना शासन की नीति में नहीं है। क्रमांक-5 पर अंकित रामदत्त पंचायत इण्टर कालेज से डा0 अम्बेडकर पार्क का मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है जिसकी मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद फिरोजाबाद के कतिपय फीडर का निर्माण पूर्ण कर विद्युत आपूर्ति शुरू कराये जाने की मांग

25-श्री राकेश बाबू-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के रैपुरा फीडर, नगला सौठ फीडर तथा बफेरा फीडर का निर्माण कार्य अधूरा है ? यदि हां, तो उसे कब तक पूरा कराकर विद्युत आपूर्ति शुरू की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद फिरोजाबाद में 33/11 के0वी0 विद्युत उप संस्थान रैपुरा एवं नगला सौठ का निर्माण कार्य प्रगति पर है। नगला सौठ विद्युत उपकेन्द्र का कार्य मार्च, 2013 में पूर्ण कर चालू कर दिया जायेगा। बझेरा में विद्युत उपकेन्द्र दिसम्बर, 2012 में ऊर्जीकृत किया जा चुका है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के कतिपय ब्लाकों की अनेकों क्षतिग्रस्त मार्गों का निर्माण कराये जाने की मांग

26-श्री राकेश बाबू-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फिरोजाबाद जनपद के ब्लाक टूण्डला व नारखी में बछगांव नारखी मार्ग से राजारामपुर तक, भीकनपुर से साती रोड तक, सैलई रोड से हलपुरा तक बम्बा की पुलिया वैदी से नगला वीच तक, एटा रोड से रामगण होते हुए कैलाशपुर तक, एटा रोड से इमलिया होते हुए कुतकपुर होते हुए नगला पार होते हुए ऐरई तक, एटा रोड से चिलासनी तक, हसन चौराहे से एटा रोड निहाल सिंह की पुलिया तक तथा पचवान कालोनी से सकरौली तक सड़कें क्षतिग्रस्त हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त मार्गों का पुनः निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

उक्त मार्गों का पुनः निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद मथुरा एवं वृन्दावन को विद्युत कटौती से मुक्त करने की मांग

27-श्री प्रदीप माथुर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा, वृन्दावन में गत तीन माह में प्रतिदिन कितने घण्टे विद्युत की कटौती की गई ? क्या सरकार पूर्व की भांति ताज ट्रेपेजियम जोन के अन्तर्गत मथुरा-वृन्दावन को विद्युत कटौती से पूर्णतः मुक्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अख्लिेश यादव-

टी0टी0 जेड क्षेत्र मथुरा, वृन्दावन के लिए आदेशित 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति के सापेक्ष गत तीन माह में की गयी औसत विद्युत आपूर्ति एवं कटौती का विवरण निम्नवत् है :-

माह	मथुरा		वृन्दावन	
	आपूर्ति	कटौती	आपूर्ति	कटौती
नवम्बर, 2012	20.41 घण्टे	03.19 घण्टे	21.20 घण्टे	02.40 घण्टे
दिसम्बर, 2012	19.21 घण्टे	04.39 घण्टे	19.51 घण्टे	04.09 घण्टे
जनवरी, 2013	18.53 घण्टे	05.07 घण्टे	18.59 घण्टे	05.01 घण्टे

ताज ट्रिपेजियम जोन के अन्तर्गत मथुरा, वृन्दावन में विद्युत की उपलब्धता पर 24.00 घण्टे आपूर्ति किया जाना आदेशित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुरादाबाद के कांठ मार्ग के आशियाना विद्युत गृह का ट्रान्सफार्मर लगाने विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

28-श्री अनीसुर्रहमान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद-कांठ मार्ग पर आशियाना विद्युत गृह पर 63 एम0बी0ए0 का ट्रांसफारमर लगाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-पी0-6-10083514/ 2012, दिनांक 13-07-2012 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर की तहसील गोला के राप्ती नदी पर बांध का निर्माण कराये जाने की मांग

29-श्री राजेश त्रिपाठी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद के गोला तहसील में राप्ती नदी पर स्वीकृत बांध आछीडीह से सरया तक का निर्माण कार्य कब तक शुरू किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

प्रस्तावित तटबन्ध के निर्माण कार्य की परियोजना के अनुमोदन की प्रक्रिया प्रगति में है। परियोजना की लागत रु0 12.50 करोड़ से अधिक होने के कारण परियोजना का अनुमोदन गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना से प्राप्त किया जाना आवश्यक है। परियोजना गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना को अनुमोदन हेतु प्रेषित की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर की तहसील गोला के क्षतिग्रस्त रामजानकी मार्ग की मरम्मत कराये जाने की मांग

30-श्री राजेश त्रिपाठी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार गोरखपुर जनपद के गोला तहसील में रामजानकी मार्ग संख्या-72 पर पिड़हनी से वैरियाखास तक क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत/जीर्णोद्धार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

कार्य प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर की बन्द पड़ी किसान सहकारी चीनी मिल धुरियापार को चलवाये जाने की मांग

31-श्री राजेश त्रिपाठी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद के अन्तर्गत बन्द पड़ी किसान सहकारी चीनी मिल धुरियापार को सरकार चलवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

सम्प्रति कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

धुरियापार सहकारी चीनी मिल जनपद गोरखपुर की स्थापना वर्ष 1996-97 में की गई थी। जिसकी 2500 टी0सी0डी0 पेराई क्षमता थी। मिल को प्रारम्भ से ही पेराई हेतु अपेक्षित गन्ना न मिलने तथा संचित हानि रु0 48.48 करोड़ होने के कारण वर्ष 2007-08 से इस मिल को नहीं चलाया गया तथा मिल बन्द कर दी गई। चीनी मिल के शुगर वेजबोर्ड से आच्छादित समस्त कर्मचारियों को वी0आर0एस0 का भुगतान किया जा चुका है तथा मिल में वर्तमान में कोई कर्मचारी कार्यरत नहीं है।

जनपद गोरखपुर की तहसील गोला में घाघरा नदी के कटान से अनेकों मार्गों को बचाने के उपाय

32-श्री राजेश त्रिपाठी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद की तहसील गोला में घाघरा (सरयू) नदी की कटान से ग्राम कोलखास, रामजानकी राजमार्ग संख्या-72 के पास पहुंच गयी है जिससे इस ऐतिहासिक मार्ग एवं उस पर प्रख्यात समाजवादी श्री उग्रसेन जी के नाम पर निर्मित पुल का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार देवरिया, कुशीनगर एवं बिहार प्रान्त को जोड़ने वाले इस महत्वपूर्ण राजमार्ग को बचाने के लिये कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

बाढ़ के समय नदी का जल स्तर बढ़ने पर मार्ग के कटान को रोकने हेतु अनुरक्षण मद से अस्थायी व्यवस्था कर दी जाती है।

मार्ग का सुरक्षात्मक कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

33-श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

[3सरे मंगलवार के अता0 प्र0 सं0-49 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक मिर्जापुर के गांव मझारा के मार्ग को पक्का कराये जाने की मांग

34-श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक मिर्जापुर के गांव मझारा से मन्सा नगला तक पक्का मार्ग नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग को जनहित में पक्का कराने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

प्रश्नगत मार्ग की कुल लम्बाई 1700 मी0 के सापेक्ष 1400 मी0 का कार्य पी0एम0जी0एस0वाई0 योजना फेज-10 में स्वीकृत है। शेष 300 मी0 का कार्य किसी योजना में प्रस्तावित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद मुजफ्फरनगर व शामली में विद्युत उपभोक्ताओं से वसूली कराये जाने की मांग

35-श्री हुकुम सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर व शामली में कौन-कौन ऐसे विद्युत उपभोक्ता हैं, जिन पर रुपया 01 करोड़ से अधिक विद्युत की देनदारी है ? क्या सरकार बतायेगी कि विभाग ने उक्त धनराशि वसूलने के लिये क्या प्रयास किये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद मुजफ्फरनगर में रु0 1 करोड़ से अधिक की धनराशि वाले उपभोक्ताओं का विवरण निम्नवत् है :-

क्र0	उपभोक्ता का नाम व पता	देयता धनराशि (रु0 लाख में)	उपभोक्ता द्वारा जमा धनराशि (रु0 लाख में)
1	मै0 राना कॉनकास्ट, मुजफ्फरनगर	288.00	96.00
2	मै0 जाकिर राना, मुजफ्फरनगर	193.00	कोई नहीं
3	मै0 आर0ए0 कास्टिंग प्रा0 लि0, मुजफ्फरनगर	140.00	70.00
4	मै0 अवध एलॉइज प्रा0 लि0, मुजफ्फरनगर	92.00	46.00
5	मै0 सतगुरू मैटेलॉइज प्रा0 लि0, मुजफ्फरनगर	358.00	179.00
6	मै0 सर्वोत्तम रोलिंग मिल प्रा0 लि0, मुजफ्फरनगर	384.00	192.00
7	मै0 अम्बो रोलिंग मिल प्रा0 लि0, मुजफ्फरनगर	276.00	138.00
8	मै0 बरनाला इण्डस्ट्रीज, मुजफ्फरनगर	572.00	286.00
9	मै0 बहलना स्टील्स, मुजफ्फरनगर	154.00	77.00
10	मै0 पवन एलॉइज, मुजफ्फरनगर	178.00	89.00
11	मै0 अश्वद स्टील्स, मुजफ्फरनगर	78.00	39.00
12	मै0 राना स्टील्स, मुजफ्फरनगर	936.00	468.00
13	मै0 एम0क्यू0 स्टील्स, मुजफ्फरनगर	318.00	159.00
14	मै0 त्रिकूट स्टील्स, मुजफ्फरनगर	676.00	338.00
15	मै0 राना कॉनकास्ट, मुजफ्फरनगर	206.00	103.00
16	मै0 हसन स्टील, मुजफ्फरनगर	199.00	51.00

उपरोक्त सूची के क्रमांक-1 पर अंकित बकाये की वसूली हेतु 06 किश्तें निर्धारित की गयी हैं, जिसमें 02 किश्त प्राप्त हो चुकी है। क्रमांक-2 के बकायेदार का स्थायी विच्छेदन कर दिया गया है और वसूली की कार्यवाही की जा रही है। क्रमांक-3 से 16 तक के बकायेदारों का प्रकरण आयुक्त, सहारनपुर मण्डल के न्यायालय में विचाराधीन है।

जनपद शामली में कोई भी विद्युत उपभोक्ता रु0 01 करोड़ से अधिक का बकायेदार नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शामली के गांव खेड़ी बैरागी में स्थापित गन्ना क्रय केन्द्र के प्रकरण पर कार्यवाही की जानकारी

36-श्री सुरेश राणा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शामली स्थित सरसादी लाल शुगर मिल के गन्ना क्षेत्रान्तर्गत गांव खेड़ी बैरागी में गन्ना किसानों की आवश्यकताओं को देखते हुये गन्ना आयुक्त लखनऊ द्वारा 30-11-2012 को आदेशित खेड़ी बैरागी द्वितीय के नाम से आवंटित गन्ना क्रय केन्द्र को लगभग डेढ़ माह बाद स्थापित किया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार इसमें हुई देरी के कारणों की जांच कराकर संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

गन्ना आयुक्त के आदेश दिनांक 30-11-2012 द्वारा सृजित नया क्रय केन्द्र खेड़ी बैरागी द्वितीय दिनांक 22-01-2013 को स्थापित हुआ।

उक्त नवसृजित क्रय केन्द्र का कृषकों के एक वर्ग के विरोध किये जाने के दृष्टिगत पुनः उक्त क्षेत्र की स्थिति का निरीक्षण कराया गया तथा कृषकों में पारस्परिक सहमति के उपरान्त नवीन क्रय केन्द्र खेड़ी बैरागी द्वितीय को संचालित कराया गया।

जनपद कानपुर के अनेकों घाटों के सौन्दर्यीकरण की योजना

37-श्री सतीश महाना-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर स्थित नाना राव घाट, शक्ति चौराहा घाट, गोला घाट एवं बिठूर घाट के जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण की कोई योजना सरकार द्वारा बनायी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यटन मंत्री (श्री ओम प्रकाश)-

जी नहीं।

पर्यटन विभाग द्वारा इन स्थलों पर विगत वर्षों में पर्यटन विकास के कार्य कराये गये हैं।

जनपद गोरखपुर में शहीदों की स्थल चौरी-चौरा को पर्यटन स्थल घोषित करने की मांग

38-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला-गोरखपुर में स्थित शहीदों की धरती चौरी-चौरा को सरकार पर्यटन स्थल घोषित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश-

जी नहीं।

पर्यटन विभाग द्वारा किसी स्थल को पर्यटक स्थल घोषित नहीं किया जाता है अपितु स्थल पर आने वाले तीर्थ यात्रियों एवं पर्यटकों के सुविधा हेतु विकास कार्य कराये जाते हैं।

जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चौरी-चौरा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में दवाओं की उपलब्धता

39-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला-गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चौरी-चौरा स्थित सी0एच0सी0 एवं पी0एच0सी0 पर विषरोधक दवाओं के अत्यधिक अभाव के कारण उक्त क्षेत्र के ग्रामीणों की सर्पों के काटने से अकाल मृत्यु हो जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र की सी0एच0सी0 एवं पी0एच0सी0 में विषरोधी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता क्योंकि दवा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड मोहम्मदी के ग्राम उमरपुर में जर्जर विद्युत लाइनों को ठीक कराये जाने की मांग

40-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला-लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड मोहम्मदी के अन्तर्गत ग्राम-उमरपुर में जर्जर विद्युत लाइनों के कारण ग्रामवासियों को समुचित रूप से विद्युत सप्लाई नहीं मिल पा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार जर्जर विद्युत लाइन ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद खीरी के अन्तर्गत विकास खण्ड मोहम्मदी के अन्तर्गत ग्राम उमरपुर में विद्युत आपूर्ति बनी हुई है। 11 के0वी0 लाइन में जी0आई0 वायर लगा होने के कारण ग्रामवासियों को कम वोल्टेज पर विद्युत की सप्लाई मिल रही है।

जी हां। लो वोल्टेज की समस्या के निदान हेतु कार्यवाही की जायेगी।

जून, 2013

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विकास प्राधिकरण बोर्डों में क्षेत्रीय विधायकों को नामित करने के सम्बन्ध में जानकारी

41-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विकास प्राधिकरण बोर्डों में प्राधिकरण सीमा के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रीय विधायकों को नामित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

उ0 प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-6 (2) (छ) एवं (ज) में प्राविधान है कि राज्य विधान सभा के ऐसे सब सदस्य, जिनके निर्वाचन क्षेत्र में विकास क्षेत्र को कोई भाग हो तथा राज्य विधान परिषद् के ऐसे सब सदस्य, जिनका निवास स्थान विकास क्षेत्र में हो, प्राधिकरण सलाहकार परिषद् के सदस्य होंगे।

उक्तानुसार।

प्रदेश में किसानों के ट्यूबवेलों व घरेलू कनेक्शनों को अलग-अलग करने सम्बन्धी प्रस्ताव

42-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों के ट्यूबवेलों की विद्युत लाइनें तथा गांव की घरेलू उपभोग की विद्युत लाइनों को अलग-अलग करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

राज्य सरकार द्वारा गठित इनर्जी टास्क फोर्स की दिनांक 15-5-2009 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में लाइट एवं फैन फीडर्स की ट्यूबवेल फीडर से अलग करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर सहमति प्रदान करते हुए निम्न निर्देश दिये गये :-

(1) इस योजना को सर्वप्रथम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लागू किया जाय।

(2) चूंकि इस योजना को लागू करने से ग्रामीण रिहायशी क्षेत्रों में 24 घण्टे आपूर्ति प्राप्त होगी, अतः यह आवश्यक है कि इस योजना के अन्तर्गत आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में मीटर्ड आपूर्ति तथा आपूर्ति के अनुसार टैरिफ लागू करने की संभावना भी देख लिया जाय।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर की अनेकों शुगर मिलों पर गन्ना किसानों के बकाये के भुगतान की मांग

43-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एल0एच0शुगर मिल, बजाज हिन्दुस्तान शुगर मि0, बरखेड़ा कला नोबल शुगर इकाई बरखेड़ाकला, बजाज हिन्दुस्तान शुगर मिल मकसूदापुर (शाहजहांपुर) डालमियां चीनी मिल निगोही शाहजहांपुर द्वारा वर्ष 2011-12 में कुल कितना-कितना गन्ना क्रय करके पेराई की गयी एवं इसकी चीनी का परता क्या रहा है ? क्या गन्ना मूल्य का भुगतान किसानों को कर दिया गया है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

एल0एच0 शुगर मिल, बजाज हिन्दुस्तान शुगर मि0, बरखेड़ा कलां नोबल शुगर इकाई बरखेड़ाकलां, बजाज हिन्दुस्तान शुगर मिल मकसूदापुर (शाहजहांपुर) तथा डालमिया चीनी मिल निगोही शाहजहांपुर द्वारा वर्ष 2011-12 में गन्ना क्रय करने तथा चीनी परता की स्थिति निम्नवत् है :-

क्र0सं0	चीनी मिल का नाम	गन्ना पेराई की मात्रा (लाख कु0)	चीनी परता (प्रतिशत)
1	एल0एच0 शुगर मिल, पीलीभीत	113.26	9.09
2	बजाज हिन्दुस्तान शुगर मिल, बरखेड़ा	95.22	8.96
3	बजाज हिन्दुस्तान शुगर मिल, मकसूदापुर	83.34	9.18
4	डालमिया चीनी मिल, निगोही	89.00	9.31

नोबल शुगर इकाई, बरखेड़ाकलां एक खाण्डसारी इकाई है जिसके द्वारा पेराई सत्र 2011-12 में 17.14 लाख कु0 गन्ने की पेराई की गई थी।

जी हां।

प्रश्नगत चीनी मिलों द्वारा पेराई सत्र 2011-12 के गन्ना मूल्य भुगतान का विवरण निम्नवत् है :-

(धनराशि लाख रु0)

क्र0सं0	चीनी मिल का नाम	कुल देय गन्ना मूल्य	कुल भुगतान	अवशेष	भुगतान प्रतिशत
1	एल0एच0 शुगर मिल, पीलीभीत	26818.12	26818.12	0.00	100.00
2	बजाज हिन्दुस्तान शुगर मिल, बरखेड़ा	22528.15	22528.15	0.00	100.00
3	बजाज हिन्दुस्तान शुगर मिल, मकसूदापुर	19801.04	19801.04	0.00	100.00
4	डालमिया चीनी मिल, निगोही	21102.05	21102.05	0.00	100.00

नोबल शुगर इकाई, बरखेड़ाकलां एक खाण्डसारी इकाई होने के कारण सरकार द्वारा घोषित राज्य परामर्शित गन्ना मूल्य सम्बन्धी आदेश उक्त इकाई पर लागू नहीं होता है।

प्रदेश में चीनी नियंत्रण पर प्रतिबन्ध हटाने एवं लाइसेन्स मुक्त किये जाने की मांग

44-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश सरकार गन्ना विकास हेतु कल्याणकारी कार्य करने के लिये कटिबद्ध है ? यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार को गुड़ एवं शीरा नियंत्रण, आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत चीनी नियंत्रण पर से प्रतिबन्ध हटाये जाने तथा चीनी उद्योगों को लाइसेन्स मुक्त किये जाने हेतु संस्तुति करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

खड़े कोल्हू व खाण्डसारी इकाइयों के माध्यम से गुड़ उत्पादन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत शीरे का संग्रहण, श्रेणीकरण, संभरण एवं वितरण को नियंत्रित किया जाता है तथा राज्य की नीति के अनुरूप आवश्यकतानुसार समय-समय पर आवश्यक संशोधन किये जाते हैं। चीनी उद्योग की स्थापना लाइसेन्समुक्त है तथा चीनी को लेवीमुक्त करने की संस्तुति भारत सरकार को की गयी है।

प्रदेश में गन्ना पेराई अथवा चीनी उत्पादन का विवरण तथा गन्ना मूल्य का भुगतान दिलाये जाने की मांग

45-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या गन्ना पेराई क्रेशर/सल्फर प्लांट/कोल्हू लाइसेन्स मुक्त हैं ? यदि हां, तो कब से ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि नोविल शुगर इकाई, बरखेड़ाकला, जनपद पीलीभीत का वर्ष 2007 से अब तक प्रतिवर्ष गन्ना पेराई अथवा चीनी उत्पादन का विवरण क्या है ? क्या उक्त चीनी मिल द्वारा घोषित गन्ना मूल्य नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार गन्ना मूल्य का भुगतान दिलवायेगी ? यदि हां, कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं। गन्ना पेराई हेतु प्रत्येक प्रकार (सल्फर/नॉनसल्फर) के पावर क्रेशरों/खाण्डसारी इकाइयों पर इकाई चलाने से पूर्व लाइसेन्स प्राप्त करने का प्राविधान है। खड़े कोल्हुओं पर लाइसेसिंग व्यवस्था नहीं है।

नोविल शुगर इकाई, बरखेड़ाकला, जनपद पीलीभीत का वर्ष 2007 से 2011-12 के गन्ना पेराई एवं खाण्डसारी उत्पादन सम्बन्धी विवरण निम्नवत् है :-

वर्ष	गन्ना पेराई (कुन्तल में)	खाण्डसारी उत्पादन (कुन्तल में)
2007-08	1323284.52	91662.00
2008-09	1210740.97	79395.00
2009-10	1148459.10	75754.00
2010-11	1462982.07	96776.00
2011-12	1713762.64	105466.00

नोविल शुगर इकाई, बरखेड़ाकला, जनपद पीलीभीत एक खाण्डसारी इकाई है। सरकार द्वारा घोषित गन्ना मूल्य इस पर लागू नहीं होता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पीलीभीत में बीसलपुर किसान सहकारी चीनी मिल हेतु अधिग्रहीत भूमि एवं मुआवजे का भुगतान कराये जाने की मांग

46-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग किसान सहकारी चीनी मिल लि0 बीसलपुर जनपद पीलीभीत हेतु किन-किन राजस्व गांवों/गांव पंचायतों की भूमि अधिग्रहीत की गयी है ? क्या सरकार यह भी बताएगी कि अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो भुगतान कब तक किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

बीसलपुर किसान सहकारी चीनी मिल लि0, बीसलपुर (पीलीभीत) हेतु राजस्व ग्राम कस्बा पट्टी की ग्राम पंचायत में निहित भूमि अधिग्रहीत की गई है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरा के अधिकांश गांवों एवं मजरों का विद्युतीकरण कराये जाने की मांग

47-श्री इन्द्रपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरा में अधिकांश गांवों के मजरों में अभी तक बिजली नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मजरों का विद्युतीकरण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरा के 300 से अधिक आबादी वाले मजरों को विद्युतीकरण हेतु राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना द्वितीय चरण में सम्मिलित कर डी0पी0आर0 भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित कर दी गयी है। भारत सरकार द्वारा डी0पी0आर0 की स्वीकृति एवं धन प्राप्त कराने के उपरान्त ही उपरोक्त मजरों का विद्युतीकरण कराना संभव होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने की मांग

48-श्री भीम प्रसाद सोनकर-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र आलापुर जनपद अम्बेडकर नगर की सड़कों की स्थिति काफी जर्जर है जिससे नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों की मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जनपद अम्बेडकर नगर में आलापुर विधान सभा क्षेत्र के प्रमुख जिला मार्गों तथा अन्य जिला मार्गों की मरम्मत करायी गयी है जो वर्तमान में दाग रहित है। ग्रामीण मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

उपरोक्त विधान सभा क्षेत्र के 30 कि0मी0 लम्बाई में ग्रामीण मार्गों की मरम्मत करायी गयी है। अवशेष ग्रामीण मार्गों की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरिद्वार कलियर कस्बा में सिंचाई विभाग के स्टोर में खराब हो रहे सामान विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

49-श्री भीम प्रसाद सोनकर-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरिद्वार के कलियर कस्बा में सिंचाई विभाग के स्टोर में खराब हो रहे सामानों के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र कम्प्यूटर संख्या-पी0जी0-10106032 संख्या-सी0एम0/वि0/को0एम0/पी0 जी0 10106032/2012 दिनांक 21-08-2012 प्रमुख सचिव, सिंचाई को कार्यवाही/जांच हेतु भेजा गया हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

स्थलीय जांच करायी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

50-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

[2सरे सोमवार के अता0 प्र0 सं0-73 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र बख्शी का तालाब में जर्जर सड़कों की मरम्मत कराये जाने की मांग

51-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के बख्शी का तालाब विधान सभा क्षेत्र में कुर्सी रोड स्थित डा0 श्याम सिंह इण्टर कालेज से होते हुये बरखुरदारपुर एवं उडलैण्ड कालोनी को जाने वाली सड़क अत्यन्त जर्जर एवं क्षतिग्रस्त हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों पर लेपन स्तर तक निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

प्रश्नगत मार्ग लखनऊ कुर्सी रोड से दो भाग में विभाजित है :-

1-डा0 श्याम सिंह इण्टर कालेज से बरखुरदारपुर मार्ग की लम्बाई 670 मीटर है जिस पर लोक निर्माण विभाग का स्वामित्व है, मार्ग का आंशिक भाग क्षतिग्रस्त है।

2-उडलैण्ड कालोनी तक जाने वाला खड़न्जा/कच्चे मार्ग पर लोक निर्माण विभाग का स्वामित्व नहीं है।

उपर्युक्त क्रमांक-1 पर अंकित मार्ग का सामान्य अनुरक्षण मद से दाग मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। पुनर्लेपन स्तर तक का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्ध पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश में मच्छरों के प्रकोप से बचाव हेतु कार्य योजना

52-श्री अनीसुर्ररहमान-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्षों पूर्व मच्छरों से बचाव के लिये डी0डी0टी0 का छिड़काव किया जाता था ? यदि हां, तो क्या सरकार की जानकारी में है कि वर्तमान में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में भारी तादात में मच्छरों का प्रकोप है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में मच्छरों से बचाव के लिये कोई कार्य योजना बनायी है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी हां। इस समय भी भारत सरकार के अनुरूप चिन्हित जनपदों में लक्षित जनसंख्या हेतु छिड़काव किया जाता है।

प्रदेश के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में भारी तादात में मच्छरों का प्रकोप है।

जी हां।

सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में मच्छरों से बचाव के लिए कार्य योजना 2013-14 बनायी है।

कार्य योजना के मुख्य बिन्दु निम्नवत् है :-

1-वाहक पर नियंत्रण।

-मच्छर के लार्वा पर नियंत्रण तथा सेनेटरी इन्जीनियरिंग।

-वयस्क मच्छरों के नियंत्रण हेतु

कीटनाशक छिड़काव एवं फागिंग

2-मनुष्य मच्छरों के सम्पर्क को रोकने हेतु निरोधात्मक उपाय।

3-सर्वेक्षण।

4-निदान एवं उपचार।

5-स्वास्थ्य शिक्षा/प्रचार-प्रसार।

6-प्रशिक्षण।

7-अंतर्विभागीय सहयोग।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अमरोहा के मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड में ध्वजारोहण सहायक अभियन्ता द्वारा करने का प्रकरण

53-श्री अनीसुर्ररहमान-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कार्यालय मध्य गंगा नहर, निर्माण खण्ड-3, अमरोहा में दिनांक 15-08-12 को ध्वजारोहण अधिशासी अभियन्ता के स्थान पर सहायक अभियन्ता द्वारा किया गया था ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त अधिशासी अभियन्ता द्वारा अपने स्थानान्तरण के पश्चात् भी मुरादाबाद का सरकारी आवास खाली नहीं किया गया है तथा अमरोहा स्थित मुख्यालय से बाहर रहने के कारण विकास कार्यों पर भी प्रभाव पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

दिनांक 15-8-2012 को ध्वजारोहण सहायक अभियन्ता द्वारा किया गया था। उक्त तिथि को सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के पास मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड-3, अमरोहा के साथ-साथ अधिशासी अभियन्ता (सं0), सिंचाई कार्य मण्डल, मुरादाबाद का कार्यभार भी था। अतएव अधिशासी अभियन्ता द्वारा सिंचाई कार्य मण्डल, मुरादाबाद में उक्त तिथि को ध्वजारोहण में भाग लिया गया था।

जी हां।

सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का कार्य क्षेत्र जनपद बिजनौर में भी स्थित होने के कारण कार्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद अमरोहा की आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा अधिग्रहीत भूमि को अर्जन मुक्त किये जाने विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

54-श्री अनीसुर्ररहमान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कब्रिस्तान का खसरा सं0 3670, रकबा 28 डिसमिल स्थित अन्दरून चुंगी अतरसी रोड, अमरोहा, जिला-अमरोहा की आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा अधिग्रहीत भूमि को अर्जन मुक्त किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 27-12-2012 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

मा0 सदस्य का पत्र दिनांक 25-12-2012 प्राप्त हुआ है।

विषयगत पत्र पर उ0 प्र0 आवास विकास परिषद् से तथ्यात्मक आख्या प्राप्त की गयी, जिसके अनुसार परिषद् की योजना संख्या-1, अमरोहा की धारा-28 का प्रकाशन दिनांक 11-10-1980 तथा धारा-32 (1) का प्रकाशन दिनांक 09-10-1982 को कराया गया। प्रश्नगत योजना की सीमान्तर्गत खसरा संख्या-3670 की कुल 0.28 एकड़ भूमि अधिग्रहण हेतु समाविष्ट थी, जिसमें से 0.25 एकड़ भूमि का कब्जा दिनांक 04-06-1984 को विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी मेरठ द्वारा परिषद् को

हस्तगत किया गया। इस खसरे की अवशेष 0.03 एकड़ भूमि पर कब्रे इत्यादि बनी होने के कारण इस भूमि को छोड़ते हुए 0.25 एकड़ भूमि के सम्बन्ध में विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा दिनांक 29-03-1985 को अभिनिर्णय घोषित किया गया। इस खसरे की कब्जा प्राप्त 0.25 एकड़ भूमि राजस्व खतौनी में परिषद् के नाम दर्ज हो चुकी है।

प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय, मूल वाद संख्या-79/1996 अल्लाताला वक्फ बनाम परिषद् दायर किया गया था, जो मा0 न्यायालय तृतीय अपर सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, जे0पी0 नगर जनपद अमरोहा द्वारा दिनांक 11-10-2012 को परिषद् पक्ष में निस्तारित किया गया है।

चूंकि प्रश्नगत खसरा संख्या-3670 की कुल रकबा 0.28 एकड़ भूमि में से 0.25 एकड़ भूमि का कब्जा आवास विकास परिषद् को प्राप्त हो चुका है। अतएव उक्त भूमि को अर्जन मुक्त करने का औचित्य नहीं पाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 जल विद्युत निगम लि0 को राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 में विलय सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

55-श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 को उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 में प्रस्तावित विलय पर रोक लगाने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 14-09-2012 तथा 16-01-2013 मा0 मुख्य मंत्री, उ0प्र0 मुख्य सचिव एवं प्रमुख सचिव, ऊर्जा को प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

इस सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 जल विद्युत निगम लि0 तथा उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ से आख्या मांगी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा में राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित जीर्ण-शीर्ण वन चेतना केन्द्र का जीर्णोद्धार कराये जाने की मांग

56-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-2 स्थित वन चेतना केन्द्र जीर्ण-शीर्ण है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके सौन्दर्यीकरण/जीर्णोद्धार के लिये कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जी नहीं।

सीमित वित्तीय संसाधन के दृष्टिगत कार्य योजना बनाये जाने का औचित्य नहीं है।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में खड़न्जा मार्गों के डामरीकरण कराने सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

57-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में 24 खड़न्जा मार्गों के डामरीकरण कराने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-वि0प0/ज0हि0/क एस0नं0-138608/1176, दिनांक 04-09-12 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

पत्र के साथ संलग्न सूची में उल्लिखित 24 मार्गों में से 9 ग्रामों/बसावटों को सिंगल कनेक्टिविटी प्रदान की जा चुकी है। 03 बसावटें पी0एम0जी0एस0वाई0 योजना 01 बसावट जिला योजना तथा 02 बसावट एस0सी0पी0 योजना में प्रस्तावित है जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। शेष 09 ग्रामों/बसावटों की आबादी 500 से कम होने के कारण उन्हें सम्पर्क मार्ग से जोड़ा जाना शासन की प्राथमिकता में नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

खड़न्जों मार्गों के डामरीकरण के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही की जानकारी

58-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2012 के 4 थे बुधवार के अतारांकित प्रश्न सं0-63 के उत्तर के संदर्भ में क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खड़न्जा मार्गों के डामरीकरण के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

संदर्भगत प्रश्न में सदर्भित पत्र में उल्लिखित 78 मार्गो में से 12 खड़न्जा मार्गों पर स्थित ग्रामों/बसावटों को पूर्व में ही पक्के सम्पर्क मार्गों से सिंगल कनेक्टिविटी प्रदान की जा चुकी है। 01 मार्ग नाबार्ड-17 के अन्तर्गत स्वीकृत है एवं कार्य प्रगति में है। 19 खड़न्जा मार्गों पर स्थित ग्रामों/बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्ग से जोड़ने हेतु विभिन्न योजनाओं में कार्य प्रस्तावित है, जिनकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। शेष 46 खड़न्जा मार्गो पर स्थित ग्रामों/बसावटों को सम्पर्क मार्गों से जोड़े जाने की कार्ययोजना लोक निर्माण विभाग के मानकों से आच्छादित न होने के कारण उनको सिगिंल कनेक्टिविटी प्रदान किया जाना शासन की प्राथमिकता में नहीं हैं।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में कतिपय निर्माण सम्पर्क प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

59-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत आने वाले सम्पर्क मार्गों पर आर0सी0सी0 पुल/पुलिया तथा साइफन निर्माण

विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र संख्या-वि0प0/ज0हि0/12-13/क-एस0नं0- 102189/1360, दिनांक 28-09-12 के साथ संलग्न सूची के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव कार्यालय, उ0प्र0 शासन का पत्रांक-359/एम0एस0/एम0एल0ए0/12, दिनांक 09-10-12, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

पत्र के साथ संलग्न सूची में उल्लिखित 35 खड़ण्जा एवं कच्चे मार्गों के चिन्हित स्थानों पर पुल/पुलिया के निर्माण की कार्ययोजना लोक निर्माण विभाग के मानकों से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के मजरों/ग्राम पंचायतों का विद्युतीकरण कराने विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

60-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के मजरों/ग्राम पंचायतों का विद्युतीकरण कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र संख्या-वि0प0/ज0हि0/12-13/क-एस0 नं0 102182/1361, दिनांक 28-09-12 के साथ संलग्न सूची के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव कार्यालय, उ0प्र0 शासन का पत्रांक-364/एम0एस0/एम0एल0ए0/12, दिनांक 09-10-12, प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत विद्युतीकरण हेतु मा0 विधायक श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप जी द्वारा 153 ग्राम पंचायतों के साथ कुल 626 मजरों की सूची उपलब्ध करायी है। इनमें से 56 मजरें राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना द्वितीय चरण की डी0पी0आर0 में सम्मिलित हैं। भारत सरकार द्वारा डी0पी0आर0 में सम्मिलित हैं। भारत सरकार द्वारा डी0पी0आर0 स्वीकृत की जा चुकी है। शेष 300 से अधिक आबादी वाले 126 मजरों को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना द्वितीय चरण की डी0पी0आर0 में शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। स्वीकृत डी0पी0आर0 के विरुद्ध निविदा निस्तारण प्रक्रियाधीन है। निविदा निस्तारण एवं भारत सरकार से धन प्राप्त होने के उपरान्त इनका विद्युतीकरण कराना सम्भव होगा। 126 मजरों की पूरक डी0पी0आर0 की स्वीकृति भारत सरकार से प्रतीक्षित है। भारत सरकार द्वारा डी0पी0आर0 स्वीकृति होने एवं धन प्राप्त होने के उपरान्त उपरोक्त विद्युतीकरण कराना सम्भव होगा। शेष ग्रामों एवं सभी मजरें वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 300 से कम आबादी वाले हैं जिनके विद्युतीकरण हेतु वर्तमान में कोई योजना नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत सरयू नहर परियोजना के माइनरों के गैप पूरा करने के लिये प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की जानकारी

61-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

विधान सभा के प्रथम सत्र 2012 के चौथे बुधवार के अतारांकित प्रश्न सं0 74 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बइराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत आने वाली सरायू नहर परियोजना की अपूर्ण माइनरों के गैप को पूरा करने के लिये प्रशासनिक एवम् वित्तीय स्वीकृति दे दी गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

सरयू नहर परियोजना के कार्यो पर व्यय वहन हेतु वित्तीय स्वीकृति दिनांक 31 अगस्त, 2012 एवं दिनांक 18 अक्टूबर, 2012 को दे दी गई है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली के गावों का विद्युतीकरण कराये जाने की मांग

62-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत द्वितीय चरण के प्रारम्भ में विधान सभा रूधौली जनपद बस्ती के कितने गांवों को विद्युतीकरण करने की योजना है ? यदि हां, तो क्या सरकार विद्युतीकरण से वंचित गांवों को आच्छादित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

विधान सभा क्षेत्र रूधौली, जनपद बस्ती के समस्त ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है। केवल उन मजरों का जिनकी आबादी 300 से अधिक है के विद्युतीकरण हेतु योजना तैयार की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के ग्रामों का शत-प्रतिशत विद्युतीकरण हो जाने के कारण ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु कोई योजना स्वीकृत नहीं है। केवल मजरों के विद्युतीकरण हेतु प्रोजेक्ट रिपोर्ट स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है। स्वीकृति प्रतीक्षित है।

जनपद बस्ती के डाक्टरों द्वारा प्राइवेट प्रैक्टिस करने का कथित प्रकरण

63-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में डाक्टरों द्वारा नॉन प्रैक्टिस एलाउन्स लेने के बावजूद प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे डाक्टरों को चिन्हित का उनके खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी नहीं। उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर जनपद बस्ती में तैनात किसी चिकित्सक द्वारा प्राईवेट प्रैक्टिस नहीं की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के कस्बे रूदौली में जर्जर निरीक्षण गृह की मरम्मत तथा रखरखाव विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

64-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के रूदौली कस्बे में लोक निर्माण विभाग द्वारा स्थापित जर्जर निरीक्षण गृह की मरम्मत तथा रख-रखाव के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 30-08-12 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

रूधौली में स्थापित निरीक्षण गृह अ0वि0नि0ई0(रा0मा0) लोक निर्माण विभाग, गोरखपुर के अधीन था, जो मुख्य अभियन्ता, गो0क्षे0, लो0नि0वि0, गोरखपुर के पत्रांक 1409/4 गो0क्षे0 भवन/13 दिनांक 29-01-2013 द्वारा निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, बस्ती को स्थानान्तरित कर दिया गया है। निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, बस्ती द्वारा दिनांक 04-02-2013 को निरीक्षण गृह का चार्ज ले लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में दलित एवं उपेक्षित वर्गों के कतिपय स्मारकों के रख-रखाव हेतु कारपस फण्ड के ब्याज से मरम्मत आदि की व्यवस्था

65-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दलित एवं उपेक्षित वर्गों के संतों, गुरूओं व महापुरुषों के सम्मान में निर्मित स्मारकों, संग्रहालयों, संस्थाओं, पार्कों, उपवनों के प्रबन्धन एवं अनुरक्षण हेतु गठित समिति के अधीन आने वाले स्मारकों, संस्थाओं, पार्कों व उपवनों के मरम्मत एवं रख-रखाव हेतु मार्च, 2012 से अगस्त, 2012 तक कारपस फंड के ब्याज से कितनी धनराशि अवमुक्त की गयी है ? क्या सरकार इसका सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध कराते हुये पूर्व की भांति उक्त के रख-रखाव एवं अनुरक्षण हेतु कारपस फंड के ब्याज के अलावा अलग से बजट का प्राविधान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अधिलेश यादव-

प्रदेश में दलित एवं उपेक्षित वर्गों के सन्तों, गुरूओं व महापुरूषों के सम्मान में निर्मित स्मारकों, संग्रहालयों, संस्थाओं, पार्कों, उपवनों आदि के प्रबन्धन एवं अनुरक्षण हेतु गठित समिति के अधीन आने वाले स्मारकों, संस्थाओं, पार्कों व उपवनों की मरम्मत एवं रख-रखाव, सृजित कारपस फण्ड के ब्याज से अर्जित धनराशि से कराने का निर्णय शासनादेश संख्या-2261/आठ-1-2012-59बजट/2010, दिनांक 09-08-2012 द्वारा लिया गया है। अतः मार्च, 2012 से अगस्त, 2012 तक कारपस फण्ड के ब्याज की कोई धनराशि अवमुक्त नहीं की गयी है।

स्मारकों, संस्थाओं, पार्कों व उपवनों आदि की मरम्मत एवं रख-रखाव, कारपस फण्ड के ब्याज से अर्जित धनराशि से किये जाने की व्यवस्था है। अतः इस हेतु पृथक से बजट प्राविधान कराने की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सोनभद्र में बालिकाओं की घटती संख्या को रोकने के उपाय

66-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र में बालक-बालिकाओं का लिंगानुपात क्या है ? क्या सोनभद्र में बालिकाओं की संख्या निरन्तर घट रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार बालिकाओं की घटती संख्या को रोकने के लिये कोई कारगर योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी हां। जनपद सोनभद्र में वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों के सापेक्ष महिलाओं की संख्या-896 थी, जो वर्ष 2011 में बढ़कर 913 हो गयी है, परन्तु 0 से 06 वर्ष की उम्र के बच्चों में वर्ष 2001 में 1000 बालकों के सापेक्ष बालिकाओं की संख्या-956 थी, जो कि वर्ष 2011 में घटकर 920 हो गयी है।

जी हां।

भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 तथा अवैध गर्भभात पर रोकथाम हेतु गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, 1971 जनपद सोनभद्र सहित पूरे उ0प्र0 में पूर्व से ही लागू है।

प्रश्न नहीं उठता।

67-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

[3सरे शुक्रवार के अतारांकित प्र0सं0-86 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

प्रदेश में चीनी की स्थानीय स्तर पर बिक्री कराये जाने की मांग

68-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की सहकारी चीनी मिलों की उत्पादित चीनी एवं शीरे का विक्रय उ0प्र0 चीनी मिल संघ के द्वारा गैर प्रतिस्पर्धात्मक आधार पर बाजार से कम मूल्य पर किया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार स्थानीय स्तर पर चीनी की नियमित रूप से बिक्री करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रदेश की सहकारी चीनी मिलों की उत्पादित चीनी का विक्रय उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ के द्वारा विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित दरों, संघ के पंजीकृत एजेण्टों तथा इन्टरनेट में उल्लिखित दरों, निजी चीनी मिलों की दरों, उत्तराखण्ड सहकारी चीनी मिल संघ की चीनी मिलों की

दरों से तुलनात्मक आधार पर अधिकतम दरों पर किया जाता है। शीरे की बिक्री ई-टेण्डरिंग के माध्यम से मुक्त प्रतिस्पर्धा के आधार पर पारदर्शी ढंग से की जाती है। उक्त के प्रचार-प्रसार हेतु विभिन्न समाचार-पत्रों में भी विज्ञापन प्रकाशित कराए जाते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर हंसपुरम् आवास विकास कालोनी को पूर्ण विकसित कर हस्तान्तरित कर दिये जाने सम्बन्धी जानकारी

69-श्री सतीश महाना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हंसपुरम् स्थित आवास विकास कालोनी कानपुर को पूर्ण विकसित करते हुये नगर निगम कानपुर को हस्तान्तरित कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां, आंशिक रूप से।

परिषद् द्वारा विकसित हंसपुरम् योजना सं0-2, कानपुर की पेयजलापूर्ति एवं सीवर प्रणाली जल संस्थान/नगर निगम, कानपुर को दिनांक 20-09-2008 को रख-रखाव हेतु हस्तान्तरित की जा चुकी है।

कानपुर हंसपुरम् योजना संख्या-2 आवास विकास कालोनी में सड़कों, पार्कों तथा बरसाती नालियों को नगर निगम, कानपुर को हस्तान्तरित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

जनपद कानपुर में विकास प्राधिकरण एवं आवास विकास कालोनियों में अवस्थापना सुविधा हेतु कराये गये कार्यों की जानकारी

70-श्री सतीश महाना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर विकास प्राधिकरण कालोनी गंगापुर मछरिया एवं आवास विकास कालोनी हंसपुरम्, कानपुर में अवस्थापना सुविधा हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में कौन-कौन से कार्य कहां-कहां हो रहे हैं ? क्या उक्त कार्य पूर्ण हो चुके हैं ? यदि नहीं, तो शेष कार्य अब तक पूर्ण कराया जायेगा ?

श्री अखिलेश यादव-

कानपुर विकास प्राधिकरण की गंगापुर (मछरिया) योजना में वर्तमान वित्तीय वर्ष, 2012-13 में अवस्थापना सुविधा हेतु कोई कार्य नहीं कराये जा रहे हैं।

आवास विकास कालोनी हंसपुरम्, कानपुर में अवस्थापना सुविधा हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में अवस्थापना मद से सेक्टर-2ए, 2बी, 2सी एवं 2डी की आन्तरिक सड़कों की मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य, बरसाती नालियों के मरम्मत तथा पार्कों की मरम्मत के कार्य कराये जा रहे हैं।

जी नहीं।

कानपुर विकास प्राधिकरण की गंगापुर (मछरिया) योजना लगभग 25 वर्ष पुरानी है। अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण का कार्य धन उपलब्धता के आधार पर चरणबद्ध रूप से कराया जाना प्रस्तावित है।

हंसपुरम् कालोनी, आवास विकास परिषद् में कराये जा रहे उपरोक्त कार्य जुलाई, 2013 तक पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है।

कानपुर विकास प्राधिकरण कालोनी गंगापुर मछरिया को हस्तान्तरित करने सम्बन्धी जानकारी

71-श्री सतीश महाना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर विकास प्राधिकरण कालोनी गंगापुर मछरिया, कानपुर का विकास निर्धारित मानक के अनुसार करके नगर निगम कानपुर को हस्तान्तरित कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

नगर निगम को हस्तान्तरित करने के लिये कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा गंगापुर मछरिया योजना का संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण करा दिया गया है। हस्तान्तरण की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कर ली जायेगी।

प्रदेश में नवनिर्मित अस्पतालों में मानक के अनुसार स्टाफों, डाक्टरों की तैनाती सम्बन्धी जानकारी

72-श्री सतीश महाना-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2007 से 2012 के बीच में कितने नये अस्पताल बनाये गये हैं ? क्या नवनिर्मित अस्पतालों में मानक के अनुरूप चिकित्सा सेवायें एवं डाक्टर उपलब्ध हैं ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी हां। कुल 13 नये अस्पताल बनाये गये हैं।

प्रदेश में चिकित्सकों की कमी है अतः नवनिर्मित चिकित्सालयों को क्रियाशील करने के लिये चिकित्सकों की उपलब्धता के अनुसार तैनाती की जाती है। मानक के आधार पर चिकित्सकीय सुविधायें एवं चिकित्सकों की व्यवस्था के सम्बन्ध में चयन की कार्यवाही लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद के माध्यम से की जा रही है।

चिकित्सकों के 2675 पदों पर चयन हेतु पुनर्विज्ञापन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। चिकित्सकों के रिक्त पदों पर तैनाती करने हेतु 2868 चिकित्सकों के चयन हेतु शासन के पत्र संख्या-24/पांच-8-2012-म(345)2012, दिनांक 11-01-2013 द्वारा लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद को अधियाचन प्रेषित किया गया है। इस प्रकार कुल 5543 चिकित्सकों के चयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सोनभद्र की खराब विद्युत व्यवस्था को सुधारने की कार्य योजना

73-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र की खराब विद्युत व्यवस्था को सुधारने के लिये सरकार द्वारा कोई कार्य-योजना तैयार की गयी है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जनपद सोनभद्र में बिजनेंस प्लान 2012-13 के अन्तर्गत विद्युत व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण जिसमें जर्जर तार, क्षतिग्रस्त पोल, परिवर्तक क्षमता वृद्धि आदि का कार्य सम्मिलित है, कराया जाना प्रस्तावित है।

जर्जर तार-19 कि0मी0

जर्जर पोल-89 नग

क्षमता वृद्धि-30 नग

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा स्थित वृन्दावन-मांट के सम्पर्क मार्ग के किनारे गाइड बंधा बनाये जाने की मांग

74-श्री प्रदीप माथुर-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद स्थित वृन्दावन-मांट पुल के सम्पर्क मार्ग को कटान से रोके जाने हेतु यमुना नदी व सम्पर्क मार्ग के किनारे गाइड बंधा बनाया जाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर देहात के सिकन्दरा टाउन के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सकों की तैनाती

75-श्री इन्द्रपाल सिंह-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिकन्दरा टाउन जनपद-कानपुर देहात के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्षेत्र की आबादी को दृष्टिगत रखते हुये मानक के अनुरूप चिकित्सकों की तैनाती है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार मानक के अनुरूप चिकित्सकों की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री अहमद हसन-

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सिकन्दरा टाउन जनपद-कानपुर देहात में चिकित्साधिकारी के 06 स्वीकृत पदों के सापेक्ष 06 चिकित्साधिकारी तैनात हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में विद्युत कटौती से मुक्त जनपद एवं जनपद सोनभद्र को कटौती मुक्त किये जाने की मांग

76-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुल कितने जिले विद्युत कटौती से मुक्त हैं तथा किन-किन कारणों से उन्हें कटौती से मुक्त किया गया है ? क्या सरकार को जानकारी है कि सोनभद्र जनपद में प्रदेश द्वारा निर्धारित घण्टों में विद्युत आपूर्ति नहीं की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार सोनभद्र को विद्युत कटौती से मुक्त करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

वर्तमान में कुल 07 जिले जिनमें जनपद आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, हाथरस मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा ताज ट्रिपेजियम क्षेत्र होने के कारण कटौती मुक्त विद्युत आपूर्ति आदेशित है। जनपद इटावा, मैनपुरी, कन्नौज जिलों की संवेदनशीलता, कानून व्यवस्था एवं औद्योगिक क्षेत्र के कारण विद्युत कटौती से मुक्त हैं।

सोनभद्र जनपद में निर्धारित मानक के अनुसार शहरी क्षेत्र को 17 घंटे एवं ग्रामीण/तहसील क्षेत्र को 10 घंटे (साप्ताहिक अदल-बदलकर) विद्युत आपूर्ति आदेशित है, किन्तु ग्रिड की सुरक्षा एवं स्थानीय व्यवधान के कारण कभी-कभी विद्युत कटौती अपरिहार्य हो जाती है।

जी नहीं।

वर्तमान में विद्युत की मांग एवं उपलब्धता में कमी के कारण कटौती मुक्त विद्युत आपूर्ति करा पाना सम्भव नहीं है।

जनपद सोनभद्र के विधान सभा क्षेत्र ओबरा में लगे ट्रान्सफार्मरों की क्षमता बढ़ाये जाने की मांग

77-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र के ओबरा विधान सभा क्षेत्र की सीमान्तर्गत कौन-कौन से क्षेत्रों में लो-वोल्टेज समस्या रहती है ? क्या सरकार उक्त समस्या से निजात हेतु इन क्षेत्रों में लगे ट्रान्सफार्मरों की क्षमता में वृद्धि करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद-सोनभद्र के ओबरा विधान सभा क्षेत्र के सीमान्तर्गत जांचोपरान्त यह पाया गया कि किसी भी क्षेत्र में लो-वोल्टेज की समस्या नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सोनभद्र के विधान सभा क्षेत्र ओबरा में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़कें बनाने सम्बन्धी जानकारी

78-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास के क्षेत्रीय संतुलन के दृष्टिगत जनपद सोनभद्र के ओबरा विधान सभा क्षेत्र के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रश्नकर्ता की संस्तुति पर सड़कें बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

पी0एम0जी0एस0वाई द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 250 से अधिक आबादी की अनजुड़ी बसावटों को जोड़े जाने की व्यवस्था है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद सन्त कबीर नगर के विधान सभा क्षेत्र सदर के खलीलाबाद अन्तर्गत अनेकों क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कराये जाने की मांग

79-डा0 मो0 अय्यूब-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद संतकबीरनगर सदर विधान सभा क्षेत्र 313, खलीलाबाद के अन्तर्गत जगदीशपुर टेमा रहमत मार्ग, बाघनगर से भाटपार मार्ग, एन0एच0 28 मार्ग से धौरहरा मार्ग, एन0एच0 28 मार्ग से दलेजगंज मार्ग, दुधारा परसा शेख से अमावा बसडीला मार्ग, टेमा रहमत सेमरियावां से महदेव मार्ग, बनकटिया पचपोखरी से चनिया मार्ग, केशवापुर हटवा से रक्शा मार्ग, पैड़ी दानुकुईया से मुजहनी मुजहन मार्ग, पचपोखरी से जूरी मार्ग, टेमा रहमत सेमरियावां से विगरा अव्वल मार्ग, जूरी से ढोढई मार्ग, परसा शेख से छगुरिया बगुलिया मार्ग, सेमरियावां टेमा रहमत से हुजुरा सुहावा मार्ग, उमिला से कांटे मार्ग, अगया बिगरा से सुकरौली मार्ग, पैडी दानुकुईया हनुमानगंज से पुरैना मार्ग, दालेलगंज से परसवा मार्ग, टेमा सेमरियावां से छपिया छितौना मार्ग, सेमरियावां बस्ती मार्ग से सुटेहरा होते हुये सैथवलिया मार्ग, केशवापुर पिपरा कोहरियावां होते हुये धुसुरा मार्ग, चुरेब बसडीला विशुनपुर चौराहे से सिरसिहवा मार्ग, अगया बसडीला से सुजिया बसडीला मार्ग, टेमा सेमरियावां से चिउटन मार्ग, चुरेब भाटपार से चमरसन मार्ग ग्राम पंचायत तिलजा से ग्राम पंचायत अगया मार्ग तथा पिड़वा से रक्शा कला मार्ग क्षतिग्रस्त हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इनकी मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

कुल 27 मार्गों में से 11 मार्गों की दशा ठीक है। 16 मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हैं, जिसमें 01 मार्ग लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में नहीं है।

उक्त मार्गों की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

80-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

[2सरे शुक्रवार के अता0प्र0सं0-66 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

81-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

[2सरे शुक्रवार के अता0प्र0सं0-67 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में बाढ़ से प्रभावित जिलों में पीड़ितों को राहत पहुंचाये जाने सम्बन्धी योजनाओं की जानकारी

82-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2012 में प्रदेश में कुल कितने जिले बाढ़ से प्रभावित हुये हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि उन बाढ़ प्रभावित जिलों में पीड़ितों को राहत पहुंचाने हेतु कौन सी योजना क्रियान्वित की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

प्रदेश के वर्तमान में 15 जनपद बाढ़ से प्रभावित हुए हैं।

सिंचाई विभाग द्वारा सभी प्रभावित जनपदों में बाढ़ प्रबन्धन के सभी आवश्यक कार्य कराए गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के चिकित्सालयों में सभी सुविधायें उपलब्ध कराये जाने की मांग

83-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के चिकित्सालयों में चिकित्सक एवं आवश्यक दवाओं की व्यवस्था न होने के कारण प्रसव पीड़िताओं को घोर कष्ट उठाना पड़ता है और कई बार इन सबके अभाव में जच्चा-बच्चा को जान भी गंवानी पड़ी है ? यदि हां, तो क्या सरकार सभी चिकित्सालयों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के चिकित्सालयों में चिकित्सक एवं आवश्यक सभी सुविधायें उपलब्ध कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी नहीं।

चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद को 5543 पदों पर चयन हेतु अधियाचन प्रेषित किया जा चुका है। दवाइयां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। अस्पतालों में उपलब्ध उपकरणों से सम्भव जांच अस्पताल में कराने की व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत कुपोषण पुनर्वास केन्द्र खोले जाने की मांग

84-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत 5 साल तक के कुपोषित बच्चों के इलाज के लिये कुपोषण पुनर्वास केन्द्र खोले जाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका मानक क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

कुपोषित बच्चों के इलाज के लिए कुपोषण पुनर्वास केन्द्र नहीं बल्कि 'पोषण पुनर्वास केन्द्र' भारत सरकार द्वारा जारी आपरेशनल गाइडलाइन के अनुसार राज्य अपनी प्राथमिकता के अनुसार अधिक आवश्यकता वाले क्षेत्रों में यथा आदिवासी बाहुल्य जनपद, हाई फोकस जनपद तथा 5 वर्ष की आयु के बच्चों में अधिक मृत्यु दर वाले जनपदों में खोले जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के 10 जनपदों अलीगढ़, इलाहाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, बांदा, फर्रूखाबाद, गोण्डा, ललितपुर व प्रतापगढ़ में पोषण पुनर्वास केन्द्र स्थापित किये गये हैं। इस वर्ष 10 अन्य नये जनपदों पीलीभीत, कन्नौज, खीरी, शाहजहांपुर, उन्नाव, महाराजगंज, चित्रकूट, सोनभद्र, हरदोई व रायबरेली में पोषण पुनर्वास केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं।

जनपद गोरखपुर के रामजानकी मार्ग से सिकरीगंज तक मार्ग चौड़ा एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने की मांग

85-श्री राजेश त्रिपाठी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की करेंगे कि जनपद गोरखपुर के रामजानकी मार्ग राजमार्ग संख्या-72 को गोला बाजार से उरूवा बाजार होते हुये सिकरीगंज तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण किया जाना प्रस्तावित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद खीरी के ब्लाक पसगवां के अनेकों ग्रामों के ट्यूबवेल कनेक्शन के आवेदन-पत्रों का निस्तारण करने सम्बन्धी जानकारी

86-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-खीरी के ब्लाक-पसगवाँ के ग्राम-पिपरी अजीज व ग्राम गुरूदेवखेड़ा में ट्यूबवेल कनेक्शन के कितने आवेदन-पत्र निस्तारण हेतु विगत 6 माह से लम्बित हैं ? क्या सरकार सभी औपचारिकतायें पूर्ण कराते हुये ट्यूबवेल कनेक्शन उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

सूचना एकत्र की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद खीरी के ब्लाक पसगवां के ग्राम भोगीपुर मनी का विद्युतीकरण कराये जाने सम्बन्धी जानकारी

87-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-खीरी के ब्लाक-पसगवाँ के राजस्व ग्राम भोगीपुर मनी के उपभोक्ताओं का कनेक्शन हेतु पैसा भी जमा है ? यदि हां, तो क्या उक्त ग्राम का विद्युतीकरण किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

जनपद खीरी, ब्लाक पसगवां का राजस्व ग्राम भोगीपुर मनी विद्युतीकरण हेतु राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना द्वितीय चरण में आच्छादित है। भारत सरकार द्वारा डी0पी0आर0 स्वीकृत की जा चुकी है। निविदा निस्तारण प्रक्रियाधीन है। निविदा निस्तारण एवं भारत सरकार से धन प्राप्त होने के उपरान्त उक्त ग्राम का विद्युतीकरण मार्च, 2015 तक कराया जाना सम्भव होगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद खीरी के कतिपय ब्लाकों में पालीटेक्निक कालेज खोले जाने की मांग

88-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-खीरी के ब्लाक-मोहम्मदी व पसगवाँ में ग्रामीण रोजगारपरक, तकनीकी शिक्षा व्यवस्था के लिये वित्तीय वर्ष 2012-13 में योजनान्तर्गत घोषित पालीटेक्निक कालेज सरकार खोलेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्राविधिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री आलोक कुमार शाक्य)-

केन्द्रीय सहायता से जनपद लखीमपुर खीरी के ब्लाक-मोहम्मदी में एक पालीटेक्निक का भवन निर्माणधीन है। जनपद-लखीमपुर के ब्लाक पसगवां में कोई पालीटेक्निक स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। उक्त के अतिरिक्त जनपद-लखीमपुर खीरी में एक राजकीय पालीटेक्निक पूर्व से ही ब्लाक लखीमपुर खीरी में संचालित है।

जनपद खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के कस्बा बरबर में चिकित्सालय की स्थापना कराये जाने की मांग

89-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के ब्लाक-पसगवाँ के कस्बा बरबर में कोई जच्चा-बच्चा व अन्य अस्पताल न होने से क्षेत्रीय जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार कस्बा बरबर में अस्पताल की स्थापना करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी नहीं। जनपद खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के ब्लाक पसगवां के कस्बा बरबर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बरबर स्थापित है। जहां चिकित्सीय एवं जच्चा-बच्चा सुविधा उपलब्ध है जिसमें क्षेत्रीय जनता को कोई कठिनाइयां नहीं होती हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के बौरी माइनर चकिया रोड के क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने की मांग

90-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चन्दौली में मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बौरी माइनर चकिया रोड से कम्हरिया तक सड़क अत्यन्त खराब हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का मरम्मत कार्य करवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

उक्त मार्ग की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने की मांग

91-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-चन्दौली में मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत दुलहीपुर जी0टी0 से सनभीम स्कूल तक सड़क पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत करवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

उक्त मार्ग पर कनौडिया फ्लोर मिल मैनेजमेन्ट (एक निजी संस्था) का स्वामित्व है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के कतिपय माइनर पर साइफन निर्माण कराये जाने की मांग

92-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-चन्दौली में मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सिकरी में बरिया माइनर पर साइफन निर्माण न होने से उक्त क्षेत्र के किसानों को सिंचाई में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त साइफन का निर्माण करवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के अन्तर्गत पचोखर माइनर हेड से क्षतिग्रस्त माइनर का लाइनिंग कार्य करवाये जाने सम्बन्धी जानकारी

93-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पचोखर माइनर हेड से बाईपास नेशनल हाई-वे तक लाइनिंग का कार्य न होने से हूंकी फसलों को भारी नुकसान होता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त माइनर का लाइनिंग कार्य करवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

हाई-वे आबादी के नजदीक होने के कारण जानवरों द्वारा नहर क्षतिग्रस्त होने पर उसे सामान्य अनुरक्षण मद से ठीक करा दिया जाता है।

जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के बजहा से बबुरी तक क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने की मांग

94-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बजहा से बबुरी तक सड़क पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुकी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां। मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

उक्त मार्ग की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के विभिन्न सम्पर्क मार्गों पर पुलिया निर्माण कराने सम्बन्धी पत्र पर कार्यवाही

95-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में विभिन्न सम्पर्क मार्गों पर 15 अदद पुलिया निर्माण कराने सम्बन्धी मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-वि0प0/ज0हि0/12-13/क-एस0 नं0-138736/1134, दिनांक 01-09-2012 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

पत्र के साथ संलग्न सूची में उल्लिखित 15 खड़न्जा मार्गों एवं कच्चे मार्गों पर आर0सी0सी0 पुल/पुलिया तथा साइफनों के निर्माण कार्य की कार्ययोजना लोक निर्माण विभाग के मानकों से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बस्ती के ग्राम केशवपुर में सीमेन्टेड पोल लगवाकर विद्युतीकरण कराये जाने की मांग

96-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बस्ती के ग्राम केशवपुर में दलित बस्ती को छोड़कर शेष गांव में बांस-बल्ली के माध्यम से विद्युतीकरण हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गांव में सीमेन्टेड पोल लगाकर विद्युतीकरण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं

प्रश्न नहीं उठता।

किसी भी ग्रामों/मजरे के विद्युतीकरण में बांस/बल्ली का प्रयोग नहीं किया जाता अपितु मानकानुसार सीमेन्टेड पोल लगाकर ही विद्युतीकरण किया जाता है।

जनपद बस्ती के ग्राम केशवपुर विद्युतीकरण हेतु राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण में आच्छादित है। डी0पी0आर0 भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित कर दी गयी है। भारत सरकार से डी0पी0आर0 की स्वीकृति एवं धन प्राप्त कराने के उपरान्त ग्राम का विद्युतीकरण कराना संभव होगा।

जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर अन्तर्गत क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने की मांग

97-श्री भीम प्रसाद सोनकर-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर अन्तर्गत जहांगीरगंज, सुल्तानपुर मुख्य मार्ग से गोपालबाग से नरवर पट्टी गांव तक सड़क पूर्णतया क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

सूचना एकत्र की जा रही है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रूदौली में नगरीय क्षेत्र में विद्युत विभाग द्वारा अवस्थापना सम्बन्धी कार्यों को पूर्ण कराये जाने सम्बन्धी जानकारी

98-श्री रामचन्द्र यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रूदौली के नगरीय क्षेत्र हेतु वर्तमान वर्ष में विद्युत विभाग के अवस्थापना संबंधी कार्यों हेतु

आर0ए0पी0डी0आर0पी0 योजनान्तर्गत कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त योजना में कौन-कौन से कार्य कराये जायेंगे और उनमें से अब तक कौन-कौन से कार्य पूर्ण करा दिये गये हैं ? क्या सरकार शेष कार्यों को समयबद्ध सीमा में पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

रु0 449 लाख।

नये वितरण परिवर्तकों की स्थापना, ब्रेकर के लिए रिमोर्ट स्विच की स्थापना, एल0टी0 लाइन की सुदृढ़ीकरण केपीसिटर बैंक की स्थापना, एरियर बंच केबिल लगाना, अतिभारित 11 के0वी0 लाइन को बाईफरकेट करना, मीटरों की स्थापना करना तथा एच0वी0डी0एस0 इत्यादि कार्यों को कराया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त वर्णित कार्यों के क्रियान्वयन हेतु निविदा निस्तारण प्रक्रियाधीन है।

निविदा निस्तारण एवं धन प्राप्त होने के उपरान्त ही उपरोक्त कार्यों को समयबद्ध सीमा में पूर्ण कराना सम्भव होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने की मांग

99-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जी0टी0 रोड कटेशर से सरकारी स्कूल तक सड़क अत्यन्त क्षतिग्रस्त है जिससे नागरिकों को आने-जाने में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क को बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

उक्त मार्ग पर लोक निर्माण विभाग का स्वामित्व नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय अन्तर्गत कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने की मांग

100-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत चन्दौली में चन्दौली धरौली सम्पर्क मार्ग से नेगुरां गांव नहर तक सड़क निर्माण न होने के कारण नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग को खड़न्जा स्तर तक सड़क निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

नेगुरॉ गांव प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित जगदीशपुर वाया मसोई मार्ग से पूर्व से ही जुड़ा हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के ग्राम पंचायत गोधना में विद्युतीकरण कराये जाने की मांग

101-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायत गोधना दलित बस्ती में विद्युतीकरण अभी तक नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बस्ती का विद्युतीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायत गोधना में दो अलग-अलग दलित बस्ती हैं एवं एक बस्ती में 25 क्षमता का एक ट्रांसफार्मर लगा है जिस पर 7 विद्युत उपभोक्ता हैं। दूसरी बस्ती में 10 क्षमता का एक परिवर्तक लगा है जिस पर 4 विद्युत उपभोक्ता हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय में क्षतिग्रस्त चौरहट मेन रोड का निर्माण कराये जाने की मांग

102-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत चौरहट मेन रोड से नीबूपुर गांव तक पिच रोड अत्यन्त क्षतिग्रस्त हो गयी है, जिससे नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित को ध्यान में रखते हुए उक्त मार्ग का निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

उक्त मार्ग पर लोक निर्माण विभाग का स्वामित्व नहीं है, अपितु रेल मंत्रालय, भारत सरकार का स्वामित्व है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र पंचफेड़वा से क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने की मांग

103-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पंचफेड़वा से सलेमपुर तक सड़क पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त है जिससे नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

प्रश्नगत मार्ग 02 भागों में है। प्रथम भाग पंचफेड़वा से नरैना तक की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है तथा नरैना से सलेमपुर तक के भाग का पुनः निर्माण स्वीकृत है तथा कार्य प्रगति पर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश में आरा मशीनों के लाइसेन्सों के शुल्क को घटाये जाने की मांग

104-डा0 मो0 अयूब-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आरा मशीनों के लाइसेंस के नवीनीकरण हेतु निर्धारित शुल्क रु0 5000/- को बढ़ाकर पूर्ववर्ती सरकार द्वारा 25 हजार रुपया कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त शुल्क को घटाकर पुनः रु0 5000/- करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां, रु0 25 हजार प्रति इकाई की गयी है।

जी नहीं।

प्रकाष्ठ एवं अन्य वन उपज तथा परिष्कृत प्रकाष्ठ के मूल्य में वृद्धि होने के कारण लाइसेन्स शुल्क में बढ़ोत्तरी की अपरिहार्यता है।

जनपद गाजियाबाद के लोनी में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना कर सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने की मांग

105-श्री जाकिर अली-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के लोनी में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना किये जाने तथा उच्च प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (सी0एच0सी0) लोनी में एक्सरे तथा अल्ट्रासाउण्ड मशीनें एवं अन्य जांचों की सुविधा प्रदान किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र ख-74838, दिनांक 02-01-2013 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी हां।

जनपद गाजियाबाद के लोनी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पूर्व से ही क्रियाशील एवं संचालित है तथा उसी परिसर में ही सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लोनी भी क्रियाशील एवं संचालित है। अतः लोनी में पुनः प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लोनी में मरीजों की चिकित्सा सुविधा हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 में एक एक्सरे मशीन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत कर दी गयी है तथा अल्ट्रासाउन्ड मशीन की स्थापना का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

उपकरणों की स्थापना वित्तीय संसाधनों एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

जनपद हरदोई के जिला क्षय रोग अधिकारी व कर्मचारी द्वारा राष्ट्रीय कार्यक्रम में घोर अनियमितताओं के विरुद्ध जांच की कार्यवाही

106-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई में जिला क्षय रोग अधिकारी व अन्य कर्मचारियों, राष्ट्रीय कार्यक्रम में कतिपय अधिकारी द्वारा की गयी घोर अनियमितताओं के विरुद्ध जांच कर अपर निदेशक, प्रशासन के पत्रांक संख्या-1थ/91/85, दिनांक 7-8-2012 द्वारा अपर निदेशक, (पैरामेडिकल) को सी0डी0 सहित जांच रिपोर्ट सुपुर्द की गयी थी ? यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी नहीं। अपितु श्री देवेन्द्र सिंह, आर0टी0आई0 कार्यकर्ता एवं श्री पंकज कुमार निवासी ग्राम रुकनापुर, पोस्ट माधौगंज, जनपद हरदोई का शिकायती-पत्र व सी0डी0 सहित प्राप्त हुआ है। अनियमितताओं की जांच हेतु निदेशक (पैरामेडिकल) को प्रेषित किया गया है।

जांच की कार्यवाही प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पुलों की पथकर वसूली पर रोक लगाये जाने की मांग

107-श्री मनीष असीजा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार द्वारा प्रदेश में बने ऐसे पुलों जिनकी लागत राशि वसूल हो चुकी है, पर वसूली जाने वाली चुंगी/पथकर/टोल शुल्क पर रोक लगायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

उत्तर प्रदेश सरकार के स्वामित्व के सभी मार्गों पर निर्मित पक्के पुलों पर पथकर वसूली शासनादेश दिनांक 30-12-2009 द्वारा समाप्त कर दी गयी है।

भारत सरकार के आदेशानुसार राष्ट्रीय मार्गों एवं पुलों पर पथकर वसूली उनके द्वारा की जा रही है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश में बी0पी0एल0 कार्ड धारकों को गम्भीर बीमारियों की रोकथाम हेतु कार्य योजना

108-श्री मनीष असीजा-

30-01-2013ए 108-क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार द्वारा बी0पी0एल0 कार्ड धारकों में कैंसर, टी0बी0, थैलेसीमिया, किडनी आदि गम्भीर बीमारियों की पहचान एवं रोकथाम के लिये एन0आर0एच0एम0 के माध्यम से कोई कार्य योजना बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी हां। प्रदेश में कैंसर, टी0बी0 आदि गम्भीर बीमारियों की पहचान एवं रोकथाम के लिये एन0आर0एच0एम0 के माध्यम से वर्तमान में निम्न कार्य योजनायें जन सामान्य के लिये प्रचलित हैं :-

- भारत सरकार के कार्यक्रम के अधीन राष्ट्रीय कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एवं स्ट्रोक रोकथाम व नियंत्रण कार्यक्रम एन0आर0एच0एम0 के माध्यम से प्रदेश के 09 जनपदों (रायबरेली, सुल्तानपुर, झांसी, लखीमपुर खीरी, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, इटावा, ललितपुर एवं जालौन) में कैंसर की पहचान हेतु चल रहा है।
- भारत सरकार के कार्यक्रम के अधीन पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम एन0आर0एच0एम0 के माध्यम से प्रदेश के समस्त जनपदों में क्षय रोग की पहचान तथा रोकथाम हेतु चल रहा है।

बी0पी0एल0 कार्ड धारकों को उक्त कार्यक्रमों के अन्तर्गत निःशुल्क सुविधा प्रदान की जा रही है। थैलेसीमिया तथा किडनी की पहचान तथा रोकथाम के लिये वर्तमान में कोई विशिष्ट कार्यक्रम एन0आर0एच0एम0 के माध्यम से नहीं चल रहा है। भारत सरकार के दिशा-निर्देश तथा क्षेत्रीय आवश्यकताओं के दृष्टिगत राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम से सम्बन्धित एन0आर0एच0एम0 की योजनायें बनायी जाती हैं।

गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों के विशिष्ट गम्भीर रोगों के उपचार के लिये आर्थिक सहायतार्थ राज्य आरोग्य निधि के अन्तर्गत मुख्य मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा कोष की स्थापना की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के ग्राम सभा उसरौड़ी के ट्यूबवेल का विद्युतीकरण कराये जाने की मांग

109-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र में उसरौड़ी ग्राम सभा में ट्यूबवेल का विद्युतीकरण न होने से वर्षों से पानी के अभाव में सिंचाई नहीं हो पर रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ट्यूबवेल का विद्युतीकरण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

प्रश्नगत ट्यूबवेल का विद्युतीकरण नहीं किया गया है।

जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र में उसरौड़ी ग्राम सभा में ट्यूबवेल के ऊर्जीकरण हेतु रु0 2,91,409/-की धनराशि का प्राक्कलन प्रेषित किया गया है। उक्त धनराशि उपलब्ध होने पर विद्युतीकरण करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मिर्जापुर के कतिपय धार्मिक स्थल में दर्शनार्थियों हेतु रोप-वे का निर्माण कराये जाने की मांग

110-श्री राजेश त्रिपाठी-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्यटन एवं धार्मिक आस्था की दृष्टि से जनपद-मिर्जापुर स्थित महत्वपूर्ण विन्ध्यवासिनी देवी मन्दिर और अष्टभुजी देवी मंदिर के बीच यात्रियों/दर्शनार्थियों की भारी परेशानी को देखते हुए क्या रोप-वे निर्माण की कोई योजना सरकार के समक्ष प्रस्तावित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश-

पर्यटकों एवं दर्शनार्थियों की सुविधा हेतु विन्ध्यवासिनी देवी मन्दिर, अष्टभुजा देवी मन्दिर एवं कालीखोह मन्दिर के बीच रोप-वे निर्माण की कार्यवाही पी0पी0पी0 मोड़ के अन्तर्गत विचाराधीन है तथा इसके लिये कन्सलटेन्ट का चयन कर लिया गया है। कन्सलटेन्ट के परामर्शानुसार उक्त मन्दिरों के बीच रोप-वे ट्राली की स्थापना की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड सरदार नगर में सरैया शुगर मिल में किसानों के गन्ने बकाये का भुगतान कराये जाने की मांग

111-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला-गोरखपुर विकास खण्ड-सरदार नगर में स्थित सरैया शुगर मिल में किसानों के गन्ने का काफी पैसा बकाया है ? यदि हां, तो क्या सरकार बकाये पैसे का भुगतान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद गोरखपुर में स्थित चीनी मिल सरदारनगर पर किसानों का पेराई सत्र 1996-97 का कुल रु0 960.36 लाख, 1998-99 का रु0 266.77 लाख, 2002-03 का रु0 637.54 लाख, 2003-04 का रु0 66.86 लाख, 2006-07 का रु0 23.72 लाख, 2007-08 का रु0 319.70 लाख, 2010-11 का रु0 67.92 लाख एवं 2011-12 का रु0 481.38 लाख अर्थात कुल रु0 2824.25 लाख गन्ना मूल्य बकाया है।

चीनी मिल सरदारनगर बी0आई0एफ0आर0 में दिनांक 26-3-1997 से पंजीकृत है। बी0आई0एफ0आर0 के आदेश दिनांक 5-8-2008 के द्वारा अवशेष गन्ना मूल्य का भुगतान चीनी मिल

द्वारा तीन समान किश्तों में किये जाने के निर्देश दिए गये है जिसकी प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किश्त क्रमशः मार्च 2009, 2010 एवं 2011 में देय थी, परन्तु चीनी मिल द्वारा कोई धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है। तद्क्रम में चीनी मिल को इस स्तर से दिनांक 26 मई, 2011 को विधिक नोटिस निर्गत करते हुए अवशेष गन्ना मूल्य का भुगतान एक सप्ताह के अन्दर किये जाने के निर्देश दिए गये। चीनी मिल द्वारा उक्त नोटिस का कोई संज्ञान न लिए जाने के कारण दिनांक 06 जून, 2011 द्वारा पेराई सत्र 1994-95, अवशेष गन्ना मूल्य की ब्याज सहित रु0 6321.79 लाख की वसूली हेतु वसूली प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया। चीनी मिल ने उक्त वसूली प्रमाण-पत्र के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ में रिट याचिका संख्या-5917/2011 योजित की गई जिसमें मा0 उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 24-08-2011 द्वारा नीलामी प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। वर्तमान में विभाग द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में प्रार्थना-पत्र दाखिल कर मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 24-08-2011 को वैकेट कराये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

जनपद लखीमपुर के विकास खण्ड पसगवां के ग्राम पाडेवारी की क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने की मांग

112-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखीमपुर के विकास खण्ड-पसगवां के ग्राम-पाडेवारी से ग्राम-मूर्ति-अलीनगर तक जाने वाला मार्ग क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

उक्त मार्ग की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के चिकित्सालयों में कर्मचारियों की तैनाती की मांग

113-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के सरकारी अस्पतालों में मानक के अनुरूप चिकित्सक तथा अन्य कर्मचारी तैनात हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार मानक के अनुसार चिकित्सकों तथा अन्य कर्मचारियों की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी नहीं।

चिकित्साधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों की प्रोन्नति/सेवानिवृत्ति/त्याग-पत्र/पदों के सृजन आदि के कारण समय-समय पर पद रिक्त होते रहते हैं। चिकित्सा अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों

के पदों का रिक्त होना और उन पर नियुक्ति किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है। चिकित्सकों एवं अन्य कर्मचारियों की उपलब्धता एवं आवश्यकता के आधार पर तैनाती की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी में विद्युत सब-स्टेशन लगवाये जाने की मांग

114-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी में 33 के कुल कितने सब-स्टेशन हैं ? क्या सरकार अधिभारिता को दृष्टिगत रखते हुए विस्तार करके 120 सब-स्टेशन बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद लखीमपुर के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी में 33/11 के0वी0 के कुल 4 सब-स्टेशन स्थापित/कार्यरत है।

जी नहीं।

जनपद खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी में 132 के0वी0 उपकेन्द्र मोहम्मदी पूर्व में ही स्थापित है। यह उपकेन्द्र जिसकी क्षमता 40 एम0वी0ए0 है, (2x20 एम0वी0ए0) अतिभारित है। उपकेन्द्र की क्षमता 40 एम0वी0ए0 से बढ़ाकर 60 एम0वी0ए0 करने का निर्णय विचाराधीन है। पारेषण कार्य समिति से अनुमोदनोपरान्त 1 नग 20 एम0पी0ए0 परिवर्तक को हटाकर 40 एम0वी0ए0 परिवर्तक लगाने हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जायेगी। 132 के0वी0 उपकेन्द्र मोहम्मदी की क्षमता वृद्धि वर्ष 2013-2014 में पूर्ण कर ली जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना अन्तर्गत मजरों में विद्युतीकरण कराये जाने एवं जनपद फैजाबाद के रूदौली में योजनान्तर्गत विद्युतीकरण की जानकारी

115-श्री रामचन्द्र यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र हेतु राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत 300 से ऊपर की आबादी वाले अविद्युतीकृत मजरों में विद्युतीकरण कराये जाने हेतु मे0आर0ई0सी0 के माध्यम से भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र रूदौली, जनपद फैजाबाद के 300 से ऊपर की आबादी वाले कितने मजरों को विद्युतीकरण हेतु चिन्हित किया गया है तथा कितने मजरों का विद्युतीकरण करा दिया गया है तथा कितने शेष हैं ? शेष मजरों का विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना प्रथम चरण के अन्तर्गत प्रदेश के लगभग सभी राजस्व ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है।

योजना के द्वितीय चरण में 300 से अधिक आबादी वाले समस्त ग्रामों का मजरों सहित सघन विद्युतीकरण किया जाना प्रस्तावित है। इस चरण के अन्तर्गत प्रदेश के 22 जनपदों की डी0पी0आर0 रु0 3453 करोड़ स्वीकृत की जा चुकी है। शेष 47 जनपदों की रु0 4353 करोड़ की डी0पी0आर0 भी प्रेषित की जा चुकी है। जिस पर भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की जानी है।

जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रूदौली के 300 से अधिक आबादी वाले 424 मजरे विद्युतीकरण हेतु राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना द्वितीय चरण में आच्छादित है। भारत सरकार द्वारा डी0पी0आर0 स्वीकृत की जा चुकी है। निविदा निस्तारण प्रक्रियाधीन है। निविदा निस्तारण एवं भारत सरकार से धन प्राप्त होने के उपरान्त उपरोक्त मजरों का विद्युतीकरण कराना सम्भव होगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रूदौली में बिजनेस प्लान अन्तर्गत कार्य कराये जाने विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

116-श्री रामचन्द्र यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बिजनेस प्लान 2012-13 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र रूदौली, जनपद फैजाबाद में विभिन्न स्थानों पर कार्य कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के अनुरोध पर आपके आदेश संख्या सी0 एम0/वि0 को0/एम0/पी0 जी0 आई0 ओ0/133857/2012, दिनांक 25-09-2012 के क्रम में मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, लखनऊ द्वारा मुख्य अभियन्ता (वितरण), मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0 फैजाबाद क्षेत्र, फैजाबाद को आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

पत्र दिनांक 19-09-2011 एवं मुख्य मंत्री कार्यालय/सांसद/विधायक प्रकोष्ठ सं0-सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0आई0ओ0/133857/2012, दिनांक 25-09-2012 में दर्शाये गये 32 कार्यों में से बिन्दु संख्या-7,10,24,27(4 कार्य) की बिजनेस प्लान 2012-13 में शामिल कर लिया गया है, जिसको 31 मार्च, 2013 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। सीमित मद होने के कारण शेष बिजनेस प्लान 2012-13 में सम्मिलित नहीं किये जा सके। मा0 विधायक के 32 कार्यों में से चार कार्यों को छोड़कर शेष बचे कार्यों को किसी अन्य योजना में धन प्राप्त होने पर पूर्ण करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत सरकारी और निजी मेडिकल कालेजो में गरीबों को मुफ्त इलाज कराये जाने सम्बन्धी जानकारी

117-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत प्रदेश के सभी सरकारी और निजी मेडिकल कालेजों में गरीबों को मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान करने पर सरकार विचार कर रही है ? क्या सरकार बी0पी0एल0 परिवारों के

अतिरिक्त मध्यम वर्गीय आय के परिवारों को भी उक्त योजना का लाभ देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

(क) सभी सरकारी एवं सूचीबद्ध निजी मेडिकल कालेजों में बी0पी0एल0 स्मार्ट कार्ड धारकों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया जा रहा है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्नगत योजना की गाइड लाइन्स के आधार पर बीमित गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले व्यक्ति एवं उनके परिवार के पांच सदस्यों के लिए फ्लोटर के आधार पर रु0 30,000/- तक की चिकित्सा सुविधा अनुमन्य है।

प्रदेश में विकास प्राधिकरणों में हाईटेक टाउनशिप की नीति एवं लक्ष्य के सापेक्ष भवन-भू-खण्ड विकसित करने के सम्बन्ध में जानकारी

118-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2003 में तत्कालीन सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में आवासीय जरूरतें पूरी करने हेतु हाईटेक टाउनशिप नीति बनाई गयी थी ? क्या उक्त नीति के अन्तर्गत विकास प्राधिकरणों और आवास विकास परिषद् द्वारा लक्ष्य के सापेक्ष अब तक कितने भवन-भू-खण्ड विकसित किये गये ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त प्रयोजन की पूर्ति हेतु आवश्यक कदम उठायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

आवास एवं विकास परिषद् क्षेत्रान्तर्गत हाईटेक टाउनशिप नीति के अधीन कोई विकासकर्ता चयनित नहीं है। विकास प्राधिकरणों में हाईटेक टाउनशिप नीति के अन्तर्गत चयनित विकासकर्ताओं द्वारा 186391 भवन/भू-खण्ड निर्मित/विकसित करने के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, जिसके सापेक्ष विकासकर्ताओं द्वारा अब तक 9372 भवन/भू-खण्ड निर्मित/विकसित किये गये हैं।

अब तक किसी विकासकर्ता की परियोजना अवधि पूर्ण नहीं हुई है।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के सम्पर्क मार्गों का डामरीकरण विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

119-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत आने वाले सम्पर्क मार्गों के डामरीकरण विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र संख्या-वि0प0/ज0हि0/12-13/क-एस0नं0-102188/1359, दिनांक 28-09-12 के साथ संलग्न सूची के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव कार्यालय, उ0प्र0 शासन का पत्र संख्या-361/एम0एस0/एम0एल0ए0/12, दिनांक 09-10-12, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

पत्र के साथ संलग्न सूची में उल्लिखित कुल 77 मार्गों में से 12 खड़न्जा मार्गों पर स्थित ग्रामों/बसावटों को पूर्व से ही सिंगल कनेक्टीविटी प्रदान की जा चुकी है। 05 खड़न्जा मार्गों पर स्थित ग्रामों/बसावटों का कार्य जिला योजना 04 खड़न्जा मार्गों पर स्थित ग्रामों/बसावटों का कार्य एस0सी0पी0 योजना 07 खड़न्जा मार्गों पर स्थित ग्रामों/बसावटों को पी0एम0जी0एस0वाई0 योजना तथा 01 खड़न्जा मार्ग का निर्माण कार्य बार्डर रोड में प्रस्तावित है जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। 01 खड़न्जा मार्ग नाबार्ड-17 के अन्तर्गत स्वीकृत है। क्रमांक-13 पर कोई मार्ग उल्लिखित नहीं है। शेष 47 ग्रामों/बसावटों की आबादी 500 से कम होने के कारण इन्हें सम्पर्क मार्गों से जोड़ा जाना शासन की प्राथमिकता में नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के खड़न्जा मार्गों का डामरीकरण कराये जाने विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

120-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के 25 खड़न्जा मार्गों को डामरीकरण कराये जाने सम्बन्धी मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-वि0प0/ज0हि0/12-13/क-एस0नं0-138607/1175, दिनांक 04-09-12 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

पत्र के साथ संलग्न सूची में उल्लिखित 25 खड़न्जा मार्गों पर स्थित ग्रामों/बसावटों में से 01 ग्राम/बसावट को सिंगल कनेक्टिविटी प्रदान की जा चुकी है। 01 खड़न्जा मार्ग पर स्थित ग्राम/बसावट हेतु कार्य नाबार्ड-17 के अन्तर्गत स्वीकृत है एवं कार्य प्रगति पर है। 04 खड़न्जा मार्गों पर स्थित ग्रामों/बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्ग से जोड़ने हेतु कार्य जिला योजना तथा पी0एम0जी0एस0वाई0 योजना में प्रस्तावित है, जिनकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। शेष 19 खड़न्जा मार्गों पर स्थित ग्रामों/बसावटों की आबादी 500 से कम होने के कारण उन्हें पक्के सम्पर्क मार्ग से जोड़ा जाना शासन की प्राथमिकता में नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बहराइच के विकास खण्ड पयागपुर में बघेल तालाब की जलमग्न कृषि भूमि को कृषि योग्य बनाने विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

121-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विकास खण्ड-पयागपुर में बघेल तालाब की हजारों एकड़ जलमग्न कृषि भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए नहर खुदाई का अवशेष कार्य कराने संबंधी मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-वि0 प0/ज0

हि0/12-13/क-एस0 नं0-138716/1069, दिनांक 20-08-2012 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

सर्वेक्षण कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद बहराइच के जिला महिला चिकित्सालय में बेड बढ़ाने एवं समुचित सुविधाएं हेतु वित्तीय स्वीकृत प्रदान करने की मांग

122-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2012 के चौथे बुधवार के अतारां0 प्र0सं0-48 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के जिला महिला चिकित्सालय में 100 शैय्या वार्ड की व्यवस्था तथा जे0ई0/ए0ई0एस0 ग्रसित व्यक्तियों के लिए वेन्टीलेटर युक्त 10 शैय्या वार्ड के निर्माण के लिए वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जनपद बहराइच में जिला महिला चिकित्सालय में 100 शैय्या वार्ड की व्यवस्था हेतु एन0आर0एच0एम0 से निर्माण कार्यों हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है तथा जे0ई0/ए0ई0एस0 ग्रसित व्यक्तियों के लिये वेन्टीलेटर युक्त 10 शैय्या वार्ड के निर्माण कार्य हेतु तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते हुए अग्रेतर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में खड़न्जा सम्पर्क मार्ग निर्माण विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

123-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में खड़न्जा सम्पर्क मार्ग निर्माण विषयक मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-वि0प0/ज0हि0/12-13/क-एस0नं0-138664/1041, दिनांक 19-08-12 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

पत्र के साथ संलग्न सूची में उल्लिखित खड़न्जा मार्गों की कार्य योजना पूर्वान्चल विकास निधि (राज्यांश) के अन्तर्गत प्रतिपादित मार्गदर्शी सिद्धान्तों से आच्छादित न होने के कारण उनके निर्माण कार्य पर विचार किया जाना संभव नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

लखनऊ के शारदा नगर योजना के रतन खण्ड में लगाये गये पेड़ों का विवरण

124-श्री भीम प्रसाद सोनकर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा नगर योजना लखनऊ के रतनखण्ड में वर्ष 2011-12 व 2012-13 में कितने पेड़ विकास प्राधिकरण द्वारा लगवाये गये हैं ? क्या यह भी सही है कि फर्जी कागजों पर पेड़ लगाकर शासकीय धन का दुरुपयोग हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर लगाये गये पेड़ों का रख रखाव करने का निर्देश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा शारदा नगर योजना, लखनऊ के रतन खण्ड में वर्ष 2011-12 में कुल 375 पेड़ एवं वर्ष 2012-13 में कुल 870 पेड़ लगाये गये हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर में समयबद्ध विद्युत सप्लाई देने की मांग

125-श्री भीम प्रसाद सोनकर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर में बिजली सप्लाई समयबद्ध तरीके से न होने के कारण कुटीर उद्योग प्रभावित हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में समयबद्ध तरीके से विद्युत सप्लाई देने का निर्देश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

विधान सभा क्षेत्र आलापुर के अन्तर्गत 33/11 के0वी0 तेंदुईकला एवं राम नगर उपकेन्द्रों से निर्धारित शिड्यूल के अनुसार लगभग 10 घण्टे विद्युत आपूर्ति की जा रही है। कुटीर उद्योगों की विद्युत आपूर्ति हेतु कोई अलग फीडर नहीं है।

प्रश्नगत क्षेत्र को निर्धारित शिड्यूल के अनुसार विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर में जहांगीरगंज से राजे सुल्तानपुर तक सड़क चौड़ीकरण कराये जाने की मांग

126-श्री भीम प्रसाद सोनकर-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर में जहांगीरगंज से राजे सुल्तानपुर तक सड़क का चौड़ीकरण कराये जाने की योजना है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का चौड़ीकरण कराने का निर्देश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर की तहसील जलालाबाद को पर्यटन स्थल घोषित कराये जाने की मांग

127-श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर की तहसील मुख्यालय जलालाबाद जो कि भगवान परशुराम की जन्म स्थली है, को पर्यटन स्थल का दर्जा देकर विकास किया जाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उसे कब तक पर्यटन स्थल घोषित कर विकास कार्य प्रारम्भ किये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश-

जी नहीं।

पर्यटन विभाग द्वारा किसी स्थल को पर्यटक स्थल घोषित नहीं किया जाता है, अपितु स्थल पर आने वाले तीर्थ यात्रियों एवं पर्यटकों की सुविधा हेतु विकास कार्य कराये जाते हैं।

सम्प्रति पर्यटन विभाग में इस स्थल के पर्यटन विकास की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड रफियाबाद कलाव से अतिक्रमण हटवाकर मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने की मांग

128-श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड मुख्यालय रफियाबाद कलाव से होकर जनपद बदायूं जाने वाला राज मार्ग पर कलाव मार्ग कम चौड़ा होने व उक्त मार्ग पर अतिक्रमण होने से आवागमन बाधित रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का चौड़ीकरण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मार्ग दो लेन चौड़ा है तथा आवागमन बाधित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के कतिपय मोहल्लों में शंकरनगर चौराहे स्थित ट्रान्सफार्मर से किये जाने विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

129-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती आशा किशोर, विधायक, रायबरेली द्वारा मुख्य मंत्री को सम्बोधित पत्र जो मोहल्ला मायानगर पो0 निरालानगर, लखनऊ के निवासियों के विद्युत सप्लाई को पुनः शंकरनगर चौराहा, निरालानगर, लखनऊ पर स्थित ट्रान्सफार्मर से किये जाने विषयक था पर मुख्य मंत्री कार्यालय के आदेश संख्या 135314/2012 दिनांक 27-09-2012, प्रबन्ध निदेशक मध्यांचल विद्युत वितरण निगम, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं, किन्तु इसी विषय से सम्बन्धित श्रीमती आशा किशोर, मा0 सदस्य, विधान सभा, रायबरेली द्वारा मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित पत्र जो मुख्य मंत्री कार्यालय आदेश संख्याः 136314/2012, दिनांक 27-09-2012 प्राप्त हुआ है।

प्रश्नगत प्रकरण के संदर्भ में अवगत कराना है कि अवर अभियन्ता/उप खण्ड अधिकारी द्वारा स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त उपलब्ध सूचना के आधार पर शंकर नगर चौराहे पर स्थित ट्रांसफार्मर से उक्त मोहल्ले को विद्युत आपूर्ति की जाती थी परन्तु इसके अतिभारित होने के कारण माह फरवरी, 2012 में 11 के0वी0 लाइन बनाकर 250 का एक अतिरिक्त ट्रांसफार्मर मड़ई का पुरवा (माया नगर) पर स्थापित किया गया, जिसे माह जुलाई, 2012 में भार स्थापित एवं ऊर्जीकृत कर सम्बन्धित क्षेत्र को विद्युत आपूर्ति दी जा रही है जिससे उक्त क्षेत्र की विद्युत समस्या का निदान हो गया है। वर्तमान में यह परिवर्तक अतिभारित नहीं है एवं लो-वोल्टेज की कोई समस्या भी नहीं है। उक्त पत्र में दर्शित माया नगर मोहल्ले को भी मड़ई का पुरवा में स्थापित 250 का अतिरिक्त ट्रांसफार्मर से विद्युत आपूर्ति दी जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आगरा के ग्राम कौलक्खा में विद्युत सब-स्टेशन का निर्माण कराये जाने की मांग

130-श्री काली चरन सुमन-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में ग्राम कौलक्खा में विगत वर्ष 2011 में 33/11 का विद्युत सब स्टेशन बनवाने हेतु धनराशि स्वीकृति की गयी है ? यदि हां, तो उक्त विद्युत सब स्टेशन के निर्माण कार्य आरम्भ करने में बिलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जनपद आगरा में ग्राम कौलक्खा में विगत वर्ष 2011 में 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण करने हेतु एनर्जी टास्कफोर्स समिति, लखनऊ द्वारा स्वीकृति की जा चुकी है।

उक्त प्रस्तावित विद्युत उपकेन्द्र हेतु भूमि की उपलब्धता न हो पाने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका।

जनपद आगरा में देवरी रोड से ग्वालियर रोड तक की क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने की मांग

131-श्री काली चरन सुमन-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में देवरी रोड से कुशवाहा बस्ती तक वाया खेड़ा पचगाई एवं इरादत नगर रोड बीज गोदाम से पचगाई, वाया रोहता ग्वालियर रोड तक की सड़क क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

इरादत नगर रोड बीज गोदाम से पचगाई वाया रोहता ग्वालियर रोड तक की सड़क आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

देवरी रोड से कुशवाहा बस्ती तक वाया खेड़ा पचगाई का स्वामित्व लोक निर्माण विभाग का नहीं है।

इरादत नगर रोड बीज गोदाम से पचगाई वाया रोहता ग्वालियर रोड तक की सड़क की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

132-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

[3सरे शुक्रवार के अता0प्र0सं0-79 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली के कतिपय स्वास्थ्य केन्द्र की बदहाली विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

133-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के विधान सभा क्षेत्र रूधौली में स्थित सी0एच0सी0-भानपुर तथा पी0एच0सी0 अमरौली सुभाली के बदहाली, विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 12-10-2012 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां तो उक्त के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी हां।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भानपुर एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अमरौली सुभाली पर चिकित्सीय व्यवस्था उपलब्ध संशोधनों के माध्यम से सुदृढ़ कर दी गयी है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर संविदा के चिकित्सक भी तैनात कर दिये गये हैं। चिकित्सालय पर तैनात चिकित्साधिकारी एवं अन्य स्टाफ के माध्यम से जनता को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अमरौली सुभाली पर ए0एन0एम0 की तैनाती कर प्रसव की सुविधा उपलब्ध करा दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में घाटे पर चल रही गन्ना समितियों की संख्या एवं उसे उबारने के उपाय

134-श्री दलवीर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में चीनी मिलों से सम्बन्धित कुल कितनी गन्ना समितियां हैं एवं उनमें से कितनी लाभ में और कितनी घाटे में चल रही हैं ? क्या सरकार घाटे में चल रही समितियों को उबारने का प्रयास करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

प्रदेश में कुल 168 गन्ना समितियां कार्यरत हैं, जिनमें से 108 गन्ना समितियां लाभ में और 60 गन्ना समितियां घाटे में चल रही हैं।

आर्थिक रूप से कमजोर गन्ना समितियों को सुदृढ़ किये जाने के सम्बन्ध में निम्न कार्यवाही की गयी है :-

1-आर्थिक रूप से अत्यधिक कमजोर 40 गन्ना समितियों में कार्यरत सरप्लस स्टाफ को आर्थिक रूप से सुदृढ़ गन्ना समितियों में स्थानान्तरित/समायोजित किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

2-गन्ना समितियों द्वारा चीनी मिलों को गन्ना आपूर्ति पर अवशेष कमीशन के भुगतान हेतु कार्यवाही की गयी है।

3-घाटे में चल रही गन्ना समितियों के अतिदेयों के वसूली हेतु प्रभावी कार्यवाही की गयी है।

4-गन्ना समितियों को वर्तमान में निर्धारित गन्ना मूल्य के सापेक्ष गन्ना आपूर्ति पर प्राप्त होने वाले तीन प्रतिशत कमीशन में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है जिससे घाटे वाली गन्ना समितियों की वित्तीय स्थिति में सुधार हो रहा है।

जनपद संत कबीर नगर में लोक निर्माण विभाग को सड़कों की मरम्मत आदि हेतु उपलब्ध धनराशि एवं कराये गये कार्यों की जानकारी

135-डा0 मो0 अयूब-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद संत कबीर नगर में वर्ष 2012-13 में प्रदेश सरकार द्वारा लोक निर्माण विभाग प्रान्तीय खण्ड-एक तथा प्रान्तीय खण्ड-2 को सड़कों की मरम्मत एवं नई सड़कों के निर्माण हेतु कितना धन उपलब्ध कराया गया ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त धन से किन-किन मार्गों की मरम्मत की गयी तथा कितने नये मार्ग बनाये गये ? उक्त मार्गों पर परियोजनावार प्रत्येक पर कितना धन खर्च हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जनपद संत कबीर नगर में वर्ष 2012-13 में लोक निर्माण विभाग प्रान्तीय खण्ड-1 तथा प्रान्तीय खण्ड-2 (निर्माण खण्ड-2) की सड़कों की मरम्मत हेतु क्रमशः रु0 511.87 लाख एवं रु0 309.24 लाख तथा नई सड़कों के निर्माण हेतु क्रमशः रु0 186.9 लाख व रु0 479.24 लाख स्वीकृत किया गया।

स्वीकृत की गई धनराशि से दिनांक 15-2-13 तक 100 मार्गों की मरम्मत की गई तथा 03 नये मार्ग बनाये गये एवं 22 कार्य प्रगति में है। (सूची संलग्न)[†]

मरम्मत कराये गये कार्यों पर कुल रु0 552.29 लाख तथा नई सड़कों के निर्माण पर रु0 303.22 लाख का व्यय किया गया। (सूची संलग्न)

प्रश्न नहीं उठता।

[†] (देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ-244-254 पर।)

जनपद संत कबीर नगर के विकास खण्ड ग्राम सेमरियावां में कन्या विद्यालय एवं अस्पताल के करीब शराब की दुकान को हटवाये जाने की मांग

136-डा0 मो0 अयूब-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद संत कबीर नगर के विकास खण्ड एवं ग्राम सेमरियावां में स्थित शराब की दुकान के बगल दक्षिण की तरफ 05 मीटर की दूरी पर प्राथमिक कन्या विद्यालय तथा दक्षिण पश्चिम की तरफ लगभग 20 मीटर की दूरी पर सरकारी यूनानी अस्पताल तथा पश्चिम उत्तर की तरफ कुछ दूरी पर जामा मस्जिद और अरबिया मदरसा स्थित है तथा ग्राम पंचायत दरिया बाद के दारुल उलूम इस्लामिया के बगल में बस्ती मेंहदीवल मार्ग पर लकड़ी की गुमटी में रख कर शराब की बिक्री हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार आबकारी नीतियों के विरुद्ध संचालित उक्त शराब की दुकानों को हटवाएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

देशी शराब दुकान सेमरियावां अपने वर्तमान चौहद्दी पर वर्ष 1967 से स्थापित है। प्राइमरी पाठशाला की स्थापना वर्ष 1986 में हुई है। दुकान का गेट पहले जहां था प्राइमरी पाठशाला की स्थापना के बाद उस गेट को बन्द कर दिया गया। वर्तमान में दुकान तीन तरफ से बन्द एक मकान के अन्दर स्थित है जिसका गेट उत्तर तरफ सड़क पर खुलता है। प्राइमरी पाठशाला के मुख्य द्वार से देशी शराब दुकान सेमरियावां की दूरी नियमोचित न होने के कारण उक्त देशी शराब दुकान तत्काल प्रभाव से बन्द करा दी गई है।

ग्राम पंचायत दूधारा के अन्तर्गत दूधारा नाम से स्वीकृत देशी शराब दुकान दरियाबाद ग्राम पंचायत के बार्डर पर अस्थायी रूप से दुकान न मिलने के कारण एक गुमटी में चलाई जा रही है। यद्यपि जामिया, इस्लामियां मदरसा से उक्त देशी शराब दुकान की दूरी व चौहद्दी नियमों के अनुरूप है तथापि लकड़ी की गुमटी में दुकान का संचालन नियमोचित न होने के कारण इसे तत्काल प्रभाव से बन्द करा दिया गया है।

उक्त दोनों देशी शराब दुकानों को तत्काल प्रभाव से बन्द करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रूदौली में पुलियों का निर्माण कराये जाने विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

137-श्री रामचन्द्र यादव-

31-01-2013ए 137-क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र रूदौली, फैजाबाद में 03 पुलियों का निर्माण कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का मुख्य मंत्री को सम्बोधित पत्र दिनांक 24-04-2012 पर दिनांक 18-06-2012 को प्रमुख अभियन्ता (विकास), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित गंगरैला-चकपुरवा-सुल्तानपुर सम्पर्क मार्ग पर भंवरे नाला पर पुलिया निर्माण का कार्य व रसूलपुर-बेतौली मार्ग पर मड़हा नाले पर पुल निर्माण हेतु आगणन गठन का कार्य प्रक्रियाधीन है, जिसकी परीक्षणोपरान्त स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

रूदौली-गौरियामऊ सम्पर्क मार्ग पर ऐहार राजवहा में सिंचाई विभाग से सम्बन्धित दो पुलियों में से एक रूदौली में ऐहार राजवहा के कि0मी0 4.00 पर निर्मित है। जिस पर निर्बाध रूप से आवागमन हो रहा है तथा 2.10 कि0मी0 पर दूसरी पुलिया है जो कि वर्तमान में टूटी है एवं उक्त का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बाराबंकी के राजघाट सुबेहा के पीपे के पुल को स्थानान्तरित कराये जाने विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

138-श्री रामचन्द्र यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी में राजघाट सुबेहा में बने पीपे के पुल को सिल्हौर में गोमती नदी पर स्थानान्तरित कराये जाने विषयक मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 19-07-12 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

देबीगंज सुबेहा मार्ग के कि0मी0 48 में राजघाट पर पक्के सेतु एवं पहुंच मार्ग का कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। इस कारण यातायात पान्टून पुल से ही संचालित हो रहा है। अतः पीपे के पुल को स्थानान्तरित कराने की कार्यवाही नहीं की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार।

पूर्वांचल में मस्तिष्क ज्वर से विकलांग एवं मृत्यु पर आर्थिक सहायता दिये जाने की व्यवस्था

139-श्री राजेश त्रिपाठी-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वांचल के क्षेत्रों में महामारी का रूप ले चुके मस्तिष्क ज्वर से पीड़ित मरीजों की मृत्यु पर सरकार ने मुआवजा तथा विकलांग होने पर आर्थिक सहायता देने की कोई कार्य योजना बनायी है ? यदि हां, तो इसे कब से लागू किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी हां। मस्तिष्क ज्वर से पीड़ित मरीजों की मृत्यु पर सरकार द्वारा मुआवजा तथा विकलांग होने पर आर्थिक सहायता दिये जाने की व्यवस्था की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत जिलाधिकारी के

माध्यम से जे0ई0/ए0ई0एस0 से मृत्यु होने पर रु0 50,000/- (रु0 पचास हजार) व विकलांगता से ग्रसित होने पर रु0 1,00,000/- (रु0 एक लाख) प्रति प्रभावित परिवार को उपलब्ध कराया जायेगा जिसमें रु0 50,000/- (रु0 पचास हजार) तुरन्त उपलब्ध कराया जायेगा तथा शेष रु0 50,000/- (रु0 पचास हजार) की धनराशि प्रभावित परिवार के बच्चे की शिक्षा/विवाह के प्रयोजन हेतु उपलब्ध रहेगी। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 में रु0 5,00,00,000/- (रु0 पांच करोड़) की धनराशि की व्यवस्था की गयी है।

यह आर्थिक सहायता प्रदेश के जे0ई0/ए0ई0एस0 वर्ष 2012-13 में प्रभावित होने पर मृत्यु अथवा विकलांगता से ग्रसित होने पर अनुमन्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर मण्डल में बाढ़ से बचाव के उपाय

140-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर मण्डल में प्रति वर्ष आधे से अधिक जनसंख्या बाढ़ की विभीषिका से अत्याधिक प्रभावित होती है ? यदि हां, तो सरकार बाढ़ की विभीषिका से बचाव हेतु कोई ठोस कदम उठायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

बाढ़ की विभीषिका से बचाव हेतु नदियों के किनारे तटबन्ध तथा इन पर आवश्यकतानुसार कटाव निरोधक कार्य भी निर्मित है। तटबन्धों एवं कटाव निरोधक कार्यों के मरम्मत का कार्य प्रतिवर्ष आवश्यकतानुसार कराया जाता है।

बाढ़ से संवेदनशीलता के दृष्टिगत प्रतिवर्ष बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों के निर्माण एवं रख-रखाव का कार्य कराया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चौरी-चौरा के सहकारी समितियों के जर्जर गोदामों का पुनर्निर्माण कराये जाने की मांग

141-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला-गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चौरी-चौरा के अन्तर्गत किन सहकारी समितियों के जर्जर गोदामों का जीर्णोद्धार कराया जाना प्रस्तावित है ? क्या सरकार उक्त गोदामों का पुनर्निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

वर्तमान वर्ष में सहकारी समितियों के गोदामों के जीर्णोद्धार हेतु कोई योजना नहीं है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के ग्रामों व मजरों का विद्युतीकरण कराये जाने की मांग

142-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी में कुल कितने ग्रामों व मजरों में विद्युतीकरण का कार्य हो चुका है एवं कितने इससे वंचित हैं ? क्या सरकार वंचित ग्रामों व मजरों का विद्युतीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी में कुल 435 ग्रामों/मजरों का विद्युतीकरण कराया जा चुका है तथा 684 ग्राम/मजरे विद्युतीकरण से वंचित हैं।

जनपद खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के 300 से अधिक आबादी (2001 की जनगणना के अनुसार) वाले अविद्युतीकृत ग्रामों/मजरों को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (द्वितीय चरण) में आच्छादित किया गया है। भारत सरकार द्वारा डी0पी0आर0 स्वीकृत हो चुकी है। निविदा निस्तारण प्रक्रियाधीन है।

निविदा निस्तारण तथा भरत सरकार से धन प्राप्त होने के उपरान्त वर्ष 2015 में उपरोक्त अविद्युतीकृत ग्रामों/मजरों का विद्युतीकरण संभव होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के स्वास्थ्य केन्द्रों पर दवायें उपलब्ध कराये जाने की मांग

143-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर एलोपैथिक दवाओं का अभाव है ? यदि हां, तो क्या सरकार उन केन्द्रों पर आवश्यकतानुसार दवायें उपलब्ध कराने का निर्देश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि एलोपैथिक दवाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) औषधियां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं।

जनपद लखीमपुर खीरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक्स-रे व अन्य जांच उपकरण उपलब्ध कराये जाने की मांग

144-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खमरिया ईसानगर व धौरहरा में एक्स-रे व अन्य जांच उपकरण न होने से मरीजों को काफी असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार तीनों स्वास्थ्य केन्द्रों पर

एक्स-रे व अन्य जांच उपकरण उपलब्ध कराने का निर्देश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड ईसानगर में स्थापित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खमरिया तथा विकास खण्ड, धौरहरा में स्थापित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, धौरहरा में एक्स-रे मशीन स्थापित है और उक्त दोनों सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्थापित एक्स-रे मशीनें क्रियाशील है।

वर्तमान में प्रश्नगत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अन्य जांच उपकरण उपलब्ध कराये जाने की योजना प्रस्तावित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपकरणों की स्थापना वित्तीय तथा प्रशिक्षित मानव संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

जनपद लखीमपुर खीरी निर्माण एवं मरम्मत कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि से कराये गये कार्यों की जानकारी

145-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी में वित्तीय वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 में कुल कितना धन निर्माण तथा मरम्मत कार्य हेतु आवंटित हुआ था तथा उसके सापेक्ष विधान सभा क्षेत्रवार कौन-कौन सी सड़कों, पुल/पुलिया का निर्माण तथा मरम्मत कार्य कराया गया तथा उसमें कितनी धनराशि व्यय की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

वित्तीय वर्ष 2010-11 में रु0 13575.45 लाख निर्माण तथा रु0 3419.01 लाख मरम्मत कार्यों पर तथा वित्तीय वर्ष 2011-12 में रु0 10105.67 लाख निर्माण तथा रु0 3980.63 लाख मरम्मत कार्यों पर आवंटित हुआ। (कार्यों एवं धनराशि से सम्बन्धित सूची संलग्न है।)[†]

उपर्युक्तानुसार।

जनपद रमाबाई नगर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरा के ब्लाक राजपुर के ग्राम रमऊ में मकानों के ऊपर जा रही हाई वोल्टेज लाइन को हटवाये जाने की मांग

146-श्री इन्द्रपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रमाबाई नगर के विधान सभा क्षेत्र 207 सिकन्दरा के ब्लाक राजपुर के ग्राम रमऊ में मकानों के ऊपर से 11 (ग्यारह) हजार वोल्टेज की विद्युत लाइन संचालित होने से खतरा बना रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे गांव से बाहर स्थानान्तरित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

विद्युत लाइन निर्मित होने के पश्चात् प्रश्नगत गांव में लोगों द्वारा लाइन के नीचे मकान बना लिये हैं।

[†] (छापी नहीं गयी)।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

लाइन का निर्माण होने के उपरान्त स्थानीय लोगों द्वारा प्रश्नगत निर्माण कार्य कराया गया है, फिर भी तकनीकी दृष्टि से सम्भव होने पर उक्त कार्य पर आने वाले व्यय की धनराशि जमा करने पर लाइन की शिफ्टिंग किया जाना सम्भव हो सकता है।

जनपद रमाबाई नगर के सिकन्दरा झींझक मार्ग के बिछियापुर तक क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने की मांग

147-श्री इन्द्रपाल सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रमाबाईनगर के सिकन्दरा झींझक मार्ग से बिछियापुर गांव तक करीब 10 वर्ष पूर्व डामरयुक्त निर्मित मार्ग वर्तमान समय में क्षतिग्रस्त हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां, मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

मार्ग की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रमाबाई नगर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरा के विलासपुर वांगर में नया ट्रान्सफार्मर लगवाये जाने की मांग

148-श्री इन्द्रपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रमाबाईनगर के सिकन्दरा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित विलासपुर वांगर में चार-पांच माह से जले ट्रान्सफार्मर को ठीक कराने हेतु ग्राम प्रधान व जनता द्वारा शिकायत करने के बावजूद अभी तक ठीक नहीं हो पाया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गांव में नया ट्रान्सफार्मर लगवाएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

10 दिसम्बर, 2012 को ट्रान्सफार्मर बदल दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण की नीति तथा इसे रोकने के उपाय

149-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण की नीति क्या है ? क्या सरकार बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए कोई उपाय करेगी ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

प्रदेश में बढ़ती हुई आबादी को एक समय-सीमा के अन्तर्गत नियंत्रित करने तथा प्रदेश में जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की तर्ज पर प्रदेश की अपनी जनसंख्या नीति वर्ष 2000 में प्रख्यापित की गई है, जिसके अन्तर्गत वर्ष 2016 तक कुल प्रजनन दर को 2.1 के स्तर तक लाना है, जो कि वर्तमान में 3.8 (एन0एफ0एच0एस0-III) हैं।

बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिये उपाय पूर्व से ही किये जा रहे हैं।

जनसंख्या पर नियंत्रण हेतु सरकार द्वारा प्रदेश में परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नवत् गतिविधियां संचालित की जा रही है :--

अन्तराल विधियां-

- सेवा केन्द्रों पर खाने वाली गर्भ निरोधक गोलियों का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है।
- सेवा केन्द्रों पर निरोध का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है।
- सेवा केन्द्रों पर निःशुल्क आई0यू0डी0 380 ए का निवेशन किया जा रहा है, जो 10 वर्ष तक प्रभावी होती है।
- हाल ही में प्रदेश के 45 चयनित जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों के द्वार तक गर्भ निरोधक सामग्री का वितरण ''आशा'' कार्यकत्रियों द्वारा किये जाने की योजना प्रारम्भ की गयी है।

स्थायी विधियां-

- जिला महिला/पुरुष चिकित्सालय, संयुक्त चिकित्सालय व मेडिकल कालेजों में नियमित रूप से तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों व ब्लाक स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर नियत दिवस पर निःशुल्क महिला एवं पुरुष नसबन्दी की सेवायें प्रदान की जाती हैं।

अन्य गतिविधियां-

- प्रत्येक पुरुष नसबन्दी स्वीकारकर्ता को रु0 1100/- की धनराशि तथा प्रत्येक महिला नसबन्दी स्वीकारकर्ता को रु0 600/- की धनराशि क्षतिपूर्ति के रूप में उपलब्ध करवाई जा रही है।
- परिवार कल्याण कार्यक्रम में निजी क्षेत्र की सहभागिता हेतु जनपदों को अलग से धनराशि उपलब्ध करवाई जा रही है।
- नसबन्दी कार्यक्रम में पुरुषों व सहभागिता बढ़ाये जाने हेतु जनपदों में एन0एस0वी0 शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।
- सुदूर क्षेत्रों में नसबन्दी शिविरों का आयोजन किया जाता है।
- प्रसव उपरान्त महिलाओं को नसबन्दी करवाने अथवा अन्य परिवार नियोजन विधियों के सम्बन्ध में सलाह प्रदान करने हेतु चयनित सेवा केन्द्रों पर संविदा पर फैमिली वेलफेयर काउन्सलर की तैनाती की गयी है।

- नसबन्दी (महिला एवं पुरुष) स्वीकारकर्ताओं हेतु नसबन्दी उपरान्त मृत्यु, असफल नसबन्दी व नसबन्दी उपरान्त जटिलताओं हेतु परिवार नियोजन बीमा योजना के अन्तर्गत आई0सी0आई0सी0आई0 लोम्बार्ड बीमा कम्पनी के माध्यम से क्षतिपूर्ति की व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक भावल खेड़ा के खराब पड़े ट्रान्सफार्मर खम्बे व तार बदलवाये जाने की मांग

150-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार शाहजहांपुर के ब्लाक भावलखेड़ा व ददरौल में मोहम्मदी रोड पुवायां रोड तथा निगोही रोड के खराब ट्रांसफार्मरों, टूटे खम्भे व तार बदलवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

शाहजहांपुर के ब्लाक भावलखेड़ा व ददरौल में मोहम्मदी रोड पर 63 के0पी0ए0 पुवायां रोड पर (250+250+100+63) कुल 4 नं0 तथा निगोही रोड पर (63+25+25) कुल 3 नं0 परिवर्तक वर्तमान में स्थापित है तथा सभी ट्रांसफार्मर कार्यशील हैं। प्रश्नगत क्षेत्र के टूटे खम्भे व तार बदलवाए जायेंगे।

उक्त कार्य बिजनेस प्लान 2013-14 में सम्मिलित कर जून, 2013 तक पूर्ण कराया जाना सम्भावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के जलालाबाद से कलान वाली क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने की मांग

151-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जनपद शाहजहांपुर में जलालाबाद से कोलाघाट होती हुई मिर्जापुर तथा कलान वाली क्षतिग्रस्त रोड की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जलालाबाद ढाई घाट मार्ग के कि0मी0 2 को छोड़कर कि0मी0 1 से 7 तक की मरम्मत का कार्य दैवीय आपदा एवं बाढ़ राहत निधि के अन्तर्गत स्वीकृत है। जरियनपुर लिंक मार्ग लम्बाई 1.13 कि0मी0 एवं मुरादाबाद, फर्रूखाबाद मार्ग के कि0मी0 142 से 170 (लम्बाई 28.00 कि0मी0) की सामान्य दशा संतोषजनक है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद रमाबाई नगर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरा में निजी नलकूपों को विद्युत कनेक्शन दिलाये जाने की मांग

152-श्री इन्द्रपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रमाबाई नगर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरा में कितने निजी नलकूपों हेतु आवेदन लम्बित हैं ? क्या सरकार इन्हें निस्तारित कराकर किसानों को विद्युत कनेक्शन दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद रमाबाई नगर के सिकन्दरा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वर्तमान में सामान्य योजना के अन्तर्गत निजी नलकूपों हेतु 116 अदद् एवं पूर्ण जमा योजना के अन्तर्गत 36 अदद् (कुज 152 अदद्) आवेदन-पत्र लम्बित है।

सामान्य योजना के अन्तर्गत आगामी वित्तीय वर्षों में प्राप्त लक्ष्य के सापेक्ष संयोजन निर्गत कर दिये जायेंगे। पूर्ण जमा योजना के अन्तर्गत आवेदक द्वारा प्राक्कलन राशि जमा करने एवं अनुबन्ध सम्बन्धी औपचारिकतायें पूर्ण कराने के उपरान्त खण्ड द्वारा तत्काल संयोजन निर्गत कर दिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रमाबाई नगर के ग्राम पंचायत तुतुआपुर के कतिपय मजरों का विद्युतीकरण कराये जाने की मांग

153-श्री इन्द्रपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रमाबाई नगर, ब्लाक सन्दलपुर स्थित ग्राम पंचायत तुतुआपुर का विद्युतीकरण हो चुका है और उससे जुड़े मजरों मंशापुर व नन्दरामपुर में विद्युतीकरण नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मजरों का विद्युतीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जनपद रमाबाई नगर, ब्लाक सन्दलपुर स्थित ग्राम पंचायत तुतुआपुर से जुड़े मजरे मंशापुर राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना द्वितीय चरण में चयनित है। डी0पी0आर0 भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित है। भारत सरकार से डी0पी0आर0 की स्वीकृति एवं धन प्राप्त होने पर विद्युतीकरण करा दिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद औरैया के विधान सभा क्षेत्र दिबियापुर के रजवाहा की सफाई कराये जाने की मांग

154-श्री इन्द्रपाल सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद औरैया के विधान सभा क्षेत्र दिबियापुर के अन्तर्गत रजवाहा मुहम्मदाबाद में अधिक सिल्ट जमा हो जाने से टेल तक पानी नहीं पहुंचने से सिंचाई

प्रभावित होती है ? यदि हां, तो क्य सरकार टेल तक पानी पहुंचाने की समुचित व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

रबी 1420 फसली में सिल्ट सफाई कराई गई है और राजवाहा में टेल तक पानी पहुंच रहा है।

जनपद रमाबाई नगर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरा के मजरों का विद्युतीकरण कराये जाने की मांग

155-श्री इन्द्रपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रमाबाई नगर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरा में कितने गांव ऐसे हैं जिनके मजरों में विद्युतीकरण नहीं हुआ ? क्या सरकार शेष मजरों का विद्युतीकरण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

अविद्युतीकरण गांव की संख्या-132।

शेष मजरे जिनकी आबादी 300 से अधिक है। उनका विद्युतीकरण राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना-द्वितीय चरण के अन्तर्गत प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रमाबाई नगर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरा के अमराहट पम्प नहर की क्षमता बढ़ाये जाने की मांग

156-श्री इन्द्रपाल सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रमाबाई नगर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरा में संचालित अमराहट पम्प नहर योजना की क्षमता वृद्धि कर दुगुना करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

अमराहट पम्प नही फेज-2, 300 क्यूसेक क्षमता की एक अतिरिक्त पम्प नहर निर्माणाधीन है।

जनपद मेरठ के राजस्व ग्राम दतावली गेसूपुर में तालाब की भूमि को मेसर्स बैकटेश्वर इंजीनियरिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर द्वारा मल्टी बिल्डिंग बनाये जाने की जांच कर कार्यवाही की मांग

157-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ में गढ़ रोड पर मेडिकल कालेज के निकट मां भद्रकाली मन्दिर के सामने राजस्व ग्राम-दतावली गेसूपुर स्थित नगर निगम की निहित सम्पत्ति खसरा सं0 949, रकबा 7330 वर्ग मीटर राजस्व अभिलेखों में जोहड़ (तालाब) अंकित है ? यदि हां,

तो क्या सरकार को जानकारी है कि इस भूमि को आवास विकास परिषद् द्वारा श्री सुधीर गिरि को दिनांक 30-10-12 को बेच दिया गया है तथा इस पर मेसर्स बैंकटेश्वर इंजीनियरिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर द्वारा मल्टी बिल्डिंग बनायी जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार निर्माण रुकवाकर प्रकरण की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् द्वारा जनपद मेरठ में गढ़मुक्तेश्वर मार्ग पर मेडिकल कालेज के सामने स्थित भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना संख्या-6 में समाविष्ट ग्राम दतावली गेसूपुर का खसरा संख्या-949क रकबा 0.19 है0 (190व0मी0) राजस्व अभिलेखों में आवास विकास परिषद् के नाम, खसरा सं0-949ख रकबा 0.633 है0 (633व0मी0) राजस्व अभिलेखों में जोहड़ (तालाब) तथा खसरा सं0-949ख (मि0) रकबा 0.10 है0 (1000व0मी0) राजस्व अभिलेखों में धर्मशाला/अस्पताल दर्ज है।

आवास एवं विकास परिषद् द्वारा खसरा संख्या-945 रकबा 4890 वर्गमी0 तथा खसरा संख्या-949क रकबा 292.77 वर्गमीटर कुल योग 5182.77 वर्ग मी0 मेसर्स बैंकटेश्वर इंजीनियरिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर को विक्रय की गयी है, जो कि परिषद् की कब्जा प्राप्त भूमि है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मेरठ में विद्युत विभाग अधिशासी अभियन्ता द्वारा डा0 अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के चयनित ग्रामों का विद्युतीकरण कराये जाने सम्बन्धी जानकारी

158-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ में विद्युत विभाग अधिशासी अभियंता खण्ड-2 द्वारा वर्ष 2007-08 में डा0 अम्बेडकर ग्राम विकास योजना में चयनित ग्रामों का विद्युतीकरण कराया गया था ? यदि हां, तो क्या सभी ग्रामों का विद्युतीकरण कार्य पूर्ण हो चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

वर्ष 2007-08 में डा0 अम्बेडकर ग्राम विकास योजना में कुल 10 ग्राम चयनित किये गये थे कैली, मुल्हैड़ा, छुर एवं कालन्दी को छोड़कर शेष कपसाड़, अटेरना, ज्वालागढ़, सलावा, झिटकरी, कुलन्जन चयनित ग्रामों का पूर्ण रूप से विद्युतीकरण कराकर संतृप्तीकरण किया गया।

इन शेष ग्रामों का विद्युतीकरण का कार्य चेकिंग के दौरान अपूर्ण पाया गया जिसके लिये कार्यदायी संस्था के विरुद्ध पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। आर0ई0सी0 द्वारा शेष समस्त गांवों की विद्युतीकरण हेतु केन्द्र सरकार की बारहवीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्ताव दिया गया है। जिसके लागू होने पर उक्त गांवों का भी पूर्ण विद्युतीकरण करा लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

मेरठ विकास प्राधिकरण की आवासीय कालोनी रक्षापुरम् में सामुदायिक भवन से सम्बन्धित पत्र पर कार्यवाही

159-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ विकास प्राधिकरण की आवासीय कालोनी रक्षापुरम् के सेक्टर-04 में सामुदायिक भवन से सम्बन्धित मुख्य मंत्री कार्यालय में कम्प्यूटर संख्या-पी0जी0 10028003 पर दर्ज प्रश्नकर्ता का पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

मेरठ विकास प्राधिकरण की आवासीय कालोनी रक्षापुरम् से वसूले गये अनुरक्षण शुल्क सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

160-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ विकास प्राधिकरण की आवासीय कालोनी रक्षापुरम् के निवासियों से वसूले गये अनुरक्षण शुल्क के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री कार्यालय में कम्प्यूटर संख्या पी0जी0 10025876 पर दर्ज प्रश्नकर्ता का पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

मेरठ विकास प्राधिकरण के पत्र संख्या-356 दिनांक 20-6-2012 द्वारा स्थिति से मा0 सदस्य को अवगत करा दिया गया है। प्रश्नगत योजना भू-खण्ड विकास योजना के रूप में विकसित की गई है। लगभग 20 प्रतिशत भू-खण्डों पर आवंटियों द्वारा भवनों का निर्माण किया गया है जिनसे अनुरक्षण शुल्क की मद में प्रारम्भ में प्राप्त धनराशि काफी कम होने के कारण अलग से आय में लेखा हेड नहीं था। वित्तीय वर्ष 2011-12 में रु0 16,951.00 मात्र अनुरक्षण शुल्क के रूप में प्राप्त हुए हैं, जिसके विपरीत कालोनी के अनुरक्षण पर प्राधिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 में रु0 9,77,590.00 की धनराशि व्यय की गई है। प्राधिकरण द्वारा योजना के सीवर, जलापूर्ति, नाली सफाई एवं पार्कों का रख-रखाव किया जा रहा है जो आवंटियों से अनुरक्षण मद में प्राप्त धनराशि से अधिक है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में झोलाछाप डाक्टरों के सन्दर्भ में प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

161-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में झोलाछाप डाक्टरों के सन्दर्भ में प्रश्नकर्ता का पत्र मुख्य मंत्री कार्यालय में कम्प्यूटर संख्या पी0जी0 10040051 पर दर्ज है ? यदि हां, तो उस पत्र पर क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी हां।

डा0 सुशील कुमार शर्मा द्वारा गैर कानूनी चिकित्सा व्यवसाय में लिप्त होने व जनता के साथ धोखाधड़ी करने के कारण उनके विरुद्ध थाना देहली गेट, मेरठ में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद इलाहाबाद की तहसील मेजा के महुली में काले हिरनों की सुरक्षा हेतु बाउन्ड्रीवाल बनाये जाने की मांग

162-श्री गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के तहसील मेजा स्थित महुली के जंगल में दुर्लभ प्रजाति के काले हिरनों की संख्या लगभग 500 है ? यदि हां, तो क्या सरकार इनकी सुरक्षा व रख-रखाव को दृष्टिगत रखते हुए उक्त क्षेत्र में बाउन्ड्रीवाल बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

इलाहाबाद जनपद के मेजा तहसील के अन्तर्गत महुली नाम का कोई वन ब्लाक या जंगल नहीं है। वन्य जीव गणना 2011 के अनुसार जनपद इलाहाबाद की मेजा तहसील के महुली ग्राम के आस-पास गड़ेरिया, बड्डीहा व चांदपुर खम्हरिया वन खण्ड है। इन वन खण्डों में 404 काले हिरन हैं।

काला हिरन सदियों से मानव जाति के साथ सह-अस्तित्व में है। अतएव काला हिरन के संरक्षण के दृष्टिगत बाउन्ड्रीवाल का निर्माण प्राकृतवास विकास के सिद्धान्त के अनुकूल नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गोरखपुर की तहसील कैम्पियरगंज की ग्राम सभा कल्याणपुर में स्वीकृत विद्युत स्टेशन का निर्माण कराये जाने की मांग

163-श्री फतेह बहादुर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर की तहसील-कैम्पियरगंज की ग्राम सभा-कल्याणपुर में 132 यहां विद्युत स्टेशन बनाने हेतु दो वर्ष पूर्व 2.5 एकड़ निःशुल्क भूमि विभाग के नाम दर्ज करा दी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा विद्युत प्रणाली में सुधार हेतु उक्त स्थान पर विद्युत स्टेशन को स्वीकृत कर निर्माण कार्य प्रारम्भ करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

132 के0वी0 विद्युत केन्द्र के लिए 3.5 एकड़ भूमि की आवश्यकता है। अब तक 2.5 एकड़ भूमि प्राप्त हो गई है, शेष 01 एकड़ भूमि प्राप्त होने पर कार्य प्रारम्भ किया जाना संभव हो सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वांचल में बाढ़ एवं पश्चिम में सूखे के दृष्टिगत नदियों एवं नहरों को जोड़ने की कार्य योजना सम्बन्धी जानकारी

164-श्री वीरपाल राठी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के अन्तर्गत पूर्वांचल में बाढ़ एवं पश्चिम में सूखा को देखते हुए क्या नदियों एवं नहरों को जोड़ने की कोई कार्य योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो योजना की रूप रेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

बाढ़ एवं सूखे से निपटने के लिए नदियों पर बैराज बनाकर फीडर चैनल के माध्यम से जोड़कर एक नदी के अधिक पानी को दूसरी नदी में डालकर बाढ़ नियंत्रण के साथ-साथ सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाता है। पूर्व में निर्मित ऐसी कई परियोजनायें सफलतापूर्वक कार्य कर रही हैं।

जनपद खीरी के ब्लाक मोहम्मदी के कतिपय ग्रामों में ट्रान्सफार्मर बदलवाये जाने की मांग

165-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद खीरी के ब्लाक-मोहम्मदी के अन्तर्गत ग्राम अभय कचनार व इस्लामाबाद में लगे अतिभारित कम क्षमता वाले खराब ट्रान्सफार्मर को हटाकर क्या सरकार 60 का नया ट्रान्सफार्मर लगवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद खीरी के ब्लाक मोहम्मदी के अन्तर्गत ग्राम अभयकचनार में 16 विद्युत कनेक्शन हैं तथा कुल अनुबन्धित भार 32 कि0वा0 है जबकि विद्युत आपूर्ति के लिए ट्रान्सफार्मर की क्षमता 25 है। इस अतिभारित ट्रान्सफार्मर के स्थान पर 63 का ट्रान्सफार्मर लगाया जाना प्रस्तावित है। इस्लामाबाद में विद्युत आपूर्ति हेतु लगे ट्रान्सफार्मर की क्षमता 250 है जिसमें इस ग्राम के साथ-साथ मोहम्मदी टाउन की अन्य बस्तियों को भी विद्युत आपूर्ति होती है। आर0ए0पी0डी0आर0पी0 योजना के अन्तर्गत इस ट्रान्सफार्मर की अतिभारित को दूर करने के लिए अतिरिक्त ट्रान्सफार्मर लगाया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में गन्ने की घटतौली रोकने के उपाय

166-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा किसानों के गन्ना तौल में घटतौली की शिकायतें सरकार के संज्ञान में आई है ? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों के गन्ने की सही तौल कराने के लिए कोई कारगर उपाय करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार किसानों के गन्ने की घटतौली के जिम्मेदार चीनी मिलों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

चीनी मिलों द्वारा की जाने वाली घटतौली पर प्रभावी नियंत्रण रखने एवं गन्ना तौल सही ढंग से कराने हेतु विभागीय नियमों में गन्ना क्रय केन्द्रों के निरीक्षण की व्यवस्था है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत गन्ना एवं चीनी आयुक्त द्वारा प्रत्येक वर्ष विभागीय अधिकारियों, सांसदों/विधायकों तथा अन्य जनप्रतिनिधियों को क्रय केन्द्रों के निरीक्षण के अधिकार दिये जाते हैं तथा निरीक्षण व्यवस्था को प्रभावी बनाये रखने हेतु यथा आवश्यकता अन्तर्क्षेत्रीय जांच दलों का गठन किया जाता है।

गन्ना सूचना प्रणाली से सम्बन्धित अधिसूचना दिनांक 13-2-2013 द्वारा कृषकों को वेबसाइट, एस0एम0एस0, हस्तधारित कम्प्यूटर, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, इलेक्ट्रानिक तौल कांटा आदि के माध्यम से सर्वेक्षण, पर्ची निष्कासन, तौल, भुगतान आदि की सूचना उपलब्ध कराने के लिए मिल द्वारा किये गये प्रयास को संज्ञान में रखते हुए गन्ना आयुक्त द्वारा चीनी मिल का क्षेत्र सुरक्षित अथवा अभ्यर्पित किये जाने की व्यवस्था की गयी है। उक्त व्यवस्था किसानों को सही तौल की त्वरित सूचना के साथ घटतौली पर नियंत्रण हेतु कारगर है।

पेराई सत्र, 2012-2013 में दिनांक 15-2-2013 तक चीनी मिलों के गन्ना क्रय केन्द्रों के 10155 निरीक्षण किये गये तथा कुल 1309 अनियमिततायें पकड़ी गयीं, जिनमें घटतौली की 289 अनियमिततायें तथा 1020 साधारण अनियमिततायें पायी गयी हैं। वर्तमान में पकड़ी गयी कुल अनियमितताओं में से 269 मामलों में मिल तौल लिपिकों का तौल लाइसेन्स एवं 05 समिति लिपिकों को निलम्बित करते हुए तौल कार्य से हटा दिया गया है तथा 969 मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 02 मामलों में न्यायालयों में वाद दायर किये गये हैं साथ ही 25 मिल कार्मिकों को जिला मजिस्ट्रेट स्तर से दण्डित किया गया है। इसके अतिरिक्त 42 मामलों में दोषी मिलों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की विभिन्न धाराओं तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा-3/7 के अन्तर्गत एफ0आई0आर0 योजित कराई गयी है। गन्ने की सही तौल के लिए हस्तधारित कम्प्यूटर (एच0एच0सी0) का उपयोग किया जा रहा है तथा वर्तमान पेराई सत्र में 25 प्रतिशत मिलों पर इलेक्ट्रानिक तौल कांटे की व्यवस्था की गयी है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की गोमती नगर विस्तार योजना के अधीन निर्मित गंगा यमुना एवं शारदा अपार्टमेन्ट भवनों के निर्माण में जंगली लकड़ी लगाये जाने की जांच

167-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास प्राधिकरण, लखनऊ की गोमती नगर विस्तार योजना के सरस्वती, गंगा व यमुना अपार्टमेंट में एल0 एण्ड टी0 द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों में विज्ञापन में घोषित नीति के विपरीत जंगली लकड़ी (बरान्डी) लगाए जाने की जांच सरकार करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

प्राधिकरण द्वारा विकसित रिवर व्यू इन्क्लेव योजना के अधीन निर्मित गंगा, यमुना, सरस्वती एवं शारदा अपार्टमेन्ट भवनों के पंजीकरण पुस्तिका में 'स्पेशिफिकेशन' शीर्षक के अन्तर्गत अंग्रेजी में

बाहरी दरवाजे एवं खिड़की के चौखट (फ्रेम) हेतु हार्डवुड के प्रयोग का उल्लेख किया गया है। त्रुटिवश इस पुस्तिका में भवनों की विशिष्टियों के अन्तर्गत हिन्दी में बाहरी दीवारों के खिड़की, दरवाजे हेतु हार्डवुड के स्थान पर सालवुड फ्रेम के प्रयोग का उल्लेख किया गया है। इस त्रुटि के लिये सम्बन्धित कार्मिक को सचेत कर दिया गया है।

उक्त भवनों के निर्माण में बाहरी दरवाजे एवं चौखट हेतु हार्डवुड (मेरांती) का प्रयोग किया गया है। इसके सैम्पल की जांच आई0आई0टी0, कानपुर के प्रयोगशाला में करायी गयी थी। उक्त संस्थान द्वारा इस हार्डवुड की गुणवत्ता प्रमाणित की गई है।

उल्लेखनीय है कि साल लकड़ी भी हार्डवुड श्रेणी के अन्तर्गत विनिश्चित है। भवन में प्रयुक्त मेरांती हार्डवुड, साल लकड़ी की गुणवत्ता के समतुल्य है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद मथुरा के यमुना नदी पर मा0 मुख्य मंत्री की घोषणानुसार पुल का निर्माण कराये जाने की स्वीकृति की प्रक्रिया

168-श्री प्रदीप माथुर-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दि0 22 सितम्बर, 2012 को वृन्दावन, जनपद मथुरा आगमन पर मा0 मुख्य मंत्री ने मथुरा में यमुना नदी पर मथुरा-अलीगढ़ मार्ग पर एक और नया पुल वर्तमान पुल के समानान्तर बनाये जाने की घोषणा की थी ? यदि हां, तो उक्त पुल के निर्माण हेतु सरकार द्वारा कितनी धनराशि स्वीकृत तथा अवमुक्त की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

पत्रावली स्वीकृति की प्रक्रिया में है।

उपरोक्तानुसार।

169-श्री प्रदीप माथुर-

[2सरे शुक्रवार के अता0प्र0सं0-79 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

मथुरा-वृन्दावन शहरों की सड़कों के जीर्णोद्धार हेतु मा0 मुख्य मंत्री की घोषणानुसार क्षतिग्रस्त मार्गों के मरम्मत कराये जाने की मांग

170-श्री प्रदीप माथुर-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दि0 22 सितम्बर, 2012 को वृन्दावन, जनपद मथुरा आगमन पर मा0 मुख्य मंत्री ने मथुरा-वृन्दावन शहरों की सड़कों के जीर्णोद्धार हेतु रुपये 08.00 करोड़ की धनराशि दिये जाने की घोषणा की थी ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उक्त धनराशि से कौन-कौन सी सड़कों का जीर्णोद्धार व चौड़ीकरण किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां। मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा मथुरा एवं वृन्दावन के प्रमुख क्षतिग्रस्त मार्गों की रु0 8.00 करोड़ की लागत से मरम्मत कराये जाने की घोषणा की गई है।

संलग्नक में उल्लिखित 25 मार्गों की मरम्मत का कार्य स्वीकृत किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुरादाबाद के गांगन नदी पर रपटा पुल की मरम्मत कराये जाने की मांग

171-श्री अनीसुर्रहमान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र-25 कांठ जनपद मुरादाबाद के ग्राम अदमपुर तथा मघवा खालसा के बीच गांगन नदी पर लगभग 07 वर्ष पूर्व बना रपटा पुल बीच में कई स्थानों पर टूट गया है तथा उसकी साईडों पर एंगिलबार भी नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रपटा पुल की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

जी हां, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मुरादाबाद की तहसील कांठ में विद्युत गृह की स्थापना हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने की मांग

172-श्री अनीसुर्रहमान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील कांठ, जनपद मुरादाबाद में 220 हूंके स्वीकृत विद्युत गृह की स्थापना के लिए लगभग 10 एकड़ भूमि की जरूरत है ? यदि हां, तो क्या सरकार विद्युत गृह की स्थापना के लिए 10 एकड़ भूमि उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

मुरादाबाद नगर एवं निकटवर्ती क्षेत्र के भविष्य में आने वाले विद्युत भार की आवश्यकता की दृष्टिगत छजलैट, तहसील कांठ जनपद मुरादाबाद में एक नग 220 के0वी0 उपकेन्द्र की आवश्यकता है। निर्धारित मानकों के अनुसार 220 के0वी0 उपकेन्द्र के निर्माण हेतु 10 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है परन्तु छजलैट तहसील कांठ जनपद मुरादाबाद में 10 एकड़ भूमि उपलब्ध नहीं है। उपकेन्द्र के भूमि अर्जन हेतु जिला प्रशासन, मुरादाबाद से अनुरोध किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुरादाबाद के कांठ व छजलैट नूरपुर मार्ग की सतह पर सफेद पट्टी एवं रिफ्लेक्टर लगवाये जाने की मांग

173-श्री अनीसुर्रहमान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद के कांठ मार्ग पर सफेद पट्टी तथा रिफ्लेक्टर न होने से ठण्ड व कोहरे के कारण इस वर्ष दुर्घटना स्वरूप काफी लोगों की मृत्यु

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 255 पर।)

हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार कांठ-मुरादाबाद व छजलैट-नूरपुर मार्ग पर सफेद पट्टी एवं रिफ्लेक्टर लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

कांठ-मुरादाबाद व छजलैट-नूरपुर मार्ग पर जनपद मुरादाबाद की सीमा में मार्ग की सतह पर सफेद पट्टी लगी हुई है एवं आवश्यकतानुसार उपयुक्त स्थानों पर रिफ्लेक्टर लगे हुए हैं।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद मुरादाबाद के ग्राम अगवानपुर में पीतल के कार्य हेतु विद्युत बिल महानगर के समान वसूली सम्बन्धी जानकारी

174-श्री अनीसुर्रहमान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुरादाबाद शहर से मात्र 06 कि0मी0 दूर ग्राम अगवानपुर जहां पर पीतल का कार्य किया जाता है, में पूर्व में मुरादाबाद शहर की तरह विद्युत आपूर्ति की जाती थी तथा महानगर के समान विद्युत बिल भी जमा कराये जाते थे ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि अब उक्त ग्राम को ग्रामीण फीडर से विद्युत आपूर्ति की जाती है परन्तु विद्युत बिल महानगर के समान लिया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार जब विद्युत बिल महानगर के समान वसूलती है तो ग्राम अगवानपुर को मुरादाबाद महानगर के समान विद्युत आपूर्ति करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं, क्योंकि ग्राम पंचायत अगवानपुर मुरादाबाद महानगर के वितरण नेटवर्क से नहीं जुड़ा है। अतः ग्राम अगवानपुर को मुरादाबाद महानगर की तरह विद्युत आपूर्ति नहीं दी गयी थी।

ग्रामीण क्षेत्र के विद्युत आपूर्ति के शेड्यूल की विचलन की स्थिति में लागू टैरिफ जो कि नगर पंचायत, तहसील नगरपालिका, जिला मुख्यालय, महानगर मुख्यालय एवं कवाल टाउन को एक श्रेणी में रखा गया है, जिनकी विद्युत दरें समान हैं। तद्नुसार बिल लिये गये थे।

जी नहीं, वर्तमान में ग्रामीण फीडर से ग्रामीण शेड्यूल के विचलन में विद्युत आपूर्ति की जा रही है और तद्नुसार वर्तमान में लागू टैरिफ के अनुसार ही बिल लिये जा रहे हैं।

जी नहीं, उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद महराजगंज की गंडक नहर प्रणाली की सेखुई मदनपुरा माइनर के किसानों की भूमि का मुआवजा देने विषयक पत्र पर कार्यवाही

175-श्री शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 08-06-2012 जो कि जनपद महराजगंज की गंडक नहर प्रणाली की सेखुई मदनपुरा माइनर के ग्राम सेखुई के किसानों की भूमि का मुआवजा देने विषयक था उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

भू-प्रतिकर भुगतान हेतु गणना-चक्र बनाने की कार्यवाही प्रगति में है। गणना-चक्र अन्तिम होने के उपरान्त प्रकरण में नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जाएगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ की तहसील खैर में बाईपास बनाये जाने की मांग

176-श्री भगवती प्रसाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ की तहसील मुख्यालय खैर में मुख्य सड़क पर आये दिन जाम से जनता को निजात दिलाने हेतु खैर में बाईपास बनाये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

खैर में बाईपास के निर्माण हेतु निर्धारित मानकों की पूर्ति नहीं होती है।

प्रदेश में माइनर एवं रजवाहे के टूटने के कारण कृषकों की फसलों का मुआवजा न देकर जुर्माना लगाने एवं जनपद मेरठ में कृषकों को फसलों की बर्बादी का मुआवजा दिलाये जाने की मांग

177-श्री संगीत सिंह सोम-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में माइनर एवं रजवाहों के टूट जाने के कारण फसलें बर्बाद हो जाने के बाद विभाग द्वारा अपनी गलती न मानते हुये किसानों को मुआवजा देने के बजाय किसान को ही दोषी मानते हुये उन पर तमाम रूप में जुर्माना लगा दिया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार को जानकारी है कि जनवरी, 2013 में जनपद मेरठ के माइनर राइट जौली विकास खण्ड सरधना के गांव औरंगनगर रार्धना एवं फुलत माइनर विकास खण्ड मवाना के गांव मीठेपुर में इस प्रकार की घटना से हजारों एकड़ फसलें नष्ट हो गयीं एवं घरों में पानी भर जाने तथा दीवारें धंस जाने से हुये नुकसान की भरपाई हेतु सरकार मुआवजा देने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनवरी, 2013 में जनपद मेरठ के राजवाहा राईट जौली विकास खण्ड सरधना में ग्राम औरंगनगर रार्धना पर सेही नामक जन्तु द्वारा बिल बनाने के फलस्वरूप राजवाहे में शौरी होकर खादी हो गई थी। इस घटना का स्थलीय निरीक्षण कराने के उपरान्त यह ज्ञात हुआ कि मात्र सात कृषकों की फसल की आंशिक क्षति हुई थी। विभागीय नियमों के अनुसार सिंचाई विभाग द्वारा फसलों की क्षति का मुआवजा दिये जाने का प्राविधान नहीं है। फुलत माइनर एवं मवाना के ग्राम मीठेपुर में कोई कटिंग की घटना नहीं हुई।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

लखनऊ के जानकीपुरम् कालोनी के सेक्टर एच में वांछित विकास कार्य कराये जाने की मांग

178-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जानकीपुरम् कालोनी के सेक्टर एच में हस्तान्तरण के उपरान्त से दिसम्बर, 2012 के मध्य सड़क, नाली, सीवर एवं पार्क आदि के निर्माण, मरम्मत एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य एक बार भी नहीं कराया गया है जबकि आवंटियों द्वारा नगर निगम के समस्त करों की अदायगी की जाती है ? यदि हां, तो उक्त सेक्टर में विकास कार्य न कराने के क्या कारण है ? क्या सरकार वांछित विकास कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित जानकीपुरम् योजना, सेक्टर-एच की विभिन्न सेवाओं के नगर निगम, लखनऊ को हस्तान्तरण में उत्पन्न विरोधाभाष के निराकरण हेतु प्राधिकरण एवं नगर निगम द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही की जा रही है। शीघ्र ही निराकरण कर विकास कार्य कराया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

(12 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न प्रहर समाप्त, अब नियम-301 की सूचनायें ली जाती हैं।

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 06-03-2013 को नियम-301 के अन्तर्गत कुल 34 सूचनायें प्राप्त हुईं, जिनमें 16 सूचनायें स्वीकार की गईं।

पहली सूचना श्रीमती कृष्णा पासवान की है।

(मा0 सदस्य का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित रहने पर।)

दूसरी सूचना श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव की वाराणसी से रामनगर जाने वाले मार्ग पर बने पीपे के पुल निर्माण कार्य में की गई अनियमितता के सम्बन्ध में है।

तीसरी सूचना श्री सलिल बिश्नोई की कानपुर महानगर में गम्भीर पेयजल संकट के निराकरण हेतु पुराने खराब पड़े हैण्डपम्पों की रि-बोरिंग कराये जाने एवं नये हैण्डपम्पों को अधिष्ठापन कराये जाने के सम्बन्ध में है।

श्री सलिल बिश्नोई-

मान्यवर, मैं अपनी सूचना पढ़ना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आप पढ़ दें।

(मा0 सदस्य श्री सलिल बिश्नोई द्वारा सदन के समक्ष सूचना पढ़ी गयी।)

श्री अध्यक्ष-

चौथी सूचना श्री त्रिलोकी राम की जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र इगलास में गोण्डा-खैर मार्ग पर बने खुले नाले को सिल्लियों से पाटने के सम्बन्ध में है।

पांचवी सूचना श्री भगवती प्रसाद की जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र खैर में छज्जू नगला से करवल नदी तक नाले का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

छठी सूचना साध्वी सावित्री बाई फूले की जनपद बहराइच की कतिपय तहसीलों में वन विभाग द्वारा विभिन्न ग्राम पंचायतों की भूमि पर कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

साध्वी सावित्री बाई फूले-

मान्यवर, मैं अपनी सूचना पढ़ना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आप पढ़ दें।

(मा0 सदस्य साध्वी सावित्री बाई फूले द्वारा सदन के समक्ष सूचना पढ़ी गयी।)

सातवीं सूचना श्री मो0 आसिफ जाफरी की हैं, ये नहीं हैं। (अनुपस्थित)

आठवीं सूचना श्री अखिलेश प्रताप सिंह की जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रुद्रपुर की कतिपय सड़कों के सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

(मा0 श्री अखिलेश प्रताप सिंह द्वारा स्वयं अपनी सूचना पढ़ी गयी, पढ़ी गयी सूचना संलग्न है)

नौवीं सूचना श्री प्रदीप चौधरी जी की जनपद सहारनपुर के कतिपय ग्रामों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में है।

दसवीं सूचना श्री प्रदीप कुमार यादव जी की जनपद औरैया के विधान सभा क्षेत्र दिबियापुर में अस्पताल तथा अन्य मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने हेतु एन0टी0पी0सी0 को निदेश दिये जाने के सम्बन्ध में है।

ग्यारहवीं सूचना श्री सुरेश बंसल जी की गाजियाबाद के विजयनगर क्षेत्र को शहर से जोड़ने वाली क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है।

बारहवीं सूचना श्री अनीसुर्रहमान जी की जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कांठ में सम्पर्क मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में है। (श्री अनीसुर्रहमान द्वारा स्वयं अपनी सूचना पढ़ी गयी, पढ़ी गई सूचना संलग्न है।)

तेरहवीं सूचना श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी जी की जनपद बस्ती में एन0एच0-28 पर क्षतिग्रस्त दुबखरा से रानीपुर बेलाड़ी मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है।

चौदहवीं सूचना श्री जय प्रकाश निषाद जी की प्रदेश के सहकारी बैंकों की समस्याओं का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में है।

पन्द्रहवीं सूचना श्री उदय लाल मौर्य जी की है (अनुपस्थित)

सोलहवीं सूचना श्री जय प्रकाश अंचल जी की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में आर्सेनिक पानी के कारण होने वाली जानलेवा बीमारियों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

अब ये श्रीमती कृष्णा पासवान नहीं हैं, इनकी जगह पर श्री वीरपाल राठी जी की सूचना को लिया जा रहा है नम्बर एक पर।

दूसरा श्री मोहम्मद आसिफ जाफरी नहीं हैं, तो उनके स्थान पर श्री राजबली जैसल जी का ले लिया गया, एक और श्री उदय लाल मौर्य की जगह पर श्री संजय कपूर जी का हो गया।

वाराणसी से रामनगर जाने वाले मार्ग पर बने पीपे के पुल निर्माण कार्य में की गई अनियमितता के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव-

[मान्यवर, वाराणसी से रामनगर जाने वाली पीपा के पुल के निर्माण में घोर लापरवाही बरती गई है, जिस पर दो दुर्घटनायें इस वर्ष हो चुकी हैं आगे दुर्घटना घटित होने से इन्कार नहीं किया जा सकता। एक नशेबाज की कार दुर्घटना, दूसरे साइकिल सवार के पुल पर ठोकर खाने से उस पर से एक माह के बच्चे का उछल कर नीचे गिरना तथा समाप्त हो जाना। यह पुल टेढ़ा है, पुल पर चढ़ने की जगह बल्ली लगी है, उतरने के जगह बड़ा गड्ढा है। तीसरा, छठा, नौवा, तेरहवां, चौदहवां इस प्रकार 45 सड़े हुए पटरे हैं, पुल पर की रैलिंग 8 जगह टूटा हुआ है। पटरों के बीच स्थित बल्ली कहीं-कहीं एक ही छोर पर जुड़ी हुई है। पीपा संख्या-85-86 तथा 89-90 के बीच एक फीट का अन्तर है। उसके ऊपर लोहे का प्लेट है जिसके चारों छोर पर कीला नहीं है जो कहीं-कहीं उभरा व टेढ़ा है, जिससे ठोकर लगता है और गाड़ियों के टायर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। पीपे जर्जर अवस्था में हैं, कहीं-कहीं उसमें स्थित छेदों को बोरी से बन्द किया गया है। पुल को नियमित करने की चौकियां ही नियमित नहीं हैं। अगर इस पुल से रामनगर न जाय तो 17 से 19 कि0मी0 होकर जाना पड़ेगा, इसलिये इस पर अनवरत गाड़ियां आमने-सामने से आकर जाम लगाती हैं। मरम्मत की आवश्यकता कहने पर अधिकारी पैसे के अभाव को रोना रोते हैं। वास्तविकता क्या है ? इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन किसी बड़े हादसे से इन्कार नहीं किया जा सकता। वहां की जनता इस विषय पर कई बार धरना दे चुकी है, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ।

मैं जनहित से जुड़े इस अति संवेदनशील विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं, जिससे यातायात के इस सर्वसुलभ साधन का ठीक से निर्माण व संचालन हो तथा जनता का जीवन संकट में न पड़े।]

कानपुर महानगर में गम्भीर पेयजल संकट के निराकरण हेतु पुराने खराब पड़े हैण्डपम्पों की रि-बोरिंग कराये जाने एवं नये हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सलिल विश्नोई-

महोदय,

कानपुर महानगर में पीने के पानी की भीषण किल्लत है। पूरे महानगर में हजारों हैण्डपम्प खराब पड़े हुए हैं। अकेले आर्य नगर विधान सभा क्षेत्र में लगभग दो हजार हैण्डपम्प रि-बोरिंग के

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अभाव में ठूंठ की तरह खड़े हुए हैं। जे0एन0एन0आर0यू0एम0 के अन्तर्गत कानपुर महानगर में अनेकों ओवरहेड वाटर टैंक बनाये गये। फूलबाग, हटिया आदि ऐसे प्रमुख स्थान हैं जहां से बहुत बड़े क्षेत्र में पानी की सप्लाई होती है। इन ओवरहेड वाटर टैंकों को गंगा बैराज की मेन लाइन से अब तक नहीं जोड़ा गया है जिसके कारण पूरे महानगर में पानी की सप्लाई और पानी का प्रेशर दोनों बहुत कम मात्रा में उपलब्ध हो रही है। जिसकी वजह से विशेष रूप से आर्य नगर विधान सभा क्षेत्र की जनता पानी के लिए त्राहि-त्राहि कर रही है। ऐसा पानी का संकट इससे पहले कभी भी उत्पन्न नहीं हुआ था। न तो नये हैण्डपम्प लगवाये जा रहे हैं और न ही पुराने खराब हैण्डपम्पों की रि-बोरिंग करायी जा रही है। जिसके कारण जनता पीने के पानी के लिए प्यासी है। अगले महीने से प्रारम्भ होने वाली गर्मी के मौसम में स्थिति और भी भयावह होने की सम्भावना है। अतः समय रहते इसका त्वरित समाधान कराया जाना जनहित में आवश्यक है।

अतः आपके माध्यम से लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए पुराने खराब पड़े हैण्डपम्पों की रि-बोरिंग तथा नये हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन कराये जाने की मांग करता हूं।

जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र इगलास में गोण्डा-खैर मार्ग पर बने खुले नाले को सिल्लियों से पाटने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री त्रिलोकी राम-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र इगलास, जनपद अलीगढ़ के कस्बा गौण्डा में एक नाला जो गोण्डा खैर मार्ग से गोण्डा अलीगढ़ मार्ग पर दूध की डेरी तक खुला हुआ है। यह क्षेत्र घनी आबादी वाला क्षेत्र है। इस नाले से कई जानलेवा घटना घटित हुई है। इसमें कई बच्चों की डूब कर मौत हो गयी है। इसमें कई गाड़ियां पलट जाने से कई दर्दनाक मौत हुई है। क्योंकि यह गोण्डा अलीगढ़ मार्ग के सहारे निकल रहा है। नाले में गन्दगी होने से इस घनी आबादी वाले लोगों को संक्रामक रोगों का सामना करना पड़ रहा है। इससे जनता में काफी आक्रोष है। अगर नाले को उक्त मार्ग मात्र 300 मीटर पक्का करा कर सीसी सीमेन्ट की सिल्लियों से पाट दिया जाय तो लोगों को संक्रामक रोगों से निजात तो मिलेगी साथ ही आये दिन दुर्घटना भी नहीं होगी और लोगों का आक्रोश भी समाप्त हो जायेगा।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर शासन से त्वरित कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र में छज्जू नगला से करवल नदी तक नाले का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भगवती प्रसाद-

[मान्यवर, जनपद-अलीगढ़ के अन्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र खैर में छज्जू नगला, गोदौली, बझेड़ा, कुंवरपुर आदि गांवों से हो कर गुजरने वाली मांट ब्रांच (मध्य गंगा नहर) में बरसातों के दिनों में रिसाव के कारण इस क्षेत्र की हजारों बीघे फसल नष्ट हो जाती है जिसके कारण किसानों के सामने

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। इस संकट से उबरने के लिए छज्जू नगला से करवल नदी तक एक नाले (लगभग 3 कि0मी0) की खुदाई कराने से इस समस्या से निजात पायी जा सकती है।

अतः इस लोकमहत्व के प्रश्न पर शासन से त्वरित कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद बहराइच की कतिपय तहसीलों में वन विभाग द्वारा विभिन्न ग्राम पंचायतों की भूमि पर कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

सुश्री सावित्री बाई फूले-

महोदय, मेरी विधान सभा क्षेत्र 282 बलहा विकास खण्ड बलहा तथा विकास खण्ड मिहीपुरवा तहसील नानपारा जनपद बहराइच के अन्तर्गत वन विभाग से प्रभावित ग्राम पंचायत तथा ग्राम पंचायत की ग्राम समाज की भूमि वन विभाग द्वारा विभिन्न ग्राम पंचायतों की भूमि को कब्जा कर लिया है। जैसे ग्राम पंचायत भरथापुर, भवनियापुर, धर्मापुर, रमपुरवामटेही, विशनापुर, धर्मापुर, चहलुआ, जंगल, गुलरिया, हंसुलिया, निधिपुरवा, घुमनाभारू, सलारपुर, अम्बा, भरदिया, गौरा पिपरा, मौतीपुर, बरखड़िया, सेमरीमलमला, लालपुर, मझांव, मधवापुर, गंगापुर, दौलतपुर, नौबना, नौसरगुमटिहा, राजापुर कतनियां, विश्रामगांव, पड़रिया, सोहनी, भगड़िया, राजापुरपेटरहा, सौगवां, सर्राकला, पौडा आदि ग्राम पंचायत हैं। ग्राम पंचायत की ग्राम समाज बचत सिलिंग की भूमि वन विभाग द्वारा हजारों एकड़ कब्जा कर लिया गया है। मान्यवर, 1968 से 1978 में चकबंदी हुई थी, जिसमें खातेदारों की भूमि जमीदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत सिलिंग निकाली गई थी किन्तु वह भूमि वन विभाग के नाम दर्ज करा दी गयी जो आज अवध फारेस्ट के नाम अंकित है। ऐसी स्थित में लाखों गरीब असहाय कृषक मजदूर भूमिहीन हो गये हैं तथा इनको भूमि से वंचित कर दिया गया है। मेरे विधान सभा क्षेत्र बलहा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (थारू) तथा पिछड़ी जाति के लोग निवास करते हैं। 70 प्रतिशत कृषक मजदूर भूमिहीन हैं।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व की इस सूचना पर सदन में चर्चा कराये जाने की अनुज्ञा प्रदान करने की कृपा की जाय तथा सम्बन्धित कार्यवाही कराने की भी मांग करती हूं।

जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रुद्रपुर की कतिपय सड़कों का सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, जनपद-देवरिया स्थित मेरा विधान सभा क्षेत्र-रूद्रपुर पूर्वांचल का एक अत्यधिक पिछड़ा एवं बाढ़ प्रभावित इलाका है। हूंपर राप्ती, गुर्रा, मझना आदि नदियों के कारण यहां प्रायः बाढ़ आ जाती है जिससे इस क्षेत्र की जनता को जर्जर एवं खस्ताहाल सड़कों के कारण अत्यधिक असुविधा का सामना करना पड़ता है।

जनपद-देवरिया का तहसील मुख्यालय रूद्रपुर तक जाने के लिए दो सड़क है। पहला देवरिया से रूद्रपुर जाने हेतु करकोल तक जिसका अनुमानित लम्बाई लगभग 34.00 कि0मी0 है दूसरा गोरखपुर को जोड़ने वाली गौरी बाजार से रूद्रपुर बाईपास होते हुए मदनपुर तक जिसकी अनुमानित दूरी लगभग 30 कि0मी0 है और यह दोनों सड़कें बहुत ही बुरी हालत में हैं। उ0प्र0 सरकार की यह

नीति भी है कि जनपद को तहसील मुख्यालयों से अच्छी सड़कों से जोड़ा जाय। यह दो सड़कें तहसील मुख्यालय को जोड़ती है, इसके साथ ही साथ इस क्षेत्र की बहुत ही महत्वपूर्ण सड़कें हैं। हूंपर पौराणिक एवं ऐतिहासिक दुग्धेश्वर नाथ शिव मंदिर है जो महाकालेश्वर, उज्जैन का उपरि-ज्योर्तिलिंग है। यहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रतिवर्ष दर्शनार्थ आते हैं। इन सड़कों के सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण हेतु आगणन शासन में आ चुका है।

अतः जनहित एवं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।

जनपद सहारनपुर के कतिपय ग्रामों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रदीप चौधरी-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र-गंगोह, जनपद-सहारनपुर के निम्नलिखित ग्रामों-दुधला, लखनौती, रंढेडी, सानौली, ईस्सापुर व ठसका में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है तथा न ही आसपास के ग्रामों में। इससे क्षेत्रवासियों को प्राथमिक चिकित्सा हेतु कम से कम 10 से 12 कि0मी0 दूर चलकर जाना पड़ता है। इस कारण क्षेत्रवासियों को काफी कठिनाई होती है तथा आपातकालीन चिकित्सा सुविधा नहीं उपलब्ध हो पाती है। इन ग्रामों में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र स्थापित किया जाना जनहित में अति-आवश्यक है। शासन इन ग्रामों का परीक्षण कराकर इनमें आवश्यकतानुसार प्राथमिक चिकित्सालय स्थापित किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करे।

अतः जनहित एवं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद औरैया के विधान सभा क्षेत्र दिबियापुर में अस्पताल तथा अन्य मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने हेतु एन0टी0पी0सी0 को निदेश दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रदीप कुमार यादव-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र दिबियापुर जनपद औरैया में एन0टी0पी0सी0 प्लांट व गेल प्लांट दोनों लगा हुआ है जिसमें स्थानीय किसानों की काफी जमीन चली गयी और प्लांट से निकलने वाले प्रदूषित पानी व प्रदूषण आदि से किसानों के जानवरों व उनकी खेती पर भी इसका कुप्रभाव पड़ता है और आये दिन स्थानीय लोगों को अनेक प्रकार की बीमारियां होती रहती हैं। गेल द्वारा तो विकास के नाम कुछ नाम मात्र धन खर्च कर देता है लेकिन एन0टी0पी0सी0 द्वारा किसी भी प्रकार की न तो स्थानीय लोगों को कोई रियायत और न ही सुविधा दी जाती है और न ही विकास के नाम पर धन खर्च किया जाता है। एन0टी0पी0सी0 द्वारा नियमानुसार विकास के नाम पर दो प्रतिशत धन सड़क निर्माण के रूप में क्षेत्रीय विकास निधि से खर्च किया जाय। अस्पताल बनवाया जाय जिससे स्थानीय लोगों को इसका लाभ मिल सके। यह जनहित का विषय है एवं गम्भीर हैं तथा आम जनता से जुड़ा है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस गम्भीर विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए तत्काल एन0टी0पी0सी0 दिबियापुर जिला औरैया के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया जाय कि वहां पर एक भव्य अस्पताल का निर्माण करायें एवं विकास निधि का दो प्रतिशत धनराशि सड़क निर्माण व बिजली पर खर्च किये जाने हेतु वक्तव्य की मांग करता हूं।]

गाजियाबाद के विजयनगर क्षेत्र को शहर से जोड़ने वाली क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश बंसल-

[मान्यवर, मेरी विधान सभा क्षेत्र गाजियाबाद के अन्तर्गत विजय नगर को शहर से जोड़ने वाली सड़क कैलाशनगर पुलिस चौकी से चौ0 धारा सिंह के स्कूल तक बिल्कुल क्षतिग्रस्त है, क्योंकि छः माह पूर्व यहां पर सीवर की लाइन पड़ी थी, जिसमें पूरी सड़कें खोद दी गयी थी। इस सम्बन्ध में यहां पर विद्यार्थियों द्वारा नगर आयुक्त से बराबर अनुरोध किया जाता रहा है।

मान्यवर, इस सड़क से 50 हजार से अधिक लोग गुजरते है ये सड़क नहीं बन पा रही है।

कृपया जनहित में इस सड़क को बनावाए जाने का अनुरोध करता हूं।

अतः मैं सदन के माध्यम से इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना पर शासन का ध्यान आकर्षित कराए जाने की मांग करता हूं।]

जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कांठ में सम्पर्क मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनीसुर्ररहमान-

[मान्यवर अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान अपनी विधान सभा कांठ (मुरादाबाद) की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। मेरी विधान सभा की तहसील कांठ के ग्राम लाड़लाबाद में करूला नदी के किनारे ग्राम मुखतारपुर नबादा से ग्राम खिचड़ी सम्पर्क मार्ग पर प्रकटेश्वर शिव मन्दिर है। ग्राम मुखतारपुर नवादा से शिव मंदिर होकर ग्राम खिचड़ी तक मार्ग की लम्बाई लगभग 3.5 कि0मी0 है। उक्त मार्ग वगैर बना है, कच्चा है तथा शिव मन्दिर पर आने वाले हजारों शिव भक्तों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। सोमवार प्रत्येक को भारी तादात में महिलाएं-बच्चे, बुढ़े शिव दर्शन को आते हैं। करूला नदी पर रपटे अथवा पुल का भी कोई इन्तजाम नहीं है। क्षेत्रीय जनता ने सामाजिक संगठनों से मिलकर उक्त मार्ग के निर्माण की मांग कई बार उठाई है। मैंने स्वयं भी उक्त जनशिकायत के निराकरण हेतु प्रशासन एवं शासन से लिखित अनुरोध किया है। प्राप्त खण्ड, लोक निर्माण विभाग, मुरादाबाद ने उक्त मार्ग निर्माण हेतु प्राक्कलन भी तैयार किया है। परन्तु धन उपलब्ध न होने के कारण निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है। क्षेत्रीय जनता में भारी रोष हैं। उक्त मार्ग का निर्माण किया जाना जनहित में नितांत आवश्यक है।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बस्ती में एन0एच0-28 पर क्षतिग्रस्त दुबखरा से रानीपुर बेलाड़ी मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान जनपद बस्ती की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र 310 बस्ती सदर में एन0एच0-28 दुबखरा से रानीपुर बेलाड़ी मार्ग अत्यन्त जीर्ण-क्षीर्ण हो गया है। जिससे आवागमन बाधित हो रहा है तथा जिसकी मरम्मत कराना अत्यन्त आवश्यक हो गया है। सड़क की मरम्मत न होने से यहां की जनता में काफी आक्रोश व्याप्त है।

अतः मैं उक्त गम्भीर विषय पर मैं सदन के माध्यम से कार्यवाही की मांग करता हूं।]

प्रदेश के सहकारी बैंकों की समस्याओं का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जय प्रकाश निषाद-

[मान्यवर, अवगत कराना चाहूंगा कि चुनावी घोषणा के आधार पर ऋणी सदस्य सह0 बैंकों के ऋण माफी की प्रत्यासा में लिए गये ऋण वापस नहीं किये जिससे सह0 बैंक तथा ऋणी कृषक दोनों एक दूसरे से परेशान हैं क्योंकि कृषकों के विरुद्ध आर0सी0 जारी हो रही है तथा सह0 बैंकों को आर0बी0आई0 द्वारा नोटिस जारी कर दी गई है कि ऋण से सम्बन्धित कोई लेन देन न की जाय। इसलिए सह0 बैंकों की हालत बहुत ही दयनीय हो गयी है तथा बन्द होने के कगार में है। जिससे स्थानीय जनता एवं क्षेत्रीय लोगों का सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त प्रकरण में मेरा सरकार से अनुरोध है कि सह0 बैंकों की समस्या को अति शीघ्र जनहित के लिए कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में आर्सेनिक पानी के कारण होने वाली जानलेवा बीमारियों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जय प्रकाश अंचल-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र बेरिया जनपद बलिया में की 80 प्रतिशत आबादी आर्सेनिकयुक्त दूषित पानी पीने के लिए मजबूर है। क्षेत्र में नलों का बड़े पैमाने पर अभाव है, क्षेत्र में कुछ पानी की टंकिया बनी है या तो वह बन्द है या गरीब तबके के लोगों तक पानी सप्लाई की व्यवस्था ही नहीं है। पाइप ही नहीं पड़े हैं जो पाइप कहीं पड़े हैं वह बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं तत्काल ठीक कराये जाने की आवश्यकता है और स्वच्छ जल की आपूर्ति लोगों को उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता है। यह गम्भीर विषय है तथा आम जनता से जुड़ा है तत्काल पाइप लाइन का विस्तार किया जाय जो क्षतिग्रस्त है उसे ठीक कराया जाय। जिससे गरीब लोगों को स्वच्छ पानी मिल सके।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस गम्भीर विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुये प्रकरण का निस्तारण कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र कोरांव के अन्तर्गत ग्राम सभा शाहपुर कला में पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजबली जैसल-

[महोदय, कृपया अवगत कराना है कि जनपद इलाहाबाद विधान सभा क्षेत्र 265, कोरांव वि0 ख0 कोरांव के अन्तर्गत ग्राम सभा शाहपुर कला जो टौंस नदी के किनारे बसा हुआ गांव है। उक्त ग्राम में 95 प्रतिशत निषाद समाज के लोग निवास करते हैं। जहां पर लगभग 3000 हजार की आबादी होगी उक्त ग्राम में पक्की सड़क का निर्माण न होने के कारण लोगों को आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उपरोक्त ग्राम में जाने हेतु कोई अन्य रास्ता नहीं सिवाय एक रास्ता के उक्त ग्राम की सड़क कोहड़ार खीरी मार्ग से लगभग 5-6 किमी0 की मध्य होगी जिसका निर्माण होना नितान्त आवश्यक है। उक्त गांव में सड़क का निर्माण न होने के कारण लोगों का सर्वांगीण विकास अवरुद्ध है। जिससे क्षेत्रीय जनता में जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त गांव में पक्की सड़क बनाये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली में नालों की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री वीर पाल राठी-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र छपरौली में निम्नलिखित नाले हैं :--

1-शबगा ग्राम से यमुना नदी तक।

2-सड़क के साथ-साथ ग्राम सूप में।

3-ग्राम कुरडी में आबादी के साथ-साथ।

उपरोक्त नाले की विगत कई वर्षों से सिल्ट सफाई नहीं हुई जिसके कारण वर्षा के समय में नाले ओवरफ्लो हो जाते हैं। जिससे फसलों एवं गांव में काफी नुकसान हो जाता है तथा पानी के भराव के कारण डेंगू, मलेरिया आदि बीमारी फैल जाती है। पशुओं में भी अधिक पानी के कारण फसल की भी बुवाई नहीं होती है। इन नालों की सफाई न होने के कारण किसान भुखमरी के कगार पर है।

अतः मैं चाहूंगा कि इन नालों की सफाई कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर के कतिपय क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय कपूर-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर के बिलासपुर-अहरो-शीशगढ़ मार्ग, अहरो-बंगाली कालोनी मार्ग व धनोरा-गोधीमार्ग की ओर आकृषित

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कराना चाहता हूं ये मार्ग तहसील बिलासपुर के प्रमुख मार्ग हैं इन मार्गों का निर्माण प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत हुआ है तथा यह पूरी तरह क्षतिग्रस्त हैं इनका निर्माण बहुत खराब हुआ है इनको बने अभी 5 वर्ष भी नहीं हुए हैं। इन मार्गों पर चलना भी बहुत मुश्किल हो गया है इन मार्गों के टूट जाने के कारण अक्सर दुर्घटनायें होती रहती हैं जिससे कई लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है क्षेत्र की जनता में इन मार्गों का निर्माण न होने से भारी रोष व्याप्त है तथा जनता द्वारा उपरोक्त मार्गों के पुनः निर्माण करवाने के लिए बराबर ज्ञापन दिये जा रहे हैं मेरे द्वारा भी इस प्रकरण को पूर्व में विधान सभा में उठाया गया था मगर इन मार्गो की जांच व सुधार के लिए कोई सार्थक कदम नहीं उठाया गया है।

अतः इस अविलम्बनीय व लोक महत्वों के प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार से कार्यवाही की मांग करता हूं।]

[12.30 बजे] औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 06 मार्च, 2013 को नियम-300 के अन्तर्गत निम्नलिखित 05 सूचनाएं प्राप्त हुयीं:-

इसमें पहली सूचना श्री सतीश महाना की विधान सभा के उपाध्यक्ष पद का निर्वाचन कराये जाने के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री रामचन्द्र यादव की नियम-51 के अन्तर्गत शासन का ध्यानाकृष्ट की गयी सूचना का उत्तर मा0 सदस्य को न प्राप्त होने के सम्बन्ध में। तीसरी सूचना श्री अगयश राम सरन वर्मा की दिनांक 21 फरवरी, 2013 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर दिनांक 27 फरवरी, 2013 को निर्धारित वक्तव्य न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। चौथी सूचना श्री प्रमोद तिवारी की प्रदेश की जेलों में निरूद्ध सजा की अवधि पूरी कर चुके, शारीरिक रूप से अक्षम एवं निर्दोष बन्दियों की रिहाई न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। पांचवी सूचना श्री रवीन्द्र जायसवाल की जे0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत वाराणसी के सथवा में सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट हेतु जमीन मिलने से पूर्व लगभग 142 किमी0 सीवर लाइन बिछाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, श्री रवीन्द्र जायसवाल जी यह इसमें नहीं आता है।

विधान सभा के उपाध्यक्ष पद का निर्वाचन कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री सतीश महाना-

मान्यवर, आपने इस औचित्य के प्रश्न पर मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया। मान्यवर, यह विधान सभा संविधान के अनुसार चलती है और उ0प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के हिसाब से चलती है। मान्यवर, हमारी इस विधान सभा का गठन कैसे हो, कैसे मा0 राज्यपाल जी हो, कैसे आपके आसन पर बैठे हुए मा0 अध्यक्ष जी हो। इसके साथ-साथ मान्यवर, इस पूरी संरचना मान्यवर, विधान सभा की इस प्रक्रिया और संचालन करने के लिए जो संविधान में लिखा गया है, भारत के संविधान का आर्टिकल-178 में है- विधान सभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, प्रत्येक राज्य की विधान सभा अपने यथास्थिति शीघ्र अपने दो सदस्यों को अपना अध्यक्ष और

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उपाध्यक्ष चुनेगी और जब तक अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है, तब तक विधान सभा किसी अन्य सदस्य को यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी। मान्यवर, ये मैनडेटरी है, कहीं भी इस बात के लिए छूट नहीं दी गयी है कि आपकी मर्जी के ऊपर होगा कि आप चुनेंगे की नहीं चुनेंगे, जिस प्रकार से मा0 अध्यक्ष जी का निर्वाचन अनिवार्य है, उसमें संविधान में, उसी के अनुसार उसी दिन ऐसा, मान्यवर, कहा गया है कि उसी दिन, विधान सभा के मा0 उपाध्यक्ष का भी निर्वाचन हो। साथ ही मान्यवर, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 में नियम-9 के अन्तर्गत भी यह प्राविधान है कि ''उपाध्यक्ष का निर्वाचन ऐसी तिथि को होगा जो अध्यक्ष नियत करेंगे और प्रमुख सचिव प्रत्येक सदस्य को उस तिथि की सूचना देंगे।'' उसके बाद मान्यवर, उसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। मान्यवर, उपाध्यक्ष का निर्वाचन केवल इसलिए आवश्यक नहीं है क्योंकि उसमें लिखा हुआ है, विधान सभा में मान्यवर, हर कुर्सी का अपना अलग-अलग महत्व है, और जो वह कुर्सी यहां पर किनारे में पड़ी हुई है, उस कुर्सी के ऊपर विगत 6 वर्ष से किसी को बैठा हुआ नहीं देखा। जब कुर्सी बनी है, तो किसी-न-किसी संवैधानिक व्यक्ति के लिए उस कुर्सी का सृजन किया गया है, जिसके ऊपर वह आकर बैठे। वहां पर मान्यवर, अगर किसी एक सरकार ने नहीं किया था तो उसके बारे में जो लोग यहां पर थे, वे कहते थे कि वहां पर उस व्यक्ति के बैठने के लिए आसन है और वहां पर व्यक्ति बैठना चाहिए। पूर्व में मान्यवर, इस प्रकार की घटनाएं आई हैं कि अगर विधान सभा के उपाध्यक्ष के चुनाव में अगर कोई विलम्ब हुआ है तो सरकार ने उसकी चिंता की है। मान्यवर, उसके साथ-साथ चूंकि विधान सभा के सम्मानित उपाध्यक्ष कई समितियों के अध्यक्ष होते हैं, यह बात हम जानते हैं, आपने उनकी जगह, आपके पास सारे-के-सारे अधिकार हैं, आप उसके अध्यक्ष के रूप में काम कर सकते हैं। मान्यवर, आपके पास बहुत-सारी अन्य भी जिम्मेवारियां हैं, स्वाभाविक रूप से आप जैसे सक्रिय अध्यक्ष उन सबको देखता है, लेकिन अगर मान्यवर, परिवार होता है तो सबकी अपनी-अपनी जिम्मेवारियां बंटी होती हैं और जिम्मेवारी एक व्यक्ति ही अगर सारी वहन करेगा तो कठिनाई हो जाती है, उसको चलाने के लिए। मान्यवर, आपकी सुविधा के लिए संविधान में इस पद की संकल्पना की गयी है। मान्यवर, कई अवसर सदन में ऐसे आये हैं जब आप पूर्वाह्न में 11 बजे से आकर बैठते हैं और दिन में 3-3 बजे तक बैठे रहते हैं और कार्यवाही का संचालन कराते हैं। आप जिस समय वहां पर नहीं होते हैं आप अपने निर्देशानुसार किसी अधिष्ठाता को बिठा देते हैं। जो उस आसन को प्रदत्त अधिकार हैं उसके अनुसार आप कार्य करते हैं । मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया यथाशीघ्र अपने विवेक, अपने निर्णय के अनुसार उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिए कोई तिथि निर्धारित कर दें और जो प्रक्रिया हो उसकी, वह आप पूर्ति करा दें। हम चाहते हैं कि जो संविधानिक पद हैं विधान सभा के जिसमें उपाध्यक्ष पद भी है वह रिक्त न रहे। हर एक पद भरा हुआ है। जैसे एक माला होती है अगर उसमें कोई एक मोती कमजोर है तो फिर वह माला पूर्ण नहीं मानी जाती है। उसी तरह से विधान सभा के पदों की स्थिति होती है। मान्यवर, यदि कोई माननीय सदस्य इस्तीफा देता है सदस्यता से तो आप उसका नोटिफिकेशन जारी करवा देते हैं और उसे निर्वाचन आयोग आगे की कार्यवाही के लिए फारवर्ड कर देते हैं ताकि वह नियमानुसार सीट की पूर्ति हेतु कार्यवाही कर सकें। मान्यवर, यह आपका पूरा क्षेत्राधिकार है और इन पदों को भरवाना हमारी जिम्मेवारी है। यह एक संवैधानिक आवश्यकता है और नियमों के अन्तर्गत इसकी पूर्ति करायी जाती है। हमारा अनुरोध है

आपसे कि इस प्रक्रिया को आप यथासंभव शीघ्र पूरा करवा दें। उस पर किसी भी सदस्य का चुनाव हो जाय, उपाध्यक्ष के पद की पूर्ति आप शीघ्र करा दें। तत्समय यहां पर उपाध्यक्ष नहीं हैं। उनके बैठने की आवश्यकता है वह पद रिक्त है इसलिए उस आसन पर कोई नहीं बैठा है। इसलिए यह औचित्य का प्रश्न बनता और नियमों की परिधि में आता है इसलिए आप अपना निर्णय देने का कष्ट करें।

*श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं, महाना जी ने जो प्रश्न उठाया है उस पर बल देते हुए यह कहना चाहता हूं कि पूर्व में भी ऐसी स्थिति आयी है कि उपाध्यक्ष से सम्बन्धित समितियों में सदस्यों को सभापति बनाया गया है। उपाध्यक्ष हमारे विरोध पक्ष से होते हैं अगर आप उचित समझें तो जो उनसे सम्बन्धित समितियां होती हैं, जिनके सभापति उपाध्यक्ष होते हैं, राजस्व मंत्री जी भी जब विपक्ष में थे तो ऐसी एक समिति के सभापति थे, इसलिए उन समितियों में विपक्ष से सदस्यों को लिया जाय। कम से कम आप इतना तो सोच लें मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-

हमने नियम-201 में 4 जोड़ा है । यह प्रश्न जो माननीय महाना जी ने उठाया है, यह प्रश्न इस विधान सभा में पहली बार उठाया है, मुझे याद है माननीय हुकुम सिंह जी ने और माननीय प्रमोद तिवारी जी ने उसे उठाया था। उपाध्यक्ष की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है समितियों की अध्यक्षता करेंगे जैसे विशेषाधिकार समिति या अन्य समितियां हैं जिसकी अध्यक्षता उपाध्यक्ष महोदय करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय की अनुपस्थिति में समितियां कैसे चलें, हालांकि उसके लिये नियमों में है कि अगर उपाध्यक्ष नहीं है तो उस समिति के सदस्य उस बैठक को संचालित कर सकते हैं। लेकिन हमने इसमें नियम 201 में एक नया नियम-4 बना दिया है। जो इस प्रकार हैः-

> '' (4) उत्तर प्रदेश विधान सभा के उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने की दशा में जिन समितियों में उपाध्यक्ष, विधान सभा, सभापति होते हैं, उन समितियों को अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा अपने अथवा अन्य समितियों के सभापतियों के सभापतित्व में सम्बद्ध किया जा सकता है।''

आपने कहा है कि विपक्ष से होना चाहिए उसमें विपक्ष का किया जायेगा।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, पिछली सरकार में पूरे पांच साल तक उपाध्यक्ष का पद रिक्त रहा है उनका चयन नहीं हो सका। बीजेपी के समय में भी जब कुछ समय शेष रह गया तब जाकर माननीय अम्मार रिजवी साहब को उपाध्यक्ष बनाया गया था। अभी तो इस सरकार को गठित हुए 11 महीने ही बीता है। आपको लगता है कि इनके समय में भी यह पद रिक्त ही रहेगा तो फिर इस पद को ही समाप्त करने के बारे में आप विचार कर लें। क्योंकि यह तो एक परम्परा सी बन गयी है कि बी0एस0पी0 सरकार ने नहीं बनाया बी0जे0पी0 वालों ने कुछ समय शेष रहने पर ही बनाया था तो हम तो यह कहेंगे मान्यवर, कोई नई परम्परा नहीं है एक अस्थाई इसका प्रबन्ध यह कर लें कि जब उपाध्यक्ष का चुनाव न हो तो यह वैकल्पिक व्यवस्था होगी उसके बारे में सबको बुलाकर विचार-विमर्श कर लें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, आपने कृपापूर्वक व्यवस्था दी है उन समितियों के लिए जो होगा, आपने जो व्यवस्था दी है वह शिरोधार्य है। उन समितियों पर आप विचार कर लें। मान्यवर, उनके ऊपर विचार करेंगे लेकिन जो मेरा मूल विषय था उपाध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए उसके ऊपर मान्यवर, आप व्यवस्था दे दें।

श्री अध्यक्ष-

इस बारे में जब आप कह रहे हैं तो जब सब पर विचार होगा तो उस पर भी विचार होगा।

नियम-51 के अन्तर्गत शासन को ध्यानाकृष्ट की गई सूचना का उत्तर मा0 सदस्य को न प्राप्त होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

अब माननीय राम चन्द्र यादव जी का है नियम-51 के अन्तर्गत शासन का ध्यान आकृष्ट की गयी सूचना का उत्तर नहीं दिया गया है यह फैजाबाद जनपद के रूदौली स्टेशन पर उपरिगामी सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में था तो यह तो माननीय मंत्री जी की तरफ से पत्र गया है यह आया है 16-1-2013 अब आपको नहीं पहुंचा लेकिन हमारे यहां तो यह आया है।

श्री राम चन्द्र यादव-

मान्यवर, 5 दिसम्बर, 2012 की सूचना है, 5 मार्च बीत गया यह तीन महीने बीत गये।

श्री अध्यक्ष-

यह 16-1-2013 को आया है, मैं पढ़ दे रहा हूं जो उत्तर गया है- प्रिय महोदय, जनपद के रूदौली स्टेशन पर उपरिगामी सेतु का निर्माण कराये जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर दिनांक 5-12-2012 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि जनपद फैजाबाद में भेलसर रूदौली मार्ग पर रूदौली स्टेशन के निकट रेलवे समपार संख्या-41ए की टीबीयू एक लाख से कम अर्थात् 91840 है। टीबीयू एक लाख से कम होने के कारण यह रेलवे वर्क्स प्रोग्राम में नहीं सम्मिलित होने के कारण किसी योजना में स्वीकृत नहीं है भवदीय शिव पाल सिंह यादव। इसका उत्तर आ गया है।

नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर श्री अगयश राम सरन वर्मा द्वारा दिनांक 27 फरवरी, 2013 को निर्धारित वक्तव्य न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

अगयश राम शरन वर्मा जी आपकी नियम-51 में दी गयी सूचना दिनांक 27 फरवरी, 2013 माननीय सचिव साहब आपका कहना है,

(श्री अगयश राम सरन वर्मा के खड़े होने पर)

अब इसमें भाषण नहीं होगा, आप तो रोज भाषण के लिए खड़े हो जाते हैं। आप एक कटौती दे दीजिए। माननीय नेता जी कटौती ले लो और खूब बोलो।

यह 21 फरवरी, 2013 को नियम-51 के अन्तर्गत आपने सूचना दी थी 27 फरवरी को यह लगा था आपका कहना है कि उस दिन वक्तव्य नहीं आया लेकिन यह दुर्गा प्रसाद यादव जी का मेरे पास आपके द्वारा जो दी गयी है उसकी कापी हमारे पास मौजूद है यह 27-2-13 का अब आपको मिला कि नहीं इसमें दिया है कि जनपद पीलीभीत की जिला पंचायत में कर्मचारियों की फर्जी नियुक्ति। यह है आपको चला जायेगा।

प्रदेश की जेलों में निरुद्ध सजा की अवधि पूरी कर चुके, शारीरिक रूप से अक्षम एवं निर्दोष बन्दियों की रिहाई न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

प्रमोद तिवारी जी का है प्रदेश की जेलों में, प्रश्न तो महत्वपूर्ण है लेकिन इसको नियम-56 में क्यों नहीं लाते नियम-300 में क्यों लाते हैं ? आप तो घुमाके कह ही लेंगे।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, 56 में आयेगा नहीं नियम-300 में आयेगा मैं बताये देता हूं कि कैसे आयेगा ?

श्री अध्यक्ष-

वह तो बताने में ही तो सब गुण है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, 80 हजार बन्दीगण इस समय जेलों में बन्द हैं। इसमें 90 परसेन्ट ऐसे बन्दी हैं जिनके श्रम या कौशल का उपयोग नहीं हो पा रहा है। 24428 बन्दियों में 13500 बन्दी आजीवन कारावास तथा शेष सीमित अवधि के दण्ड से दंडित हैं। दण्डित बन्दियों में 699 ऐसे हैं जिन्होंने 24-14 साल से अधिक की सजा काट ली है, बहुत से ऐसे हैं जो 35 साल, 40 साल की सजा काट चुके हैं वह तो अपनी जगह है जो है वह तो है मान्यवर, मेरा अपना कहना है कि जो उनके साथ बच्चे हैं जो महिलायें हैं या जो पूरी तरह से विकलांग हो चुके हैं, जो 75-80 साल की महिलायें हैं जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं या मान्यवर, जो ऐसे है जिनके गोद में एक या दो माह के बच्चे हैं, मान्यवर, 70 प्रकरण ऐसे हैं जिसमें जेल के अन्दर बच्चे पैदा हुए हैं तो मान्यवर, जिनका नाम चार्जशीट में नहीं, जिनका नाम सजा में नहीं अगर वह जेल में रह रहे हैं तो यह एक बड़ा भारी मानवीय प्रश्न है कि उन महिलाओं या उन बच्चों को जिनका नाम न चार्जशीट में है न जिनके साथ सजा में वह 7-7, 8-8 साल से जेल में हैं उनके बारे में विचार करें जो वातावरण है, 7-8 साल की बच्चियां अगर जेल में हैं तो वहां का वातावरण ऐसा तो नहीं कि उन्हें जेल में रखा जा सके । इसमें मेरा एक ही सुझाव है कि जो बंदी 35-40 साल से ज्यादा की सजा काट चुके हैं या जिन मांओं के पास 7-8 साल की बच्चियां हों या जिनके गोद में बच्चे हों, शासन उनके बारे में विचार कर ले, शासन के पास प्रावधान है कि वह महामहिम राज्यपाल से सिफारिश कर सकती है कि उनको परमानेंट जमानत पर रिहा किया जाये। मेरा औचित्य का प्रश्न लाने का मकसद यही है कि दंड प्रक्रिया संहिता हम बनाते हैं और उसके अनुसार एक व्यक्ति को जितना दंड दिया जाना चाहिये, उतने दिन ही उसे

जेल में रहना चाहिये, उससे एक दिन कम नहीं, उससे एक दिन ज्यादा नहीं तो जो 35 साल, 40 साल से जेल में हैं तो यह हमारे बनाये नियम का उल्लंघन हो रहा है, इस प्रकार यह मान्यवर, नियम-300 में आता है।

श्री अध्यक्ष-

आपने कोई सूची नहीं दी कि कितने लोग हैं, जो 35 साल से ज्यादा जेल में हैं या 40 साल से हैं।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

है इसमें दिया है। मान्यवर, यह प्रश्न नेता कांग्रेस की तरफ से, प्रमोद तिवारी जी की तरफ से कई बार आया है और गंभीर है इसलिये बार-बार आया है। अब क्योंकि वह बहुत सीनियर लॉयर भी हैं तो उनसे ही जानना चाहेंगे, आपके साथ बैठ सकते हैं कि क्या तरीका हो सकता है क्योंकि आपकी जानकारी में होगा, कुछ ऐसी धारायें हैं जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट की बहुत सख्त रूलिंग्स हैं और उन्होंने उन धाराओं में किसी भी तरह के रिलेक्सेशन को बहुत सख्ती से मना किया है। तो उसमें क्या रास्ता निकल सकता है, यह विचारणीय बिन्दु है, कानून की अवमानना भी न हो, सुप्रीम कोर्ट के उन सख्त आदेशों की भी अवमानना न हो और कोई रास्ता निकल सके, इस पर बैठक हो सकती है।

श्री अध्यक्ष-

मैनें इस विषय पर माननीय तिवारी जी को सुना, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, इसे मैं अग्राह्य करता हूं।

(श्री अगयश राम सरन वर्मा के खड़े होने पर)

नियम-51 के अन्तर्गत श्री अगयश राम सरन वर्मा द्वारा दी गई सूचना पर दिनांक 27 फरवरी, 2013 को निर्धारित वक्तव्य न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न (क्रमागत)

माननीय अगयश राम सरन वर्मा जी, यह एक लेटर पढ़ने में मुझे त्रुटि हो गयी । यह 27 को लगा था, 26 को जिलाधिकारी को भेजा गया था, उन्होंने समय मांगा था और मैं परिवहन मंत्री जी से कहूंगा कि इसका जवाब दिलवा दें। आपने 27 को पत्र लिखा था तो उन्होंने कहा कि 27 को दे पाना संभव नहीं है, इसमें उत्तर देने के लिये समय दे दिया जाये तो समय उन्हें स्वीकृत कर दिया गया था, अब वह उत्तर आपको मिल जायेगा ।

दिनांक 28-2-2013 के तारांकित प्रश्न संख्या-2 को पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री सतीश महाना-

माननीय अध्यक्ष जी, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

मान्यवर, जिस समय प्रश्नकाल चलता है, उसके बाद मैनें इसे उठाना चाहा था लेकिन आप बोल रहे थे तो मेरी कहने की हिम्मत नहीं हुयी ।

श्री अध्यक्ष-

अरे ऐसा कैसे ।

*श्री सतीश महाना-

मान्यवर, आपका एक आदर है, सम्मान है। मान्यवर, यह प्रश्नकाल बड़ा महत्वपूर्ण होता है। विशेष रूप से हम प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों के लिये । लेकिन कुछ ऐसे इम्पार्टेंट इश्यूज आ जाते हैं, जिसके कारण व्यवधान होता है और उसको रोका नहीं जा सकता । क्योंकि कभी-कभी ऐसे अवसर आ जाते हैं। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे द्वारा 21 तारीख को एक प्रश्न दिया गया था, 21 तारीख को उद्योग विभाग का दिन होता है और उस दिन इसके उत्तर आते हैं। पर आप मान्यवर, इसको मंगवा कर देख लेंगे तो आपको सुविधा होगी। उसमें जो मेरे द्वारा प्रश्न किया गया था, वह 9 माननीय सदस्यों द्वारा प्रश्न किया गया था कि औद्योगीकरण की नीति क्या है और औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिये वर्तमान सरकार कोई औद्योगिक नीति बनाने पर विचार कर रही है यदि हां तो क्या। मान्यवर, इसमें किसी भी प्रकार का ऐसा प्रश्न नहीं था जो 28 तारीख को मेरे द्वारा प्रश्न लगाया गया था, इसी विधान सभा में। जो एक हफ्ते बाद गुरुवार को आया। 28 तारीख को मेरे द्वारा प्रश्न किया गया था जिसे तारांकित प्रश्न संख्या-2 के अन्तर्गत स्वीकार किया गया था, उसमें मैनें पूछा था माननीय मुख्य मंत्री जी से कि मई, 2007 से फरवरी, 2012 तक पांच वर्ष और मार्च, 2012 से 31 दिसम्बर, 2012 तक कितने प्रदेश में उद्योग स्थापित हुये और कितने उद्योगों का पलायन हुआ। जिस दिन से विधान सभा प्रारम्भ हुयी है, मेरी रोज की उपस्थिति है और मान्यवर, मेरी रुचि होती है, सारे प्रश्नों को देखता हूं, केवल अपने प्रश्नों को ही नहीं देखता। मान्यवर, यह प्रश्न उस प्रश्न की परिधि के अंदर दूर-दूर तक नहीं आता। यह एक स्पेसिफिक क्वेश्चन था कि पांच वर्ष के अन्तर्गत कितने उद्योग लगे और कितने उद्योगों का पलायन हुआ और इस एक वर्ष के अन्तर्गत कितने उद्योग लगे और कितने पलायन हुये। इसको मान्यवर, पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त कर दिया गया। मान्यवर, बड़ी मुश्किल से एक तो प्रश्न लगते हैं, समय से हम लोग देते हैं। जब महामहिम राज्यपाल जी सदन बुलाते हैं या सत्र का अवसान हो जाता है, तब हम लोग प्रश्न लगाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में मान्यवर, इस प्रकार का महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपके सामने रखा है, इसका उत्तर आना चाहिये था। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये इस प्रश्न को देख लें और यदि पुनरावृत्ति की गयी हो तो मुझे बता दें क्योंकि मेरा भी इस तरह का कोई प्रश्न नहीं था और न ही किसी अन्य माननीय सदस्य का इस तरह का कोई प्रश्न था। अगर नहीं की गयी हो तो जिन्होंने यह कहा है, उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये। कल फिर गुरुवार है, आपकी कृपा होगी अगर नहीं होगा तो आप इसे लगवा देंगे ।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, हम इसे दिखवा लेंगे ।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष जी आपकी अनुज्ञा से सूचित करता हूं कि ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद-197 के खण्ड (1) के उप खण्ड (ख) के साथ पठित उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-150 के उप नियम (1) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 05 दिसम्बर, 2012 के उपवेशन में पारित हुआ था और जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के विचारार्थ दिनांक 05 दिसम्बर, 2012 को पारेषित किया गया था तथा जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की दिनांक 05 दिसम्बर, 2012 की बैठक में सदन की मेज पर रखा गया था।

उत्तर प्रदेश जल प्रबन्धन और नियामक आयोग (निरसन) विधेयक, 2012

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष जी आपकी अनुज्ञा से सूचित करता हूं कि ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद-197 के खण्ड (1) के उप खण्ड (ख) के साथ पठित उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-150 के उप नियम (1) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश जल प्रबन्धन और नियामक आयोग (निरसन) विधेयक, 2012, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 05 दिसम्बर, 2012 के उपवेशन में पारित हुआ था और जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के विचारार्थ दिनांक 05 दिसम्बर, 2012 को पारेषित किया गया था तथा जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की दिनांक 05 दिसम्बर, 2012 की बैठक में सदन की मेज पर रखा गया था।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2012

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष जी आपकी अनुज्ञा से सूचित करता हूं कि ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद-197 के खण्ड (1) के उप खण्ड (ख) के साथ पठित उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-150 के उप नियम (1) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2012, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 05 दिसम्बर, 2012 के उपवेशन में पारित हुआ था और जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के विचारार्थ दिनांक 05 दिसम्बर, 2012 को पारेषित किया गया था तथा जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की दिनांक 05 दिसम्बर, 2012 की बैठक में सदन की मेज पर रखा गया था,

के तीन मास से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी उक्त विधेयक अभी तक विधान सभा सचिवालय में वापस प्राप्त नही हुये हैं।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-3,4,5 तथा 6 में कुछ नहीं है।

[12.53] कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 06.03.2013 को नियम-56 के अन्तर्गत कुल 27 सूचनायें प्राप्त हुईं, जिनमें से प्रथम 2 सूचनाओं को श्लाका के आधार पर ग्राह्यता हेतु स्वीकार किया जायेगा, अन्य सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है।

आज कई बजट हैं और विद्युत का महत्वपूर्ण बजट है और यह तय हुआ है कि 1.20 बजे के बाद जीरो आवर बंद हो जायेगा। इसलिये आपके पास कुल 25 मिनट समय है, इसलिये मैंने आज

कम लोगों को लगाया है। माननीय प्रमोद तिवारी जी की सूचना है प्रदेश के अधिकांश शहरों में जल, ध्वनि एवं वायु प्रदूषण से पड़ रहे कुप्रभाव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। आप अपनी बात कहें ।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन में सिर्फ अपनी यह चिन्ता व्यक्त करना चाहता हूं जो आगणन आया है कि 30 हजार साल में दुनिया का टेम्परेचर सिर्फ 5 डिग्री कम हुआ है और एक से 50 साल में एक डिग्री कम हो गया । अगर इस अनुपात से होता रहा तो शायद कुछ ही सालों में हम एक ऐसी स्थिति में पहुंच जायेंगे जहां वातावरण पूरी तरह समाप्त हो जायेगा । मान्यवर, मैं इसलिये कह रहा हूं कि पिछले 30 सालों के बारे में अगर आप देखें तो सर्वाधिक, तूफान, बाढ़, सूखा इसलिये आ रहे हैं कि पर्यावरण की तरफ हमने ध्यान कम दिया है। जिस तरह से यह बाढ़ और सूखे आये हैं, इनकी ऋतु भी परिवर्तित हो रही है, साइकिल भी धीरे-धीरे परिवर्तित हो रही है। प्रदूषण इस कदर बढ़ गया है कि अगर एक मानक हम सिर्फ ले लें लखनऊ का, तो यहां 5 गुना ज्यादा तक ध्वनि प्रदूषण बढ़ गया है, वायु प्रदूषण बढ़ गया है और जल प्रदूषण की अगर बात करूं तो गंगा जो इस प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नदी है उसका प्रदूषण 75 गुना बढ़ गया है। गंगा सिर्फ दूषित नहीं हुई, प्रदूषित नहीं हुई, बल्कि बहुत जहरीली हो गयी है। मानक के अनुसार उसमें कोबियम होना चाहिए दो और आज चिंता की बात है कि कोबियम हो गया है 148 यानी बहुत ही चिन्ताजनक स्थिति हो गयी है। कल बात हो रही थी यमुना की। यमुना की भी यही स्थिति है, गोमती की भी यही स्थिति है। मान्यवर, आज शहरों में प्रदूषण बढ़ने की सबसे बड़ी वजह यह हो गयी है कि जो मानक है उसके अनुपात में कई गुना ज्यादा प्रदूषण बढ़ गया है। एक नई संस्कृति आयी हुई है कि कितनी ज्यादा तेजी से संगीत को बजाया जा सकता है। शादियों में, आवश्यक कार्यक्रमों में, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अब जितनी ज्यादा ध्वनि होती है, उतना ही ज्यादा अच्छा संगीत माना जा रहा है, उसी के कारण बहरापन बढ़ता जा रहा है। टाइफाइड की बीमारी के बारे में भी पानी का प्रदूषण माना गया है। इन सारी चिंताओं से अपने को जोड़ते हुए मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण, तीनों पर एक सामान्य दृष्टि अपनाकर उत्तर प्रदेश में इस पर विचार किया जाए। अब ध्वनि प्रदूषण पर मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। इस सदन में ध्वनि प्रदूषण की क्या हालत है, आप जानते हैं और यह भी पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण किस तरफ से होता है। तो आदरणीय हमारे दोस्त, हमारे प्रिय साथी, नाप लिया जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्या जी के आसपास जो लोग बैठे हैं उनको कान का इलाज तो कराना चाहिए, यह मैं राय देना चाहता हूं। मान्यवर, कुल मिलाकर अगर स्थिति देखें तो ध्वनि, जल और वायु प्रदूषण पर एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

अब अपने मतलब के तो सारे प्रदूषण बता दिए प्रमोद जी ने। अध्यक्ष जी, यह तो ऐसा प्रश्न है जिस पर विचार ही किया जा सकता है। वह अब भी नहीं सुन रहे हैं। देखिये, केवल सुनाना आता है, सुनना नहीं आता है। अब जिगर थाम कर बैठो, मेरी बारी आयी है। मान्यवर, बिल्कुल गम्भीर सवाल है, प्रमोद तिवारी जी की सूचना को अग्राह्य करते हुए मैं चाहूंगा कि इसे संजीदगी से

लिया जाए और अच्छे माहौल में आप सब लोग बैठ करके विचार करें कि इस पर कैसे रोक हो सकती है।

श्री अध्यक्ष-

इस सूचना पर मैंने माननीय प्रमोद तिवारी जी तथा मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, यह नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आती है इसलिए इसे अग्राह्य करता हूं। दूसरी सूचना श्री अमरपाल शर्मा जी की है। संक्षेप में अपनी बात कहिये।

श्री अमरपाल शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, नियम-51 की सूचना के अंतर्गत मुझे वक्तव्य प्राप्त हुआ उसमें यह कहा गया कि जिलाधिकारी तुरन्त लीज खारिज करायें। अध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि वसुन्धरा का एक पार्क, वसुन्धरा एक विकसित कॉलोनी है। एक अधिकारी जिसका अपना कार्यकाल समाप्त हो गया था वह जाते-जाते अपने मिलने वालों को प्रदेश और जनता की जो सम्पत्ति है उसको तोहफे में देने, उसकी लूट मचाने के संबंध में है। यह तो सिर्फ एक वाक्या है। उसने ऐसी न जाने कितनी लूटें मचायी होंगी। मात्र 10 दिन के अंदर जो भी जनता की सम्पत्ति थी, नगर निगम की थी, सबको उसने लीज पर देने का काम किया। उसी के बारे में मुझे जवाब मिला, उसमें कहा गया कि जिलाधिकारी को तुरन्त आदेश कर दिये गये हैं कि उसकी लीज खारिज कर दी जाए और उस अधिकारी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि न तो अभी लीज खारिज हुई है और न ही उस अधिकारी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की गयी है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर अधिकारी अपनी मनमर्जी से करते रहेंगे तो जनता की आवाज सुनेगा कौन ? मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इसको संज्ञान में लेते हुए लीज तुरन्त खारिज होनी चाहिए और उस अधिकारी के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। यह तो ऐसा मुद्दा है सिर्फ अकेला है। ऐसे कितने पार्क, स्वीमिंग पूल और जो नगर निगम में एक-एक करके रोडों को भी बेचा गया है उन सबके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

अब मंत्री जी की बात सुन लीजिए।

श्री मोहम्मद आजम खां-

अध्यक्ष जी आपको अगर हम इसमें जज बनाएं आप तो सबसे ऊपर हैं हम सबके संरक्षक हैं तो शायद विधान सभा के इतिहास में नियम-51 का ऐसा जवाब किसी को नहीं मिला होगा। हमें तो वह दिन याद हैं जब नियम-51 में दो पेज का मुख्य मंत्री जी का आश्वासन यह पढ़कर सुनाया गया कि जौहर यूनीवर्सिटी की सुरक्षा की जाएगी और जिस वक्त यह आश्वासन सुनाया जा रहा था उस वक्त जौहर यूनीवर्सिटी पर बुल्डोजर चल रहे थे। मैंने आपको जवाब देने से पहले ही यह सारे आदेश जारी कर दिए थे और प्रतिबंधित कर दिया था कि लीज न की जाय। मैं यह भी आपको बतला दूं कि उनके लीज कर देने से लीज नहीं हो जाएगी क्योंकि वह शासन में आएगी। शासन का निर्णय है कि यह बेशकीमत पार्क है। 90 साल की लीज पर मात्र चार लाख सालाना पर अरबों रुपये की जमीन को

दे देना हमारे लिए भी बहुत फिक्रमंदी का कारण है, एक अधिकारी जिसने अपनी मर्यादा का कोई ख्याल नहीं रखा, जिसने अपने पद की शर्मोहया का ख्याल नहीं रखा, जिसने अपने रिटायरमेंट की तारीख का नाजायज फायदा उठाकर 28 तारीख को यह पाप किया। उसको अच्छा नहीं कहा जा रहा है। लीज तो खारिज हो ही जाएगी लेकिन जो इसमें नुकसान हुआ होगा उसकी भरपाई भी इन्हीं अधिकारियों से की जाएगी। आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि गाजियाबाद, नोयडा, ग्रेटर नोयडा कीमती शहर है, कीमती जमीने हैं और पार्क इसलिए नहीं बनाए जाते हैं कि उनकी लीज की जाय और उनसे धंधा किया जाय। पार्कों पर आम तौर पर ऐसी सरकारें जो लोकप्रिय सरकारें होती हैं वह पार्कों पर टिकट भी नहीं लगाती हैं। इसीलिए इस पार्क का गलत इस्तेमाल इसको लीज पर देकर दरअसल जो नीयत रही होगी, उस अधिकारी महोदय की वह यह रही होगी कि हम गैर कानूनी ही सही सरकार की डायरेक्शन के खिलाफ सही एक मौका दे देंगे पार्टी को न्यायालय जाने का लेकिन शासन में आने के बाद ही न्यायालय जाने के दरवाजे खुलते हैं पूरे सदन को आश्वस्त करना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की एक-एक जर्रा जमीन की हिफाजत की जाएगी और किसी स्तर का व्यक्ति हो, अधिकारी हो, राजनैतिक हो, अराजनैतिक हों किसी भी तरह के हों सुरक्षा की जाएगी। आप बिल्कुल मुतमईन रहें वह नहीं होगा जब हम वहां बैठे थे तो हमारे साथ हुआ था।

श्री अध्यक्ष-

प्रस्तुत सूचना पर मैंने माननीय अमर पाल शर्मा को सुना, माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुना इसे मैं अग्राह्य करता हूं।

खन्ना साहब आप अपनी सूचना पर भाषण न करिए मैं इस पर ध्यान आकृष्ट कर लेता हूं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, पचास स्टूडेंट को बी0एड0 में परीक्षा देने की अनुमति नहीं मिली।

श्री अध्यक्ष-

यह तो आप पिछले सत्र में भी लाए थे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, यह उनके भविष्य का सवाल है। उन लोगों को परीक्षा से वंचित किया गया। मैंने पिछले साल भी यह उठाया था।

श्री अध्यक्ष-

यह तब से चल ही रहा है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-

आप भी बड़े हिम्मती हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, वहां पर आन्दोलन, धरना, प्रदर्शन चल रहे हैं। जिलाधिकारी, शाहजहांपुर का काम करना मुश्किल है छात्रों की वजह से।

श्री अध्यक्ष-

आप जल्दी से समाप्त करें।

*श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मुझे पीठ के निर्देश का पूरा ख्याल है।

मान्यवर, आपने नियम-56 की सूचना पर मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, गांधी फैजान कालेज हमारे शाहजहांपुर में एक अल्पसंख्यक विद्यालय है। इसमें अनुमति मिलने के बाद 100 विद्यार्थियों ने प्रवेश पाया। लेकिन यूनीवर्सिटी और विद्यालय में समन्वय न होने के कारण 50 छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति तो दे दी गई लेकिन 50 छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं मिली। मैंने 19 जून को इस प्रकरण को इसी विधान सभा में उठाया था और 20 जून से उनकी परीक्षाएं प्रारम्भ होने वाली थीं। उस दिन यह कहा गया था कि चूंकि यह प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है और छात्र लोग न्यायालय चले गए इसलिए न्यायालय को निर्णय करने देना चाहिए। वर्तमान में उन छात्रों ने अपना केस वापस ले लिया है। विश्वविद्यालय ने भी उनको यह आश्वासन दिया था और सरकार की तरफ से सचिव उच्च शिक्षा की तरफ से यह आश्वासन मिला था कि अगर इसमें केस वापस हो जाय तो हम सहानुभूतिपूर्वक निर्णय ले लेंगे। मान्यवर, मैंने व्यक्तिगत रूप से भी इस सम्बन्ध में संसदीय कार्य मंत्री से अनुरोध किया था अगर उन्हें याद हो। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से संरक्षण चाहता हूं। यह 50 छात्रों के भविष्य का सवाल है। उनका यह वर्ष भी बर्बाद हो जायेगा अगर इस सम्बन्ध में शासन ने कोई निर्णय नहीं लिया तो। इसलिये मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री से विशेष रूप से आग्रह करना चाहता हूं कि जब परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं वह छात्र आन्दोलनरत् हैं, केस वापस हुए कई महीने हो गये उसके बाद भी अभी तक उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से कोई निर्णय नहीं लिया गया। विश्वविद्यालय केवल आश्वासन पर टिका हुआ है। कालेज किसी प्रकार का सपोर्ट नहीं कर रहा है। नियमानुसार उनका प्रवेश हुआ और 50 विद्यार्थियों को परीक्षा में प्रवेश की अनुमति मिल जाना और 50 विद्यार्थियों को वंचित रखना मान्यवर, यह नैतिक अधिकार का भी हनन है और मान्यवर, कानूनी अधिकार का भी। इसलिये मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से विशेष रूप से आग्रह करना चाहता हूं कि उन विद्यार्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाय।

श्री अध्यक्ष-

आपने कह दिया, मंत्री जी ने सुन लिया। अब आप बैठ जायं।

श्री मोहम्मद आज़म खां-

मान्यवर, बड़ी अजीब सी बात है। यह तो अगर सदस्य भारतीय जनता पार्टी कहते कि अल्पसंख्यक 50 को दाखिला नहीं मिला और बहुसंख्यक को मिल गया तो शायद सही होता मगर पिछले साल से अब तक अल्पसंख्यक को दाखिला मिला उनका एग्जाम भी हुआ। यह वाकई बहुत

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गम्भीर बात है कि बहुसंख्यक को नहीं मिला। बहुसंख्यक नहीं, उसमें कोई भी आ सकता है। वह बहुसंख्यक वाला नहीं है। वह शब्द सही नहीं है। वह तो जनरल में जो कम्पटीशन में आ जाय, कम्प्टीट कर ले उसको मिलेगा उसमें अल्पसंख्यक भी हो सकता है, बहुसंख्यक भी हो सकता है, अगड़ा, पिछड़ा, दलित कोई भी हो सकता है। तो यह है तो मान्यवर, गम्भीर प्रश्न। इसमें जो आप इग्जाम दिलाने की बात कर रहे हैं तो जब उनका एडमीशन ही नहीं हुआ वह नियमानुसार नहीं माने गये तो फिर उन्होंनें क्लासेज नहीं अटेंड किये, उनकी अटेंडेंस नहीं हुई तो फिर किस आधार पर उन्हें एग्जाम में बिठाया जाय, यह एक परेशानी की बात है। हां यह जरूर हो सकता है कि अगर माननीय अध्यक्ष जी इसमें आप मध्यस्थता कर लें, आप बुला लें वाइस चांसलर साहब को बुला लें, मैं भी हाजिर हो जाऊंगा, माननीय सदस्य आ जायं और जिन्हें आप बेहतर समझें उन्हें बुला लें। उनसे यह जानने की जरूरत तो है। प्रिसिंपल को भी बुलायें, यह जानने की जरूरत है कि पिछले साल से इस साल तक एक कालेज को बी0एड0 की मान्यता मिली हुई है 50 सीट। 50 कन्डीडेट्स उस वक्त और 50 अब। 100 का नुकसान हो चुका है और बहुत मुश्किल से मान्यता मिलती है बी0एड0 की तो इसमें आपसे मेरा निवेदन है कि इसे तो अग्राह्य कर दें ग्राह्य करने योग्य नहीं है, बहुत पुराना मामला है लेकिन इसमें कोई रास्ता मान्यवर, निकलना चाहिए आपकी अध्यक्षता में।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, एक साथ एडमीशन लिया, एक साथ प्रशिक्षण पाया। 100 लोगों ने एक साथ पढ़ा। अटेंडेंस की बात नहीं है। 100 लोगों ने एक साथ पढ़ा मान्यवर। अटेंडेंस का प्रश्न नहीं है मान्यवर। एक साथ सभी लोगों ने प्रशिक्षण पाया।

श्री अध्यक्ष-

देखिये खन्ना जी, माननीय मंत्री जी ने कहा, चिन्ता जाहिर की और कहा कि बुला लीजिये। पूछा जाय कि क्यों ऐसी स्थिति है। तो बैठ जाइये। बात करके इस पर टाइम तय करके किया जायेगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, परीक्षा से पहले करवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष-

कब है परीक्षा ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

अप्रैल में।

श्री अध्यक्ष-

अप्रैल में है ना। तो अभी बहुत टाइम है, बैठिये। बुलाया जायेगा उनको।

श्री दलवीर सिंह-

मान्यवर, हमारी एक महत्वपूर्ण सूचना है। हमको समय दिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

आपने कुछ लिखित दिया था।

श्री दलवीर सिंह-

जी। मथुरा जनपद की है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, इसको जल्दी करवा दें।

श्री मोहम्मद आज़म खां-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य का आग्रह मेरे ख्याल से बलवान है और कोशिश करें हम जल्द से जल्द एक सप्ताह के अंदर बुलाकर इसमें बात करें।

श्री अध्यक्ष-

दलवीर जी, आप नेता हैं, बैठ जायं। आगे कहने दें। मैंने सुरेश कुमार खन्ना जी को सुना और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना। वैसे तो मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं लेकिन जो सुझाव संसदीय कार्य मंत्री ने दिया है उसके अनुरूप कार्य करने की बात करते हैं। विजय बहादुर जी की सूचना है। दिनांक 04-03-2013 को जनपद गोरखपुर में स्वर्ण व्यवसायी दुर्गेश निवासी खोरावार की हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, मैं इसमें शासन का ध्यान आकृष्ट कर ले रहा हूं। प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कर लिया है अब आपको जवाब मिल जाएगा। बब्बन चौहान जी आपकी सूचना है जनपद चन्दौली के ग्राम गोधना में प्राइमरी विद्यालय की छात्रा कु0 पूजा के साथ दिनांक 04-03-2013 को अभद्र व्यवहार करने वाले लोगों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के संबंध में। इस पर भी मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं। अब जवाब आएगा।

श्री बब्बन सिंह चौहान-

एक मिनट हमारी बात सुन लें।

(शोर)

श्री अध्यक्ष-

अब सुनेंगे नहीं। आप मेरे पास आ जाइएगा संसदीय कार्य मंत्री जी को बुलाकर इसमें निदान करा दिया जाएगा।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, आपने नियम-56 के तहत हमें अपनी बात कहने का मौका दिया उसके लिए हम आपके आभारी हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि पिछले वर्ष रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश के 25 को-आपरेटिव बैंकों के लाइसेंस निरस्त किए थे जिसमें बड़ी तादाद में इम्पलाइज और लोगों के पैसे लगे हुए थे इसी सदन में मैंने बात उठाई थी और सरकार ने आश्वासन दिया था नौ बैंकों का सरकार ने रिनूवल करा लिया रिजर्व बैंक से, लेकिन मान्यवर, 16 बैंक को-आपरेटिव बैंक की अभी बची हुई हैं यह विशेष कर सब पूर्वांचल की हैं जिसकी करीब चार सौ शाखायें हैं जिसमें करीब 3 हजार डायरेक्ट इम्पलाई है, 6 हजार के करीब इनडायरेक्ट इम्पलाई हैं जो सोसायटीज के हैं जो करीब दस हजार होते हैं इन बैंकों का तीन वर्षों से कामकाज रुका हुआ है। पांच हजार करोड़ रुपया इसमें फंसा हुआ है लोगों का और तो और तीन वर्षों से इन तीन हजार बैंक इम्पलाइज की तनख्वाह भी नहीं मिल रही है। यह जो बैंक इम्पलाइज हैं यह सर्विस चयन बोर्ड से चुनकर आए हैं सरकार का दायित्व बनता है कि इन इम्पलाई को वेतन दें लेकिन यह

तनख्वाह नहीं पा रहे हैं। हमारा सरकार से अनुरोध है कि जो 16 बैंकों के लाइसेंस रिजर्व बैंक से जारी नहीं हुए हैं उसमें जो प्रदेश की अंशपूंजी लगानी है जो भारत सरकार से पूंजी लेनी है रिजर्व बैंक के थ्रू, बैजनाथन कमेटी के थ्रू, उस पूंजी को ले करके इन 16 बैंकों को चालू किया जाए। जिससे इसमें कारोबार करने वाले लोगों को और जिन लोगों ने इसमें पैसा लगाया है उनको विश्वास हो सके कि उनका पैसा नहीं डूबेगा और जो लोग तीन वर्षों से तनख्वाह नहीं पा रहे हैं उनको तनख्वाह भी मिले और इसे एक महीने के अन्दर मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि यह करा लेंगे। पिछले वर्ष इन्होंने नौ बैंकों का किया था अब 16 बैंक बच गए हैं जिसमें हमारे देवरिया का भी बचा है इसलिए हम चाहते हैं कि इन बैंकों का पुनरुद्धार करा दिया जाए। अपना पैसा लगा करके, बैजनाथन कमेटी से पैसा लगा करके, मानकों के अनुरूप, रिजर्व बैंक को सारी सूचना भेजकर, रिजर्व बैंक से इजाजत लेकर, कारोबार किया जाए जिससे लोगों का जो अहित हो रहा है वे रुक जाएं।

लोक निर्माण, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, सहकारिता, भूमि विकास एवं जल संसाधन मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो अभी मामला उठाया है यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है और सरकार ने प्रयास भी किया है प्रयास करने पर नौ जिला सहकारी बैंक को रिजर्व बैंक का लाइसेंस मिल गया है। रिजर्व बैंक की जो शर्तें हैं वह 25 बैंक बन्द होने की वजह से, रिजर्व बैंक का लाइसेंस नहीं मिल पा रहा है। लेकिन अभी और जो बैजनाथन कमेटी का 1500 करोड़ रुपया मिलना था उसमें से करीब 600 करोड़ की पहली किश्त मिल गई है लेकिन अभी 900 करोड़ मिलना है। उस पर हमने बातचीत की है और अभी कल बात हुई थी केन्द्रीय मंत्री शरद पवार जी से और उम्मीद है कि वह 900 करोड़ रुपया मिल जाएगा तो हम रिजर्व बैंक की शर्तों को पूरा कर सकेंगे और अध्यक्ष जी, आप भी बहुत चिंतित हैं, सिद्धार्थ नगर की बैंक के लिए।

श्री अध्यक्ष-

हां, हमारा भी बन्द है और बन्द ही नहीं है, 46 करोड़ रुपया जनता का जमा है।

*श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, तो इस तरीके से जो 16 बैंकें हैं, इसी तरीके से हर बैंक पर कई-कई सौ करोड़ रुपया बकाया है, रिजर्व बैंक उसकी वजह से लाइसेंस देने में दिक्कत कर रहा है। लेकिन हमारा प्रयास है, केन्द्र सरकार से भी प्रयास है, अगर वह पैसा मिल जाता है और माननीय सदस्य जी से भी हम कहेंगे कि वह वहां भी प्रयास कर लें, मैं तो प्रयास कर ही रहा हूं। कल मीटिंग हुई थी और इसी शुक्रवार को मीटिंग है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम प्रधानमंत्री जी से बात करके कोई हल निकालेंगे। तो हम शुक्रवार को हम अपने प्रमुख सचिव, सहकारिता और यू0पी0 को-आपरेटिव बैंक के एम0डी0 को भेजेंगे। वहां पर हमारे राज्य सभा सदस्य, माननीय नरेश अग्रवाल जी उसमें रहेंगे। उसमें हम चाहेंगे कि आप भी प्रयास करें।

(श्री बब्बन सिंह चौहान माननीय अध्यक्ष के आसन के पास जाकर अपनी नियम-56 की सूचना पर कुछ कहने लगे)

श्री अध्यक्ष-

आप यहां क्यों बात कर रहे हैं ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

हम केन्द्र सरकार से भी अनुरोध करेंगे। इस तरीके से अगर 900 करोड़ रुपया मिल जाता है और शेष जो भी दिक्कतें होंगी, प्रदेश सरकार उन दिक्कतों को दूर करके और केन्द्र सरकार अगर नहीं भी दे रही है।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय नेता प्रतिपक्ष से यह निवेदन करना चाहूंगा क्योंकि आपके माइक्स ऑन रहते हैं और यहां रिकार्डिंग भी होती है। अगर नए सदस्य इतने दिन रहने के बाद भी सीखने में अक्षम रहे हैं तो माननीय अध्यक्ष से इतनी बहस नहीं की जाती है। अगर आपको कोई बहस करना है तो उसके लिए माननीय अध्यक्ष का कक्ष है, वहां जाकर आप करें। इस तरह का आचरण दूसरे नए सदस्यों को सीखने में बाधा पैदा करेगा, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

तो माननीय अध्यक्ष जी हमारा प्रयास है, केन्द्र सरकार से कि वैद्यनाथन कमेटी का जो 900 करोड़ रुपया शेष मिलना है और मैं बताना चाहता हूं कि वैद्यनाथन कमेटी की रिपोर्ट पूरे हिन्दुस्तान में सबसे पहले 2006 में उत्तर प्रदेश की सरकार ने लागू करायी थी, सब औपचारिकताएं पूरी कर दी थीं। इसलिए मैं सदस्य जी से कहूंगा कि वहां प्रयास करें। अगर केन्द्र सरकार नहीं भी देती है, तब भी हम प्रयास करेंगे कि इन 16 बैंकों को लाइसेंस मिले और यह बैंकें चलें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

(श्री दलबीर सिंह के बोलने के लिए खड़े होने पर)

आप सीनियर लीडर हैं। आप लोग नियम-56 की दो-दो सूचनाओं पर हस्ताक्षर करते हैं। नियम यह है कि एक सदस्य एक सूचना पर हस्ताक्षर करेगा, अगर दो पर हस्ताक्षर कर देगा तो दोनों सूचनाएं खारिज हो जायेंगी। आप लोगों ने दो-दो सूचनाएं दे दी हैं और दोनों पर सभी ने दस्तखत कर दिए हैं। इसलिए कल विधिवत् आप दीजिए, इसकी गंभीरता को मैं समझता हूं। विधिवत् दो माननीय सदस्यों का हस्ताक्षर कराकर आप देंगे तो उसको हम स्वीकार कर लेंगे।

(बसपा सदस्य श्री बब्बन सिंह चौहान के कुछ बोलने का प्रयास करने पर)

मैंने जब उसमें कह दिया, सरकार का ध्यान आकृष्ट कर लिया। यह भी कहा कि मैं संसदीय कार्य मंत्री जी को बुलाकर, आपकी बात कराकर उसका निदान कराऊंगा तो क्यों बार-बार उसको कह रहे हैं ?

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य बब्बन चौहान जी नए सदस्य हैं और इनकी विधान सभा क्षेत्र मुगलसरांय में एक 8 साल की लड़की के साथ बलात्कार की घटना हुई है। इनकी सूचना

लगातार 3 दिन से निरस्त हो रही है। लड़की को न्याय दिलाने के बजाय, बलात्कारियों को गिरफ्तार करने के बजाय, लड़की को थाने पर 3 दिन से बैठाये हुए हैं। मेडिकल जांच हो गयी और मेडिकल जांच होने के बाद चिन्हित व्यक्ति है तो गिरफ्तारी होनी चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। गिरफ्तार करने के बजाय उल्टे लड़की को 3 दिन से थाने पर बैठाये हैं। 3 दिन तक लगातार थाने पर बैठाने का मतलब है, इस मामले को रफा-दफा करने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए मान्यवर, आपका संरक्षण चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

मैंने इसीलिए सरकार का ध्यान आकृष्ट किया और इनसे कहा कि आप हमारे कक्ष में आइयेगा। मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से भी आग्रह करूंगा, वह आयेंगे।

सामने बात करके पूरी बात आ जाएगी। उस पर कार्रवाई हो जाएगी। क्योंकि समय कम है। बजट है। आपने अपनी बात कह दी सारी बात आ गयी।

श्री मोहम्मद आजम खां-

बिलकुल गंभीर मामला है। आपने आश्वस्त भी किया है। सरकार भी इसमें किसी तरह की कोई उदासीनता नहीं बरतेगी। बिलकुल तत्पर कार्रवाई होगी।

(श्री सतीश महाना, श्री संजय कपूर, श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

संजय कपूर जी आपकी सूचना पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर दिया है, श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या की सूचना पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर दिया है। अग्रवाल साहब आपका रोज रहता है। बैठिये।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मेरी सूचना नहीं आ पायी है। कल ले लीजिएगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। अब जीरो आवर खत्म। कार्य-स्थगन समाप्त।

[1.20] वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या-09 ऊर्जा विभाग

लोक निर्माण, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, सहकारिता, भूमि विकास एवं जल संसाधन मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-09-ऊर्जा विभाग के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,11,30,54,99,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, यदि अनुमति हो तो आबकारी विभाग का बजट भी अभी रख दूं।

श्री हुकुम सिंह-

नहीं वह बाद में रखें।

श्री अध्यक्ष-

अभी आप ऊर्जा का रख दें। आबकारी का बाद में कर लें।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, वैसे भी आबकारी का बजट शाम को होता है। शाम को ही उसका बजट लायें तो अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष-

आपको इसका अच्छा ज्ञान है मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

(हंसी)

श्री हुकुम सिंह-

कुछ लोग दिन में ही शुरू हो जाते हैं।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, ऊर्जा के बारे में सदन में कई बार बहुत सी बातें हो चुकी हैं। ऊर्जा हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी सरकार ऊर्जा के बारे में स्थायी सुधार करना चाहती है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश की आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 19 करोड़ 95 लाख से अधिक है। केवल भारत या विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रान्त उत्तर प्रदेश है। इतनी बड़ी आबादी की आवश्यकता की पूर्ति तथा यहां स्थापित उद्योगों के लिए भारी मात्रा में ऊर्जा की जरूरत है। पिछली सरकार द्वारा ऊर्जा स्रोतों के विकास के लिए कोई कार्य नहीं किया गया, जिसके कारण हमें पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध कराने में दिक्कत हो रही है, लेकिन शीघ्र ही सारी समस्याओं का हल निकाल लिया जायेगा। हम चाहते हैं कि गांवों के किसानों को पर्याप्त मात्रा में बिजली मिले, इसके लिए कार्य योजना बनाई जा रही है। ऊर्जा क्षेत्र में योजना एवं परियोजनाओं के लिए 11,732 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है । जो गत वर्ष की तुलना में 24.50 प्रतिशत अधिक है। आजादी के इतने साल बाद भी कई गांव ऐसे हैं जहां बिजली के तार तक नहीं पहुंचे हैं । 3,453 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 3,854 गांव एवं 30,670 मजरों व मोहल्लों का विद्युतीकरण किया जायेगा। जिन-जिन देशों की प्रति व्यक्ति बिजली का उत्पादन व उपभोग अधिक है, वही देश विकास में आगे हैं, इसके लिए हमने व हमारी सरकार ने प्रयास किया है जिसकी वजह से राज्य सेक्टर में वर्ष 2006 में हरदुआगंज में 500 मेगावाट, पारीक्षा में 500 मेगावाट तथा अनपरा-डी में 1000 मेगावाट क्षमता की स्थापना का कार्य प्रारम्भ किया था। ये परियोजनायें वर्ष 2009 में पूरी हो जानी चाहिए थीं, लेकिन पिछली सरकार की ढिलाई से इन परियोजनाओं को पूर्ण करने में विलम्ब हुआ है। हरदुआगंज एवं पारीक्षा की एक-एक इकाई तथा अनपरा-डी की दोनों इकाइयों की कमीशनिंग अभी नहीं हुई है।

हमनें प्रधान मंत्री जी के स्तर पर बैठकें करा कर के इन योजनाओं को पूर्ण करने के लिए बीएचईएल पर दबाव बनाया, जिसके फलस्वरूप पारीक्षा की एक इकाई इस माह में कम्प्लीट हो जायेगी तथा हरदुआगंज की इकाई जून, 2013 के अन्त तक कम्प्लीट हो जायेगी। इससे गर्मियों में 500 मेगावाट अतिरिक्त बिजली मिल सकेगी। अनपरा-डी की एक इकाई माह मार्च, 2014 में तथा दूसरी इकाई, जुलाई, 2014 तक कम्प्लीट हो जायेगी। इससे 1000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली मिलेगी। हमने

निजी क्षेत्र में 600 मेगावाट क्षमता की रोजा स्टेट-वन एवं 600 मेगावाट क्षमता की रोजा स्टेट-टू परियोजना का एमओयू वर्ष 2006 में हस्ताक्षरित किया था, जिससे प्रदेश को बिजली मिल रही है। श्रीनगर जल विद्युत परियोजना का भी एमओयू वर्ष 2006 में हस्ताक्षरित किया था, लेकिन विकासकर्ता को पिछली सरकार ने सहयोग नहीं दिया, जिसके कारण यह परियोजना समय से पूरी नहीं हो सकी। हमने अपनी परियोजना से सम्बन्धित सभी समस्याओं का निराकरण कर दिया है तथा इस परियोजना के अगले दो वर्ष में चालू हो जाने की सम्भावना है, इससे प्रदेश को 280 मेगावाट बिजली मिलेगी। पिछली सरकार ने निजी कम्पनियों के साथ 10 समझौते हस्ताक्षरित किये, लेकिन केवल 450 मेगावाट की एक परियोजना चालू हुई। पिछली सरकार के पूरे कार्यकाल में राज्य सेक्टर में किसी भी नई परियोजना का कार्य प्रारम्भ नहीं किया, जिसके कारण प्रदेश की बिजली की बढ़ती हुई मांग एवं आपूर्ति के बीच भारी अन्तर उत्पन्न हो गया है। केवल समझौता करने से बिजली नहीं मिलती, इसके लिए गम्भीरता से प्रयास कर के परियोजनाओं को पूरा करना पड़ता है। हमारी सरकार ने पिछले कार्यकाल में जो योजनाएं शुरू की थीं, उन्हीं से आज प्रदेश को बिजली मिल रही है, वरना बिजली की स्थिति और अधिक खराब होती । पिछली सरकार ने बिजली की लागत में वृद्धि के बावजूद बिजली की दरों में पिछले तीन वर्षों में कोई संशोधन नहीं किया जिसके कारण बिजली कम्पनियों के घाटे रुपया तीस हजार करोड़ तक पहुंच गये। स्थिति इतनी गम्भीर हो गई है कि एनटीपीसी एवं अन्य विद्युत उत्पादन की कम्पनियां बिजली काटने को तैयार हैं। राज्य सरकार के संसाधन सीमित हैं। तथा बिजली कंपनियों के पास बिजली खरीदने के लिये पर्याप्त धन होना चाहिये इसलिये हमें बिजली दरों में वृद्धि का अप्रिय कदम उठाना पड़ा है। वर्तमान में बिजली आपूर्ति की औसत लागत रु0 7.00 प्रति यूनिट है जबकि औसत टैरिफ रु0 4.30 प्रति यूनिट है। इस अन्तर के साथ बिजली क्षेत्र का विकास सम्भव नहीं है। हमारी सरकार बिजली की चोरी रोकने, बिजली दरों को तर्क संगत बनाने तथा गरीब उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध कराने की कार्य योजना लागू कर रही है। अगले 5 वर्षों में बिजली कम्पनियां आर्थिक रूप से स्वावलम्बी हों, इसकी कार्य योजना बनायी जा रही है। हमने ओबरा विस्तार-1320 मेगावाट, पनकी विस्तार-660 मेगावाट तथा हरदुआगंज विस्तार के अन्तर्गत 660 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने के लिये कार्य प्रारम्भ कर दिया है। ये सभी परियोजनाओं को अगले 5 वर्ष में पूर्ण करने का लक्ष्य है।

संयुक्त क्षेत्र में नैवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन एवं एन0टी0पी0सी0 के साथ कुछ समझौते किये हैं, उन परियोजनाओं को भी शीघ्रता से पूर्ण करने का प्रयास किया जायेगा। इन दोनों परियोजनाओं से लगभग 2300 मेगावाट बिजली प्रदेश को मिलेगी। फेज-2 बिडिंग के अन्तर्गत जनपद एटा में 1320 मेगावाट तथा सोनभद्र 1980 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं को शीघ्रता से स्थापित करने के लिये भी प्रयास किये जा रहे हैं। हमने 6000 मेगावाट बिजली फेज-1 बिडिंग प्रक्रिया के माध्यम से क्रय करने के लिये निविदायें आमंत्रित की थीं जिसमें से 300 मेगावाट बिजली के क्रय आदेश दे दिये गये हैं तथा शेष निविदाओं पर शीघ्र निर्णय लिया जायेगा। यह बिजली वर्ष 2017 से मिलेगी। वितरण क्षेत्र के विकास के लिये ऊर्जा विभाग के बजट रु0 841 करोड़ तथा स्पेशल कम्पोनेण्ट प्लान से रु0 229 करोड़ का प्रावधान किया है। इस धनराशि से नये उपकेन्द्रों एवं लाइनों का निर्माण, वर्तमान उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि अन्य कार्य किये जायेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों एवं तहसीलों की विद्युत आपूर्ति में

सुधार के लिये 338 नये उपकेन्द्र एवं सम्बन्धित लाइनों का निर्माण किया जायेगा जिस पर लगभग रु0 1400 करोड़ का व्यय होगा। इस धनराशि को 90 प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से ऋण लेकर वहन किया जायेगा। लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत रु0 188 करोड़ ऊर्जा विभाग के बजट से तथा 52 करोड़ स्पेशल कम्पोनेण्ट प्लान से उपलब्ध कराने का प्रावधान किया है। किसानों के निजी नलकूपों के विद्युतीकरण के लिये ऊर्जा विभाग से रु0 134.40 करोड़ तथा स्पेशल कम्पोनेण्ट प्लान से रु0 35.60 करोड़ का प्रावधान किया है। पावर लूम बुनकरों के बकाया बिलों को माफ करने की घोषणा हमने अपने घोषणा-पत्र में की थी। इसके लिये आवश्यक धनराशि पावर कॉरपोरेशन को उपलब्ध करा दी गयी है। पावर लूम बुनकरों को वर्ष 2013-2014 में अनुदान के लिये रु0 166.75 करोड़ का प्रावधान किया है। व्यावसायिक क्षेत्रों में विद्युत नेटवर्क के सुधार एवं विस्तार के लिये भी हमने ऊर्जा विभाग के बजट में रु0 657 करोड़ का प्रावधान किया है। केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत 22 जनपदों में सभी गैर विद्युतीकृत ग्रामों तथा 300 से अधिक आबादी वाले मजरों का विद्युतीकरण किया जायेगा। इसके लिये निविदायें आमंत्रित की जा रही हैं। प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को बिजली की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये हम केन्द्र सरकार को परियोजनायें भेज रहे हैं तथा इनकी स्वीकृति मिलते ही ग्रामीण विद्युतीकरण का वृहद कार्यक्रम लागू किया जायेगा। पारेषण तंत्र का विकास किये बिना विद्युत को उपभोक्ता तक पहुंचाना सम्भव नहीं है। अतः हमने पारेषण नेटवर्क के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के लिये ऊर्जा विभाग के बजट में रु0 802 करोड़ तथा स्पेशल कम्पोनेण्ट प्लान में रु0 218 करोड़ का प्रावधान किया है।

हमारी सरकार ऊर्जा के क्षेत्र के विकास के लिए ठोस कार्यक्रम लागू कर रही है। हमने ऐसे कोई समझौते नहीं किए जिससे प्रदेश को कभी भी बिजली न मिले, दलित जनता को भ्रमित करके झूठी वाहवाही ली जाए। हमारी सरकार समाज के गरीब वर्ग, किसानों एवं उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार बिजली देने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने जो वायदे किए हैं, उन्हें पूरा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ऊर्जा विभाग का बजट प्रस्तुत करता हूं और हमारा सभी सदस्यों से निवेदन है कि इसे स्वीकृत करायें।

श्री अध्यक्ष-

मा0 नेता प्रतिपक्ष मौर्या जी, कटौती का प्रस्ताव रखें।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मा0 अध्यक्ष जी अनुदान संख्या-09-ऊर्जा विभाग सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए, कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना। मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी ने बड़ा लंबा-चौड़ा बजट प्राविधानित किया है और जिस तरीके से पिछले एक साल में विद्युत आपूर्ति की चरमराई व्यवस्था थी, वह जगजाहिर है और एक साल के बिजली के प्रति सरकार की जो उदासीनता परिलक्षित हुई है उससे स्पष्ट होता है कि इतने बड़े धन का अपव्यय करना उत्तर प्रदेश की जनता के हित में नहीं होगा। मान्यवर, जैसाकि जब से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आई है और आज 6 मार्च है, 15 मार्च को पूरे एक साल सरकार के भी हो जाएंगे, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में जो बिजली का संकट था, जिससे पूरे उत्तर प्रदेश की जनता त्रस्त थी, यही नहीं बिजली संकट के चलते, पूरे उत्तर प्रदेश के महानगरों में और शहरों में पेयजल के

संकट के कारण पानी पीने के लिए भी लोगों को आंदोलन करना पड़ता था। यहां तक कि इस बिजली संकट को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक फैसला किया था कि बड़े शहरों और मॉल में 7 बजे के बाद दुकानें बंद कर दी जायेंगी, तमाम व्यवसायियों और व्यापारियों के विरोध के बावजूद, सरकार को उस फैसले से बैरंग वापस भी होना पड़ा था। आज ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की जो दुर्दशा है, उससे हम सभी वाकिफ हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में मात्र 3-4 घंटे बिजली आती है।

(सत्ता पक्ष के मा0 सदस्यों के बीच में बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

शांत रहें, सुने, जब आपको अपना पक्ष रखना होगा, तब आप रखियेगा। अभी शांत रहिए, सुनिये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

अभी बजट के पक्ष में, जब आप चर्चा में भाग लेंगे तो अपना जितना गुणगान है, कर लीजिएगा, लेकिन सही बात को अभी सुनने का धैर्य रखिए। मा0 अध्यक्ष जी, ग्रामीण क्षेत्रों में मात्र 4-5 घंटे बिजली आती है और जिस तरीके से आज किसान बेहाल है, बिजली के अभाव में अपना ट्यूबवेल नहीं चला पा रहा है। पढ़ने वाले बच्चे, छात्र और छात्राएं विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है। हाईस्कूल, इण्टरमीडियट बोर्ड की परीक्षाएं सिर पर हैं, लेकिन बिजली की आंख-मिचौली किसी से छिपी हुई नहीं है। 4-5 घंटे में भी बिजली कब आएगी, कब जायेगी इसका कोई ठौर और ठिकाना नहीं है, इसलिए मान्यवर, सत्तापक्ष के मा0 सदस्यों की जिज्ञासा है कि क्या आपके समय था, मैं अपने समय की भी बात बताऊंगा और आपके समय की भी बात बताऊंगा, जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो मान्यवर, ग्रामीण क्षेत्रों में चौदह घण्टे बिजली का प्राविधान किया गया था। सत्ता पक्ष की ओर से झूठ-झूठ की आवाजें मान्यवर, चौदह घण्टे बिजली हम ग्रामीण क्षेत्रों में मुहैय्या कराते थे। विशेष परिस्थितियों में यदा कदा कहीं कोई अव्यवस्था होती थी तो एक-दो घण्टे इसमें कमी भी हो जाती थी। लेकिन मान्यवर, चौदह घण्टे की हमने समय सारणी निश्चित की थी, उसमें सात घण्टे दिन में और सात घण्टे रात में बिजली देते थे। एक शिड्यूल था वह रात और दिन दोनों का था यानी चाहे छात्र हों, किसान हों, या व्यापारी हों सबको समयानुसार उपयोग करने के लिए बिजली मिला करती थी, लेकिन आज सत्ता पक्ष के हमारे साथियों के बीच हो सकता है कि उन पर माननीय ऊर्जा मंत्री जी की मेहरबानी हो गयी हो और हो सकता है कि उनको ज्यादा बिजली मिल रही हो, लेकिन जो उत्तर प्रदेश की बदहाली है वह किसी से छिपी नहीं है।

मान्यवर, इस बिजली की संकट को लेकर इस सदन में भी कई बार विभिन्न प्रश्नों के माध्यम से प्रश्न उपस्थिति हुए हैं, और मान्यवर समय-समय पर इस पर चिन्ता भी व्यक्त की गयी है। मान्यवर, आज जब यह सरकार अपने पिछले बजट की धनराशि का पूरा उपयोग नहीं कर पायी है तो फिर इतने बड़े बजट का प्राविधान करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। यहां तक कि मान्यवर, शहरी क्षेत्रों में विशेषकर जिला मुख्यालयों और तहसील मुख्यालयों में हमारी सरकार के समय में बीस-बीस घण्टे बिजली मिलती थी और महानगरों में जो कमिश्नरी मुख्यालय है, वहां बिना कटौती के 24 घंटे बिजली मिलती थी। इसलिए मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्यगण मुझे सुनने का काम करें। आप माननीय ऊर्जा मंत्री जी को बचाने का काम न करें और हमें इस विभाग की

कमियों को उजागर करने का मौका दिया जाय। अगर इनके संज्ञान में वह कमियां आ जायेंगी तो हो सकता है कि आपका भी भला होगा, विभाग का भी भला होगा और इस प्रदेश का भी भला हो जायेगा।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष जी नेता प्रतिपक्ष जी बोलें, आपको तो हर विषय पर बोलने का अधिकार है आप किसी भी समय बोल सकते हैं। क्या आपको शोभा देता है कि आप बिजली के बजट पर कटौती का प्रस्ताव रखें। सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट। फिर आपने अपने पूर्व ऊर्जा मंत्री जी को यहां से भगा दिया आपकी हक मारने की आदत है, जब सरकार में रहे तब भी और आज विपक्ष में हैं तब भी अपने साथियों का हक मारने में लगे हुए हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता प्रतिपक्ष जी माननीय मंत्री जी ने 13 मिनट में अपना भाषण समाप्त कर दिया था। आप मुख्य-मुख्य सुझाव दे दें। आपको तो होम डिपार्टमेण्ट के बजट पर भी बोलना ही है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, कई मौके ऐसे आये हैं जब माननीय मुख्य मंत्री सहित सरकार के सभी मंत्री बिजली जैसे महत्वपूर्ण विषय पर इस सदन को उलझाने की कोशिश किये हैं, गुमराह करने की कोशिश किये हैं, इसलिए सदन के सामने हमारी सारी बातें आनी चाहिए तथ्य सामने आने चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, जब जब इस पर चर्चा हुई है सत्ता पक्ष के लोगों ने पिछली सरकार का हवाला दे करके अपनी कमियों को छिपाने की कोशिश की तो आज मैं पिछली भी सरकार और वर्तमान सरकार दोनों का लेखा जोखा मैं यहां रखूंगा। इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारा उद्देश्य था उत्तर प्रदेश को 24 घन्टे बिजली दिलाने का और इसीलिए मान्यवर, 2017 तक की हमारी कार्य योजना थी अब 2017 तक की कार्य योजना के बाद बिजली उत्पादन से केवल पूरा उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर ही नहीं होता बल्कि हम दूसरों को भी बिजली देने के हालात में आते और हमारा उद्देश्य था 2014 तक हम पूरे प्रदेश को उसकी मांग के अनुरूप बिजली उपलब्ध करा सकें। लेकिन चूंकि मान्यवर, सत्ता परिवर्तन होता रहता है आज समाजवादी पार्टी सरकार में है उसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही है कि जो हमने कार्य योजना तय की थी 2017 तक के लिए और 2014 में 24 घन्टे बिजली उपलब्ध कराने के लिए, अब सरकार अपनी उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए युद्धस्तर पर पहल करे और जब इतना बड़ा बजट का प्राविधान किया जा रहा है तो हम समझते हैं कि यदि 2014 तक पूरे उत्तर प्रदेश को मांग के अनुरूप बिजली उपलब्ध नहीं करा दी जाती तो इसका मतलब कहीं न कहीं सरकार उसके प्रति उदासीन है और लापरवाही बरत रही है। इसलिए मैं सावधान करना चाहता हूं कि सरकारें आती और जाती हैं प्रदेश की जनता और उसकी आवश्यकताएं, बिजली की मांग दिनों-दिन उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही हैं। आज यह सारी आवश्यक उपयोगी वस्तुओं में है।

उपभोक्ता की प्राथमिकता बिजली बन गयी है। ऐसे हालात में बिजली मांग के अनुरूप देने की जिम्मेदारी सरकार की बनती है और उसके लिए सरकार को पहल करनी चाहिए। जैसे कि कई बार यहां पर यह बात आई कि सामने बैठे हुए हमारे साथियों ने और यहां तक कि अपने साथियों के

भवर में फंसे माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी वही भाषा बोलना शुरू किया कि यह सब बसपा सरकार की देन है। लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं 2006 और 07 में जब हम सरकार में नहीं थे हम तो सरकार में मई में आये हैं उसके पहले आप सत्ता में थे तो 2006 और 07 में बिजली यहां पर जो लाभ इस प्रदेश के लोगों को दिया जाता रहा 131.9 मिलियन यूनिट और मई 2011-12 में हमने बिजली दिया है लोगों को 200 मिलियन यूनिट, जून 2006-07 में बिजली दी गयी थी 134 मिलियन यूनिट और जून 2011-12 में हमने दिया था 200.9 मिलियन यूनिट, जुलाई 2006-07 में अपने दिया था 131.8 मिलियन यूनिट और हमने दिया जुलाई 2011-12 में 216.3 मिलियन यूनिट । मतलब मई से लगातार, मई से जब से हमारी सरकार आई यानि जब हम मई में सरकार बनाये हैं तो 2006-07 में 131 मिलियन यूनिट था और जब हम सरकार छोड़े हैं, हमने कहा कि जब हम सरकार बनाये थे तब क्या था और जब सरकार छोड़े तो क्या था । मान्यवर, वर्ष 2006-07 में 131.8 मिलियन यूनिट और जुलाई में जब हम वर्ष 2011-12 में छोड़कर गये हैं तो 216.3 मिलियन यूनिट। अगस्त, 2006-07 में 139.7 मिलियन यूनिट था और अगस्त, 2011-12 में जब हम छोड़कर गये हैं तो 209.5 मिलियन यूनिट। सितम्बर, 2006-07 में 151 मिलियन यूनिट था और सितम्बर, 2011-12 में जब हम छोड़कर गये हैं तो 213.2 मिलियन यूनिट। अक्टूबर, 2006-07 में 147.1 मिलियन यूनिट था और 2011-12 में जब हम छोड़कर गये हैं तो 193 मिलियन यूनिट। यानि कि हमने बिजली देने में उत्तरोत्तर वृद्धि की, यह उसका आंकड़ा है। जब 2007 में हमने सरकार बनायी उस समय कहां से शुरूआत हुई थी और वर्ष 2011-12 में जब हम छोड़कर गये हैं उस समय हम कहां तक पहुंचे हैं उसका यह आंकड़ा है। मान्यवर, नवम्बर, 2006-07 में 137 मिलियन यूनिट और नवम्बर, 2011-12 में 184.7 मिलियन यूनिट। दिसम्बर, 2006-07 में 139 मिलियन यूनिट और दिसम्बर, 2011-12 में 189.7 मिलियन यूनिट। जनवरी, 2006-07 में 145.7 मिलियन यूनिट और जनवरी, 2011-12 में 194.6 मिलियन यूनिट। फरवरी, 2006-07 में 129 मिलियन यूनिट और फरवरी, 2011-12 में 205. 1 मिलियन यूनिट। मार्च, 2006-07 में 131.7 मिलियन यूनिट और 2011-12 में 199.6 मिलियन यूनिट। हमने यह तुलनात्मक आंकड़ा इसलिए दिया क्योंकि बार-बार माननीय मुख्य मंत्री जी कहते हैं और सरकार के मंत्रीगण कहते हैं और सबसे ज्यादा चतुर चालाक मामले को घुमाने वाले संसदीय कार्य मंत्री जी भी यही बात बोलते हैं इसलिए मैं स्थिति को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमने उत्तरोत्तर अपने सरकार के कार्यकाल में बिजली आपूर्ति काफी ज्यादा की और काफी प्रगति रही। यहां तक कि सपा सरकार में जो दी जाती थी उसमें हमने 50 प्रतिशत की वृद्धि की। मान्यवर, इसीलिए मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूं वर्ष 2006-07 में लाइन हानियां।

(सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों के बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य सुन लें आपको भी सुनना चाहिए।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

वर्ष 2006-07 में लाइन हानियां 40 प्रतिशत थीं बसपा सरकार ने वर्ष 2012 तक इसे घटा करके 30 प्रतिशत पर ला करके खड़ा किया।

सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा-

जो बिजली बची वह गई कहां ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

यही चिन्तनीय विषय है, आप दिल पर हाथ रखकर टटोलो कि वह बिजली कहां चली गई, रामपुर में चली गई या इटावा में चली गई, यह आप पता करो।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग शान्त रहें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, वर्ष 2006-07 में कुल वसूली जहां 9516 करोड़ रुपए थी वहीं 2012 में हमने इसको बढ़ा करके 17 हजार करोड़ रुपए किया था। मान्यवर, बिजली सप्लाई में 50 प्रतिशत की वृद्धि और बकाया वसूलने में हमने 100 प्रतिशत की वृद्धि की थी। जो हमारी बिजली के प्रति तत्परता थी उसी की देन थी कि हमने दोनों में बड़े पैमाने पर प्रगति की थी। इसलिए बार-बार अपनी कमियों को छिपाने के लिए बसपा सरकार का चादर ओढ़ना, बसपा सरकार पर अपनी तोहमत थोप देना इस बात को जाहिर करता है कि आप हमेशा झूठा और मनगढन्त आरोप लगा करके उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता विरोधी दल, आपको बोलते हुए 20 मिनट हो गया है, अभी आपके सदस्यों को भी बोलना है, आपने अपना पक्ष रख दिया है, अब अच्छे सुझाव दे करके समाप्त कीजिए।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि यह सरकार किसान हितैषी बनती है मुफ्त बिजली देने की बात भी करती है लेकिन 5 हजार रुपए बकाये वाले उपभोक्ताओं की बिजली काटने में यह सरकार बड़ी तत्परता दिखा रही है। जबकि हमारी सरकार में 1 लाख रुपए बिजली बिल का भुगतान न करने वाले के खिलाफ कार्रवाई होती थी यहां तो 5 हजार रुपए बाकी वाले के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। अगर 5 हजार रुपया किसी का बिल बाकी है तो इसका मतलब है कि वह सामान्य व्यक्ति है, गरीब है, मझोले टाइप का व्यक्ति है तो ऐसे लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है इस पर अंकुश लगना चाहिए। अगर आपको वसूली करनी है तो जो बड़े बकायेदार हैं उनसे वसूली कीजिए। एक लाख, दो लाख, पांच लाख, दस लाख यहां तक कि करोड़ रुपए वाले भी बकायेदार हैं उनसे वसूली करके भरपाई कीजिए लेकिन जो छोटे-छोटे गरीब, मजदूर, किसान या छोटे व्यापारी हैं या कर्मचारी हैं, उन पर इस प्रकार की प्रताड़ित करने की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मान्यवर, हमने उद्योग में जो बड़े पैमाने पर बिजली चोरी होती थी उस पर रोक लगाई। आज बड़े पैमाने पर उद्योगों में बिजली की चोरी हो रही है। हमारे सत्तापक्ष के लोगों ने कहा कि आखिर बिजली गई कहॉ, उद्योग और कारखानों में बिजली की चोरी बन्द कर दीजिए बिजली पर्याप्त मिलना प्रारम्भ हो जायेगी। बिजली पहले भी थी, आज भी है और चूंकि मांग के अनुरूप बिजली उत्पादन अभी नहीं हो पा रहा है, इसीलिए 27 सौ मेगावाट बिजली हमारी सरकार क्रय भी करती थी।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज माननीय मुख्य मंत्री जी, मैं इसलिए नहीं यह बात कह रहा हूं चूंकि कटौती प्रस्ताव रखने का मतलब ही है सुझाव देना। आज जब ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसफारमर बदलने की बात आती है तो क्या माननीय मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में है कि ट्रांसफारमर बदलने के लिए 20-20 हजार रुपए की घूस ली जा रही है। यह बात हम इसलिए आपके संज्ञान में लाये हैं कि इसकी तफ्तीश अपने विश्वस्त अधिकारियों के द्वारा कराने का काम करें और यदि कहीं इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो उसे रोकने का प्रयास किया जाना चाहिए। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने भी अपने जवाब में यहां पर स्पष्ट किया था कि मांग के अनुरूप अभी उत्तर प्रदेश बिजली उत्पादित नहीं कर पा रहा है। जब समाजवादी पार्टी वर्ष 2007 में सरकार छोड़ करके गई थी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई थी उस समय 2000 मेगावाट बिजली का उत्पादन उत्तर प्रदेश में था जबकि मांग उस समय 9000 मेगावाट थी। मान्यवर, यह जो माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पुस्तिका है, इसमें जो 2013-14 की कार्य योजना इन्होंने दिखाई है यह सारी की सारी कार्ययोजना हमारी सरकार की प्रारम्भ की हुई है। इसमें नया कुछ नहीं है अगर वर्ष 2011-12 की बजट पुस्तिका उठा लीजिए तो यह सारी कार्य योजनाएं बसपा सरकार की देन हैं। जब यह हमारी सरकार की कार्य योजनाएं हैं तो हम तो इस कार्ययोजना का स्वागत करते हैं लेकिन अनुरोध करते हैं कि इन कार्य योजनाओं के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। जैसे 11 महीने तक आपने अपनी घोषणाओं के साथ खिलवाड़ किया वैसे ही बिजली उत्पादन के साथ खिलवाड़ न हो इसलिए जो हमारी कार्य योजना आपने चुराई है, मान्यवर, चुराई नहीं जाती यह तो सतत् प्रक्रिया है यह कार्ययोजना आप छोड़ करके जायेंगे तो फिर हम आगे बढ़ायेंगे।

सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों की ओर से-

गलतफहमी में न रहियेगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

हम गलतफहमी में नहीं हैं। हम आश्वस्त हैं। इसलिए आपके माध्यम से मैं केवल इतना ही अनुरोध करना चाहूंगा कि 24 घण्टे बिद्युत उत्पादन करने के उद्देश्य से जो हमारी तमाम परियोजनाएं प्रारम्भ की गई थीं उसी में से हरदुआगंज में 500 मेगावाट में ढाई सौ मेगावाट का उत्पादन 2011 में प्रारम्भ हो गया 2011 में 1200 मेगावाट का उत्पादन प्रारम्भ हो गया। अनपरा सी लैंको द्वारा प्रारम्भ किया गया था जो 2011 में 1200 मेगावाट का बिजली का उत्पादन हुआ अगर हमारी सरकार इसकी प्रगति के लिए चिन्तित नहीं होती समय-समय पर उस कार्य योजना को पूरा करने का प्रयास नहीं करती तो 2011 में 1200 मेगावाट का उत्पादन अनपरा सी के द्वारा कैसे होता। इसी प्रकार से हरदुआगंज में 500 मेगावाट में से 250 मेगावाट का उत्पादन 2011 में प्रारम्भ हो गया और ढाई सौ मेगावाट का उत्पादन शुरू हो चुका है। पारीक्षा में 500 मेगावाट का उत्पादन प्रारम्भ होने की स्थिति में था वर्तमान सरकार ने क्या किया है उसके विषय में सरकार जवाब देगी मैं नहीं कहना चाहता। इसी प्रकार से ओबरा में 200 मेगावाट का प्लांट कई वर्षों से बन्द पड़ा था हमने प्रयास करके इसको पूरा कराकर 200 मेगावाट की बढ़ोत्तरी की थी। इसी प्रकार से रोजा थर्मल प्लांट की 300 मेगावाट की तीनों इकाइयों में बसपा सरकार के समय उत्पादन हुआ तथा 300 मेगावाट का उत्पादन अभी प्रारम्भ हुआ है यह सारी की सारी जो मेगावाट उत्पादन रहा है उसकी सारी की सारी अनुमतियां बसपा

सरकार के समय में दी गई थीं। इसी प्रकार से चीनी मिलों को कोयले से विद्युत उत्पादन की अनुमति भी दिया गया था जिसके कारण 450 मेगावाट विद्युत का अतिरिक्त उत्पादन प्रारम्भ हुआ। इस तरीके से हमारी सरकार के कार्यकाल में तीन हजार मेगावाट बिजली का अतिरिक्त उत्पादन किया था साथ ही साथ 3 हजार मेगावाट अतिरिक्त बिजली उत्पादन के बाद भी जब प्रदेश की मांग के अनुरूप बिजली आपूर्ति नहीं हो पा रही थी तो हमने 2700 मेगावाट बिजली का लम्बे समय तक क्रय किए जाने का अनुबन्ध किया था जिसको वर्तमान सरकार ने आगे नहीं बढ़ाया। आज बिजली का संकट क्यों है अगर वह अनुबन्ध आगे चलता होता तो शायद आज बिजली का संकट नहीं होता। इसीलिए मान्यवर आज माननीय मुख्य मंत्री जी भी उपस्थित हैं यह विभाग उन्हीं का है माननीय लोक निर्माण, सिंचाई मंत्री जी बजट प्रस्तुत कर रहे हैं तो चचा भतीजे की जोड़ी यहां उपस्थित हैं। अगर चचा बिजली का उत्पादन नहीं कर पा रहा है तो भतीजे का सहयोग होना चाहिए और अगर भतीजा बिजली नहीं दे पा रहा है तो चचा का सहयोग होना चाहिए। हम समझते हैं कि चचा भतीजे में अगर तालमेल अच्छा रहा तो हो सकता है कि जो हमने कार्य योजना बनाई थी उस पर अमल करेंगे तो 2014 तक बिजली उत्तर प्रदेश की मांग के अनुरूप मिलना प्रारम्भ हो जाएगी।

श्री अध्यक्ष-

आपको बोलते हुए 25 मिनट से ज्यादा हो गए हैं । आपकी पार्टी के और भी अनेक सदस्य बोलेंगे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

इसीलिए मैं छोटी-छोटी बातों को और महत्वपूर्ण बातों को उपलब्धियों को अपनी सरकार के समय की और इस समय का भी हमने इसलिए दिया कि इस पर गौर करने की आवश्यकता है। केवल हमारी तरफ उंगली उठा देने से कमियां छिपती नहीं हैं। या बसपा की ओर इंगित कर देने से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित नहीं हो पाएगी। कहीं न कहीं अगर विद्युत आपूर्ति में कमी है तो उसको आगे बढ़ाने के लिए समय सारिणी के मुताबिक सुनिश्चित कराने के लिए रात और दिन दोनों का अलग-अलग समय सारिणी निश्चित करने के लिए और वर्तमान में बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

अभी बोल रहे हैं जब बैठें तब व्यवस्था का सवाल उठाइए।

श्री प्रमोद तिवारी-

व्यवस्था का प्रश्न कभी उठ सकता है। उनसे मेरी बात हो गयी है। मान्यवर, बिजली की बात मेरी समझ में आती है ट्रांसमीशन, डिस्ट्रीब्यूशन की बात भी ठीक है। लेकिन यह चचा भतीजे की बिजली कहां से है यह मेरी समझ में नहीं आया। अगर चचा भतीजे की इतनी ही बात है। तो माननीय मुख्य मंत्री जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके चचा हैं दुनिया जानती है, पर आप यह भी जान लो कि इनको नाराजगी इस बात की है कि यह तो चचा हैं, वह मामा हैं लेकिन आप उनको मामा कहते नहीं हो। कैसे ? यह मैं आपको बता दूं। हमारे बड़े मित्र हैं और भाई हैं। आपकी बेटी..

श्री अध्यक्ष-

क्यों समय बर्बाद कर रहे हो ?

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, समय बर्बाद नहीं कर रहा हूं, रिश्ता बता रहा हूं। मान्यवर, आपकी बेटी मैनपुरी में ब्याही है। तो इस रिश्ते से जब उनको चचा कहा कीजिए तो इनको मामा कहा कीजिए, वरना आप अन्याय करेंगे यह मैं आपसे स्पष्ट कर देना चाहता हूं। यही नाराजगी हम दोनों की है, हम दोनों भाई-भाई हैं।

(हंसी)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्या-

माननीय अध्यक्ष जी, प्रमोद तिवारी जी बड़े विद्वान हैं और हमारे बड़े भाई हैं। अब वह हमारे बड़े भाई हैं तो क्या लगते हैं वह अपना फार्मूला तय कर लें, लेकिन हमारा और मुख्य मंत्री जी का क्या रिश्ता है और हमारा मा0 मंत्री जी से क्या रिश्ता है, यह हम दोनों आपस में मिल करके तय कर लेंगे ? रिश्ता तय करने के लिए प्रमोद तिवारी जी हैं तो वह अपना रिश्ता तय करते रहें।

मान्यवर, इन सुझावों के साथ मैं कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए यह अपेक्षा करता हूं कि इन सुझावों को सरकार संज्ञान में लेते हुए अमल करेगी और इसीलिए मैंने मांग किया, चूंकि एक साल में सरकार ने कुछ नहीं किया अतः कटौती प्रस्ताव के माध्यम से मांग की राशि एक रुपया करने का अनुरोध किया है। धन्यवाद।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी, एक छोटा सा संरक्षण चाहूंगा। बार-बार नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बिल्ली कहां गयी ? यह बिल्ली का क्या जिक्र था ?

श्री अध्यक्ष-

उन्होंने बिजली कहा है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

यह बिल्ली कहां गयी ? बार-बार आप कह रहे थे तो एक तो उसका स्पष्टीकरण चाहूंगा। दूसरे, मान्यवर हाजमे का यह आलम है माशा अल्लाह, माशा अल्लाह, आज के समाचार-पत्रों में है कि पत्थर के हाथियों के पेट फट गये। (हंसी) आज के समाचार-पत्रों में है। वह भी खा रहे हैं। (हंसी)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी अगर कोई बात रखे हैं तो कहीं न कहीं उसमें कुछ रहस्य है। इन्हें लगता है कि कोई साजिश करके उस हाथी का पेट तुड़वाया है और यहां पर फटने की एक सूचना दे करके अपनी गल्तियां उजागर न हो इसलिए यहां दोषारोपण कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

इसमें अगर कोई मा0 मंत्री जी बजट के पक्ष में बोलेंगे तो उनको 8 मिनट और माननीय सदस्यों को 5-5 मिनट का समय रहेगा। बिजली बड़ा विभाग है इसलिए 4.00 बजे तक यह चर्चा

चलेगी, 45 मिनट हो गया है दो घण्टे और चर्चा होगी, कुल दो घण्टे पैंतालीस मिनट इस पर चर्चा होगी।

* प्रो0 शिवाकान्त ओझा-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने जो बजट रखा है, उस बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, हमारी सरकार और हमारे ऊर्जा मंत्री ने बड़े सोच-समझ करके उत्तर प्रदेश की ग्रामीण और शहरी, सारी परिस्थितियों को देखते हुए इस बजट को रखा है। बजट में पूरा प्रयत्न किया है कि ग्रामीण अंचल में किसानों को बिजली कैसे मिल सके और शहरी अंचल में स्लम एरियाज के अंतर्गत भी बिजली कैसे मिल सके बिजली का समुचित सदुपयोग कैसे किया जा सके, इन सारी चीजों का समावेश माननीय मंत्री जी ने करने का पूरा प्रयत्न किया है। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कटौती का प्रस्ताव रखते हुए बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं, जो तथ्य से परे हैं। मैं सवाल पूछना चाहता हूं उनसे कि आपने बताया कि इतनी यूनिट हमने बढ़ाया, आपने बताया कि इतनी हमने उसमें बढ़ा दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यह सब कैसे बढ़ाया आपने ? ऋण ले करके किया।

(इस समय 02 बजकर 08 मिनट पर अधिष्ठाता श्री सुरेश कुमार खन्ना पीठासीन हुए।)

ऋण को पूरा करने के लिये बैंक से भी ऋण ले लिया। माननीय अधिष्ठाता महोदय आपके माध्यम से भारत में एक बहुत बड़े हमारे राष्ट्र के भीतर एक चिन्तक हुए चारवाक। नास्तिकवादी चिन्तक थे। वो ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, आत्मा में विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने एक नास्तिक पंथ चलाया इस देश के भीतर। जब लोग उनसे पूछने जाते थे कि यह जीवन यापन कैसे चले तो उन्होंने एक वाक्य कहा। मैं विपक्ष के नेता जी को सुनाना चाहता हूं वह वाक्य। उन्होंने कहा

ऋणम् कृत्वा घृतम् पिवेत्
यावत् जीवेत् सुखम् जीवेत्,
भस्मी भूतस्य देहस्य,
कुतः पुनर्जन्म पिवेत्

माननीय नेता विपक्ष ने कटौती प्रस्ताव रखते समय बहुत सारी चीजों में वृद्धि की बात कर दी। यह नहीं बताया इन्होंने कि 10 हजार करोड़ रुपये की बिजली हमने ऋण में खरीदी थी और उसका पेमेंट करने के लिये हमने विभिन्न बैंकों से 18 हजार करोड़ रुपये ले लिया था। मैं पूछना चाहता हूं माननीय नेता विपक्ष से कटौती का प्रस्ताव रखते समय कि यह 10 हजार करोड़ रुपये जो आपने ऋण लिया था उसके भुगतान के लिये 18 हजार करोड़ रुपये ऋण जो आपने लिया था वह पैसा कहां गया ? उस पैसे का कहां उपयोग हुआ। मैं माननीय ऊर्जा मंत्री जी से कहना चाहता हूं और अपनी सरकार से भी कहना चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी से भी कहना चाहता हूं कि इस बात का पता लगाया जाना चाहिए, इस बात की जांच होनी चाहिए जैसा मैंने संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि इन्सान का पेट तो हाजमे की वजह से फट भी सकता है पत्थर के हाथी का भी पेट फट गया। कहीं वह सब पैसा उसी में तो नहीं चला गया। और फिर भी आप कहते हैं कि बिजली नहीं मिल रही। बिजली में नियामक आयोग का अध्यक्ष किसको बनाया था आपने ? मैं पूरी संजीदगी के साथ,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पूरे संज्ञान के साथ कहना चाहता हूं माननीय अधिष्ठाता महोदय कि जो पिछले 6-7 महीने में बिजली की दिक्कत पूरे प्रदेश में हुई उसका सारा जिम्मेदार विपक्ष में बैठी हुई पार्टी है। नियामक आयोग का अध्यक्ष कौन था ? इनकी पार्टी के बड़े नेता, उनका सगा रिश्तेदार था। जो भी प्रस्ताव हमारी सरकार ने विद्युत व्यवस्था को ठीक करने के लिये भेजा वह नियामक आयोग के अध्यक्ष बैठे हुए सबको रिजेक्ट किया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने हमारी सरकार की पैरवी के बाद उनको हटाया और पूरा सदन जानता है चाहे पक्ष हो या विपक्ष। यह सब जानते हैं कि नियामक आयोग के अध्यक्ष के हटने के बाद उत्तर प्रदेश की विद्युत व्यवस्था काफी हद तक सुधरी है और आगे भी सुधरने के रास्ते पर है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने जो बजट रखा है वह इस प्रदेश के चतुर्थिक विकास को दृष्टि में रख करके रखा है। चाहे नये आने वाले औद्योगिक विकास हो, चाहे किसानों को समय से मिलने वाली बिजली का सवाल हो, चाहे तहसीलों के अन्तर्गत जो मुख्यालय हैं उनके अन्तर्गत बिजली समुचित रूप से मिल सके इसलिये हर तहसील मुख्यालय पर एक एक 33 हूंका सब स्टेशन बनाने का फैसला हमारी सरकार ने किया है। बहुत सारी जगह तो प्रारम्भ भी हो चुका और कई जगह शुरू होने की स्थिति में है। जिससे तहसील मुख्यालय पर रहने वाले लोगों को बिजली की व्यवस्था समुचित की जा सके। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, कटौती का प्रस्ताव रखने वाले मित्रों से पूछना चाह रहा हूं कि आपकी क्या हालत थी। आपने कौन सी विद्युत व्यवस्था कर दी थी। तहसील मुख्यालय, हम जिला मुख्यालय पर भी रहने वाले लोग थे, आपके जमाने के भीतर 10-10, 12-12 घंटे बिजली नहीं मिलती थी। तहसील मुख्यालय, ग्रामीणों में तो 3-3, 4-4 दिन बिजली नहीं मिलती थी और आपने जो ट्रांसफार्मर पैदा किया था। माननीय अधिष्ठाता महोदय, बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है इस बात को कि एक दिन ट्रांसफर लगता है। अभी 11 महीने में ट्रासफार्मर कम्पनियां नहीं बनी हैं आपके द्वारा बनाई हुई ट्रांसफार्मर की कम्पनियां थीं। एक दिन ट्रांसफार्मर लगता उसी दिन ट्रांसफार्मर जल जाता है। अधिकारियों से पूछो तो वह कहते हैं कि जहां ताम्बे के तार लगने चाहिए वहां एल्युमीनियम के तार लगाये। एल्युमीनियम के तार लोड नहीं ले पाते वह सारा का सारा ट्रांसफार्मर जल जाता है। किसान त्राहि-त्राहि करता है, जनता त्राहि-त्राहि करती है लेकिन ट्रांसफार्मर की कम्पनियां तो वही थीं। मैं माननीय ऊर्जा मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि उन कम्पनियों में जिन लोगों ने भ्रष्टाचार पैदा किया था उनकी भी जांच करायें और जिन्होंने तांबे के तार के स्थान पर एल्युमीनियम के तार लगाये उनको भी जेल के सींकचों में भेजने का काम कीजिये जिससे उत्तर प्रदेश की जनता हमारी सरकार को धन्यवाद देगी। माननीय अधिष्ठाता महोदय, दो बात कह कर समाप्त करूंगा। मैं कुछ अपने क्षेत्र की भी चर्चा करना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में रानीगंज तहसील है। रानीगंज तहसील के अन्दर पूरे क्षेत्र में कोई 132 का एक भी सब स्टेशन नहीं है। एक स्वीकृत हुआ है। माननीय ऊर्जा मंत्री से आग्रह करूंगा, यहां यहां बैठे अधिकारियों से भी कहूंगा जमीन की उपलब्धता न होने के कारण से पिछले 5 साल तक 132 यहां का नहीं लग पाया था। मैंने निःशुल्क जमीन 132 यहां के लिए तहसील मुख्यालय पर उपलब्ध करानी थी, वह मैंने उपलब्ध करा दी है जिससे हमारे क्षेत्र के अन्दर बिजली की व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। मेरा क्षेत्र नदी और नाले से पटा हुआ क्षेत्र है। दूर-दूर बिजली के सब स्टेशन है। मैंने आग्रह किया है, मा0 मंत्री जी से भी आग्रह किया है, निःशुल्क जमीन उपलब्ध करा दी है, 132 यहां ट्रांसफार्मर लगाने के लिए, तो

वहां ट्रांसफार्मर लगाने का प्रयास करें। मा0 ऊर्जा मंत्री जी दो बातें कहकर मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। राजीव गांधी योजना में बड़े पैमाने पर, मैं पूरे संजीदगी और पूरी जानकारी के साथ कहना चाहता हूं मैंने एम0डी0 साहब और प्रमुख सचिव को लिस्ट दे दी है विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत वह सारे मजरे सम्मिलित कर लिए गए हैं। करीब 80 प्रतिशत मजरे ऐसे हैं जब मैं अपने जमाने में मंत्री हुआ करता था तो उन सारे मजरों का विद्युतीकरण करा दिया था वह भी सम्मिलित कर लिए गए हैं। मैंने कहा था, लेकिन इसकी आज तक कोई सूचना मुझे नहीं मिली, लेकिन इसकी भी जांच हो जानी चाहिए।कौन कर रहा है गड़बड़ी, बड़े पैमाने पर पैसा निकालने की साजिश की जा रही है। अधिष्ठाता महोदय, एक बात कहना चाहता हूं कि जिन-जिन मजरों का विद्युतीकरण मेरे जमाने में हुआ था राजीव गांधी योजना के अन्तर्गत उसमें 70 प्रतिशत मजरे ऐसे हैं जहां खम्भा गड़ा है तार खिंचा है इन्सुलेटर लगा है लेकिन 10 यहां का ट्रांसफार्मर नहीं लगा, उन मजरों को भी इसमें सम्मिलित कर लिया गया है।कहीं कोई साजिश तो नहीं हो रही है।तार का पैसा, खम्भे का पैसा इन्सुलेटर का पैसा लगाकर के मात्र 10 यहां के चार-पांच ट्रांसफार्मर देकर के सारा पैसा निकाल लिया जाएगा और उन मजरों को नहीं लिया 300 की आबादी से ज्यादा के मजरे जहां थे वहां विद्युत नहीं है मैंने आपके एम0डी0 और आपके प्रमुख सचिव को भी लिख कर दिया था।

श्री अधिष्ठाता-

समाप्त करें।

प्रो0 शिवाकान्त ओझा-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे हूं18 ऐसे मार्केट्स हैं मैंने लिस्ट दे रखी है जहां जर्जर तार है जहां बिजली के तार टूट कर गिर रहे हैं आए दिन घटनायें घट जाती हैं। विगत पांच-छः साल से यह स्थिति बनी हुई है अभी थोड़े दिन पहले हमारे देहरूपुर बाजार में, दुर्गा बिंद आदि बाजार में तार टूटकर गिरे और कहीं भैंस,कहीं गाय, कहीं मनुष्य, घटनायें होती हैं और व्यक्ति मरने के कगार पर पहुंचता है मैंने आग्रह किया था बिजनेस प्लान्ट के अन्तर्गत इन सारे प्लान्ट को बदलने का काम कर दें। एक सुझाव देना चाहता हूं ट्रांसफार्मर जो आए दिन जलते हैं।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें माननीय अध्यक्ष जी ने जो व्यवस्था दी है उसके अनुसार बोलें।

प्रो0 शिवाकांत ओझा-

मान्यवर, मैं सुझाव देना चाहता हूं कि बड़ी संख्या में आज लाइनमैन नहीं हैं जे0ई0 नहीं है विद्युत व्यवस्था कौन ठीक करे प्राइवेट लोग जाते हैं वसूली करते हैं बिना पैसे के पैर नहीं रखना चाहते हैं मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि या तो प्राइवेट सेक्टर में देकर इसको सुनिश्चत कर दिया जाए यह व्यवस्था आपकी होगी अन्यथा नये लाइनमैन नये जे0ई0 को व्यवस्था दी जाए ताकि व्यवस्था सुनिश्चित रूप से सुव्यवस्थित हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मा0 ऊर्जा मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय अध्यक्ष जी,ने जो व्यवस्था दी है उसके हिसाब से पांच मिनट हर मा0 सदस्य को बोलना है चार मिनट के बाद लाइट जलेगी उसके बाद समाप्त कर दें।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

स0पा0 की तरफ से दो बोल चुके आप अगर संख्या के आधार पर निर्धारित करेंगे तो नम्बर तो फिर भा0ज0पा0 का आएगा।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 अध्यक्ष जी जब उठकर गए थे तो कह गए थे कि इसके बाद कांग्रेस के बोलेंगे।

*श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। ऊर्जा एक ऐसा विभाग है कि पूरा गांव और शहर इसी पर आधारित है। वर्तमान समय में, बिजली एक ऐसी जरूरत है जो सबके लिए गांव चौराहे सड़क के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था जान पड़ती है। ऐसे में मैं तीन-चार सुझाव आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को देना चाहता हूं हम लोग कुशीनगर जनपद के तमकुहीराज विधान सभा क्षेत्र से आते हैं। हमारे यहां पूर्वांचल के एम0डी0 है, वह कहां रहते हैं उनका कहीं आता-पता ही नहीं चलता है। उनका मोबाइल नम्बर है 94152222222 यह नम्बर किसके पास रहता है यह जानकारी हम लोगों को नहीं हो पाती है जब फोन करिए यह किसी दूसरे के पास मिलता है। कभी तीसरे के पास मिलता है कभी उठता ही नहीं है। मान्यवर, जनप्रतिनिधि होने के नाते कोई शिकायत हो तो हम किससे करें। अगर वहां एम0डी0 हमारी शिकायत नहीं सुनेंगे तो हमारी बिजली संबंधी गड़बड़ियां कैसे ठीक किया जाएगा ? तो बिजली सम्बन्धी कोई जानकारी या बिजली सम्बन्धी कोई गड़बड़ियां होंगी, उनको ठीक कैसे किया जायेगा ? दूसरा चीज, वहां के लिए एक सीयूजी नम्बर एलाट कर दिया जाए। मान्यवर, जब ट्रान्सफार्मर जलता है, हमारे तमकुहीराज विधान सभा में कम से कम डेढ़ महीने-दो महीने के अन्दर ट्रान्सफार्मर नहीं लग पाता है। 25 का हो, चाहे 63 का हो, जब जाइये रिपेयरिंग का ट्रान्सफार्मर मिलता है और एक दिन रहता है, दूसरे दिन पडरौरा फिर लेकर जाना पड़ता है। आने-जाने में 2 हजार रुपया तो ट्रान्सपोर्टिंग लगती है और जो वहां पर बिजली विभाग के लोग हैं, उन लोगों से मिलने के बाद भी शिकायत दूर नहीं हो पाती है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय है, जो विधायक निधि और सांसद निधि का पैसा हम लोग ट्रान्सफार्मर खरीदने के लिए देते हैं, उससे ट्रान्सफार्मर बरसों से नहीं खरीदे जा रहे हैं। स्थिति यह है कि ट्रान्सफार्मर का हम पैसा देते हैं, उससे नए ट्रान्सफार्मर का पैकेज खरीदना चाहिए, जो पिछली सरकार से बन्द है। मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा, मान्यवर, यह लोग क्या करते हैं, पुराने ट्रान्सफार्मर, रिपेयरिंग ट्रान्सफार्मर को यह लोग दे देते हैं, सारे सदन के लोग इस बात के गवाह हैं कि नया ट्रान्सफार्मर का पैकेज बन्द है, अगर नया ट्रान्सफार्मर का पैसा लेते हैं तो इन लोगों को नया ट्रान्सफार्मर उपलब्ध कराना चाहिए। चौथा मैं कहना चाहूंगा, हम लोगों के यहां सारनाथ से 132 केवीए बिजली की लाइन राजापाकड़ के लिए आती है। वहां स्थिति यह है कि पिछले 2 सालों से लगातार इन अधिकारियों की लापरवाही के चलते, अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा, वह बिजली जो सारनाथ से गोरखपुर होते हुए कसयां आना चाहिए और कसयां से राजापाकड़ आना चाहिए, ये लोग लगातार देवरिया से संचालित कर रहे हैं और देवरिया से ऐसे करते हैं, 6 घण्टे हमको देते हैं,

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

फिर बन्द कर देते हैं, फिर पडरौना को देते हैं, फिर बन्द कर देते हैं, फिर खड्डा को देते हैं, फिर बन्द कर देते हैं, फिर रामकोला को देते हैं, ऐसे ये लोग बिजली चला रहे हैं।

मान्यवर, ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ दण्डनात्मक कार्यवाही करनी चाहिए जो आज तक उस व्यवस्था को ठीक नहीं कर पाये हैं। जो सारनाथ से गोरखपुर और कसयां होते हुए राजापाकड़ आता तो शायद हमारे तमकुहीराज विधान सभा को ठीक ढंग से बिजली मिल पाती। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं एक सरकार की योजना थी, बहुत पहले से चल रही है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 100 प्रतिशत सरचार्ज के छूट करने की। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा, आपने 50 परसेण्ट की छूट ग्रामीण अंचलों के लिए रखी है। पिछले समय में क्या होता है, एक मुश्त योजना आती है, उससे यह लाभ होता है कि सारे लोग आराम से अपना बकाया पैसा जमा कर देते हैं और जमा करने के बाद स्थिति यह होती है कि ग्रामीण और शहरी दोनों को इसकी छूट मिल जाती है तो मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहूंगा कि यह सरचार्ज की 100 प्रतिशत छूट ग्रामीण और शहरी दोनों जगहों के लिए कर दी जाए। मान्यवर, मैं एक और मांग करना चाहूंगा कि तरया सब-स्टेशन पर मात्र 5 एम0वी0ए0 का ट्रान्सफार्मर है। बहुत बड़ा क्षेत्र है और वहां पर 5 एमवीए का ट्रान्सफार्मर लगा है, कई साल से प्रस्ताव पड़ा है लेकिन पता नहीं एम0डी0 साहब और इसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी कहां सोये हुए हैं, वहां ट्रान्सफार्मर नहीं लग पा रहा है। रोज ट्रिपिंग होती है, रोज घटनाएं होती हैं। मान्यवर, एक और बात करके मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। हमारे क्षेत्र में लक्ष्मीपुर बुजुर्ग, पुराना कटया, तमकुहीराज, वहां जो तहसील है, तहसील दिवस में अप्लीकेशन पड़ता है, जवहीदयाल में आग लगी और वहां बिजली के तार और पोल गिर गए लेकिन आज तक इन अन्धे अधिकारियों को वह दिखायी नहीं दे पाया। मैं कहना चाहता हूं, लकड़ी के पोल से तार ऐसे लटके हुए हैं, रोज एक्सीडेण्ट होते हैं, लोग मरते हैं, लेकिन इन अधिकारियों के सामने लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है। मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि पोलों और तारों को तत्काल बदला जाए और जो आग से जला है, जवहीदयाल में उसको तुरन्त राहत दी जाए। मान्यवर, एक योजना जो 132 यहां राजापाकड़ है, उसको 200 यहां में कन्वर्ट करा दें। आपने कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का मौका दिया, मैं कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुए, अपनी वाणी को विराम देता हूं, धन्यवाद।

*डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष के कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं, लेकिन एक धर्म-संकट के साथ। माननीय नेता प्रतिपक्ष हमारे नेता भी हैं और पूर्ववर्ती सरकार में भी रहे हैं। लेकिन पूर्ववर्ती सरकार के जो आंकड़े यहां रखे गए हैं, मुझे लगता है कि कुछ बिन्दुओं को देखें। माननीय नेता ने अपनी बातें कहते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में बिजली की उपलब्धता पहले से बहुत अधिक बढ़ गयी। जो आंकड़े सरकार के द्वारा हम लोगों को दिए गए हैं, मैं उन्हें डाकूमेन्ट्री प्रूव के तौर पर कह रहा हूं या तो वह आंकड़े गलत हैं या जो कुछ बिजली की उपलब्धता के बारे में बताया गया, वह गलत है। आंकड़े यह दिये गये हैं कि 2006-07 में जब यह सरकार आयी थी तो 4686 मेगावाट बिजली की उपलब्धता थी और 2011-12 में जब यह सरकार गयी तो यह घटकर

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

8609 मेगावाट हो गयी। समस्या इस बात की है कि वास्तव में कागज क्या बता रहा है और कहा क्या जा रहा है। 2006-07 में कुल 2217 करोड़ किलोवाट आवर बिजली उपलब्ध थी और 2011-12 में यह घटकर जो साहित्य हम लोगों को दिया गया है उसके हिसाब से 1964 करोड़ किलोवाट हो गयी। तो यह सत्य जनता के सामने आना चाहिए कि पांच साल में वास्तव में बिजली का उत्पादन क्या हुआ। माननीय मंत्री जी जब बजट रख रहे थे तो उन्होंने विद्युत विभाग के घाटे की चर्चा करते हुए कहा कि विद्युत विभाग पर 30 हजार करोड़ रुपये का घाटा है। मुझे स्मरण है जब यह सरकार बनी थी तो माननीय मुख्य मंत्री जी ऊर्जा विभाग के बारे में बोल रहे थे एक नहीं बल्कि तीन-चार बार उन्होंने इस बात को कहा कि जब यह सरकार गयी है विद्युत विभाग को 25 हजार करोड़ के घाटे में छोड़कर गयी है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह तार्किक प्रश्न है इसका जवाब सदन में आना चाहिए क्योंकि यह बात आपने सदन में कही थी। अगर पिछले साल यह घाटा 25 हजार करोड़ था और इस साल यह घाटा 30 हजार करोड़ हो गया तो इन्होंने जो पांच साल में किया वह किया लेकिन इस एक साल में यह 5 हजार करोड़ घाटा कैसे बढ़ गया। सदन के सामने यह तथ्य लाया जाना चाहिए।

मान्यवर, इसके बाद दो-तीन बातें कहना चाहता हूं। मान्यवर, पहली बात है कि विद्युत दर यह सरकार बढ़ाने जा रही है। बहुत हल्के से मा0 मंत्री जी ने यह विषय यहां रख दिया। जनता इतने से संतुष्ट नहीं होने वाली है। जनता यह जानना चाहती है कि आपकी कौन सी मजबूरियां हैं जिसके नाते आप पहले से महंगी बिजली दे रहे थे और अब इसकी दर को पहले से 40 से 60 प्रतिशत बढ़ाने जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं तो कोई कारण है। अब तक आप शहरी उपभोक्ताओं को बिजली दे रहे थे 3 रुपये 45 पैसे और 3 रुपये 80 पैसे, एवरेज 3 रुपये 78 पैसे पड़ता था। जबकि सच्चाई यह है कि झारखण्ड में 2 रुपये 60 पैसे प्रति युनिट में बिजली मिलती है। जम्मू-कश्मीर में 2 रुपये 7 पैसे में बिजली मिलती है, हिमांचल प्रदेश में 3 रुपये 1 पैसे में बिजली मिलती है, गुजरात में 3 रुपये 5 पैसे में बिजली मिलती है, छत्तीसगढ़ में 2 रुपये 40 पैसे में बिजली मिलती है। आन्ध्र प्रदेश में 3 रुपये 10 पैसे में बिजली मिलती है। आप अभी भी जो औसत दर दे रहे हैं वह 3 रुपये 78 पैसे है। आप उसे बढ़ाकर सवा पांच रुपये ले जाने वाले हैं। वह कौन सी परिस्थितियां थीं कि आखिर इतनी महंगी बिजली को आपको और महंगा करना पड़ा। इसको आपको अलग-अलग करके बताना चाहिए। यह कहने से काम नहीं चलेगा कि 30 हजार करोड़ रूपये का घाटा है। क्योंकि जनता यह जानना चाहेगी कि आखिर यह 30 हजार करोड़ रुपये का घाटा किन-किन कारणों से है। यह स्पष्ट करना चाहिए कि इस घाटे में से सरकारी बकाया कितना है और अगर इस सरकारी बकाये को दे दिया जाये तो कितना घाटा बचेगा। मा0 मंत्री जी जब आप जवाब दें तो यह आंकड़े सदन में रखने चाहिए। इस घाटे में से सब्सिडी का अंश कितना है। और जब उस सब्सिडी को आप सरकार को वापस कर दें तो वह घाटा कितना बचेगा यह भी बताना चाहिए। यह भी बताना चाहिए कि इस घाटे में वस्तुतः विद्युत की चोरी कितनी है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्योंकि जो लोग बिजली के बिल का ईमानदारी से भुगतान करते हैं उनकी बिजली की दर को आप बढ़ाते हैं। और जो विद्युत के बिल की चोरी करते हैं उन्हें आप पुरस्कृत करते हैं यह अन्याय है। सरकार का प्रयास यह होना चाहिए कि जो लोग विद्युत के बिल का भुगतान नहीं करते, विद्युत की चोरी करते हैं। आपने कामर्शियल लास 30 या

31 प्रतिशत बताया है। आखिर यह जो चोरी हो रही है इसमें से करीब-करीब 24-25 प्रतिशत चोरी का हिस्सा है। यह जो चोरी करने वाले लोग हैं इनके विरुद्ध आप कार्रवाई नहीं करते। ईमानदारी से जो विद्युत बिल जमा कर रहे हैं उनको पहले से महंगी बिजली को और महंगी करके आप उनके जीवन को और दूभर कर रहे हैं। एक-एक परिवार का खर्चा आप एक-एक हजार रुपया महीना बढ़ाने जा रहे हैं। माननीय मंत्री जी यह सदन आपसे अपेक्षा करेगा कि आप जब जवाब देने के लिए खड़े हों तो जनता को यह बताइये कि इस घाटे में चोरी का हिस्सा कितना है। सरकारी बकाया कितना है। लोन पर इन्ट्रेस्ट कितना है, सब्सीडी कितना है, अगर यह चारों हटा लिया जाय तो वास्तव में घाटा कितना है। मैं यह क्यों कह रहा हूं, अध्यक्ष महोदय क्योंकि अब सरकार ने अपने आप को बिजली के मामले में गिरवी रख दिया है। अब सरकार के हाथ में कुछ बचा नहीं है । नियामक आयोग अब जो तय कर देगा, हर साल अध्यक्ष महोदय, यह इस साल की बात कर रहे हैं, जनता को जानना चाहिए, हर साल बिजली की दर अब बढ़ने जा रही है, निश्चित है यह बढ़ेगी। एक अप्रैल को हर वर्ष जनता बढ़ी हुई बिजली की दर देने जा रही है, यह सत्य आपको बताना चाहिए क्योंकि जिस मजबूरी के साथ आपने समर्पण किया है, मुझे नहीं लगता कि इस मजबूरी की जरूरत थी। आपको संघर्ष करना चाहिए था, बकाया वापस लेना चाहिए था, सरकारी बकाये देने चाहिए थे और यह जो जनता के ऊपर आप अपनी प्रशासनिक अक्षमता, प्रशासनिक भ्रष्टाचार और प्रशासनिक लापरवाही का बोझ डाल रहे हैं, यह बोझ नहीं डालना चाहिए। दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, अब परीक्षा का दिन आ गया है, कल यह विषय उठा था, आपके भी बच्चे पढ़ते होंगे, हम सबके बच्चे पढ़ते हैं, सिर्फ भाजपा के बच्चे नहीं, हम सबके बच्चे पढ़ते हैं।

मैं जानना चाहता हूं आपसे अब इसके बाद सदन में बिजली पर शायद बहस नहीं होगी। सरकार को यह बताना चाहिए कि जब परीक्षा प्रारम्भ होने जा रही है, हमारे बच्चे मेहनत से पढ़ सकें, रात भर जग कर के पढ़ सकें, जरूरी उनके लिए भी है और जरूरी प्रदेश के लिए भी है, क्योंकि हमारे प्रदेश के बच्चे अगर पढ़ेंगे नहीं तो इस विकास के दौर में पीछे छूट जायेंगे, इसलिए मा0 मंत्री जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जब भी आप जवाब दें, तो आप स्पष्ट करें कि परीक्षा के दौरान विद्युत की कटौती न हो, इसके बारे में आपने क्या निर्णय लिया है। तीसरी बात अध्यक्ष महोदय, आपने यह तो तय कर दिया कि जिसको हम 24 घण्टा बिजली देंगे, उसको थोड़ा सा बढ़ा कर देंगे, यह सदन जानना चाहेगा कि कौन से वह शहर हैं, जिन्हें आप 24 घण्टे बिजली दे रहे हैं और कौन से वह शहर हैं जिनसे बढ़ा हुआ बिजली मूल्य लेने जा रहे हैं, क्योंकि जो कुछ आज जानकारी में आया है शायद यह बढ़ा हुआ मूल्य सिर्फ लखनऊ, नोएडा और गाजियाबाद के उपभोक्ताओं से लिया जायेगा। मैनपुरी, इटावा, रामपुर, रायबरेली और अमेठी जनपद के वह लोग जो 24 घण्टे बिजली ले रहे हैं, उनसे आप यह बढ़ा मूल्य नहीं लेने जा रहे हैं, जैसा आपने नियामक आयोग को लिख कर दिया है, इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, यह अन्याय पर अन्याय है, एक तो 24 घण्टे की बिजली अपने आप में अन्याय है। आपको सामान्य जनता, सबको बराबर बिजली देनी चाहिए और ऊपर से इसमें भी आपने दो ग्रुप बना दिये। तीन शहर से आप बढ़ी हुई दर लेंगे और पांच शहर से आप बढ़ी हुई दर नहीं लेंगे, इस अन्याय के बारे में स्पष्टीकरण आना चाहिए और अन्तिम बात अध्यक्ष महोदय, मैं बार-बार इस बात को कहता हूं, आप बिजली का उत्पादन नहीं बढ़ा पायेंगे, आप बिजली की चोरी नहीं घटा पायेंगे और

आपके साथ जो अन्याय केन्द्र सरकार लगातार करती आ रही है आप उस अन्याय के विरुद्ध न तो खुद अपने अन्दर लड़ने का जज्बा पैदा करेंगे और न उस तथ्य को पूरे सदन के सामने ला कर के पूरे सदन को संगठित करने का प्रयास करेंगे। आंकड़े हैं, आपका साहित्य है, सब बताता है, चीख-चीख कर कहता है, अपने साहित्यों को आप खुद पढ़िये, आपकी एनुवल रिपोर्ट इस बात को कहती है, केन्द्र सरकार अधिष्ठाता महोदय, जो हम लोगों को बिजली देती है, वह गाडगिल मुखर्जी फारमूले से देती है अगर उसी को ईमानदारी के साथ ठीक कर दिया जाय तो उत्तर प्रदेश की विद्युत के सारे के सारे संकट का हम लोग मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि यह दो आधार पर बना है, मैं इसको कह रहा हूं मा0 मंत्री जी, आप अपने अधिकारियों से कहियेगा, आपको इससे अवगत करायेंगे। दो आधार पर बनता है, नम्बर-एक आपका प्रति व्यक्ति प्लान आउट-ले कितना है और नम्बर-दो सेण्ट्रल असिस्टेन्स कितना है। सेण्ट्रल असिस्टेन्स के बारे में आपको मा0 अम्बिका जी याद होगा, मैंनें उस दिन कहा था, पूरे देश में यदि सबसे कम सेण्ट्रल असिस्टेन्स किसी को मिलता है, 1256 रुपये प्रति व्यक्ति तो उत्तर प्रदेश को मिलता है और पूरे प्रदेश में सबसे कम प्लान आउट-ले अगर किसी का है तो बिहार के बाद उत्तर प्रदेश का है। जब इन्हीं दो आधारों पर केन्द्र सरकार यह तय करेगी कि केन्द्रीय यूटीलिटी से आपको कितनी बिजली दी जाय तो स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश के साथ नाइन्साफी होती रहेगी। मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं अपनी बातें अब समाप्त कर रहा हूं, मैं जानना चाहूंगा मा0 मंत्री जी से कि इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर आखिर कौन सी मजबूरी है इस सरकार की, तथ्यों को जानने के बाद भी इन तथ्यों को लेकर समाज के सामने नहीं आती और केन्द्र सरकार के विरुद्ध संघर्ष का बिगुल नहीं फूंकती।

*श्री वीरपाल राठी-

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, आपने विपक्ष के नेता मौर्या जी के कटौती प्रस्ताव पर मुझे समर्थन करने का मौका दिया, मैं इसके लिए आभारी हूं। मान्यवर, मैं सरकार जो आज ऊर्जा पर बजट लायी है, उसकी एक बात की तो तारीफ करूंगा कि आज उत्तर प्रदेश की सरकार जो परियोजना प्रदेश के अन्दर लागू कर रही है और जो अपने पैरों पर खड़ी होने जा रही है। मैं उसका समर्थन करता हूं कि हम अपने आप पर निर्भर होने जा रहे हैं। मान्यवर, मैं इसी के साथ एक आलोचना भी करूंगा कि आज देखिये लोहिया विद्युतीकरण, जो गांवों का लोहिया विद्युतीकरण है, वो 22 जिलों का है और 22 जिलों के अन्तर्गत हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक भी जिला उसमें नहीं है। बागपत, मैं बागपत जिले की चर्चा करता हूं क्योंकि मैं बागपत जिले से आता हूं। जब भी देखता हूं, जिस मामले में देखता हूं। चाहे वो समग्र विकास हो, चाहे वह जनेश्वर मिश्र हो, चाहे वह लोहिया ग्राम हों, चाहे विद्युतीकरण हो, उसमें बागपत को शून्य कर रहे हैं। मैं सदन में इस बात की घोषणा कर रहा हूं कि मार्च के महीने में जब सदन बन्द होगा। मैं तब तक यात्रा करूंगा। बताऊंगा कि सरकार ने बागपत जिले की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की उपेक्षा की है। मेरी बात अगर सदन में नहीं मानी जायेगी तो मैं जनता में लेकर जाऊंगा। मैं यहां थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूं, यहां बहुत से मा0 सदस्यों ने ट्रांसफार्मर की बात उठायी। चौधरी चरण सिंह जी भी मुख्य मंत्री रहे उत्तर प्रदेश के और जब चौधरी चरण सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री थे। उस वक्त चौधरी चरण सिंह जी ने एक एलान किया। एक आदेश किया

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

था, कहा था कि 24 घण्टे के अन्दर बिजली का ट्रांसफार्मर किसान के ट्यूबवेल पर पहुंच जाना चाहिये और यह जिम्मेदारी किसान की नहीं है। यह जिम्मेदारी है विभाग के लोगों की और आज हालात क्या हैं। मैं इस पर सरकार को कोसना चाहता हूं, सरकार की इस बात पर आलोचना करना चाहता हूं। आज अगर गांव के अन्दर या किसान के ट्यूबवेल पर ट्रांसफार्मर फुंक जाता है तो ट्रांसफार्मर के कागज बनाने के लिये पहले दिन अगर किसी का बिल भरा है तो ट्रांसफार्मर के कागज बन जाते हैं। जब बिल की यह व्यवस्था है कि कोई किसान अगर बिल नहीं देगा तो उसको तहसील में भेज दिया जायेगा तो फिर क्यों दबाव है विभाग के अधिकारियों का किसान के ऊपर, गांव की जनता के ऊपर कि पहले बिल भरो, अगर बिल नहीं भरता तो एक-एक महीना हो जाता है कि किसान का, क्योंकि साझीदार होते हैं 8-8 किसान एक ट्रांसफार्मर में अर्थात् अगर 3 किसानों का बिल भरा है और उसमें अगर 5 किसानों का बिल नहीं भरा है तो वे तीन किसान भी उन किसानों के साथ पिसते हैं। ये हालात हैं ट्रांसफार्मरों के। अगर कागज पहुंच जाते हैं तो कागज के बाद 15-15 दिन, एक-एक महीना, यहां पर विद्युत मंत्री जी ने पिछले बजट के दौरान चर्चा की थी कि उन्होंने खराब कंपनियों के ट्रांसफार्मर लगवाये थे। मैं मानता हूं कि खराब ट्रांसफार्मर होंगे लेकिन आपकी सरकार में तो वे खराब कंपनियों के ट्रांसफार्मर भी उपलब्ध नहीं हो रहे हैं जनता को।

मान्यवर, अभी मेरे कई टापिक हैं और बहुत महत्वपूर्ण बजट है। मेरी बड़ी समस्यायें हैं, मेरा इसमें टाइम बढ़ा दिया जाये। मान्यवर, इसमें मेरा 5 मिनट में काम नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। मेरा क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा राजस्व देता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा आन्दोलन करता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा दिक्कतों का प्रदेश है और उस प्रदेश का अगर कोई नुमाइन्दा अपनी बात कहे तो उसको टाइम दे देना चाहिये। यहां बहुत से सदस्य सदन को हाईजैक रखते हैं। हमें तो मान्यवर, बोलने का मौका भी बहुत कम मिलता है, ऐसे मौके पर, कटौती प्रस्ताव पर और बजट पर ही हमें बोलने का मौका मिलता है इसलिये मेरा निवेदन है कि देखें कितनी अच्छी व्यवस्था सरकार की है। मैं इस सरकार को ही नहीं कोसना चाहता, इससे पहले भी सरकारें रहीं होंगी कि हमने बिजली का कनेक्शन लिया और उस कनेक्शन का हमने अभी मौर्य जी कह रहे थे कि 5000 हजार रुपये अगर कोई बिल अपना जमा नहीं करता है तो उसकी एफ0आई0आर0 कर दी जाती है। स्थाई कनेक्शन काट करके एफ0आई0आर0 कर दी जाती है, उस पर 4000 रु0 पर किलोवाट का पुलिस का शमन शुल्क लगता है, उस पर असेसमेण्ट लगाया जाता है और जो ये अन्तर है तो उसका कनेक्शन तो काट दिया जाता है लेकिन उसका बिल माफ नहीं होता। उस पर असेसमेण्ट भी, उस पर पुलिस का शमन शुल्क भी और उस पर बिल भी सरकार ले रही है। गम्भीरता होनी चाहिये सरकार के अन्दर और ऐसे छोटे-छोटे प्रश्नों को जो आम जनता की दिक्कत हैं, उन पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये।

मान्यवर, मेरे यहां...

श्री अधिष्ठाता-

मा0 राठी साहब, समाप्त करें।

श्री वीरपाल राठी-

मान्यवर, मैं एक मिनट में अपनी बात कह कर समाप्त करता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

आप ये सेन्टेन्स पूरा कर लें, आज तीन विभागों का बजट है।

श्री वीरपाल राठी-

मान्यवर, कितने अफसोस की बात है, मेरा बागपत जिला पूरा-का-पूरा डार्क जोन है, और डार्क जोन के अंतर्गत कनेक्शन बंद हैं। राजकीय नलकूप हैं नहीं, जो हैं भी तो वह खराब हैं। सिंचाई की नहरों की व्यवस्था कम है। निजी ट्यूबवेल जिस किसान के पास है उस किसान का हाल बताइये कि उस किसान की क्या व्यवस्था सरकार के पास है कि वह अपने जीवन में भरण-पोषण कर सके, उसके द्वारा अपने परिवार को पालने के लिए, उसके खेती-बाड़ी करने के लिए सरकार के पास क्या व्यवस्था है ? उसकी व्यवस्था पर विचार होना चाहिए। मान्यवर, मेरे जिले के अंदर ढाई पावर की वृद्धि कर दी, मैं कई बार चिल्लाया हूं, मैंनें पहले भी कहा है सदन के अंदर की डार्क एरिया होने की वजह से अगर कोई किसान 10 पॉवर की बिजली लेता है, तो उसकी ढाई पॉवर बढ़ा दी, शासन ने नहीं बढाई, बिजली के अधिकारियों ने बढ़ा दी, आज तक नहीं कट पायी और मान्यवर, ऐसी व्यवस्था पैदा करें जो कानून यहां से बने, उसे अधिकारी पालन करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अनीसुर्ररहमान-

आदरणीय, अधिष्ठाता जी, विद्युत और ऊर्जा विभाग का जो बजट प्रस्तुत किया गया है, विधान सभा के अंदर इसकी चर्चा में मुझे बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 ऊर्जा मंत्री जी के संज्ञान में अपने क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, उन्हें रखना चाहूंगा। मान्यवर, मेरी विधान सभा कांठ के अंदर दिलारी ब्लॉक के 35 गांव पड़ते हैं, जो पूरे-के-पूरे 35 गांव रामगंगा नदी के खादर क्षेत्र में आते हैं और इन 35 गांवों में विद्युत आपूर्ति करने के लिए कोई एक विद्युतगृह नहीं है। मैं चाहूंगा कि इन 35 गांवों की विद्युत व्यवस्था के बारे में मा0 मंत्री जी संज्ञान लें और इनका अलग एक विद्युतगृह यहां स्थापित किया जाए। हमारी तहसील कांठ में एक 220 किलोवाट का विद्युतगृह पहले से मंजूर है, परंतु तहसील प्रशासन ग्राम रायपुरखुर्द के अंदर काफी भूमि ग्राम समाज की पड़ी हुई है और उस पर लोगों का अनाधिकृत कब्जा है, लेकिन तहसील प्रशासन यह हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है कि उस भूमि से कब्जा हटवायें और 220 किलोवाट के विद्युतगृह को स्थापित करने के लिए भूमि उपलब्ध कराए। यहां मा0 राजस्व मंत्री भी बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वह इस भूमि को खाली कराने के लिए तहसील प्रशासन को निर्देशित करेंगे। मान्यवर, मेरे क्षेत्र के अंदर एक बहुत बड़ा गांव अगवानपुर पड़ता है, जिसकी आबादी लगभग 40 हजार के करीब है। यह मुरादाबाद शहर के करीब में है, लेकिन इस गांव के साथ यह इत्तेफाक है कि यहां पर बिजली के जो बिल हैं, वह तो शहर के मानक के अनुरूप लिए जाते हैं, लेकिन विद्युत की जो आपूर्ति है वह ग्रामीण फीडर के अनुसार की जाती है। मेरा सिर्फ यह अनुरोध है मान्यवर, से कि इस गांव के अंदर जब बिल मुरादाबाद शहर के मानक के अनुरूप लिए जा रहे हैं, मुरादाबाद शहर के मानक के अनुरूप तो विद्युत की आपूर्ति भी मुरादाबाद शहर के मानक के अनुरूप की जानी चाहिए। मान्यवर, एक आशियाना विद्युतगृह मुरादाबाद में है कॉठ रोड पर, उससे जितनी आपूर्ति होती है, वहां पूरे-के-पूरे क्षेत्र की जनता लो-वोल्टेज से परेशान है। मैंने इसमें पहले भी मांग की है एक

63 मेगावॉट के ट्रान्सफार्मर को की। अगर मा0 मंत्री जी, इस विद्युतगृह पर एक 63 मेगावॉट का अतिरिक्त ट्रान्सफार्मर स्थापित करा देंगे तो पूरे क्षेत्र को लो-वोल्टेज से मुक्ति मिलेगी। मान्यवर, एक ज्वलंत समस्या काफी जमाने से हमारे क्षेत्र में है, कांठ के अंदर कब्रिस्तान से लेकर पड़ियावाली पुलिया तक है 11000 की लाइन, आबादी के ऊपर से गुजरती है। हर साल वहां पर उससे दुर्घटनाएं होती हैं और कई मर्तबा कहने के बावजूद, लिखित अनुरोध करने के बावजूद, उस लाइन को शिफ्ट नहीं किया गया है। मैं अनुरोध करूंगा कि जनहित में, लोगों को दुर्घटनाओं से बचाने के लिए मान्यवर, एक्सशियन-2 मुरादाबाद को माननीय ऊर्जा मंत्री जी आप निर्देशित करने का कष्ट करें कि हमारे यहां की उक्त ग्यारह हजार की लाईन आबादी में है उसको आबादी से हटाया जाय। मेरे क्षेत्र में मान्यवर काफी गांव ऐसे हैं जहां पर जर्जर तार ऐसे हैं जिनके टूटने से दुर्घटनाएं होती हैं मैंने लिखित रूप में इसकी सूचना भी दे रखी है इन तारों को माननीय मंत्री जी बदलाने का कष्ट करें हमारे यहां मुस्तफापुर-दो और धनुपुरा विलायतनगर मुन्डियागन्नू ऐसे गांव हैं जिन गांवों का अभी तक विद्युतीकरण नहीं हो पाया है। इन गांवों का विद्युतीकरण कराने के लिए अपने बजट के अन्दर कोई धन आवंटित हो सके तो अच्छा होगा ताकि इन गांवों के लोग भी बिजली में रह सकें। बहुत-बहुत शुक्रिया।

श्री अम्बिका चौधरी-

श्रीमन् इधर के सदस्यों को भी बुला लें।

श्री राम लाल अकेला-

मान्यवर, विद्युत विभाग का बजट जो माननीय मंत्री जी ने सदन के समक्ष रखा है उसके समर्थन में आपने मुझे बालने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष कटौती के प्रस्ताव पर बोल रहे थे। लम्बे-चौड़े आंकड़े उन्होंने अपनी सरकार के प्रस्तुत किये हैं। हम लोग बहुत सोचते थे कि सदन में सब लोग सच बात कहते हैं। मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि उनकी सरकार के समय शहरों में चौबीस घण्टे बिजली दी जाती थी और ग्रामीण क्षेत्रों में चौदह से सोलह घंटे बिजली देने का काम किया गया। मैं सोच रहा था कि वह शायद 2007 के आंकड़े बता रहें हैं जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी हूंपर मुख्य मंत्री थे। उनके जमाने में बिजली के क्षेत्र में बहुत काम हुआ था, आपके जमाने में तो किसानों को अपने टयूबवेल से पानी भी नहीं मिल पाता था। वह अपने खेतों तक पानी नहीं पहुंचा सकें। क्योंकि बिजली चली जाया करती थी। गांव के लोग बिजली देखने के लिए तरस जाया करते थे। आपके जमाने में गांव के लोग बिजली का उजाला देखने के लिए तरसते थे। मैं धन्यवाद देता हूं अपने माननीय ऊर्जा मंत्री जी को कि सरकार बनने के बाद बिजली के क्षेत्र में जो काम किया है आज पूरे प्रदेश में गांवों को 12 से 16 घण्टे बिजली मिल रही है। विपक्ष की ओर से झूठ-झूठ की आवाजें। मान्यवर शहरों को 18 घंटे बिजली मिल रही है झूठ-झूठ की आवाजें। इसको हमारे सरकार ने देने का काम किया है। आपने बिजली के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के साथ जो व्यवहार किया है, मैं बी0जे0पी0 के मित्रों से भी कहूँगा कि एन0टी0पी0सी0 की परियोजनाओं को आपने बेंचने का काम न किया होता तो आज उत्तर प्रदेश के अन्दर बिजली की स्थिति इतनी खराब नहीं हुई होती। आप दोनों ने मिलकर, उत्तर प्रदेश की विद्युत व्यवस्था को बदहाल करने का काम किया है। मान्यवर, आपके जमाने में जो ट्रांसफारमर आते थे नेता प्रतिपक्ष जी आप उनकी क्वालिटीज का आंकड़ा देख लीजिए, दूसरे दिन फुंक जाते थे, हमारी सरकार

ट्रांन्सफारमर की क्वालिटी को लगातार सुधारने का प्रयास कर रही है। मान्यवर हमारी सरकार ने किसानों के लिए बिजली का फीडर पृथक बनाने की योजना बनाई है। मान्यवर, हमारे नेता जी कहते हैं कि गांव बढ़े तो बढ़ेगा देश और यही है मुलायम सिंह यादव का है संदेश। मेजों की थपथपाहट।

मान्यवर यह उत्तर प्रदेश गांवों का प्रदेश है और भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। हमारी सरकार किसानों की सरकार है और गांवों के विकास की बात हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी और मुख्य मंत्री श्री अखिलेश यादव जी करते हैं। जो किसानों के लिए अलग फीडर बनाने की योजना बनाई है उसके लिए मैं अपने माननीय ऊर्जा मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश के बच्चे, आपको चिन्ता नहीं है, चिन्ता है इस सरकार को कि बच्चो की पढ़ाई होने जा रही है इसलिए लगातार गांव को बिजली मिलनी चाहिए इसके लिए चाहे बिजली खरीदनी पड़े बिजली का उत्पादन बढ़ाना पड़े, लगातार हमारी सरकार का प्रयास है और पहली बार मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय उर्जा मंत्री जी को कि उनके द्वारा उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन के एम0डी0 के पद पर एक टेक्नोकट को बैठाने का, एक इंजीनियर को बैठाने का काम किया गया है। इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश की विद्युत व्यवस्था को सुधारने के लिए थोड़ा सा इंतजार करिये, हमारी सरकार पूरी तरह से चिन्तित है। आपने कहा 16 घन्टे दिया, 18 घन्टे दिया और इतना देने की बाद जब चुनाव हुआ तो जनता ने फैसला कर दिया कि आप सदन के अन्दर जो बात करते हो वह गलत बात है। आपने उत्तर प्रदेश की जनता को ठगने का काम किया है और समाजवादी पार्टी के ऊपर जनता ने भरोसा किया है। हमने 2007-05-06 में जो बिजली देने का काम किया था और वायदा किया था कि जब हमारी सरकार आयेगी समाजवादी पार्टी की सरकार आयेगी तो उत्तर प्रदेश के अन्दर विद्युत व्यवस्था को हम फिर सुधारने का काम करेंगे। इसलिए माननीय उर्जा मंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूं और एक सुझाव देना चाहता हूं कि हमारे साथी बागपत के शर्मा जी अभी बोल रहे थे, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि किसानों की समस्या है उपभोक्ताओं की समस्या है। अगर ट्रांसफार्मर गांव में फुकता है तो वह ट्रांसफार्मर उपभोक्ता को ही रायबरेली मुख्यालय तक लाना पड़ता है और रायबरेली मुख्यालय से उपभोक्ता उस ट्रांसफार्मर को ले भी जाता है। और यह व्यवस्था इतनी चौपट बना दिया पूर्ववर्ती सरकार ने कि 3-3, 4-4 दिन तक उपभोक्ताओं को जिला मुख्यालय में पड़े रहना पड़ता है तब जाकर 4 दिन बाद उनको ट्रांसफार्मर मिलता है। मैं कहना चाहता हूं माननीय मंत्री जी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि एक ट्रांसफार्मर गांव का फुकता है तो उपभोक्ता को उसके लिए परेशान न होना पड़े यह सरकार की तरफ से व्यवस्था की जाय कि जो खराब ट्रांसफार्मर है उसको बदलने के लिए सरकारी मशीनरी उसकी जिम्मेदारी तय करे, उपभोक्ता को उसके लिए कहीं जाना न पड़े उसके लिए परेशान न होना पड़े।

जहां तक लो-वोल्टेज का सवाल है, लो-वोल्टेज तो इन्होंने पैदा किया है। हम लो वोल्टेज सामान्य करने की स्थिति बना रहे हैं और इसलिए बिजनेस प्लान पढ़ लीजिए हमारी सरकार का, ट्रांसफार्मर अगर 25 के0वी0ए0 का है तो 63 करने का काम हमारी सरकार कर रही है, अगर 63 से काम नहीं चल रहा है तो 100 के0वी0ए0 लगाने का काम हमारी सरकार कर रही है इसलिए हर तरीके से उत्तर प्रदेश की पूरी विद्युत व्यवस्था को सुधारने के लिए हमारी सरकार ने कदम उठाया है।

मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं उन्होंने जो बजट प्रस्तुत किया है उसका पुरजोर समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं

*श्री गजेन्द्र सिंह-

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं और आपके माध्यम से मैं सदन को यह बताना चाहूंगा कि आज प्रदेश में किसान को छोटी-छोटी रकम के लिए बिजली अधिकारी 4-4, 5-5 हजार रुपये के लिए आज उन्हें कागज पर कनेक्शन काटकर तहसीलों में बन्द कराने का काम कर रहे हैं और जब किसान बिजली वालों से बिल जमा करके उसे जुड़वाने जाते हैं तो कहीं बकाये के नाम पर उनसे लाखों रुपये लिये जाते हैं जिससे किसान को एक तो बिजली मिल नहीं रही है कोई गांव ऐसा नहीं है जहां 2 से 3 घन्टे से ज्यादा बिजली आती हो और वहां पर 2-3 घन्टे बिजली मिलने के बाद भी अधिकारियों द्वारा किसान का उत्पीड़न किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि ऐसे अधिकारी जो 2-4-5 या 10 हजार के लिए किसानों पर एफ0आई0आर0 कर रहे हैं कागज पर वह कहीं अपने कनेक्शन काटने का काम दिखा देते हैं किसान को पता भी नहीं होता है। किसान को बताते भी नहीं है कि उसका कनेक्शन काटा है या नहीं काटा है हवा में काटकर उसको परेशान किया जाता है सरकार ऐसे अधिकारियों पर लगाम लगाये और किसान जो बन्द हुए हैं उनको छोड़ा जाय। किसान की फसल का दाम उसे नहीं मिलता है ऐसी स्थिति में किसान परेशान है और पिछली सरकार में जब बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री थीं, उस समय गांवों में 14 और 16 घन्टे बिजली आती थी और अगर कोई किसान बिल भी नहीं देता था तो उसको समय मिल जाता था और जब उसका गन्ने का पेमेंट हो, गेहूं का पेमेंट हो तो वह पैसे की व्यवस्था कर आसानी से बिल जमा कर देता था और किसी किसान को जेल भेजने का काम नहीं होता था।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब पिछले समय विद्युत बिजनेस प्लान की योजना चलाई गई, जिसमें इस प्रदेश के साथ-साथ मेरी विधान सभा के लगभग 80 गांवों का चयन हुआ, उन गांवों के चयन में कुछ गांव ऐसे थे, जिनमें विद्युतीकरण हो गया और कुछ में खंभे लग गये, कुछ में ट्रांसफारमर नहीं पहुंच पाये, क्योंकि चुनाव आ गया और आचार संहिता की वजह से काम रुक गया। बिजनेस प्लान में जो गांव आये थे, उनमें औरंगाबाद, रामगढ़ी जहांगीराबाद, किशनपुर, रामगढ़, गंगाहरी, मैथना जगतपुर, ईस्माइला, बालका, अकराबाद कूड़ा, जमुनाठेर, अगरपुर मिर्जापुर, आलमगीर, नैनसुख, बुढ़ाना, शाहपुर, खनपुरा, जुगसाना खुर्द, जुगसाना कलां, नवीनगर, जलीलपुर, भिरौली, आहार, सिरौरा, कुच्छैजा, औरंगाबाद, जहांगीराबाद, नौबतपुर, खनौदा, अच्छैजाघाट, भटवारा, किरयावली, मूड़ी बकापुर, मुरसाना, सन्नौट, आलमगीरपुर घनौरा, सहकारीनगर, फरहादपुर, शिवाली, सालिकपुर, फैजुल्लापुर अजनारा, बकौरा, बहीपुर, रसीदपुर, सदरपुर, सराय छबीला, अढ़ौली, हजरतपुर, इब्राहीमपुर इन गांव में जिनमें टेण्डर हो गये थे और उनमें खंभे पहुंच गये थे, आचार संहिता की वजह से काम रुक गया था। वहां पर सरकार ने कहा था कि जो काम रह गया है, वह काम पूरा कराया जायेगा। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चाहता हूं कि इन गांवों में जिनमें तार पड़ना रह गये हैं, खंभे का काम हो गया है, ऐसे गांवों में अभी काम अधूरा पड़ा है, उसे पूरा कराया जाये, इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

श्री मनीष रावत-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने ऊर्जा विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद । मान्यवर, जो पूर्व की सरकार थी, उसके समय में सिधौली में विद्युत की बहुत ही खराब स्थिति बन गयी थी। हमारे वहां पर अधिकांश ऐसे गांव हैं, जिनका चार-पांच साल पहले विद्युतीकरण हुआ था, विद्युतीकरण होने के तुरन्त बाद ही उन ग्रामों का विद्युत लाइन के तार चोरी से कट जाने के कारण एक दिन भी उन गांवों में लाइट नहीं जली उन गांवों के विद्युत उपभोक्ताओं के आज भी बिजली के बिल आ रहे हैं और बहुत से बिजली उपभोक्ताओं के बिजली बिल की आरसी भी कट चुकी है वह लोग बहुत ही बेहाल है, बहुत ही परेशान हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जिन गांव में लाइट नहीं गई है और बिल आ रहा है, उसको खत्म किया जाये । साथ ही साथ हमारे क्षेत्र में जो गोदलामऊ ब्लाक पड़ता है आज तीन साल पहले उसमें रोड पर 10-12 किमी0 की जो लाइन बिछाई गयी थी, उसमें मात्र एक हफ्ते के अदंर सारे तार चोरी हो गये, जिसके कारण जो आसपास के गांव आज भी अंधेरे में हैं उनकी स्थिति बहुत ही खराब है। साथ ही साथ अधिष्ठाता महोदय, हमारे क्षेत्र में जो पुरानी लाइनें पड़ी हुयी हैं, वह काफी जर्जर हैं, जिसके कारण वहां की जो विद्युत सप्लाई वह आये दिन बाधित रहती है। जिसके कारण क्षेत्रवासियों को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ पूर्व की सरकार के समय जो राजकीय नलकूप पड़े हुये थे, उन राजकीय नलकूपों के न तो वहां ट्रांसफारमर बचे हुये हैं, न वहां पर तार हैं, इनकी लगभग 38 की संख्या है, इसमें विद्युत के कारण यह समस्या उत्पन्न हुयी है। इसके बारे में मैं विद्युत विभाग के उच्च अधिकारियों को भी अवगत करा चुका हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे सिधौली विधान सभा क्षेत्र में और सिधौली अटरिया में दो पावर स्टेशन है, जिसके कारण क्षेत्र में काफी लम्बी लेन्थ होने के कारण 20-25-30 किमी0 लम्बी लाइन जाती है, जिसके कारण वोल्टेज की समस्या रहती है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे क्षेत्र में 33/11 के0वी0 के छोटे पावर स्टेशन जैसे मास्टर बाग है, रामपुर कलॉ है, कुंवर गड्डी है, नीलगांव और गोंदलामऊ, इन क्षेत्रों में यदि छोटे पावर स्टेशन बन जायेंगे तो इससे वोल्टेज की समस्या का निदान हो जायेगा और क्षेत्र में लाइट की समस्या से निजात मिलेगी। माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे क्षेत्र में वर्तमान समय में जिन गांवों में विद्युतीकरण पहले हुआ था, उन गांवों में कहीं तो ट्रांसफारमर नहीं है, तो कहीं तार नहीं पड़े हैं, उन गांवों का कृपापूर्वक पुनः विद्युतीकरण हो ताकि उन गांवों को लाइट मिल सके और दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सत्यदेव पचौरी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ऊर्जा विभाग का जो बजट रखा गया है, उसमें नेता प्रतिपक्ष के द्वारा रखे गये कटौती प्रस्ताव पर समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, पहले तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को इस बात के लिये बधाई देता हूं कि उन्होंने

कानपुर पर नाराजगी दूर कर दी। पनकी बिजलीघर में 660 मेगावाट की एक नई ईकाई अगली पंचवर्षीय योजना वर्ष 2012-2017 के लिये इस बजट में प्रस्तावित की है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश सन् 1970 से लगातार विद्युत की कमी से जूझ रहा है। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन घाटे में चल रहा है, यानि 43 वर्ष से यह काम निरन्तर चल रहा है। सरकारें आई, सरकारें गई। नई सरकारों ने योजना बनाई लेकिन कोई कारगर योजना वह नहीं बना सके इसलिये नहीं बना सके कि पूरा विद्युत कारपोरेशन अधिकारियों के, कमीशनखोरों के मकड़जाल में फंसा हुआ है। जो भी योजना आती हैं, कोई भी योजना फलीभूत नहीं होती, सफल नहीं होती, इसलिये पावर कारपोरेशन लगातार घाटे में है। एक वर्ष आपको हो गया और 5 हजार करोड़ का घाटा आपको हो गया, यह घाटा जायेगा कहां, यह जनता पर जायेगा। आप बिजली की दरें बढ़ायेंगे, बिजली देंगे नहीं, जनता परेशान होगी । अभी-अभी आपने कुछ दिन पहले 40 प्रतिशत उद्योगों की बिजली की दरें बढ़ाई हैं । इसका नतीजा क्या हुआ, व्यापारी उद्योग-धन्धे बंद कर रहे हैं। आप कुल उत्पादन का 25 प्रतिशत उद्योगों को देते हैं और राजस्व लेते हैं 60 प्रतिशत, यानि सर्वाधिक आमदनी आपको इंडस्ट्री से होती है। अब जब वह अपने उद्योग बंद कर रहे हैं तो आपको और घाटा होगा, यह घाटा और बढ़ने वाला है, कम होने वाला नहीं है। घाटा क्यों हो रहा है, इसकी ओर आपने कभी ध्यान नहीं दिया। एक तो लाइन लॉस, उसमें भी कुछ लाइन लॉस और दूसरे बिजली की चोरी। तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां से आपको एक पैसा बिजली का राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा और आज से नहीं, वर्षों से नहीं प्राप्त हो रहा है। लेकिन उनसे राजस्व कैसे मिले, इस पर कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया। जब तक हम समुचित रूप से बिजली का पैसा वसूल नहीं करेंगे, तब तक पावर कारपोरेशन घाटे में रहेगा। हमें सख्ती के साथ बिजली के बिलों की वसूली करनी चाहिए, सख्ती के साथ बिजली की चोरी रोकनी चाहिए। बिजली चोरी जब तक नहीं रुकेगी तब तक बिजली की जो डिमाण्ड और सप्लाई का गैप है वह कम नहीं होगा। आज लाइन-लॉस हो रहा है 40 प्रतिशत। मैंने कानपुर के कई मोहल्लों के जब लाइन-लॉस के आंकड़े पढ़े तो कहीं 30 प्रतिशत, कहीं 35 प्रतिशत, कहीं 40 प्रतिशत और कहीं 45 प्रतिशत, एरिया वाइज उन्होंने आंकड़े दिये थे। औद्योगिक क्षेत्र में आपने कुछ सख्ती की है और बिजली चोरी रोकी है, उनकी बिजली चोरी रोक दी लेकिन वह उद्योग-धन्धे बन्द करके जा रहे हैं क्योंकि आपने बिजली मंहगी कर दी। दूसरे प्रदेशों में बिजली सस्ती है। इस कारण पर ध्यान देना चाहिए कि आज गुजरात बिजली बोर्ड 7000 करोड़ रुपये के फायदे में है, सस्ती बिजली दे रहा है फिर भी फायदे में है। मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड, छत्तीसगढ़ बिजली बोर्ड फायदे में है, तो हम घाटे में क्यों हैं ? इस पर सरकार को कोई नीति बनाकर अध्ययन दल बिठाकर कार्यवाही करने की जरूरत है तभी जो जनता पर अनावश्यक बोझ डालने का प्रयत्न किया जा रहा है इससे बचेंगे और सरकार कोई स्थायी और ठोस नीति, दीर्घगामी योजना विद्युत उत्पादन के लिए बनायें। धन्यवाद।

(श्री पूरन प्रकाश के खड़े होकर गिरिराज महाराज की जय का नारा लगाने तथा ऊर्जा बजट पर बोलने का आग्रह करने पर)

श्री अधिष्ठाता-

प्रतिपक्ष के बाद अब सत्तापक्ष की तरफ से श्री देवेन्द्र अग्रवाल जी बोलेंगे। पूरन प्रकाश जी आप अभी बैठ जाइये।

* श्री देवेन्द्र अग्रवाल-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने ऊर्जा विभाग के बजट के समर्थन में मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय ऊर्जा मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं कि यह जो बजट लाये हैं, वह बहुत ही अच्छा बजट है, आज तक पिछली सरकार ने कभी इस तरह का बजट पेश नहीं किया है। जो हमारे पार्टी का सपना है, किसानों के लिए अलग फीडर बनाने के लिये जो प्रस्ताव लाये हैं यह किसानों के लिए एक ऐतिहासिक फैसला है। अधिष्ठाता महोदय, दूसरे मैं कहना चाहूंगा अभी हमारे मा0 नेता विपक्ष कह रहे थे क्योंकि पूर्व ऊर्जा मंत्री मेरे ही जिले के रहने वाले हैं और हमारे जिले के मा0 सदस्य चौधरी गेंदा लाल जी बैठे हुए हैं, जानकारी कर लें। मैं बता देना चाहता हूं अगर मेरे हूंपर बिजली के तार जो बदलवाये उन तारों में करोड़ों रुपये के घोटाले हुए, ट्रांसफार्मरों के तेल को खा गये। पूरे उत्तर प्रदेश के ट्रांसफार्मरों को उठाकर देख लीजिए। मैं अपने जनपद की बता रहा हूं ट्रांसफार्मरों के तेल को खा गये, तेल इनकी घरों को चला गया। पहले जो बिजली की बात कहते थे कि चौबीस-चौबीस घण्टे बिजली रहती थी, तो मैं इनको बता देना चाहता हूं कि मेरे हाथरस जनपद में चार तहसीलें हैं उनमें एक तहसील हाथरस को छोड़ करके तीन तहसीलों में कितनी लाइट रहती थी, यह पता कर लें, कहीं दस घण्टे, कहीं दो घण्टे और कहीं पांच घण्टे। मान्यवर, किसी किसान के हूंछापा पड़ता होगा तो वह विद्युत चोरी कर रहा होगा, तब उसके हूंछापा पड़ता होगा या कोई व्यापारी विद्युत चोरी कर रहा होगा, तब उसके छापा पड़ता होगा। मेरे सैकड़ों लोगों को, माननीय विधायक जी बैठे हैं जो पूर्व में ऊर्जा मंत्री जी थे उन्होंने निर्दोष लोगों को जेल में भिजवा दिया जिन्होंने उन्हें वोट नहीं दिया। बिजली का डिपार्टमेन्ट लेकर उन्होंने वोट की राजनीति की। माननीय अधिष्ठाता जी, मेरे हूंएम0एल0सी0 का चुनाव हुआ, इनके भाई एम0एल0सी0 का चुनाव लड़े जिसमें जिन प्रधानों या बी0डी0सी0 सदस्यों ने वोट नहीं दिया, उनकी बिजली काट दी गयी और जबरदस्ती एक-एक, दो-दो लाख रुपये का जुर्माना दिखाकर बिजली की वजह से उन्हें धमकाया गया, परेशान किया गया। लोगों से चुनाव में यह कहा गया कि अगर तुमने वोट नहीं दिया तो बिजली नहीं मिलेगी। एक मंत्री को यह शोभा नहीं देता। मंत्री के भाईयों को यह शोभा नहीं देता। मंत्री का एक भाई गाजियाबाद में और नोयडा में [x x x] का काम करता था और एक भाई अलीगढ़ और आगरा में [x x x] का काम करता था। आप पता कर लेना। पारीछा पावर हाउस में इन्हीं के ठेकेदारों ने चिमनी का ठेका लिया, चिमनी गिरी, उसमें करोड़ों का घाटा हुआ और इन्होंने कितने करोड़ रुपये वसूले। मैं अपने ऊर्जा मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इसकी जांच करा लें। हरदुआगंज में चिमनी के लिए जो बना पहले उसके बाद 1200 करोड़ में ठेका उठा।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अधिष्ठाता-

आप लोग शांत रहें।

श्री देवेन्द्र अग्रवाल-

आप लोग यह भी पता कर लें कि 15 साल पहले इनकी क्या हैसियत थी और आज क्या हैसियत है। मैंने लोकायुक्त में भी जांच कराई है यह भी पता कर लेना। मैं कोई बात कह रहा हूं वह

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

गलत नहीं कह रहा हूं मैं सत्य बात कह रहा हूं। सैकड़ों लोगों पर झूठे मुकदमें लगे मैं इस बात का प्रूफ भी दे दूंगा। अगर हमसे सदन मांगें तो हम प्रूफ भी दे देंगे। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि कई लोगों के खिलाफ गलत तरीके से कार्यवाही की गई मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से अधिष्ठाता महोदय आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर इनके खिलाफ सही जांच हो जाय तो पता चलेगा। तभी यह बिजली विभाग के बजट पर हूंआकर बैठ जाते हैं। बिजली की बात पर यह लोग सच्चाई को सुनना पसन्द नहीं करते हैं। कानून व्यवस्था की बात को यह सुनना पसन्द नहीं करते हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा हमारे सदन के मुखिया हैं सारे विधायक हूं पर आते हैं सबकी बात हमसे ज्यादा सुनते हैं इनकी मुखिया को तो इन पर ही भरोसा नहीं है अपने जीते जी उन्होंने अपनी मूर्ति लगवा दी आज तक किसी भी मुख्य मंत्री ने अपने जीते जी अपनी मूर्ति नहीं लगवाई है। यह पहली इनकी मुखिया हैं जिनकी यह इतनी बड़ी-बड़ी तारीफ करते हैं। उनको इनपर ही भरोसा नहीं है अपने जीते जी उन्होंने अपनी मूर्ति लगवा ली। आप पता कर लीजिए दूसरा अगर इनके घोटालों की जांच करा ली जाय। अगर बिजली मंत्री के पिछले पांच साल के घोटालों की जांच करा ली जाय तो यह और इनका परिवार एक भी सदस्य नहीं बचेगा जो जेल नहीं जाएगा। यह मेरा दावा है कि इनकी जांच करा ली जाय। दूसरा मैं मांग करता हूं कि इनकी जांच कराई जाय। जो इन्होंने घोटाले किए हैं उनकी जांच करा ली जाए। हमारे क्षेत्र में जो गांव विद्युतीकरण से बचे हैं उनका विद्युतीकरण कराया जाय।

श्री अधिष्ठाता

आप अब बैठ जाय।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री उमाशंकर-

माननीय अधिष्ठाता महोदय माननीय सदस्य ने जो आपत्तिजनक शब्द कहे हैं उन्हें कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

मैं उसे निकलवा दूंगा।

*श्री राकेश बाबू-

माननीय अधिष्ठाता महोदय आपने मुझे विद्युत विभाग के कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं विधान सभा क्षेत्र टूंडला से जीतकर आया हूं। विधान सभा टूंडला में टूंडला ब्लाक नार्की ब्लाक और फिरोजाबाद ब्लाक तीन ब्लाक हैं यह ताज ट्रिपेजियम जोन में आते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इन तीनों ब्लाकों में किसानों को 24 घण्टे बिजली मिलने के आदेश हैं। लेकिन मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि पिछले एक वर्ष से उपरोक्त तीनों ब्लाकों में किसानों को मात्र 12-14 घण्टे बिजली दी जा रही है लेकिन इन तीनों ब्लाकों के किसानों से 24 घण्टे बिजली की वसूली की जाती है। जिससे किसानों को काफी नुकसान झेलना पड़ता है। सिंचाई के कामों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। माननीय अधिष्ठाता महोदय इसके साथ-साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछली सरकार में हमारे विधान सभा क्षेत्र में 7/33 के 11 फीडरों का निर्माण कराया गया था जिसमें बझेरा, गुरकुआ, रजावली, जटपुरा, नगला

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रामकुमारी यह पांच तो कम्प्लीट होकर विद्युत आपूर्ति कर रहे हैं लेकिन जब से सपा सरकार बनी है तब से दो फीडर एक रैपुरा एक नगला सोन यह बना हुआ कम्प्लीट खड़ा है लेकिन विद्युत आपूर्ति की कार्यवाही नहीं की गई है। इसके साथ-साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि टूंडला विधान सभा के तीनों ब्लाकों में जो 33 हजार की सप्लाई है। यह ऐतमादपुर से दिया जाता है जिसके कारण लोड बढ़ने के कारण आगरा का जो ऐतमादपुर फीडर है कटौती करके तीनों ब्लाकों में बिजली की सप्लाई नहीं मिल पाती है जिसकी वजह से पिछली सरकार में 132 के उसायनी में विद्युत फीडर के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई थी जिसके लिये जमीन भी चिन्हित की गई थी और उस जमीन की बाउन्ड्री भी कराई गई है लेकिन एक साल से उस पर काम बन्द है जिससे किसानों को आगे आने वाले समय में भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। इसी के साथ-साथ माननीय अधिष्ठाता महोदय जी आपको बताना चाहता हूं कि हमारे तीनों ब्लाकों में 2011-2012 में बिजिनेस प्लान के अन्तर्गत करीब 100 ग्रामों का विद्युतीकरण कराया गया था जिसमें से करीब 90 गांवों में काम पूरा होकर पूरी तरह से बिजली आपूर्ति की जा रही है लेकिन 15 गांव ऐसे हैं जहां काम तो पूरा है लेकिन विद्युत आपूर्ति चालू नहीं की गई है जैसे कि नया बांस फीडर है जेल, नगलाघनी फीडर है जेल, नगला जरिया फीडर है जेल, चनौरा फीडर है जेल, सिकन्दपुर फीडर है रजावली, बड़ाकुआ फीडर है लालपार, गोधुआ फीडर है रजावली, बेलगंज फीडर है रजावली। इसी तरह से कई यह गांव है जहां काम कम्प्लीट है लेकिन गांव की जनता को बिजली की आपूर्ति नहीं की गई है। मैंने कई बार अधिकारियों से कहा कि इनकी बिजली सप्लाई चालू की जाय लेकिन अधिकारी समय पर बात टाल जाते हैं और जे0ई0 की मंशा है कि उन गांवों से वसूली करके बिजली की आपूर्ति करें।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें।

श्री राकेश बाबू-

तो मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं उपरोक्त मामलों में, मैं सरकार का ध्यान दिलाता हूं बहुत-बहुत धन्यवाद।

(माननीय राम करन आर्य जी का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य श्री गेंदा लाल चौधरी के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता-

जो ऐसी कोई बात होगी निकलवा देंगे। आपसे बात हो गई है।

श्री उमेश पाण्डेय-

माननीय गेंदा लाल जी का नाम लिया गया है अग्रवाल जी की तरफ से तो एक मिनट इनकी बात सुन लें।

श्री अधिष्ठाता-

राम करन जी, एक मिनट रुक जायं।

श्री गेंदा लाल चौधरी-

पूर्व ऊर्जा मंत्री जी के विषय में माननीय सदस्य देवेन्द्र अग्रवाल जी ने बहुत सारी बातें कहीं मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता। लेकिन अग्रवाल जी को यह मालूम है कि जब वो ऊर्जा मंत्री थे

तब हाथरस जिले में शहर में 24 घण्टे तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 16 घण्टे बिजली आती थी तो सादाबाद विधान सभा जहां से आप जीतकर आये हैं।

श्री अधिष्ठाता-

आपस में आरोप प्रत्यारोप नहीं।

श्री गेंदा लाल चौधरी-

नहीं प्रत्यारोपण नहीं। मेरी बात सुन लें। सादाबाद से आप जीतकर आयें हैं हाथरस विधान सभा से। जहां से पंडित रामवीर उपाध्याय जीतते थे वहां से मैं जीतकर आया हूं मेरा इतना सा कहना है कि आज देवेन्द्र जी की सरकार है तो आज हाथरस और सादाबाद में बिजली मात्र 4-5 घंटे मिल रही है तो वह 24 घंटे बिजली दिलवाने का कष्ट करें।

(माननीय सदस्य श्री देवेन्द्र अग्रवाल के बोलने पर)

श्री अधिष्ठाता-

अरे आप बैठ जाइये। आपके मंत्री जी बोल रहे हैं।

श्री देवेन्द्र अग्रवाल-

मैं रिकार्ड निकलवा दूंगा। मेरे हूं 20 घंटे बिजली आ रही है।

वास्थ्य सहायतित परियोजना, समग्र ग्राम विकास, खेलकूद, युवा कल्याण राज्य मंत्री (श्री राम करन आर्य)-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने बिजली के बजट पर जो माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने रखा है, बोलने का मुझे अवसर दिया, मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। अभी 5 साल की जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी उसका मैं स्वंय एक प्रमाण हूं कि जो हमारे गांव की, जब हम मिनिस्टर थे तो एक ट्यूब वैल ले गये थे और 2007 में वहां की बिजली खराब हुई तो 5 साल तक वह ट्यूबवैल नहीं चला। मैं बार-बार लिखता रहा एक्सीएन को और ए0सी0 को मगर नहीं चला जिसका प्रमाण मैं स्वयं हूं और न मानिये नेता विपक्ष को विश्वास न हो तो आज भी उसका आंकड़ा मंगवा सकते हैं। माननीय नेता विपक्ष आपने जो बात रखी है, आपके बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि दुनिया में एक बहुत बड़ा झूठ बोलने वाला हुआ गोबेल्थ। गोबेल्थ ने कहा है कि अगर किसी बात को सौ बार झूठ बोल दो तो वह सच हो जाता है और अगर किसी सच को सौ बार झूठ बोल दो तो वह झूठ हो जाता है। आप सच को झूठ और झूठ को सच साबित करने में बहुत माहिर हैं इसलिये मैं पूरे सदन की तरफ से आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मान्यवर, आज भी मेरे विधान सभा में कम से कम पच्चीसों गांव ऐसे हैं जहां छोटी जातियां हैं, दलित जातियां हैं, पिछड़ी जातियां हैं जिनके ऊपर आज भी 20 से लेकर 25 हजार रुपये तक नोटिस कटी है बिजली देने की। पिछली सरकार में क्योंकि वहां बिजली गई ही नहीं और दिखा दिया गया कि हूंबिजली जल रही थी। ....

(इस समय 03 बजकर 16 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

मान्यवर मैं चुनाव लड़ रहा था तो उनका जो नोटिस था मैं उसको लेकर कहता था कि यह तो गजब का है जिसके घर में भोजन नहीं है, वह कहां से बीस हजार-पच्चीस हजार देगा। यह ब0स0पा0 के लोगों का पिछले पांच बरस का राज्य था और यह कहते हैं कि मैं बहुत बिजली देता था पता नहीं यह

कहां बिजली देते थे। स्मारक को दें तो यह कोई खराब बात नहीं है यह सारी की सारी बिजली की लूट करते थे मान्यवर, मेरा आरोप है कि पांच साल में इन्होंने जो ट्रांसफार्मर खरीदा है उसमें जितने बड़े पैमाने पर कमीशन लिया है अगर उसकी जांच हो जाए तो मैं समझता हूं कि केवल ऊर्जा मंत्री जी ही नहीं कोई मिनिस्टर इनका ऐसा नहीं है जो जेल में न हो। यह मैं नहीं कह रहा हूं जनता कह रही है यह सारे लोग कह रहे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के लोग बिजली पर अपनी बात कह रहे थे मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं कि बिजली को आप लोगों ने डिस्टर्ब किया, बिजली आपके कारण उत्तर प्रदेश की लड़खड़ा गई क्योंकि जब केन्द्र में भी आपका राज्य था और उत्तर प्रदेश में भी आपका राज्य था और उत्तर प्रदेश की सकल आमदनी का एक तिहाई उत्तरांचल पर खर्च होता था, पहाड़ पर, आपसे जब समझौता हुआ आपकी सरकार बनी, आपकी केन्द्र में सरकार थी अगर एक लाइन लिख दिया गया होता।.....

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी अब खत्म करो। विजय बहादुर यादव बोलेंगे, जो मा0 सदस्य नहीं बोल पाए हैं जैसे कल प्रोसीडिंग में सब लिखवा दिया है ऐसे ही आज अभी से लिख लो उसी में जुड़वा देंगे वह आपका प्रोसीडिंग में बोला हुआ मान लिया जाएगा।

श्री रामकरन आर्य-

मान्यवर, मैं खत्म किए दे रहा हूं दो मिनट दे दें। दो मिनट में अपनी बात पूरी कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष-

दो मिनट मंत्री जी को दिए जाते हैं।

(शोर)

श्री रामकरन आर्य-

माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर एक लाइन लिख दिया गया होता उत्तरांचल के समझौते के साथ, कि उत्तरांचल में जो बिजली खपत होगी उसके बाद जो बिजली खपत होगी, पैसा लेकर ही बिजली देंगे तो आज उत्तर प्रदेश की यह हालत न होती। भा0ज0पा0 के भाईयों मैं आपसे कहना चाहता हूं आप पर भी मेरा आरोप है आपने भी बिजली के मामले में उत्तर प्रदेश को तबाह करने की कोशिश की। एक बात और आपसे कहना चाहता हूं जब तक बिजली नहीं पैदा होगी जब तक हमारे संस्थान नहीं बनेंगे तब तक किसी की भी सरकार हो बिजली किसी को भी पूरी नहीं मिल सकती है। मेरी अपनी राय है कि और जगह से काटकर हमें बिजली पर...

श्री अध्यक्ष-

समाप्त करें।

श्री रामकरन आर्य-

अगर बिजली नहीं मिलेगी तो उत्तर प्रदेश का विकास नहीं होगा। (शोर)

मान्यवर आपने मुझे ऊर्जा विभाग के बजट पर मुझे बोलने को समय दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

जो मा0 सदस्य नहीं बोल पा रहे हैं वह लिखकर दे दें प्रोसीडिंग का अंग बन जाएगा।

*श्री विजय बहादुर यादव-

आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि नेता प्रतिपक्ष द्वारा रखे गए कट मोशन पर बल देने के लिए आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। आदरणीय अध्यक्ष जी मा0 मंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने यह स्वीकार किया कि जो देश और प्रदेश विकास कर रहे हैं जिन देशों में बिजली का प्रति व्यक्ति खर्च अधिक है, प्रति व्यक्ति बिजली का उत्पादन अधिक है, मा0 मंत्री जी ने इस बात को कहा मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया। देश और प्रदेश के विकास के लिए विद्युत बहुत महत्वपूर्ण चीज है साथ ही साथ कहना चाहता हूं बहुत सारी बातें इस सदन में आईं हमको बहुत कम समय देंगे यह भी हम जानते हैं। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि मार्च का समय आने वाला है फसलें गेहूं की लहलहा रही हैं ऐसे में जब हवा चलेगी, विद्युत आपदा होगी, ऐसे में बहुत सारे खेत जल जाएंगे और जब ग्रामीण अंचल के लोग एफ0आई0आर0 करने के लिए जाते हैं कि तार की वजह से, बिजली की वजह से खेत जल गए हैं तो विद्युत विभाग के लोग, वहां के जे0ई0, ए0ई0 और अधिकारी इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं और किसान द्वारा 6 महीने तक की गई मेहनत से तैयार फसलें जल जाती हैं। मान्यवर, उनके ऊपर यह सुनिश्चित किया जाए कि अगर कहीं भी करेण्ट के द्वारा, तार के द्वारा खेत जलेंगे तो वहां के लाइनमैन को दण्डित किया जायेगा, वहां के जे0ई0 को दण्डित किया जायेगा। मैं चाहता हूं कि समय से पूर्व ही ऐसे तारों और पोल को टाइट करा दिया जाए जिससे इस तरह की घटनायें न घटित हों। यह किसानों की सरकार है, माननीय नेता जी किसानों के नेता थे, हम लोग गांव से आते हैं, इसलिए किसानों के द्वारा जो उपजाया गया गेहूं है, जलने न पाए, बर्बाद न होने पाए। इसके लिए आपके द्वारा सख्त निर्देश जाने चाहिए कि अगर इस तरह की कोई घटना घटी तो सम्बन्धित अधिकारियों, कर्मचारियों को चिन्हित करके कार्यवाई की जायेगी। मान्यवर, हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आश्वासन चाहते हैं कि जब गांवों में ट्रान्सफार्मर जल जाते हैं तो सूचना देने के बाद भी वह 2-2 महीने तक नहीं बदले जाते हैं और किसानों को बिजली का बिल भी देना पड़ता है। इसमें यह सुनिश्चित कराया जाए कि बिजली का ट्रान्सफार्मर इतने दिन में लग जायेगा, अगर निर्धारित अवधि में ट्रान्सफार्मर नहीं लगवाया जाता है तो वहां के सम्बन्धित अधिकारी दण्डित किए जायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

डाक्टर साहब ने गोरखपुर का बहुत बताया है, आप दोनों लोग एक ही पार्टी के सदस्य हैं। अब आप समाप्त करें। पहाड़िया जी, आप बोलिए।

(माननीय अध्यक्ष की अनुमति से बंशी सिंह पहाड़िया बोलने लगे, लेकिन श्री विजय बहादुर यादव ने अपना भाषण जारी रखा, उनका स्पीकर आफ होने के कारण कुछ सुनाई नहीं दिया)

*श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद। अभी बसपा के लोगों ने सपा के लोगों की कुछ बातें कहीं और सपा के लोगों ने बसपा के लोगों की कुछ बातें कहीं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

श्री विजय बहादुर जी आप बैठिए, आपकी बात आ गयी है।

श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

मान्यवर, मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि इन बातों को न कह कर, सरकार तो बहुमत की सरकार है, कुछ सुझाव के तौर पर माननीय मंत्री जी से कुछ बातें कहना चाहता हूं। मुख्य मंत्री जी बैठे हैं, अध्यक्ष जी, पहले तो मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि पिछले 10 वर्षों में पहली बार उन्होंने एक इंजीनियर को एम0डी0 बनाकर प्रदेश की बिजली व्यवस्था को सुधारने का काम किया है। दूसरा मुख्य मंत्री जी, मैं सुझाव के तौर पर कहना चाहूंगा, लोग 5 से 10 वर्ष से प्रतीक्षा सूची में हैं, हूंपर ए0पी0 मिश्रा जी बैठे हैं, एक खम्भे की लाइन उसी ट्रान्सफार्मर की क्षमता भी है, लेकिन मैं 10 साल से प्रतीक्षा में हूं, 25, 33 या 63 के ट्रान्सफार्मर से मुझे कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है, उस समस्या का निदान किया जाए। मान्यवर, गांवों में आए दिन ट्रान्सफार्मर फुंकने की बात कही जाती है, कभी कहते हैं कि बीएसपी ने नकली खरीद लिए लेकिन एक वर्ष से तो मान्यवर, आप ही उनकी रिपेयर चला रहे हैं, मुख्य मंत्री जी, उनकी क्षमता की सच्चाई क्या है, जिस बात को हूंकई माननीय सदस्यों ने कहा, वह लोग विपक्ष के भले ही हों, लेकिन सुझाव के तौर पर उन्होंने अच्छी बात कही है। बात यह है, आप को बिजली चोरी रोकने में पक्ष-विपक्ष का कोई भी आदमी पाबन्द नहीं कर रहा है। हम भी चाहते हैं कि बिजली की चोरी रूके लेकिन बिजली की चोरी माननीय मुख्य मंत्री जी, ऐसे नहीं रुकेगी। क्या आपका जे0ई0, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि इस सरकार का या उस सरकार का, जे0ई0 जैसे अधिकारी को अगर आपने सुधारने का काम कर दिया तो न तो बिजली चोरी होगी और न नकली कनेक्शन चलेंगे। उस पर आपका ध्यान आकृष्ट करते हैं।

(विपक्ष के कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर शोर)

श्री अध्यक्ष-

आप मंत्री जी को लिखकर दे दीजिएगा। लिखकर दे दो।

श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

माननीय अध्यक्ष जी, एक-एक साल में 10-10 हजार रुपये जुर्माना किसान पर होता है।

श्री अध्यक्ष-

अरे पूरन प्रकाश जी, आप बिजली पर बहुत प्रश्न पूछ चुके हो। सप्लीमेंटरी में भी पूछ चुके हो।

(इस बीच श्री बंशी सिंह पहाड़िया बोलते रहे लेकिन उनका माइक ऑफ होने के कारण कुछ सुनाई नहीं दिया)

श्री अध्यक्ष-

बंशी जी, आप बहुत बोल चुके हो अनुरागी जी को बोल लेने दो।

श्री गयादीन अनुरागी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे ऊर्जा विभाग के बजट पर नेता प्रतिपक्ष द्वारा रखे गये कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं बुन्देलखण्ड

से चुनकर आया हूं। पूर्व मुख्य मंत्री माननीय वी0पी0 सिंह जी ने बुन्देलखण्ड में एक नियम बनाया था कि बुन्देलखण्ड को बिजली कटौती से मुक्त रखा जाएगा। विद्युत कटौती से तो मुक्त नहीं रखा गया, मेरे क्षेत्र के, पूरे बुन्देलखण्ड के किसानों से 130 रुपये प्रति हार्सपावर बिजली का बिल लिया जा रहा है। लगा हुआ जनपद फतेहपुर, उन्नाव है सब जगह पर 75 रुपये प्रति हार्सपावर लिया जा रहा है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है और हमारे मुख्य मंत्री जी बी0टेक हैं, इंजीनियर हैं। इंजीनियर होने के नाते वह बिजली और सड़कों के बारे में सारी चीजें जानते हैं। मैंने भी विद्युत इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया था। मैं यह चाहता हूं कि बुन्देलखण्ड को या तो बिजली कटौती से मुक्त रखा जाये और अगर नहीं रखा जाता है तो दूसरे जनपदों में जैसे 75 रुपये प्रति हार्स पावर लिया जाता है उसी तरह से हमारे बुन्देलखण्ड में लिया जाये। इसके साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुए कहना चाहता हूं कि हमारे यहां बुन्देलखण्ड में तिन्दवारी विधान सभा है वहां डार्क जोन घोषित कर दिया गया है। कुछ किसानों ने वहां कनेक्शन जोड़ लिये थे।

श्री अध्यक्ष-

अनुरागी जी अब बस करिये।

श्री गयादीन अनुरागी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

अनुरागी जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सीमित रखा।

श्री पूरन प्रकाश-

[x x x x x x x x x]

श्री अध्यक्ष-

अरे, यह कोई मेला नहीं है। यहां नारा नहीं लगाया जाता। यह नहीं लिखा जाएगा। यह क्या कोई मेला है। यह विधान सभा है।

*श्री पूरन प्रकाश-

मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे मौर्या जी के कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। माननीय अध्यक्ष जी, सुबह चार घण्टे से विद्युत विभाग पर बहस चल रही है। पिछले साल और पिछले 5 साल भी चली। मैंने पहले भी कहा था और अब भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि प्रदेश नहीं देश नहीं एशिया की सबसे बड़ी रिफायनरी मथुरा में लगी है। उस मथुरा रिफायनरी से चार-चार राज्यों में बिजली सप्लाई हो रही है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान में हो रही है। क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश सरकार उस रिफायनरी से बिजली नहीं ले पा रही है। माननीय अध्यक्ष जी, मरने के लिए बीमारी झेलने के लिए तो मथुरा है। मथुरा के सारे गांव वाले हैं। रिफायनरी ने अस्पताल बना दिया है। भर्ती हो जाओ, मर जाओ। लेकिन मथुरा वालों को बिजली नहीं मिल पा रही है। माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हैं। मैंने पिछली बार भी कहा था कि जनपद मथुरा के बल्देव ब्लाक,

---

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

राया ब्लाक एवं फरह ब्लाक के ग्रामीण अंचल के ग्रामों में 25 के0वी0, 63 के0वी0 एवं 100 के0वी0 के ट्रांसफार्मर फुंके पड़े हैं। ग्रामीण अंचल के एक्सियन, एस0ई0 कई महीनों से सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं तथा कभी पिछले बकायों को जमा कराने की बात कहते हैं कभी कहते हैं कि स्टोर में नहीं है। यह कहकर क्षेत्रीय जनता को बहका कर वापस कर दे रहे हैं। इसके साथ ही उपरोक्त तीनों ब्लाकों में लगभग 15-15 गांव विद्युतीकरण के लिये विभाग में प्रस्तावित हैं परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हो रही है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर।)

श्री अध्यक्ष-

जो माननीय सदस्य नहीं बोल पाये हैं वह 200 शब्दों में लिखकर दे दें। कार्यवाही में जुड़वा देंगे।† श्री पूरन प्रकाश जी आप बैठ जायें।

(विपक्ष के कई मा0 सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर एक साथ अपनी-अपनी बात कहने लगे जिससे शोर की स्थिति उत्पन्न हो गई।)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग शान्त हो जायं। जो लोग लिख कर दे देंगे मैं उनका नाम बोल दूंगा कि फलां-फलां ने लिख कर दिया, उनका नाम आ जायेगा। अब आप लोग बैठिये। बहुत बजट है, मौर्या जी अब आप शुरू करें। मा0 उपेन्द्र जी आप बैठ जायं, आप लिखकर दे दें, मैं जुड़वा दूंगा। अभी और बजट है, अभी आबकारी है, वन है और डेढ़ घण्टा की चर्चा कुम्भ पर है, उसमें आप लोग बोलें। मा0 मौर्या जी अब आप शुरू करिये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, पहले सदन को व्यवस्थित कराने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष-

मैंने कह दिया है, आप सब लोग लिख कर दे दें, हम सबका भाषण जुड़वा देंगे और नाम भी बोल देंगे कि फलां-फलां ने कहा तो उनका सब आ जायेगा। कल भी दिये थे, जोड़वा दिया था, आज भी जोड़वा दूंगा। अब आप लोग बैठ जायं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, सत्ता पक्ष के मा0 सदस्यों ने भी बजट का स्वागत किया उन्होंने भी अपने क्षेत्र की तमाम समस्याओं को उद्धृत करके मेरे कटौती प्रस्ताव पर बल दिया है और साथ ही साथ विपक्ष के भी तमाम मा0 सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं को और साथ ही साथ जो क्षेत्र में जनता से जुड़ी समस्यायें हैं उनको भी प्रस्तुत कर के बल दिया है और मान्यवर, कुल इतने ही कम समय में मा0 15 सदस्यों ने इस पर चर्चा में हिस्सा लिया और सभी मा0 सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं को प्रस्तुत किया है। अन्त में मान्यवर, मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि सत्ता और विपक्ष की नोंक-झोंक से प्रदेश की जनता प्रभावित न हो, इसलिए विपक्ष का धर्म है प्रदेश की जनता से जुड़ी समस्याओं को हूंपर प्रस्तुत करने का और सरकार का धर्म है, इन समस्याओं का

† (देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ-256-304 पर।)

संज्ञान लेकर के जनता से जुड़ी समस्याओं का निस्तारण करने का। यह सही है कि यह एक निरन्तर प्रक्रिया है, देनदारियां मुझे भी विरासत में मिली थीं, स्वाभाविक रूप से कुछ देनदारियां इनको भी मिली होंगी, आगे भी जो आयेगा, उसे भी देनदारियां मिलेंगी। यह लगातार एक परम्परा है, जो चलती रहती है। बजट पर बल देते हुए शिवाकान्त ओझा जी ने कहा था के 10 हजार करोड़ रुपया बैंक से लोन लिये, उत्तर प्रदेश की जनता को बिजली मुहैया कराने के लिए 10 हजार करोड़ रुपया कम है। हमने तो डेढ़ दर्जन योजनायें शुरू कीं, जिसमें तीन-चार ने उत्पादन शुरू किया, जिसके नाते तीन हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन अतिरिक्त मैंने किया और 2014 तक जो लक्ष्य था कि मांग के सापेक्ष विद्युत आपूर्ति शत-प्रतिशत सुनिश्चित किया जाय, यह वर्तमान सरकार की जवाबदेही है, उसको सुनिश्चित करे, चूंकि अभी एक साल में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई। घाटमपुर की परियोजना का जिसका मा0 मुख्य मंत्री जी ने उद्घाटन किया था, वह भी मेरी ही कार्य योजना थी, तो इसलिए यह व्यक्तिगत किसी की कार्य योजना नहीं होती है, यह सरकारों की कार्य योजनायें होती हैं, हमारी सरकार थी हमारी कार्य योजना थी, हम छोड़ कर गये हैं, वर्तमान की कार्य योजना है, यह भी छोड़ कर जायेंगे तो जब हम आयेंगे तो फिर हमारी होगी, इसलिए यह बहस का विषय नहीं है चूंकि मा0 सत्ता पक्ष के सदस्य बार-बार कहते है कि जांच करा देंगे। अरे किससे मांग करते हो, सरकार में बैठे हो, जितनी भी हिम्मत है, कुव्वत है, जांच करा लो और जेल में भेजने की धमकी मत दो क्योंकि जेल में भेजने की धमकी ये नहीं है बल्कि आप अपने जेल में जाने का रास्ता तैयार कर रहे हैं। जब भी कभी भविष्य में अगर बदले की भावना से कोई काम होगा तो आप समझ लेना की टिट फॉर टैट, शठे शाठ्यं समाचरेत। ये नीति अपनायी जायेगी इसलिये केवल बन्दर घुड़की दे करके, धमका करके, चमका करके अपनी कमजोरियों को छिपाने का पाप मत करिये। अभी समय है सावधान हो जाइये, नहीं तो 2014 में जनता सबक सिखायेगी। अगर हमको आप बहाने और तिकड़मबाजी से कहीं हूंपर हमको गुमराह कर सकते हैं, जनता को गुमराह कर सकते हैं लेकिन हकीकत क्या है, वो आपके सामने आ जायेगी। मान्यवर, चूंकि सरकार की संतोषजनक कार्य की प्रगति नहीं थी इसलिये मैंने कटौती प्रस्ताव रखा और कटौती के प्रस्ताव के माध्यम से तमाम सुझाव और साथ ही साथ आवश्यकता के अनुसार विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिये तमाम ऐसी समस्याओं की ओर ध्यान खींचा और मैं समझता हूं कि एक साल के अन्दर कोई प्रगति नहीं है इसलिये मेरा कटौती प्रस्ताव यथावत् है तथा उसको वापस लेने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी।

श्री मोहम्मद आजम खां-

पहले तो आश्वासन कर दीजिये कि जेल नहीं भेजेंगे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, राजनीति में आने वाला हर व्यक्ति एक नहीं अनेक बार जेल जाता है और सत्याग्रह के माध्यम से मैं मालूम नहीं कितनी बार जेल जा चुका हूं। किसी चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार, बैंक डकैती, अपहरण और फिरौती वाले इधर नहीं बैठे हैं। ऐसे लोग उधर हैं, आप उनका

बचाव कीजिये, उनकी परवाह कीजिये। स्वामी प्रसाद मौर्य की सेहत पर किसी भी प्रकार की धमकी का कोई असर पड़ने वाला नहीं है।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मा0 अध्यक्ष जी, हम लोगों का कोई प्रयास नहीं है लेकिन जांच तो चल ही रही है। 4 लोग तो जा भी चुके हैं और अभी भी हैं जेल में, कुछ और भी जांच से जेल में जायेंगे ही। जांच तो निष्पक्ष होगी, जैसा किया है वैसा ही भोगना पड़ेगा। मा0 अध्यक्ष जी, अभी नेता विरोधी दल ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा। पता नहीं ये आंकड़े कहां से दे रहे हैं। सांख्यिकी विभाग के तो थे नहीं, न बिजली विभाग के थे क्योंकि इन्होंने कहा कि 3000 मेगावाट बिजली की यूनिट इन्होंने लगायी थी तो 3000 मेगावाट बिजली तो अभी भी पैदा नहीं हो रही है। अभी भी नहीं, इस समय भी नहीं तो मान्यवर, मैं गिनाना चाह रहा हूं जो आंकड़े हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

इस पर भी जांच बिठाइये कि आंकड़े मिले कहां से।

(सदन में हंसी)

श्री शिवपाल सिंह यादव-

वो उनके अपने आंकड़ें हैं, न सांख्यिकी विभाग के हैं न बिजली विभाग के हैं, खुद उन्हीं के हैं। जो उन्होंने 10 परियोजनाओं का एम0ओ0यू0 किया था तो मैं उसमें गिनाना चाहता हूं कि किस तारीख को और कब लग जाना चाहिये था। कोई यूनिट मैं बताना चाहता हूं कि तीन साल, चार साल के अन्दर लग जाना चाहिये। आपकी सरकार रही 5 साल तो फिर वो यूनिट क्यों नहीं लगीं। केवल बड़े लोगों से समझौता करना, एम0ओ0यू0 करना, धोखा करना। धोखा नहीं तो और क्या था ये। मैं गिनाना चाहता हूं कि जो हमारे समय की यूनिट थीं। श्रीनगर जल विद्युत परियोजना, ये योजना थी 330 मेगावाट की जिसमें से हमें मिलना था 290 मेगावाट। ये योजना तो वैसे 2009-10 में शुरू हो जानी चाहिये थी। इसमें भी देरी हुयी इनकी वजह से और दूसरी विष्णु प्रयाग जल विद्युत यह थी 400 मेगावाट की, दिनांक 23.03 इसका एम0ओ0यू0 हुआ था और इसमें से हमें मिलनी थी, 352 मेगावाट बिजली। यह तो शुरू हो गई थी, हमारे समय में। मैसर्स रोजा पॉवर सप्लाईज 600 मेगावाट की थी और यह शुरू हुई थी दि0 12.01.06 से। यह चालू हुई थी, 30 जून, 2010 से, केवल यह प्रारम्भ हो पायी थी, वह भी हमारे समय की थी। मैसर्स लेन टू अंतरा, यह हमने शुरू की थी, दि0 12-11-2006, तो इसको भी शुरू हो जाना चाहिए था वर्ष 2009-10 में। यह भी देरी से हुई। मैसर्स रोजा पॉवर सप्लाई रिलाइंस, दूसरा तो इस तरीके के हरदुआगंज विस्तार तो इसका विस्तार हुआ था दि0 01-12-2005, इसमें 500 मेगावाट का रखा गया था। हरदुआगंज का तो आप जानते ही हैं कि 19 सौ करोड़ रुपये से कहां पहुंच गई है, और अभी तक तैयार नहीं हुआ है। पारीछा विस्तार, 01-12-2005, 500 मेगावाट तो इस इकाई के बारे में तो जानते ही हैं, यह भी वर्ष 2009-10 में तैयार हो जाना चाहिए था, यह तो और जल्दी 2008 में ही तैयार हो जानी चाहिए थी। आपको पता है कि उसकी चिमनी गिर गई और आज तक वह चली नहीं। अब चलेगी, बहुत जल्दी चलेगी, तो यह सब था और 3000 मेगावाट बता दिया। इतनी योजनाएं हमारे समय की शुरू थी,

अगर वह ही करा देते, तो शायद बिजली की अभी तक इतनी दिक्कत नहीं होती और आपने जो चलाई उनके एम0ओ0यू0 का समय खत्म हो गया था, मैंने शुरू कर दिया, मैंने खत्म नहीं किया, क्योंकि बड़े आदमियों से ...., आप जानते ही हैं क्या हो रहा था, उस सरकार में। बड़े आदमियों को क्या परेशानी थी, बिना लेन-देन के तो कोई ..... यह कौन नहीं जानता है, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता जानती है, तो वह भी खत्म हो गया था, फिर मैंने शुरू कर दिया।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

क्या शुरू कर दिया मा0 मंत्री जी, लेना-देना।

श्री अध्यक्ष-

आपकी निगाह में होएगा, जो हो रहा है।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

तो इस तरीके से जो आपने इतना झूठ बोला हूंपर। मान्यवर, वर्ष 2012-13 में लगभग 13 हजार करोड़ का वित्तीय घाटा अनुमानित है, वर्ष 2011-2012 में भी रु0 12 हजार करोड़ का घाटा था। घाटे में बिजली चोरी लगभग रु0 4500 करोड़ है, जो बिजली खरीद का लगभग 15 प्रतिशत है। चोरी को रोकने के लिए आर0एफ0डी0डी0आर0पी0 योजना लागू की जा रही थी, जिसमें ट्रान्सफार्मर स्तर तक की हानि का पता चलेगा, बिजली चोरी रोकने में सहायता मिलेगी, लेकिन यह सब काम हुए हैं और परीक्षा के दौरान रात में तथा सुबह दो-दो घण्टे बिजली देने का प्रयास किया जायेगा। परीक्षा के समय दिया जायेगा। परीक्षा जो चल रही है।

डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, रात में बिजली मिलनी चाहिए, दिन में काट लीजिए, रात में दीजिए।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

लड़कों को दिक्कत न हो, प्रयास है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मंत्री जी, एक मिनट सुन लें। इसकी समय-सारणी बना ले, मतलब आप बच्चों को जो बिजली देंगे, शाम और सुबह दोनों की अलग-अलग समय सारणी अगर आप निश्चित कर देंगे, तो हमारे ख्याल में यह ज्यादा अच्छा होगा।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

ठीक है, इस पर विचार कर लेंगे, हो जायेगा। वर्ष 2010 और 2011 में जो कि डॉक्टर साहब ने कहा था कि 32 हजार करोड़ की बिजली खरीदी और पैसा न होने के बावजूद भी, बाजार से बिजली खरीदी। पैसा नहीं था। मान्यवर, पैसा नहीं था तब भी खरीद कर ली 2010-2011 में जिसका रुपया 2200 करोड़ रुपया अभी भी बकाया है। जो खरीदी है उसका। मान्यवर ग्रिड से ओवर विथड्राल कर लिया पिछले बार की 31 मार्च को उस पर भी 11 सौ करोड़ रुपया बकाया है। इसकी वजह से भी यह आंकड़े दिखाई पड़ रहे हैं, तो लगभग 32 हजार करोड़ रुपये की बिजली आपने खरीदी जब पैसा नहीं था तब भी आपने खरीदी है। जिसका यह बकाया है। मान्यवर, पिछले पांच सालों के कार्यकाल में लगभग 25000 करोड़ रुपये का घाटा इस विभाग में हुआ है। जिसकी भरपाई अभी हमें

करनी है। इस तरह से लास लगातार बढ़ता गया है। और करीब 7000 करोड़ रुपये का प्रतिवर्ष का लास है। तो यह तो बढ़ रहा है। 25000 करोड़ रुपये और सात हजार करोड़ रुपये। हम लोगों ने तो इसे तीस हजार करोड़ रुपये तक कर दिया है। इस तरह से मान्यवर, रात को आठ बजे से दस बजे तक और सुबह चार बजे से छः बजे तक छात्रों को विद्युत देने का प्रयास हमारी सरकार कर रही है। अभी जो बिजली के बारे में कहा गया कि चिन्ता की जाय, तो बिजली के विकास में हम ठोस प्रयास करने जा रहे है। हम सब लोगों को इसकी चिन्ता है। माननीय मुख्य मंत्री जी को चिंता है तो पूरे बिजली के विकास में ठोस प्रयास हमारी सरकार करने जा रही है। हमने जो सदस्यों के सुझााव जो सुने हैं हमारे चेयरमैन बैठे हुए हैं, एम0डी0 बैठे हुए हैं उन्होंने उसे नोट भी किया है, हमारे निर्देश भी हैं जो पाजिटिव सुझाव हैं उनको वह नोट करेंगे ओर उन सुझावों को वह पूरा करायेंगें। यह हमारे निर्देश हैं। इसलिए मैं सभी माननीय सदस्यों को यह आश्वासन देना चाहता हूँ और नेता विरोधी दल को यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि हमारा पूरा प्रयास है कि बिजली के क्षेत्र में पूरा विकास हो इसलिए आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस लेने का कष्ट करें, और सर्वसम्मति से इस बजट को पारित कराने का कष्ट करें। हम आश्वासन देते हैं कि हम प्रदेश की जनता को ज्यादा से ज्यादा बिजली देंगें और जो गांवों में और किसानों को बिजली पहुंचाने का लक्ष्य है हम उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। मेजों की थपथपाहट।

श्री अजय कुमार ''लल्लू''-

मान्यवर, जो विधायक निधि और सांसद निधि से रिपेयरिंग के ट्रांसफारमर दिये जा रहे हैं जबकि उसमें नय ट्रांसफारमर का पैकेज मांगा जा रहा है यह पिछली सरकार से व्यवस्था बन्द है क्या सरकार द्वारा विधायक निधि और सांसद निधि से नये ट्रांसफारमर का पैकेज खरीदा जायेगा।

श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य-

मान्यवर, जो लोग साल-दो साल से प्रतीक्षा कर रहे हैं कनेक्शन पाने की उस ओर सरकार ध्यान देगी। मान्यवर जो लोग पैसा देकर, कनेक्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं चाहे वह सामान्य योजना में हों या पूर्ण भुगतान योजना में हों उसका भी सामान नहीं मिल रहा है।

श्री रविन्द्र जायसवाल-

मान्यवर, हमने बिजली विभाग में अपनी विधायक निधि से विद्युत पोल के लिए पैसा देने की बात कही वहां से स्टीमेट आया एक पोल का 2530 रुपये का। हमने उसका लगभग 11 लाख रुपये दिया है। मान्यवर उसी कम्पनी के पास मैं स्वयं गया और मैंने स्वयं के वेतन से उसे एक लाख सत्तर हजार रुपये दिये और 100 बिजली के पोल देने की बात कही इस तरीके से 1700 रुपये प्रति पोल की दर आई है। मान्यवर आप देंखें कि करीब 730 रुपये प्रति पोल का अन्तर है। इसको सरकार देंखे। यानी कि 40 परसेंट का घोटाला इसमें है। यह बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारी कर रहे हैं। यह जांच का विषय है मैं आपको दे रहा हूं, यह आगणन में है, इनके आगणन में 25 सौ रुपया है और हमने उसी कम्पनी से लिया 17 सौ रुपए का, हमने चुनाव में कहा था कि वेतन नहीं लूंगा उसी वेतन से मैंने खरीदा था।

(माननीय सदस्य श्री पंकज मलिक, श्री प्रदीप चौधरी एवं अन्य माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब उत्तर आने दीजिए। प्रदीप चौधरी जी या तो आप बोलो या तो पंकज मलिक जी बोलें।

श्री प्रदीप चौधरी-

मान्यवर, जो टॉवर बनते हैं और वह जिन किसानों के खेतों में लगते हैं उनको मुआवजा पर्याप्त नहीं मिलता है। उनकी वजह से बड़ी भारी समस्या है क्योंकि लाइन नहीं बन पाती हैं और लाइन न बनने की वजह से जो 33 के बिजली घर हैं उनको सप्लाई नहीं जा रही है।

*श्री पंकज कुमार मलिक-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा और बताना भी चाहूंगा क्योंकि यह सरकार किसानों के लिए बड़ी चिन्तित है। किसानों का बहुत बड़ा पैसा ट्रांसफारमर लाने और ले जाने में खर्च होता है, इसे मैंने पहले उठाया भी था। इसमें बहुत बड़ा घोटाला बिजली विभाग के अधिकारियों के द्वारा चल रहा है। जो ट्रांसफारमर लाने ले जाने का पैसा सरकार देती है, आप पता करा लीजिएगा पूरे प्रदेश में कहीं भी विभाग द्वारा फुंका हुआ ट्रांसफारमर अपनी तरफ से ला करके बदलवाने की कोई प्रक्रिया नहीं है। इसके लिए पैसा लिया जाता है, इसकी जांच जरूर कराई जाए क्योंकि यह पूरे प्रदेश के किसानों का मामला है।

(माननीय सदस्य श्री प्रदीप माथुर एवं अन्य माननीय सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय मौर्या जी, अब आप कहें यह तो प्रश्न चलते रहेंगे। माथुर साहब कितना आप स्पष्टीकरण पूछोगे। आप नेता हैं इसका मतलब यह नहीं है कि आप चाहे जब पूछ लें। आपकी पार्टी के लोग बोल चुके हैं, अब आपको क्या पूछना है। पहले आप लोग तय कर लीजिए कॉंग्रेस से कौन स्पष्टीकरण पूछेगा।

श्री प्रदीप माथुर-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हैं। केन्द्र सरकार के ऊर्जा विभाग में उत्तर प्रदेश सरकार की ए0पी0डी0आर0पी0 की तमाम स्कीम पड़ी हुई हैं। एक्सटेन्डेड ए0पी0डी0आर0पी0 की स्कीम्स पड़ी हुई हैं। उनमें कहीं न कहीं कोई न कोई कमियां हैं। जब भी हम ज्वाइन्ट सेक्रेटरी से बात करते हैं या ऊर्जा मंत्री जी से बात करते हैं तो वह कहते हैं कि उन डी0पी0आर0 में कुछ प्राब्लम्स हैं तो क्या आप अपने अधिकारियों से कहेंगे कि उन डी0पी0आर0 को पूर्ण करायें और केन्द्र सरकार से ए0पी0डी0आर0पी0 और एक्सटेन्डेड ए0पी0डी0आर0पी0 का पैसा प्रदेश में आ जाए, क्या आप इस तरह का काम करेंगे क्योंकि हमने पहले भी कहा था लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई लेकिन मुझे आपसे उम्मीद है कि आप इस पर जरूर कुछ करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

माननीय माथुर साहब समाप्त कीजिए। माननीय मौर्या जी आपको यदि कुछ कहना हो तो कहिये अन्यथा हम प्रश्न उपस्थित करें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(विपक्ष के कई माननीय सदस्यों के खड़े रहने पर)

श्री अध्यक्ष-

अभी माननीय मंत्री जी से कह देंगे यदि वह चाहेंगे तो सभी का उत्तर मिल जायेगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय मंत्री जी ने बजट की तमाम खूबियों को बताते हुए कटौती प्रस्ताव को वापस लेने का उन्होंने अनुरोध किया है। मान्यवर, बिजली जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर सरकार गम्भीर नहीं है और बिजली व्यवस्था बिल्कुल चरमराई है। गांव में कहावत है कि- बाप मरे अंधियारे मा, बेटवा पॉवरहाउस। बिजली के लिए बहुत बड़ी व्यवस्था है लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता के लिए बिजली नहीं है इसीलिए मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, आपको इन लोगों को कुछ जवाब वगैरह देना है कि प्रश्न उपस्थित करें।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी।

(विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर अपनी बात कहने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब आप लोग शान्त रहिये, हमारी समझ में नहीं आता कि आप लोगों की कितनी समस्याएं हैं।

श्री बब्बन सिंह चौहान-

मान्यवर, मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी को पत्र लिख करके दिया है। मान्यवर, मैंने निधि से पैसा दिया है हमारी निधि से दिये हुए पैसे पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।

(माननीय मंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव जी के स्थान ग्रहण करने पर)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-09-ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-09-ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,11,30,54,99,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

[4-00] वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान-अनुदान संख्या-01, आबकारी विभाग

*लोक निर्माण, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, सहकारिता, भूमि विकास एवं जल संसाधन मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-01-आबकारी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,26,17,09,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

माननीय अध्यक्ष जी, आबकारी विभाग प्रदेश का राजस्व अर्जित करने वाला महत्वपूर्ण विभाग है। मादक वस्तुओं के अनौषधीय उपयोग के निषेध का उन्नयन, प्रवर्तन एवं प्रभावीकरण आबकारी प्रशासन की मौलिक नीति है। तद्नुसार विभाग सुनिश्चित करता है कि उपयुक्त पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण द्वारा मादक वस्तुओं की वैधानिक बिक्री से अधिकतम् राजस्व प्राप्त किया जाये। यह कार्य शीरा एवं अल्कोहल के उत्पादन एवं उपयुक्त वितरण के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर एवं भांग की दुकानों का व्यवस्थापन एवं मादक पदार्थों की अवैध बिक्री/मद्य निष्कर्षण की रोकथाम करना विभाग का प्रमुख कार्य है।

वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिये आबकारी विभाग का राजस्व लक्ष्य रु0 10070 करोड़ (दस हजार सत्तर करोड़) निर्धारित किया गया है, जिसके सापेक्ष माह जनवरी, 2013 तक 7488.97 करोड़ (सात हजार चार सौ अट्ठासी करोड़ सत्तानवे लाख) की प्राप्तियां हुई हैं। विभाग शत-प्रतिशत राजस्व लक्ष्य प्राप्त करने के लिये प्रयासरत् है। वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिये आबकारी शुल्क से रु0 12084 करोड़ (बारह हजार चौरासी करोड़) की राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है जो वर्ष 2012-13 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक है।

वित्तीय वर्ष 2013-14 में आबकारी विभाग के लिये अनुदान सं0-01 में मतदेय पक्ष में रु0 124,18,03,000/- (एक सौ चौबीस करोड़ अट्ठारह लाख तीन हजार) एवं भारित पक्ष में रु0 20,00,000/-(बीस लाख) तथा पूंजी पक्ष में रु0 1,99,06,000/- (एक करोड़ निन्यानबे लाख छह हजार) सहित कुल रु0 126,37,09,000/- (एक सौ छब्बीस करोड़ सैंतीस लाख नौ हजार) का आय-व्ययक प्राविधान किया जाना प्रस्तावित है, जो विगत वर्ष 2012-13 में प्राप्त बजट रु0 129,87,50,000/- (एक सौ उन्तीस करोड़ सत्तासी लाख पचास हजार) से रु0 3,50,41,000 (तीन करोड़ पचास लाख इकतालीस हजार) (2.70%) कम है।

मान्यवर, इस बजट में जो मुख्य बिन्दु हैं वह मै बता रहा हूं। विभाग के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सम्पूर्ण वर्ष के लिए वेतनादि मदों में कुल रु0 एक सौ सात करोड़ छासठ लाख तिरासी हजार की व्यवस्था की गयी है जो कुल प्राविधानित बजट का 85.20 प्रतिशत है। आबकारी विभाग के सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत कम्प्यूटर संचालन हेतु अनुमन्य संविदा कार्मिकों की मजदूरी हेतु रु0 एक करोड़ पचास लाख की व्यवस्था की गयी है। विभाग में विभागीय वाहनों एवं संविदा वाहनों के

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डीजल प्रेट्रोल व्यय हेतु रु0 चार करोड़ पंचानबे लाख की व्यवस्था की गयी है। विभाग के 18 निष्प्रयोज्य वाहनों के प्रतिस्थानी वाहनों के क्रय हेतु रु0 नब्बे लाख की व्यवस्था की गयी है। विभाग के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सम्पूर्ण वर्ष के विभिन्न प्रकार के भत्तों/देयकों हेतु कुल रु0 एक करोड़ सड़सठ लाख साठ हजार की व्यवस्था की गयी है। विभाग के समस्त कार्यालयों के संचालन हेतु विभिन्न मानक मदों में कुल रु0 पांच करोड़ सैंतालिस लाख की व्यवस्था की गयी है। आबकारी विभाग के विभिन्न कार्यालयों/मुख्यालय के उन्नयन/सुदृढ़ीकरण हेतु क्रय की जाने वाली सामग्रियों के संबंध में कुल रु0 एक करोड़ इक्कीस लाख साठ हजार की व्यवस्था की गयी है। अवैध मदिरा के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही करने के लिए मुखविरों के माध्यम से सूचनाएं प्राप्त हेतु गुप्त सेवा व्यय में रु0 पांच लाख की व्यवस्था की गयी है। विभाग के विधिक व्यय हेतु रु0 चालीस लाख की व्यवस्था की गयी है। विभाग के अनावासीय/आवासीय भवनों हेतु उनके अनुरक्षण/मरम्मत/लघु निर्माण/वृहद निर्माण कार्य हेतु कुल रु0 दो करोड़ चौंतिस लाख छह हजार की व्यवस्था की गयी है। विभाग में मोटर क्लेम के भुगतान हेतु भारित पक्ष में रु0 बीस लाख की व्यवस्था की गयी है।

इसी तरह से मान्यवर, विकास योजनाओं के लिए वित्त की व्यवस्था जरूरी है, उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति पिछली सरकार की खुली लूट व कुप्रबन्धन के कारण चरमरा गयी थी, प्रदेश का हर व्यक्ति औसतन 14 हजार से अधिक रुपये का कर्जदार हो चुका है। धीरे-धीरे हम लोग अर्थव्यवस्था को पटरी पर ला रहे हैं। आबकारी विभाग राजस्व प्राप्त करने का दूसरा मुख्य विभाग है। वर्ष 2013-14 हेतु आबकारी लक्ष्य 12 हजार 500 करोड़ रखा गया है। इस धन का उपयोग गरीबों की पढ़ायी-लिखायी, दवा, सड़क, सिंचाई आदि जनहित के मदों में किया जायेगा। इसलिए मैं आबकारी के बजट को प्रस्तुत करता हूं और मेरा अनुरोध है कि आप सब लोग बजट को पारित करायें।

श्री अध्यक्ष-

उमाशंकर सिंह जी कटौती प्रस्तुत करें।

श्री उमाशंकर-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 01- आबकारी विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

माननीय अध्यक्ष जी, कटौती प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है कहीं न कहीं माननीय मंत्री जी जो अभी कुछ दिन पहले समाचार पत्रों में पढ़ने को मिला कि हमारी आबकारी नीति जो पुरानी थी उसको आपने लागू किया। तो कहीं न कहीं यह बात साबित करती है कि जो हम लोग पुरानी नीति बनाकर काम कर रहे थे वह सरकार के लिए उपयोगी व आम जनता के हित में थी। चूंकि टीका-टिप्पणी हो रही है। अभी कैफेटेरिया में खाना खाने गये थे तो तमाम मा0 सदस्य चाहे इधर के हों या उधर के, मुझसे मिले, मैं नाम नहीं लेना चाहता, सब सोच रहे हैं कि कहीं हमारा नाम न ले लें। लोग कहने लगे कि उमाशंकर जी यह खाना तो लग रहा है कि ऊर्जा विभाग का है क्योंकि ऊर्जा का बजट दिन में रखा गया है, लंच का टाइम था। सुनने में आया है कि आप आबकारी विभाग पर कटौती का प्रस्ताव रखेंगे, आप मंत्री जी से जरूर पूछियेगा कि आबकारी में सब सदस्यों को क्या दे रहे

हैं ? तो हो सकता है अभी दोबारा जाने पर वहां व्यवस्था मिले इसलिए चिन्तित होने की जरूरत नहीं है।

श्री उमाशंकर-

मान्यवर, मैंने सभी सदस्यों की बात रखी है। गांधी जी ने कहा था कि हम अशिक्षा बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन शराबी नहीं, शराब नहीं। महात्मा बुद्ध ने भी कहा था कि तुम शेर से लड़ो वह पराक्रम की निशानी है, आग से जलने से मत घबराना क्योंकि वह तप की निशानी है, पहाड़ से कूदने से मत घबराना क्योंकि वह साहस की निशानी है लेकिन जो हूंसे शाम को निकलते हैं या और भी जो लोग रोड पर घूमते हैं, जब दुकान पर पैकेट में सामान लेकर आते हैं, उनसे बहुत घबड़ाना, उनसे सामना न हो यह हम लोग मनाते हैं। सामान यही, जिसका बजट है। यह हमारे प्रदेश की मजबूरी है कि यह दूसरा ऐसा बड़ा विभाग है जहां से सबसे अधिक राजस्व आता है। हमारे इधर के साथी सोच रहे होंगे, हमारे मा0 डॉ0 अग्रवाल जी सोच रहे होंगे कि अगर हम प्रस्ताव रखते तो हम कहते कि इसको गुजरात बना दिया जाए या प्रतिबंध लगा दिया जाए। यह सत्य नहीं है। गुजरात में जाईये और आप होटल में रुकते हैं तो आपको यह व्यवस्था मिलेगी। प्रतिबंध से तस्करी बढ़ती है। एक बार हूंभी शायद उत्तर प्रदेश में 1977 में यह प्रयास किया गया था उस समय तस्करी बढ़ गयी थी। अन्य कई प्रदेशों में यह व्यवस्था वहां के लोगों ने बदलने का प्रयास किया कि इसको हम अपने प्रदेश में प्रतिबंधित कर दें लेकिन कहीं हो नहीं पाया और उन प्रदेशों को अपना वह निर्णय वापस लेना पड़ा। यह सत्य है कि यह दूसरा ऐसा बड़ा विभाग है जहां से सबसे अधिक राजस्व की प्राप्ति होती है। अभी माननीय मंत्री जी ने जो चर्चा की कि हम शीरे का इस्तेमाल करते हैं। मान्यवर, यह भी सत्य है कि भारतवर्ष में सबसे अधिक शीरे का उत्पादन हम करते हैं। लेकिन कहीं न कहीं यह अव्यवहारिक है कि शीरे का उत्पादन हम करते हैं लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में जितना अधिक बकाया मूल्य हमारे गन्ना किसानों का है, वह किसी से छिपा नहीं है। एक ऐसी नीति बननी चाहिए, यह हमारे लिए आवश्यक है, इससे राजस्व की प्राप्ति होती है। यह राजस्व प्रदेश के विकास में ही कहीं न कहीं खर्च किया जाता है लेकिन चूंकि हमने कहा कि सुझाव देंगे, यह मेरा सुझाव था कि इसका एक बड़ा बजट जो इस आबकारी विभाग से प्राप्त होता है। कुछ ऐसी क्राइटेरिया बन जानी चाहिए जो इससे राजस्व प्राप्त होता है, हम उतना पैसा जरूर अलग कर देंगे जिससे कि हमारे प्रदेश के गन्ना किसानों का एक रुपया भी गन्ना का बकाया न रह जाए। यह यदि अपने आप ऐसा करते हैं तो लगता है कि नहीं हम शीरे का खपत अच्छी जगह पर कर रहे हैं और हमारे किसान जो गन्ने का पैदावार करते हैं उनको भी लगने लगेगा कि हमें वाजिब मूल्य मिल गया। दूसरे, चूंकि अभी हम माननीय मुख्य मंत्री जी का घोषणा-पत्र पढ़ रहे थे उसमें माननीय मुख्य मंत्री जी का था कि हम शराब सस्ती करेंगे। लेकिन शायद इधर 15 से 20 प्रतिशत बढ़ोत्तरी की बात आई है। उसमें आपने यह भी लक्ष्य दिया है। मैं सबके फायदे की बात कर रहा हूं। मैं मानता हूं कि उस बढ़ोत्तरी से हमारा राजस्व बढ़ेगा लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी माननीय मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि अगर हम जो मूल्य वृद्धि करके राजस्व की प्राप्ति करना चाहते हैं अगर उसकी जगह पर हम अपने अगल-बगल के प्रदेशों से जहां से हमारी शराब की तस्करी होती है। केवल हम उसको रोक लें प्रदेशों का मैं नाम नहीं लेना चाहता लेकिन सब लोग वाकिफ हैं कि हमें कितने राजस्व की क्षति इस तस्करी से होती है। जो अगल बगल के प्रदेशों से होती

है। उससे आप कितना भी मूल्य वृद्धि करेंगे लेकिन वह भरपाई नहीं होने वाली है। जबकि इसके लिए आपने एक व्यवस्था बनाई है इसको रोकने के लिए आपने कोई समिति भी बनाई है पहले से यह समिति बनी आ रही है जिसका नाम है एस0एस0एफ0। यह एस0एस0एफ0 इकाइयां बनी हुई हैं जिसके लिए हम उनको भुगतान भी करते हैं और एक अच्छा खासा एमाउण्ट भी हमारा खर्च होता है। लेकिन यह इकाइयां हमारे प्रदेश में फेल्योर हैं वह खुद सांठ-गांठ करके यह काम कराती हैं इसमें मेरा अपना सुझाव था जिससे हम तस्करी रोक सकते हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य अपने ड्यूटी स्ट्रक्चर को अपने पड़ोसी राज्यों के बराबर रखकर इस तस्करी को जड़ से समाप्त कर सकता है। और जो हम एक बड़े एमाउण्ट की धनराशि खर्च कर रहे हैं एस0एस0एफ0 इकाई पर मुझे नहीं लगता कि इसको अब रखने की आवश्यकता है। जब उनके स्ट्रक्चर के बराबर हम अपना रख देंगे तो हमारा जो स्मगलिंग होता है जिसमें बहुत बड़े-बड़े लोग जुड़े हुए हैं तो आटोमेटिक यह व्यवस्था रुक जाएगी। चूंकि कई साथियों ने कहा कि आबकारी पर बहुत कम बोलना है मान्यवर, अपने देश में शोध हुआ था पढ़ने को मिला कि देश में जो कैंसर की बीमारी है उसमें हर तीसरा व्यक्ति यू0पी0 का है। इसके लिए हालांकि हमारे न्यायालय के हस्तक्षेप से अब यह प्रतिबन्ध लगने जा रहा है कि पहली अप्रैल से गुटका पर प्रतिबन्ध लग जाएगा। इसमें पहले से 14 राज्य प्रतिबन्ध लगा चुके हैं मेरा माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से आग्रह है कि उन गुटका कम्पनियों में जो हमारे काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको कहीं समायोजित करके यह तिथि पहली अप्रैल से न बढ़ाया जाय यह हमारे प्रदेश में जहर की तरह फैला हुआ है। हमारे बहुत से नए-नए बच्चे इसको शौकिया तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं जितना ही हम सुविधा देंगे उतना ही इसका दुरुपयोग होगा। साथ ही अभी जल्दी के दिनों में हमने पढ़ा है कि हमारे माननीय मंत्री जी कुछ और दुकानों की वृद्धि करने जा रहे हैं वर्तमान में जो दुकानों की संख्या है उसमें लगभग 15 से 20 प्रतिशत वृद्धि करने की आपकी योजना है वर्तमान में आप 381 मॉडल शॉप चलाते हैं 13,423 देशी शराब की दुकाने हैं विदेशी शराब की 4765 दुकानें हैं बियर की 3772 दुकानें हैं। जो आप बढ़ोत्तरी करने जा रहे हैं उससे मॉडल शॉप 58 बढ़ जाएंगी। देशी शराब 2013 बढ़ जाएंगी। विदेशी शराब 714 बढ़ जाएंगी। बियर लगभग 943 दुकानें बढ़ाने का आपका अनुमान है। मान्यवर, हम सब लोग गांव से हैं आप सभी अवगत हैं कि वर्तमान में जो दुकानें हैं इसमें से कुछ दुकानें ऐसी भी हैं जिन्हें उस स्थानों पर नहीं रहना चाहिए। यह पहले से गाइडलाइन में है कि किसी विद्यालय, किसी धर्मस्थली के आस पास यह दुकानें नहीं होनी चाहिए। लेकिन आजकल यह फैशन हो गया है। हर गांव की छोटी-छोटी चट्टी हैं, दुकानें हैं वहां पर भी यह दुकानें खुल जा रही हैं इसका इस्तेमाल कौन करता है ? रिक्शा चलाने वाला, सब्जी बेचने वाला वह बेचारा दिन भर में मजदूरी करके किसी तरह से 100 रुपया कमायेगा चावल, दाल नहीं लेगा क्योकि इसलिये कि वह जहां पर रिक्शा खड़ा करेगा चट्टी पर वहीं दुकान खुली है। जा करके तुरन्त शीशी लेगा और ले करके चला जायेगा। हम राजस्व वृद्धि करने के कई तरीके तलाश सकते हैं लेकिन यह जगह थोड़ा सा हम इसमें जरूर विचार करें कि जितना ही उसकी वृद्धि करेंगे इसका दुरुपयोग होगा।

श्री अध्यक्ष-

संक्षेप करें।

श्री उमाशंकर-

मान्यवर, मैं एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। एक और नई सोंच आई है, हालांकि यह अच्छी बात है, हमारे तरक्की के रास्ते पर जाने के लिये। अभी कुछ दिन पहले हमने अखबार में पढ़ा था कि जो हमारे मॉल हैं उनमें भी हम मॉडल शॉप खोलेंगें। हमारा प्रदेश अभी इतना डेवलेप नहीं हो पाया है। तमाम ऐसे लोग होंगें जिन्हें विदेशों में जाने का अवसर मिला होगा। वहां पर ठीक है जगह-जगह पर पेय पदार्थों के लिये काउन्टर लगे रहते हैं। लोग जाते हैं खड़े होकर अपना टोकन डालते हैं और जो पेय पदार्थ चाहिए होता है वह ले लेते हैं। एयरपोर्ट पर ऐसी व्यवस्था होती है वहां पर यह व्यवस्था है लेकिन वहां पर उसमें पेप्सी और तमाम पेय पदार्थ हैं। मान्यवर, पहले हम इसको बढ़ावा दे दें जगह-जगह पर इसकी व्यवस्था करें अभी यह हमारे प्रदेश में नहीं है। जैसा हमारा हजरतगंज है, माल हैं वहां ऐसी व्यवस्था नहीं है। अभी हमारी संस्कृति ऐसी डेवलेप नहीं हुई है कि हम माल में बीयर बार या मॉडल शॉप खोलें। तो मान्यवर, दुकान भी खोलेंगें तो लोग वहां परिवार के साथ जाते हैं थोड़ा भी दायें बायें कर देंगें, भेज देंगे बच्चों को कि तुम लोग जाकर कपड़ा खरीदो और तब तक दुकान में घुस जायेंगे और ले लेंगे। मान्यवर, इस पर मेरा सुझाव है कि अभी हम लोग इस संस्कृति से दूर हैं अभी थोड़ा और भी कुछ सोचने की जरूरत है। मान्यवर, इसी के साथ मैं अपना कटौती का प्रस्ताव रखता हूं, धन्यवाद।

श्री रविन्द्र जायसवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, जहां मदिरा नहीं वहां विकास है, गुजरात इसका इतिहास है। देश का जो सबसे बड़ा विकसित प्रदेश है वह गुजरात है। वहां पर दारू पर पूरा प्रतिबन्ध है। मैं मांग करना चाहता हूं कि इसको आप भी एहसास करते हैं, सदन भी एहसास करता है। आज मैंने लंच यहां पर लिया है। अगर लंच में दारू होता तो मारखाना नहीं मारी-मारा हो जाता। इस सरकार से अपेक्षा करते हैं कि यह सरकार अगर माल के अन्दर कम से कम दूध का प्वाइंट खुलाये तो अच्छा रहेगा। यह सरकार अगर मॉल के अंदर दारू बिकवायेगी तो दुर्भाग्य होगा। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है कि बनारस एक धार्मिक शहर है, धार्मिक क्षेत्र है और बनारस सहित उत्तर प्रदेश के कम से कम धार्मिक जिले में दारू पर प्रतिबन्ध लगाया जाय क्योंकि वह धार्मिक क्षेत्र है। (सत्ता पक्ष के किसी के कुछ कहने पर)।

श्री अध्यक्ष-

वह कह रहे हैं कि गोरखपुर के जायसवाल का क्या होगा।

श्री रविन्द्र जायसवाल-

मान्यवर, न मैं पीता हूं न बेचता हूं इसीलिये मैं बोल पा रहा हूं। दूसरी बात आबकारी नीति अगर सदन चल रहा था तो बिना सदन को बताये हुए अधिकारियों ने नीति की अखबार में घोषणा किया तो यह अपराध है। आज हमारा एक साल हुआ है, 6 मार्च को हम सबकी काउन्टिंग हुई थी सोलहवीं विधान सभा की। सबको बधाई देता हूं एक साल की। पिछली सरकार चली गई थी कुछ नीतियों के कारण से। चड्ढा को पूरा का पूरा ग्रुप दिया गया था वही अपराध आप करने जा रहे हैं, उससे आप बचिये। उस समय वह जिन्दा थे अब वह चले गये हैं क्या उनका जिन्न चलायेगा। मेरा

आपसे निवेदन है कि बेरोजगारों को भी रोजगार मिले। अगर आपकी मजबूरी है तो अगर आप लॉटरी के माध्यम से दुकानें बेचते तो बहुतों को रोजगार मिलता। किसी एक ग्रुप को, किसी एक आदमी के लिये न करें। आबकारी नीति में स्कूलों और मंदिरों के पास प्रतिबन्ध लगाया गया है लेकिन अब लोग लिखते नहीं हैं वहां पर कि कहां पर हो रहा है। स्कूलों और मंदिरों के पास भी दुकान खोली जा रही हैं जो गलत हो रहा है। जब आप मॉल में परमीशन दे देंगे तो मंदिर और मस्जिद और विद्यालय के पास भी खुलेंगें। मेरा विरोध है और विरोध इस बात पर है कि उत्तर प्रदेश में इस पर प्रतिबन्ध लगाया जाय और कम से कम विद्यालयों और मंदिरों के पास न खोली जायं।

श्री अध्यक्ष-

यह आबकारी है इस पर क्या बोलेंगे।

(शोर)

सुश्री सावित्री बाई फूले-

इसमें महिलायें जो घर में रहती हैं उनको झेलना पड़ता है। इसलिए मेरा अनुरोध है इस पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए।

श्री विजय कुमार दुबे-

मान्यवर, आपके माध्यम से इस आबकारी बजट में उस मुद्दे की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं जिससे कि सभी मा0 सदस्यों के क्षेत्र में यह समस्या है गांव की जनता और महिलायें तो इससे त्रस्त हैं ही, जनप्रतिनिधि शिकायत सुनते-सुनते त्रस्त हो चुके हैं। कई घरों में जहरीली शराब बनायी जाती है शिकायत किया जाता है तो प्रशासन नहीं सुनता है। क्योंकि उनका सांठ-गांठ रहता है आबकारी विभाग से शिकायत करते हैं वह भी नहीं ध्यान देते हैं। यह राजस्व की क्षति तो है ही, कितने निर्दोष इसमें जहरीली शराब के चलते मारे जा रहे हैं इसके चलते उच्च स्तर से ध्यान आकृष्ट कराने की आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष-

आप खड़े हो गए लल्लू जी, क्या सेवरही में चलता है।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मान्यवर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह जो चर्चा आबकारी विभाग की चल रही है। कच्ची शराब के कारण हमारे सेवरही में बहुत सी मौतें हो चुकी हैं। आज भी गांव के चौक-चौराहों पर खुले आम बिक रही है। यह सारे आबकारी अधिकारियों को जब सूचना दी जाती है तो आबकारी अधिकारी मिलकर ही ..

श्री अम्बिका चौधरी-

लल्लू जी आप बहुत ही जागरूक सदस्य हैं सदन के, अच्छा लगता है, तमाम जनता से जुड़ी समस्याओं पर बहुत गम्भीरता से चर्चा करते हैं सिंचाई पर चर्चा करते हैं, खाद पर चर्चा करते हैं, बिजली पर चर्चा करते हैं, अच्छा लगता है, हमारी राय इनके बारे में दूसरी थी, यह जिसके बारे में बात कर रहे हैं इससे यह जरा सतर्क हो जाएं। इससे लोग इनके बारे में दूसरी धारणा बनायेंगे।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मान्यवर, कच्ची शराब बड़ी जोरों पर बिक रही है और यह आबकारी अधिकारियों की सांठ-गांठ से बिक रही है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं हमारा कुशीनगर जनपद है, माननीय मुख्य मंत्री जी मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं हमारे कुशीनगर में महिलायें, छोटे-छोटे बच्चे कच्ची शराब पी रहे हैं और रोज मृत्यु हो रही है। अभी उमाशंकर जी बताए, किडनी की परेशानी इसी के नाते हो रही है। लीवर खराब हो रहा है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही कीजिए।

(शोर)

श्री रोशन लाल वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं। मान्यवर, अभी आपने सत्ता पक्ष के लोगों से आपने कहा कि आबकारी बजट पर किसी को बोलने की रुचि है कि नहीं जिस पर सत्ता पक्ष की तरफ से आबकारी बजट पर कोई नहीं बोला इसमें रुचि है ? इसमें इनकी रुचि आबकारी बजट पर....

श्री अध्यक्ष-

कुछ अच्छी सलाह दीजिए आबकारी पर।

श्री रोशन लाल वर्मा-

मान्यवर, हूंकुछ लोग ऐसे हैं जो पहचाने नहीं जाते।

और मंगाकर रोज पीते हैं, मगर मयखाने नहीं जाते।

मान्यवर, इनकी आबकारी बजट पर रुचि इसलिए नहीं है कि इनके द्वारा आबकारी बजट घोर जन विरोधी प्रस्तुत किया गया है। मैं माननीय अध्यक्ष जी, जो आबकारी की नीति है कि दो अक्टूबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 14 अप्रैल, होली, दीपावली आदि को पूर्णतया शराब के दुकानों के बन्दी के दिन हैं।

श्री अध्यक्ष-

आपके अगल-बगल दुकान है ?

श्री रोशन लाल वर्मा-

मान्यवर, जब बंदी का दिन होता है तो बंदी के दिन होली, दीवाली पर उस दिन यह लोग दुकाने खुली रखते हैं, जिससे बड़े पैमाने पर झगड़ा होता है, विवाद होता है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि शराब के, जो बंदी के दिन हैं उस दिन दुकान बंद कराई जाए। मैं दो बातें अन्त में कहना चाहूंगा मुझे दांये से बांये इस सदन में आये करीब एक वर्ष पूर्ण होने जा रहा है। लगभग दस महीना हो गया है इस सदन में आए।

(शोर)

(कुछ सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

माननीय अध्यक्ष जी, सुन लीजिए, यह लोग सुनेंगे नहीं, जब भी यहां कोई बात हुई, उधर वालों ने कह दिया कि पिछली सरकार ने किया है। अध्यक्ष जी, आपने मुझे पहली बार बोलने का मौका दिया है, नहीं तो आपने हमेशा उधर बांटा और इधर डांटा। मान्यवर, पहली बार मुझे बोलने का मौका मिला है।

श्री अध्यक्ष-

अच्छा, आप बोलिए।

श्री रोशन लाल वर्मा-

मान्यवर, मैं देहात का रहने वाला हूं और माननीय मुख्य मंत्री जी यहां पर मौजूद हैं। मैं माननीय नेता जी के क्षेत्र तिलहर से चुन कर आया हूं। माननीय नेता जी भी हमारे क्षेत्र तिलहर से विधायक रहे हैं और उसके बाद तीन-तीन बार मुख्य मंत्री भी रहे हैं। मान्यवर, यह जो बड़े लोग हैं, वह पैसे से चाहे जितनी मंहगी अंग्रेजी शराब मंगा लेंगे लेकिन जो बेचारे गांव देहात के लोग हैं, उनके लिए शराब सस्ती कर दी जाए, मैं आपसे अनुरोध करता हूं। अध्यक्ष जी, यह तो अंग्रेजी शराब मंगा लेंगे। मान्यवर, गांव में जब कुछ विवाद हो जाता है तो पंचायत होती है, जिधर संख्या-बल ज्यादा हो जाता है तो मालूम कैसे वहां पंचायतें होती हैं, पन्नी पर पन्नी चली, हुए पंच सब टंच, जो ज्यादा टंची हुआ, वही बना सरपंच, पनारा यहीं चुएगा। अध्यक्ष जी, ये लोग जब भी कोई बात होती है, कहते हैं, तुम्हारी सरकार ने किया। यह अपने कर्म नहीं देखते और 2014 में इनको मालूम हो जायेगा कि मिशन 2014 कहां गया। मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए, अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

(बहुजन समाज पार्टी के कई सदस्य बोलने के लिए खड़े हो गए)

श्री अध्यक्ष-

बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों की इसमें विशेष रुचि है।

श्री गुटियारी लाल दुबेश-

माननीय अध्यक्ष जी, आबकारी के बजट पर विपक्ष द्वारा रखे गए कटौती के प्रस्ताव पर मैं बल देता हूं। मान्यवर, मैं आगरा शहर से चुनकर आता हूं, एक गंभीर समस्या है, जो 60-70 प्रतिशत मलिन बस्तियॉ हैं, जहां पर गरीब लोग निवास करते हैं, चाहे वह 100 रुपये की मजदूरी करता हो, चाहे वह रिक्शा चलाता हो, मान्यवर, यह बहुत गंभीर बात है कि जो देशी शराब के ठेके हैं, वह उसी बस्ती में खोल दिए जाते हैं। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को सुझाव है कि वह ठेके दूर खोल दिए जायें। इसके कारण बहुत सारी महिलायें विधवा हो चुकी हैं, बहुत सारे लोग बीमार हो चुके हैं, उनके घरों में खाने को नहीं है। मान्यवर, मेरा दूसरा सुझाव है, जो अंग्रेजी के ठेके हैं, पिये बगैर कोई रुकेगा नहीं, यह पूरा देश और प्रदेश जानता है। जिसके पास कम पैसा है, वह देशी पीता है और जिसके पास ज्यादा पैसा है, जैसा अभी माननीय सदस्य कह रहे थे, वह दवा के लिए ले जाता है। मान्यवर, जो अंग्रेजी पीता है अंग्रेजी के ठेके हैं, इंग्लिश के, वह शहर से दूर कर दिए जायें और मैं इस बात पर जरूर कहूंगा कि जो देशी के ठेके हैं, उनको बस्तियों से दूर कर दिया जाए जिससे गरीब लोग बच सकें और जो 100-200 रुपये कमा कर लाते हैं, जो अपने बच्चों की रोटी के लिए कमाने के लिए जाता है, वह अपने बच्चों का पालन-पोषण कर सके, धन्यवाद।

श्रीमती अनुप्रिया पटेल-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आभारी हूं, आपने मौका दिया। अध्यक्ष जी, शराब का मसला, मैं समझती हूं, हंसी-मजाक, मखौल का मसला नहीं है। बहुत देर से इस पर चर्चा चल रही है और सदन के सभी सम्मानित सदस्यों से मैं कहना चाहती हूं कि महिलाओं के प्रति जितनी हिंसा होती है, वह सबसे ज्यादा शराब के सेवन की वजह से होती है और आज उत्तर प्रदेश का यह सदन है और आज इस सदन के अन्दर बैठकर हम इस मसले पर हंसी-मजाक कर रहे हैं। एक महिला सदस्य होने के नाते मुझे इस पर कड़ी आपत्ति है। आबकारी विभाग यह बहुत बड़ा विभाग है, इससे बहुत बड़ा राजस्व सरकार को मिलता है, सरकार इस पर प्रतिबन्ध नहीं लगा सकती है, प्रतिबन्ध लगाने पर तस्करी होने लगेगी, यह हो जायेगा, वह हो जायेगा, तमाम समस्यायें हैं लेकिन अध्यक्ष जी, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि इस मसले पर सदन के अन्दर हंसी-मजाक नहीं होना चाहिए, इसे पूरी गंभीरता से लें क्योंकि महिलाओं से जुड़ा हुआ यह मसला है आपका इतना बड़ा बजट है, इसमें नशे की आदत रोकने के लिए क्या कोई प्राविधान है ? बहुत से सदस्यों ने कहा कि चाहे कितना भी प्रयास कर लें लोग शराब पीने की आदत से बाज नहीं आयेंगे लेकिन मैं मानती हूं कि अगर आप गम्भीरता से अवेयरनेस केम्पेन यानी जागरूकता अभियान चलायेंगे तो ऐसा नहीं है कि समाज के एक भाग पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप अपने बजट में एक सीरियस अवेयरनेस केम्पेन के लिए प्रावधान अवश्य करें ताकि शराब सेवन के दुष्प्रभाव के बारे में जागृति लायी जायेगी। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं। नमोः वुद्धायः।

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, आबकारी विभाग का जो बजट प्रस्तुत किया गया है और इस पर काफी चर्चा हुयी। अभी अनुप्रिया जी बोल रही थीं। उन्होंने कहा कि यह मजाक का विषय नहीं है। मैं उनकी बात से पूर्णतया सहमत हूं। यह बहुत गंभीर विषय है। और इसको कभी हंसी-मजाक में लिये जाने की आवश्यकता नहीं है। दो-तीन बातें सदन के सम्मुख रखना चाहता हूं। श्रीमन्, आबकारी और मद्य निषेध विभाग यह दोनों विभाग साथ-साथ चलते हैं। लेकिन आमतौर पर मद्य निषेध पर भाषण, चर्चायें ज्यादा होती हैं। व्यवहारिक कठिनाइयां हैं कि मद्य निषेध पर कोई भी सरकार पूरी तरह से आगे नहीं चल सकी है। गुजरात का आपने उदाहरण दिया। मैं भी गुजरात पर अपनी बात रखूंगा लेकिन उसके पहले आपको बताना चाहता हूं कि देश के दूसरे प्रदेशों में भी इस पर प्रयास हुए। हरियाणा, आन्ध्र प्रदेश और तमाम प्रदेशों ने इस पर जो प्रयोग किये उसके इतने दुष्परिणाम आये कि उन दुष्परिणामों को भोगने के बाद वापस लौटकर उनको पुनः इस पर आना पड़ा। श्रीमन्, 1977 में देश के प्रधानमंत्री ने पूरी तरह से इस पर पाबंदी लगा देने की बात कही लेकिन व्यवहारिक कारणों से इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग पाना संभव नहीं हुआ। जहां प्रतिबंध लगाये गये वहां पर नाजायज शराब से तमाम लोगों की मौतें भी हुयीं। प्रदेश सरकार के राजस्व का बहुत अहम मद आबकारी है। इसको बंद कर देने की बात कर देने से यह बंद हो जाने वाला नहीं है। आपने गुजरात की बात कही। आप गुजरात कितनी बार गये हैं मुझे नहीं पता। लेकिन मैं गुजरात गया हूं। मुझे गुजरात का अनुभव है। गुजरात में लिखित तौर पर शराब बंदी है लेकिन शराब पीने वाले लोग जो ब्रांड गुजरात के जिस शहर-कस्बे में तलाश करते हैं वह ब्रांड उनको मिलता है। यह बात मैं जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं। मैं दूसरी बात

कहना चाहता हूं कि जिन्होंने गुजरात की बात कही, एक और बात सुन लीजिए। नवरात्रि के मेलों के दौरान कितनी आशंका गुजरात में किस बात के लिए होती है और उसके बाद सामाजिक तौर पर कितनी गंभीर समस्यायें पैदा होती हैं यह आप लोगों को पता है। मैं गुजरात की आलोचना नहीं कर रहा। मैं गुजरात की तरक्की की सराहना करता हूं। मेरा यह कहना है कि जहां आप शराब बंदी की बात कर रहे हैं वहां भी व्यवहारिक तौर पर पूरी शराब बंदी नहीं है। यह अलग बात है कि जिस शराब का मूल्य दो सौ रुपया होता होगा वह शराब चार सौ रुपये देकर लोग मंगवाते हैं। इस सदन में चर्चा की आवश्यकता है। मैं बड़ी देर से बड़ी खामोशी से सुन रहा था। कोई सदस्य इस बात पर अपना सुझाव देते कि आबकारी से जो राजस्व सरकार को मिलता है इसको कैसे सुन्दर ढंग से व्यवहरित किया जाये कि इससे समाज पर पड़ने वाला कुप्रभाव कम हो सके। इस पर पाबंदी लगा देने की बात कर देने से यह बात हल होने वाली नहीं है। नाजायज शराब का बिकना और ज्यादा शुरू हो जाएगा। इसलिए श्रीमन्, आवश्यकता जिस सुझाव की थी उस सुझाव का आना मुनासिब था। मैं समझता हूं कि इस बार के बजट में माननीय मंत्री जी ने जो प्राविधान किये हैं। माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसमें इस बात की व्यवस्था की गई है कि राजस्व भी मिले और इसके दुष्प्रभाव भी रोके जायं। जरूरत इस बात की जरूर होगी कि जो ऐक्ट में आलरेडी प्रोविजेन्स हैं, जो उसकी नियमावली में पहले से प्राविधान हैं, उन प्राविधानों का सख्ती से पालन हो और आज मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप सबको अपने-अपने क्षेत्रों में इस बात पर गौर करना चाहिए कि सरकार ने जो निर्देश दिए हैं, उन निर्देशों के अनुपालन में अगर कहीं कोई गड़बड़ी होती है, तो इसका प्रतिकार, इसका विरोध होना चाहिए, सरकार के संज्ञान में आना चाहिए और इसका पूरा का पूरा प्रबन्ध इस बजट में किया गया है, उन निर्देशों के साथ स्पष्टता से कि उसे राजस्व भी प्राप्त हो और नियमित ढंग से इनको जिस ढंग से चलाया जा सके, कानूनी ढंग से उसको चलाया जा सके, इसलिए मैं समझता हूं कि कटौती का प्रस्ताव, मा0 उमा शंकर जी वापस ले लेंगे।

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक सुझाव देना चाहती हूं कि शराब की दुकाने पहले नगरों में शहरों में खुला करती थीं, फिर आपने कस्बों में इन्हें खोलना शुरू कर दिया, वहां तक तो ठीक है, लेकिन जो गांव-गांव में खोलने का प्रचलन जिस तरीके से कर दिया गया है, उससे वहां पर महिलाएं तो त्रस्त हैं ही साथ ही साथ वहां के बच्चे खासतौर से छोटे बच्चे, क्योंकि सुलभ उपलब्धता है, इसलिए वह लोग वहां पर जा करके लेकर पीने के आदी हो रहे हैं। तो मेरा आपके माध्यम मा0 मंत्री जी से निवेदन है कि इसे नगर तक कस्बे तक ही सीमित रखें, गांव-गांव में इसको न खोला जाय, इसके लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं, धन्यवाद।

श्री मदन चौहान-

मान्यवर, महिलायें भी इसका सेवन करने लगी हैं, उनके लिए भी कोई कानून आना चाहिए। मान्यवर, कई फाईव स्टार और छोटे-छोटे होटलों में आप कभी भी जाकर देख लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मदन चौहान जी, बात आई, मा0 मंत्री जी ने सारी बात गम्भीरता से कह दी। अब आप उसमें क्या कहेंगे, बैठिये।

श्री उमाशंकर-

माननीय अध्यक्ष जी, कोई भी बात हो, हम सच्चाई से पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। 26 जून, 2012 को एक सर्वे आया था, उस सर्वे में जिक्र हुआ था कि उत्तर प्रदेश में लगभ 49 प्रतिशत पुरूष तम्बाकू का सेवन करते हैं, जिसमें यह भी था कि उसमें 17 प्रतिशत हमारी महिलायें हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में इसका सेवन करती हैं, मेरे पास सर्वे की रिपोर्ट है, उस सर्वे में यह भी था कि जो सिगरेट-बीड़ी है, उसमें लगभग 4.6 प्रतिशत हमारी महिलाओं का आंकड़ा है सेवन करने का और तम्बाकू और गुटखा इसका उसमें आंकड़ा दिया था कि यह महिलाओं का चार गुना है पुरुषों की अपेक्षा यह 13.7 प्रतिशत है । तो मान्यवर, यह सच है, हम लोग भी देखते हैं, यह एक ऐसी चीज है, जिसको किसी दबाव में नहीं छुड़वाया जा सकता है, किसी पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया जा सकता है, यह आपकी अपनी स्वेच्छा पर है। हालांकि यह भी तय है, एक और शोध आया था इसके दुष्परिणाम पर भी कि हमारे देश में 25 हजार प्रत्येक वर्ष जो भारतीय मरते हैं, वह शराब के सेवन से मरते हैं, जिनका लीवर डैमेज होता है, जो हेपेटाइटिस वायरस फैलता है, यह भी उसमें दिया था कि यह भी शराब की लत से होता है, इसका दुष्परिणाम है, इसके लिए मान्यवर मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से चाहूंगा, देखा तो नहीं पढ़ा हूं, मा0 मुख्य मंत्री जी भी बैठे हैं, ब्राजील में एल्कोहल का इस्तेमाल गाड़ियों को चलाने में होता है। हमें कुछ इस तरह की नीति अपनानी चाहिए कि हम अपने हूं भी एल्कोहल का प्रयोग गाड़ियों को चलाने में करें, जिससे कि हमारे यहां, डीजल, पेट्रोल आदि की बचत हो।

श्री अध्यक्ष-

मा0 उमाशंकर जी, आप अपनी बात कहिये।

श्री उमाशंकर-

मैं इसी के साथ चूंकि मा0 मंत्री जी द्वारा कोई इस तरह का प्रदेश हित में, सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि विधायकों के लिये मांग लो लेकिन कुछ प्रदेश हित में इस तरह की, समाज हित में आबकारी द्वारा अगर यह तय हो जाये कि जो आबकारी से राजस्व मिलेगा, उससे हम पहले पूरे प्रदेश के गन्ना किसानों का जो भुगतान उसको खत्म करेंगे। इस तरह के अगर प्रस्ताव आयें तो मैं भी कटौती प्रस्ताव को वापस लेने पर सोच सकता हूं।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, आबकारी विभाग, वाणिज्य विभाग के बाद सबसे ज्यादा रेवन्यू देता है, उससे पूरे प्रदेश का विकास होता है। सिंचाई में, बिजली में, शिक्षा में सभी विभागों में सड़क से लेकर सबमें ये काम आता है। वैसे बहुत प्रयास किये गये लेकिन प्रयास असफल हुये। जब प्रयास असफल हुये और जिस पर विधायिका जी चिन्ता व्यक्त कर रही थीं तो उसमें परिवार, बच्चों को शिक्षा देने की बहुत जरूरत है कि बच्चे न बिगड़ें, आदमी न बिगड़े। समाज में शिक्षा देने की बहुत जरूरत है। कोई भी नहीं चाहता कि इतना सेवन करें जिससे परिवार को दिक्कत आये, परिवार को संकट आये। हमारा भी प्रयास है कि कहीं पर भी दिक्कत न आये।

श्री प्रदीप माथुर-

मा0 मंत्री जी का कहना है कि थोड़ी-थोड़ी पिया करो।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

बहुत महंगी हो गयी, थोड़ी-थोड़ी पिया करो।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी, चर्चा हो।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जहां तक मद्य निषेध का सवाल है तो ये आबकारी विभाग नहीं देखता है, उसका अलग विभाग है तो वो विभाग प्रयास भी कर रहा है। वैसे तो हमने प्रयास किया है और बसपा सरकार में जहरीली सरकार से 2008 में 16, 2009 में 53 और 2010 में 82 लोग मरे थे। सपा सरकार में अभी तक एक भी मौत जहरीली शराब से नहीं हुयी है, एक भी मौत नहीं हुयी है। जहां तक मॉल का सवाल है तो मॉल में मॉडल शॉप नहीं खोला जा सकता है। मॉल में केवल प्रीमियम ब्राण्ड की रीटेल बिक्री होगी, पी नहीं जायेगी। पीने की कोई इजाजत नहीं है, केवल बिक्री की इजाजत है। वो मॉडल शॉप नहीं है। केवल प्रीमियम बिकेगी और आप लोग तो जाते हो एयरपोर्ट पर बहुत दुकानें हैं, कौन पीता है, उदाहरण है एयरपोर्ट का और मैंने छोटे लोगों का भी ध्यान रखा है कि वो सबसे प्राइमरी स्टेज है, उस पर रेट नहीं बढ़े हैं, सस्ता है, 25 रुपये पउवा।

श्री अध्यक्ष-

आगे भी बजट है और चर्चाएं भी बहुत लगीं हैं।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मा0 अध्यक्ष जी, इन्हीं शब्दों के साथ '' जो पिये उसका भी भला, और जो न पिये उसका भी भला।'' मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री हुकुम सिंह-

शाम के टाइम बहुत खुशनुमा माहौल बनाया है इन्होंने सारे सदन का, सभी हंस रहे हैं और लग रहा है कि सभी को कुछ-न-कुछ, थोड़ा-बहुत, असर है, लेकिन मान्यवर, मद्य निषेध के बारे में कह रहा हूं कि राजेन्द्र जी की तरफ ध्यान दे लीजिए, थोड़ा-सा मद्य निषेध के ही हैं। इनकी रिसर्च है काफी इसके बारे में।

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राजेन्द्र सिंह राणा)-

मा0 अध्यक्ष जी, जो सीखा है, इन्हीं से सीखा है।

श्री अध्यक्ष-

आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री उमाशंकर-

मा0 अध्यक्ष जी, क्योंकि वह बात आ गई है, मा0 मंत्री जी ने कहा कि अभी जब से यह सरकार बनी है, तब से शराब से कोई मृत्यु नहीं हुई है। थोड़ी मेरे पास भी जानकारी है, मान्यवर,

17 जून, 2012 लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र के मेंहदीटोला निवासी रमेश कनौजिया, उम्र-40 वर्ष एवं शफीक, उम्र-45 वर्ष की जहरीली शराब पीने से मौत हुई है। दूसरा जौनपुर के फुटहन के पास खमरौनघास गांव है, बघावे में भी जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत हुई है। मान्यवर, जहरीली शराब पीने से मौत कभी भी हो सकती है। इसमें अंकुश लगाये जाने की आवश्यकता है। मान्यवर, एक सुझाव और मेरा है, अब मैं उसी पर आ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

अब आप खत्म करें, आप कह चुके हैं।

श्री उमाशंकर-

मा0 अध्यक्ष जी, बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है।

श्री अध्यक्ष-

अब आपका समय खत्म हो गया है, दोबारा समय नहीं दिया जाता है।

श्री उमाशंकर-

मा0 अध्यक्ष जी, गांव में जो इस समय प्रथा हो गयी है, तमाम जगहों पर लोग जो कच्ची दारू बनाते हैं, जिससे गॉवों में हमेशा झगड़ा होता रहता है। इसमें भी एक अभियान चलाना चाहिए। समझिए की रोज आए दिन हम उन थानों की पंचायत करते रहते हैं। बाद में इनका परिणाम क्या होता है कि ये लोग दारू बना रहे थे.....

श्री अध्यक्ष-

आप कटौती का प्रस्ताव वापस नहीं ले रहे हैं, मैं अब प्रश्न उपस्थित करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-01-आबकारी विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-01-आबकारी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,26,17,09,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

[4.52] वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान-अनुदान संख्या-60, वन विभाग

*लोक निर्माण, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, सहकारिता, भूमि विकास एवं जल संसाधन मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-60-वन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 7,01,52,47,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

किसी भी सरकार का बजट और योजनायें उसकी नीति व बुनियादी सोच पर आधारित होती है। हमारी बुनियादी सोच स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश का सम्यक् विकास हो और विकास का लाभ गांवों व गरीबों को विशेष रूप से मिले। हमारी ऊर्जा और वन नीति भी इसी सोच के अनुरूप है। हमारे आदर्श डा0 लोहिया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष मा0 मुलायम सिंह यादव जी का वन, वृक्ष व प्रकृति से प्रेम सर्वविदित है। अधिक से अधिक पेड़ लगाना हमारी प्रतिबद्धता है। पेड़ों से आक्सीजन मिलता है और पर्यावरण शुद्ध होता है, महानगरों व शहरों में इसीलिए हरे भरे पार्क बनवाये जाते हैं लेकिन पिछली सरकार ने जो पार्क बनवाये उसमें पेड़ों की जगह पत्थर लगाये गये। अनाप-शनाप तरीके से पेड़ों को काटा गया। पर्यावरण का सन्तुलन बिगड़ गया। पूरे प्रदेश का लगभग 9.01 प्रतिशत क्षेत्रफल वन व वृक्ष से आच्छादित है। जो राष्ट्रीय मानक 33.33 प्रतिशत से काफी कम है। हमारी सरकार ने बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण करवाया है और इस वर्ष और अधिक पेड़ लगवायेगी सड़कों एवं नहरों के किनारे भी पेड़ लगेंगे। गत वर्ष वर्षाकाल में 7 लाख 52 हजार पेड़ लगे और वन विभाग द्वारा अन्य विभागों के सहयोग से 4 करोड़ 76 लाख 16 हजार वृक्षों का रोपड़ हुआ। आप लोगों के सहयोग से उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक हरियाली व खुशहाली वाला प्रदेश बनाया जायेगा।

मान्यवर, वृक्षारोपण कार्यक्रमों में स्थानीय निवासियों, महिलाओं, कृषकों, जन प्रतिनिधियों तथा विद्यार्थियों की समुचित सहभागिता सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है।

प्रदेश सरकार प्रदेश में वनावरण एवं वृक्षारोपण वृद्धि हेतु प्रत्येक जनपद में ग्रीन बेल्ट की स्थापना, इको पर्यटन विकास तथा पौधारोपण की शत-प्रतिशत सफलता हेतु उच्च गुणवत्तायुक्त अधिक ऊंचाई की पौध रोपित करने की दिशा में अनवरत् प्रयासरत् है।

वर्षाकाल 2012 में प्रदेश के विभिन्न स्थलों पर (नहर, ब्लाक, पटरी एवं सड़क) 1102 हे0 (एक हजार एक सौ दो) क्षेत्र में 7.52 लाख (सात लाख बावन हजार) पौधों का रोपण हरित पट्टी के रूप में किया गया है।

मान्यवर, वन विभाग ने विभिन्न राजकीय विभागों के साथ समन्वय एवं सहयोग करके वर्षाकाल 2012 में प्रदेश में 476.16 लाख (चार करोड़ दियत्तर लाख सोलह हजार) पौधों का रोपण किया है। वृक्षारोपण की सफलता सुनिश्चित करने हेतु उच्च गुणवत्तायुक्त पौधे रोपित करने हेतु वन विभाग एवं प्रदेश सरकार क्रियाशील है।

मान्यवर, प्रदेश सरकार ने वन क्षेत्र एवं उपलब्ध वन संसाधनों को पर्यटन विकास की दृष्टि से विकसित करने का अभूतपूर्व निर्णय लिया है।

मान्यवर, प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इटावा में लॉयन सफारी पार्क विकसित किया जा रहा है। लॉयन सफारी पार्क हेतु फिशर फॉरेस्ट इटावा में 150 हे0 क्षेत्र चयनित किया गया है।

मान्यवर, माननीय सदस्य इस बात से भली-भांति परिचित हैं कि वन्य जीव हमारे परिवेश के एक महत्वपूर्ण अंग हैं। प्रदेश के विभिन्न भागों में वन्य जीवों के साथ हो रही दुर्घटनाओं को रोकने की दिशा में विभाग सतत् प्रयत्नशील है।

मान्यवर, वन विभाग प्रदेश द्वारा वनावरण और वृक्षारोपण को सुरक्षित रखने के साथ-साथ उसे बढ़ाने, वन्य जीवों की सुरक्षा और उनकी संख्या में वृद्धि हेतु कार्य कर रहा है। साथ ही साथ वन विभाग द्वारा प्रदेश के लिए आवश्यक राजस्व भी अर्जित किया जा रहा है। वन विभाग ने वर्ष 2012-13 में (जनवरी, 2013 तक) रु0 26106.00 लाख (रुपये दो अरब इकसठ करोड़ छियान्वे लाख) का राजस्व अर्जित किया है।

मान्यवर, आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि वन विभाग द्वारा भारत सरकार से सम्पर्क करके केन्द्र पोषित योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 में (जनवरी, 2013 तक) भारत सरकार से रु0 1125.78 लाख (ग्यारह करोड़ पच्चीस लाख अठहत्तर हजार) की धनराशि अवमुक्त तथा पुर्नवैध करा ली गई है।

मान्यवर, प्रदेश सरकार ने वर्ष 2013-14 में वन क्षेत्रों एवं उपलब्ध वन संसाधनों को पर्यटन विकास की दृष्टि से विकसित करने का कार्य प्रारम्भ किया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि प्रदेश सरकार द्वारा संचालित किये जा रहे वानिकी एवं वन्य संरक्षण के कार्यक्रमों से प्रदेश के पर्यावरण व पारिस्थितिकीय सन्तुलन में सुधार होगा। प्रदेश सरकार ने वन क्षेत्र एवं उपलब्ध वन संसाधनों को पर्यटन विकास की दृष्टि से विकसित करने हेतु वर्ष 2013-14 से 10 नई योजनाओं को प्रारम्भ किया जा रहा है :-

1-ताज फारेस्ट कालोनी व ताज विश्राम गृह का जीर्णोद्धार ताज फारेस्ट कालोनी के जीर्णोद्धार हेतु रु0 1,12.58 लाख (एक करोड़ बारह लाख अट्ठावन हजार) का प्राविधान किया गया है।

2-कानपुर प्राणी उद्यान का आधुनिकीकरण तथा बाल रेल की स्थापना हेतु रु0 1652.75 लाख (सोलह करोड़ बावन लाख पचहत्तर हजार) का आय-व्ययक प्राविधान किया गया है।

3-लखनऊ प्राणी उद्यान का आधुनिकीकरण तथा पुरानी बाल रेल के स्थान पर नई बाल रेल की स्थापना हेतु रु0 2015.97 लाख (बीस करोड़ पन्द्रह लाख सत्तान्नवे हजार) का आय-व्ययक प्राविधान किया गया है।

4-ताज नेचर वाक का विकास हेतु रु0 1.03 लाख (एक लाख तीन हजार) का आय-व्ययक प्राविधान किया गया है।

5-पौधशाला प्रबन्ध योजना हेतु रु0 1058.54 लाख (दस करोड़ अट्ठावन लाख चौवन हजार) का आय-व्ययक प्राविधान किया गया है।

6-हरित पट्टी विकास योजना हेतु रु0 1100.00 लाख (ग्यारह करोड़) का आय-व्ययक प्राविधान किया गया है।

7-संरक्षित क्षेत्र के बाहर वन्य जीवों का प्रबन्धन हेतु रु0 40.00 लाख (चालीस लाख) का आय-व्ययक प्राविधान किया गया है।

8-वन बन्दोबस्त योजना हेतु रु0 40.00 लाख (चालीस लाख) का आय-व्ययक प्राविधान किया गया है।

9-वन महोत्सव का आयोजन हेतु रु0 20.00 लाख (बीस लाख) का आय-व्ययक प्राविधान किया गया है।

10-जनपद एटा के ग्राम अमृतपुर रघुपुर में वन्य जीव संरक्षण हेतु रु0 16.00 लाख (सोलह लाख) का आय-व्ययक प्राविधान किया गया है।

मान्यवर, आज मैं वन विभाग का बजट प्रस्तुत कर रहा हूं आप लोगों से निवेदन है कि इसको पास करायें ।

(श्री अगयश राम सरन वर्मा एवं श्री महावीर सिंह राणा द्वारा एक साथ कटौती पर बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आपका है कि आपका। माननीय राणा जी कटौती का प्रस्ताव रखें। वह आपके लिए माननीय नेता विरोधी दल की तरफ से आया है ।

यह रख दे रहे हैं, आप भी बोल लीजिएगा।

श्री महावीर सिंह राणा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 60-वन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। कमीं करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

माननीय अध्यक्ष जी, वन ही जीवन है पेड़ पौधों के बिना मनुष्य का जीवन असम्भव है। माननीय अध्यक्ष जी, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 40 लाख 928 कि0मी0 वन क्षेत्र हैं। वर्तमान में प्रदेश का वनीकरण, वृक्षारोपण 21 हजार 833 वर्ग कि0मी0 है जो भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 9.6 प्रतिशत है जो बहुत ही कम है। प्रदेश में 33 प्रतिशत वन होने चाहिए। वन एवं वन्य जन्तु संरक्षण एवं संवर्धन का कार्य उ0प्र0 वन निगम, वन विभाग के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे यहॉ 9 प्रतिशत मात्र वन हैं जो 33 प्रतिशत होने चाहिए। उसके लिए संवर्धन जो माननीय मंत्री जी ने बताये वह पिछले साल के बजट में हरित पट्टी संवर्धन और बजट जीरो था जो इस साल बढ़कर 82 करोड़ हुआ। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं चूंकि हमारे प्रदेश में फारेस्ट कम है। उत्तरांचल के बटवारे के बाद उत्तराखण्ड में हमारा जंगल चला गया और उत्तर प्रदेश में जंगल बहुत कम रह गया। मैं आपसे अनुरोध करता हूं सरकार के सभी मंत्रीगण यहॉ विद्यमान हैं। हरियाणा में 3 प्रतिशत वन था जब हरियाणा हिमाचल और पंजाब का बटवारा हुआ उन्होंने किसान फारेस्टी को ताकत दी, छूट दी, सुविधा दी आज वहां बढ़कर 21 प्रतिशत फारेस्ट हो गया। मान्यवर, यहां पर जो किसान फारेस्ट्री हैं यदि माननीय मंत्री जी अपने बजट में उसको सम्मिलित कर लें तो उत्तर प्रदेश का वनीकरण 20-21 प्रतिशत तक हो जायेगा। मेरा आपके माध्यम से सरकार को सुझाव है कि वन फारेस्टी जो हरियाणा की वन नीति लागू की जाय और हमारे यहां किसान जो इमारती लकड़ी काटते हैं। इनको काटने की परमीशन नहीं। मैं माननीय सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि हरियाणा में वन विभाग द्वारा किसानों को सफेदा, सागौन, जामुन, जमोया, अमरूद, आवंला, फलदार इमारती लकड़ी वाले पौधे मुफ्त बांटे जाते हैं । वर्ष 2012-13 में तीस लाख पौध 2013-14 में पचास लाख पौधे

मुफ्त बॉटे गये। पापुलर बिना वित्तीय लाभ के दस रुपये प्रति पेड़ के हिसाब से दिया जाता है। वर्ष 2012-13 में बाइस लाख पेड़ मुफ्त बांटे गये ।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से वरिष्ठ मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि किसानों के मसीहा स्व0 चौधरी देवीलाल जी, जो आज नहीं हैं, उन्होंने किसानों के लिये योजना चलाई राष्ट्रीय राजमार्ग पर और दूसरे मार्गो पर जो पेड़ थे, उनका आधा राजमार्ग की सड़कों के किनारे किसानों की लगती जमीन पर सरकारी खर्चे पर पौधरोपण कराया जाता है और दो वर्ष देखरेख के बाद 100 प्रतिशत पेड़ किसानों के कब्जे में दे दिये जाते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग तथा अन्य सड़कों पर किसानों को सड़कों पर लगे हुये पेड़ जो किसान की जमीन के 3 मीटर के दायरे में आते हैं, उनका 50 प्रतिशत हिस्सा विभागीय कटाई के समय किसानों को दे दिया जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि जो बजट में पढ़ा, उसके हिसाब से किसानों के जो पेड़ काटने पर प्रतिबंध है, 100 रुपया प्रति पेड़ इमारती लकड़ी आम, शीशम, साल, सागौन, उन सबके ऊपर आपकी एफ0डी0 होती है, इसके लिये किसान को मारा-मारा फिरना पड़ता है। आपके डी0एफ0ओ0 की परमीशन, आपके डिस्ट्रिक्ट हार्टीकल्चर आफीसर की परमीशन और चीफ डेवलपमेंट आफीसर की परमीशन से 100 रुपया डाकखाने में जमा होता है, कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि किसान अपने खेत में पेड़ उत्पन्न करता है और उनको काट नहीं सकता। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि किसान के हित में आज यह आवश्यक हो जाना चाहिये कि इसकी परमीशन नहीं होनी चाहिये और अभी 100 रूपये की एन0एस0सी0 का और 2000 का नये अधिनियम में जो आया है, उसमें 200 रूपया प्रति पेड़ और लग गया, जो अधिनियम है 2010 का, उसमें 200 रुपया प्रति पेड़ एक किसान पर और लग गया, एक पेड़ का मतलब 300 रुपया प्रति पेड़ सरकार को जमा होगा तो किसान इसीलिये इमारती पेड़ नहीं लगाता। मैं बताना चाहता हूं कि हरियाणा में कोई भी वन उपज पापुलर और दूसरे पेड़ उन्हें कृषि उपज में मानकर उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाता। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि किसानों के हक में इस फैसले में सरकार का कुछ भी खर्च नहीं होगा, इससे किसानों को सुविधा हो जायेगी, जो 20 प्रतिशत पैसा पुलिस और दूसरे विभाग ले लेते हैं, वह किसान का पैसा बच जायेगा। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि वनों में जो औषधि के पेड़ लगाये जाते हैं, उसके लिये इस बजट में प्रावधान नहीं है।

मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि जो अवध वन प्रभाग के अन्तर्गत कुकरैल रेंज में औषधीय पौधों की प्रयोगशाला के लिये तथा औषधीय पौधों का उत्पादन के लिये इस बजट में जीरो रखा गया है, औषधि हमारे जंगलों में उत्पन्न होती है, इसके लिये बजट का प्रावधान किया जाये। मैं माननीय अध्यक्ष जी, आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि जिस प्रकार दूसरे प्रदेशों में किसानों के लिये वन फारेस्ट्री के लिये लोन की सुविधा है, उसकी व्यवस्था भी हमारे प्रदेश में होनी चाहिये इससे हमारे प्रदेश में कृषि आधारित लोन हो जायेगा। मैं हरियाणा के संबंध में बता देना चाहता हूं कि इन दि रीसेंट पास्ट मोर दैन टू करोड़ सिडलिंग्स आर डिस्ट्रीब्यूटिंग एवरी ईयर, एग्रो फारेस्ट्री हैड इनेबिल दि फारेस्ट टू सेंट स्टेट आफ हरियाणा, टू सपोर्ट ए लार्ज नं0 आफ फूड बेस्ड इंडस्ट्रीज बेस्ड आफ फार्म ग्राउन्ड वुड दि टाउन आफ यमुना नगर हैज वचुर्अली बिकम दि नेशनल सेंटर आफ प्लाईवुड एंड विनर इंडस्ट्रीज अवर पालिसी आफ नॉट पुटिंग ....

श्री अध्यक्ष-

इसका हिन्दी भी कर दीजिये ।

श्री महावीर सिंह राणा-

मैं हिन्दी में बता रहा हूं कि वहां पर किसान को पर हेक्टेयर 50 हजार रुपया पापुलर लगाने के लिये दिया जाता है, उसकी निकासी पर कोई प्रतिबंध नहीं है। उससे वहां इंडस्ट्रियल इलाका डेवलप हुआ और उसके ऊपर वहां पर लगभग डेढ़ लाख लोगों को रोजगार मिला। मैं माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जब हरियाणा में यमुनानगर में हमारे से एक किमी0 दूर इंडस्ट्री लग सकती हैं, आरा मशीन पर पाबन्दी हट जायें तो हमारे यहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रीज होंगी और गन्ने से ज्यादा पैदावार आज पापुलर की लकड़ी की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी लीडर यहां मौजूद हैं, यह सब जानते हैं और पिछले सदन में माननीय नेता भाजपा माननीय हुकुम सिंह जी ने भी यह बात रखी थी और माननीय कृषि मंत्री जी ने भी कहा था कि साल, सागौन, आम पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिये। तो मैं आज बजट के माध्यम से कहना चाहता हूं कि किसानों को बढ़ावा देने के लिये, मजदूरों को रोजगार देने के लिये इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिये इस बजट में प्रावधान होना चाहिये। किसानों को इसमें छूट हो और किसान को इसमें भूमि विकास बैंक के माध्यम से और दूसरी सोसाइटी से लोन की व्यवस्था होनी चाहिये। इसके साथ में कहना चाहता हूं कि लखनऊ चिड़ियाघर के लिये जो रखा गया है और कानपुर प्राणि उद्यान के लिये। हमारे सहारनुपर जनपद की तहसील हरिद्वार थी और पहले देहरादून भी तहसील होता था, आज देहरादून राजधानी बन गया और हरिद्वार जिला बन गया, सहारनपुर में कोई ऐसी जगह नहीं माननीय अध्यक्ष जी, जहां व्यक्ति अपने बच्चों को घुमाने के लिये ले जाये। तो मैं चाहूंगा कि शाकम्बरी देवी मंदिर के पास फारेस्ट की जमीन है, वहां पर एक प्राणी संस्थान खोल दिया जाये और वहां का डेवलपमेंट किया जाये ताकि उस क्षेत्र में भी बच्चों के घूमने की व्यवस्था हो। मैं इसी के साथ किसानों के हित के लिये सरकार से मांग करता हूं।

श्री अगयश रामसरन वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, जंगल ही जीवन है । ऐसे महत्वपूर्ण विभाग पर कटौती प्रस्ताव पर बल देने के लिये मुझे अवसर प्रदान किया गया है, मैं माननीय अध्यक्ष जी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं, बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं, कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, जिस प्रकार से सूर्य सम्पूर्ण ब्रह्मान्ड को और सूर्य चन्द्रमा को प्रकाश पुन्जित करता है ठीक उसी प्रकार से जंगल भी सम्पूर्ण सृष्टि को जीवन प्रदान करते हैं। इसलिये इन वनों का जंगल का जितना महत्व है, मैं समझता हूं कि किसी दूसरे विषय का इतना महत्व नहीं है। आज हम देख रहे हैं कि सम्पूर्ण पर्यावरण में, सम्पूर्ण ब्रह्मान्ड में तीन ''ज'' अक्षर से प्रारम्भ होने वाले कारक प्रायः समाप्त होते चले जा रहे हैं नं0-1 जंगल, नं0-2 जल और नं0-3 जमीन । इन सबका विनाश होता जा रहा है। जमीनों का क्षेत्रफल इतना कम हो गया है, मुझे लग रहा है कि आने वाला समय निश्चित रूप से उत्पादन को प्रभावित करेगा और पूरे देश में भूख की एक समस्या उत्पन्न करेगा । इसी प्रकार से जल की भी स्थिति है। जलक्षेत्र इतना संकीर्ण होता चला जा रहा है और आज भूगर्भ जल की समस्या उत्पन्न हो गयी है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद और मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ

ने जलप्लावित भूमियों को पाटकर निर्माण करने पर प्रतिबन्धात्मक निर्देश रखे है लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी जलप्लावित भूमियों को पाटकर निर्माण करा लिये गये हैं। हमारे बीसलपुर तहसील परिक्षेत्र में एक राजस्व गॉव है खमरिया नवदिया, उस पर भूमि संख्या 522 से लगाकर 559 तक जो तालाब की भूमि है, उसको पाटकर बहुत भारी निर्माण करा लिया गया है। इसी प्रकार से जंगल नित्य प्रति घटता चला जा रहा है, अगर परमिट 10 पेड़ों का दिया जाता है तो उसकी आड़ में 10 पेड़ काटे जाते हैं और हरे-भरे पेड़ों को सूखा पेड़ दर्शाकर परमिट दे दिये जाते हैं। हमारे जनपद पीलीभीत में पुरैनी दीपनगर गॉव है जिसमें जंगल विभाग के पेड़ काटकर के 300-400 एकड़ जमीन पर माफियाओं और माओवादियों ने कब्जा कर रखा है इस प्रकार से जंगल और जमीन की जो कमी होती चली जा रही है मुझे लग रहा है कि हमारे प्रदेश के लिये नहीं, अपितु देश के लिये यह बहुत बड़ी समस्या है। मान्यवर, ऐसे महत्वपूर्ण विभाग का बहुत कम बजट प्रस्तुत करना, मैं समझता हूं कि इससे वन विभाग की उपेक्षा की गयी है। मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी ने इस वन विभाग की उपेक्षा की तो इसका परिणाम उनको यह भुगतना पड़ा कि उधर से इधर उनको आना पड़ा और मुझे लग रहा है कि समाजवादी पार्टी भी यदि वन विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग की उपेक्षा करेगी तो निश्चित रूप से उन्होंने आय-व्ययक 2013-2014 का जो राजनीतिकरण कर दिया है। सन् 2014 के चुनावों के कारण उनको भी बहुजन समाज पार्टी जैसा परिणाम भुगतना पड़ेगा और उधर से इधर आना पड़ेगा और जहां पर ये लोग बैठे हुए हैं वहां भारतीय जनता पार्टी बैठी दिखाई देगी। मान्यवर, मैं जनपद पीलीभीत के बारे में आपको बताना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के मानचित्र में जनपद पीलीभीत एक ऐसा जनपद है जिसमें 22 प्रतिशत राजस्व भूमि पर वन आच्छादित है। हमारे जनपद पीलीभीत में 3504 वर्ग कि0मी0 राजस्व क्षेत्रफल है जिसमें 720 वर्ग कि0मी0 पर वन आच्छादित है इस प्रकार 1374 हेक्टेयर पर वन है। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे हूं जंगल में हर प्रकार के ऐसे दुर्लभ प्रजाति के पशु, पक्षी और जीव पाये जाते हैं। 40 शेर हमारे हूंके जंगल में हैं, मुझे लग रहा है कि पूरे प्रदेश के जंगल में इतने शेर कहीं नहीं होंगे। हमारे हमारे यहां पिछले साल मई, 2012 में चार शेर माओवादियों और वन माफियाओं के द्वारा मार दिये गये, भू-माफियाओं, वन माफियाओं द्वारा उनको जहर दे दिया गया और चार शेर मार दिये गये। अब तक उसमें केवल एक आदमी को जेल भेजकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर ली गयी और आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि उस जंगल में शेर, चीता, भालू, सुअर, नीलगाय, चीतल, सांभल, हिरन, तेंदुआ, गैंडा, लकड़बग्घा और बारहसिंगा जैसे बहुमूल्य पशु पाये जाते हैं लेकिन उनका कोई संरक्षण नहीं है। बहुत सारे पक्षी भी पाये जाते हैं जिसमें जंगली मुर्गा, साइबेरियन पक्षी, मोर, मोर हमारे हूंकई प्रकार के पाये जाते हैं, कहीं लाल मोर है, कहीं नीले मोर हैं, इस तरीके से हमारा पीलीभीत वनों की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे यहां 720 वर्ग कि0मी0 में वन आच्छादित है जबकि लखीमपुर में केवल 660 वर्ग कि0मी0 में वन क्षेत्र है। परन्तु हमारे यहां कोई वन क्षेत्र आरक्षित नहीं है। इसके कारण पशु और पक्षियों का कोई संरक्षण नहीं हो पाता है। मान्यवर, पीलीभीत में भी आरक्षित वन क्षेत्र होना चाहिए। हम यह भी आपको बताना चाहते है। कि हमारे जनपद पीलीभीत में आरा मशीनों का लाइसेन्स मिला हुआ है। एक-एक लाइसेन्स है लेकिन तीन-तीन आरा मशीनें लगायी

हैं। हमारे क्षेत्र में जो ब0स0पा0 के सदस्य थे उसके पास एक लाइसेन्स है और उन्होंने तीन-तीन आरा मशीनें लगा करके वनों का बहुत बड़ा दोहन किया है और पीलीभीत जनपद में वनों को क्षति पहुंचायी गयी, उनका विनाश किया गया है जिससे आज हमारे देश में पर्यावरण की समस्या उत्पन्न हो गयी है। मान्यवर, एक महत्वपूर्ण विषय पर मैं चर्चा करना चाहता हूं और आपके माध्यम से पूरे सदन के एक-एक सदस्य का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे जनपद पीलीभीत में एक जंगल है जहां पर एक ''कामिल'' नाम का राक्षस रहा करता था। द्वापर के युग में उस जंगल से होकरके पाण्डव गुजरे तो उस कामिल नामक राक्षस ने उन पर हमला कर दिया।

श्री अध्यक्ष-

यह किस्सा है या वास्तविकता है।

श्री अगयश राम सरन वर्मा-

तो भीम ने उसकी हत्या कर दी। मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण विषय है।

श्री अध्यक्ष-

यह विषय है या कहानी है।

श्री अगयश राम सरन वर्मा-

यह बहुत महत्वपूर्ण विषय जंगल से सम्बन्धित है। हत्या करने के कारण प्रायश्चित के लिए यज्ञ किया गया जो यज्ञ वेदी बनाई गयी वह विकसित होते-होते तालाब का रूप में परिणित हो गयी। वह तालाब बहुत बड़ा बन गया, वैसे तो राजाओं की खान है पीलीभीत। लेकिन एक राजा मोरध्वज हुए हैं, सब लोग उनका नाम जानते हैं, उनके एक पुत्र ताम्रध्वज थे और ताम्रध्वज के पुत्र नीलध्वज थे, वह उधर से गुजरे तो उन्होंने उस तालाब में शौच किया, उनको कोढ़ हो गया था। वह कोढ़ उनका सही हो गया तो लोगों ने उनसे पूछा कि आपका कोढ़ कैसे सही हो गया तो उन्होंने बताया...

श्री अध्यक्ष-

नेता भारतीय जनता पार्टी यह क्या सुना रहे हैं ? माननीय सदस्य, लोगों को आकर्षित करने के लिये बढ़ा-चढ़ाकर बात कही जाती है लेकिन यहां सत्य बोलिये।

श्री अगयश राम सरन वर्मा-

मान्यवर, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। वह इतना बड़ा तीर्थस्थल हो गया कि वहां पर प्रत्येक अमावस्या को करोड़ों की संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं और अगर उस कीचड़ में भी स्नान कर लेते हैं तो उनका शरीर तैलीय बना रहता है किसी प्रकार का कीचड़ नहीं लगता है। जाने कितने चर्मरोगी सही हो गए। मोक्ष्य दायिनी गंगा से भी अधिक महत्व इस तिलहर शिव सरोवर का है।

श्री अध्यक्ष-

आपने उसमें स्नान किया ?

श्री अगयश राम सरन वर्मा-

हां मैंने स्नान किया है। मेरा कहना है कि ऐसे स्थलों को विकसित करने की जरूरत है। मान्यवर, हमारे यहां एक पक्षी विहार है जहां पर जाने का कोई रास्ता नहीं है। कनपरा अल्पिका पर रास्ता प्रस्तावित किया गया था उस रास्ते को बनवाया जाय मान्यवर मैं यह भी कहना चाहूंगा । इसी

तरीके से एक पूका स्पाट पार्क हमारे यहां है हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं इसलिये इन स्थलों को विकसित करने की आवश्यकता है।

*श्री यासर शाह-

आपने मुझे वन विभाग के इस बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया है मैं आपका बहुत आभारी हूं। अभी हमारे बसपा के साथी कटौती प्रस्ताव लेकर आए थे और यह बता रहे थे कि किस तरह से किसानों की अनदेखी हो रही है । शीशम सागौन, यूके लिप्टस को काटने का परमिट न रखा जाय उनके कटान की छूट कर दी जाय मैं यह कहना चाहता हूं कि हो सकता है कि हमारे सदस्य उस क्षेत्र से न आते हों जहॉ पर जंगल हैं और जहां पर पेड़ पौधे हैं । जहां पर जानवर रहते हैं। अध्यक्ष जी कहने का तात्पर्य सिर्फ यह है मैं बचपन में ऐसे इलाके में रहा बहराइच जिले से विधायक हूं ऐसा इलाका जहां पर हमने बचपन से आज तक देखा कि बहुत घना जंगल था हरियाली थी अगर आप वहां पर जाएं तो आपको सांस लेने में भी खुशी होती है। शहर से दूर जिले से दूर एक अच्छा माहौल मिलता था ।मैंने अपने सामने उस जंगल को खत्म होते देखा है। सच्चाई यह है कि जब जंगल को खत्म होते देखा तो सीना चाक हो जाता है। जो जंगल जो हरियाली हमने अपने बचपन में देखी थी वह आज कहीं दिखाई नहीं देती है।मान्यवर, उत्तर प्रदेश के कुल भूभाग का 9 प्रतिशत जंगल है इतना भाग जंगल और पेड़ पौधों से ढका है। जिसमें 34 प्रतिशत जंगल एक रिजर्व फारेस्ट और एक नेशनल पार्क भी उसमें इन्क्लूड है। उत्तर प्रदेश में 5,325 अलग-अलग तरह के पेड़ पौधे हैं अलग अलग प्रजातियां हैं और 10 प्रजातियां ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ पूरे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश में ही पायी जाती हैं। यह भी बदकिश्मती है कि उत्तर प्रदेश में आज 5 हजार से लेकर 10 हजार हेक्टेयर भूमि हर वर्ष उद्योगों को जा रही है या वहां पर पेड़ कट रहे हैं या वहां पर आबादी फैलती जा रही है। जो बजट 2013-14 का पेश हुआ है वह बजट हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की देखरेख में पेश हुआ है। मुख्य मंत्री जी इन्वायरमेंटल इंजीनियर हैं उनसे अच्छा बजट कोई पेश कर ही नहीं सकता था। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर कोई व्यक्ति जंगल और इन्वायरमेंट की जानकारी रखता है तो हमारे मुख्य मंत्री जी हैं जिन्होंने बजट पेश किया है। मुख्य मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उसमें कोई संदेह नहीं कि आगे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के वनों को उत्तर प्रदेश की जनता को इस बात का अहसास कराएगा ।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें।

श्री याशर शाह-

माननीय अध्यक्ष जी हमारे दो छोटे छोटे सुझाव हैं अगर आपकी अनुमति हो। एक तो यह है कि कतरनिया घाट वन प्रभाग बहराइच में पड़ता है उसमें कतरनियां घाट के हिस्से को दुधवा नेशनल पार्क का हिस्सा बना दिया गया जिसकी वजह से भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उत्तर प्रदेश में कतरनियां घाट और दुधवा नेशनल पार्क की दूरी 100 कि0मी0 है तो अधिकारी को वहॉ से आने जाने में ही 100 कि0मी0का रास्ता तय करना पड़ेगा तो कतरनियां घाट का ध्यान रखना बहुत मुश्किल होगा। दूसरा सुझाव मेरा यह है कि पूर्ववर्ती सरकार में फारेस्ट एक्ट 1978 की धारा 15 यह

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कहती है कि पेड़ों की कटान रोकने के लिए जंगलों में जो बैरियर लगाने का काम होता है वह सिर्फ वन संरक्षक का होता है। अध्यक्ष जी यह बहुत ही इम्पार्टेंट प्वाइंट है फारेस्ट ऐक्ट में बैरियर लगाने का प्राविधान सिर्फ वन संरक्षक को दिया गया है पिछली बहुजन समाज पार्टी की सरकार में सिर्फ एक शासनादेश के द्वारा यह आदेश खत्म कर दिया गया जो कि गैर कानूनी था । शासनादेश के द्वारा आप किसी भी ऐक्ट में कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। उस शासनादेश के द्वारा पूरे बैरियर जंगलों से हटा दिए गए।

(इस समय 05 बजकर 25 मिनट पर अधिष्ठाता श्री मदन चौहान पीठासीन हुए।)

मेरा आपसे अनुरोध है कि माननीय पी0डब्ल्यू0डी0 मंत्री बैठे हैं, आज़म खां साहब बैठे हुए हैं, आप लोग उस जंगल के लिये उस शासनादेश को खत्म करने की अगर कृपा कर दें तो बैरियर दोबारा लग जायेंगे और वन की कटान रुक जायेगी और वनों को बचाने के लिये बहुत बड़ा सहारा हम लोगों को मिल जायेगा। आपने मुझे वन विभाग के इस बजट पर बोलने का मौका दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद।

*श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

अधिष्ठाता महोदय, आपका आभारी हूं कि आपने मुझे मौका दिया। मान्यवर, मैं वन विभाग के कटौती प्रस्ताव पर बल देने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं कहना चाह रहा हूं कि जब से उत्तराखंड का बंटवारा हुआ उत्तर प्रदेश में मात्र सिर्फ एक नेशनल पार्क बचा है, दुधवा नेशनल पार्क।बाकी के राजा जी नेशनल पार्क या जिम कार्बेट पार्क सब उत्तराखंड में चले गये। मान्यवर, जैसा कि हमारे पूर्ववर्ती सदस्य ने बताया कि हमारे युवा मुख्य मंत्री जी वन्य जीव प्रेमी हैं, पर्यावरण प्रेमी हैं तो उनका दौरा अभी हाल में कतर्निया घाट पर लगा था और कतर्निया घाट का जो वन क्षेत्र है वह इसी दुधवा नेशनल पार्क का एक अंग बना हुआ है। मान्यवर, उसका विस्तारीकरण किया जा रहा है। इंदिरा गांधी केन्द्रीय कृषि फार्म जो था उसको वन विभाग को दिया गया है। धौरहरा वन क्षेत्र का अधिकांश हिस्सा, कतर्निया घाट का जो निशानगढ़ा मोतीपुर मोतिहर रेंज है इससे जुड़ा हुआ है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वनों की महत्ता चाहे आक्सीजन लेने के रूप में हो, चाहे फलों के रूप में हो, चाहे लकड़ी के रूप में हो, चाहे औषधि के रूप में हो, चाहे पशु पक्षियों के रहने के रूप में हो समाज को वनों की बहुत ही आवश्यकता होती है। पुरातन काल में ऋषि मुनि भी जंगलों में कुटिया बनाकर रहा करते थे। गुरूकुल में बच्चों को पढ़ाने के लिये भेजा जाता था। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि दुधवा नेशनल पार्क के लिये 2012-2013 में जो 500 लाख रुपये का बजट में प्राविधान था पता नहीं किन कारणों से, किस नाराजगी के चलते उस बजट को वर्ष 2013- 2014 में घटाकर 400 लाख कर दिया गया। मुझे तो उम्मीद थी कि माननीय मुख्य मंत्री जी जायेंगें और जाने के बाद पर वहॉ पर देखेंगे और उन्होंने वह वहां पर रहे और जो हमारे सदस्य वहां मौके पर रहे इन्होंने भी जरूर उनसे अनुरोध किया होगा कि जरूर इस नेशनल पार्क को बढ़ाने के लिये कुछ पैसे दिये जायं। मान्यवर, वहां पर कुल दो पर्यटक आवास बने हुए हैं पर्यटकों के लिये। वहां पर दो थारू हट हैं वहां पर। वहां पर उसको बढ़ाने के लिये बजट में कोई प्राविधान नहीं है मान्यवर। वहां पर हमारे आदिवासी लोग, जनजाति लोग करीब 4-5 ग्राम हैं। मुझे इस बार वहां जाने का अवसर मिला तो उन जनजाति ग्रामों के अंदर मैं गया। उन जनजाति ग्रामों के अंदर जाकर देखा कि उनके रहन सहन की

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जो स्थिति है, वह बद से बदतर है। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारा विधान सभा क्षेत्र दो नदियों....

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

मान्यवर, बस दो मिनट। हमारा विधान सभा क्षेत्र दो नदियों के बीच से गुजरता है शारदा नदी और घाघरा नदी और उसके उस तरफ जंगल है। आये दिन नेपाल स्थित रॉयल बर्दिया जो उनका जंगल है, उससे जंगली हाथी आ जाते हैं और उन जंगली हाथियों के द्वारा फसलों का काफी नुकसान किया जाता है।

(श्री अधिष्ठाता द्वारा श्रीमती रूबी प्रसाद का नाम पुकारे जाने पर)

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

मान्यवर, बस दो मिनट, बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं और चूंकि लखीमपुर खीरी और दुधवा नेशनल पार्क से सम्बन्धित हैं। जंगलों की जैसी चिन्ता बताई कि कटान बहुत वृहत स्तर पर हो रहा है। उस कटान को रोकने के लिये अगर वन विभाग को स्पीड मोटर और मोटर बोट नहीं दी जाती क्योंकि बारिश में वह नदियां भर जाती हैं और वहां से वो जंगल की लकड़ी काटकर ले जाते हैं। इसलिये मान्यवर, वन विभाग को मोटर बोट दिया जाय। वन विभाग की जमीन पर जिन लोगों ने कब्जा कर रखा है, खेती कर रहे हैं उनसे खाली कराया जाय। धौरहरा विधान सभा क्षेत्र का जंगल बचेगा।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य अब आप बैठ जायं। आपका अब नहीं लिखा जायेगा।

श्रीमती रूबी प्रसाद-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे वन विभाग के बजट पर....

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

वन्य जीवों द्वारा जिन लोगों को मारा जा रहा है, उनको मुआवजा दिया जाय। जंगल के किनारे रहने वाले हमारे किसान जिनकी फसलों का वनरोजों, सुअरों और बन्दरों द्वारा नुकसान हो रहा है। हमने एक आदेश में पढ़ा है कि वनरोजों को मारने के लिये परमिट दिया जा रहा है। जंगलों का कटान रोका जाय।

श्री अधिष्ठाता-

काफी बात आ गई। अब आप समाप्त करें। अब आपका लिखा नहीं जायेगा। रूबी प्रसाद जी आप कहें।

*श्रीमती रुबी प्रसाद-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे वन विभाग के बजट पर कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आभारी हूं। मान्यवर हमारा जनपद सोनभद्र जहां 67 परसेन्ट वन

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पाए जाते हैं जो सोनांचल और वनांचल के नाम से जाने जाते हैं। सोनभद्र में बहुत कीमती लकड़ियां सागौन, खैर के पेड़, खैर के पेड़ से कत्थे तैयार होते हैं। चिरौंजी के पेड़ भी पहले हमारे सोनभद्र में बहुतायत पाए जाते थे पर बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहती हूं रोजूट और सागौन के पेड और चिंरौंजी के पेड़ अब देखने को नहीं मिलते हैं बड़े-बड़े माफियाओं के द्वारा इन पेड़ों का कटान करके दूसरे प्रदेशों झारखंड, छत्तीसगढ़, और मध्य प्रदेश को भेजा जाता है और पूरे वन का सफाया कर दिया गया है जनपद सोनभद्र में पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वन हैं। वहां पर जड़ी-बूटियां जंगलों में बहुतायत में पाई जाती हैं। कई बेशकीमती लकड़ियां भी पाई जाती हैं। वहां आदिवासी जंगलों में निवास करते हैं और जायका और वन विभाग की मिली भगत से, जबकि जायका का यह दायित्व होता है कि पेड़ों को लगाया जाए न कि इसका सफाया किया जाए। लेकिन अफसोस जायका और वन विभाग की मिली भगत से पेड़ों का सफाया करते हैं और जो आदिवासी गिरिवासी जंगलों में निवास करते हैं उनका उत्पीड़न करते हैं वन विभाग वाले। उन पर तरह-तरह के फर्जी मुकदमें दायर करते हैं कि यह लोग वनों का सफाया करते हैं जबकि सच्चाई कुछ और है। वह लोग जो आदिवासी और गिरिवासी बरसों से जंगलों में रहते हैं और जंगल को ही सब कुछ मानते हैं उनकी पूजा करते हैं और जंगल में ही वह तरह-तरह की जड़ी बूटियां वह खाते हैं और उन्हीं पर वन विभाग वाले फर्जी मुकदमें करते हैं। उनको फंसाते हैं। मान्यवर, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कभी सोनभद्र सोनांचल और वनांचल के नाम से जाना जाता था। आज वहां पर्यावरण असंतुलित हो गया है बड़ी तेजी से पेड़ों की कटान की वजह से इतना असंतुलन वहां पहले से ही था और वहां बहुत सारी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं। जिसकी वजह से संतुलन बिगड़ रहा है। जंगल ही जीवन होता है इसके कारण पर्यावरण असंतुलित हो गया है। वहां भू-गर्भ जल स्तर भी, क्योंकि पहाड़ों से घिरा हुआ क्षेत्र है वह भी प्रत्येक साल भू-गर्भ जल स्तर नीचे जा रहा है। मैं यह भी सरकार के संज्ञान में लाना चाहती हूं कि पेड़ों की सुरक्षा की जाए। और जो अधिकारी पेड़ों के कटान में लिप्त हों उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ताकि आने वाले समय में वहां का पर्यावरण संतुलित रहे और जो कीमती लकड़ियां हैं उनको न काटा जाए उनको बचाया जाए। ताकि जो जंगलों में पशु-पक्षी और जानवर निवास करते हैं उनके रहने की व्यवस्था हो।

श्री अधिष्ठाता-

समाप्त करें।

श्रीमती रुबी प्रसाद-

और जो आदिवासी भाई जंगलों को अपना भगवान मानते हैं और जंगलों में तरह-तरह के पेड़ लगाकर अपना जीविकोपार्जन करते हैं उनको यह मौका मिले उनका उत्पीड़न न किया जाए। यह बहुत गम्भीर विषय है और वन से संबंधित है इसमें सरकार के संज्ञान में लाना चाहती हूं कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगवाये जाएं। मान्यवर, आपने बैठने को कहा मैं बैठ जाती हूं।

श्री अनीसुर्ररहमान-

अधिष्ठाता महोदय, यह विभाग मुझसे सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। मैं जिस समाज से आता हूं वह सैफी बिरादरी कहलाती है और लकड़ी का काम करने का हमारा पेशा है। मेरे ख्याल में यह पहला मौका है कि लकड़ी का काम करने वालों से मुताल्लिक और उनसे संबंधित बात कहने का

अवसर मुझे यहां प्रदान हुआ है और हमारे मा0 मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं जिन्होंने वन का यहां बजट रखा है। मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गए बजट का समर्थन करूंगा क्योंकि यह बजट हमसे मुताल्लिक है साथ ही मैं एक संशोधन इसमें मैं यह चाहूंगा कि हमारी बिरादरी का काम, हमारे समाज का काम दूसरे समाजों ने ले लिया है और हमारा समाज भुखमरी के कगार पर है। अगर इसकी कोई व्यवस्था आपने अपने बजट में नहीं की तो हमारे समाज की स्थिति बड़ी खराब हो जाएगी।

श्री अनीसुर्ररहमान-

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि प्रदेश के अन्दर जितने आरा मशीनों के लाइसेंस हैं, उनमें से कम से कम 20 परसेण्ट आरा मशीनों के लाइसेंस हमारे समाज को आरक्षित किए जायें और आरक्षित श्रेणी में उन आरा मशीनों के लाइसेंस हमारी बिरादरी और हमारे समाज को उपलब्ध कराये जायें। मान्यवर, दूसरा अनुरोध है, मैं बढ़ई समाज से हूं।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

पहले अपनी पार्टी से, केन्द्र से जो प्रतिबन्ध लगा हुआ है, वह तो हटवाइये। गला तो वह काट रहे हैं, आपका।

श्री अनीसुर्ररहमान-

मान्यवर, मैं पीस पार्टी से हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

अच्छा, पीस पार्टी से हैं तो कहां गलत जगह पर बैठे हुए हो ?

श्री अनीसुर्ररहमान-

मान्यवर, मेरा दूसरा अनुरोध है, यह वन माफिया, वन काट रहे हैं, पेड़ों पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर हमारे समाज को लकड़ी काटने का लाइसेंस दिया जाए तो इन पर अंकुश भी रहेगा और हम लोग पेड़ काटकर सही सलामत निगम में भी पहुंचायेंगे और आप जहां कहोगे, वहां पहुंचा देंगे। दूसरी बात मान्यवर, जितनी लकड़ी प्रदेश में किसान की खड़ी है, अगर हमारा समाज नहीं होगा तो बाकी समाज कैसे उस लकड़ी का उपयोग करेगा। अगर हमारे समाज के हाथ वह लकड़ी आयेगी तो हमारा समाज उसका सदुपयोग करेगा, वह लकड़ी की चारपाई बनायेगा, बेड बनायेगा, कुर्सी बनायेगा, मेजें बनायेगा और समाज को उपलब्ध करायेगा। मैं चाहूंगा कि मेरे समाज को लकड़ी काटने का लाइसेंस दिया जाए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

श्री सत्यवीर मुन्ना-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे वन विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया, मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। इसके लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, वन विभाग और वन यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और आज से अगर हम आपको 10 करोड़ साल पहले की बात बतायें, मान्यवर हमारी पृथ्वी का सृजन हुआ था। आज से 4½ अरब वर्ष पूर्व हुआ था और आज से 10 करोड़ वर्ष पहले जुरासिक एरा (युग) था, उस समय पूरी पृथ्वी पर जो 71 प्रतिशत भूमि है, उस पर पूरी तरह से वन था, लगभग 99 परसेण्ट वन था। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना अच्छा पर्यावरण रहा होगा और उसी का परिणाम है कि पृथ्वी जैसे ग्रह पर इंसान

अस्तित्व में आया और मान्यवर, आज स्थिति यह है कि भारत में जो राष्ट्रीय मानक है, 33 प्रतिशत का, उससे अगर तुलना की जाए तो उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र भारी कमी हो रही है और इसको ले करके पिछली सरकार ने जो हम लोगों ने सुना, जो माननीय मंत्री थे, उनकी जो खास करके 'धर्म-कांटा नीति' एवं थी, इमारती लकड़ी तथा अन्य वन उपज की जो नीति थी, इस पर जो नियमों में तमाम फेर-बदल किए गए और व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया, उनका वन और पर्यावरण विकास से कोई सम्बन्ध नहीं था, अपितु लूट घसोट अन्तिम लक्ष्य था। जिसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र को बहुत ही नुकसान हुआ। लेकिन मैं बधाई देना चाहूंगा, अपने माननीय मुख्य मंत्री जी को और धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतना अच्छा बजट वह लाये। इस बजट में सभी पहलुओं पर उन्होंने ध्यान दिया है, चाहे वह वन संरक्षण का हो, चाहे पुनः वनीकरण का हो और चाहे वह पशु और पक्षियों की बात हो और चाहे वह विभिन्न जगहों पर चिड़िया घर खोलने की बात हो, उनके सम्वर्धन और विकास की बात रही हो, पूरी तौर पर हमारे नेता ने ध्यान दिया है, इसके लिए मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। माननीय अध्यक्ष, मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा, एक तो रिफारेस्टेशन की ओर करें, बहुत ही ज्यादा सरकार विशेष इस ओर ध्यान दे।

श्री सत्यवीर मुन्ना-

वस्तुतः वनीकरण पुनःवनीकरण पर सरकार इस तरह से ध्यान दे, जैसे पोलियो अभियान चलाया गया और पोलियो आज पूरी दुनिया में लगभग समाप्त हो चुका है। मुझे आशा है कि ऐसे शानदार नेता, ऐसे टेक्नोक्रेट मुख्य मंत्री के द्वारा जो बजट लाया गया है इससे हमारे प्रदेश में वन क्षेत्र का विकास होगा, वन पशुओं के क्षेत्र में भी विकास होगा। इसी के साथ मैं अपने क्षेत्र सोरांव विधान सभा में एक 'मनसैता नदी' के किनारे पर आंशिक वन क्षेत्र है ? वहां पर किसी चिड़ियाघर या कोई पशु संरक्षण केंद्र या इसी तरह की किसी योजना हेतु मैं आग्रह करता हूं। और वन विभाग के बजट पर बल देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अजय मिश्र 'टेनी'-

मान्यवर, वन विभाग का जो बजट आया है उसके कटौती प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं। मान्यवर, वनों का मनुष्य के जीवन और दुनिया के पर्यावरण में बड़ा महत्व है। आज जहां असंतुलन होता है वहां पर बाढ़, सूखा और विभिन्न प्रकार की बीमारियां पैदा होती हैं। आज जो आदर्श स्थिति है वनों का पूर्ण भौगोलिक हिस्सा 33 प्रतिशत होना चाहिए लेकिन उत्तर प्रदेश में जो भौगोलिक स्थिति है उसमें लगभग 9 प्रतिशत वन है। जिसके कारण बाढ़, सूखा और बीमारियां जैसी बहुत सारी समस्यायें पैदा हो रही हैं। वन विभाग बेहद अहम विभाग है। इसके बजट पर जितना ध्यान देना चाहिए था उतना ध्यान नहीं दिया गया। बजट में जो पहले दो हिस्से हैं वह तो योजनान्तर्गत हैं। लेकिन तीसरे हिस्से में जो 'ख' के अंतर्गत है वृक्षारोपण योजना। उसमें जो बजट आया है वह औद्योगिक दृष्टि से ठीक है लेकिन उसकी मानीटरिंग की आवश्यकता है क्योंकि बहुत ज्यादा अवैध कटान भी होता है। मान्यवर, दूसरे नंबर पर सामाजिक वानिकी विभाग की जो योजना रखी गयी है जिसका मूल उद्देश्य यह है कि जंगल के आसपास के जो गांव हैं वहां के गांववासियों को जंगल से खर-फूस, बल्ली जैसी चीजें मिल सकें और वह अपने जानवरों को उन जंगलों में चरा सकें। सामाजिक वानिकी का यही उद्देश्य है। लेकिन यह उद्देश्य भी पूरा नहीं हो रहा है। इसलिए इसको देखने की आवश्यकता है।

और इसमें जो हमारे वन विभाग के कर्मचारी हैं उनका भी बहुत ज्यादा हस्तक्षेप होता है इसके कारण लोगों का वहां पर उत्पीड़न भी होता है। तीसरा जो वृक्षावरण विस्तार योजना है उसमें वर्ष 2013-14 में यहां कोई प्राविधान नहीं किया गया है। इस वनावरण के लिए प्राविधान करने की आवश्यकता है। उसके बाद संचार और साधन एक प्रमुख चीज है। जहां पर जंगल बहुत अधिक हैं वहां पर जंगल की सड़कों और उसके आसपास की सड़कों का बहुत अधिक महत्व है। क्योंकि वहां के लोग उनका प्रयोग करते हैं। इसमें 2012-13 में खर्च नहीं किया गया और 2013-14 में कोई प्राविधान नहीं किया गया। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसमें धन का प्राविधान किया जाये और जंगल से निकली हुयी और जंगल से मिलीजुली सड़कों को ठीक कराया जाये। पांचवे नम्बर पर वन सर्वे दिया है। जंगल के किनारे जो लोग रहते हैं वहां पर ऐसी बहुत सी जमीनें हैं जो जंगल के डिमार्केशन में कही जाती है कि जंगल की जमीन है और वहां के लोग कहते हैं कि हमारी जमीन है। इसमें सर्वे की बहुत आवश्यकता है। इसका सर्वे करके इसका सीमांकन किया जाये। जो वन विभाग की जमीन है वह वन विभाग को मिले। शेष जो गांव वालों की जमीन हैं वह गांव वालों को मिलनी चाहिए। क्योंकि यह आये दिन झगड़े का कारण बनता है। वन विभाग के लोग यहां पर प्रतिवर्ष वृक्षारोपण करते हैं। 125 रुपये प्रति वृक्ष उस पर खर्च आता है। ऐसे लाखों रुपये वह खर्च करते हैं और साल दो साल के बाद वह किसान उन पौधों को उखाड़ देते हैं। मेरा कहना है कि जहां पर सीमांकन स्पष्ट नहीं है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य, संक्षिप्त करें।

श्री अजय मिश्र 'टेनी'-

मान्यवर, बड़ी मुश्किल से आपने बोलने का मौका दिया है। मान्यवर, सीमांकन होने के बाद ही वृक्षारोपण किया जाय और 2013-14 के लिए इसमें कोई प्राविधान ढंग का नहीं है सर्वे के लिए, इसलिए इसको भी किया जाय। मान्यवर, छठे नम्बर पर जो दिया गया है, मानव वन्यजीव संघर्ष, यह वास्तव में बहुत बड़ी समस्या है, जंगल के किनारे जो गांव हैं, वहां पर जो फसलें उगती हैं, उनको जंगली जानवर आकर के नष्ट कर देते हैं, कई बार वहां पर मनुष्यों की भी हत्या हो जाती है। वहां पर मनुष्यों को अपने जीवन की रक्षा, अपनी फसलों की रक्षा करने का अधिकार देना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया अब समाप्त करें, मा0 श्याम बहादुर सिंह यादव, आप अपनी बात प्रारम्भ करें।

श्री अजय मिश्र 'टेनी'-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, केवल दो मिनट का अवसर दे, दो मिनट में ही मैं आपनी बात समाप्त कर दूंगा, बाकी सब छोड़े दे रहा हूं ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मानव वन्यजीव संघर्ष में जो धन है, इसमें प्राविधान करना चाहिए जहां पर फसलों का नुकसान हो, वह मिले और जो मुकदमें लाद दिये जाते हैं, जरा सा भी जंगली जानवर अगर हमारे ऊपर हमलावर है तो हम उसको नहीं रोक सकते, हम अपने जीवन की रक्षा नहीं कर सकते, ऐसी जगहों पर जांच की जाय और जहां पर जीवन रक्षा में ऐसी घटनायें हों, उसमें कोई मुकदमें न लिखे जांय, इसका जरूर निश्चितरूप से ध्यान रखा जाय। बाकी समय कम है,

बहुत चीजें मैं नहीं कहना चाहता, केवल एक बात और कहूंगा नेपाल सीमा से लगे हुए जो जंगल हैं जैसे- बहराइच और पीलीभीत का जो जंगल है, वहां पर माओवादियों का बहुत बड़ा खतरा सम्भावित है, इसलिए वहां पर व्यापक सुरक्षा की व्यवस्था की जाय और सुरक्षा के प्रबन्ध ऐसे किये जांय कि माओवादी जंगलों से भारत में या उत्तर प्रदेश में प्रवेश न कर सकें, नहीं तो आने वाले समय में यह बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। चूंकि समय कम है, इसलिए मैं और ज्यादा कुछ न कह कर के इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आवश्यक मदों में जहां अधिक धन की आवश्यकता थी, वहां पर कम धन का प्राविधान किया गया है और जहां पर अधिक धन दिया गया है, वहां पर उसके अपव्यय होने की सम्भावना है। अन्त में कहना चाहूंगा कि आप इस बजट की पुनर्समीक्षा करें, तभी मैं इसका समर्थन कर पाऊंगा, अन्यथा मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं, धन्यवाद।

*श्री श्याम बहादुर सिंह यादव-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, वन जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं, जो बजट हमारे मा0 मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, उसके समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं और मा0 मुख्यमंत्री जी हमारे जो पर्यावरण से ही पढ़ाई-लिखाई उच्च स्तर की कर के आये हैं और पर्यावरण में जो उनकी रूचि है, उसके मुताबिक जो बजट आया है उसका मैं हृदय से स्वागत करते हुए, अभिनन्दन करते हुए इस बजट की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए आपसे अपनी बात कहना चाहता हूं। मान्यवर, देहात में कहावत है कि वन्य ही जीवन है, बचपन में एक पत्रिका आती थी, उसमें पढ़ा था कि ''वृक्ष लगाना कार्य महान, एक वृक्ष दस पुत्र समान'', एक वृक्ष की कल्पना जहां दस पुत्रों के समान की गई हो, तो उससे अपने आप ही वन का और वृक्ष का महत्व हमारी समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि पिछली सरकार के जो मंत्री रहे इस विभाग के और पिछली सरकार का जो कारनामा रहा, मेरी निजी जानकारी के हिसाब से कम से कम सात से आठ हजार पेड़ सिर्फ लखनऊ जनपद में काट दिये गये बाकी पूरे प्रदेश का क्या आलम रहा होगा, इसका अन्दाजा अपने-आप ही आप लगा सकते हैं।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, पर्यावरण संतुलन के लिए हम जैसे नौजवान अगर नहीं सोंचेंगे, तो हमारे जो सीनियर लोग हैं, जो हमारे पहले की पीढ़ी है, वह आगे को बढ़ती जा रही है और फिर आगे आने वाला जो हमारा भारत का भविष्य है, जो हमारे प्रदेश का भविष्य है, उसके स्वास्थ्य और भविष्य की चिन्ता करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। मैं मा0 मंत्री जी से इस बजट के ऊपर कहना चाहता हूं और हमारे अधिकारीगण भी हूंपर बैठे हुए हैं, इस सदन के माध्यम से मैं आगाह करना चाहता हूं कि कम से कम एक मानक बना लें, बी0डी0ओ0 के स्तर पर, चाहे प्रधान के स्तर पर या जो हमारे रेन्जर है, फारेस्टर हैं, उनके स्तर पर एक नार्म बना दिया जाय कि वह भूमि खोज कर के, उसको आरक्षित करा कर के, निश्चित रूप से उस पर पेड़ उगाना चाहिए, चाहे वह फलदार पेड़ हो, चाहे वह छायादार पेड़ हो चाहे वह कार्बन-डाई-आक्साईड लेने वाले और आक्सीजन देने वाले पेड़ हों या इमारती लकड़ियों के पेड़ हों, जो फालतू जमीनें पड़ी हैं अभी भी ग्राम स्तर पर जिस पर भू-माफिया लोग कब्जा कर रहे हैं और अन्य प्रकार के लोग कब्जा कर रहे हैं। उसमें तब तक के लिये जब तक

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कोई और उपयोग नहीं होता, उन पर वन लगाये जायें। हम मा0 मंत्री जी से यह भी निवेदन करना चाहते हैं कि पर्यावरण के मामले में जो हमारे ओजोन छिद्र की बात है तो जो यहां हमारे पढ़े-लिखे विद्वान साथी बैठे हैं और जान रहे हैं कि पर्यावरण में ओजोन छिद्र का क्या मसला है और पर्यावरण के लिये वनों की आवश्यकता क्या है। हम निवेदन करना चाहते हैं कि एक नॉर्म ये बनाया जाये, एक नियम बनाया जाये कि कम से कम एक ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर इतने पेड़ जरूर आच्छादित कराये जायें, उन जमीनों पर जो फालतू जमीन पड़ी हुयी है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि वनों के काटे जाने पर भी सिर्फ लगाया जाना ही नहीं काटे जाने पर भी रोक लगाया जाना आवश्यक है। जो अभी यहां से बात आयी कि आरा मशीनों की तो हम उन पर भी कहना चाहते हैं कि आरा मशीनों पर भी जो लाइसेंस बन रहा है। अब तो गवर्नमेण्ट ने उस पर मना कर दिया है लेकिन हम चाहते हैं कि उन पर संदेही की जाये। उन पर जिम्मेदारी फिक्स की जाये, जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी हैं उनके द्वारा कि जिनके पास लाइसेंस नहीं भी हैं और वो फर्जी आरा मशीनें चला रहे हैं। वनों को काट करके, उन पेड़ों के साथ जो मानवीय दृष्टि से दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उनका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको रोका जाये। मान्यवर, मैं बहुत ज्यादा न कहते हुये आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, एक माजुली द्वीप है आसाम में, मुझे वहां जाने का, वहां माजुली द्वीप में बम्बू ट्री का जो हमारे मा0 मुख्म मंत्री जी ने प्लाण्ट किया हुआ है। मैं उस प्लाण्ट का हार्दिक स्वागत करता हूं कि कटानों को रोकने के लिये बम्बू ट्री जितनी तेजी से जो बांस के रूप में हमारे देहात में कहा जाता है, जितनी जल्दी, जितने सस्ते और जितना उसका विकास होता है, उनका जो विस्तार होता है। कटानों के लिये वो विशेष काम करता है। मैं उस पर भी मा0 मंत्री जी का हृदय से स्वागत करना चाहता हूं कि उसको भी इसमें समायोजित करने का काम किया गया है। मैं इसी तरह से आपसे कहना चाहता हूं मान्यवर कि एक समय था कि पर्यावरण के ऊपर ही इस तरफ की पार्टी के नेता जी हुआ करते थे, संजय गांधी जी, उन्होंने किसी जमाने में कहा था कि पेड़ लगाने नहीं पेड़ बोने की जरूरत है। हमारे मा0 मंत्री जी बैठे हैं जिन्होंने बजट पेश किया है तो मैं यह अपील करना चाहता हूं सदन से भी इस बजट पर कि जो खाली जमीनें पड़ी हैं, उनका उपयोग नहीं हो रहा है खेती के लिये, कृषि के लिये, उन पर पेड़ लगाने नहीं पेड़ बोने की जरूरत है, तब जाकर हमारे पर्यावरण का संतुलन संतुलित हो पायेगा और आने वाली हमारी पीढ़ी अच्छे पर्यावरण में अपना जीवन यापन कर पायेगी। मैं एक बार पुनः मा0 मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत किये गये इस बजट का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनन्दन करता हूं और उसका भूरि-भूरि समर्थन करते हुये अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सलिल विश्नोई-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे वन जैसे महत्वपूर्ण विभाग के बजट की कटौती पर बोलने का मौका दिया। अभी हमारे एक काबिल दोस्त कह रहे थे कि एक वृक्ष हमारे 10 पुत्रों के समान है। एक वृक्ष हमको इतना देता है कि जो हमारे 10 पुत्र मिलकर भी मानव जीवन में वो लाभ नहीं पहुंचा सकते। हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से, हमारी इकांनमी की दृष्टि से, हमारी सुरक्षा की दृष्टि से, हर दृष्टि से वृक्षों की आवश्यकता है। मुझे तो गर्व है कि मैं ऐसे समाज से हूं विश्नोई समाज से कि जिसका नाम ही वनों और पेड़ों की रक्षा से जोड़ा जाता है। आज से 550 साल पहले जब कोई पर्यावरण और

पेड़ों की रक्षा की बात नहीं करता था, तब 363 विश्नोईयों ने पेड़ से चिपक अपनी जान इसलिये दे दी थी कि उन्होंने पेड़ों को नहीं कटने दिया था। पेड़ों की रक्षा के लिये, पर्यावरण के संरक्षण के लिये उन्होंने आरे से कटकर अपनी जान दे दी थी और चिपको आंदोलन के जन्म दाता विश्नोई थे। इस पर मुझे बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये मेरे लिये बड़े गर्व की बात है। आज राजस्थान और हरियाणा, राजस्थान जैसा रेगिस्तान कि जिसमें पेड़ नहीं पैदा हुआ करते थे और आज अगर वहां पर हरियाली दिखायी पड़ती है तो वो विश्नोईयों की मेहनत का फल है। अभी आप सब लोगों ने दो तीन साल पहले सलमान खान जो एक बहुत बड़े फिल्म अभिनेता हैं, उनके द्वारा शिकार करने पर वहां के विश्नोईयों ने जिस तरह से उनको घेरकर अदालत के जिम्मे किया और उनको जेल जाना पड़ा। ये भी वहॉ के विश्नोईयों की पर्यावरण प्रेम की कहानी है। वन विभाग के बारे में मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि वन विभाग के कार्य लिखा पढ़ी में बहुत अच्छे आते हैं लेकिन वन विभाग की कार्य प्रणाली को सुधारने की आवश्यकता है। पेड़ बहुत लगाये जाते हैं लेकिन उन पेड़ों की मेण्टीनेंस नहीं होती, उनमें न तो लगाने के बाद पानी दिया जाता है।

(इस समय 05 बजकर 55 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

बरसात हो जाए और पेड़ चल जाएं तो अलग बात है उसके बाद विभाग के द्वारा उसकी कोई देख-रेख नहीं की जाती है। मा0 अध्यक्ष जी, आवश्यकता इस बात की है कि उन अधिकारियों की जिन्होंने पेड़ लगवाये और गिनती कहते हैं कि हमने 50 हजार पेड़ लगाए, 1 लाख पेड़ लगवाए, उनकी जिम्मेदारी फिक्स की जाए, ज्यादा नहीं तो उनके द्वारा लगाए हुए पेड़ों के 50 प्रतिशत पेड़ जीवित रहने चाहिए नहीं तो उनकी सी0आर0 में लिखा जाए, जब तक वन विभाग इस तरह का प्रभावी प्रयास नहीं करेगा, तब तक वनों की संख्या और पेड़ों की रक्षा करने में हम लोग असफल रहेंगे, और बहुत बड़े-बड़े प्रयास न करके मा0 अध्यक्ष जी, हमें छोटे-छोटे प्रयास करने चाहिए। हम लोग लाखों-करोड़ों रूपया खर्च करके घर और बंगले बनवाते हैं। अपने घर के अंदर बहुत हरियाली करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नियम बना दीजिए कि अगर आप अपने घर के बाहर 10 पेड़ लगाएंगे, 5 पेड़ लगाएंगे, तो आपको इस तरह की एक अलग से प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। किसानों को उनकी मेड़ों पर पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए और उसका मालिकाना हक उन्हीं किसानों को दे दिया जाए, जैसे कटौती का प्रस्ताव रखते हुए मा0 महावीर राणा जी ने हरियाणा का जिक्र किया। इस तरह की योजनाओं को उत्तर प्रदेश में भी लागू किया जाए। मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं कि अभी 19, 20 जनवरी को इसी वर्ष 2013 में कानपुर के चिड़ियाघर में 31 काले हिरणों को, चिड़ियाघर के कर्मचारियों और कुत्तों ने मिलकर मार डाला। उन लापरवाह कर्मचारियों के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई, सिर्फ उन्हें निलंबित कर दिया गया है। महीने-पन्द्रह दिन के बाद उन कर्मचारियों को फिर से बहाल कर दिया जायेगा। मान्यवर, जब वन विभाग की कार्य प्रणाली इस तरह की, जिसमें मा0 मुख्य मंत्री ने स्वयं रुचि ली, जन्तु-उद्यान मंत्री स्वयं मौके पर गए, प्रमुख सचिव वन मौके पर गए और उसके बाद भी उस घटना को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। मान्यवर, मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ एफ0आई0आर0 करके, उनको जेल भेजा जाए, क्योंकि 31 मूक पशुओं की हत्या हुई है। जब हत्या का पता लगाने वहां वन सचिव गए, तो वहॉ पर जो खुदाई कराई गयी तो जमीन के नीचे तमाम चीतल इत्यादि गड़े हुए पाये गए, जिनका कोई

रिकार्ड नहीं था, चिड़ियाघर की गार्ड फाइल में, और उसके बाद उसी एक हफ्ते के अंदर दो मगरमच्छ मर गए, चिड़ियाघर में हम 16 करोड़ की बाल रेल चलाने की बात कर रहे हैं, मा0 मंत्री जी ने अपने बजट में 16 करोड़ की बाल रेल कानपुर के चिड़ियाघर में चलाने की बात की। माननीय बाल रेल तो तब चलाइये, जब चिड़ियाघर में जानवर ही नहीं बचेंगे, जीव-जन्तु ही नहीं बचेंगे, जब चिड़ियाघर ही नहीं रहेगा तो बाल रेल चलाने से क्या फायदा है ? पहले चिड़ियाघर के जीव-जन्तुओं की सुरक्षा की व्यवस्था की जाए फिर उसके आधुनिकीकरण की व्यवस्था की जाए। आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं।

(सुश्री सावित्री बाई फूले के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

अभी बोलना है, अच्छा एक मिनट आप भी बोल लो, जंगल से आए हो।

सुश्री सावित्री बाई फूले-

आज वन विभाग के कटौती प्रस्ताव पर मुझे बोलने का जो अवसर दिया गया है, उसके लिए मा0 अध्यक्ष जी का मैं आभार व्यक्त करती हूं तथा सदन के हमारे नेतागण सभी सदस्यगणों का हार्दिक स्वागत करते हुए मैं बताना चाहती हूं कि हमारा विधान सभा क्षेत्र भारत और नेपाल से सटा हुआ क्षेत्र है। हमारे क्षेत्र में चार नदियां हैं, और चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ हमारा क्षेत्र है। हमारे क्षेत्र में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति और थारू जाति के लोग निवास करते हैं और किसान हैं। ज्यादातर हमारे क्षेत्र में गन्ने की खेती होती है। गन्ने का पैदा करके क्योंकि 75 किलोमीटर चीनी मिल पड़ती है, इस नाते जंगल से रास्ता न होने के कारण लोग गन्ना को चीनी मिल नहीं पहुंचा पाते हैं, इस नाते वह अपना निजी क्रेशर लगाकर, गन्ना की पेराई करके, गुड़ बनाने का काम करते हैं। मान्यवर, मैं बताना चाहती हूं कि जिनके गन्ने की पेराई नहीं हो पाती है, वह किसान मजबूर होकर खेतों में गन्ने का जलाने का काम करते हैं। जब वन विभाग में किसी भी निधि से सड़क, पुल, पुलिया बनने का जैसे ही आदेश आता है, बनने की शुरूआत होती है, वैसे ही वन विभाग के लोग, वहां के अधिकारी, कर्मचारी जाकर उसे रोक देते हैं। जंगल में रास्ता न होने के कारण वहां के जो वन ग्राम के लोग हैं, वह हाट-बाजार नहीं कर पाते हैं और जब बारिश होती है तो बारिश के मौसम में तमाम गड्ढ़े और रास्ते में पानी भर जाता है, ऐसी स्थिति में प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक महीने में लोग जंगल के जानवरों द्वारा शिकार हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में मा0 अध्यक्ष जी आपसे मैं अनुरोध करना चाहती हूं कि जो भारत सरकार से और उत्तर प्रदेश की सरकार से जो ग्रामवासियों को, वन ग्रामों में रहने वाले लोगों को जो सुविधा उपलब्ध कराई गई है, वहॉ न तो लाइट की व्यवस्था है, न तो आवास की व्यवस्था है और न तो सड़क की व्यवस्था है। मान्यवर, मेरा विधान सभा क्षेत्र 282 बलहा तहसील नानपारा के अन्तर्गत जनपद बहराइच में पड़ता है। मेरे विधान सभा क्षेत्र तहसील नानपारा के अन्तर्गत वन विभाग से प्रभावित ग्राम पंचायत व ग्राम समाज की भूमि का विभाग द्वारा विभिन्न ग्राम पंचायतों की भूमि कब्जा कर लिया गया है। जैसे- ग्राम पंचायत भरथापुर भवनियापुर, विशनापुर, चितलहवा, जंगल गुलरिहा, सुजौली, बड़खरिया, सेमरी मलमला, लालपुर मझोव, मधवापुर, गंगापुर, दौलतपुर, नौबन। बलसिंगपुर, सलारपुर, मुतिहा, भवनियापुर, मोतीपुर निधिपुरवा, पड़रिया, सरी, पौडा, बलईगांव

आदि सैकड़ों ग्राम पंचायत हैं। ग्राम पंचायत ग्रामक समाज, बचत सिलिंग की भूमि वन विभाग द्वारा हजारों एकड़ कब्जा कर लिया गया है।

मान्यवर, 1968 से 1978 में चकबंदी हुई थी जिसमें खातेदारों की भूमि जमींदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत सिलिंग निकाली गयी थी किन्तु वह भूमि वन विभाग के नाम दर्ज करा दी गयी जो आज अवध फारेस्ट के नाम से अंकित है। ऐसी स्थिति में मान्यवर लाखों गरीब असहाय कृषक, मजदूर भूमिहीन हो गये हैं। तथा इनको भूमि से वंचित कर दिया गया है मेरे विधान सभा क्षेत्र बलहा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति (थारु)तथा पिछड़ी जाति के लोग निवास करते हैं 70 प्रतिशत मजदूर भूमिहीन हैं। मान्यवर, वन विभाग द्वारा जो सीलिंग व ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा कर लिया गया है जिनका सीमांकन कराकर ग्राम समाज व सीलिंग की भूमि पुनः उपरोक्त ग्राम पंचायतों को वापस कराये जाने की सदन में माननीय मंत्री जी से मांग करती हूँ। मान्यवर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति वन ग्रामों में रहने वाले लोगों को सरकार द्वारा तमाम सुविधा उपलब्ध की गयी है। उसको हमारे क्षेत्र में भी कराने का कष्ट करें। मान्यवर 26 अक्टूबर, 2010 को प्रमुख सचिव, वन श्री चंचल कुमार तिवार द्वारा एक शासनादेश जारी किया गया जिसमें अनुसूचित जनजाति व अन्य ग्राम निवासियों को अधिकार की मान्यता अधिनियम-2006 की धारा के अन्तर्गत का प्राविधान प्रदान किया गया है। इसमे है कि वन में, वन के निकट निवास करने वाले अनुसूचित जन-जाति वन निवासियों को व्यक्तिगत अधिकार के साथ-साथ सामूहिक अधिकार भी दिये गये है। यह अधिकार मुख्यतयः उक्त अधिनियम की धारा-3 में वर्णित है जिसमें गिरी पड़ी, जलूम लकड़ी लाने का अधिकार है, बाजार व मेला लगाने का तथा शमसान घाट, तालाब, जल-स्रोतों का उपयोग करने का अधिकार है। महुआ के फूल, चिरौंजी, शहद व मोम आदि को एकत्रित करना, मछली पकड़ने का भी अधिकार है। शासनादेश में यह भी आदेशित किया गया है कि सामुदायिक अधिकारों के प्रति निर्धारण की प्रगति नितान्त आवश्यक है तथा तत्काल प्रभाव से उपरोक्त अधिकारों को लागू किया जाय। मान्यवर, इसकी प्रतिलिपि समाज कल्याण आयुक्त तथा समस्त जिलाधिकारियों को भी भेजी गयी है।

मान्यवर, मेरा विधान सभा क्षेत्र चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ है। कोई रास्ता नहीं है। मेरी मांग है कि वहां रास्ता बनाया जाय। मान्यवर, जो व्यवस्थायें सरकार के तरफ से जंगल में रहने वाले लाखों जीवों आदि के बारे में लागू की गयीं हैं वह वहां पर भी लागू कराई जाय। मान्यवर, जो वहां पर साधू लोग रहते हैं उनको वन विभाग के लोग परेशान करते हैं और उनको जेल भिजवाने का काम करते हैं। मान्यवर, इसको रुकवाया जाय, जो वन विभाग के प्रमुख सचिव ने 26 अक्टूबर, 2010 को शासनादेश जारी किया है उसको लागू कराया जाय। जो वन विभाग ने अवैध रूप से वहां की जमीनों पर कब्जा कर रखा है, जो जमीन ग्राम समाज की या सीलिंग की है, उसको वापस कराया जाय। मान्यवर, जो सब व्यवस्थायें शासनादेश होने के बावजूद कार्यवाहियां नहीं हो रही हैं उन पर कार्यवाही कराई जाय। जो वन वासियों के लिए व्यवस्थायें शासनादेशों में है उनको लागू कराया जाय। इसी के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल प्रदान करती हूँ।

जन्तु उद्यान राज्य मंत्री (डा0 शिव प्रताप यादव)-

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मान्यवर, अभी माननीय सदस्या जी जो बात कह रही थी उनको शायद नहीं पता है, वन का कानून है सुप्रीम कोर्ट की

रूलिंग है और भारत सरकार के आदेश हैं कि जो सेंचुरी वन है वहां पर चाहे सूखी लकड़ी हो, चाहे गीली लकड़ी हो उसको आप छू नहीं सकते हैं। वहां कोई उसका जो भौगोलिक या जो वातावरण वहं का है उसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। यह जो हैं यह मजबूरी है। तो जो प्रेक्टिकल बात आप कर रही थीं वह हो ही नहीं सकता है चूंकि कानूनों से बंधे हुए हैं। दूसरी बात यह है कि जो अभी माननीय सदस्य बता रहे थे पौधों के बारे में वृक्षारोपण के बारे में तो मैं कहना चाहता हूं, अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं, सारे सदन को बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने, माननीय मुख्य मंत्री जी वनों के बारे में, वन संरक्षण के बारे में इतना सेंसिटिव हैं कि सरकार बनी तो पहला जो समीक्षा बैठक किया वह वन विभाग की किया और उसमें उन्होंने निर्देश दिया कि अब जो वृक्षारोपण होगा, पौधे लगेंगे 8 फिट से कम नहीं होंगे उनकी लम्बाई 8 फिट से 12 फिट होगी। जो हमारे पूर्व मुख्य मंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी की जब पिछली सरकार थी उसमें उन्होंने जो नियम बनाया था उसी नियम को लागू किया गया नतीजा यह हुआ कहीं भी देख लीजिए सभी जिलों में हरित पट्टियों का निर्माण हुआ है। और मैंने स्वयं कई जगह नोएडा से लेकर और बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, बनारस आदि तमाम जिलों मे गया हूं हरित पट्टी अभी मेनटेन हैं। हम नहीं कह सकते हैं जो पौधे लगाये गये हैं एक दो पौधे सूख गये हों बाकी 99 परसेन्ट पौधे अभी भी हैं, मैं चैलेन्ज कर रहा हूं देखना चाहे तो कोई देख सकता है।

मान्यवर, 3 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाये गये। जहां तक सवाल है प्राणि उद्यान कानपुर का तो उसमें बहुत दुखद घटना हुई है। यह वास्तव में कर्मचारियों की लापरवाही से या साजिश भी कहा जायेगा कुछ काले हिरन 31 या 32 वहां मर गये थे उसमें एफआईआर हुआ है। एफआईआर भी हुआ है और वहां का एक कर्मचारी गिरफ्तार भी हुआ था और जांच भी चल रही है और डायरेक्टर से लेकर रेन्जर, फारेस्ट गार्ड, फारेस्टर, कीपर, चौकीदार तमाम कर्मचारी अधिकारी सस्पेण्ड हो गये हैं। सरकार ने इसको गम्भीरता से लिया है। जहां तक सवाल है प्राणी उद्यानों का तो मैं यह बधाई देना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी को कि उन्होंने एक पहल किया है लखनऊ में एक नया प्राणी उद्यान बनाने का हमारी सरकार ने फैसला किया है और वह बहुत ही आधुनिक होगा और उसमें प्रयास चल रहा है कि टाइगर रेसक्यू सेन्टर भी बने। इसी प्रकार लायन्स सफारी इटावा में पुरानी जो सरकार थी बसपा की उसने बन्द कर दिया था। इसलिए बन्द कर दिया था कि हमारे नेता मुलायम सिंह यादव जी का यह ड्रीम प्रोजेक्ट था उस सरकार ने निर्णय लिया था तो यह दूषित बदले की भावना से, चूंकि माननीय मुलायम सिंह जी ने इसको किया था, जबकि लायन्स सफारी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिससे पूरी दुनिया में हिन्दोस्तान का नाम होता, केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, इटावा ही नहीं पूरे दुनिया में हिन्दोस्तान का नाम होता। तो ऐसे प्रोजेक्ट को इन्होंने बन्द करने का काम किया और पैसा लगा दिया पत्थर में, पत्थर का पार्क, पत्थर की मूर्ति में ।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी, पचपेड़वा के बारे में भी बता दीजिए कुछ करेंगे क्या।

डा0 शिव प्रताप यादव-

मान्यवर, हमारी सरकार ने निर्णय लिया है पहली बार हुआ है कि दुधवा जो नेशनल पार्क है कोई छूता नहीं था। मैं अभी 3-4 दिन पहले गया था वहां के जो हट हैं और वन विश्राम गृह है इतना जर्जर हो गया था, उसको छुआ नहीं गया था उसके लिए हमारी सरकार ने .....

श्री अध्यक्ष-

पचपेड़वा पर बोल रहे हैं कि दुधवा पर बोल रहे हैं।

डा0 शिव प्रताप यादव-

आपको बजट तो पत्थर के लिए था। मान्यवर, इन्होंने तो सिंचाई विभाग से लेकर जेल रोड तक हजारों पेड़ तो लखनऊ में कटवा दिये। नोएडा में मैं गया था जो ओखला पक्षी विहार है बहुत बड़ी हरित पट्टी थी उस हरित पट्टी को कटवाकर इन्होंने पार्क बना दिया। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया फिर भी इन्होंने टीन लगाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करके काम किया है। आप जा करके देख लीजिए वहां पर हरित पट्टी अभी भी बना हुआ है। ओखला पक्षी विहार मैं गया था उसके लिए भी हमारी सरकार ने निर्णय लिया था। वहां पर साइबेरियन प्रजाति थी उसके लिए भी हमारी सरकार ने निर्णय लिया है। हमारी सरकार वन्य जीवों और वनों के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और कई अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। मान्यवर, इनके जमाने में क्या हुआ मैं तो गया था सोनभद्र जनपद में, इतना कटान कराया कि बिल्कुल साफ कर दिया जो पहाड़ थे उनको खत्म कर दिया, वहां के पत्थर लाकर यहां लखनऊ में लगा दिया। यह किस मुंह से कह रहे हैं, हम लोग सारी चीजों का संज्ञान ले रहे हैं तमाम अधिकारी हटाये, इन्होंने तो यह काम किया कि भारत सरकार ने वन्य जीव जो प्रभाग है उसको दो पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में बांटने का निर्णय लिया था लेकिन तत्कालीन वन मंत्री ने काशी और कैमूर क्षेत्र यानी कि जो पूरब में था उसे पश्चिम में कर दिया, तत्कालीन चीफ कंजरवेटर को फायदा पहुंचाने के लिए तो मान्यवर, इस प्रकार इनकी सरकार में काम किया गया है। इन्होंने तो वनों का बहुत नुकसान किया है। हमारे क्षेत्र में देखिये मान्यवर, आप भी वहां जाते रहते हैं आपको भी वनों से लगाव है आपने देखा होगा कि इन्होंने कितनी अवैध कटान करा दी है। इन्होंने सारा वन कटाकर नेपाल के वन माफियाओं के हाथों बिकवा दिया। मान्यवर, हमारी सरकार वनों के लिए और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए पूरी तरह से कृतसंकल्प है और एक साल के अन्दर आपको पूरे प्रदेश में हरियाली नजर आयेगी। जहां पर आप जमीन दे देंगे वहां पर पेड़-पौधे लगा दिये जायेंगे, यहां धन की कमी नहीं है, यहां पत्थर नहीं लगाया जायेगा बल्कि पेड़ लगाया जायेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

(माननीय सदस्य श्री बब्बन, कुंवर कौशल सिंह एवं अन्य माननीय सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग कितने विषयों पर आज बोलेंगे। पहले माननीय मंत्री जी को बोल लेने दीजिए, उसके बाद स्पष्टीकरण पूछ लीजिएगा। चूंकि कटौती प्रस्तावक बोल चुके हैं अब माननीय मंत्री जी बोल लें उसके बाद हम प्रश्न उपस्थित करेंगे।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने शुरू में ही कहा कि जनसंख्या बहुत है उत्तर प्रदेश की और वन कम होने के कारण दबाव बहुत है। हम चाहते हैं कि यह दबाव कम हो और पूरा प्रदेश हराभरा रहे। इस ओर हमारी सरकार का पूरा ध्यान है, हमने अवैध कटान पर भी नियन्त्रण किया है और आगे भी

करेंगे। जो सुझाव आये हैं उनका भी ध्यान रखेंगे। हमारी सरकार वृक्षारोपड़ का कार्य भी बहुत तेजी के साथ कर रही है। इस वर्ष 2013-14 में 4.23 करोड़ पौधे लगाने का हमारा लक्ष्य है और 67 हजार 6 सौ हेक्टेयर भूमि को वनाच्छादित करने का हमारा लक्ष्य है। इस तरीके से प्रदेश का जो वनाच्छादित और वृक्षारोपित वनावरण 5.95 एवं वृक्षावरण 3.6 है जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 9.01 प्रतिशत है जबकि होना चाहिए 33.33। तब कहीं जाकर हमारे प्रदेश का पर्यावरण ठीक रह सकता है और रहना भी चाहिए। हम इस तरफ पूरा ध्यान दे रहे हैं और जो बहुत सी बातें आई हैं अगर हम सबका जवाब देंगे तो बहुत समय लग सकता है लेकिन हम इतना ही आश्वासन देना चाहते हैं कि हम और हमारी सरकार प्रदेश के पर्यावरण में पूरा ध्यान दे रही है, वृक्षारोपड़ की तरफ पूरा ध्यान दे रही है। जहां तक कटान के बारे में है और जहां तक कृषकों के बारे में है तो पापुलर के पेड़ को लगा सकते हो काट भी सकते हो, यूकिलेप्टिस के पेड़ को लगा भी सकते हो काट भी सकते हो, इस पर कोई बन्दिश नहीं है। जिन पेड़ों पर बन्दिश है उसका भी परमिट है और जब कटान के लिए परमिट दिया जाता है तो 100 रुपए उसकी फीस भी है और फीस के साथ-साथ यदि वह कृषक दो पेड़ लगा देगा तो उसके 100 रुपए वापस भी कर दिये जायेंगे, ऐसी व्यवस्था है।

तो मान्यवर, पेड़ लगाने चाहिए, हमारा प्रयास है कि हर व्यक्ति को दो पेड़ तो लगाने ही चाहिए और यदि वह ज्यादा लगाये तो और अच्छी बात है। सब लोग चिन्ता कर रहे हैं तो ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि हर व्यक्ति पेड़ लगाये। कोई दो पेड़ लगाये, पांच पेड़ लगाये, दस पेड़ लगाये और लगाना चाहिए अगर इतने पेड़ लगा लें तो प्रदेश में बहुत बड़े पैमाने पर पेड़ लगाये जा सकते हैं और उसकी रखवाली भी की जा सकती है। देखभाल हम लोगों को भी करना चाहिए तभी पर्यावरण शुद्ध रह सकता है और तभी हमारा प्रदेश हरा-भरा रह सकता है। इन्हीं बातों के साथ मैं चाहूंगा कि जो कटौती का प्रस्ताव माननीय सदस्य श्री महावीर सिंह जी ने रखा है, वह उसे वापस ले लें। हमारा प्रयास होगा कि पर्यावरण बहुत अच्छा हो, बहुत पेड़ लगें और हम लोग मिल करके उनकी रक्षा करें जिससे हमारा प्रदेश हराभरा हो जाए।

श्री बब्बन सिंह चौहान-

माननीय अध्यक्ष जी, कटौती के प्रस्ताव पर बोलते हुए मैं अपने पूर्व वक्ताओं से अपने को सम्बद्ध करते हुए कहना चाहूंगा, अभी माननीय मंत्री जी जो बता रहे थे कि मैं बनारस गया, रेनुकोट गया मैं कहना चाहूंगा कि मान्यवर, अगर आप चन्दौली गये हों तो हमारा क्षेत्र मुगलसरांय है वहां पर एक भी पेड़ नहीं लगा है। वहां रेंजर से लेकर डी0एफ0ओ0 वगैरह सभी लोग हैं। मान्यवर, एक प्रश्न यह है कि नेशनल हाई-वे पर जो डी0एफ0ओ0 और रेंजर लगाये गये हैं चेकपोस्ट बनाकर, वह वहां से निकलने वाले कोयले के ट्रक वालों से 4-5 सौ रुपए की वसूली कर रहे हैं क्या वह राजस्व में आता है और क्या उसकी रशीद दी जाती है क्या यह उसके संज्ञान में है यदि है तो इसका जवाब दें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य कह रहे हैं कि रेंजर और डी0एफ0ओ0 की चौकी बड़ी सड़क के किनारे होने के नाते कोयला ले जाने वाले ट्रकों से वसूली करते हैं।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, वसूली पर हमारी सरकार ने पूरी रोक लगाई, पिछली सरकार ने यह प्रथा शुरू की थी। वनों का भी यही हाल था कि कितने पेड़ कटवाये थे, कितने कीमती पेड़ कटवाये थे, जिसकी वजह से पर्यावरण असन्तुलन पैदा हुआ है। हम इतना भरोसा देते हैं कि वसूली नहीं होगी अवैध कटाई नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष-

भाषण नहीं कीजिएगा केवल स्पष्टीकरण पूछ लीजिए।

श्री कुंवर कौशल सिंह-

ठीक है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हमारा पूरा जिला महराजगंज वनक्षेत्र में आता है और सेंचुरी के अन्दर आता है। विगत सरकार में पूरा कैम्पियरगंज का इलाका अगर जंगल के अन्दर जाया जाये तो पूरा खोखला नजर आता है, पूरे पेड़ कहां गए ? इसकी आज तक कोई जांच नहीं हुई। दूसरा, सवाल यह है कि आज हालात यह है कि वन क्षेत्र के जानवर आ करके हमारे किसानों के फसलों को ही नहीं, कितने आदमियों को मारे, कितने लोग घायल हुए, इसकी कोई गिनती नहीं है। हम लोगों ने ले जाकर अस्पतालों में दवा कराया। क्या इन जानवरों से मार खाने वाले लोगों की दवा की व्यवस्था वन विभाग के द्वारा की जायेगी या नहीं की जायेगी ? तीसरा सवाल है कि वन टांगिया के लोग रहते हैं और जंगली इंसान की तरफ अपना जीवन-यापन कर रहे हैं। उनके लिए कोई भी मौलिक सुविधा उपलब्ध नहीं है। क्या उनके बच्चों को पाठशाला या किसी आज की व्यवस्था से लाभान्वित कर सकते हैं की नहीं कर सकते हैं और हम यह चाहेंगे कि पूरे जंगल को अगर वन सेंचुरी के जंगल को कंटीले तार या बाड़ से मनरेगा या किसी व्यवस्था से घेर दिया जाए तो वन अपने-आप सुरक्षित रहेगा, इस पर सरकार का क्या रुख है ?

श्री शिवपाल सिंह यादव- मान्यवर, जांच करा ली जायेगी और प्रभावी कार्रवाई करा दी जायेगी।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

माननीय अध्यक्ष जी, एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

बैठ जाईये, कुछ नहीं।

श्री महावीर सिंह राणा-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने यूकिलिप्टिस और पापूलर का बताया है कि वह फ्री है, किसान उसको काट सकता है। मैं आपके माध्यम से मात्र इतना अनुरोध करना चाहता हूं कि हरियाणा में यूकिलिप्टिस और पापूलर कृषि उपज है और हमारे यहां वन उपज है तथा 38 रुपये प्रति टन यूकिलिप्टिस और पापूलर पर वन का टैक्स लगता है, उसको माफ कर देना चाहिए। एक छोटा सा प्रश्न और है माननीय मंत्री जी ने बताया कि 100 रुपये का एन0एस0सी0 डाकखाने में जमा होता है परन्तु यह अधिनियम 14.05.20120 का है। 200 रुपया कटान का भी लगता है, 100 रुपये के अलावा 200 रुपया और लगता है, इस प्रकार 300 रुपया इमारती लकड़ी पर लगता है। लोग

300 रुपया न दे करके फिर रिश्वत देते हैं तो मेरा कहना है कि जो 200 रुपया कटान का लगता है वह माफ कर दिया जाए और 100 रुपये का एन0एस0सी0 जमा होता है उसी को रखा जाए।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी आपका कहना है कि हरियाणा में यूकिलिप्टिस और पापूलर कृषि उपज माना गया है, वन उपज नहीं माना गया है और वन उपज होने के नाते प्रतिटन 38 रुपये टैक्स देना पड़ता है तो क्या वह यहां माफ हो सकता है ?

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

माननीय अध्यक्ष जी, केवल एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

बैठ जाईये, अब कुछ नहीं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-60-वन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के अनुदान संख्या-60-वन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 7,01,52,47,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

[6-24] कुम्भ मेले में श्रद्धालुओं के साथ दिनांक 10 फरवरी, 2013 को घटित घटना को दृष्टिगत रखते हुए उचित व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में नेता विरोधी दल, श्री दीपक पटेल, श्री हुकुम सिंह तथा श्री सतीश महाना द्वारा नियम-56 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नियम-52 के अन्तर्गत डेढ़ घण्टे की चर्चा

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी इसमें कोई जुडीशियरी की कोई न्यायिक जांच वगैरह तो नहीं बैठी है ?

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, ऐसा है क्योंकि न्यायालय में भी मामला है और कुछ बिन्दु ऐसे हैं जिसमें मेरे ख्याल से न्यायालय के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। मैंने इसकी पूरी रिपोर्ट, हालांकि यह रिपोर्ट वह है जो मुझे सदन में जवाब देना था, लेकिन कोई बात छुपाने की न तो सदन से है न आपसे है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, इसमें दो मिनट मौर्या जी कह लेंगें तब आप रखेंगे तो चर्चा हो जायेगी।

श्री मोहम्मद आजम खां-

नहीं मान्यवर, मैं यह चाहूंगा, जैसा कि फरमाया मामला न्यायालय में है तो चर्चा न करके आप कुछ कह दीजिए। मैंने रिपोर्ट दे ही दी है। कोई खास बात पूछनी हो तो पूछ लें, मैं जवाब दे दूंगा। कोई चीज छुपाने की नहीं है, कुछ भी नहीं है। रिपोर्ट तो मैं आपको दे ही चुका हूं।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

माननीय अध्यक्ष जी, कुम्भ मेला हादसे पर चर्चा करने के लिए आपने अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं और इस कुम्भ हादसे के दो पहलू हैं। एक पहलू है रेलवे हादसा और एक पहलू है महाकुंभ प्रांगण के अन्दर सेक्टर 12 में हुआ हादसा और उसी दिन बड़े हनुमान मंदिर से बांध रोड को जाने वाली सड़क पर बैरीकेटिंग खोल देने से हुआ हादसा। यहां पर चूंकि सेक्टर 12 जो संगम तट पर है वहां पर पुलिस ने भीड़ नियंत्रित करने के बजाय लाठीचार्ज किया जिसके नाते भगदड़ मची और झूंसी की ओर, लोग भागने की कोशिश किए झूंसी से भी भीड़ बड़े पैमाने पर आ रही थी नतीजा यह हुआ कि वहां दलदली जमीन थी दलदल में फंस जाने से तीन लोग की तो दबने और दम घुटने से उनकी मौत हुई साथ ही साथ दो लोगों की और मौत हुई। दूसरी घटना उसी दिन उसी समय सेक्टर नम्बर 12 में घटी यह सुबह पांच बजे भोर की घटना है। हनुमान मंदिर बंधे रोड पर जो बैरीकेटिंग खोलने की घटना घटी वह मान्यवर, दोपहर बारह बजे की घटना है। इस तरीके से इसमें भी अनेक लोग मौत के शिकार हुए लेकिन पांच -छह लोग उसमें ऐसे चिन्हित हुए जिनके मौत की जानकारी सरकार को है सरकार के संज्ञान में भी है। चूंकि रेलवे हादसा एक बहुत बड़ा हादसा हो गया इसलिए महाकुंभ प्रांगण के अंदर जो हादसा हुआ वह बड़े हादसे के सामने नजरंदाज कर दिया गया। उससे जो भुक्तभोगी परिवार रहे उनकी अनदेखी कर दी गई। इसीलिए चर्चा कराने की आवश्यकता पड़ी कि इसका एक पहलू बिल्कुल छूटा जा रहा है एक पहलू पर तो विचार किया गया उसकी न्यायिक जांच के लिए आदेश भी हुए लेकिन दूसरी घटना जो सेक्टर बारह और हनुमान मंदिर के बंधे घाट पर घटित हुई सुबह 5 बजे दोपहर 12 बजे इससे जो लोगों की मौत हुई उन तथ्यों को छिपाया गया।

श्री अध्यक्ष-

पहले मंत्री जी स्पष्टीकरण दे दें उसके बाद चर्चा शुरू हो।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, यदि इसमें आप चर्चा आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप चर्चा आगे बढ़ा दें। लेकिन तथ्य सामने आने चाहिए। मान लीजिए सरकार के संज्ञान में तथ्य आएंगे ही नहीं तो माननीय मंत्री जी जवाब क्या देंगे।

श्री अध्यक्ष-

नियम यह है कि जो प्रस्तावक होंगे वह संक्षेप में चर्चा का प्रस्ताव रख देंगे माननीय मंत्री जी उसमें संक्षिप्त उत्तर देंगे फिर सदन में जिसको बोलना होगा वह अपनी बात रखेगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर हम जब तक अपनी पूरी बात रखेंगे नहीं तो माननीय मंत्री जी उत्तर कैसे देंगे। इसीलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि हम मुख्य बिन्दुओं को यहां पर इसलिए रखना चाहते हैं जिससे सरकार के संज्ञान में आए। मान्यवर, जिस घटना को छिपाया गया जो घटना सरकार के संज्ञान में नहीं लाई गई उस घटना के बावत मैं विशेष रूप से यहां पर अपनी बात रखना चाहूंगा। अध्यक्ष जी जैसा कि मैंने आपके माध्यम से निवेदन किया सेक्टर नम्बर 12 में भरवारी खालसा जो कैम्प लगा था उसके पास यह घटना घटी जिसमें पांच लोगों के मरने की जानकारी

आई और तीन लोगों की मौत दम घुटने से हुई। मेडिकल परीक्षण में उनको यह बताया कि दबने के नाते हार्ट अटैक हुआ और हार्ट अटैक से तीन लोग मारे गये। ऐसे मरने वाले लोगों के नाम भी मेरे पास हैं। पहला इस हादसे के जो शिकार हैं उनका नाम है गोविन्द राज, उम्र 62 वर्ष, निवासी विजय नगर जिला 24 परगना पश्चिम बंगाल, सेवानिवृत्त कर्मचारी यूनियन बैंक आफ इंडिया। दूसरे इसमें जिनकी मृत्यु हुई उनका नाम है तेलू राम उम्र 55 साल, ग्राम बिजपुर थाना कितना जिला करनाल हरियाणा। मान्यवर, यह घटना जो ऊपर सेक्टर नम्बर 12 पर घटी दलदली जमीन के नाते और पुलिस के लाठी फटकारने के बाद जो घटना घटी यह उसका दृष्टान्त है।

दूसरी घटना जो मान्यवर, बांध से हनुमान मंदिर को जाने वाली बैरेकेटिंग को खोलने से घटी थी वहॉ मान्यवर, तमाम श्रद्धालु गिर कर जख्मी भी हुए और साथ ही साथ मान्यवर, उनको उपचार के लिये अस्पताल भी भेजा गया। ऐसा नहीं है मान्यवर कि उनको बिल्कुल सरकार के संज्ञान में न हो। यह सरकार के संज्ञान में है इसीलिये मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि जो बांध और हनुमान जी के मंदिर की तरफ लोग जख्मी हुए उसमें भी 3 लोगों की मौत हुई जो वहां अस्पताल में गये बकायदा एम्बुलेंस से गये। सरकारी एम्बुलेंस ले गई और वहां उनका उपचार हुआ और अस्पताल में मृत घोषित किये गये। यह सब दबने से मृत हुए जब भगदड मची। एक सावित्री देवी निवासी केदारखाना जिला सफतरी, नेपाल की 70 वर्ष उम्र है। दूसरी हैं कौशल्या, पत्नी मुदानी लाल, निवासी महाराजगंज हैदराबाद। तीसरे हैं रघुनाथ झा, उम्र 70 वर्ष निवासी आन्ध्र प्रदेश। और मान्यवर, एक तो आपके बगल की है, संत कबीर नगर ग्राम पोस्ट बभनौली घनघटा जो शिव प्रताप सिंह अपने परिवार के साथ और ग्रामवासियों के साथ गये थे नहाने। मान्यवर, जब वह गायब हुए और उनके परिवार के लोग खोजने लगे तो हादसे के स्थल के बगल में वह गिरे पड़े थे। वहां जब देखा लोगों ने कि यह तो सांस आना जाना बन्द हो गई तो उनको एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल ले गये जहां डाक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। मान्यवर, इसका तो संज्ञान में..

श्री अध्यक्ष-

मौर्य जी शार्ट कर दीजिये। डेढ़ घंटे का है। सभी लोगों को बोलना है। दो महत्वपूर्ण बिन्दु रख दीजिये फिर मंत्री जी भी रख दें फिर जिसको बोलना है। वह बोल लेगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

जी मान्यवर, इसीलिये शार्ट कर रहा हूं। यह सुनीता सिंह उनकी पत्नी है, उनका आवेदन पत्र है मैं इसको अलग से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के संज्ञान के लिये भेज दूंगा। इसलिये मान्यवर, दो प्रकार से हादसे हुए। यह तो वह हादसे हुए जिसको छिपाया गया। दूसरी चीज चूंकि जो रेलवे पर घटित हुई है, मैं कोई ऐसी चीज यहां नहीं रखूंगा जो न्यायिक जॉच को प्रभावित करे या जो माननीय न्यायालय के सम्मान के विपरीत हो। हम केवल दो प्रश्न छोड़ना चाहेंगे। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, रेलवे हादसा हुआ, रेलवे जिम्मेदार है या प्रदेश जिम्मेदार है यह तो आप लोग आपस में बैठकर तय करेंगें लेकिन मैं दो तीन प्रश्न छोड़ दे रहा हूं जिसके परिप्रेक्ष्य में आप जवाब देंगे। रेलवे प्रशासन ने अनुमानित भीड़ के मद्देनजर ट्रेन की व्यवस्था की थी कि नहीं ? दूसरा यात्रियों को ट्रेनों के आवागमन की सूचना देने की पर्याप्त व्यवस्था थी कि नहीं ? तीसरा रेलवे प्रशासन और मेला प्रशासन के बीच आपसी तालमेल था या नहीं। चौथा मेला प्रशासन ने घाटों से लोगों को जल्दबाजी में

भेजा जिससे स्टेशन में भीड़ जमा हो गई, क्या स्टेशन पर उसको नियंत्रण करने की व्यवस्था थी कि नहीं ? पांचवां क्या रेलवे प्रशासन को भीड़ का अनुमान था, भगदड़ रोकने की व्यवस्था पहले से थी कि नहीं। छठवां मान्यवर, स्टेशन पर रेलवे पुलिस ने लाठियां चलाईं वह किसके आदेश पर चलाई ? सातवां रेलवे प्रशासन और मेला प्रशासन ने आपदा प्रबन्धन पर आपस में सलाह मश्विरा किया था कि नहीं ? आठवां क्या स्टेशन पर हादसे से निपटने के लिये पर्याप्त व्यवस्था थी कि नहीं ?

श्री अध्यक्ष-

कितने सवाल हैं ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

नवां हादसे के तत्काल बाद घायलों के इलाज और शव उठाने की व्यवस्था थी कि नहीं और अंतिम लखनऊ समेत कई स्टेशनों पर इसके पूर्व जो घटना घटी थी क्या उसको ध्यान में रखकर व्यवस्था का चाक चौवन्द का काम किया गया था कि नहीं ? हमने ऐसे कुछ बिन्दू छेड़े हैं, यह जो बड़ा हादसा हुआ, यह केवल सरकार के लिए नहीं, यह महाकुंभ उत्तर प्रदेश में था, इलाहाबाद में था, बहुत ही ऐतिहासिक स्थान और ऐतिहासिक कार्यक्रम है सन् 1954 के बाद वहां पर ऐसी घटना घटी जिसने लोगों को एक ऐसा संदेश दिया, जिससे श्रद्धालु भयभीत हुए। ऐसे बिन्दू हमने इसलिए छोड़े कि इन पर विचार करते हुए और जो माघ मेले में मौतें हुई हैं इस पर सरकार जवाब देगी।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी इसमें संक्षिप्त में कहेगें तब बाकी सारे लोग चर्चा करेंगे।

श्री हुकुम सिंह-

जवाब दे देंगे तो चर्चा काहे की होगी। यह कौन सी व्यवस्था है।

श्री अध्यक्ष-

नियम यही है।

श्री हुकुम सिंह-

चर्चा पहले भी हुई है।

यह कौन सी व्यवस्था है मुझे तो पता नहीं है। चर्चा पहले भी हुई है। वैसे आप जैसा चाहे कर दें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

इसमें कोई एतराज नहीं है।

श्री हुकुम सिंह-

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी भी सहमत हैं। पहले चर्चा करायें। बाकी जैसा आप चाहे वह करें। हम तो जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप क्यों जा रहे हैं बैठिए, मेरा अनुरोध स्वीकार करिए। यह नियम है।

(श्री हुकुम सिंह ने अपने दल के सदस्यों के साथ सदन से बर्हिगमन किया।)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

संसदीय कार्य मंत्री जी अलग-अलग सबकी बातों का अलग-अलग उत्तर थोड़े ही देंगे।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी पहले संक्षिप्त उत्तर देंगे। इसके बाद पूरी चर्चा होगी उसके बाद वह उत्तर देंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां-

नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बात रखी जो सोच है उनकी, मैं तो आपसे यह आग्रह करना चाहता था कि मेरे पास जो जवाब है उसकी एक कापी मैंने नेता प्रतिपक्ष को भेज दी थी। वह हमारे जवाब देने के लिए थी, लेकिन सदन से कुछ छिपाना नहीं चाहते थे। मगर भारतीय जनता पार्टी वाकआउट कर गई। इसलिए नहीं कि वह जवाब से मुतमइन थी या गैर-मुतमइन, बल्कि इसलिए कि जितनी कामयाबी से महाकुम्भ हुआ और शायद उन्हें यह बात बुरी लगी कि अर्धकुंभ का अध्यक्ष भी एक मुसलमान था और महाकुंभ का अध्यक्ष भी एक मुसलमान था। मैं चाहता था सुनते उन्हें..

(मेजें थपथपाई गईं।)

श्री अध्यक्ष-

नियम यही है। नियमावली देख लें, मैं नियमावली दिखा दूं ताकि लोगों के मन में संदेह न रह जाए।

श्री मोहम्मद आजम खां-

हम तो बैठना चाहते थे।

श्री अध्यक्ष-

मैं तो रिक्वेस्ट भी कर रहा था लेकिन वह चले गए।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, सुनने वाले हैं नहीं, तो किसको सुना रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

आपको भी बता दें कि नियमावली में यह है-'अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों पर थोड़े समय के लिए चर्चा,' नियम-56 की सूचना नियम-52 में परिवर्तित हुई। नियमावली में लिखा है- कि-'जिस सदस्य ने सूचना दी हो वे संक्षिप्त वक्तव्य दे सकेंगे और मंत्री संक्षेप में उत्तर देंगे। किसी अन्य सदस्य को भी चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी जा सकेगी। विषय पुरःस्थापित करने वाले सदस्य को उत्तर देने के लिये दूसरी बार बोलने की अनुज्ञा दी जा सकेगी और सम्बद्ध मंत्री का अंतिम कथन होने पर चर्चा समाप्त हो जाएगी।' यही लिखा है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष ने 10-2-2013 में जो घटना घटित हुई इलाहाबाद में, उसके बारे में अपने विचार रखे हैं 2013 का सफल आयोजन हुआ और ऐतिहासिक तैयारियां हुईं मान्यवर, इसके लिए नेता सदन ने और प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने कई महीने पहले से इसकी

तैयारियां शुरू कर दी थीं। 26 आपातकालीन योजनायें बनाई गईं। 15 योजनायें इलाहाबाद शहर के लिए, और 11 योजनायें मेला क्षेत्र के लिए, मान्यवर, इसके अध्यक्ष होने के नाते मैं समय-समय पर जाता रहा, और बहुत बारीकी से देखता रहा और कोशिश करता रहा कि यह अच्छी तरह से हो, सफाई की व्यवस्था अच्छे टायलेट हों, उनमें गन्दगी न रुके, तकरीबन 58 किलोमीटर के रेडियस में एक नया शहर बसाया गया और यह कुदरत की तरफ से कहिए कि नदी ने अपना रुख बदल लिया और हमें भी इन्तजाम करने में आसानी हो गयी। बहुत बड़ा इलाका नदी के रास्ता छोड़ देने से हमें मुहैय्या हुआ। लेकिन 58 कि0मी0 के रेडियस में एक शहर को बसा कर वहां इतना बड़ा स्नान कराना यह खुद में बहुत बड़ा चैलेंज था, बहुत बड़ी चुनौती थी। दुनिया भर में इस सफल आयोजन की तारीफ की है, हालांकि अखबारों का, समाचार-पत्रों का, मैगजीन का संज्ञान नहीं लिया जाता, मैं सदन में कहता रहा हूं और कह रहा हूं लेकिन जिस तरह की रिपोर्टिंग हुई है और जैसा समाचार-पत्रों ने लिखा है, यह हमारा दुर्भाग्य कहिए कि एक ऐसा नाखुशगवार वाकिया हुआ जिसकी वजह से आप उन बातों का जिक्र करने लगे जो या तो हुई नहीं या इतनी बड़ी भीड़ में कहीं नजर नहीं आयीं। साढ़े तीन करोड़ लोग एक वक्त में जमा हों और मान्यवर, यदि नेता प्रतिपक्ष चाहेंगे तो मैं यह भेजूंगा, ह्यूमन सुनामी जैसे कहिए, इन्सानों के सरों का समंदर और ऐसा समंदर जिसकी सिर्फ कल्पना की जा सकती हो, वह जमा हुआ हो, मेले के अन्दर कोई भगदड़ न हुई हो, दबने-कुचलने से कोई मौत न हुई हो, इतने बड़े इलाके में बिजली की व्यवस्था और सोने पर सुहागा कि तूफान भी आ गया और मूसलाधार बारिश हुई और किसी एक व्यक्ति को शार्ट-सर्किट से कोई झटका न लगा हो, न मेले में, न जहां स्नान होना था वहां, न ही किसी तट पर, कोई वाकया पेश नहीं आया। मान्यवर, आप जिस बात का जिक्र करना चाहते हैं, एक नाले के करीब दो लोग गुजर रहे थे और उनकी स्थिति के बारे में क्योंकि मामला अदालत में है, कहना भी नहीं चाहेंगे, एक साहब गिरने लगे, उन्हें रोकने के लिए दूसरे साहब ने हाथ पकड़ा और दो लोग नाले में गिर गए। मेडिकल रिपोर्ट से एक मौत हार्टअटैक से और दूसरी पानी और दलदल में दम घुट जाने से हुई।

इस हादसे के अलावा एक हादसा जो सिलेण्डर के फट जाने से और वहां की नादानी से हुआ कि जलते हुए सिलेण्डर को उठा कर दूसरी तरफ फेंक दिया गया, जिससे टेण्ट जले और उससे लोग जलकर झुलसे। यह कुछ ऐसे वाकिए हैं, मान्यवर, जो कुदरती तौर पर इस तरह हो जाते हैं कि इनके होने की इत्तला नहीं होती है। यह तो बहुत बड़ा जमावड़ा था, हज में 30, 40, 50 लाख लोग होते हैं। आपको याद होगा, मीना का हादसा हुआ था, कितने लोग जलकर मरे थे, पूरी दुनिया के। मक्का और मदीना दोनों में 5 वक्त की नमाज इधर और 5 वक्त की नमाज उधर होती है और हर नमाज में मरने वालों के जनाजों की एक लाइन लगी होती है। जो लोग गए होंगे, उन्हें मालूम है, उसमें 25 साल, 20 साल, 18 साल, 50 साल, 80 साल और ऐसे-ऐसे सेहतमन्द नौजवानों की लाशें रखी होती हैं कि इस बार जब मैंने मस्जिदे नबवी में जब वह लाशें देखी तो खुद मुझे लगा कि मेरे दिल में कुछ दर्द हो रहा है, इतने खूबसूरत नौजवान। क्या वजह रही, उनकी मौत की ? किसी की दम घुटने से, किसी की नार्मल हार्टअटैक से तो इतनी कम भीड़ के मुकाबले में वहां कोई नमाज ऐसी नहीं होती जहां इज्तेमाई जनाने की नमाज न होती हो। लेकिन यह बड़े हैरत की बात है कि इतनी बड़ी तादाद के बावजूद वह मंजर जो हमें वहां देखने को मिलता था, हर नमाज में वह मंजर हूं एक बार भी नहीं

हुआ। बल्कि मैं तो समझता हूं कि यह शायद इसी वजह से नहीं हुआ कि अगर इतनी बड़ी तादाद में इस तरह की कोई बात होती तो गलतफहमियों की बिना पर न जाने क्या माहौल बन जाता। हम यह नहीं कहते कि समाजवादी पार्टी का कोई कारनामा है। हम यह नहीं कहते कि यह उत्तर प्रदेश की सरकार का कोई कारनामा है। क्योंकि करोड़ों लोगों को व्यवस्थित रखना उनका आना, रहना, स्नान करना और उनका खैरियत से वापस चला जाना कुदरत के करम के सिवा और कोई वजह हमारी समझ में नहीं आती है। इंसानी कमियां और इंसानी गलतियां हर जगह रहती हैं और हो सकता है कि वह कहीं हुयी हों। लेकिन वह कमियां किसी अखबार ने किसी मैगजीन ने नहीं दर्शायीं। हां इतना जरूर हुआ जो आजकल सिलसिला है। दौड़कर गला दबा देने का, गौंज पहले जाकर गला दबा दे और उसकी खबर आ जाये। वह तो जरूर हुआ और आप सबको जानकर खुशी होनी चाहिए। और यह हम राजनीतिक कारणों से नहीं कह रहे हैं। क्योंकि यह आयोजन पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल साबित हुआ है और हिन्दुस्तान यह साबित करने में कामयाब हुआ है कि वह इतनी बड़ी तादात को व्यवस्थित रखने और इतना बड़ा मजहबी आयोजन कराने में कामयाब हो सकता है।

पूरी दुनिया ने इसकी तारीफ की है। और दुनिया की सबसे बड़ी हावर्ड युनिवर्सिटी वहां से शोध के लिए यहां एक टीम आयी उस टीम ने यहां पर जायजा लिया और इस हादसे के बाद उन्होंने अपने यहां रिपोर्ट सबमिट की और उस रिपोर्ट के नतीजे में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री को और हमें हावर्ड युनिवर्सिटी से दावतनामा आया है। सिर्फ इसलिए कि हम इतना बड़ा आयोजन करने में कामयाब हुये हैं। इस पर सभी को खुश होना चाहिए। हम जायेंगे नहीं जायेंगे यह अलग बात है लेकिन वहां से सिर्फ इसलिए कि हम इतना कामयाब आयोजन कर सके हैं हमको उन्होंने अपने खर्च पर बुलाकर अपना मेहमान बनाने की पेशकश की है। पचास नई ट्रेनें चलाने की रिक्वेस्ट की गयी। और सिर्फ जुबानी जमाखर्च नहीं हुआ मुख्य सचिव का 16 मई का मेरे पास यह पत्र है। जिसमें पूरा प्रोग्राम भेजा गया। उसके बाद मुख्य सचिव का दूसरा पत्र भेजा गया। वहां क्या हुआ। ट्रेन खचाखच भरी हुयी और इंतजार हो रहा है कि टिकट और बिक जायें। टिकट तो बिके नहीं ट्रेन कैसे चल दे। चंद सौ टिकट बिके, कौन खरीदता उस भीड़ में। कौन खिड़की तक जा सकता था। लिहाजा टिकट नहीं बिके थे इसलिए ट्रेन नहीं चली और जब ट्रेन नहीं चली तो रास्ता ब्लाक हो गया और दूसरी ट्रेनें नहीं आ सकीं। मान्यवर, बरा ए इनाम ट्रेनें आयीं। जो वायदा ट्रेनों को भेजने का किया गया था वह वायदा पूरा नहीं हो सका। और यही पूछा जाता रहा कि गाड़ियों में कितने मुसाफिर बैठ गये। जबकि मुसाफिरों से गाड़ियां बिलकुल खचाखच भरी हुयी थीं। बसों का अच्छी तरह से इंतजाम था। बसों से लोग गये। मान्यवर, 3 करोड़ 5 लाख श्रद्धालु आयेंगे। कितना सटीक अनुमान उत्तर प्रदेश सरकार का था। 3 करोड़ 5 लाख श्रद्धालु आयेंगे यह चिट्ठी रेलवे विभाग को लिख दी गयी थी। बार-बार मीटिंग्स हुयी थीं इस बात का वायदा किया गया था कि और एक्स्ट्रा ट्रेन चलायी जायेंगी। वह तो बहुत दूर की बात है। ट्रेनों की जो नार्मल रनिंग्स थीं वह भी नहीं हो सकी। क्षेत्र में 99 पार्किंग स्थल बनाये गये। 125 सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाये गये। खुद मान्यवर मैं जाकर के उन सीसीटीवी कैमरों को देखता था, उनकी स्क्रीन्स देखता था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई कैमरा काम न कर रहा हो और बहुत मुस्तैदी से वहां पुलिस के अफसरान बैठे हुए हर चीज को नोट करते थे। एक सौ से अधिक वाच-टावर्स लगाये गये, इत्तेफाक यह हुआ कि जब तैयारियां हो रही थीं तो वाच-टावर्स को मैंने देखा,

उनके जो बांस थे, मान्यवर वह मजबूत नहीं थे, ऊंचाई कम थी, यानी इतना माइन्यूटली आर्ब्जवेशन हुआ इस मेले का। वाच-टावर्स के पाये मजबूत किये गये, उनकी ऊंचाई बढ़ाई गई और मान्यवर, कोई तकलीफ न हो किसी को, क्योंकि रेत है वहां, पैदल चलने से भी बहुत रेत होता है वहां, मुसल्सल इस बात के लिए मेरा दबाव व्यक्तिगत बना रहा कि रेत नहीं उड़नी चाहिए, धूल नहीं उड़नी चाहिए और पानी का छिड़काव श्रद्धालुओं के लिए करते रहे कि किसी को कोई तकलीफ न हो। स्थाई रोडवेज बनाये गये, बस स्टेशन।

दो चीजें मान्यवर, ऐसी रहीं, शायद जो इस हादसे का हिस्सेदार बनीं और मैंनें जैसा कि आपसे अर्ज किया कि कितनी पुलिस रही, आपने कहा कि डायवर्जन नहीं हुआ, सी0सी0टी0वी0 कैमरा के स्क्रीन पर यह देखा जाता था कि भीड़ अब लिमिट से क्रास कर रही है तो हमे किधर डायवर्ट करना है। क्या आप समझते हैं कि दस तारीख की इस भीड़ को अगर डायवर्ट न किया गया होता तो रेलवे स्टेशन जहां इन्सानों को समाने की बहुत कम कूवत है, इस हादसे के बाद कितना बड़ा हादसा होता, कितनी बड़ी भगदड़ होती, शायद हम उसका अन्दाजा नहीं लगा पा रहे। मान्यवर, रेलवे स्टेशन के बाहर भारी मात्रा में रेलवे के अधिकारियों के बंगले हैं, मकानात हैं, हमने यह कोशिश की काफी पहले कि कोई ऐसा रास्ता निकले कि रेलवे स्टेशन के बाहर एक बड़े मैदान की व्यवस्था हो जाय, लेकिन हम इसमें कामयाब नहीं हो सके। बहुत कोशिश की आर्मी आफीसर्स से, बार-बार बैठक की, उनकी भी मजबूरी है मान्यवर, लेकिन आर्मी आफीसर्स ने हमारी बहुत थोड़ी मदद की । बहुत बड़े मैदान हैं, मैं नहीं समझ पा रहा हूं, अपने ही वतन में अपने ही देश में इतना बड़ा पर्व हो और डिफेन्स से जितना सहयोग मिलना चाहिए, उतना सहयोग न मिला हो, हम चाहते थे और आज भी चाहते हैं और अगर हमारे कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार हूंबैठे हैं, अगर यह सहयोग हमें मिल सके, जब हम अर्ध कुम्भ देख रहे थे और आप वहीं थे, यहां इस वक्त हैं, मैं यह भी बताऊंगा, यह जो हादसा हुआ, ऐसे हादसे, इसका मतलब यह हरगिज नहीं है कि हम कितनी जानें गईं उसकी कोई बराबरी कर रहे हैं। इन्सान यहां मरा तब इन्सान है, इन्सान वहां मरा तब इन्सान है। फर्क इतना है कि ये श्रद्धालु जिस आस्था के साथ आये थे, सरकार उनकी आस्था में बराबर से उनकी हिस्सेदार बनी हुई थी। मै बताऊंगा आपके जमाने में जो हादसे हुए, आपने क्या किया था। मान्यवर, मैंनें जब अर्ध कुम्भ हुआ तब एक सुझाव रखा था कि एक ऐसा ओवरब्रिज बने फूलाईओवर टाईप का कि बाहर से आने वाली बसों को हम उस पर से ले जायें और वहां पर वह स्टे करें, जहां स्नान के लिए उतरना है। सारे लोग सीढ़ियों से या लिफ्ट से जो बुजर्ग हों, वह नीचे उतर जांय और फिर यह बसें फोरलेन ओवरब्रिज हो फिर यह उसी ब्रिज से बसें आगे मैदानों में चली जांय। 80-90-100 साल के बूढ़े बुजुर्ग, औरतें किस तरह चल रहे थे, वह सबने देखा होगा। पहले तो बहुत दूर बसें रोकने का इन्तजाम था, लेकिन बहुत कोशिश करके हम करीब से करीब जितना करीब हम ला सकते थे, उन्हें लाये। जब आपकी सरकार आयी, बहुजन समाज पार्टी की तो हमारे उस फ्लाई ओवर के प्रपोजल को टर्न डाउन कर दिया गया, खारिज किया गया लेकिन अब हमने उसे बनाने के लिये उसका नक्शा तैयार कर लिया है और 200 करोड़ रुपया उसके लिये पहले से अलग रख लिया है। हमने ये तय किया है कि अगर इसमें 500 करोड़ तक भी खर्च होगा तो इस पैसे को करेंगे ताकि हमेशा के लिये यह मसला हल हो जाये कि लोग आयेंगे कैसे, पहुँचेंगे कैसे और जायेंगे कैसे। हमने ये भी विचार किया है कि हम वहाँ एक

बांध बनाये नदी के किनारे ताकि फिर नदी का डायवर्जन इस तरफ न हो सके जिधर से नदी हट गयी है लकिली, खुशनसीबी से और उसे सुन्दर बनायें। पिकनिक स्पॉट बनायें, वहां हरियाली हो, पक्के घाट हों क्योंकि इस तरह के पर्व रहती दुनिया तक वहां होते रहेंगे। इसीलिये हम ये भी चाहते हैं कि हमारे कांग्रेस के सदस्यगण हमें सहयोग करें इसमें कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो टेम्पररी बनती हैं वहां पर, पुल टेम्पररी बनते हैं, टायलेट्स टेम्पररी बनते हैं, रहने के लिये जो छोलदारियां बनती हैं वो टेम्पररी बनती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज्यादा दिनों के लिए आते हैं लेकिन 90 परसेण्ट लोग वो होते हैं जो सिर्फ स्नान करने लिये आते हैं और स्नान करने के बाद वापस चले जाते हैं। या तो वे चन्द घण्टे ठहरते हैं या ज्यादा से ज्यादा उनका एक रात का कयाम होता है और वो वापस चले जाते हैं, उनके लिये हम रैनबसेरे बनाना चाहते हैं, मल्टीस्टोरी बिल्डिंग बनाना हांस्टेल टाइप, बहुत-बहुत बड़े हॉल्स के साथ। मैंने बार-बार सदन में कहा है कि व्यवस्था के लिये अगर किसी भी तरह की पैसे की जरूरत होगी तो उत्तर प्रदेश सरकार किसी भी पैसे की पूर्ति में कहीं कोई कमी, कोई कंजूसी नहीं होने देगी। हम रहने के लिये हॉस्टेल बनाना चाहते हैं, परमानेण्ट टॉयलेट्स बनाना चाहते हैं।

मान्यवर, और मुस्तकिल पानी का निजाम, हमने बहुत हद तक बदलाव किया है। अर्द्धकुम्भ से पहले मान्यवर, टेम्पररी लाइन बिछाई जातीं थीं फिर वो खोली जाती थीं, फिर वो गायब हो जाती थीं, फिर नई लाइन आती थीं। बहुत इलाके में हमने परमानेण्ट लाइन बिछाई है तो हमसे कहा गया कि पानी में लाइन बिछाना मुमकिन नहीं है तो हमने कहा कि अगर ईरान से तेल की लाइन समन्दर पार करके हिन्दुस्तान आ सकती है तो एक नदी में पानी की लाइन क्यों नहीं बिछाई जा सकती, फिर उस पर काम हुआ और बहुत हद तक हमें कामयाबी मिली भी। हम और कामयाबी हासिल करेंगे। हम चाहते हैं बिल्कुल हम वहां एक मुश्तकिल इंतजाम कर दें पानी का, टॉयलेट्स का, रहने का और वो लोग जो बहुत बड़ी मात्रा में आयेंगे। आबादी बढ़ती जा रही है और बढ़ेगी आगे। आने वाले 20, 30 सालों में दोगुनी और तिगुनी आबादी हो जायेगी और कुम्भ फिर होगा, महाकुम्भ फिर होगा। अगर रेलवे स्टेशन के बाहर की जगह इतनी ही तंग रहेगी जो आज है तो ये हादसा फिर हो सकता है। हम होंगे, न होंगे, जाहिर है हम नहीं होंगे। हमारी सरकारें भी नहीं होंगी लेकिन जो भी होंगे। वो ये सोचेंगे कि जो लोग हमसे पहले थे उन्होंने इस समस्या की तरफ अपनी नजर क्यों नहीं रखी थी। लिहाजा रेलवे स्टेशन के बाहर बहुत बड़ी जगह होनी चाहिये, वहां पर बने हुये बंगलों को वहां से हटना चाहिये। आर्मी से सहयोग मिलना चाहिये और आर्मी से जमीन मुहैया हो जाना चाहिये। सिर्फ उतने दिनों के लिये, जब कुम्भ का मेला लगे और श्रद्धालु वहां पर आयें। मान्यवर, कोई एक शिकायत भी इसके अलावा कुम्भ मेले की, स्नान की और किसी बहन, बेटी के साथ, उसके किसी व्यक्तिगत अपमान की भी नहीं मिली क्योंकि बहुत सख्त था माहौल, बहुत नजर रखी जा रही थी। मनचलों को अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही उठा लिया जाता था। आपको सबको मालूम है कि उत्तर प्रदेश सरकार को यह प्रॉपोजल दिया गया कुछ कारोबारियों की तरफ से कि हम मेले को पर्दे पर दिखाना चाहते हैं पूरी दुनिया में उसे सख्ती से रोका गया। कहीं से आया था, यह प्रॉपोजल इसलिए कि जो लोग अपनी टी0आर0पी0 बढ़ाते हैं, जो लोग अपना कारोबार अपना धंधा बढ़ाते हैं उन्हें किसी की इज्जत-आबरू से कुछ लेना-देना नहीं होता, न उन्हें धार्मिक आस्थाओं से, न मजहबी रिवायात से कोई लेना-देना होता है। आपने देखा होगा कि किसी अखबार में, किसी टीवी के चैनल पर कोई ऐसी हल्की

तस्वीर देखने को नहीं मिली होगी, तो काबिले ऐतराज हो और जो किसी को शर्मिन्दा करने वाली हो। हम ये सारी बातें इसलिए आप से कह रहे हैं कि हमने उन नाजुक पहलुओं पर भी अपनी नजर रखी है, जिसका खामियाजा हम भुगत सकते थे, लेकिन क्योंकि यह धर्म से, मजहब से, आस्थाओं से, जुड़ा हुआ मामला था, और हम यह समझते हैं कि इसको पूरी दिलचस्पी, ईमानदारी, दयानत और मेहनत से करने में कहीं न कहीं, वह जो सबकी एक कुदरत है और जो सबका एक मालिक है शायद, वह हमारे इस अमल को पसंद करे और हमारी इस पसंदीदगी के बदले में हमें कुछ मिल सके। हमने पूरी नेकनीयती के साथ महाकुंभ को अंजाम दिया, रेलवे स्टेशन का हादसा जो कि बहुत दुःख देने वाला है। हम यह भी नहीं कहना चाहते कि उसमें पूरी तरह से रेलवे जिम्मेदार है। हादसा जिस तरह हुआ, वह सबको मालूम है कि सीढ़ी पर पैर फिसला, और उसके बाद सामान गिरने के बाद, जो कुछ हुआ, वह सब, एक भी जान अगर बेवजह किसी इंसान की जाती है, तो मेरे मजहबी अकीदे के एतबार से किसी एक बेगुनाह की जान नाहक जाना, गोया आलम-ए-इंसानियत का कत्ल हो जाना, यानि पूरी इंसानियत को मार देने के बराबर है और किसी एक बेगुनाह को बचा लेना गोया पूरी आलम-ए-इंसानियत को मारे जाने से बचा लेना है। वहां एक मौत भी अगर बेवजह हो तो जाहिर है वह बहुत बड़ा इल्जाम हैं हमारे ऊपर भी, सरकार पर भी, जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी किस पर है, यह अदालत तय करेगी, लेकिन हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, कि वह जो कुछ हुआ, वहां का कानून यह है कि अगर रेल की पटरी पर कोई वाकया, कोई हादसा हो जाए, तो उस वक्त तक उस हादसे के बारे में, अगर आदमी कट कर मर जाए, तो लाश उस वक्त तक नहीं उठायी जा सकती, जब तक रेलवे के अधिकारी नहीं आ जाते। इसलिए कैसे ट्रेनें आईं, कितनी आईं, कितनी नहीं आईं, यह जांच का बिन्दु है।

आम हालात में हम यह देखते हैं, क्योंकि हम तो, आपकी तरह और सब की तरह रेल से सफर करते हैं। बाई रोड चलते हैं ज्यादा, सरकार नहीं रहती है तो अपनी हैसियत में चलते हैं। वजीर बनने से पहले भी, जब एक रोज पहले हम शपथ लेने आए थे तो ट्रेन से उतरकर हम थ्री- व्हीलर से अपने दारुलशफा पहुंचे थे और यही हमारी जिंदगी का हमेशा चलन रहा है। रेलवे स्टेशन के इस हादसे को हम गंभीरता से इसलिए भी लेना चाहते हैं कि जब हम लोग रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, अपने आम सफर में और खड़े होते हैं ट्रेन के इंतजार में, एक आवाज आती है कि ट्रेन अब प्लेटफार्म नंबर-3 के बजाय प्लेटफार्म नंबर-9 पर आयेगी और ट्रेन पहुंचने वाली है। इस एनाउन्समेंट के साथ सामने से इंजन नजर आ जाता है और हम जैसे लोग जिन्हें आम लोगों से ज्यादा सहूलियतें मुहैया हैं, कम-से-कम एक गनर जरूर होता है। एक-दो लोग हमें पहुंचाने वाले भी होते हैं। हमारी यह समझ में नहीं आता कि हम प्लेटफार्म तक कैसे पहुंचेंगे ? हमारे साथ बुजुर्ग भी हो सकते हैं, हमारे साथ बीमार भी हो सकते हैं, और हम खुद भी बीमार हो सकते हैं, लेकिन उस हालत में सीढ़ियां चढ़कर किस तरह पहुंचा जाता है, ये सारे लोग सार्वजनिक जीवन में जीने वाले अच्छी तरह से जानते हैं और वहां ऐसा ही हुआ। इन सारी चीजों के साथ...

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी, अभी फिर आपको बोलने का अवसर फिर मिलेगा।

श्री मोहम्मद आजम खां-

इन सारी चीजों के साथ मान्यवर, मैं यह चाहता हूं कि मुझे फिर बोलने की जरूरत ही नहीं पेश आए।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, आपको जवाब देना पड़ेगा, जो ये लोग बोलेंगे, उसका उत्तर आप देंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी, हां, मान्यवर, मैं बिल्कुल उसका जवाब दूंगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि यह सही है कि मा0 उच्च न्यायालय के संज्ञान में है। मान्यवर यह सारे बिन्दुओं, जिन पर आज चर्चा हो रही है, इन पर माननीय न्यायालय को अपनी राय और अपना फैसला देना है। मैंने मात्र वह चीजें जो कुम्भ से और महाकुम्भ से जुड़ी हुई थीं उनके बारे में कहा है। मैं कोई मुकाबला नहीं कर रहा हूँ मान्यवर मैं मौर्या जी को बताना चाहता हूँ। दिनांक 28-09-2002 को चारबाग रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हुई दी, दस पुरुष मरे थे और चार महिलायें मरी थीं कुल 14 लोगों की मौत हुई थीं। मान्यवर, अगर महाकुम्भ में रेलवे का हादसा हुआ है तो बताये कि हमारी खता क्या है तो फिर इस चर्चा को खत्म कीजिए। दो-दो लाख रुपये मुआवजा दिया गया। दिनांक 03.10.2007 को रेलवे स्टेशन मुगलसराय में भगदड़ हुई उसमे पन्द्रह महिलायें मारी गयीं। घायल महिलाओं की संख्या 44 थी बच्चे तीन घायल हुए, 47 लोग कुल जख्मी हुए थें। ब0स0पा0 सरकार ने क्योंकि 2002 में दो लाख रुपये दे चुके थे और पांच साल के बाद आगे तरक्की हो गयी थी लेकिन सरकार ने उस दो-दो लाख रुपये की राशि को घटाकर एक-एक लाख रुपये कर दिया।

इसके बाद एक फिर हादसा हुआ 01 फरवरी, 2011 को यहां पर इस भगदड़ में नौजवान लोग नौकरी में भर्ती के लिए आये थे उसमें चौदह नौजवानों की मौत हुई। नौजवानों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया। तो मान्यवर, 2002 में दो-दो लाख रुपये, 2007 में इसे घटाकर एक लाख रुपये और 2011 में मुआवजा गायब। कोई जांच नहीं। 2007 में जांच की घोषणा हुई लेकिन जांच नहीं बैठाई गयी। वर्ष 2011 में 14 नौजवान लोगों की मौत की कोई जांच नहीं हुई मैं कोई मुकाबला नहीं कर रहा हूँ। लेकिन सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ। आपकी सरकार के काम करने का तरीका क्या था ? और समाजवादी पार्टी की सरकार का काम करने का तरीका क्या है। बल्कि वहां चन्द हजार लोग मौजूद थे जबकि यहां महाकुम्भ में उस दिन लगभग तीन करोड़, साढ़े-तीन करोड़ लोग मौजूद थे। मान्यवर, रेलवे का हादसा बहुत दुःखद है। सिलेण्डर से झुलसने वाले लोगों के प्रति दुःख है, नाले में गिरकर मर गये। दो लोगों के प्रति बहुत दुःख है। मान्यवर दुनिया में इस महाकुम्भ की सफलता को लेकर, उत्तर प्रदेश की सरकार को और भारत के तमाम लोगों को बड़ी अच्छी निगाह से देखा जा रहा है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि महाकुम्भ मेले पर बहस जरूर हो लेकिन कोई ऐसी बात न हो, कि लोग कोई और राय बनायें। मान्यवर, आज लोग इस महाकुम्भ पर शोध कर रहे हैं। इस पर पी0एच0डी0 एलाट हो रही है कि इतना बड़ा आयोजन कामयाब हो गया है। अगर हम लोग इस पर कुछ और कहेंगें तो वह लोग क्या राय बनायेंगें। दुनिया वाले हमें इस सफल आयोजन पर कामयाब समझते हैं वह कहीं अपनी गलती को तस्लीम करते हुए आपकी राय के साथ अपनी राय को

न मिला लें। अगर उन्होंने आपकी राय के साथ अपनी राय को मिला लिया तो फिर पूरे भारतवर्ष का बहुत बड़ा ऐतिहासिक नुक्सान होगा।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर मैं एक बात आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि नियम-56 में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ सदस्यों ने भी अपनी सूचना दी थी इसमें जो मद संख्या-9 पर लिखा है कि नियम-56 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं नियम-52 में परिवर्तित सूचना पर चर्चा तो इसमें श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री प्रमोद तिवारी तथा मेरा नाम नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

ऐसा नहीं है, इसमें भले ही न छपा हो लेकिन आपका नाम उसमें है।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, अभी मैंने बहुत तफसील से माननीय नगर विकास मंत्री जी और संसदीय कार्यमंत्री जी की चर्चा के बारे में सुना और उन्होंने बिन्दुवार जो टिप्पणियां करी और माननीय मौर्या जी की चर्चा को भी सुना। हम यह नहीं कह रहे हैं क्योंकि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए और यह एक बड़ा पर्व है, देश का पर्व था पूरी दुनिया में नाम हुआ पर जिस तरह से व्यवस्थाएं की गयी उसकी तारीफे भी की गयी और सब जगह तारीफे भी हो रही हैं पर 10 फरवरी को जो हादसा हुआ वह एक बदनुमा धब्बा इस पूरे कार्यक्रम में लग गया। जिससे कि आने वाली पीढ़ियों को भी जाग्रत होना पड़ेगा सोचना पड़ेगा क्योंकि इस हादसे ने बढ़ते हुए कदम जो महाकुम्भ की तरफ जा रहे थे उनको रोक दिया। इस हादसे के बाद आप देखिये कि कितने लोगों की गिनती कम हो गयी। मौनी अमावस्या के स्नान के बाद आपके यहां स्नान करने वालों की, धार्मिक श्रद्धालुओं की संख्या घटी। यदि स्थानीय प्रशासन इतनी बड़ी भीड़ को मौनी अमावस्या के दिन उस श्रद्धालुओं का मैनेजमेन्ट करता मूवमेन्ट के लिए और रेलवे स्टेशन की कैपेसिटी एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है उस स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए मूवमेन्ट को कंट्रौल करता तो यह हादसा टाला जा सकता था। यह कोई आरोप-प्रत्यारोप का मामला नहीं है। हम कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहे हैं। संजीदगी से बात कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

इस पर आरोप-प्रत्यारोप करने की जरूरत नहीं है जो सही जानते हो बता दो।

श्री प्रदीप माथुर-

जिस तरह से माननीय आजम साहब ने कहा कि ट्रेनों की व्यवस्था केन्द्र सरकार ने नहीं की इन्होंने जितना मांगा होगा उतनी करी होगी इन्होंने आरोप लगाया कि केन्द्र सरकार टिकट की बिक्रियों पर लगी रही। केन्द्र सरकार तो दुनिया भर का पैसा प्रदेश सरकार को देती है इस कुम्भ के लिए भी अच्छा-खांसा पैसा उपलब्ध कराया लगभग 1200 करोड़ रूपया उपलब्ध कराया पिछली सरकार में भी दिया और इस सरकार के शासनकाल में भी दिया इस बात को संसदीय कार्य मंत्री और नगर विकास मंत्री नकार नहीं सकते। केन्द्र सरकार की मंशा कभी नहीं रही, केन्द्र सरकार केन्द्र में बैठी हुई है और हम लोगों की सरकार प्रदेश में बैठी हुई है। किसी सरकार की मंशा नहीं होती कि देश का महाकुम्भ जिसमें देश के लोग, प्रदेश के लोग और दुनिया के लोग शिरकत करते है, देश और विदेश और

दुनिया भर के साधु-महात्मा, पुरुष, महिला, बच्चे स्नान करने आते हैं किसी की मंशा नहीं होती है तो मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं अपने पूरे विधान मंडल दल की तरफ से इस तरह की बात कि केन्द्र सरकार टिकट की बिक्रियों में लगी रही, बहुत छोटी बात है। और स्थिति यह है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि ट्रेनों की व्यवस्था केन्द्र सरकार ने नहीं की हो, इस बात को हम मान सकते हैं कि ट्रेनों का प्लेटफार्म, छोटा लिमिटेड स्टेशन है बाहर जगह कम है, मैदान में जगह कम मिली होगी और जैसे इन्होंने सुझाव दिया वह सुझाव यदि मान्य था तो आगे जो भी आपकी कमेटियों की बैठके हुई उसमें हम लोगों को भी बुला लेते, हम लोग केन्द्र सरकार पर दबाव डालते, चिट्ठी डालने से हमको पता है कि आपके यहां भी जब चिट्ठी आती है तो क्या होता है कोई जवाब तक नहीं आता है कोई इस बात का काग्नीजेंस ही नहीं लेता, काम नहीं होते रूटीन में मामले चले जाते हैं। चिट्ठिया भेजने से काम थोड़े ही हुआ करता है। यदि काम कराने होते तो रेल मंत्री से एप्वांटमेन्ट फिक्स करते, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के पास जाते, आगे पीछे अपने लोगों को भेजते तब वह ट्रेनों की व्यवस्था होती। मैं यह नहीं मानता कि केन्द्र सरकार इतनी इस मामले में संवेदन शून्य थी, वह संवेदनशील थी और अगर संवेदनशील नहीं होती तो इतना पैसा केन्द्र सरकार नहीं देती। मान्यवर, यह हादसा बहुत गम्भीरता से लिया जाना चाहिए जिस तरह से कुम्भ के अन्दर भगदड़ मची उसमें लोग शहीद हुए, जिस तरह से वह हनुमान मंदिर की तरफ से बैरीकेटिंग टूटने से गड़बड़ हुई उसमें हम उन सब लोगों को जो शहीद हुए, मैं इन्हें भी शहीद ही कहूंगा।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग शांत रहिये।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, हम बड़ी तफसील से सुन रहे थे आजम खां साहब जब बोलते हैं तो विधान सभा में सब सुनते हैं उनको और उनसे बहुत कुछ लोग सीखते भी हैं इसलिए सुनिये और आप लोग भी सीखिये। इसलिये यह मामला गंभीर है और इस मामले को ऐसे ही साफगोई तरीके से टाल देना या पूरे बातों को सिलसिलेवार बता देना, इससे काम चलने वाला नहीं है। यह महाकुंभ अगले 12 साल बाद आयेगा, जो कुछ भी इन्होंने बातें कहीं, अभी केन्द्र सरकार द्वारा दिया गया कुंभ का पैसा पूर्ण रूप से खर्च नहीं हुआ है, उसमें जो 200 करोड़ की बात कही, आप उस बचे हुये पैसे से 200 करोड़ का पुल बनाइये। आप ऐसी व्यवस्थायें करिये कि जो व्यवस्थायें सुचारु रूप से हो सकें। यह तो आप भाग्यशाली हैं कि जब कुंभ पड़ता है तो आपकी सरकार होती है और यदि आपकी सरकार नहीं होती, कोई दूसरी सरकार होती तो भी व्यवस्था करती। कौन ऐसी गैर जिम्मेदार सरकार होगी जो इतने बड़े पर्व की व्यवस्था न करें। चाहे केन्द्र में बैठी किसी की भी सरकार हो, चाहे प्रदेश में बैठी किसी की भी सरकार हो, इन मुद्दों की खुद वाहवाही करना शोभा नहीं देती । धर्म के नाम पर, प्रदेश के नाम पर, देश के नाम पर, दुनिया के नाम पर जो व्यवस्था की, उन व्यवस्थाओं को हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। पर जब आप बात करते हैं, हर बात के लिये केन्द्र सरकार को दोषी ठहराते हैं तो हम लोगों को भी पीड़ा होती है। आप लोग पैसा लेने के बाद भी मुकर जाते हैं। तो मान्यवर, यह चर्चा गंभीर है और इस मामले पर खाली कानून व्यवस्था सुदृढ़ होने की दुहाई नहीं देनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

यह चर्चा 7.40 तक चलेगी और 7.15 हो गये हैं। अब आप समाप्त करिये।

श्री प्रदीप माथुर-

इसमें घटना को पूरी गंभीरता से लेकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये। जो लोग इस मामले में शामिल थे, जिनकी लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ और जो केन्द्र सरकार का पैसा आया, उससे जाकर आप इलाहाबाद में देखिये, इतने बड़े पैसे में कुंभ के अलावा जो शहर में पैसा खर्च हुआ तो इलाहाबाद की तस्वीर ही बदल जाती। मान्यवर, इस मामले की भी जांच होनी चाहिये। अब मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अनुग्रह नारायण सिंह जी को बुलवायें।

श्री अध्यक्ष-

एक चीज ध्यान रखें, जो चीज न्यायालय से संबंधित हैं, उस पर आप लोग टिप्पणी न करें।

श्री गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, जिस तरह से इलाहाबाद में माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय आजम खां साहब के नेतृत्व में और माननीय पी0डब्लू0डी0 मंत्री जी के नेतृत्व में कुंभ मेले का आयोजन किया गया, यह हमारी 40 साल की राजनीति में मैनें बहुत बार कुंभ मेले देखे हैं, इतनी बड़ी सुविधा, इतना बढ़िया काम कभी नहीं हुआ। यही नहीं मान्यवर, मैं आपसे और निवेदन करना चाहता हूं कि इलाहाबाद में 18 पैन्टून पुल बनाये गये थे। इसके अलावा 156 किमी0 चर्कर्ड प्लेटें बिछाई गई थी, कोई साधु, कोई अखाड़ा ऐसा नहीं था, जिसकी गाड़ियों को आने जाने में कोई असुविधा हुयी हो। यह देन हमारे कुम्भ मेला आयोजन समिति के अध्यक्ष जी की है, माननीय आजम खां साहब की है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जिस कुंभ मेला की आप बात कर रहे हैं, 100 बेड का हास्पिटल हर सेक्टर में बनाया गया, 18 सेक्टर थे और एक-एक पी0एच0सी0 एक-एक सेक्टर में, सेक्टर मजिस्ट्रेट हर सेक्टर में और हर पुल पर एक-एक आई0पी0एस0 आफीसर लगाया गया था। हर पुल पर सी0सी0टी0वी0 लगा था, अगर कोई गलत आदमी चला जाता था तो उसकी मदद से उसको तत्काल पकड़ लिया जाता था। इतनी बढ़िया व्यवस्था कुंभ मेले में मैनें आज तक नहीं देखी। हमारे माथुर साहब कह रहे थे कि एक्सीडेंट के बाद भीड़ कम हो गयी, मैं उनको बताना चाहता हूं कि कोई भीड़ कम नहीं हुयी, आप पता लगा लें, सिर्फ एक दिन भीड़ कम हुयी, उसके बाद तो भीड़ फिर अपने आप इकठ्ठा हो गयी। किसी के बुलाने से कुंभ मेला में आदमी नहीं आते, यह धर्म का समय है, न कोई चिठ्ठी है, न कोई पत्री है, न कोई आपका अखबार है, हर आदमी जिस दिन जानता है कि मौनी अमावस्या है, अपने आप चला आता है। हमने क्या गलती किया, क्या नहीं हुआ, यह तो जांच का विषय है परन्तु मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि 2001 में इतने बड़े मेला में 96 किमी0 सड़क बनी थी, 2007 में 113 किमी0 सड़क बनी थी और 2013 में कुंभ में 145 किमी0 सड़क बनी। यह हमारे नेताओं की देन है। इस बार कुंभ में पेयजल के लिये 550 किमी0 पाइप लाइन बिछाई गयी थी, एक भी आदमी को पानी के लिये कोई भी असुविधा नहीं हुयी । इसी तरह से विद्युत लाइनों को 770 किमी0 बिछाई गया, स्ट्रीट लाइट की संख्या 22 हजार थी, निजी कनेक्शन लेने वालों की संख्या एक लाख थी। उपकेन्द्रों की संख्या 73 थी इस तरह पूरे मेले को हमारे अध्यक्ष जी ने जिस

तरह बांटकर रखा था, जितनी निगरानी रखी थी, इतना बढ़िया मेला, इतना शानदार मेला कभी नहीं हुआ। अभी हमारे अनुग्रह भाई बोलेंगे, इससे पहले मैं आपसे और निवेदन कर लूं कि मेला की व्यवस्था करने के लिये एक नैनी की तरफ रोडवेज का डिपो बनाया गया था, रींवा रोड पर एक रोडवेज का डिपो बनाया गया था, भरवारी रोड पर एक रोडवेज का डिपो बनाया गया था आपके लखनऊ रोड पर रोडवेज का डिपो बनाया गया था, झूंसी में रोडवेज का डिपो बनाया गया था। इस तरह से पूरी भीड़ को नियन्त्रित करने के लिए पूरी की पूरी कोशिश की गई थी। संयोग से यह दुर्घटना हो गई हमारे नेताओं पर इसका कोई आरोप नहीं है। हमारे नेताओं ने जैसा काम वहां किया है इससे पहले कोई नहीं कर सका है, धन्यवाद।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, कुम्भ मेला पूरे भारतवर्ष का बहुत ही ऐतिहासिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक मेला है। हम लोगों को गर्व है कि यह प्रयाग में सम्पन्न होता है। वैसे तो नासिक, उज्जैन और हरिद्वार में भी होता है 6 वर्ष में अर्द्धकुम्भ और उसके बाद 12 वर्ष में कुम्भ पूरे देश में होता रहता है। माननीय अध्यक्ष जी, आप जानते हैं कि यह पौराणिक काल से चला आ रहा है। तमाम सरकारें आईं, गईं, राजे-महाराजे, साधु, सन्त, महात्मा इस मेले का आयोजन करते रहे। अंग्रेजों के जमाने में भी अंग्रेजों ने इसकी व्यवस्था के लिए सहायता की। आजादी के पहले और आजाद के बाद जो भी सरकारें रहीं वह इस मेले का आयोजन करती रहीं। आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी व जनता दल की भी सरकार आई 1989-90 में उस समय भी आयोजन हुआ, फिर वर्ष 2006 में आजम भाई की सरकार थी इन्होंनें खुद इसे देखा तथा कुशलता व सफलतापूर्वक सम्पन्न कराया था। मान्यवर, इसमें 80 प्रतिशत लोग केवल आस्था और श्रद्धा से आते हैं उनको जो साधन उपलब्ध होते हैं उन्हीं के सहारे आकर व डुबकी लगाकर चले जाते हैं। लगभग 19.5% यहां साधु, सन्त, महात्मा कल्पवासी पूरे महीने भरे रहते हैं और मैं समझता हूं कि लगभग .2 प्रतिशत अधिकारीगण और वी0वी0आई0पीज0 रहते हैं। इस प्रकार से मेले का आयोजन होता है। इस बार भी तैयारी वर्ष 2011 से ही शुरू हो गई थी। केन्द्र सरकार ने वर्ष 2011 में जो सरकार थी प्रदेश में उनको लगभग 177 करोड़ रुपया दिया था और इससे वहां पर सड़कें कैसे बनेंगी, ओवरब्रिज कैसे बनेंगे, पीने के पानी की व्यवस्था कैसे होगी। ट्यूबवेल लगाने की बात है हालांकि वर्ष 2006 में सात ट्यूबवेल परेड ग्राउन्ड में जो आर्मी का एरिया है में लगा दिये गये थे, वह वहां पर सुरक्षित थे कि फिर अगले मेले में काम आयेंगे। इसी प्रकार से समय-समय पर भारत सरकार ने लगभग 12 सौ करोड़ रुपए दिये। पहले भारत सरकार और प्रदेश सरकार के बीच यह तय था कि 30 प्रतिशत भारत सरकार देगी और 70 प्रतिशत उत्तर प्रदेश सरकार को देना होगा। लेकिन जब समाजवादी पार्टी की सरकार आयी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने और भाई आजम खां साहब ने प्रधानमंत्री जी से बात की तो तय हुआ कि 90 प्रतिशत भारत सरकार देगी और 10 प्रतिशत उत्तर प्रदेश सरकार दे और मेले का सफल आयोजन कराये। जिसे मा0 मंत्री ने पूरा निष्ठापूर्वक प्रयास किया इसमें कोई दो राय नहीं है कि जहां पर इतने करोड़ लोग हों और इस तरह का हादसा हो जाए, कोई भी आदमी शरीर छोड़ता है तो दुःख की बात है लेकिन जिस तरह से आयोजन हुआ, व्यवस्था रही, कहीं न कहीं जो हम लोग हादसे की बात कर रहे हैं इसमें केवल जरा सा असहयोग या तालमेल न होने के कारण यह दुर्घटना हुई है।

जहां तक रेलवे हादसे का सवाल है, रेलवे का हादसा आप जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में प्रतिदिन 12 हजार ट्रेनें चलती हैं और उसमें प्रतिदिन 3 करोड़ 20 लाख लोग यात्रा करते हैं। अब इस कुम्भ में 3 करोड़ 50 लाख लोग आ गये, अब अगर रेल विभाग 12 हजार ट्रेनें भी एक दिन लगा देती केवल इलाहाबाद में, तब भी सबको एक दिन में नहीं ढो सकती थी। उसका नतीजा यह रहा कि हमारे मेला के जो प्रबन्धक लोग थे, वह चूक गये। यह बात सही है कि मकर संक्रान्ति और पौष पूर्णिमा में उतनी भीड़ नहीं हो पायी। लोगों को यह था कि आगे मौनी अमावस्या है। इस पर लोग जायेंगे और बहुत ज्यादा लोग उस दिन आ गये। मेले के अन्दर भी प्रबन्ध करना था और मेले के बाहर भी प्रबन्ध करना था। मेले के अन्दर के प्रबन्ध की बात यह रही कि लोगों को स्नान कराकर जल्दी से जल्दी लोगों को भेजा जा रहा था और एनाउन्समेंट हो रहा था कि आप लोग मेले के मैदान से बाहर जांय, स्टेशन जांए, बस स्टेशन जांय। जहां तक इलाहाबाद रेलवे स्टेशन की बात है 112 गाड़ियां प्रतिदिन वहां से गुजरती हैं, यात्री ट्रेन और माल गाड़ी मिलाकर, जहां तक 50 ट्रेन की बात थी, यह बात सही है कि हर आधे घण्टे में एक ट्रेन छूट सकती है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। उस दिन लगभग 48 से 50 ट्रेनों की व्यवस्था थी। लेकिन यह जो इसके पहले 30 जनवरी, 2012 को सभी विभागों की एक बैठक हुई थी और उसमें तय हुआ था कि जो हमारा रेलवे स्टेशन है, उसका दक्षिणी भाग लीडर रोड पर है और उत्तरी भाग नवाब यूसुफ रोड पर है सिविल लाइन्स एरिया है। उसमें तय हुआ था कि जो मेले की भीड़ आयेगी स्टेशन में पर वह लीडर रोड की तरफ से आयेगी, अन्दर प्रवेश करेगी। जहां ट्रेनें खड़ी रहेंगी उनको अलग-अलग बाड़ों में रोकते जायेंगें और जैसे ट्रेनें आयेंगी उनको बिठाया जायेगा। जो बाहर से ट्रेनें आ रही हैं उससे भी लोग उतरेंगे। वह लोग सिविल लाइन्स साइड की तरफ से उत्तर की तरफ से निकलेंगे और यही हो रहा था। सुबह से लेकर शाम 6.00 बजकर 50 मिनट तक। यह होता रहा सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहा लेकिन 6.51 मिनट पर जो सिविल लाइन साइड से किस तरह किसकी गलती हुई वहां पर जी0आर0पी0 भी थी, सिविल पुलिस भी थी और आर0पी0एफ0 के लोग भी था, पता नहीं किस तरह से करीब एक-डेढ़ हजार लोग इधर से इंट्री कर गये और आपके फुटओवर ब्रिज नं0-6 पर उधर से जो ट्रेन आयी थी उससे जो यात्री उतर रहे थे और इन लोगों के बीच में जहां सीढ़ी हैं वहां पर क्लैश हुआ। यह बात सही है कि सब लोग अपना सामान लिये रहते हैं, डगमगाये पैर फिसला, गिरे और लगभग 7 मिनट में यह सारी घटना हो गयी। उसके बाद चिकित्सा व्यवस्था नहीं हो पायी। फिर उसके बाद जो और भी चीजें हो सकती थी क्योंकि इतनी भीड़ भरी थी, न तो रेलवे कर सकता था, न दूसरे लोग कर सकते थे। हां, एक बात जरूर थी कि रेलवे की भी एम्बुलेंस होती है वह अगर खड़ी रहती तो जो 38 लोग काल-कवलित हुए उसमें कुछ कमी हो सकती थी। यह घटना एक तरह से दुर्भाग्यपूर्ण कहा जाए और इसके सिवा कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इसके बावजूद सबसे दुःखद बात यह थी कि एक दल विशेष के लोग जो यहां पर अभी सदन छोड़ करके चले गये हैं, यह लोग लाश पर सियासत करते हैं जिसको बहुत ही गन्दा माना जाता है लाकतंत्र में, वह होनी लगी। हम सभी लोग भाई सत्यवीर मुन्ना जी हैं, परवेज हाजी भी थे सब लोग अपनी-अपनी जगहों पर जो जहां था दौड़ा कि जो सहायता हो सकता है वह करें। स्वरूपरानी हॉस्पिटल में भी लोग लाये जा रहे थे, कुछ एम्बुलेंस से और कुछ गाड़ियों से भी आ

रहे थे, जिसकी व्यक्तिगत गाड़ी थी उससे भी लाये कि चलो जल्दी से घायलों का इलाज करायें। लेकिन यहां पर आने के बाद वह मान्यवर, चले गये जो बहुत पहले ही इनका हमने बयान सुना था तभी हमको लगा था कि इन लोगों के दिल में कुछ कालापन है। इस मेले का प्रबन्धक अध्यक्ष कौन है ? इस सम्बन्ध में सवाल उठाये। सार्वजनिक रूप से शक प्रकट कर रहे थे। प्रबन्धन कैसा रहा है यह नहीं देख रहे थे। इस सवाल को उसके पहले भी उठाया गया। उन लोगों ने हाफ पैंट पहन लिए जबकि जबरदस्त ठंड थी। हम लोग कोट स्वेटर सब पहने थे उस ठंड में भी यह लोग हाफ पैंट पहनकर कुछ लोगों को लेकर लगे हुए थे। स्ट्रेचर पर लादने लगे दिखाने के लिए फोटो ग्राफर्स को बुला लिया। कमिश्नर हैं श्री देवेश चतुर्वेदी जी वह भी लगातार लगे रहे। जो मृतक हैं उनको उनके घर तक कैसे पहुंचाया जाय कैसे एम्बुलेंस की व्यवस्था हो एम्बुलेंस नहीं तो गाड़ियों की कैसे व्यवस्था हो यह सारी व्यवस्थाएं चल रही थीं इसके बाद जिन्दाबाद मुर्दाबाद उसी दिन राहुल गांधी जी के यहां से फोन आया पूछा गया कि क्या घटना हुई हमने उनको बताया कि इस तरह से घटना हुई उन्होंने दूसरे दिन मा0 रेल मंत्री जी को भेजा माननीय निर्मल खत्री जी को भेजा कि जाकर देखिए। वह लोग आ रहे हैं और यह लोग नारेबाजी कर रहे हैं। वापस जाओ अन्त में जब उस तरह का सलूक किया गया तो यह लोग हटे। यह जो सियासत हुई यह गंदी रही । घटना हो गई वह बहुत दुखद है आगे इस तरह की घटनाएं न हों इसका हम लोग प्रबन्ध करें। इसको हम लोगों को बैठकर विचार करना होगा कहीं न कहीं कुछ गलतियां रही हैं। जैसे एक मानव स्वभाव होता है कि मन नहीं मिलता हम आपसे नाराज हुए तो ऐसा वैसा कह दो आप सेक्टर 12 की जो बात बता रहे हैं नेता प्रतिपक्ष जी वहां पर कुछ इस तरह की भगदड़ हुई थी। जल निगम और पी0डब्लू0डी0 विभाग आपसी तालमेल न होने के कारण वह थोड़ी सी दुर्घटना हुई थी। वहां पर लगभग 25 लोग एस.आर.एन हास्पिटल भेजे गए। जहां पर उनका इलाज हुआ कुछ बच सके कुछ नहीं बच सके। जो नहीं बच सके उनके लिए हम लोगों के दिल में दर्द है और उनके परिवार की हम लोग क्या क्षतिपूर्ति कर सकते हैं। जो हो सकता है किया जाय। मान्यवर, इस प्रकार इसमें किसी का दोष नहीं है आज जो धार्मिक मेला है ऐतिहासिक मेला है आस्था का मेला है वह आगे और चलता रहे किस तरह से उसमें प्रबन्ध किए जाएं। जैसे रेलवे क्रासिंग्स हैं जिसमें से होकर लोग गुजरते हैं उसके लिए केन्द्र सरकार ने पैसा दिया है। इस मेले के मद में तो हम माननीय मंत्री जी से चाहेंगे कि जो पैसे बचे हैं उनसे रेलवे ओवर ब्रिज बन जाय। और कुछ बांध बनने हैं जैसा कि आपने बताया कि गंगा की कटान रोकने के लिए । यह सही है कि मेला का प्रबन्ध करना बड़ा दुस्वार है। मा0 आजम खां ने तहे दिल से पूरा प्रयास किया।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

गंगा किनारा काटती रहती हैं उसके लिए स्थायी प्रबन्ध हो। आगे का मेला कैसे हो हमारे यहां मेहमान आते हैं किस तरह से हम उनका स्वागत करें। हम इलाहाबाद के नागरिकों को भी आपके माध्यम से बधाई देना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी आप घड़ी क्या दिखा रहे हैं अगर आपको जल्दी है तो जाइए।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

उन रूटों पर जहां से लोगों को जाना था उन रूटों पर हजारों की संख्या में स्थानीय निवासियों ने पूड़ी, सब्जी, हलवा, चाय, पानी आदि बंटवाया जिसकी जितनी क्षमता थी। एक बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण रहा है उसमें कुछ गड़बड़ियां हुई हैं मैं उस ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें। मैंने अगला नाम सत्यवीर मुन्ना का बुला लिया है।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

एक हेलीकाप्टर जो विदेशी पत्रकार का था वह बिना अनुमति के आ गया था। मेले के एक दिन पहले आप जानते हैं कि एक फांसी की सजा हुई थी उससे सब लोगों के दिल में आतंकी आशंका थी उसमें इस तरह हेलीकाप्टर का घुस जाना विचारणी है उसमें शायद वहां के पुलिस के कप्तान ने उसके खिलाफ रिपोर्ट भी लिखाई। इस तरह का तालमेल का न होना इस चीज को हम लोग आगे देखें। चाहे पी0डब्लू0डी0 विभाग का रहा हो, जल निगम का रहा हो, बिजली विभाग का रहा हो चूंकि न्यायालय में मामला है इसलिए हम और बातें नहीं कहेंगे ।

श्री अध्यक्ष-

आपको उसकी कहने की जरूरत भी नहीं।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

जो ऊर्जा विभाग है तो ऊर्जा विभाग के कार्यालय में मेले के बाद 90-91 में भी आग लगी, 2006 में आग लगी और आगे आग न लगने पाए इसको हम लोग देखें। इसी के साथ माननीय अध्यक्ष जी मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री सत्यवीर मुन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी कुम्भ मेले के दौरान रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे की चर्चा में भाग लेने के लिए आपने अवसर दिए इसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। अध्यक्ष जी चूंकि मैं इलाहाबाद से विधायक हूं जिस समय यह घटना हुई मैं अपने विधान सभा क्षेत्र सोरांव से लौट रहा था व्यवस्था इतनी चाक-चौबंद थी कि सोरांव से जो इलाहाबाद का रूट था फाफामऊ वाला वह भी बंद कर दिया गया था। जब मैं बैरीकेटिंग पर पहुंचा तो पुलिस अधिकारियों ने कहा कि सर वाहन प्रबन्ध की व्यवस्था है चूंकि हमारा मेला था और हमारे शहर में था इसलिये हम इलाहाबाद बाई पास हाई वे पर मुड़ गये और अध्यक्ष जी कौशाम्बी से होते हुए इलाहाबाद पहुंचे। जब कौशाम्बी में थे तब इस हादसे की खबर आई और तत्काल जो भी हमारे सम्मानित विधायक थे अजय भाई और परवेज़ टंकी, अनुग्रह जी और बसपा के भी सम्मानित विधायक थे दीपक पटेल जी, आप लोग जो भी थे सब वहां पर पहुंचे। अध्यक्ष जी, हम लोग वहां पर पहुंचे। अध्यक्ष जी, जो घटना हुई है आपको बता दूं कि इसमें कहीं कुछ छिपा नहीं है कि वह घटना कहां पर हुई। लेकिन जहां तक रही कुम्भ मेले की व्यवस्था की बात तो ऐसी शानदार व्यवस्था आज तक मैंने अपने जीवन में नहीं देखी जिस तरीके की व्यवस्था

की गई थी। इसके लिये हमारे नेता मा0 मुख्य मंत्री जी एक बार आये और कुम्भ आयोजन की पूरी समीक्षा की और हम लोगों को पुलिस लाइन में रोक दिया और कहा कि आप लोग मेरे पीछे नहीं आ सकते क्योंकि आज मुझको इतनी तेज दौड़ना है और पैदल चलना है कि आप हमारे पीछे नहीं आ सकते हो। वो गये और दसियों किलोमीटर पैदल चले अकेले। उनके साथ केवल उज्जवल रमण जी थे, पूरे मेले की व्यवस्था देखी। इसके बाद मेले के अध्यक्ष माननीय आज़म साहब चार-चार बार आये और हर तरीके से देखा जैसा अभी खुद उन्होंने अपनी ज़बानी बताया। हम लोग तो सीख लेते हैं। जहां जहां इनकी नजर चली जाती है अध्यक्ष जी, शायद हम लोगों की भी नहीं जा सकती। पूरे करीने से हर चीज को, हर व्यवस्था को देखा। एक बार इसी की समीक्षा के लिये आ रहे थे इलाहाबाद और सरकिट हाउस माननीय मंत्री जी को आना था और अचानक चले गये फूलपुर और इतने खिन्न थे इस बात से कि समीक्षा का समय न जाया हो। हम लोगों की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि जाकर उनसे मिले। मैं जाकर मंत्री जी से मिला तो मैंने तुरन्त कहा क्योंकि प्रोटोकाल प्रोग्राम आया था।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें।

श्री सत्यवीर मुन्ना-

मैने कहा कि प्रोटोकाल प्रोग्राम आया था इसलिये हम चले आये हैं अतः हमे जाने की इजाजत दी जाय। उन्होंने पूरी समीक्षा की और बहुत ही अच्छी व्यवस्था की।

श्री अध्यक्ष-

अरे यह जनरल डिबेट नहीं है। इसमें बहुत कम समय होता है। दो-दो मिनट में प्वाइंट लिखे हों तो वह बता दें।

श्री सत्यवीर मुन्ना-

अध्यक्ष जी, बात होती है डिजास्टर और मैनेजमेंट की। जो आपदा हुई, आपदा तो किसी के बस में नहीं है यह तो ईश्वर की देन होती है। लेकिन जो मैनेजमेंट होता है, उसका जो प्रबन्ध होता है, वह हमारे बस में होती है और हम लोग जब वहां पहुंचे तो तत्काल हमने देखा कि रेलवे स्टेशन के अंदर हम लोगों को इजाजत नहीं थी लेकिन बाहर जो हमारी 108 सेवा होती है पूरी तरह से बीसियों 108 सेवा की एम्बुलेंस वहां पर आ चुकी थीं और रेलवे स्टेशन पर जितने श्रद्धालु मृत हो चुके थे उनको जैसे-जैसे बाहर निकाला जा रहा था वहां रेलवे स्टेशन का हास्टिपल था वहां लाकर के फिर वहां से 108 सेवा से तत्काल स्वरूप रानी मेडिकल अस्पताल में भेजा जा रहा था। पूरी तरह से हम लोग लगे हुए थे और शासन, प्रशासन पूरी तरह चाक चौबंद था तथा अस्पताल में भी सभी की समुचित व्यवस्था थी।

अब आप खत्म करें।

श्री सत्यवीर मुन्ना-

व्यवस्था में कहीं कोई कमी नहीं थी। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने मुख्य मंत्री जी को और आज़म साहब को कि उन्होंने 7-7 लाख रुपये मृतकों के परिजनों को इस हादसे के बाद दिये।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस बात के लिये भी माननीय आज़म साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा कि 200-400 करोड़ के लागत से गंगा नदी पर फोरलेन पुल की घोषणा की है, यह बहुत ही अच्छी संकल्पना है। अगर यह अस्तित्व में आ जाती है तो मैं इसके लिये भी उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। अंत में मैं एक बात कहूंगा कि 'राम की व्यवस्था का मंजर एक रहीम ने सम्भाला' इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे मुख्य मंत्री जी के सान्निध्य में, उनके संरक्षण में हम भी जितना रहीम का कोई कार्यक्रम होगा तो हम सभी देश के राम मिलकर वह मंजर सम्भालेगें। इसी के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद।

*श्री दीपक पटेल-

माननीय अध्यक्ष जी, अभी इस गम्भीर चर्चा में हमारे संसदीय कार्य मंत्री और प्रभारी मंत्री जी ने बड़े विस्तार से मेले के सन्दर्भ में बहुत सारी चीजें रखी हैं। मान्यवर, बहुत बड़ा देश है हमारा, और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के नाम से जाना जाता है। पूरी दुनिया में मान्यवर मिसाल देते हैं लोग हमारे देश की इस गंगा जमुनी तहजीब की और मान्यवर, उसकी पुष्टि भी हुई। मान्यवर, जब यह आयोजन किया गया तो उसी गंगा के तट पर चाहे वह हमारे प्रयाग की धरती का हिन्दू भाई रहा हो, चाहे मुस्लिम भाई रहा हो सबने दुआ की मान्यवर, कि मेले का आयोजन सकुशल ढंग से सम्पन्न हो। मान्यवर, जहां हिन्दू साथियों ने वहां व्रत रखने का काम किया तो मान्यवर, मुझे फख्र होता है, गर्व होता है इलाहाबाद का निवासी होने का, कि मुसलमान भाइयों ने उसी गंगा नदी के तट पर जुम्मे की नमाज़ अदा करने का काम किया। मान्यवर मेले का आयोजन था। एक धार्मिक आयोजन था और इस तरह के आयोजन पूरी दुनिया में पहचान है हमारी। जब इस तरह के आयोजन होते हैं तो सत्ता में, जनता में, एक सुखद तालमेल का वातावरण तैयार होता है। लोगों को एहसास होता है कि हमारी धार्मिक आस्था से सरकारों का भी सरोकार है वह भी चिन्तित हैं। मान्यवर, जब इस तरीके के आयोजनों में, इस तरह की दुर्घटनायें हो जाती हैं तो एक प्रश्नचिन्ह खड़ा हो जाता है। प्रशासनिक अक्षमता पर, चाहे वह जो भी दोषी रहे हों, चाहे प्रदेश के लोग दोषी रहे हों, चाहे देश के लोग दोषी रहे हों, एक प्रश्नचिन्ह खड़ा होता है हमारी अक्षमता पर, मान्यवर एक आयोजन हुआ बड़ी तादाद में लोग आए, दुनिया में एक रिकार्ड बना, हमारे प्रदेश की एक पहचान स्थापित हुई। लेकिन मान्यवर जो कुछ हुआ, जो निर्दोष लोग वहां मारे गए, निश्चित तौर पर हम सबके लिए चिन्ता का विषय है। यह समय आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। दोषरोपण एक दूसरे पर करने का नहीं है। मान्यवर, यह विचार करने की बात है ऐसा क्यों हुआ ? कैसे हुआ ? इसको रोका जा सकता था, नहीं रोका जा सकता था, तो हमारी जो व्यवस्था थी। मान्यवर, व्यवस्थायें तो बहुत थीं, लेकिन मान्यवर, हादसा घट गया, अभी विधायक जी ने जिक्र किया। यह भी मौजूद थे, जो मंजर देखा अस्पताल के अन्दर, वह देखने वाला था, कहां गए डाक्टर्स, इतनी ढेर सारी एम्बूलेंस थीं, वहीं पर मरीज भर्ती थे वहीं आम जनमानस टूटा पड़ रहा था, यह देखने की बात थी। दूसरी महत्वपूर्ण चीज आप तो मंत्री हैं बहुत प्रभावी मंत्री हैं, हम लोग खौफज़दा रहते हैं आपसे, पूरा प्रशासन वहां लगा था, आपको एहसास नहीं हुआ होगा, लेकिन वहां के मेला प्रशासन के लोगों ने जो हठधर्मिता का परिचय दिया है मुझे दुख होता है कहने में..

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

जल्दी खत्म करें।

श्री दीपक पटेल-

ज्यादा बात नहीं कहूंगा मेरी विधान सभा का एक बड़ा हिस्सा मेला प्रभावी क्षेत्र में था। बड़े पैमाने पर पुलिस के लोगों ने और खासकर पुलिस के लोगों ने बड़े पैमाने पर, आम लोगों से, महिलाओं से अभद्रता करने का काम किया है। मैं गवाह भी हूं और भुक्त भोगी भी हूं। मान्यवर, चर्चा हुई और होनी भी चाहिए थी।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त कर दो।

श्री दीपक पटेल-

मैं केवल इतना कहूंगा कि इस पूरे प्रकरण में जांच होनी चाहिए । इस प्रकरण की भी जांच होनी चाहिए कि आपाधापी के नाम पर जो सरकारों ने बहुत बड़ी धनराशि दी थी उसकी, जो प्रशासन में बंदरबांट हुई है इसकी भी जांच होनी चाहिए। यह मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है अब समाप्त करें। डेढ़ घंटे की चर्चा है।

श्री दीपक पटेल-

एक बात और कह दूं मा0 आजम साहब ने बहुत अच्छा सोचा है जो कार्य योजना बनाई है उसको कार्य रूप में परिणित करें तो बहुत अच्छा होगा। एक फ्लाई ओवर के बारे में बता दूं। गंगा नदी के तट पर जो फ्लाई ओवर बना है संगम के पास में, वह बहुजन समाज पार्टी के दरम्यान ही बना है और मुख्य मंत्री बहन कुमारी मायावती जी ने बनाया था, छोटा बना है उसको बड़ा बनवा दीजिए।

एक मा0 सदस्य-

मैं तो समझता हूं कि उस पुल की जांच हो जानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

बैठिए। यह डेढ़ घंटे की चर्चा है आठ घंटे की नहीं है। मा0 सदस्य दो मिनट में कहिए।

*डा0 अजय कुमार-

माननीय अध्यक्ष जी आपने बोलने का अवसर दिया। मैं बहुत संक्षिप्त में कहूंगा, लोगों ने कह दिया है कुछ ज्यादा बचा नहीं है कहने को,जो मेला सफल रहा इसका पूरा-पूरा श्रेय आजम खां साहब को जाता है इसलिए हम इलाहाबाद के लोग और उत्तर प्रदेश की तरफ से भी हम माननीय आजम खां साहब को बधाई देते हैं, प्रशंसा करते हैं और इस उम्मीद के साथ, मान्यवर, जो पिछला कुम्भ हुआ, वह हमारी सरकार में हुआ और यह महाकुम्भ भी हुआ तो हमारी सरकार में, इसलिए हुआ कि ऊपर

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वाला देता उसी को है, जो दूसरे का हिस्सा मारता नहीं है, जो दूसरे का हिस्सा दूसरे को दे देता है, इसलिए ऊपर वाले ने हमारी सरकार बनवा दी।

श्री अध्यक्ष-

कोई नई बात कहनी हो तो कहिए। बहुत टाइम हो गया है।

डा0 अजय कुमार-

मान्यवर, वही बता रहा हूं, जो हमारे साथी चले गए, उनके बारे में एक शब्द कहूंगा, ज्यादा भगवान का नाम लेते हैं कि 'देखो दीवानों ऐसा काम न करो, राम का नाम बदनाम न करो।' वह चले गए, जहां राम के लिए लड़ना चाहिए, वहां चले गए। अध्यक्ष जी, जो अस्थाई शहर इलाहाबाद में बसा, वह निश्चित रूप से शहर ही नहीं बहुत से छोटे देशों की आबादी से बड़ा था और उसकी जो व्यवस्था की गई वह केवल एक शहर की व्यवस्था नहीं थी, किसी छोटे देश की व्यवस्था से कम व्यवस्था नहीं थी। मान्यवर, निश्चित रूप से यह प्रदेश सरकार के लिए गर्व की बात है और हमारे आजम खां साहब के लिए तो विशेष गर्व की बात है और हम चाहेंगे कि जब भी कभी कुम्भ पड़े, माननीय आजम खां साहब उसके अध्यक्ष बनें, सरकार चाहे जिसकी हो।

(सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों ने मेजें थपथपाई)

श्री राजबली जैसल-

माननीय अध्यक्ष जी, हमें ज्यादा नहीं बोलना है, निश्चित रूप से जो एक ऐतिहासिक पर्व था और इस ऐतिहासिक पर्व पर जैसा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा व्यवस्था के बारे में, नहाने के बारे में कि साढ़े तीन करोड़ आये यह तो पहले से ही तय था और मुख्य सचिव जी के पत्र से भी आपने अवगत कराया। तीन करोड़ की सम्भावना तो आप पहले से तय कर चुके थे तो जब 3 करोड़ की सम्भावना पहले से तय थी तो साढ़े तीन करोड़ बहुत ज्यादा नहीं होता है लेकिन फिर भी जैसा कि मेले का स्वरूप या और मैं भी मेले के अन्तर्गत नैनी एडीए कालोनी में रहता हूं और हमने भी उस दिन छः किलोमीटर पैदल जाकर स्नान किया था। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं, एक दिन माननीय मंत्री जी भी मिले थे, यह जो साढ़े तीन करोड़ लोग उस दिन नहाये हैं तो ऐसा नहीं है कि साढ़े तीन करोड़ लोग एक साथ जाकर वहां स्नान कर लिए हों, बहुत दूर तक, लगभग पच्चासों किलोमीटर में फैली वह जगह थी, लोगों का आना-जाना बराबर बना रहता था और यह रात-दिन सिलसिला चल रहा था, आंकड़ा साढ़े तीन करोड़ का है। मान्यवर, मैं इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि यह घटना दुखद घटना है, उसमें मैं नहीं कहता कि आप पूरी तरह जिम्मेदार हैं, उसमें रेल विभाग और आपको, दोनों लोगों को जिम्मेदारी लेना चाहिए, कहां आपकी गलती हो सकती है, कहां रेलवे विभाग की गलती हो सकती है। लेकिन आपने एक उदाहरण देने का काम किया कि मुगलसराय की घटना हुयी, लखनऊ की घटना हुयी, घटना हुयी इतने लोग मरे। मुआवजा दो लाख, एक लाख, शून्य हो गया। मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बहुत बुद्धिमान हैं। उन्होंने बुद्धिमानी का परिचय कहां ले जाकर दिया। आपका मेला तयशुदा आयोजन था। रेलवे स्टेशन पर घटना किन परिस्थितियों में हो गया, राज्य सरकार को उसका पूरा का पूरा मुआवजा देने की जिम्मेदारी नहीं है न तो उत्तरदायित्व बनता है। अगर इस तरह से उत्तरदायित्वहीनता बनता है तो घटनायें डेली

हो रही हैं, कहीं टैक्टर से एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं ट्रक से एक्सीडेंट हो रहा है और कहीं न कहीं रोज लोग मर रहे हैं। उसमें आप एक रूपये भी मुआवजा देने का काम नहीं करते। कहीं नहीं करते। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आपने जो मेले की व्यवस्था की वास्तव में उस मेले में कोई व्यवस्था नहीं थी। आपका खौफ था लोग मेले में एक तरीके से आते जाते थे और आपसी तालमेल करके वह नहाकर वापस चले जाते थे। इसमें आपकी व्यवस्था नहीं थी कि उसमें बहुत वाहवाही लूटने की जरूरत है। मान्यवर, इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी से जितना आप डरते हैं वह ठीक है लेकिन कर्मों से भी अपने डरिये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का बयान पर स्पष्टीकरण भी आ गया और माननीय सदस्य श्री अनुग्रह नारायण सिंह जी, मुन्ना जी और डा0 अजय भारती जी जो भी इलाहाबाद के माननीय सदस्य हैं, इसी के साथ ही साथ नेता कांग्रेस श्री प्रदीप जी आप सभी लोगों ने कुम्भ हादसे के संबंध में अपनी-अपनी जानकारियां दीं। चर्चा इसलिए नहीं हो रही है कि हादसा हुआ बल्कि इसलिए चर्चा हो रही है कि हादसा किस लिये हुआ। उस पर मंथन करें आगे हादसा होने की स्थिति न आये इस बात को सुनिश्चित करें और इसीलिए न्यायिक जांच होने के बाद चर्चा की बहुत आवश्यकता नहीं थी लेकिन इसके बावजूद चर्चा इसलिए होनी थी कि एक पक्ष उसका छूट रहा था जिसको चर्चा के माध्यम से मैंने माननीय मंत्री जी के सामने लाया। चूंकि श्री अनुग्रह नारायण सिंह जी ने विस्तार से उस घटना के विषय में बता दिया जो स्वरूपरानी अस्पताल में उनके माघ मेला कैम्प में चिकित्सालय में इन सारे मृतकों को ले जाया गया। वहां पर डाक्टर ने विधिवत घोषणा किया। यहां तक कि डेथ सर्टिफिकेट भी बना। जब स्वरूपरानी अस्पताल में गये वहां उनको मृत घोषित किया। मृत्यु प्रमाण-पत्र दिया गया तो यह हादसा नहीं हुआ हम इससे बच नहीं सकते हैं। इसको स्वीकारना चाहिए। अब बात यह है कि हमारे माननीय सदस्य ने कह दिया कि हम आपसे खौफजदा हैं। यह तो खौफजदा हैं लेकिन आपके अधिकारी आपसे खौफजदा नहीं थे। अगर अधिकारी भी खौफजदा होते तो शायद यह घटनायें नहीं घटतीं। आज जो भी माघ मेला कैम्पस में हुआ वह केवल अदूरदर्शिता के कारण हुआ। एक चीज, दूसरी चीज मान्यवर, आप खुद इसके गवाह हैं, अगर अधिकारी खौफजदा होते तो तमाम अधिकारी लाल बत्ती, नीली बत्ती लेकर वहां पर गये हैं, यह घटनायें नहीं होती। हमने इसको इसलिए कहा कि यह आयोजन हमारी धरोहर है, आज से नहीं, बहुत पहले से यह कुम्भ मेला चला आ रहा है, यह इक्तेफाक है कि जैसा कि हमारे मा0 सदस्य मुन्ना जी ने कहा जब-जब कुम्भ और महाकुम्भ का आयोजन हुआ, जब-जब कुम्भ और अर्ध-कुम्भ का आयोजन हुआ, तब-तब सपा की सरकार रही। हमारे भाई गिरीश पाण्डेय जी, पुराने साथी हैं, हम लोग इनको प्यार से गामा पाण्डेय कहते हैं, उन्होंनें बताया कि 2001 में 96 किमी0, 2007 में 107 किमी0 और वर्तमान में 150 किमी0, बात किमी0 चकरोड बनी। आम माघ मेला में स्वाभाविक रूप से कम व्यवस्था होगी, अपेक्षाकृत महाकुम्भ की। तो यह आयोजन था महाकुम्भ का, इसलिए उसका तीन गुना, चार गुना भी हो जाता तो भी वह बहुत ज्यादा नहीं होता क्योंकि साढ़े तीन करोड़ की संख्या में श्रृद्धालु के रूप में वहां आये थे, नहाने के लिए

साधु और संत अखाड़े तमाम ऐसी वहां पर विभूतियां रहीं। हम आज इस चर्चा के माध्यम से केवल सरकार के संज्ञान में इन सारी बातों को लाने का था, इसीलिए मैंनें उसे आपके माध्यम से आपके संज्ञान में लाया और मान्यवर चूंकि हमने जो पूर्व में मृतकों का नाम बताया था, उसमें ज्यादातर सब उत्तर प्रदेश के बाहर के हैं, केवल एक उत्तर प्रदेश का है, जो सन्तकबीरनगर, धनघटा तहसील का है और उसकी बेवा पत्नी का प्रार्थना-पत्र भी है उसको इसलिए मैं आपके संज्ञान में दे रहा हूं चूंकि उस कुम्भ हादसे में जो भी मारे गये हैं, उनको सरकार की ओर से कुछ मुआवजा मिला है। तो यह विधवा महिला जो खुद अपने पति के साथ स्नान में गई थी, उसका पति महाकुम्भ प्रांगण कैम्पस में इस हादसे का शिकार हुआ, मौत का शिकार हुआ और मान्यवर, उसके नाबालिग बच्चियां, पांच बच्चियां हैं, लड़के हैं तो इसको भी संज्ञान में लेकर के जो भी सरकार से सहायता अन्य को दी गई है, वह सहायता और सुविधा उन्हें भी दी जाय और इसीलिए मान्यवर, मैं संसदीय कार्यमंत्री जी, जो माघ मेला, जो महाकुम्भ मेला के प्रभारी हैं, हम उनकी क्षमता पर कोई प्रश्नचिन्ह नहीं उठा रहे हैं और न उनकी क्षमता पर हम बहस करने के लिए आये हैं । हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि चूक कहां से हुई है, इस चूक पर आप गौर करेंगे और इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में इस प्रकार के आयोजन में इस चूक की पुनरावृत्ति न हो, धन्यवाद।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, जहां समापन किया है नेता प्रतिपक्ष ने, मैं वहीं से बात बहुत मुख्तसर में कहूंगा कि चूक कहां हुई है, यह हमें तय नहीं करना है। न्यायिक जांच इसी बात के लिए है कि चूक कहां हुई है, लिहाजा इस पर न आप कोई फैसला दें और न मैं इस पर कोई फैसला देने की हैसियत में हूं। मुझे तो थोड़ी सी शिकायत अपने भाई प्रदीप माथुर जी से है, कि उन्होंनें इतने ज्यादा पत्थर मार दिये और भाई 42 से 50 जोड़ी ट्रेन भेजने का आश्वासन दिया था रेलवे डिपार्टमेण्ट ने और यह सात बजे के लगभग का वाकया है, 12 ट्रेंने कुल इस हादसे से पहले तक आ सकी थीं। आप इससे अन्दाजा लगा सकते हैं, मैं यह जो विधिवत जानकारी है, जो सरकारी जानकारी है वह दे रहा हूं कोई ऐसी नहीं कि कहीं सुनी-सुनाई जानकारी दे रहा हूं आपको। इस तरह बहुत बड़ी भीड़ वहां पर जमा हो गई थी और यही बात सही है जो अनुग्रहण नारायण सिंह जी ने कही कि यह दुःखद हादसा था, एक दुर्घटना थी और इसके लिए किसी को जिम्मेदार ठहराना केवल राजनैतिक रोटियां सेंकने से ज्यादा कुछ नहीं है। हम तो बराबर यही बात कह रहे हैं, यह तो आपने कह दिया कि हम पैसा हड़प गये। अरे, आपने तो अलावा लड्डू के एक डिब्बे के कुछ दिया ही नहीं आज तक और उसमें भी फफूंद निकली जो आप इस बार लाये थे। पता नहीं कौन दे गया था और कितने दिन से रखा हुआ था। सरकार का पैसा था तो अब सरकार के पैसे को भी और वो भी अगर आप भूखे को उस वक्त दें, जब भूखा दम तोड़ दे तो किस काम का। जब मेला हो चुका, जब सारी तैयारियां हो चुकीं, तब आपने पैसे की व्यवस्था की। उस पैसे की व्यवस्था से क्या फायदा हुआ। आप पीछे इशारा क्यों कर रहे हैं, उन्हें क्यों भड़का रहे हैं। काहे ताल्लुकात खराब करवाओगे आप तो मान्यवर, यह बिल्कुल सही है कि उसके लिये हमने जानबूझकर किया या रेलवे डिपार्टमेण्ट ने जानबूझकर किया, ये बिल्कुल सही नहीं है।

(सत्ता पक्ष के एक मा0 सदस्य की ओर से कि हाफ पैण्ट वालों ने किया)

अब उनके बारे में क्या कहें। हुआ ये था कि जब हम पिछली बार अर्द्धकुम्भ के अध्यक्ष बनाये गये तो मैंने सदन में कहा भी था कि बड़े पुतले जले, बड़ी काली पट्टिया बांधे साधु महाराज ने हाय-हाय की लेकिन जब अर्द्धकुम्भ बहुत अच्छी तरीके से निपट गया तो उन्हीं सब ने हमें बुलाकर सम्मनित भी किया था और इस बार मेले से पहले ही सबने बुलाकर अपनी-अपनी समस्यायें रखीं थीं, स्वागत किया था हमारा। सबको ये उम्मीद थी कि हम अच्छी तरह करेंगे। मेरे पास वो तमाम खत बहुत ही बड़ी शख्सियात के रखे हैं जिन्होंने वहां व्यवस्था के लिये जहां जमीन कम है, जमीन ज्यादा नहीं है तो जमीन का दिया जाना, उसकी व्यवस्था किया जाना। उन सबको चिट्ठयां हमने सीधी लिखीं, फोन से बात होती रही और फिर उसके बाद जो उनके अपने लेटर्स आये, उन्हें हम प्रशस्ति-पत्र के रूप में देखते हैं। वो सारे हमारे पास मौजूद हैं। आपने कहा, आप काहे के भुक्तभोगी हैं। जब बदनियती से जाओगे तो कुदरत का आजाब तो टूटेगा ही। करोड़ों लोग नेकनियती से आये, करोड़ों लोग आये, आस्था से, नेकनियती से स्नान के लिये आये। खैरियत से आये, खैरियत से चले गये और जो लोग नहीं गये जिनके हिस्से में मौत आयी तो वो मैं नहीं समझता कि आप क्या कहते हैं। हमारे यहां तो जो लोग जाते हैं हज के लिये तो बहुत से लोग ये ख्वाहिश लेकर जाते हैं कि हम वहां मर जायें ताकि वहां का एक कब्रिस्तान है जिसे जन्नत-उल-बक़ी कहते हैं, उसमें हमें दफन होने का मौका मिले तो ऐसी मौत को मौत नहीं कहा जाता। हां, आपको स्नान का मौका नहीं मिल सका। इसके लिये अफसोस है, भीड़ बहुत थी, आप डर गये, वापस आ गये तो अब कर लें और भई, माथुर साहब ये जो आपने पूरी हिन्दू कम्युनिटी पर लांछन लगाया है बुज्दिली का कि मारे डर के लोग नहीं आये।

श्री प्रदीप माथुर-

मैंने ये कब कहा।

श्री मोहम्मद आज़म खां-

नहीं, कहा आपने कहा, प्रोसीडिंग्स देख लीजिए। पकड़ हो जायेगी आपकी बाहर, आपके क्षेत्र में, आप बहुत मथुरा-मथुरा करते हैं। आस्था से आने वाले लोग, धार्मिक आस्था से आने वाले लोग जिस दिन मौत के डर से रुकने लगेंगे, उस दिन धर्म और मजहब खत्म हो जायेंगे।

(सदन में मेजों की थपथपाहट)

श्री प्रदीप माथुर-

मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि हादसे के बाद लोगों की गिनती कम हो गयी। मैंने कहा कि इस हादसे के बाद महाकुम्भ की तरफ बढ़ते लोगों के कदम रुके।

श्री मोहम्मद आजम खां-

कोई नहीं रुके। न, ये इल्जाम है और आपको ये इल्जाम वापस लेना चाहिये कि लोग डर से नहीं आये।

श्री प्रदीप माथुर-

मैंने कहा कि इस हादसे के बाद स्नान करने वालों की संख्या घटी, धार्मिक श्रद्धालुओं की संख्या घटी।

श्री मोहम्मद आजम खां-

न बिल्कुल नहीं, मैंने आपको एक वाकया बताया कि आग लग गयी एक टेण्ट में, उसके बाद सिलेण्डर वाले वाकये के बाद लेकिन कोई भगदड़ नहीं मची। कई टेण्ट जल गये, लोग झुलस गये उसमें लेकिन अगर उस आग के डर से लोग भागे होते तो न जाने कितने लोग मर गये होते भगदड़ से, वो होती भगदड़, वो होती स्टैम्पेड। आपने जो कहा कि लोग इसलिये।

श्री प्रदीप माथुर-

नहीं, मैंने यह नहीं कहा। मैंने कहा कि लोगों की संख्या कम हुयी।

श्री मोहम्मद आजम खां-

न, आप प्रोसीडिंग्स निकाल कर देख लें। आप अपने हिन्दू समाज से माफी मांगें।

श्री प्रदीप माथुर-

नहीं, ऐसा नहीं है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

नहीं, बिल्कुल है। मैं मुसलमान होकर कह रहा हूं कि बहुत पवित्र पर्व था, बहुत पवित्र पर्व था और हमें, आपको, हम दोनों को उसका सम्मान करना चाहिये। दोनों को सम्मान करना चाहिये और यही गंगा जमुनी तहजीब है, यही गंगा जमुनी तहजीब है और इसीलिये अल्लामा इकबाल ने कहा था कि-

''वो दिन है याद तुझको,
आब-ए-रूद-ए-गंगा,
ऐ वो दिन है याद तुझको,
उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा,
सारे जहां से अच्छा, हिन्दोस्तां हमारा,
हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा,
मजहब नहीं सिखाता, आपस बैर रखना,
हिन्दी हैं हम, वतन हैं, हिन्दोस्तां हमारा।''

तो कोई साहब, कम नहीं हुए, सब अपनी आस्था से आए, पर्व चल रहा है, 10 तारीख को फिर एक छोटा-सा इम्तिहान है, बड़ी तादाद में लोग आएंगे, बहुत अच्छी व्यवस्था रहेगी और हमारे जो बहुजन समाज पार्टी के दोस्त मारे डर के नहीं जा सके हैं। उनके लिए कहना है कि वह मुझे अपना नम्बर दे दें, उनको रहने का इन्तजाम उनको गेस्ट हाऊस, उनको गाड़ी उनको स्नान कराने की व्यवस्था, उनका स्टीमर.....

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

वहीं तो उनकी विधान सभा है, जहां कुम्भ स्नान है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

और तब भी घुस सके, देखिए भगवान इतने नाराज हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब मा0 मंत्री जी, समय समाप्त। अब यह चर्चा समाप्त हुई।

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी, बहुत धन्यवाद।

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 06 मार्च, 2013 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 59 सूचनायें प्राप्त हुईं।

पहली सूचना श्री संजय प्रताप जायसवाल की बस्ती शुगर मिल्स कम्पनी लि0, बस्ती द्वारा श्रमिकों को सम्पूर्ण बोनस न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में जो वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है। दूसरी सूचना श्री जय प्रकाश अंचल की जनपद बलिया में धान क्रय केन्द्रों पर केन्द्र प्रभारियों द्वारा मनमाने तरीके से धान की खरीद एवं घटतौली करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में जो वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है। तीसरी सूचना श्री सलिल विश्नोई की गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित मधुबन बापू धाम आवासीय योजना के अन्तर्गत विधायकों को आवंटित आवासीय भूमि का कब्जा न दिये जाने के सम्बन्ध में जो वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है। चौथी सूचना श्री राम चन्द्र चौधरी की जनपद सुल्तानपुर के विधान सभा क्षेत्र कादीपुर में आंधी और तूफान से टूटे बिजली के तार और खम्भों को ठीक कराने तथा जले हुए ट्रांसफार्मरों के स्थान पर नये ट्रांसफार्मर लगाये जाने के सम्बन्ध में जो केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है। पांचवी सूचना श्री राजबली जैसल की जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र कोरांव के 21 ग्रामों/मजरों तथा 15 ग्रामों एवं मजरों में विद्युतीकरण न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में जो केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है। छठी सूचना श्री रोशन लाल वर्मा की जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड निगोही में वर्ष 2011-12-13 ग्राम खण्डा खस व अण्डखेड़ा में उपभोक्ता सहकारी संघ लि0 में गेहूं/धान के क्रय केन्द्रों पर की गई अनियमितताओं की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई कराये जाने के सम्बन्ध में जो केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है। सातवीं सूचना श्री गुटियारी लाल दुवेश की जनपद आगरा के कैण्ट क्षेत्रान्तर्गत प्राइवेट कम्पनी टोरेन्ट पॉवर द्वारा उपभोक्ताओं का उत्पीड़न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में जो केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है। आठवीं सूचना श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल की चौ0 चरण सिंह वि0वि0, मेरठ में अधिकारियों/ कर्मचारियों की मिलीभगत से हो रहे पेपर आउट की जांच कराये जाने एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में जो केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है। नवीं सूचना श्री बजरंग बहादुर सिंह की महाराजगंज के ग्राम सभा दुर्गापुर में ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में जो केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है। दसवीं सूचना श्री कालीचरन सुमन की जनपद आगरा के ग्राम शंकरपुर व ग्राम दिगनेर में नहर पर क्षतिग्रस्त पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में जिस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। ग्यारहवीं सूचना श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महराज की जनपद महोबा के शहीदों की स्मृति में भव्य स्मारक तथा पार्क बनाये जाने के सम्बन्ध में जिस पर शासन का

ध्यान आकृष्ट किया जाता है तथा बारहवीं सूचना श्री जियाउद्दीन रिजवी की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरपुर में घाघरा नदी पर खरीद-दरौली घाट पर पीपे के पुल की जगह पक्का पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में जिस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकार की जाती हैं :--

1-श्री उमेश पाण्डेय,

2-श्री रविन्द्र भड़ाना,

3-श्री उपेन्द्र तिवारी,

4-श्री अगयश राम सरन वर्मा,

5-श्री विजय बहादुर यादव,

6-श्री राम चन्द्र यादव,

7-श्रीमती कृष्णा पासवान,

8-श्री अजय मिश्र 'टेनी',

9-श्री धर्मपाल सिंह,

10-श्री मुकुट बिहारी वर्मा,

11-श्री आलमबदी,

12-श्री रामहेत भारती,

13-श्रीमती पूजा पाल,

14-श्री वीरपाल राठी,

15-श्री जगन प्रसाद गर्ग,

16-श्री बब्बन सिंह चौहान,

17-श्री सुरेश कुमार खन्ना,

18-श्री सुरेश बसंल,

19-श्री उमाशंकर सिंह,

20-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत,

21-श्री मो0 आसिफ जाफरी,

22-श्री प्रदीप चौधरी,

23-श्री वीरेन्द्र सिंह,

24-श्री जय प्रकाश निषाद,

25-श्री ममतेश शाक्य,

26-डा0 धर्म सिंह सैनी,

27-ठा0 तेजपाल सिंह,

28-श्री पूरन प्रकाश एडवोकेट,

29-श्री मनीष असीजा,

30-श्री मदन चौहान,

31-श्री राकेश बाबू,

32-श्री शमशेर बहादुर,

33-श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा,

34-श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी,

35-श्री विजय कुमार दूबे,

36-श्री संगीत सिंह सोम,

37-श्री अमर पाल शर्मा,

38-श्री फेरन लाल अहिरवार,

39-श्री रणजीत सुमन,

40-श्री दीपक पटेल 'एडवोकेट',

41-श्री छोटे लाल वर्मा,

42-श्री प्रमोद तिवारी,

43-डा0 पूर्णमासी देहाती,

44-श्री मनीष रावत,

45-डा0 रमेश चन्द्र बिन्द,

46-श्री प्रदीप माथुर तथा

47-श्री बंशी सिंह पहाड़िया।

[8.08] नियम-51 की सूचनाएं स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री जियाउद्दीन रिज़वी-

मान्यवर, मेरा यह व्यवस्था का प्रश्न है। मैं 12 दिन से एक प्रश्न लगातार दे रहा हूं, मुझसे क्या दुश्मनी है, यह मेरे समझ में नहीं आ रहा है।

श्री अध्यक्ष-

मैं देख ले रहा हूं।

श्री जियाउद्दीन रिज़वी-

एक आदमी का रोज आ रहा है और मैं 12 दिन से एक महत्वपूर्ण प्रश्न दे रहा हूं, 12 दिन हो गये हैं लगातार देते हुए और मेरा प्रश्न नहीं लिया जा रहा है, मुझको संरक्षण आप नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

ऐसा है, रिज़वी साहब आप अपना प्रश्न डालने जाते हैं, उसमें। जियाउद्दीन रिज़वी का है, ठीक है इस पर ध्यान आकृष्ट कर दिया है। अच्छा बताइये कि किसका-किसका नहीं है, सब पर ध्यानाकर्षण कर देते हैं।

(कई मा0 सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब इतने लोगों का कहां ले लिए जाएंगे। जियाउद्दीन रिज़वी साहब बहुत दिन से दौड़ रहे थे, सही है, उस पर ध्यान आकृष्ट कर दिया है। अभी बहुत दिन असेम्बली चलेगी, आप लोग काहे परेशान हैं।

(तदुपरान्त श्री जियाउद्दीन रिज़वी की सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया)

[8.09] नियम-51 की सूचनाओं को सप्ताह में एक ही बार लिये जाने का अनुरोध

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

श्रीमन् यह नियम में व्यवस्था नहीं है। मान्यवर, यह उचित होगा कि आप विचार कर लें कि जो सदस्य सुबह से आकर पूरे दिन यहां आकर बैठे रहते हैं और जो सूचनायें देते हैं उनको किसी न किसी रूप में वरीयता मिलनी चाहिए और जो सूचनायें देकर चले जाते हैं, उनके बारे में आपसे प्रार्थना है कि कृपया दलीय नेताओं की बैठक करके, या कोई सूचना की व्यवस्था करके आप ऐसी व्यवस्था करायें जिससे कि ऐसे सदस्य जो आपके द्वारा सूचना पढ़े जाने तक उपस्थित न रह सकें वह ऐसे माननीय सदस्य फिर अपनी सूचनाओं की ग्राह्यता पर जोर न दे सकें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय राजस्व मंत्री जी, यह विषय के महत्व को देखकर सूचनायें ली जाती हैं। पहली बात तो यह देखा जाता है कि कौन सा विषय महत्वपूर्ण है इस पर विचार किया जाता है और दूसरी बात इसमें ऐडजेस्ट किया जाता है कि किसी न किसी रूप में उनकी सूचना आ जाये। आप देखें कि एक-एक माननीय सदस्य तीन-तीन बार अपनी सूचनायें देते हैं मैं खुद निकालकर देखता हूं और कोशिश करता हूं कि कभी न कभी किसी न किसी माननीय सदस्य की सूचना आ जाये।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, क्षमा करेंगे मै शायद धृष्टता कर रहा हूं। सुबह में कुछ माननीय सदस्य आते हैं और अपनी सूचना देकर चले जाते हैं। यह बात सच है कि जिनकी सूचना आपने सलेक्ट कर ली अगर वह आपके द्वारा सूचना लेने तक उपस्थित नहीं हैं तो फिर आप वेटिंग लिस्ट में से दूसरे की सूचना को ले सकते हैं। इसमें एक सप्ताह का भी नियम है।

श्री अध्यक्ष-

नियम-301 में तो यह है कि अगर माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं तो वह कैंसिल हो जायेगी। लेकिन 51 में तो यह है कि सरकार का जबाव आ जाता है।

कानपुर विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत कानपुर नगर के जूही हमीरपुर रोड स्थित डा0 सोने लाल पटेल सीनियर सेकेण्डरी स्कूल के मुख्य द्वार के अगल-बगल अवैध कब्जे को हटाये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती अनुप्रिया पटेल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)-

माननीय सदस्य विधान सभा.....

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह राणा)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आज़म खां-

[द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना मे अवगत कराया गया है कि :--

''मैं एक अविलम्बनीय लोक महत्व की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए अवगत कराना चाहती हूं कि जनपद कानपुर नगर के 33/61 जूही हमीरपुर रोड पर स्थित डा0 सोने लाल पटेल सीनियर सेकेन्डरी स्कूल के मुख्य द्वार के अगल-बगल अवैध कब्जा कर लिये जाने के कारण स्कूल के बच्चों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस विद्यालय को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली द्वारा कक्षा-12 तक की मान्यता प्राप्त है। इस विद्यालय में बड़ी संख्या में छात्र एवं छात्रायें शहर के विभिन्न भागों से शिक्षा ग्रहण करने आते हैं।

स्कूल के मुख्य द्वार से लेकर उत्तर की तरफ जाने वाले मुख्य मार्ग (कानपुर-हमीरपुर राष्ट्रीय राजमार्ग) पर कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है। अतिक्रमण के स्थान पर एकत्रित व्यक्तियों द्वारा छात्राओं से आये दिन अभद्र व्यवहार किया जाता है जिससे छात्राओं में भय व्याप्त है। स्कूल का पूरा स्टाफ भी ऐसी परिस्थितियों में अपने आपको असहाय महसूस करता है। उक्त अवैध कब्जों को हटाने हेतु स्कूल प्रबन्धतंत्र द्वारा बार-बार मण्डलायुक्त, कानपुर नगर, उपाध्यक्ष, कानपुर विकास प्राधिकरण तथा मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग से अनुरोध किया गया परन्तु उपरोक्त अधिकारियों द्वारा अवैध कब्जों को हटाने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। कभी भी किसी बच्चे के साथ कोई दुर्घटना हो सकती है जिसकी पूरी जिम्मेदारी कानपुर नगर प्रशासन की होगी।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व पर मेरा माननीय महोदय से अनुरोध है कि विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र एवं छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए अतिक्रमण हटाये जाने तथा अवैध कब्जों को हटाने में शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही कराने हेतु सदन में वक्तव्य की मांग करता हूं।''

2-इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कानपुर विकास प्राधिकरण के अवर अभियन्ता एवं उप नगर आयुक्त, कानपुर से स्थल निरीक्षण कराया गया। स्थल निरीक्षण के अनुसार जूही हमीरपुर रोड स्थित डा0 सोने लाल पटेल सीनियर सेकेन्डरी स्कूल के मुख्य द्वार के सामने की सड़क लोक निर्माण विभाग (पी0डब्ल्यू0डी0) की है एवं आस-पास की सड़कों का अतिक्रमण हटाने का कार्य नगर निगम कानपुर में निहित है।]

श्रीमती अनुप्रिया पटेल-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी को सादर अवगत कराना चाहूंगी कि अफीम कोठी से लेकर नौबस्ता तक की सड़क का कुछ समय पूर्व लोक निर्माण विभाग द्वारा चौड़ीकरण का कार्य किया गया। पूरी सड़क को चार लेन करते हुए बीच में डिवाईडर का निर्माण किया गया। केवल विद्यालय के सामने

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सौ मीटर का पैच/हिस्सा छोड़ दिया गया। वहां पर दो लेन की सड़क है। यहां पर सब्जी वाले, ठेले वाले, दैनिक उपयोग की तमाम वस्तुएं बेचने वालों का जमावड़ा होने से निरन्तर ट्रैफिक जाम की समस्या बनी रहती है। मान्यवर, जिला अधिकारी कार्यालय, कानपुर के पत्रांक-738/एस0टी0/2013, दिनांक 04-01-2013 को संज्ञान में लेते हुए जोनल अधिकारी-3 द्वारा दिनांक 02-02-13 को पत्रांक संख्या-डी/692/जोनल अधिकारी-3 के माध्यम से अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया गया कि विद्यालय के सामने पांच लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया है और यह अतिक्रमण लोक निर्माण विभाग की भूमि पर है। अतः इसे हटाने हेतु कार्यवाही शीघ्र की जाय। मान्यवर, यह कार्यवाही कब तक पूर्ण हो जायेगी ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, अगर आप लास्ट पैराग्राफ को देखेंगे कि उसमें भी इसका जिक्र आया है कि विद्यालय के सामने की सड़क लोक निर्माण विभाग की है एवं आस-पास की सड़कों का अतिक्रमण हटाने का कार्य नगर निगम कानपुर में निहित है। मान्यवर, मैं यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं अभी जाकर इसे देख लूंगा शायद आपको शिकायत करने की फिर जरूरत न हो।

जनपद फिरोजाबाद के टूण्डला क्षेत्रान्तर्गत कतिपय ब्लाकों में पेयजल हेतु टी0टी0एस0पी0 टंकी के निर्माण कार्य को अधूरा छोड़ने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राकेश बाबू द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, ग्राम्य विकास मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

श्री मोहम्मद आजम खां माननीय सदस्य, विधान सभा.....

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह राणा)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[द्वारा दिनांक 28-02-2013 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में उल्लेख किया गया है कि ''जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा टूण्डला के निम्नलिखित ब्लाकों में पेयजल हेतु टी0टी0एस0पी0 टंकियों का निर्माण कराया गया है जिसमें एक वर्ष से निम्नलिखित कार्यों को मौके पर जल निगम द्वारा अधूरा छोड़ दिया गया है, जिससे जनता में पेयजल का भारी संकट है। जिन ग्रामों में पेयजल की टंकियों को अधूरा छोड़ा गया है वह निम्न प्रकार है :-

1-ग्राम कुतकपुर, ग्राम सभा रामगढ़ उमरगढ़ ब्लाक टूण्डला

2-डेरा बंजारा कोटकी ग्राम सभा कोटकी

3-अम्बेडकर पार्क बुर्ज नत्थू

4-बघेल बस्ती एरई ग्राम सभा रामगढ़ उमरगढ़

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

5-बघेल बस्ती चिलासनी

6-जाटव बस्ती ऐलई

7-अम्बेडकर पार्क चुल्हावली

8-जाटव बस्ती कुआ चुल्हावली

9-जाटव बस्ती नागऊ

10-देवेन्द्र बघेल के पास रैपुरा

11-ओझा बस्ती रैपुरा

12-मुस्लिम बस्ती गांगनी

13-मुस्लिम बस्ती मोहम्मदपुर (डोरसा)

14-लोधी बस्ती नगला बंशी

15-अम्बेडकर पार्क नारकी

2-इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद-फिरोजाबाद में पेयजल समस्या के समाधान हेतु 130 बस्तियों में टी0टी0एस0पी0 योजना जिसकी अनुमानित लागत रु0 922.72 लाख थी, नवम्बर, 2010 में स्वीकृत की गयी थी। इसी प्रकार जनवरी, 2011 में 106 बस्तियों हेतु टी0टी0एस0पी0 योजना अनुमानित लागत रु0 752.37 लाख स्वीकृत की गयी थी।

3-उपर्युक्त अंकित सूचना में उल्लिखित जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र टूण्डला में स्थित 15 टी0टी0एस0पी0 टंकियां स्थापित करने हेतु उत्तर प्रदेश जल निगम, फिरोजाबाद द्वारा कराये गये कार्यों की वर्तमान स्थिति निम्नवत् है :-

क्र0सं0	टी0टी0एस0पी0 की लोकेशन का नाम	ग्राम/उपग्राम का नाम	वर्तमान स्थिति
1	ग्राम कुतकपुर, ग्राम सभा रामगढ़, उमरगढ़, ब्लाक-टूण्डला	कुतकपुर	माह नवम्बर वर्ष 2011 में बोरिंग पूर्ण
2	डेरा बंजारा कोटकी ग्राम सभा कोटकी	कोटकी	माह नवम्बर वर्ष 2011 में बोरिंग पूर्ण
3	अम्बेडकर पार्क बुर्ज नत्थू	बुर्ज नत्थू	माह नवम्बर वर्ष 2011 में बोरिंग पूर्ण
4	बघेल बस्ती ऐरई ग्राम सभा रामगढ़ उमरगढ़	रामगढ़ उमरगढ़/ऐरई	ग्राम पंचायत को माह अगस्त वर्ष 2012 में हस्तान्तरित
5	जाटव बस्ती ऐलई	ऐलई	माह नवम्बर वर्ष 2011 में बोरिंग पूर्ण
6	अम्बेडकर पार्क चुल्हावली	चुल्हावली	माह नवम्बर वर्ष 2011 में बोरिंग पूर्ण
7	जाटव बस्ती कुआ चुल्हावली	चुल्हावली	माह नवम्बर वर्ष 2011 में बोरिंग पूर्ण
8	बघेल बस्ती चिलासनी	चिलासनी	ग्राम पंचायत को माह मार्च वर्ष 2012 में हस्तान्तरित

क्र0सं0	टी0टी0एस0पी0 की लोकेशन का नाम	ग्राम/उपग्राम का नाम	वर्तमान स्थिति
9	जाटव बस्ती नागऊ	नागऊ	ग्राम पंचायत को माह मई वर्ष 2011 में हस्तान्तरित
10	श्री देवेन्द्र बघेल के पास रैपुरा	रैपुरा	माह अगस्त वर्ष 2011 में बोरिंग पूर्ण
11	ओझा बस्ती रैपुरा	रैपुरा	माह अगस्त वर्ष 2011 में बोरिंग पूर्ण
12	मुस्लिम बस्ती गांगनी	गॉगनी	निर्माण कार्य माह मार्च वर्ष 2012 में पूर्ण
13	मुस्लिम बस्ती मोहम्मदपुर (डोरसा)	मोहम्मदपुर (डोरसा)	माह अगस्त वर्ष 2011 में बोरिंग पूर्ण
14	लोधी बस्ती नगला बंशी	नगला बंशी	टी0टी0एस0पी0 विवादग्रस्त है (05-11-2009 में पम्प हाउस पूर्ण, टंकी स्थल के सम्बन्ध में विवाद होने के कारण टंकी नहीं बनायी जा सकती) 30-6-2011 को पम्प हाउस ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित।
15	अम्बेडकर पार्क नारखी	नारखी	ग्राम पंचायत नारखी को हस्तान्तरित

उपर्युक्त अंकित तालिका के क्रम संख्या-1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11 एवं 13 पर अंकित टी0टी0एस0पी0 के अवशेष कार्य मई, 2013 तक पूर्ण कराकर पेयजल आपूर्ति कराया जाना प्रस्तावित है। अवशेष क्रमांक-4, 8, 9, 12 एवं 15 पर अंकित टी0टी0एस0पी0 योजना से सम्बन्धित समस्त निर्माण कार्य पूर्ण कराकर ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित की जा चुकी है। इस प्रकार स्वीकृत 15 योजनाओं के सापेक्ष 05 योजनाओं का कार्य कराकर उन्हें सम्बन्धित पंचायतों को हस्तान्तरित कर दिया गया है और अवशेष 10 पर कार्य प्रगति पर है।

4-उक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार द्वारा जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र टूण्डला के ग्रामीण अंचलों में सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति कराने हेतु उपलब्ध संसाधनों के अन्तर्गत यथासंभव कार्यवाही की जा रही है और लोक महत्व के इस कार्यक्रम के प्रति राज्य सरकार सजग एवं प्रतिबद्ध है।]

श्री राकेश बाबू-

मान्यवर, बघेल बस्ती एरई के बारे में बताना है कि बोरिंग सूखी पड़ी है ठेकेदार ने बोरिंग सूखी छोड़ दी है। पानी नहीं है। खराब पड़ी है। दूसरी बघेल बस्ती चिलासनी इसमें भी ठेकेदार ने बोरिंग सूखी छोड़ दी है पानी भी नहीं है और विद्युत कनेक्शन अभी नहीं हुआ है जिससे वह बोरिंग नहीं चल नहीं सकी है। तीसरा, नागऊ इसमें भी ठेकेदार के द्वारा बोरिंग में पानी नहीं था, अधूरा छोड़ दिया गया है। बोरिंग में पानी न होने के कारण यह फेल है। ठेकेदार पूरा काम करता तो यह बात न

होती। चौथा नारकी अम्बेडकर पार्क, इसमें बोरिंग कर दी गयी है लेकिन फिटिंग नहीं की गयी है। पांचवां गांगनी में अभी तक ओवर हेड टैंक नहीं बनाया गया है तो मान्यवर, इस तरह से जो 15 कार्यों की रिपोर्ट दी गयी है उसमें से पांच का विवरण सही नहीं है। मेरा अनुरोध है कि कृपया इसको पुनः सत्यापित कराने का कष्ट करें। जिससे जनता को पानी मिल सके।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि क्यों आप गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं।

श्री राकेश बाबू-

मान्यवर, सरकार का पैसा है और जनता के हित की बात है इस पर कार्य होना चाहिए।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, 2011 का है।

श्री राकेश बाबू-

2011 को स्वीकृत हुई थी लेकिन बोरिंग इलेक्शन के बाद आपकी सरकार बनने के बाद कराई गयी है। आप जांच करा लें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, यह 2011 का हो या 2013 का हो बात यह नहीं है बात यह है कि जिन लोगों ने सूचना गलत दी, काम नहीं कराया, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करें चाहे 2011 के हो चाहे 2013 के हों।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, सूचना गलत नहीं है, सूचना सही है कमीं पाई गयी, सूचना गलत नहीं है। स्वजल योजना के तहत जितने ओवरहेड टैंक बने हैं वह कोई नहीं भरा जा सकता, एक भी टैंक नहीं भरा जा सकता है क्योंकि एक भी टैंक में पानी भरा जाता है तो वह हिलने लगता है, पानी रोककर पानी रिलीज किया जाता है तो सारे टैंक वैसे ही खड़े हुए हैं फिर भी दिखवा लेंगे।

जो कमी अगर पूरी की जा सकती है स्वजल योजना के किसी एक ओवरहेड टैंक को वायेबिल नहीं बनाया जा सकता उसमें पानी नहीं भरा जा सकता है। सिवाय उन्हें गिरा देने के कोई हल ही नहीं है। फिर भी दिखवाते हैं, अगर कोई टांका वाका लगाने से रुक जाय तो देखते हैं कि क्या हो सकता है। वह रिपोर्ट गलत नहीं है।

जनपद गाजियाबाद की कतिपय कालोनियों के मुख्य मार्गों पर किये गये अतिक्रमण को हटाये जाने के सम्बन्ध में श्री अमर पाल शर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर, नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

जनपद गाजियाबाद के कतिपय कालोनियों..

ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अरविन्द सिंह गोप)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[पं0 अमर पाल शर्मा, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-51 के अन्तर्गत दिनांक 28-2-2013 को सूचना दी गयी है कि जनपद गाजियाबाद की विभिन्न कालोनियों यथा इन्दिरापुरम्, वसुन्धरा, वैशाली इत्यादि सम्भ्रान्त नागरिकों की आवासीय कालोनियां हैं। किन्तु इस क्षेत्र के कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों एवं दबंग किस्म के अराजक तत्वों द्वारा इन कालोनियों के मुख्य सम्पर्क मार्गों का अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर निरन्तर अतिक्रमण किया जा रहा है। अतिक्रमण किये जाने के फलस्वरूप प्रतिदिन यहां जाम एवं प्रदूषण की स्थिति बनी रहती है। जिससे आम निवासियों का जीवन दूभर हो रहा है साथ ही इसका स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जिससे जनमानस में आक्रोश व्याप्त है।

अतः सम्पूर्ण परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए समुचित कार्यवाही किये जाने एवं उपरोक्त क्षेत्रों से अतिक्रमण हटाये जाने हेतु सदन में वक्तव्य दिये जाने की मांग करता हूं।

वक्तव्य :

इस सम्बन्ध में नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद से आख्या प्राप्त की गई जिसके अनुसार जनपद गाजियाबाद की विभिन्न कालोनियां यथा इन्दिरापुरम्, वसुन्धरा, वैशाली इत्यादि आवासीय कालोनियां गाजियाबाद विकास प्राधिकरण एवं आवास विकास परिषद् द्वारा विकसित कर बसायी गयी हैं। उक्त कालोनियों के मुख्य मार्गों पर प्रभावशाली/दबंग किस्म के अथवा अराजक तत्वों द्वारा अतिक्रमण नहीं किया जा रहा है। विभिन्न त्योहारों के अवसरों पर इन कालोनियों में ठेला एवं रेहड़ी वाले मुख्य मार्गों के किनारे खड़े हो जाते हैं। इन कालोनियों में खाली पड़े प्लाटों पर निर्माण कार्य के दौरान डाले जाने वाले ईंट, बजरी अथवा रेत आदि को हटवा दिया जाता है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण एवं नगर निगम द्वारा संयुक्त अभियान चलाकर अतिक्रमण हटवाया गया है। इस क्षेत्र में पुलिस, प्रदूषण विभाग, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण एवं नगर निगम द्वारा यातायात सुचारु रूप से चलाने एवं प्रदूषण रहित वातावरण बनाये रखने में अनवरत रूप से कार्यवाही की जाती है। नगर निगम स्तर से भी एकल प्रोग्राम चलाकर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाती रही है। जन जीवन सामान्य बना हुआ है।]

श्री अमर पाल शर्मा-

मान्यवर, मैं कुछ पूछना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय नगर विकास मंत्री जी के संज्ञान में भी लाना चाहता हूं और उन्हें बताना चाहता हूं कि यह जो जवाब मिला है यह बिलकुल गलत जवाब है। मैं आपको सही चीज बताना चाहता हूं कि वैशाली के अन्दर जब यह वैशाली कालोनी बसी तो छोटे दुकानदारों के लिए नगर निगम ने फड़ें दिये और वह जो मेन रोड है सेक्टर 4 का एक ही मेन रोड है उस रोड की तरफ से किसी भी फड़ें का गेट नहीं था उसका गेट अन्दर की तरफ से दिया और उसमें अन्दर करीब 100-200 दुकानदारों के लिये यह फड़े बनाये गये थे बाकायदा गैलरी देकर बनाये।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लेकिन इधर कुछ दिनों से क्या हुआ है कि रोड की तरफ से दीवार तोड़कर उन्होंने गेट खोल लिए जो अन्दर की तरफ गेट थे वह उन्होंने सारे रोड की तरफ खोल दिये हैं। जिसकी वजह से आये दिन वहां पर ट्रैफिक जाम रहता चूंकि वहां बहुमंजिली इमारते हैं और वहां इतना ट्रैफिक जाम रहता है और इतनी व्यवस्था खराब है कि मैं कह नहीं सकता। वैशाली के अन्दर अगर आप इनको दिखवा लें तो आपको खुद आपके संज्ञान में आ जायेगा कि यहां के लोग कितने परेशान हैं।

इसी तरह से इंदिरापुरम् में काला पत्थर रोड है एक वहां ईडब्लूएस मकान हैं सब लोगों ने मेन पर अपनी दुकानें बना रखी है। उनके बाहर कभी आप गाड़ी निकालेंगे तो आधा कि0मी0 का सफर तय करने में मैं समझता हूं कि कम से कम आपको 25 या 30 मिनट जरूर लगेंगे। वहां भी स्थिति यह है कि सब लोगों ने किसी ने गैराज खोल रखी है किसी अपने बोर्ड लगा रखें हैं, किसी ने कुछ लगा रखा है, इससे वहां जो हाईराइज बिल्डिंगों में लोग रहते हैं। उनके लिए बड़ी परेशानी है अतः मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि वहां नाले के साथ दीवार लगा कर उस रोड पर सुचारु रूप से ट्रैफिक चलायें जिससे जो वहां हाईराइज बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को राहत मिल सके। क्यों मंत्री जी उस दीवार को कराने का काम करें। जिस तरीके से नगर निगम ने अपने फड़ बनाये थे और जहां उनके गेट थे तो क्या माननीय मंत्री जी उन गेटों को उधर ही कराने का कष्ट करेंगे और जो मेन रोड पर उन्होंने खोल दिये हैं उसको बन्द कराने का कष्ट करेंगे जिससे वहां की जनता को लाभ मिले।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, दिखवा लेंगे इसे, अगर कोई हल निकल सकता है तो देखेंगे।

जनपद मुरादाबाद के कांठ में अग्निशमन केन्द्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में श्री अनीसुर्रहमान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा...

ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अरविन्द सिंह गोप)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

इसे पढ़ा हुआ माना गया।

(वक्तवव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[अवगत कराया गया है कि जनपद मुरादाबाद की तहसील कांठ का मुख्यालय जनपद मुरादाबाद से लगभग 35 कि0मी0 दूर है तथा मुरादाबाद से कांठ मार्ग पर दो रेलवे क्रासिंग पड़ते हैं। तहसील कांठ में दो थाना क्षेत्र एवं 228 राजस्व ग्राम हैं। परन्तु यहां कोई अग्निशमन केन्द्र नहीं है। आग की किसी भी दुर्घटना के समय आग बुझाने के लिये मुरादाबाद से अग्निमशन गाड़ियां मंगानी पड़ती हैं जो दो रेलवे क्रासिंग होने के कारण समय से नहीं पहुंचने के कारण आग पर काबू नहीं कर

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पाती एवं लोगों को भारी आर्थिक एवं जनहानि उठानी पड़ती है। अभी माह दिसम्बर, 2012 में ग्राम गोपालपुर तहसील कांठ में सलीम की पशुशाला में आग लगने के कारण सलीम की मौत हो गयी तथा दो भैंस जलकर मर गयीं। मैं क्षेत्रीय जनता की इस पीड़ा से प्रशासन एवं शासन को पूर्व में अवगत करा चुका हूं। जिलाधिकारी, अग्निशमन मुरादाबाद की मांग पर तहसील प्रशासन कांठ ने ग्राम-रसूलपुर गुजर में भूमि आरक्षित कर दी है, परन्तु अभी तक अग्निशमन केन्द्र स्थापित करने की कोई कार्यवाही नहीं की गयी है जिस कारण क्षेत्रीय जनता में आक्रोष है। अतः मा0 सदस्य द्वारा जनहित में लोक महत्व के उक्त अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से वक्तव्य की मांग की गयी है।

2-इस सम्बन्ध में अग्निशमन मुख्यालय द्वारा यह अवगत कराया गया है कि तहसील कांठ, जनपद मुरादाबाद में अग्निशमन केन्द्र स्थापित किये जाने हेतु निःशुल्क भूमि की उपलब्धता हेतु तहसील कांठ में तहसील भवनों हेतु प्रस्तावित अधिग्रहण की जानी वाली भूमि में ही अग्निशमन केन्द्र स्थापित किये जाने का प्रस्ताव सम्मिलित किये जाने हेतु मुख्य अग्निशमन अधिकारी, जनपद मुरादाबाद के पत्र दिनांक 30-11-2011 के द्वारा उप जिलाधिकारी, तहसील कांठ, जनपद मुरादाबाद से अनुरोध किया गया है। सम्प्रति तहसील कांठ, जनपद मुरादाबाद में निःशुल्क भूमि उपलब्ध न हो पाने की दशा में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है।]

श्री अनीसुर्रहमान-

मान्यवर, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूं कि मैंने जो प्रश्न उठाया था यह अग्निशमन केन्द्र स्थापित करने के संबंध में था और अग्निशमन का जो जवाब आया है वह यह आया है कि फ्री जमीन हमें नहीं उपलब्ध कराई गयी है जबकि यह बात गलत है। जिलाधिकारी, मुरादाबाद ने अग्निशमन वाले अधिकारियों को मौके पर भेजा है और वहां चौड़ा रास्ता कराकर दिया गया है इसका प्रस्ताव हो गया है। जमीन अग्निशमन के लिए आरक्षित कर दी गयी है मेरा तो यही अनुरोध है कि माननीय मंत्री जी इसका संज्ञान ले लेंगे तो यहां पर काम हो जायेगा। अभी भीषण अग्निकाण्ड हो गया था और कई लोग जल गये थे बड़ी मेहरबानी आपकी काण्ड की जनता पर हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी दिखवा लीजिएगा।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, असल में यह उन्हीं महानुभाव के जमाने का है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

आप क्या चाह रहे हैं ?

श्री अनीसुर्रहमान-

मान्यवर, हम अग्निशमन केन्द्र चाह रहे हैं, मुरादाबाद के कांठ में हो जाये। दो फाटक बीच में पड़ते हैं जब तक गाड़ी आती है, तब तक सब कुछ जलकर खाक हो जाता है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

आप अलग से खिलकर दें, माननीय मुख्य मंत्री जी के लिये।

जनपद चन्दौली अन्तर्गत धनावल शाखा पर पकड़ी माइनर को जोड़े जाने के सम्बन्ध में श्री बब्बन सिंह चौहान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित होने पर)

श्री अध्यक्ष-

चूंकि माननीय सदस्य मौजूद नहीं हैं, इसलिये यह व्यपगत हुआ।

जनपद बुलन्दशहर के सिकन्दराबाद नगर में उच्च चिकित्सालय व ट्रामा सेन्टर न होने के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित होने पर)

श्री अध्यक्ष-

चूंकि माननीय सदस्य मौजूद नहीं हैं, इसलिये यह व्यपगत हुआ।

प्रदेश में छावनी परिषदों को चुंगी क्षतिपूर्ति धनराशि को वर्तमान स्थिति पर दिये जाने के सम्बन्ध में श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित होने पर)

श्री अध्यक्ष-

चूंकि माननीय सदस्य मौजूद नहीं हैं, इसलिये यह व्यपगत हुआ।

जनपद मेरठ में मेडिकल कालेज के पीछे गढ़ रोड एवं काली नदी के बीच मुख्य मार्गों एवं आन्तरिक मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रविन्द्र भड़ाना द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित होने पर)

श्री अध्यक्ष-

चूंकि माननीय सदस्य मौजूद नहीं हैं, इसलिये यह व्यपगत हुआ।

उत्तर प्रदेश के अनुदानित अशासकीय महाविद्यालयों एवं राजकीय महाविद्यालयों के प्रोन्नति पाये शिक्षकों को रीडर/प्रवक्ता का वेतनमान दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार 'लल्लू' द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित होने पर)

श्री अध्यक्ष-

चूंकि माननीय सदस्य मौजूद नहीं हैं, इसलिये यह व्यपगत हुआ।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में विगत वर्ष 2012 में आये भयंकर तूफान के कारण टूटे हुए ट्रांसफार्मर, बिजली के तारों एवं खम्भों को तत्काल ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जय प्रकाश अंचल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित होने पर)

श्री अध्यक्ष-

चूंकि माननीय सदस्य मौजूद नहीं हैं, इसलिये यह व्यपगत हुआ।

जनपद बाराबंकी के ग्राम कुर्सी के ब्लाक निन्दूरा में मीट कम्पनी एमरून फूड प्रोडक्ट्स द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण से क्षेत्रीय निवासियों के संक्रमित होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री पंकज कुमार मलिक द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित होने पर)

श्री अध्यक्ष-

चूंकि माननीय सदस्य मौजूद नहीं हैं, इसलिये यह व्यपगत हुआ।

जनपद आगरा के ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायत अकोला में खारे पानी के स्थान पर मीठे पानी की आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में श्री काली चरन सुमन द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, ग्राम्य विकास मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित होने पर)

श्री अध्यक्ष-

चूंकि माननीय सदस्य मौजूद नहीं हैं, इसलिये यह व्यपगत हुआ।

अब हम उठते हैं, कल 11.00 बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 08 बजकर 20 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

दिनांक 06 मार्च, 2013

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये अता0प्र0सं0-125 का उत्तर पीछे पृष्ठ-82 पर।)

विधान सभा के प्रथम सत्र 2013 के तीसरे बुधवार हेतु निर्धारित डा0 मोहम्मद अयूब, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-135 के उत्तरालेख का संलग्नक-1

(जनपद संतकबीर नगर के अन्तर्गत मरम्मत/नवीनीकरण कार्यों की सूची)

क्र0सं0	मार्ग का नाम	नवीनीकरण के कार्य		पैच मरम्मत का कार्य		कुल आवंटन रु0 लाख में	कुल व्यय रु0 लाख में
		आवंटन रु0 लाख में	व्यय रु0 लाख में	आवंटन रु0 लाख में	व्यय रु0 लाख में		
1	2	3	4	5	6	7	8
	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 संतकबीरनगर						
1	बांसी नन्दौर खलीलाबाद मार्ग	73.69	70.17	0.00	0.00	73.69	70.17
2	बिगरा से तिलजा मार्ग	15.33	15.28	0.00	0.00	15.33	15.28
3	बनकटिया पचपोखरी मार्ग	15.33	15.13	0.00	0.00	15.33	15.13
4	पचपोखरी जूरी भदाह मार्ग	38.32	32.69	0.00	0.00	38.32	32.69
5	खलीलाबाद मेंहदावल से सई बुजुर्ग मार्ग	15.33	12.99	0.00	0.00	15.33	12.99
6	दलेलगंज से परसवा मार्ग	18.36	18.34	0.00	0.00	18.36	18.34
7	सीटकर से बढ़या मार्ग	15.33	15.33	0.00	0.00	15.33	15.33
8	खलीलाबाद मेंहदावल से पटखौली दशहरा मार्ग	38.32	31.37	0.00	0.00	38.32	31.37
9	काटामान सिंह ग्राम से काटामान सिंह तेनुआ मार्ग	7.67	6.58	0.00	0.00	7.67	6.58
10	एन0एच0 28 से मिश्रौलिया गुलरिहा लकाड़ी मार्ग	19.89	19.12	0.00	0.00	19.89	19.12
11	बनकटी पचपोखरी से देवापार खास मार्ग	9.54	9.51	0.00	0.00	9.54	9.51
12	बघौली लंगड़ावार से पूरीमाफी मार्ग	11.49	10.16	0.00	0.00	11.49	10.16
13	खलीलाबाद मेंहदावल से छड़ना मार्ग	7.67	7.62	0.00	0.00	7.67	7.62

1	2	3	4	5	6	7	8
14	मुहियापुल घूरापाली से जमोहरा मार्ग	7.67	6.38	0.00	0.00	7.67	6.38
15	मेंहदावल विसौवा से ददरा मार्ग	15.33	0.18	0.00	0.00	15.33	0.18
16	मेंहदावल बांसी से बनेथू मार्ग	7.67	7.30	0.00	0.00	7.67	7.30
17	बखिरा सहजनवां से बड़गो मार्ग	0.00	0.00	0.12	0.00	0.12	0.00
18	खलीलाबाद मेंहदावल से बढ़या रक्शाकोल मार्ग	0.00	0.00	0.12	0.11	0.12	0.11
19	खलीलाबाद मेंहदावल से ढोढया मार्ग	0.00	0.00	0.06	0.06	0.06	0.06
20	बखिरा गौरा मार्ग (कि0मी0-1)	0.00	0.00	0.24	0.20	0.24	0.20
21	बी0एम0सी0टी0 से सांगठ मार्ग	0.00	0.00	0.12	0.11	0.12	0.11
22	खलीलाबाद मेंहदावल से बड़हरा मार्ग	7.63	3.46	0.00	0.00	7.63	3.46
23	बांसी नन्दौर से पसाई मार्ग	11.43	10.31	0.00	0.00	11.43	10.31
24	बखिरा गौरा भक्टी से खुटवा मार्ग	17.11	16.80	0.00	0.00	17.11	16.80
25	बखिरा गौरा मार्ग (कि0मी0 3,4)	14.60	14.20	0.00	0.00	14.60	14.20
26	बांसी नन्दौर खलीलाबाद से रमवापुर सरकारी मार्ग	25.55	8.94	0.00	0.00	25.55	8.94
27	एम0आर0डी0 से लोहरौली मार्ग	14.60	0.00	0.00	0.00	14.60	0.00
28	एम0आर0डी0 बेलवा सेंगर से करमहिया मार्ग	14.60	5.57	0.00	0.00	14.60	5.57
29	एम0आर0डी0 कि0मी0 2 से भटपुरवा मार्ग	7.30	0.00	0.00	0.00	7.30	0.00
30	एम0आर0डी0 कि0मी0 10 से हसनी मार्ग	21.91	17.32	0.00	0.00	21.91	17.32

1	2	3	4	5	6	7	8
31	एम0आर0डी0 से पिपरी जंगल बेलहर मार्ग	3.65	1.52	0.00	0.00	3.65	1.52
32	मेंहदावल बेलौली से डुमरियाबाबू मार्ग	10.95	0.00	0.00	0.00	10.95	0.00
33	बी0एम0सी0टी0 मार्ग	0.00	0.00	38.85	16.83	38.85	16.83
34	बांसी नन्दौर खलीलाबाद मार्ग	0.00	0.00		12.25	0.00	12.25
35	दुधारा पचावा मार्ग	0.00	0.00		0.29	0.00	0.29
36	एम0आर0डी0 मार्ग	0.00	0.00		6.31	0.00	6.31
37	जगदीशपुर टेमा सेमरियावां मार्ग	0.00	0.00		2.85	0.00	2.85
38	मेंहदावल बखिरा मार्ग	0.00	0.00		0.20	0.00	0.20
39	हरदी भगवानपुर सिहोरवा मार्ग	0.00	0.00	6.09	0.30	6.09	0.30
42	मेंहदावल बाईपास मार्ग	0.00	0.00		0.30	0.00	0.30
43	निरीक्षण गृह खलीलाबाद मार्ग	0.00	0.00		0.61	0.00	0.61
45	बखिरा गौरा मार्ग (कि0मी0 2)	0.00	0.00		0.49	0.00	0.49
46	हरदी भक्ठी मार्ग	0.00	0.00		1.69	0.00	1.69
47	मगहर कड़सहरा मार्ग	0.00	0.00		0.92	0.00	0.92
48	एम0आर0डी0 से पिपरा मनैतापुर मार्ग	0.00	0.00		0.50	0.00	0.50
49	लोहरौली जंगल दशहर से सरौवा मार्ग	0.00	0.00		0.49	0.00	0.49
	प्रा0 ख0 का योग :	**466.27**	**356.27**	**45.60**	**44.51**	**511.87**	**400.78**
	नि0ख0-2, लो0नि0वि0, संतकबीर नगर						
50	मगहर कड़सरा मार्ग	14.78	14.25	10.95	0.00	25.73	14.25
51	रामजानकी से बड़गों मार्ग	18.43	11.66		0.00	18.43	11.66
52	महुली सिक्टहा शनिचरा मार्ग	22.40	14.17		0.00	22.40	14.17

1	2	3	4	5	6	7	8
53	बस्ती महसो महुली नाथनगर मार्ग पर एस0डी0बी0सी0 कार्य	21.64	6.19		4.70	21.64	10.89
54	खलीलाबाद शुगर मिल परसपुर मार्ग पर पी0सी0 कार्य	23.76	1.32		0.00	23.76	1.32
55	हरिहरपुर भिनखिनी मार्ग पर पी0सी0 कार्य	22.17	1.46		0.00	22.17	1.46
56	छपरा मगरबी से छपरा मशरकी मार्ग कि0मी0 1 से 3	22.40	3.06		0.30	22.40	3.36
57	के0एम0डी0 से भिटनी जगदीशपुर मार्ग	12.94	0.00		0.00	12.94	0.00
58	रामजानकी से सोनडीहा मार्ग	7.39	3.48		0.00	7.39	3.48
59	के0एम0डी0 से ठकुराडाड़ी मार्ग	7.39	3.50		0.00	7.39	3.50
60	गिरधरपुर से शिवशंकरपुर तामेश्वरधाम मार्ग	8.87	4.56		0.00	8.87	4.56
61	चकदही चनहर कि0मी0 9 से रौतापार मार्ग	3.74	2.21		0.00	3.74	2.21
62	तामेश्वरधाम से मैनसिर मोलनापुर मार्ग	7.39	3.63		0.00	7.39	3.63
63	बस्ती महसो महुली से धायपोखर मार्ग-अ0जि0मा0	21.02	10.26		0.00	21.02	10.26
64	रामजानकी से बैजनाथपुर मार्ग	22.42	12.21		0.00	22.42	12.21
65	छपरा मगरबी से छपरा मशरकी मार्ग-कि0मी0 4 से 7	28.03	16.15		0.00	28.03	16.15
66	रामजानकी से बच्छईपुर मार्ग	0.00	0.00		0.39	0.00	0.39
67	खलीलाबाद-मुखलिसपुर धनघटा मार्ग	0.00	0.00		13.58	0.00	13.58

1	2	3	4	5	6	7	8
68	रामजानकी मार्ग	0.00	0.00		13.11	0.00	13.11
69	चुरेब भाटपार सरौली मार्ग	0.00	0.00		0.20	0.00	0.20
70	मंझरिया खरवनियां खुर्द	0.00	0.00		0.20	0.00	0.20
71	चकदही से अनुसूचित बस्ती मार्ग	0.00	0.00		0.20	0.00	0.20
72	महुली सिसवनियां से मरहनजोत मार्ग	0.00	0.00		0.40	0.00	0.40
73	के0एम0डी0 से विश्वनाथपुर मार्ग	0.00	0.00		0.13	0.00	0.13
74	कल्याण पट्टी से चौराकलां	0.00	0.00		0.20	0.00	0.20
75	मैनसिर मोलनापुर से रौतापार मार्ग	0.00	0.00		0.20	0.00	0.20
76	बिड़हरघाट पहुंच मार्ग	0.00	0.00		0.40	0.00	0.40
77	करीं से तरैनी मार्ग	0.00	0.00	33.52	0.50	33.52	0.50
78	हैंसर घाघरा घाट से अशरफपुर मार्ग	0.00	0.00		0.20	0.00	0.20
79	जिगिना देवरी से करियाजोत	0.00	0.00		0.20	0.00	0.20
80	टुगपार से बरी भरोहिया	0.00	0.00		0.18	0.00	0.18
81	बयारा चौराहे से मगहर	0.00	0.00		0.18	0.00	0.18
82	रामजानकी से डिहवा पश्चिम	0.00	0.00		0.20	0.00	0.20
83	के0एम0डी0 से प्रजापतिपुर कटारमिश्र	0.00	0.00		0.20	0.00	0.20
84	नेहिया से गड़सरपार	0.00	0.00		0.16	0.00	0.16
85	रामजानकी से घोरांग	0.00	0.00		0.19	0.00	0.19
86	हरिहरपुर कला से जमुहट मार्ग	0.00	0.00		0.20	0.00	0.20
87	के0एम0डी0 से मंझरिया मार्ग	0.00	0.00		0.20	0.00	0.20
88	बी0एम0एम0 से हरिहरपुर	0.00	0.00		0.19	0.00	0.19
89	बी0एम0एम0 से टिकुई कला चौबेपुरवा	0.00	0.00		0.40	0.00	0.40

1	2	3	4	5	6	7	8
90	पौली पचरा डिहवा मार्ग	0.00	0.00		0.20	0.00	0.20
91	शंकरपुर से पंडितपुरवा मार्ग	0.00	0.00		0.20	0.00	0.20
92	शुगर मिल घटरम्हा से दुल्हीपार	0.00	0.00		0.99	0.00	0.99
93	रामजानकी से पारा मकदूमपुर	0.00	0.00		1.09	0.00	1.09
94	किठुरी कटारजोत मार्ग	0.00	0.00		0.20	0.00	0.20
95	शंकरपुर से पण्डितपुरवा मार्ग	0.00	0.00		0.20	0.00	0.20
96	मैनसिर मोलनापुर गिठनी से ओमबिलाई मार्ग	0.00	0.00		0.79	0.00	0.79
97	जगदीशपुर भिटनी हरिहरपुर मार्ग	0.00	0.00		0.94	0.00	0.94
98	के0एम0डी0 से दुधरा मार्ग	0.00	0.00		0.38	0.00	0.38
99	पौली परसहर महेश्वर घाट मार्ग	0.00	0.00		0.20	0.00	0.20
100	शनिचरा चकिया से नारायणपुर मार्ग	0.00	0.00		1.20	0.00	1.20
	नि0ख0-2 का योग :	**264.77**	**108.11**	**44.47**	**43.40**	**309.24**	**151.51**
	दोनों खण्डों का योग :	**731.04**	**464.38**	**90.07**	**87.91**	**821.11**	**552.29**

(इं0 के0ए0 सिद्दीकी)	(इं0 एच0सी0 त्रिवेदी)	(इं0 वी0पी0 शर्मा)	(इं0 महेन्द्र सिंह I)
अधिशासी अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता	मुख्य अभियन्ता
नि0ख0-2, लो0नि0वि0,	प्रा0ख0, लो0नि0वि0,	बस्ती वृत्त, लो0नि0वि0,	गोरखपुर क्षेत्र, लो0नि0वि0,
संतकबीर नगर।	संतकबीर नगर।	बस्ती।	गोरखपुर।

विधान सभा के प्रथम सत्र 2013 के तीसरे बुधवार हेतु निर्धारित डा0 मोहम्मद अयूब मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-135 के उत्तरालेख का संलग्नक-2

(जनपद संतकबीर नगर के अन्तर्गत नव निर्माण कार्यों की सूची)

क्र0सं0	योजना का नाम	मार्ग का नाम	नव निर्माण कार्य		टिप्पणी
			आवंटन रु0 लाख में	व्यय रु0 लाख में	
1	2	3	4	5	6
1	नाबार्ड-17	बी0एम0सी0टी0 कि0मी0 23 से पिपराचक मार्ग	32.18	24.71	कार्य प्रगति में है।
2	नाबार्ड-17	बी0एम0सी0टी0 कि0मी0 21 से पिपरा डोमन मार्ग	10.93	10.84	कार्य प्रगति में है।
3	नाबार्ड-17	निघुरी देवकली परसा शुक्ल कि0मी0 1 से भटौरा मार्ग	14.57	14.97	-तदैव-
4	नाबार्ड-17	बी0एम0सी0टी0 कि0मी0 29 से बूढ़ी बेलहर मार्ग	38.52	9.22	कार्य प्रगति में है।
5	नाबार्ड-17	बनकटिया कोल्हुआ लकड़ा कि0मी0 2 से उतरावल	28.45	28.45	कार्य पूर्ण
6	नाबार्ड-17	टड़वरिया समोगर मेहदूपार कि0मी0 9 से बौरव्यास अनु0 बस्ती मार्ग	5.75	0.00	कार्य प्रगति में है।
7	नाबार्ड-17	बड़गो अजगइवाघाट कि0मी0 3 से खटौली मार्ग	7.95	0.00	कार्य प्रगति में है।
8	नाबार्ड-17	बनकटिया अनई कोल्हुआ लकड़ा कि0मी0 2 से जंगलखुर्द मार्ग	7.99	0.00	कार्य प्रगति में है।
9	नाबार्ड-17	बांसी नन्दौर खलीलाबाद कि0मी0 39 से परजूडीह मार्ग	20.05	0.00	कार्य प्रगति में है।
10	नाबार्ड-17	बघौली पिपरा बोरिंग कि0मी0 9 से कुसुम्हा मार्ग	9.66	0.00	कार्य प्रगति में है।
11	नाबार्ड-17	केशवापुर रक्शा देई मार्ग कि0मी0 1 से देवरिया नासिर मार्ग	10.94	0.00	कार्य प्रगति में है।
		प्रा0 ख0 का योग-	**186.99**	**88.19**	

1	2	3	4	5	6
12	नाबार्ड-16	मंझरिया खरवनियां कि0मी0 2 से दक्षिणपुरवा कोनी मार्ग	38.62	0.00	कार्य प्रगति पर है।
13	नाबार्ड-16	जमुनी पानाराम कि0मी0 1 से मरवटिया मार्ग	34.00	0.00	कार्य प्रगति पर है।
14	नाबार्ड-17	एन0एच0-28 कि0मी0 226 से जोरवा होते हुए मनियरा सम्पर्क मार्ग	21.82	0.22	कार्य प्रगति पर है।
15	नाबार्ड-17	नाथनगर काली जगदीशपुर कि0मी0 3 से सकरैचा मार्ग	40.20	21.72	कार्य प्रगति पर है।
16	नाबार्ड-17	के0एम0डी0 कि0मी0 29 से नेतवापुर चौराहे से चपरपूर्वी तुर्कवलिया मार्ग	20.00	0.48	कार्य प्रगति पर है।
17	नाबार्ड-17	के0एम0डी0 कि0मी0 9 से बढ़ईपुरवा से खरवनियां पी0एम0जी0एस0वाई0 मार्ग	28.93	25.02	कार्य पूर्ण
18	नाबार्ड-17	चकदही चनहर कि0मी0 9 से सूपा पुलिया सम्पर्क मार्ग	40.70	13.88	कार्य पूर्ण
19	नाबार्ड-17	के0एम0डी0 कि0मी0 6 से निखरखपार सिवसरा मार्ग से विश्रापार गजपुर हरिजन बस्ती मार्ग	8.03	0.00	कार्य प्रगति पर है।
20	नाबार्ड-17	रामजानकी कि0मी0 98 से भैंसही मार्ग	9.20	0.00	-तदैव-
21	नाबार्ड-17	धवरेपार पिड़ारी कि0मी0 1 से झकही मार्ग	12.03	0.00	-तदैव-
22	नाबार्ड-17	रामजानकी कि0मी0 73 से मलौली से परसाखुर्द मार्ग	12.60	0.00	-तदैव-
23	नाबार्ड-17	जयराम पट्टी बरौली फरेनिया कि0मी0 3 से बछलापार मार्ग	16.11	0.00	-तदैव-
24	राज्य योजना	मुखसिलपुर-भैंसहीजोत के बीच कठनइया नाला पर सेतु, पहुंच मार्ग, सुरक्षात्मक कार्य एवं अति0 पहुंच मार्ग का निर्माण (12गुने 4 मी0 स्पान)	122.00	117.13	सेतु कार्य पूर्ण पहुंच मार्ग का कार्य प्रगति पर है।

1	2	3	4	5	6
25	राज्य योजना	हरिहरपुर-सिधाही-छितही-महुली मार्ग के बीच कठनइया नाला पर सेतु, पहुंच मार्ग, सुरक्षात्मक कार्य एवं अति0 पहुंच मार्ग का निर्माण (12गुने 4 मी0 स्पान)	75.00	36.58	-तदैव-
		नि0 ख0-2 का योग-	**479.24**	**215.03**	
		दोनों खण्डों का योग-	**666.23**	**303.22**	

(इं0 के0ए0 सिद्दीकी)
अधिशासी अभियन्ता
नि0ख0-2, लो0नि0वि0,
संतकबीर नगर।

(इं0 एच0सी0 त्रिवेदी)
अधिशासी अभियन्ता
प्रा0ख0, लो0नि0वि0,
संतकबीर नगर।

(इं0 वी0पी0 शर्मा)
अधीक्षण अभियन्ता
बस्ती वृत्त, लो0नि0वि0,
बस्ती।

(इं0 महेन्द्र सिंह I)
मुख्य अभियन्ता
गोरखपुर क्षेत्र, लो0नि0वि0,
गोरखपुर।

विधान सभा के प्रथम सत्र 2013 के तीसरे बुधवार हेतु निर्धारित डा0 मोहम्मद अयूब मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-135 की अनुपूरक सूचना

जनपद संतकबीर नगर में राज्य मार्ग/प्रमुख जिला मार्ग/अन्य जिला मार्ग/ग्रामीण मार्गों के वर्ष 2012-13 में अनुरक्षण (मरम्मत/नवीनीकरण) के कार्यों का खण्डवार विवरण

क्र0सं0	खण्ड का नाम	कुल मार्गों की सं0	कुल स्वीकृत लम्बाई (कि0मी0 में)	कुल स्वीकृत आवंटन (लाख रु0 में)	कुल किया गया कार्य (कि0मी0 में)	कुल किया गया व्यय (लाख रु0 में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्रा0 खण्ड संत कबीर नगर	49	165.85	511.87	159.60	400.78	सूची संलग्न है।
2	नि0 खण्ड-2	51	162.15	309.24	156.40	151.51	-तदैव-

वर्ष 2012-13 में मार्गों के नवनिर्माण का खण्डवार विवरण

क्र0सं0	खण्ड का नाम	योजना का नाम	कुल मार्ग कार्यों की सं0	स्वीकृत आवंटन (लाख रु0 में)	स्वीकृत लम्बाई (कि0मी0 में)	किया गया कार्य (लम्बाई कि0मी0 में)	किये गये कार्यों पर व्यय (लाख रु0 में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	प्रा0 खण्ड संतकबीर नगर	आर0 आई0 डी0 एफ-17	11	186.99	16.72	3.12	88.19	सूची संलग्न है।
2	नि0 खण्ड-2 संतकबीर नगर	आर0 आई0 डी0 एफ-16/17 व राज्य योजना	14	479.24	27.30	4.70	215.03	-तदैव-

(इं0 के0ए0 सिद्दीकी)
अधिशासी अभियन्ता
नि0ख0-2, लो0नि0वि0,
संत कबीर नगर।

(इं0 एच0सी0 त्रिवेदी)
अधिशासी अभियन्ता
प्रा0ख0, लो0नि0वि0,
संत कबीर नगर।

(इं0 वी0पी0 शर्मा)
अधीक्षण अभियन्ता
बस्ती वृत्त, लो0नि0वि0,
बस्ती।

नत्थी 'ख'

(देखिये अता0प्र0सं0-170 का उत्तर पीछे पृष्ठ-98-99 पर।)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2013 के 3सरे बुधवार के लिए निर्धारित श्री प्रदीप माथुर, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-170 के उत्तर का संलग्नक।

क्र0सं0	मार्ग का नाम जनपद-मथुरा
1	दिल्ली-कलकत्ता मार्ग (पुराना राष्ट्रीय मार्ग शहरी भाग)
2	पी0बी0एम0बी0 मार्ग
3	मथुरा डींग मार्ग
4	कोसी नन्दगांव मार्ग
5	वृन्दावन छटीकरा राधाकुण्ड मार्ग
6	छाता गोवर्धन मार्ग
7	छाता बरसाना मार्ग
8	फरह अछनेरा मार्ग
9	फरह सौंख मार्ग
10	अग्रसेन चौराहे से कच्ची सड़क होते हुए गऊ घाट तक मार्ग
11	विष्णुपुरी मस्जिद से राधिका बिहार सौंख मार्ग
12	मथुरा डींग मार्ग से गिरधरपुर मार्ग
13	मथुरा वृन्दावन मार्ग
14	गोवर्धन सौंख बाईपास मार्ग
15	पी0बी0एम0बी0 मार्ग
16	मथुरा सादाबाद मार्ग
17	मथुरा वृन्दावन मांट नौहझील मार्ग
18	छाता शेरगढ़ नौहझील बाजना गौमत मार्ग
19	राया मांट मार्ग
20	वृन्दावन एप्रोच मार्ग
21	राया बल्देव मार्ग
22	राया सादाबाद मार्ग
23	गोकुल ब्रह्माण्ड घाट मार्ग
24	बल्देव बरौली कैलाश मार्ग
25	बल्देव फीडर मार्ग

नत्थी 'ग'

(देखिये मा0 अध्यक्ष के आदेश पीछे पृष्ठ-161 पर।)

श्री राम चन्द्र यादव-

महोदय,

माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा प्रस्तुत ऊर्जा विभाग के कटौती प्रस्ताव पर श्रीमन् आपने अपनी बात कहने का अवसर दिया, इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं।

मान्यवर,

जनपद फैजाबाद विधान सभा रूदौली अन्तर्गत नगर व देहात क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति मात्र 5-6 घण्टे की जा रही है जबकि बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। मेरी मांग है कि छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए विद्युत आपूर्ति सायं 5 से 10 व सुबह 4 से 8 बजे तक सुनिश्चित कराई जाय। रूदौली नगर की जनता मीटर पद्धति से विद्युत बिलों का भुगतान कर रही है। ऐसी स्थिति में रूदौली नगर को शहरी रोस्टर की भांति विद्युत आपूर्ति कराई जाये। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत खम्भों व जर्जर तारों के कारण आये दिन विद्युत स्पर्शाघात की बड़ी-बड़ी घटनाएं घट रही हैं। इन्हें तुरन्त चिन्हित कराकर क्षतिग्रस्त तारों व खम्भों का नवीनीकरण कराया जाय। दिनांक 17 फरवरी, 2013 को रामकरन यादव निवासी खंडपिपरा पूरेबढ़इन तहसील रूदौली की गन्ने की फसल काटते समय विद्युत स्पर्शाघात से मृत्यु हो गयी। ऐसी ही लगभग एक दर्जन मौतें रूदौली तहसील अन्तर्गत हो चुकी हैं जिसके कारण क्षेत्रवासियों में भयंकर असन्तोष है।

मान्यवर, आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्री जी से मांग करता हूं कि रूदौली विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत विद्युत स्पर्शाघात से हुई मौतों से हुई क्षति का प्रति परिवार 5-5 लाख रु0 मुआवजा दिलाया जाय।

अन्त में मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और नेता प्रतिपक्ष द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री हेमराज वर्मा-

महोदय,

निवेदन करना है कि जनपद पीलीभीत में उ0 प्र0 के कुल वन क्षेत्र का 25% वन है तथा जनपद के वन क्षेत्र में लगभग 50 शेर हैं। आये दिन शेरों के मारे जाने की घटनायें होती रहती हैं। वनों के संरक्षण एवं शेरों की सुरक्षा हेतु जनपद वासियों की काफी समय से पीलीभीत वन क्षेत्र को टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट घोषित करने की मांग चली आ रही है।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस वन विभाग के बजट में पीलीभीत वन क्षेत्र को टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट घोषित कराने का कष्ट करें जिससे अन्य जंगली जानवरों के साथ-साथ टाइगरों की सुरक्षा व वनों की भी सुरक्षा हो सके तथा क्षेत्र के विकास को गति मिल सके।

खादी एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री (श्री रियाज अहमद)-

जैसा कि आप द्वारा आज का बहुत ही शानदार वन विभाग का बजट रखा गया है, इसके लिये मैं दिली मुबारकवाद देता हूं साथ ही आपसे यह अपील भी करता हूं कि मेरे जनपद पीलीभीत में उ0 प्र0 के कुल वन क्षेत्र का एक चौथाई क्षेत्र अकेला पीलीभीत में है और मेरे जनपद पीलीभीत का वन अपने देश के सभी वनों में सबसे खूबसूरत वन है।

सौभाग्य की बात यह है कि इस वन में बाघों (शेर) की संख्या लगभग 50 है। विगत वर्ष वन कर्मियों की लापरवाही से 02 माह के अन्दर 03 बाघ (शेर) मार दिये गये जो कि अत्यन्त ही निन्दनीय घटना थी। शेरों के अतिरिक्त सभी तरीके के जानवरों की हमारे वन (महोफ रेंज, मुस्तफाबाद रेंज और माला रेंज) में सभी प्रकार के जानवरों की भरमार है। जनता द्वारा एवं वार्यावरणविद् लोगों द्वारा काफी लम्बे समय से इस क्षेत्र को **टाइगर प्रोजेक्ट** घोषित करने की मांग होती रही है।

विगत दिनों जब मैं विपक्ष में था तो मैंने भी समय-समय पर **टाइगर प्रोजेक्ट** बनाये जाने की मांग भारत सरकार एवं उ0 प्र0 सरकार से करता रहा हूं। भारत सरकार ने सिद्धान्ततः इसे स्वीकार भी कर लिया है। अतः आज के इस बजट में इस प्रोजेक्ट को भी यदि शामिल कर लिया जाए तो लोगों द्वारा चली आ रही विगत काफी समय की मांग भी पूरी हो जाएगी और खूबसूरत वनों को वहां के जानवरों के साथ-साथ बोघों (शेरों) को संरक्षण भी प्राप्त हो जाएगा और यह प्रदेश के लिए और क्षेत्रीय लोगों के लिए देशी विदेशी पर्यटकों के आवागमन से क्षेत्र के विकास के लिए सोने की खान साबित होगा।

अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि इसे इसी वित्तीय बजट में घोषित करने की कृपा करें।

श्री शारदा प्रताप शुक्ला-

मा0 अध्यक्ष जी,

मा0 ऊर्जा मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं।

मान्यवर, मैं 170 सरोजनी नगर विधान सभा क्षेत्र जहां से मैं चुनकर आता हूं विद्युत के सम्बन्ध में कुछ मेरे सुझाव हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे सुझाव पर मा0 विद्युत मंत्री जी ध्यान देकर अमली जामा पहनाने की कृपा करेंगे।

मान्यवर, लखनऊ मोहान मार्ग पर स्थित सरोसा-भरोसा ग्राम सभा में 132 का एक पावर हाउस जो एक वर्ष से बन रहा है। उसे अविलम्ब पूरा कराने की कृपा करें तथा सरोजनीनगर के नादरगंज पावर हाउस में 132 का दूसरा पावर हाउस स्वीकृत है, पर धन के अभाव में उसका निर्माण कार्य रुका हुआ है। मैं चाहता हूं कि इस वित्तीय वर्ष में धन आवंटन कर उसका निर्माण पूरा कराने की कृपा करें।

मान्यवर, मैंने सरोजनीनगर विकास खण्ड के चन्द्रावल ग्राम में 132 के पावर हाउस का प्रस्ताव किया था जिसके लिए भूमि की उपलब्धता का सवाल जब उठा तो मैंने अधिकारियों को चन्द्रावल ग्राम सभा में ग्राम समाज की जमीन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया और भूमि की उपलब्धता भी सुनिश्चित करा दी। किन्तु उस मेरे प्रस्ताव पर अब तक विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। जबकि अधिकारी बड़ा पावर हाउस लगाने का आश्वासन दे रहे थे। मान्यवर, इसी वित्तीय वर्ष में धन की उपलब्धता कराते हुए त्वरित गति से चन्द्रावल में पावर हाउस बनवाने की कृपा करें।

मान्यवर, मेरा विधान सभा क्षेत्र दो भागों में विभाजित है। 9 नगर निगम के वार्ड शहरी क्षेत्र में तथा सम्पूर्ण विकास खण्ड सरोजनीनगर व काकोरी विकास खण्ड की कुछ ग्राम सभाएं मेरे क्षेत्र में आती हैं। मेरे पूरे क्षेत्र में विद्युत सप्लाई सेंस द्वारा की जाती है।

मान्यवर, सोसाइटी द्वारा जो लाइनमैन एवं अनुभवहीन कर्मचारी रखे गये थे। उनके द्वारा बनायी गयी विद्युत लाइनें जिनके खम्भे मानक के अनुसार नहीं गड़े वो झुक गये हैं तथा विद्युत तार की लाइनें लटकी हुई हैं। जिससे आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। गर्मी के दिनों में विद्युत तारों के टूटने एवं उसके घर्षण से निकली हुई चिंगारी से रबी की फसलें गेहूं आदि खेतों में ही जल जाती है तथा व्यक्तियों एवं जानवरों की मौंते भी हो रही हैं।

मान्यवर, अब वर्तमान में सेंस को समाप्त कर लेसा में परिवर्तन कर दिया गया है। फिर भी विद्युत लाइन के खम्भे एवं तार उसी स्थिति में हैं जिसे ठीक कराना किसानों/नागरिकों के हित में है।

मान्यवर, मैं मा0 मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने किसानों के लिए विद्युत उपलब्ध कराने के लिए उनका फीडर अलग करने की व्यवस्था की है।

मान्यवर, मौजूदा समय में हर व्यक्ति विद्युत कनेक्शन लेना चाहता है क्योंकि आज विद्युत मानव के लिए एक आवश्यक आवश्यकता बन गयी है जिससे विद्युत कनेक्शन ज्यादातर लोग लेना चाहते हैं जिससे लोड बढ़ने के कारण ट्रांसफार्मर जल रहे हैं। इसके सम्बन्ध में मेरा एक सुझाव है कि

जहां 25 हार्स पावर के ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं उनकी जगह 65 हार्स पावर कर दिया जाए और 65 की जगह 100 हार्स पावर एवं 100 की जगह 250 हार्स पावर का ट्रांसफार्मर लगा दिया जाए। ट्रांसफार्मरों की क्षमता इस लिए बढ़ाया जाना जरूरी है जिससे विद्युत उपभोक्ताओं को आसानी से विद्युत कनेक्शन मिल सके। साथ ही पावर हाउस की गुणवत्ता में सुधार किया जाए क्योंकि ट्रांसफार्मर लगाते ही जल जाते हैं तथा महीनों जले हुए ट्रांसफार्मरों को बदला नहीं जाता है इसका मुख्य कारण ट्रांसफार्मरों में पर्याप्त मात्रा में तेल नहीं भरा जाता है जिससे यह जल जाता है।

मान्यवर, जिन आवासीय कालोनियों में विद्युत लाइन मकानों के ऊपर से निकल जाती है। उन लाइनों को शिफ्ट करने का प्राविधान किया जाए उन पर होने वाले व्यय को विद्युत विभाग वहन करे इसका व्यय उपभोक्ताओं पर न डाला जाए। आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि सरस्वतीपुरम् कालोनी पी0जी0आई0 रायबरेली रोड पर बनी हुई है। वहां की विद्युत लाइन मकानों के ऊपर से निकली हुई हैं जिसकी शिफ्टिंग के लिए उपभोक्ताओं से विभाग द्वारा 32 लाख रुपये की मांग की जा रही है।

मान्यवर, अन्त में मैं ऊर्जा मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री अमरपाल शर्मा-

बिजली कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुए मैं कहना चाहता हूं कि गाजियाबाद जिले में काफी ऐसी कालोनी बसी हुई हैं। जहां पर आज तक बिजली की लाइन नहीं बिछाई गई है। अतः मेरा आपके माध्यम से मा0 मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि गाजियाबाद की सभी कालोनियों में बिजली की लाइन लगवाने की कष्ट करें।

श्री प्रदीप चौधरी-

मान्यवर,

विद्युत विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया आपका धन्यवाद।

विद्युत विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। प्रदेश के हर गरीब किसान, व्यापारी, उद्योगपतियों से जुड़ा हुआ है। प्रदेश का हर व्यक्ति बिजली की आवश्यकता महसूस करता है। गांव स्तर पर बहुत अत्यधिक लोड है और उसकी वजह से ट्रांसफार्मर जल्दी-जल्दी फुंकते हैं लेकिन विभाग द्वारा उसको अविलम्ब नहीं लगाया जाता है। लगभग 18 से 20 दिनों बाद बार-बार चक्कर लगाने के बाद ट्रांसफार्मर दिया जाता है जबकि विभाग द्वारा यह व्यवस्था भी है कि अगर गांव का ट्रांसफार्मर जल जाता है उसको लाने व ले जाने के लिए विभाग की जिम्मेदारी होती है लेकिन विभाग द्वारा इस ओर कोई कार्य नहीं किया जाता। गांव के ही लोगों को लाना व ले जाना पड़ता है विभाग द्वारा इसके पैसे को बन्दर-बाट करने का कार्य करता रहता है। दूसरी बात यह कहना चाहता हूं जो मजरें विद्युतीकरण से छूटे हैं उनका विद्युतीकरण प्राथमिकता पर कराया जाये जिसमें हमारे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गांव कैडल, छोटी कैण्डल, शकरपुर, शेरमऊ, राम सहाय वाला आदि गांवों का अविलम्ब विद्युतीकरण कराया जाये।

इसके बाद यह कहना चाहता हूं कि 132 के0वी0 व 220 के0वी0 के विद्युत केन्द्रों की स्थापना के साथ उनकी लाईन बनायी जाती है जिसके टावर लगाये जाते हैं उसमें किसानों की जमीन अधिग्रहण की जाती है। उस मुआवजे पर किसान टावर लगवाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। टावर लगाने के लिये दिये जाने वाले मुआवजे की राशि को बढ़ाया जाये ताकि किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो क्योंकि हमारे क्षेत्र में यह समस्या बनी हुई है। रामपुर, गनौता आने वाली लाइन रुकी पड़ी है दूसरे गनौता से गंगोह आने वाली लाइन अभी तक रुकी पड़ी है।

इसके बाद विधान सभा क्षेत्र गंगोह में विद्युत का ओवरलोड बहुत रहता है। इसको कम करने के लिए व जनहित को देखते हुए ग्राम रढ़ेडी, वीराखेड़ी, मनोहरा व दैदपुरा में 33 के0वी0ए0 के विद्युत केन्द्र स्थापित कराने के लिये बजट में शामिल कर निर्माण कार्य कराया जाये।

हाजी मौ0 रिजवान-

मान्यवर, बिजली का कार्य माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा क्षेत्रों में कराया जा रहा है। मेरे क्षेत्र की भी कुछ समस्यायें हैं जो निम्नलिखित हैं :-

मेरे क्षेत्र में मजरों व मिलकों में विद्युतीकरण नहीं हुआ है और न ही इन मजरों में ट्रांसफार्मर, खम्भे व तार नहीं हैं। कृपया लगवाने का कष्ट करें।

1-मजरा दौलारी, मजरा दौलरा, चन्दनपुर, इमलाक, सैनिकों वाली मिलक, शम्भू वाली मिलक लखनपुरी, नकटपुरी, नया गांव, नूरपुर (मौ0 पुर वस्तौर) सौंदा, बाकीपुर, मजरा भेलवाड़ा पैदुरिया, न्यामतपुर इकरोटिया, खावरिया मूड़ मिलक रोज, मिलक कुत्तों वाली, हरियाना अड्डा, फत्तेपुर अड्डा, कमालपुर अड्डा, नाजरपुर, मिलक धोबियों वाली, खता, मक्खनगंज।

श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

महोदय,

आपके माध्यम से मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में जो मजरे विद्युत से अछूते हैं उनका ऊर्जीकरण कराने के लिये ऊर्जा विभाग के बजट राजीव गांधी विद्युतीकरण में शामिल कराये जाने का अनुरोध कर रहा हूं। कृपया शामिल करने की कृपा करें।

ग्राम पंचायत का नाम	मजरे का नाम
1-सिमरावारी	चौका, मखरऊ, वादली, कोंड़रा, डुबकी
2-खजुराहा-बुजुर्ग	चन्द्रनगर, पनिहारी, दयानगर, पथरवारा, टौरिया
3-खजुराहा-खुर्द	मातनपुरा
4-रवसा	सिमरइयन का डेरा, जनकपुर, पुरतनया बांध, भक
5-पुनावली कला	पट्ठापुरा, ढिमरपुरा
6-वैदोरा	छर्रा, छोटी डुबकी, बड़ी डुबकी, कबूतरन का डेरा
7-खैरा	पड़ती, पाल, परिहार, ढिमरपुरा, मुहल्ला
8-बबीना रूरल	शास्त्रीनगर, गोंची खेड़ा, मुखिया मुहल्ला
9-बुढ़पुरा	धरमपुरा, हरपालपुर, आदिवासियों का डेरा
10-खांड़ी	खुशीपुरा, वैरागढ़
11-हीरापुर	ढंगा मुहल्ला, आदिवासी बस्ती
12-फुटेरा (वरुआ सागर)	गोंमटा खिरक, खोंजना खिरक, गुराट खिरक, खद
13-कोलवा	हनुमान खिरक, दीवान खिरक
14-मथुरापुरा	भड़रा, आदिवासी कालोनी
15-गोरामछिया	आदिवासी डेरा
16-तेंदौल	पुरैनियां खिरक
17-लहर-ठकुरपुरा	सारमधु, खिरकन
18-रसीना	मटियारी
19-घुघुवा	गदरयाना खिरक
20-चमरऊवा	टपरियन
21-चिरगांव देहात	पाल का डेरा
22-सितौरा	आदिवासी डेरा
23-डोमागोर	शंकरगढ़ पुरवा, पटियन मुहल्ला
24-महेवा	खेरा, ढिमरपुरा
25-गुढ़ा	ढिमरपुरा

श्री उमाशंकर-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं ऊर्जा विभाग के कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात रखता हूं। मा0 अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी को अवगत कराना चाहूंगा अब गर्मी का दिन आ गया अब आरोप और प्रत्यारोप से जनता को उस आवश्यकता के हिसाब से बिजली नहीं मिलने वाली है आज आवश्यकता है। आम जनता को पर्याप्त बिजली कैसे मिले, बिजली से मात्र रोशनी नहीं व बिजली नहीं रहेगी तो पानी भी नहीं मिलने वाला है। मान्यवर, अन्य जनपद में लय को छोड़ दीजिए जहां बिजली कम मिलती है बल्कि प्रदेश ही नहीं देश की शान पूर्वांचल की वो काशी नगरी है जहां पर बिजली मात्र कुछ ही घण्टे मिलती है। जबकि वाराणसी में 24 घण्टे मिलना चाहिए। मान्यवर, एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ट्रांसफार्मर जल जाते हैं उसे बदलने में आप को ट्रांसफार्मर बदलवाने में दिक्कत तो आती है बल्कि बदले हुए ट्रांसफार्मर मात्र घण्टों में ही जल जाते हैं। मान्यवर, एक बहुत बड़ी अनियमितता जनपद बलिया में रही है। वहां के किसानों से 2 के0वी0 कनेक्शन लेने पर कामर्शियल रेट जाता है और कहा जाता है कि 5 के0वी0 के कनेक्शन पर ही कृषि रेट लगेगा जबकि जिला मऊ गाजीपुर या पूरे प्रदेश में यह व्यवस्था है साथ ही यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत लगभग 22 जनपदों की डी0पी0आर0 स्वीकृत है जिसमें पूर्वांचल के सात जनपद प्रतापगढ़, इलाहाबाद, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, जौनपुर, सिद्धार्थनगर के गांवों/मजरों का विद्युतीकरण कराया जाना प्रस्तावित है। जिसमें मात्र जनपद बलिया के 984 अविद्युतीकरण मजरे जिन्हें शीघ्र कराया जाना चाहिए। मा0 अध्यक्ष जी यह भी अवगत कराना है कि मा0 मुख्य मंत्री जी के बावजूद आज भी नगरपालिका परिषद् रसड़ा के दो ट्रांसफार्मर तहसीलदार बंगले प्यारे लाल चौराहे रसड़ा पर 400 के0वी0 एवं 400 के0वी0 का लगाया जाना था जो काफी दिनों लम्बित कर माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी को यह भी अवगत है कि मैं अपनी विधायक निधि 2012-13 की सम्पूर्ण धनराशि विद्युत विभाग को जाये ट्रांसफार्मर बदलने एवं जर्जर तारों को बदलने हेतु दे दिया है। मान्यवर, मैंने पहले आग्रह किया था कि रसड़ा विधान सभा के रसड़ा नगरा मार्ग पर अठीला ग्राम या खसआंव ग्राम के सामने 33 एवं चोगडा चट्टी पर 33 के0वी0 का ट्रांसफार्मर लगाये जाने हेतु।

श्री जय प्रकाश अंचल-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे ऊर्जा के बजट भाषण के समर्थन में बोलने का मौका दिया। मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

मा0 ऊर्जा मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में प्रदेश के गरीबों, पिछड़ों, अल्पसंख्यक के गांवों में ग्रामीण विद्युतीकरण कराने पर विशेष ध्यान दिया है जिसमें डा0 राममनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना वर्ष 2012-2013 अन्तर्गत 1741 ग्रामों तथा 4252 बसावटों के विद्युतीकरण होनी है। साथ ही साथ राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण में 300 से अधिक आबादी वाले 22 जनपदों के 245 अविद्युतीकृत ग्राम एवं 3609 विद्युतीकृत ग्राम एवं 30669 अविद्युतीकृत मजरों का विद्युतीकरण कराने का लक्ष्य है जिसमें हमारा जनपद बलिया भी चयनित किया गया है उसके अन्तर्गत 984 मजरों के लिए 9918.02 लाख धनराशि की व्यवस्था की गयी है। जिसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं। मा0 मंत्री जी मेरे विधान सभा क्षेत्र बैरिया जनपद-बलिया में रानीगंज सब-स्टेशन 33 और जय प्रकाश नगर सब-स्टेशन 33 का है।

श्री रविन्द्र भड़ाना-

मान्यवर,

मा0 अध्यक्ष जी विद्युत के बजट पर कटौती के समर्थन में बोलना चाहता था लेकिन आपने लिखकर देने के लिए कहा है जोड़ दिया जाये विद्युत व्यवस्था, 1-विद्युत उत्पादन, 2-पारेषण, 3-वितरण गड़बड़ा गया है।

1-मेरी विधान सभा क्षेत्र में विद्युत सप्लाई कम से कम 20 घण्टे की जाये।

2-मेरी विधान सभा क्षेत्र के किसानों को निजी नलकूप कनेक्शनों हेतु कम से कम 100 किसानों को निजी नलकूप के लिए कनेक्शन दिये जायें।

3-मेरी विधान सभा क्षेत्र के फुंके ट्रांसफार्मर तत्काल बदले जायें व उनकी गुणवत्ता अच्छी हो दो या एक-एक दिन में फुंक रहे हैं। अच्छी कम्पनी के लिए जायें।

4-मेरे क्षेत्र की विद्युत की जर्जर लाइटें कताई मिल फीडर से, लोहिया नगर फीडर से, काजीपुर फीडर से, परतापुर फीडर से, जर्जर तार बदल दिये जायें।

5-ग्राम गुमी, काशी की कश्यप बस्ती एवं फफून्डा, छत्तूपुर, बाजौर, बहादुरपुर में विद्युतीकरण पूर्ण किया जाये तथा क्षमता वृद्धि किया जाय एवं उप नगरीय क्षेत्रों में भी।

6-मेरे क्षेत्र में भोपाल बिहार गढ़ रोड एवं शिवशक्ति नगर विशन यौन एवं मलियाना सैन मन्दिर के ऊपर की बड़ी लाइनें घनी बस्तियों से उतरवाकर अलग शिफ्ट कराने की अनुरोध करता है।

7-मेरे क्षेत्र की विद्युत मांग और आवश्यक के अनुरूप फीडरों की क्षमतावृद्धि एवं नये फीडरों का लगाया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

8-मेरे क्षेत्र में प्रवेश विहार भोपाल बिहार, हनुमान विहार सरायकाजी रोड एवं मलियाना क्षेत्र में विद्युतीकरण पूर्ण करके कनेक्शन देने का कार्य के लिए आग्रह।

9-मेरठ महानगर में हापुड़ रोड पर हापुड़ अड्डे से बिजली बम्बा तक विद्युत पोल अतिक्रमण का कारण बन रहे हैं। उन्हें हटाकर सड़कों के बीच में डिवाइडर पर व्यवस्थित करने का आग्रह करता हूं।

10-इसी तरह गढ़ रोड एवं बागपत रोड पर भी जो पोल अतिक्रमण का कारण बन रहे हैं उन्हें डिवाइडर पर शिफ्ट कर दिया जाये।

11-विद्युत व्यवस्था में फीडरों पर ईमानदार जे0ई0 को फीडर की जिम्मेदारी दी जाये और एक साल से ज्यादा जमें जे0ई0 व एस0डी0ओ0 को स्थानान्तरित कर दूसरे जनपदों में भेजा जाये। क्योंकि ज्यादा रुकने पर ये लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं।

12-विद्युत बिलों का सही भुगतान हेतु उनका वितरण ठीक प्रकार और समय से हो जाये।

13-किसानों को विद्युत बिल निजी नलकूप का जमा करने के लिए फसल अनुसार 6 महीने के अन्दर बिना ब्याज के भुगतान के करने की अनुमति दी जाये।

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

मान्यवर,

मेरी विधान सभा क्षेत्र सिराथू में विद्युत व्यवस्था ध्वस्त है। क्षेत्र के किसानों तथा व्यापारियों को पर्याप्त व रोस्टर के अनुसार बिजली नहीं मिल पा रही है। क्षेत्र का किसान व व्यापारी पर्याप्त बिजली न मिलने से बर्बादी के कगार पर है। इस समस्या से निजात हेतु निम्न कार्य कराया जाना अति आवश्यक है।

1-देवखरपुर, अन्दॉवा कड़ा, शमसाबाद, नारा में 33/11 का उपकेन्द्र बनाया जाय।

2-सिराथू विधान सभा क्षेत्र के विद्युत व्यवस्था से वंचित 110 ग्रामों का विद्युतीकरण कराया जाय।

3-पूर्ण भुगतान एवं सामान्य योजना के लिए आवेदन कर चुके अथवा पैसा जमा कर चुके नलकूप के लिये किसानों को कनेक्शन चालू करने का सामान दिया जाये।

4-जले हुए विद्युत परिवर्तकों (ट्रांसफार्मर) को एक सप्ताह के अन्दर बदलवाने की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाये।

5-सिराथू क्षेत्र में कम से कम 20 घण्टे विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित किया जाय।

डा0 धर्म सिंह सैनी-

मा0 अध्यक्ष जी आपने मुझे ऊर्जा विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका बहुत आभारी हूं। मा0 अध्यक्ष जी मैं कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। आज ग्रामों में विद्युत की बड़ी समस्या है। बहुत से ग्राम ऐसे हैं जहां अभी भी विद्युतीकरण नहीं हुआ है वहां के निवासी अंधेरे में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बच्चे दिया जलाकर पढ़ाई करते हैं।

मा0 अध्यक्ष जी, मेरे विधान सभा क्षेत्र नकुड़ जनपद सहारनपुर में बहुत से ग्राम ऐसे हैं जिनमें विद्युतीकरण का कार्य कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है :-

1-विकास खण्ड सरसावां के ग्राम ढिक्का टपरी में विद्युतीकरण के लिये शासन द्वारा धन रिलीज होने के उपरान्त ट्रांसफार्मर, तार, पोल आदि सभी सामग्री उपलब्ध है केवल लेबर कार्य कराया जाना है, जो काफी समय से लम्बित है।

2-मा0 अध्यक्ष जी, विकास खण्ड सरसावां के ग्राम सोंधेबांस एवं ग्याजदीनपुर जो यमुना नदी के दूसरे पार हैं उसमें विद्युत की लाइन यमुना नदी से होकर जा रही है जिससे प्रत्येक वर्ष यमुना नदी में पानी आने पर विद्युत पोल बह जाते हैं जिससे दोनों ग्रामवासियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा बार-बार पोल गिरने से विभाग को भी काफी नुकसान होता है। ग्रामवासियों तथा विभाग की समस्या को देखते हुए यमुना नदी पर टावर वाले पोल लगाये जाने का कार्य।

3-मा0 अध्यक्ष जी, विकास खण्ड सरसावां के ग्राम चौरी मण्डी में 11/33 के0वी0 सब-स्टेशन चालू कराये जाने का कार्य।

4-मा0 अध्यक्ष जी, विकास खण्ड सरसावां के चौरीमण्डी, गठेड़ा, डंडौली खेड़ा, दौलतपुर, दानतपुर, धौलाहेड़ी, सैदपुरा, भटपुरा, पटनी, पंचकुंआ की कश्यप बस्ती, बीदपुर में ग्रामों का सम्पूर्ण विद्युतीकरण कराये जाने का कार्य।

5-मा0 अध्यक्ष जी, विकास खण्ड नकुड़ के ग्राम नसरूल्लागढ़, हसनपुर, भूरीबांस, जाजवां, हरपाल, हरपाली, कपुरी में ग्रामों का सम्पूर्ण विद्युतीकरण का कार्य।

मा0 अध्यक्ष जी, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त सभी कार्यों को प्राथमिकता पर कराये जाने के आदेश देने का कष्ट करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

डा0 धर्म सिंह सैनी-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरे विधान सभा क्षेत्र नकुड़ जनपद सहारनपुर में बहुत से ग्राम ऐसे हैं जिनमें विद्युतीकरण का कार्य कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है :-

1-विकास खण्ड सरसावां के ग्राम ढिक्का टपरी में विद्युतीकरण के लिये शासन द्वारा धन रिलीज होने के उपरान्त ट्रांसफार्मर, तार, पोल आदि सभी सामग्री उपलब्ध है, केवल लेबर कार्य कराया जाना है, जो काफी समय से लम्बित है।

2-मा0 अध्यक्ष जी विकास खण्ड सरसावां के ग्राम सोंधेबांस एवं ग्याजदीनपुर जो यमुना नदी के दूसरे पार हैं उसमें विद्युत की लाइन यमुना नदी से होकर जा रही है जिससे प्रत्येक वर्ष यमुना नदी में पानी आने पर विद्युत पोल बह जाते हैं जिससे दोनों ग्रामवासियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा बार-बार पोल गिरने से विभाग को भी काफी नुकसान होता है। ग्रामवासियों तथा विभाग की समस्या को देखते हुए यमुना नदी पर टावर वाले पोल लगाये जाने का कार्य।

3-मा0 अध्यक्ष जी, विकास खण्ड सरसावां के ग्राम चौरी मण्डी में 11/33 के0वी0 सब-स्टेशन चालू कराये जाने का कार्य।

4-मा0 अध्यक्ष जी, विकास खण्ड सरसावां के चौरी मण्डी, गठेड़ा, डंडौली खेड़ा, दौलतपुर, दानतपुर, धौलाहेड़ी, सैदपुरा, भटपुरा, पटनी, पंचकुंआ की कश्यप बस्ती, बीदपुर में ग्रामों का सम्पूर्ण विद्युतीकरण कराये जाने का कार्य।

5-मा0 अध्यक्ष जी, विकास खण्ड नकुड़ के ग्राम नसरूल्लागढ़, हसनपुर, भूरीबांस, जाजवां, हरपाल, हरपाली, कपुरी में ग्रामों का सम्पूर्ण विद्युतीकरण का कार्य।

मा0 अध्यक्ष जी, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त सभी कार्यों को जनहित में प्राथमिकता पर कराये जाने के आदेश देने का कष्ट करें।

श्री रविन्द्र कुमार मोल्हू-

मान्यवर,

सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे ऊर्जा कटौती प्रस्ताव विभाग के बजट (वित्तीय वर्ष 2013-14) पर बोलने का अवसर दिया।

मान्यवर, मैं आपका ध्यान विद्युत विभागीय आम जन साधारण की समस्याओं की तरफ आकृष्ट कराना चाहता हूं जो मेरे विधान सभा क्षेत्र (06, रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर) मैं है, जिनका निराकरण कराया जाना नितान्त अनिवार्य है तथा सरकार का दायित्व भी है।

1-रामपुर मनिहारान के निकट रेलवे लाइन के पास एक विद्युत उपकेन्द्र/फीडर 132 के0वी0 क्षमता का लगा है। जिस पर सरकार का लगभग रु0 22 करोड़ व्यय हुआ है। यह परियोजना लगभग पूर्ण है केवल विद्युत लाइन के तीन पोल लगना बाकी हैं। इस विद्युत उपकेन्द्र से रामपुर मनिहारान ब्लाक व इससे लगे क्षेत्र के किसानों व आम उपभोक्ता लाभान्वित होंगे तथा विद्युत आपूर्ति/सप्लाई में निश्चित रूप से बहुत सुधार हो जायेगा। अतः आपसे अनुरोध है कि इस उपकेन्द्र/फीडर को चलवाने की कृपा करें।

2-ग्राम आमकी दीपचन्द्रपुर (ब्लाक नागल) में एक छोटा फीडर 33/11 के0वी0 क्षमता का बना है। इसका कार्य भी लगभग पूर्ण है। इस फीडर के चलने से जो लो-वोल्टेज की समस्या है वह दूर हो जायेगी व उपभोक्ताओं को ज्यादा बिजली मिलनी शुरू हो जायेगी। अतः इस फीडर को शीघ्र चलवाने की कृपा करें।

3-ग्राम लाखनोर में एक विद्युत उपकेन्द्र/फीडर क्षमता 33/11 के0वी0 लगाया है। कृपया इसे शीघ्र चलवाने की कृपा करें। इससे सम्बन्धित क्षेत्र में लो-वोल्टेज की समस्या है।

4-मेरे विधान सभा क्षेत्र के कुछ ग्रामों में विद्युत आपूर्ति/सप्लाई नहीं है। जैसे-बनीखेड़ा, छपरेड़ी, (ब्लाक-बलिया खेड़ी) तथा ग्राम कुराली (ब्लाक-रामपुर मनिहारान)। इस ग्रामों में विद्युतीकरण का कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराने की कृपा करें।

5-मेरे विधान सभा क्षेत्र में बहुत से किसानों व आम उपभोक्ताओं का विद्युत बिल बहुत ज्यादा है। जिसको एक मुश्त जमा किया जाना आसान नहीं है। विभागीय अधिकारी, कर्मचारी इन उपभोक्ताओं की एफ0आई0आर0 थानें में दर्ज करा देते हैं। यदि मान्यवर इन बिलों का सरचार्ज व ब्याज माफ कर दिया जाय व बड़े बिलों को तीन या चार जितना संभव हो हिस्सों में बांट दिया जाय तो उपभोक्ता आसानी से बिल जमा करा पायेगा, जिससे सरकार का रिवेन्यू भी बढ़ेगा।

6-मान्यवर, क्षेत्रीय किसानों, बस्तियों के विद्युत ट्रान्सफार्मर मिलने में बहुत समय लग जाता है। विभागीय अधिकारियों द्वारा औपचारिकतायें बहुत बता दी जाती है। इस प्रक्रिया को सरल बनाया जाय। ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि की प्रक्रिया को भी सरल बनाया जाये।

7-मेरे विधान सभा क्षेत्र का लगभग 85 प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण, देहात क्षेत्र है। इसमें विद्युत आपूर्ति/सप्लाई की व्यवस्था ऐसी है कि एक सप्ताह दिन में व एक सप्ताह रात में बिजली आती है।

चूंकि मार्च-अप्रैल में हाई स्कूल व इण्टरमीडिएट के छात्र-छात्राओं की परीक्षा होगी व उसके बाद डिग्री कालेज की परीक्षाएं होंगी, इसलिए आपसे अनुरोध है कि रात्रि के समय व सुबह के समय बिजली की समुचित व्यवस्था कराने की कृपा करें।

मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है कि उपरोक्त सभी विद्युत विभागीय विषयों पर गम्भीरता से संज्ञान लिया जाय व प्रभावी कार्यवाही कर निस्तारण कराया जाय।

धन्यवाद।

श्री रविन्द्र भड़ाना-

मान्यवर,

लोक निर्माण विभाग के बजट की कटौती पर बोलते हुए मुझे बीच से बोलने से रोकते हुए यह निर्देश दिया था कि आप शेष लिखकर दे दीजिए आपके भाषण में जोड़ लिया जायेगा तथा शासन को उससे अवगत कराकर ध्यानाकर्षण करेंगे। जो शेष रह गया था निम्नवत् है जोड़ लिया जाये।

1-हापुड़ रोड एल ब्लाक के बिजली घर के सामने से गैस गोदाम से होकर फतेउल्लापुर रोड होते हुए नूरनगर लिसाडी मार्ग होते हुए माधवपुरम् सरस्वती लोक होते हुए दिल्ली रोड मेवला फ्लाई ओवर तक मिलाने वाली टूटी सड़क को चौड़ीकरण करके साईड में नाले बनाकर निर्माण कराने का आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं।

2-मेडिकल कालेज के पीछे गढ़ रोड के दोनों ओर काली नदी तक के क्षेत्र में शिवशक्ति विहार, प्रतापनगर, उत्तराखण्ड कालोनी, भोपाल बिहार, हनुमान विहार, राजनगर कालोनी, दामोदर कालोनी, कीर्ति पैलेस, जाग्रति विहार, मयूर विहार, प्रवेश विहार की टूटी सड़कें एवं आंतरिक सड़कें पानी निकासी हेतु सड़क के साईड में नाले बनाकर सड़क निर्माण कराने का अनुरोध करता हूं।

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

मान्यवर,

माननीय ऊर्जा मंत्री जी द्वारा ऊर्जा विभाग का रखे जाने वाले बजट का समर्थन करता हूं तथा निम्नलिखित तथ्य कार्यवाही में जोड़े जाने की कृपा करें।

1-अवगत कराना है कि पन्द्रहवीं विधान सभा के कार्यकाल में मैंने अपनी विधायक विकास निधि द्वारा विकास खण्ड रेहरा बाजार में विभिन्न गांव के विद्युतीकरण किये जाने हेतु अधिशासी अभियन्ता विद्युत बलरामपुर को धन आवंटित कराया था। विद्युत विभाग की उदासीनता के कारण अभी तक प्रस्तावित कार्य पूर्ण नहीं कराया गया है जिससे क्षेत्रीय जनता में काफी रोष व्याप्त है। कृपया उक्त कार्य को पूरा कराये जाने हेतु सम्बन्धित को आदेश देना बहुत ही आवश्यक है तथा कार्य पूर्ण न कराये जाने का कारण की जांच होना भी बहुत आवश्यक है। कृपया इस जनहित का कार्य पूर्ण कराये जाने सम्बन्धी आदेश सम्बन्धित अधिकारियों को देने की कृपा करें तथा मैं माननीय वन मंत्री जी द्वारा वन विभाग का बजट रखे जाने का समर्थन करता हूं। कृपया निम्नलिखित तथ्य कार्यवाही में सम्मिलित किये जाने की कृपा करें।

1-वन विभाग द्वारा कटान परमिट से छूट दी गयी प्रजातियों जैसे : यू0के0 लिप्टस, बबूल, सुबबूल, जामुन आदि किसान जब अपने पेड़ों को काटकर या बाजार में या आरा मशीन पर बेचने के लिए ले जाता है तो उसे वन विभाग एवं पुलिस विभाग के शोषण का शिकार होना पड़ता है क्योंकि किसानों के पास ट्रांजिट परमिट न होने के कारण किसानों को आर्थिक, मानसिक शोषण का शिकार होना पड़ता है। कृपया जनहित किसान हित में कटान पर छूट दी गयी प्रजातियों की लकड़ी पर ट्रांजिट परमिट की व्यवस्था को समाप्त किया जाये। जिससे लाखों किसान शोषण से बच जायेंगे।

2-हमारे विधान सभा क्षेत्र उतरौला में दक्षिण गोण्डा वन प्रभाग के अन्तर्गत रेहरा रेन्ज में स्थित रिजर्व फारेस्ट जिसमें साखू, सागौन, सिरसा, जामुन तथा अन्य प्रजाति की लकड़ी पायी जाती है। इटवा बीट, बैरिया बीट, पिपरा बीट के फारेस्ट गार्ड एवं फारेस्टर तथा अन्य वन कर्मी लकड़ी माफियाओं से मिलकर कटान करवाकर सरकार को भारी क्षति पहुंचा रहे हैं। इन बीटों पर तैनात कई कर्मचारी काफी समय से तैनात हैं तथा वन माफियाओं जो आरा मशीन मालिकों से सेटिंग करके रातोरात काटी गयी लकड़ी जंगल से निकलवा कर आरा मशीन पर पहुंचाकर रफा-दफा कर देते हैं। जिसकी गहराई से जांच होना अति आवश्यक है। जिससे सरकार की सम्पत्ति को बचाया जा सके एवं अवैध धन्धे लिप्त अधिकारी/कर्मचारी एवं वन माफियाओं के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जा सके। इसी के साथ-साथ लकड़ी बीनने वाले गरीब लोगों एवं पशु चराने वाले किसानों को जंगल विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के शोषण से बचाने हेतु कार्यवाही करने की कृपा करें।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

माननीय अध्यक्ष जी जो माननीय प्रति पक्ष नेता ने ऊर्जा विभाग की कटौती के समर्थन में मेरे निम्नलिखित प्रस्ताव सम्मिलित किया जाय :-

मेरे छावनी क्षेत्र में सोसाइटी के जो क्षेत्र हैं उसमें ज्यादातर गांव के किसान अपने बच्चों को पढ़ाने के लिये आये हैं। परन्तु जिस तरह से गांवों में बत्ती नहीं मिलती थी उसी तरह से सोसायटी के क्षेत्रों में जैसे सतवरी रोड, कोचला नगर, जवाहर नगर, रामपुरम, गीरजा नगर, पी0ए0सी0 रोड, तुलसी नगर, कृष्णा नगर, मंगला विहार प्रथम, मंगला विहार द्वितीय, चाड़क्यपुरी आदि हमारे सोसाइटी के क्षेत्र जो लोगों में सहकारी समिति बनाकर गरीबों को जमीन दिया, माननीय अध्यक्ष जी मैं बताना चाहता हूं कि यह गरीब किसान गांव से शहर में बच्चों को पढ़ाने आये थे कि शहर में बत्ती मिलेगी। लेकिन सरकार सोसाइटी के क्षेत्र में बिजली का काम नहीं कर रही है। लोग बांस-बल्ली पर बिजली ले गये हैं और इन तारों से कई जानवर गाय, भैंस, कुत्ता आदि मर चुके हैं। जानकारी कर लीजिये। घटनायें होती रहती हैं। मानवीय आधार पर यहां बत्ती के लिए खम्भा, तार आदि की व्यवस्था करा देंगे। तो गांव का किसान खुश हो जायेगा और गांव और शहर के अन्तर को जान जायेगा।

श्री राममगन रावत-

ऊर्जा मंत्री द्वारा पेश बजट का समर्थन करते हुए मैं अपने विधान सभा क्षेत्र 272 हैदरगढ़, जनपद बाराबंकी की कुछ समस्या है जिसके बारे में आपको अवगत कराना चाहता हूं कि मेरी विधान सभा जनपद मुख्यालय से लगभग 80 कि0मी0 की दूरी पर है बिजली की समस्या रहती है विभाग द्वारा पता करने पर पता चला है कि विधान सभा की तहसील मुख्यालय पर जब तक 132 के0वी0 बिजली घर नहीं लगाया जायेगा समस्या खत्म नहीं होगी। अतः आपसे अनुरोध करता हूं कि विधान सभा हैदरगढ़ के तहसील हैदरगढ़ में एक 132 के0वी0 बिजली घर तथा विकास खण्ड सिद्धौर के अन्तर्गत कोठी में एक विद्युत उप केन्द्र स्थापित करने की कृपा की जाये। इसके अलावा काफी समय से पहले लगाये गये बिजली के तार जर्जर हो गये हैं जिन्हें बदलना आवश्यक है।

श्री पीतम राम-

मान्यवर,

आज वन विभाग का जो बजट इस ऐतिहासिक सदन में माननीय मंत्री जी द्वारा पेश किया गया है मैं उसका समर्थन करता हूं। साथ ही आपको यह भी ज्ञात होगा कि सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में कुल वन भाग का एक चौथाई भाग पीलीभीत में है, मान्यवर, पीलीभीत में खास तौर पर मेरी विधान सभा का वन क्षेत्र पूरे देश का सबसे खूबसूरत वन क्षेत्र है, यह भी हमारा सौभाग्य है कि हमारे यहां के वन क्षेत्र में लगभग 50 बाघों (शेरों) की संख्या है, इसके साथ-साथ अन्य वन्यजीवी की भी भरमार है।

अतः देश-विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये टाइगर प्रोजेक्ट बना दिया जाए जिसकी मांग लम्बे अवधि से चल रही है। जिसको भारत सरकार द्वारा सिद्धान्त स्वीकार कर लिया गया है। उ0 प्र0 सरकार भी टाइगर प्रोजेक्ट बनाने का प्रावधान कर ले यही मांग करते हुए बजट का समर्थन करता हूं।

श्री पूर्णमासी देहाती-

आपने मुझे मा0 ऊर्जा मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत बजट पर अपनी बात रखने का समय दिया। मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

मान्यवर, ऊर्जा मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है इससे ऊर्जा का विकास होगा। जनता को सुविधायें मिलेंगी। सामने बैठे बसपा के दो साथी बोल रहे थे उनके जमाने में नकली ट्रांसफार्मर खरीदे गये है जो रोज जलते हैं उसकी जांच की जानी चाहिए। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि मेरा क्षेत्र रामकोला पिछड़ा क्षेत्र है जहां अनेक मंजरों के विद्युतीकरण किया जाना आवश्यक है जैसे-खोटही, कुसम्हां, मथौली, मंसूरगंज, सोमली सहित दर्जनों ऐसे गांव हैं जहां दर्जनों दर्जन टोले हैं जहां पर विद्युतीकरण नहीं हुआ है। उसका विद्युतीकरण किया जाना चाहिए। कप्तानगंज, परतावल फीडर बहुत पुराना हो चुका है जिसके कारण सही ढंग से विद्युत आपूर्ति नहीं हो पाती है बोदरवार या मंसूरगंज कहीं पर भी एक विद्युत उपकेन्द्र बनाया जाना चाहिए। अनेक गांव में विद्युत पोल जो लकड़ी के हैं जो जर्जर स्थिति में पहुंच गये हैं। तार टूट चुके हैं। उसे बदला जाना चाहिए, मान्यवर, मैं इन्हीं सब बात के साथ पेश ऊर्जा बजट का समर्थन करता हूं कि माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने लोहिया गांव और 42 से बसावटी को विद्युतीकरण किये जाने की बात कही है और बजट में प्राविधान किया है। आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

मान्यवर,

माननीय अध्यक्ष जी कटौती प्रस्ताव का समर्थन करते हुए बिजली विभाग की बजट भाषण में निम्न जोड़ा लिया जाय :-

1-ग्राम भोगनीपुर मनी वि0ख0 पसगवां में विद्युतीकरण,

2-वनवा गांव का मजरा सुरतियापुर वि0ख0 पसगवां में विद्युतीकरण,

3-रिहरिया वि0ख0 मोहम्मदी में बड़ा ट्रांसफार्मर,

4-इस्लामाबाद वि0ख0 मोहम्मदी में बड़ा ट्रांसफार्मर,

5-ग्राम अभग कचनार वि0ख0 मोहम्मदी बड़ा ट्रांसफार्मर,

6-300 से ऊपर आबादी वाले पुरवा/मजरा/गांवों में वि0ख0 मोहम्मदी व वि0ख0 पसगवां में विद्युतीकरण,

7-ग्राम वेल्तुआ वि0ख0 ई सानमर में लहा सिंचाई द्वारा नव निर्मित नलकूप विद्युत कनेक्शन को चालू कर दिया जाय।

श्री बब्बन सिंह चौहान-

मा0 अध्यक्ष जी आज बिजली पर लिखकर देने का आप का आदेश हुआ है। मा0 मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि हमारे विधान सभा मुगलसराय के अन्तर्गत नगरपालिका मुगलसराय है जो शहरी क्षेत्र में वार्डों में जैसे वार्ड नं0-1 एवं वार्ड नं0-10 एवं 14 अलीनगर हैं जिसकी लाइट शहरी क्षेत्र से न देकर गांव के क्षेत्र से दिया जाता है जिसे तत्काल शहरी क्षेत्र से जोड़ने की कृपा करें। मा0 अध्यक्ष महोदय हमारे क्षेत्र में कुछ ग्राम सभा दें जिसमें ग्राम सभाओं में मजरा है उनमें विद्युतीकरण कराने की कृपा करावें जैसे ग्राम सभा चन्दरखा, ग्राम गोधना ग्राम सभा पंचोखर (खुंटहना) ग्राम सभा रेमा ग्राम सभा पुरैनी ग्राम सभा दुलहीपुर दलित बस्ती ग्राम सभा बबुरी दलित बस्ती ग्राम सभा गोपालापुर मा0 अध्यक्ष जी आप के माध्यम से लिये गये आठ ग्राम सभा हैं जिसमें आपकी कृपा से इन गांवों का विद्युतीकरण कराने का कृपा करावें।

श्री इन्द्रपाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष महोदय,

विधान सभा।

महोदय, आपने मुझे बिजली विभाग की कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का समय दिया जिसके लिये आपको धन्यवाद देता हूं।

महोदय, जो बजट पेश किया गया वह समय की मांग के अनुसार बहुत कम है। यही नहीं विद्युत विभाग के अधिकारीगण अनुचित तरीके से ग्रामवासियों को जान बूझ कर गलत तरीके से कृषकों पर मुकदमा दर्ज कराकर घोर अन्याय कर रहे हैं।

मान्यवर, हमारे क्षेत्र सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात में अमराहट पम्प नहर विद्युत के अभाव से पम्प न चल पाने से इस नहर पर स्थित अनेकों गांव के गेहूं सूख रहे हैं। यदि शीघ्र ही अमराहट पम्प नहर को नहीं चलाया गया बिजली देकर तो वहां का कृषक भूखों मर जायेगा।

आपके माध्यम से अनुरोध है उक्त योजना को बिजली उपलब्ध करा कर नहर चलवाई जाये।

श्री राजेन्द्र-

मा0 अध्यक्ष जी,

हमारे सहजनवा विधान सभा में निम्न विद्युत कार्य होना आवश्यक है :-

1-पाली ब्लाक में एक फीडर की स्थापना होना।

2-सहजनवा ब्लाक के कटसहरा में फीडर की स्थापना होना।

3-पीली ब्लाक में विद्युत तार को बदलना आवश्यक है।

4-सहजनवा कस्बे को गीडा से जोड़ने की आवश्यक है।

5-सहजनवा तहसील में विद्युत कि आपूर्ति कि आवश्यकता 16 घन्टे की है।

श्री इन्दल कुमार-

मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं बिजली के बजट की प्रसंशा करता हूं और मेरी विधान सभा की निम्नलिखित बिन्दु को जोड़ दिया जाय :-

1-मेरी विधान सभा फल पट्टी क्षेत्र है और विद्युत पर शहरी जैसी वसूली जाती है। इस लिए मेरी विधान सभा को शहरी जैसी बिजली देने की कृपा करें।

2-मेरी विधान सभा क्षेत्र में रहीमाबाद में मेरी अपनी सरकार 133 KV पावर हाउस नेता जी ने दिया था उनके बाद सरकार बदल गयी और उसके बाद काम चालू हुआ लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ और कोई अधिकारी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है उसकी जांच करा कर शीघ्र चालू करने की कृपा करें ताकि बिजली संकट दूर हो सके।

3-दुबग्गा फीडर में जो मलिहाबाद माल के लाइन जाती है। बहुत पुरानी पूर्ववत् सरकार में तमाम बार तार बदले धन आवंटित किया गया लेकिन कोई कार्य नहीं हुआ इसलिए मा0 अध्यक्ष जी, आप से निवेदन है कि जर्जर लाइन बदलवा कर विद्युत आपूर्ति कराने की कृपा करें।

4-पूराने व पूर्वत् सरकार के द्वारा घटिया क्वालिटी के ट्रांसफार्मरों के बदलवाने की कृपा करें ताकि मलिहाबाद की विद्युत आपूर्ति ठीक हो सके। जिम्मेदारी लेने कौ तैयार नहीं है उसकी जांच करा कर शीघ्र चालू करने की कृपा करे ताकि बिजली संकट दूर हो सके।

5-दुबग्गा फीडर में जो मलिहाबाद माल के लाइन जाती है। बहुत पुरानी पूर्ववत् सरकार ने तमाम बार तार बदले धन आवंटित किया गया लेकिन कोई कार्य नहीं हुआ इसलिए मा0 अध्यक्ष जी, आप से निवेदन है कि जर्जर लाइन बदलवा कर विद्युत आपूर्ति कराने की कृपा करें।

6-पूराने व पूर्ववत् सरकार के द्वारा घटिया क्वालिटी के ट्रांसफार्मरों के बदलवाने की कृपा करें ताकि मलिहाबाद की विद्युत आपूर्ति ठीक हो सके।

श्री ओम प्रकाश वर्मा-

महोदय, सानुरोध प्रार्थना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र-शिकोहाबाद के निम्न ग्रामों का जनसुविधा हेतु विद्युतीकरण कराने की कृपा करें।

1-कबीरपुरा-विकास खण्ड-फिरोजाबाद।

2-अलादीपुरा-विकास खण्ड-फिरोजाबाद।

3-सुन्दरपुरा-विकास खण्ड-शिकोहाबाद।

4-सिद्ध का पुरा-विकास खण्ड-शिकोहाबाद।

5-रंजीत का पुरा-विकास खण्ड-शिकोहाबाद।

6-सुखीपुर- विकास खण्ड-शिकोहाबाद।

7-मडुआ छोटी (बड़ी)-विकास खण्ड-फिरोजाबाद।

8-नगला दया- विकास-खण्ड-फिरोजाबाद।

9-घाघऊ-विकास खण्ड-शिकोहाबाद।

10-नगला रघोल-विकास खण्ड-शिकोहाबाद।

11-मेवली-विकास खण्ड-शिकोहाबाद।

12-नगला पिपरानी-विकास खण्ड-शिकोहाबाद।

13-सौरारा-विकास खण्ड-शिकोहाबाद।

14-नगला राधे-विकास खण्ड-शिकोहाबाद।

15-बधिकपुरा-विकास खण्ड-शिकोहाबाद।

16-श्री रामठार (हरिया)-विकास खण्ड-शिकोहाबाद।

17-नगला नया (हरिया)-विकास खण्ड-शिकोहाबाद।

18-ठार मानसिंह (गाजीपुर)-विकास खण्ड-फिरोजाबाद।

19-ठार नरगापुर-विकास खण्ड-फिरोजाबाद।

20-ठार वैध (गढ़ीसौराम)-विकास खण्ड-फिरोजाबाद।

21-खेड़ा सिकहरा-विकास खण्ड-फिरोजाबाद।

22-मिश्री का पुरा-विकास खण्ड-फिरोजाबाद।

23-अगरू का पुरा-विकास खण्ड-फिरोजाबाद।

24-सुजातगढ़-विकास खण्ड-फिरोजाबाद।

25-मेहरी-विकास खण्ड-फिरोजाबाद।

26-ठार कामराज-विकास खण्ड-फिरोजाबाद।

27-नगला टिकैत-विकास खण्ड-फिरोजाबाद।

28-नगला दान सहाय-विकास खण्ड-फिरोजाबाद।

29-ठार बालिगराम-विकास खण्ड-फिरोजाबाद।

30-मुरलीनगर (गुदाउ)-विकास खण्ड-फिरोजाबाद।

31-नकटपुरा-विकास खण्ड-फिरोजाबाद।

32-ठार नैपाल-विकास खण्ड-फिरोजाबाद।

33-ठार बोजी (आजाद नगर)-विकास खण्ड-फिरोजाबाद।

34-ठार दंगल-विकास खण्ड-फिरोजाबाद।

35-डॉढ़ा (गुदाऊं)-विकास खण्ड-फिरोजाबाद।

36-नया बॉस-विकास खण्ड-फिरोजाबाद।

37-खरदूसपुर-(ढ़कपुरा)-विकास खण्ड-फिरोजाबाद।

38-आलमपुर-विकास खण्ड-फिरोजाबाद।

39-गढ़िया (आलमपुर)-विकास खण्ड-फिरोजाबाद।

40-न0 निगौती (गढ़ी तिवारी-चन्दवार)-विकास खण्ड-फिरोजाबाद।

41-भैंसा वाट (चन्द्रवार)-विकास खण्ड-फिरोजाबाद।

42-अरमरा जट्ट-विकास खण्ड-शिकोहाबाद।

43-घौरऊ हिम्मतपुर-विकास खण्ड-शिकोहाबाद।

44-नगला वाजदार-विकास खण्ड-शिकोहाबाद।

45-कुतुकपुर वटिआर मई-विकास खण्ड-शिकोहाबाद।

46-नगला कल्यान-विकास खण्ड-शिकोहाबाद।

47-गढ़ी दरगपुर-विकास खण्ड-शिकोहाबाद।

48-नगला गोकुल-विकास खण्ड-फिरोजाबाद।

49-ठार गोवर्धन-फतेहाबाद रोड।

50-चकरा ठार पिलूआ-विकास खण्ड-फिरोजाबाद।

आभार सहित/सादर।

श्री ओम प्रकाश वर्मा-

महोदय, कृपया आप से सादर अनुरोध है कि मेरी विधान सभा शिकोहाबाद जन सुविधाओं हेतु विद्युत सब-स्टेशनों के निर्माण हेतु निम्न प्रस्ताव है :-

1-जफराबाद ब्लाक शिकोहाबाद।

2-सौराय गढ़ी ब्लाक फिरोजाबाद।

3-विलहेना ब्लाक फिरोजाबाद।

4-गुदाऊ ब्लाक फिरोजाबाद।

5-पेयजल सुविधा हेतु क्षेत्र शिकोहाबाद में लगी टी0टी0एस0पी0 टंकियों का विद्युत कनेक्शन कराने के लिए अनुरोध करता हूं।

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

मान्यवर, आज प्रदेश में बिजली व्यवस्था की स्थिति अत्यन्त चिन्ताजनक है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गुलावठी नगर पालिका परिषद् आती है। जिसकी आबादी लगभग 1 लाख है वहां केवल 10 घंटे बिजली मिल पाती है मेरा अनुरोध है कि वहां कम से कम 16 घंटे विद्युत आपूर्ति की जाय। सरकार ने प्रदेश में बिजली आपूर्ति को केवल तीन श्रेणी बना रखी है। जिला मुख्यालय, तहसील मुख्यालय तथा विकास खण्ड। ऐसी स्थिति में अनेक बड़े कस्बे, नगर जो तहसील मुख्यालय या जिला मुख्यालय नहीं हैं। उन्हें उचित बिजली आपूर्ति नहीं की जाती मेरा अनुरोध है कि एक और श्रेणी नगर पालिका परिषदों की बनाकर उन्हें कम से कम 16 घंटे बिजली आपूर्ति की जाय। मेरी विधान सभा के गुलावठी नगर में बहुत पुरानी 33 KVA की विद्युत लाइन नगर के बीचों बीच से गुजरती है मैंने नियम-301 के अन्तर्गत उसे स्थानान्तरित करने का शासन से अनुरोध किया था। शासन ने जबाव में नगर पालिका द्वारा 20 लाख रुपये जमा कराने को कहा है। नगर पालिका वह धन जमा नहीं करा सकती। अतः मेरा अनुरोध है जनहित में सरकार अपने स्तर से यह कार्य कराये। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण का कार्य शुरू होने वाला था लेकिन अभी तक शुरू नहीं हुआ है। वह शीघ्र शुरू कराया जाय।

मेरी विधान सभा के अनेक गावों जैसे बुटैना, गेसूपुर, सरायधासी, गोपालपुर बिल्सूरी व सरायदूल्हा आदि के ट्रांसफार्मर अति भारित हैं। इसके अलावा अनेक गांवों के ट्रांसफार्मर कम गुणवत्ता के होने के कारण बार-बार फुंकते रहते हैं। जिससे सरकार के धन का अपव्यय होता है तथा सरकारी अधिकारी भी भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं। मेरा सुझाव है कि पहले से ही ट्रांसफार्मरों की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाय तथा लोड के अनुसार पहले से ही उच्च क्षमता के ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराये जायं।

श्री मुकुट विहारी वर्मा-

मान्यवर, आपने बात रखने का मौका दिया, धन्यवाद, बिजली बजट के कटौती प्रस्ताव पर विपक्ष के सारे लोग से जोड़ते हुए दो बातें रखना चाहता हूं।

प्रथम अपने स्तर के प्रान्त म0प्र0 तथा गुजरात आज 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति कर रहे हैं तथा उनका विद्युत बोर्ड घाटे में भी नहीं चल रहा है इसका मूल कारण विद्युत चोरी से रोकना है। चोरी छोटे लोग नहीं करते बड़ी इण्डस्ट्री, अधिकारियों तथा सत्ता दल के सहयोगियों के बल पर करती है इस पर विराम लगाइए।

विधान सभा क्षेत्र के कैसरगंज बाढ़ग्रस्त क्षेत्र होने कारण एक-एक गांव में 86 छोटे पुरवे हैं तथा कुछ गांवों में 200 से ऊपर पुरवे हैं गांव का विस्तार 11 के0वी0 तक फैला है। इसमें छोटे पुरवे जहां अभी बिजली नहीं दे पा रहे हैं वहां सरकार सौर ऊर्जा तक विस्तार कर इन गांवों को भी प्रकाशित करने की योजना जोड़े। साथ ही जहां खम्भे खड़े है लेकिन तार नहीं फैला है अथवा खम्भे तार है केवल ट्रांसफार्मर अथवा लाइन जोड़ने का काम शेष है ऐसे गांवों को चिन्हित कराकर कार्य पूर्ण कराने को भी इस योजना में जोड़ा जाय।

श्री सन्त प्रसाद-

मा0 अध्यक्ष जी, आप के माध्यम से मा0 मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि खजनी विधान सभा के प्रमुख बाजारों में आये दिन ओवरलोड से ट्रांसफार्मर जल रहे हैं उन स्थानों पर अधिक पावर के ट्रान्सफार्मर या और अतिरिक्त लगाने की आवश्यकता है। महोदय, महा देवाबाजार ढेबरा, सिंकटीगंज, बेलघाट, कुटी बाजार सिसवा बाजार में कम से कम एक-एक और अतिरिक्त 100 के0वी0 के ट्रान्सफार्मर लगाये जाये। टूटे हुये पोलों की तत्काल व्यवस्था की जाये खजनी विधान सभा में कम से कम, 16 घण्टे विद्युत आपूर्ति की जाये जिससे किसानों, विद्यार्थियों को कठिनाई न हो किसानों को सिंचाई के लिये निःशुल्क कनेक्शन की व्यवस्था हो जर्जर एवं पुरानी विद्युत लाइन को ठीक किया जाये। जर्जर पावर स्टेशनों की मशीन को बदला जाने गावों का विद्युतीकरण नहीं हुआ है उनका तत्काल विद्युतीकरण कराया जाये।

श्री गेंदा लाल चौधरी-

मान्यवर, कुछ समस्याओं की तरफ आपके माध्यम से सरकार के सामने रखना चाहता हूं।

1-क्षेत्र में 4-5 घण्टे बिजली आ रही।

2-हाई स्कूल, इण्टरमीडियट की परीक्षा चल रही है। जिसे बढ़ाकर 24 घण्टे की जाय।

3-सरकार को 50% ब्याज पर कम किया है उसे बढ़ाकर 100% सरकार कराये।

4-क्षेत्रों में किसानों के जले ट्रांसफार्मर समय से नहीं बदले जाते अगर बदले भी जाते हैं तो पैसा लेकर बदले जाते हैं।

5-शहर/कस्बों में कम से कम 20 घन्टे बिजली दी जाय।

श्री सुरेश बसंल-

माननीय अध्यक्ष जी, उर्जा चिभाग के बजट पर कटौती प्रस्ताव पर मुझे मौका दिया उसके लिये धन्यवाद।

अध्यक्ष जी बिजली जीवन का अभिन्न अंग है। इसके वगैर प्रदेश की प्रगति नहीं हो सकती। इसके लिये सबको जरूरी है बिजली की चोरी को रोकना।

इसमें मेरा एक सुझाव है कि जो भी विद्युत की नई लाइन डाली जाये वह भूमिगत हो। जिससे बिजली की चोरी रुकेगी तथा सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा तथा पुरानी लाइनों को भी भूमिगत करा जाये।

श्री रविदास मेहरोत्रा-

माननीय अध्यक्ष जी,

मा0 ऊर्जा मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का मैं समर्थन करता हूं।

मान्यवर,

पूर्व में 5 साल रही ब0स0पा0 सरकार की जनविरोधी नीतियों के कारण प्रदेश में पांच वर्ष बिजली का गम्भीर संकट था। पिछले पांच वर्षों में ट्रांसफार्मरों की खरीद में भारी घोटाला, लूट एवं अनियमितितायें हुयी थीं। पिछले पांच वर्षों में बिजली उत्पादन बढ़ाने का कोई ठोस प्रयास नहीं किया गया। आज प्रदेश में बिजली उत्पादन से बहुत ज्यादा बिजली की आवश्यकता है।

समाजवादी पार्टी की लोकप्रिय सरकार प्रदेश में बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए हर स्तर पर प्रयास कर रही है इस सरकार का प्रयास है कि बिजली की चोरी रुके। बिजली विभाग में व्याप्त घाटा समाप्त हो और जनता को उसकी आवश्यकतानुसार पूरे समय बिजली मिले।

इस सरकार ने बिजली विभाग में एक इन्जीनियर को एम0डी0 बनाकर सराहनीय कार्य किया है।

पूरे प्रदेश में बड़ी संख्या में लोग लखनऊ आकर बस रहे हैं यहां पावर स्टेशनों एवं ट्रान्सफार्मरों पर बहुत अधिक लोड है। बिजली के तार जर्जर हो गये हैं। बिजली के खम्भे भी जर्जर हैं जिस कारण लखनऊ मध्य क्षेत्र में बिजली वोल्टेज लो हो जाती है तथा कई-कई बार बिजली चली जाती है तथा ट्रान्सफार्मर फुंक जाने से बिजली जाने की समस्या बनी रहती है।

मान्यवर, लखनऊ में पावर स्टेशनों एवं ट्रान्सफार्मरों पर लोड बढ़ा है। उनकी क्षमता बढ़ाई जाये तथा पुराने ट्रान्सफार्मर, जर्जर बिजली के खम्भे एवं तार बदलने का कार्य हो।

मान्यवर, इस बात की जांच हो कि पिछली सरकार ने 10 बिजली कम्पनियों से एम0ओ0यू0 किया उस यूनिटों में उत्पादन क्यों नहीं शुरू हुआ पिछली सरकार ने जनता के साथ धोखा किया है। अब हमारी सरकार शीघ्र ही नयी बिजली यूनिटें शुरू करने के लिये पुरजोर प्रयास कर रही है। मैं इसी के साथ ऊर्जा बजट का समर्थन करता हूं।

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

मान्यवर, ऊर्जा बजट में लगभग 5000 करोड़ रु0 का घाटा दर्शाया जा रहा है और नियामक आयोग की आड़ लेकर कुछ माह पूर्व प्रदेश सरकार ने उद्योगों के लिये विद्युत दर को बढ़ाया है। इसी आयोग की आड़ लेकर उक्त घाटा पूर्ति हेतु आम जनता के लिये भी विद्युत दर बढ़ने की संभावना है।

मान्यवर, कैसी विडम्बना है कि एक ओर घाटापूर्ति के लिये जनता पर बोझ लादा जा रहा है, विद्युत दर बढ़ाई जा रही है, वहीं दूसरी ओर आगरा में विद्युत वितरण की व्यवस्था सौंपी गई है उसे रु0 1.70 की दर से बिजली देकर आगरा की जनता को लूटने की खुली छूट दी जा रही है।

आगरा में टोरंट पावर लि0 को लगभग 3 वर्ष पूर्व शहरी क्षेत्र की विद्युत वितरण व्यवस्था सौंपी गई। दक्षिणांचल के सभी कार्यालय, उपकरण व्यवस्थायें जस की तस टोरंट को सौंप दी गईं। मान्यवर, कैसी विडम्बना है कि तत्कालीन सरकार ने अपनी कुछ व्यवस्था बनाकर जनता को एक लूटेरी कं0 के हाथों गिरवी रख दिया और यही कारण था कि गत विधान सभा चुनाव में मात्र बसपा को छोड़कर सभी राजनैतिक दलों के प्रत्याशियों ने कहा था कि यदि उनकी सरकार आयेगी तो टोरंट को भगायेगी।

श्री गुलाम मौहम्मद-

महोदय,

आपके आदेशानुसार मैं माननीय ऊर्जा मंत्री जी द्वारा पेश किये गये बजट के समर्थन में अपना लिखित वक्तव्य पेश कर रहा हूं। कृपया वि0स0 कार्यवाही में सम्मिलित करने का कष्ट करें। मान्यवर, माननीय ऊर्जा मंत्री द्वारा पेश किया गया बजट अच्छी नियत और जनहित में रखा गया है जो ऊर्जा के क्षेत्र में निश्चित रूप से सुधार लायेगा।

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र की समस्यायें एवं सुझाव हैं।

(1) मेरे क्षेत्र के भोला जल विद्युत गृह में नई मशीनें लगाकर उत्पादन शुरू किया जाये जैसाकि विदित है कि जल विद्युत सस्ती पड़ती है और स्थानीय आवश्यकता पूरी करने में सहायक होगी।

(2) मेरे वि0स0 क्षेत्र के ग्राम खिर्वा जलालपुर ग्राम जिसमें बुनकर लोग रहते तथा पावरलूम चलाते हैं, को पहले की भांति सरधना टाउन से बिजली सप्लाई दी जाय।

(3) कुछ क्षेत्रों में भूमि के अभाव में बिजली घरों का निर्माण नहीं हो पा रहा है। सरकार द्वारा भूमि का प्रबन्ध कराकर बिजली घरों का निर्माण कराया जाये।

श्री शाहआलम उर्फ गुड्डू जमाली-

माननीय अध्यक्ष महोदय जी आपने मुझे नेता प्रतिपक्ष के कटौती प्रस्ताव के पक्ष में अपनी बात रखने का अवसर दिया मैं आपका आभारी हूं।

अध्यक्ष महोदय, चूंकि मेरा मुबारकपुर क्षेत्र बुनकर बाहुल्य क्षेत्र है। इसलिये मेरे क्षेत्र में बिजली कटौती से जो समस्या उत्पन्न हो रही है वो बड़ी भयानक है बिजली की कटौती की हालत ये है कि मुबारकपुर, जहानागंज, अमिलो, इब्राहीमपुर जो बुनकर बाहुल्य क्षेत्र है। लगभग नब्बे हजार की आबादी है और हालत ये है कि मात्र 3 से 4 घन्टे की बिजली आती है। जिसकी बजह से बुनकरों का पावरलूम नहीं चल पाता है। जिसके कारण ये समाज भुखमरी के कगार पर है। उनके परिवार, उनके बच्चे भुखों मर रहे हैं। लिहाजा आपके माध्यम से माननीय उर्जा मंत्री से ये निवेदन करता हूं कि मेरे क्षेत्र मुबारकपुर, जहानागंज, अमिलो, इब्राहीमापुर में कम से कम बीस घन्टे बिजली देने की व्यवस्था की जाये ताकी मेरे क्षेत्र के बुनकर समाज को इस भयानक पेरशानी से छुटकारा दिया जा सके और वो अपनी रोजी-रोटी ठीक से चला सकें।

श्री गुटियारी लाल दुवेश-

महोदय, आज विद्युत विभाग के बजट के कटौती प्रस्ताव मा0 मौर्य जी द्वारा रखा गया, मैं वल देता हूं।

मा0, आगरा शहर के अन्तर्गत टोरेन्ट पावर द्वारा उपभोक्ताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है। उन्होंने प्राईवेट गुंडे रख लिए हैं एक से दो लाख का असेसमेन्ट बना दिया जाता है 25% से 30% पैसा लेकर खत्म कर दिया जाता है। टोरेन्ट पावर ने अपने निजी मीटर लगा रखे हैं वह बहुत तेजी से चलते हैं। एक गरीब व्यक्ति का बिल 500 रु0 का आता था अब 1500 रु0 का आता है। गलियां व सड़कें वगैर अनुमति के खोद कर डाल दिये हैं। घरों में जाकर 15 से 20 गुंडे घन्टों में वीडियो कैमरा लेकर जाते है और वीडियो रील बनाते है आगरा शहर की जनता आये दिन सड़कों पर धरना-प्रदर्शन करती है। टोरेन्ट पावर द्वारा अन्डरग्राउंड द्वारा डाली गई लाइन से कई हादसे हो गये हैं। आगरा शहर की स्थिति कभी भी विस्फोटक हो सकती है। मैं मा0 मुख्य मंत्री से अनुरोध करता हूं इस गम्भीर विषय पर कड़ी कार्यवाही करने का कष्ट करें।

श्रीमती कृष्णा पासवान-

महोदय, जनपद फतेहपुर के खागा विधान सभा क्षेत्र में 33/11 यहां विद्युत सब-स्टेशन 12 कि0मी0 दूर स्थित होने के कारण विद्युत आपूर्ति का अधिकांश भाग ब्रेक डाउन, ओवर, लोडिंग व लो वोल्टेज से बाधित होती है। जिससे किसानों को सिंचाई की समस्या तथा आम जनता को वोल्टेज की समस्या से जूझना पड़ रहा है। इस समस्या के निराकरण हेतु जनहित में 1-ग्राम चन्दापुरगढ़ा के पास विकास खण्ड विजईपुर, 2-ग्राम खरसेउवा के पास विकास खण्ड धाता तथा ग्राम विछियांवा के पास विकास खण्ड धाता में 33/1 यहां विद्युत सब-स्टेशन स्थापित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। बिजली बजट के कटौती प्रस्ताव पर बल देती हूं।

श्री बावन सिंह-

मान्यवर, आपने मुझे ऊर्जा विभाग के बजट पर विपक्ष द्वारा कटौती प्रस्ताव पर बल देने के लिए मौका दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मान्यवर, मेरे विधान सभा कटरा बाजार, कर्नैलगंज, जनपद गोडा जरवल रोड जो गोंडा से विद्युत आपूर्ति 11000 की लाइन से की जा रही, वह सन् 1970 में लाइन बनी थी। पोल तथा तार बिल्कुल जर्जर हैं आये दिन कई लोगों की जानें जा चुकी हैं तथा किसानों की फसलें जल गई। इसी लाइन पर 132 के0वी0ए0 का विद्युत स्टेशन कर्नैलगंज सन् 1969 में बना जिसके अन्तर्गत कस्तूरी फीडर, जरवल रोड फीडर तथा कटरा फीडर के तार एवं पोल जर्जर होकर सड़ गये हैं। लोहे के खम्भे जंग से सड़ गये हैं। कस्तूरी फीडर पर चदेंहा नाले पर लोहे के सड़े खम्भे गिरने से कई पशु जल गये जिनका मुआवजा भी विद्युत विभाग द्वारा दिया गया है। मान्यवर, आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जनहित में उपरोक्त मेन सप्लाई लाइन तथा फीडरों की मरम्मत नये खम्भे एवं तारों द्वारा कराई जाय। मान्यवर, कौड़िया बाजार, बालपुर, कटरा बाजार, आर्यनगर एवं दुबहा बाजार आदि बड़े मेरे क्षेत्र के कस्बों के ट्रान्सफार्मर की क्षमता बढ़ाई जाय।

मान्यवर, दुबहा बाजार एवं कौड़िया बाजार के पास नया विद्युत सब-स्टेशन बनाया जाय तथा कौड़िया बाजार क्षेत्र की जनता को विद्युत आपूर्ति विशेश्वरगंज फीडर से न कराकर गोंडा जनपद के किसी विद्युत सब-स्टेशन से कराई जाय। अन्त में मैं कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री सन्तराम कुशवाहा-

आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्री को अवगत कराना चाहता हूं कि :--

1-माधौगढ़ विधान सभा का भाग 132 के0वी0ए0 से लगभग 50 कि0मी0 की दूरी पर बना है। अनुरोध है कि माधौगढ़ रामपुरा में 132 यहां का उपकेन्द्र स्थापित करवाया जाय।

2-विजनेश प्लान के अन्तरगत लगभग 12 ग्रामों का विद्युतीकरण के आदेश होकर उक्त प्लान का पैसा विभाग द्वारा खर्च कर लिया गया और कुछ ग्रामों में तार, खम्भा गाड़ दिये गये है और लगभग 200 खम्भा, तार जमा है। जो पूर्व मंत्री के कब्जे में है। ग्रामों का विद्युतीकरण कराया जाय।

3-अध्यक्ष जी, माधौगढ़ विधान सभा के लगभग 70 मजरों का विद्युतीकरण नहीं हुआ है। किसान हित में अति शीघ्र विद्युतीकरण करवाने का कष्ट करें।

श्री सत्यवीर मुन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने ऊर्जा विभाग के बजट के समर्थन में हमें बोलने का अवसर प्रदान किया इस हेतु आपका धन्यवाद।

श्रीमन् सर्वप्रथम महाकुम्भ मेला में ऊर्जा विभाग द्वारा बेहतरीन व्यवस्था के लिए बधाई देना चाहूंगा और इलाहाबाद से विधायक हूं इसलिए आंखों देखी बताना चाहूंगा कि पूर्वान्चल के एम0डी0/सी0एम0डी0 श्री ए0 पी0 मिश्रा का कार्य अत्यन्त सराहनीय रहा। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं सरकार को हरदुआ, पनकी, ओबरा, पारीक्षा की नई ताप इकाइयों की स्थापना हेतु आभार व्यक्त करना चाहूंगा और इसके परिचालन से 660 मे0वा0 विद्युत उत्पादन बढ़ेगा यह एक सराहनीय एवं उत्पादन बढ़ाने हेतु क्रान्तिकारी कदम होगा। श्रीमन् बी0एस0पी0 ने पिछले पांच वर्ष खूब एम0ओ0यू0 करे पर सब मुंह के बल गिर गए। मान्यवर, ट्रान्सफार्मर घटिया स्तर के थे और पूरी की पूरी व्यवस्था कमीशनखोरी का शिकार हो गई। बी0एस0पी0 ने 26,000 करोड़ तक का घाटा ऊर्जा सेक्टर को दिया जो शर्मनाक है। मान्यवर, मा0 मौर्या जी के कार्यकाल में ग्रामीण क्षेत्रों में 04 से 06 घन्टे ही विद्युत आपूर्ति हो पाती थी और अगर टान्सफार्मर जल गया तो दो-दो, चार-चार महीने नहीं बदले जाते है।

श्रीमन् हमारी सरकार द्वारा सोरांव वि0 सभा के सोरांव तहसील हेतु 33/11 यहां का उपकेन्द्र स्वीकृत हुआ है इस हेतु अपनी सरकार को कोटि-कोटि धन्यवाद देना चाहूंगा और उसके शीघ्र शिलान्यास एवं परिचालन का आग्रह करूंगा जिससे सोरांव तहसील सहित ग्रामीण विद्युत उपलब्धता में सुधार होगा।

श्रीमन् हमारे विधान सभा के तुलापुर/बहरिया उपकेन्द्र, सोरांव एवं मऊआइमा उपकेन्द्रों में उपकरण जर्जर हैं, उन्हें सुधारने का प्रयास हो साथ ही विद्युत आपूर्ति में आमूलचूल सुधार होगा इसी आशा और विश्वास के साथ मैं ऊर्जा विभाग के बजट का बिन्दुवार पूर्ण समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री पूरन प्रकाश-

ऊर्जा के बजट में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :-

(1) जनपद मथुरा के अन्तर्गत राया ब्लाक, बल्देव ब्लाक, फरह ब्लाक के ग्रामीण अंचल में फुंके पड़े 25 के0वी0, 63, 100 के0वी0 में ट्रान्सफार्मरों को तुरन्त बदला जाये।

(2) मथुरा जनपद के ग्रामीण अंचल के राया, बल्देव, फरह के ग्रामीण अंचल जो ग्राम विद्युतीकरण से वंचित हैं उनमें विद्युतीकरण लाइन सुनिश्चित करायें ऐसे तीनों ब्लाकों में 15, 15 ग्राम हैं।

(3) छोटे-छोटे बकायादारों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। ग्रामीण अंचल में बोर्ड की परीक्षा की तैयारी है कनेक्शन न काटे जायें।

(4) जनपद मथुरा के पचावर सब-स्टेशन (बल्देव) ब्लाक को चालू कराये जाने के निर्देश प्रदान कराने का कष्ट करें।

श्री श्याम बहादुर सिंह यादव-

मान्यवर, कृपया आपके माध्यम से मा0 ऊर्जा मंत्री जी से निवेदन है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में निम्न कार्यों का होना आवश्यक है। उनको इसी बजट में समायोजित कराने का कष्ट करेंगे मेरे निर्वाचन क्षेत्र में फूलपुर, माहुल में विद्युत सब-स्टेशनों का निर्माण जो कि मैंने दोनों जगहों पर निःशुल्क जमीन विभाग के नाम करवा दी है और साथ ही साथ यह भी कहना है कि सिकन्दरपुर, पवई, करौजा, हाजीपुर, खैरुद्दीनपुर, मोहाना, हाजीपुर उफरी, राजापुर सिकरौर, खानजहांपुर, राजापुर सिकरोरे, मकसुदिया के साथ फूलपुर टाउन एरिया में एक मोबाइल ट्रांसफार्मर तथा साथ ही साथ माहुल, पवई, फूलपुर कोहड़ा, मितलूपुर को केबिल वाले तारों से आच्छादित किया जाय तथा विद्युत चोरी रोके जाने हेतु जे0ई0 स्तर पर सख्त कार्यवाही कराई जाये। मा0 मंत्री जी ने जो किसानों का फीडर अलग करने का निर्णय लिया है उसका मैं हृदय से स्वागत करता हूं और विपक्षी भाजपा सदस्य ने कहा है कि गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जो बिजली बोर्ड फायदे में ही थे इसलिए ही कि वहां पर लगातार तीन बार से एक ही दल की सरकार है। इसलिये उनकी पालिसी पर लगातार काम हो पाता है। हमारी पालिसी का हस्त बसपा ने निरस्त करा दिया।

श्री राधेश्याम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मा0 ऊर्जा मंत्री जी ने 2013-14 का ऊर्जा बजट प्रस्तुत किया है। मैं उसका समर्थन करता हूं। माननीय आपके माध्यम से कुशीनगर जनपद के हाटा विधान सभा क्षेत्र की तरफ मा0 मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि मेरे विधान सभा का मुख्यालय हाटा तहसील है। 1904 की यह बनी तहसील है। टाउन एरिया है व्यापारी कामर्शियल बिल देते हैं। हाटा टाउन को नगरीय क्षेत्र घोषित कर 14 घण्टे बिजली देने की मांग करते हैं।

वर्ष 2012-13 में जो विधायक निधि से हाटा विधान सभा में विद्युतीकरण हेतु जो धन अधिशासी अभियन्ता, कसया को दिया गया है।

मा0 मंत्री जी उक्त धन से विद्युतीकरण कराने का आदेश देने की कृपा करें।

श्री गंगा सिंह कुशवाहा-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं। मेरे विधान सभा फाजिलनगर 332, कुशीनगर की निम्नलिखित समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट कराने का कष्ट करें :-

1-जिन ग्रामों में बिजली अब तक नहीं पहुंची जांच कराकर वहां विद्युतीकरण कराया जाय।

2-जितनी बिजली मिल रही है उसे दो शिफ्टों में दिया जाय।

3-दो बड़े बाजार क्रमशः फाजिलनगर और दुधई की जनसंख्या बढ़ी है और कनेक्शन बढ़े हैं और ट्रांसफार्मर की क्षमता कम है। लोड नहीं ले पाता है। क्षमता बढ़ाया जाय।

4-जर्जर तारों और खम्भों को बदला जाय।

पी0एस0यू0पी0-एल0 47 विधान सभा (99)-11-07-2013-813 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।